सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
जनरल एवं सोशल सेक्टर

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या 3 – वर्ष 2015

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

जनरल एवं सोशल सेक्टर

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 3 – वर्ष 2015

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
अध्याय 1 प्रस्तावना		
बजट की रुपरेखा	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
सतत् बचतें	1.3	2
राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित धनराशियाँ	1.4	3
भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	1.5	3
लेखापरीक्षा का नियोजन एवं संचालन	1.6	4
निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति शासन की अभिरुचि का अभाव	1.7	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन	1.8	5
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रति शासन का रुझान (आलेख्य प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा)	1.9	5
अध्याय 2 निष्पादन लेखापरीक्षा		
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग		
बाढ़ नियंत्रण	2.1	7
समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम–शारदा सहायक	2.2	33
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग		
राज्य कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद एवं मेरठ	2.3	61
चिकित्सा शिक्षा विभाग		
संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा एवं निधि प्रबन्धन	2.4	95
माध्यमिक शिक्षा विभाग		
लैपटाप एवं टैबलेटः क्रय एवं विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरण	2.5	109
श्रम विभाग		
लेबर सेसः आकलन, लेवी, संग्रह, जमा एवं उपयोग	2.6	117

अध्याय 3 लेन–देनों की लेखापरीक्षा		
धोखाधड़ी एवं उद्घटित धोखाधड़ी के प्रकरण	3.1	127
गृह विभाग		
₹ 21.93 लाख का वेतन एवं बकाया वेतन का कपटपूर्ण संवितरण	3.1.1	127
नियमों एवं विनियमनों का अनुपालन न किया जाना	3.2	129
राजस्व विभाग		
परिहार्य व्यय	3.2.1	129
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग		
निधि का दुरुपयोग	3.2.2	130
शासन को हानि	3.2.3	132
₹ 87.08 करोड़ का अलाभकारी व्यय	3.2.4	133
शासन को हानि	3.2.5	134
₹ 1.59 करोड़ का अलाभकारी व्यय	3.2.6	135
शासन को हानि	3.2.7	137
निष्फल व्यय	3.2.8	138
अतिरिक्त व्यय	3.2.9	139
औचित्य लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय किये जाने के प्रकरण	3.3	140
कृषि विभाग		
उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम को अनुचित सहायता	3.3.1	141
सूचना एवं जन संपर्क विभाग		
₹ 23.64 करोड़ का अतिरिक्त व्यय	3.3.2	142
चिकित्सा शिक्षा विभाग		
परिहार्य व्यय	3.3.3	144
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग		
निरर्थक व्यय	3.3.4	145
लोक निर्माण विभाग		
अनौचित्यपूर्ण व्यय	3.3.5	147
व्ययाधिक्य	3.3.6	148
₹ 5.54 करोड़ का परिहार्य व्यय	3.3.7	149
शासकीय क्षति	3.3.8	151
निष्फल व्यय	3.3.9	152
निरीक्षण एवं प्रशासनिक नियन्त्रण की विफलता	3.4	154
उच्च शिक्षा विभाग		
उद्देश्य की पूर्ति न होना	3.4.1	154
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		

निष्फल व्यय	3.4.2	155
निष्फल व्यय	3.4.3	156
अविवेकपूर्ण निर्णय	3.4.4	158
राजस्व विभाग		
निष्फल व्यय	3.4.5	159
खेलकूद विभाग		
निष्फल व्यय	3.4.6	160
अनुचित नियोजन	3.4.7	161
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग		
अलाभकारी व्यय	3.4.8	162
लघु सिंचाई विभाग		
₹ 3.03 करोड़ का निष्फल व्यय	3.4.9	163
लोक निर्माण विभाग		
अलाभकारी व्यय	3.4.10	164
₹ 5.24 करोड़ का अलाभकारी व्यय	3.4.11	166
अलाभकारी व्यय	3.4.12	167

परिशिष्ट

संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.1.1	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जनपदवार वर्गीकरण	171
2.1.2	वर्ष 2009–13 के दौरान राज्य को बाढ़ से क्षति/नुकसान	172
2.1.3	संगठनात्मक ढाँचा	173
2.1.4	वर्ष 2009–14 के दौरान राज्य आपदा मोचक निधि के अन्तर्गत प्राप्त एवं उसके सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण	174
2.1.5	मुख्य लेखा–शीर्ष 2711 के अन्तर्गत आवंटन एवं उसके सापेक्ष व्यय का विवरण	175
2.1.6	वर्ष 2009–14 के दौरान प्रावधानित एवं उसके सापेक्ष व्यय का विवरण (भारत सरकार सहायतित)	176
2.1.7	चयनित खण्डों में प्रावधानित एवं व्यय का विवरण	177
2.1.8	चयनित जनपदों के खण्डों में सृजित दायित्वों का विवरण	178
2.1.9	लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु निधियों के व्ययवर्तन का विवरण	179
2.1.10	बाढ़ सुरक्षा हेतु विभिन्न संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक उपायों का विवरण	180
2.1.11	एक ही स्थल/समीपवर्ती स्थल पर कार्यो की पुनरावृत्ति का विवरण	181
2.1.12	चयनित कार्यों का विवरण, जिनमें लाभ–लागत अनुपात की गणना ठीक प्रकार से नहीं की गयी	187
2.1.13	परियोजनाओं के प्रारम्भ में विलम्ब का विवरण	188

2.1.14	स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ करने में विलम्ब के कारण कराये गये अस्थायी कार्यों का विवरण	189
2.1.15	चयनित जनपदों में अपूर्ण कार्यो का विवरण	190
2.1.16	चयनित जनपदों में अपूर्ण तटबन्धों का विवरण	191
2.1.17	लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में लागू ढुलाई की दरों में तुलनात्मक विवरण	192
2.1.18	पत्थर बोल्डर की खदान की दर में भिन्नता के कारण अधिक भुगतान का विवरण	193
2.1.19	पत्थर बोल्डर की मात्रा की मापी हेतु भिन्न–भिन्न मापदण्ड अपनाने के कारण अतिरिक्त भुगतान	194
2.1.20	नामांकन आधार पर गठित किये गये अनुबन्ध जो कि अपूर्ण रहे का विवरण	195
2.1.21	आपूर्ति आदेश द्वारा जियो बैग क्रय का विवरण	196
2.1.22	अनुबन्धों का विवरण जिनके पूर्ण होनें में विलम्ब हुआ किन्तु विलम्ब शुल्क अधिरोपित नहीं किया गया	198
2.1.23	सम्पादित कराये गये मिट्टी के कार्यो का विवरण, जिनमें मृदा की जाँच नहीं करायी गयी	200
2.1.24	परियोजनाओं का विवरण जिनमें पर्यावरण अनुमति प्राप्त करनी थी	201
2.1.25	बाढ़ प्रबन्धन कार्यों हेतु प्रबन्धन सूचना प्रणाली के मुख्य अवयव	202
2.1.26	अभिलेखों का विवरण जो बनाये नहीं गये/लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये	203
2.2.1	समादेश क्षेत्र विकास और जल प्रबन्धन कार्यक्रम के मुख्य घटक	204
2.2.2	संगठनात्मक चार्ट	205
2.2.3	शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जिलों की सूची	206
2.2.4	राज्य सरकार द्वारा दिये गये समान अंशदान का विवरण	207
2.2.5	स्थापना व्यय हेतु अवमुक्त, बजट में प्राविधानित एवं उपभोग किये गये धन का विवरण	208
2.2.6	आयोजना किये गये क्षेत्र के सापेक्ष निधियों की आवश्यकता एवं प्रावधान का विवरण	209
2.2.7	जल प्रबन्ध समितियों के पास अवशेष किन्तु व्यय के रूप में मानी गयी निधियों का विवरण	210
2.2.8	रोकड़ बही में अंकित किये बिना ही आहरित एवं वितरित किये गये बीजकों का विवरण	211
2.2.9	निविदा प्रपत्रों की बिक्री से हुयी प्राप्ति एवं इसके अनियमित उपभोग का विवरण	212
2.2.10	जनपदीय भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा प्राधिकरण को प्रेषित ब्याज का विवरण	213

2.2.11	समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रक्षेत्र विकास कार्यों एवं ड्रेनिंग प्रणाली का चित्रण	214
2.2.12	2010–14 की अवधि में एडाप्टिव ट्रायल, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण पर किये गये व्यय का विवरण	215
2.2.13	प्रक्षेत्र विकास कार्य के लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण	216
2.2.14	प्रक्षेत्र विकास कार्यों का अपर्याप्त सर्वेक्षण, आयोजन एवं डिजाइनिंग	217
2.2.15	पक्की गूलों का निर्माण	218
2.2.16	बस्ती जनपद में अधोमानक कार्य पर किये गये व्यय का विवरण	219
2.2.17	हेडलोड द्वारा ईंटों की ढुलाई में किये गये अधिक भुगतान का विवरण	220
2.2.18	कच्ची गूलों का निर्माण	221
2.2.19	संरचनाओं का निर्माण	222
2.2.20	फील्ड ड्रेन्स का निर्माण	223
2.2.21	वाराबन्दी का क्रियान्वयन	224
2.2.22	विभिन्न परियोजनाओं की भौतिक प्रगति	225
2.2.23	वास्तविक एवं प्रतिवेदित भौतिक प्रगति का विवरण	226
2.2.24	प्रक्षेत्र विकास कार्य के निरीक्षण/सत्यापन का विवरण	227
2.3.1	संगठनात्मक ढाँचा	228
2.3.2	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा प्रस्तुत न किये गये अभिलेख	229
2.3.3	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद में प्राप्तियाँ एवं व्यय	230
2.3.4	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद में शैक्षणिक कर्मचारियों का विवरण	231
2.3.5	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद में अवधि 2009–14 में छात्रों की प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नामांकन	232
2.3.6	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद में छात्रों के विश्वविद्यालय छोड़ने की दर का विवरण	233
2.3.7	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद में संस्थावार शोध परियोजनाओं की संख्या	234
2.3.8	बीजों के जारी एवं अधिसूचना की सूची	235
2.3.9	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद में बीज उत्पादन का विवरण	237
2.3.10	अनाज के रूप में विक्रय किये गये बीज का विवरण	239
2.3.11	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद में अपूर्ण कार्यों का विवरण	241
2.3.12	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में प्राप्तियाँ एवं व्यय	243
2.3.13	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में शैक्षणिक कर्मचारियों की स्थिति	244

2.3.14	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्यागिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान विद्यालय में कर्मचारियों का विवरण (शैक्षणिक तथा प्रयोगशाला)	245
2.3.15	अवधि 2009–14 में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में प्रवेश क्षमता के सापेक्ष छात्रों का नामांकन	246
2.3.16	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में सेवायोजन प्रकोष्ठ के निष्पादन का विवरण	247
2.3.17	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में संस्थावार शोध परियोजनाओं की संख्या	248
2.3.18	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन आदि में व्ययों का विवरण	249
2.4.1	लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची	250
2.4.2	अभिलेखों की मांग का विवरण	251
2.4.3	इकाईयों द्वारा अप्रस्तुत उत्तरों का विवरण	255
2.4.4	शासन का इकाइयों को प्रत्युत्तर एवं अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश	256
2.4.5	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि से अनधिकृत व्यय	257
2.4.6	अपात्र कर्मचारियों को भुगतान किये गये मानदेय का विवरण	258
2.4.7	मानक से अधिक मानदेय का भुगतान	259
2.4.8	विवरण पुस्तिकाओं का अधिक मूल्य पर विक्रय	260
2.5.1	अप्रस्तुत अभिलेख	261
2.5.2	प्रशासकीय व्यय के अन्तर्गत अधिक व्यय	262
2.5.3	प्रशासकीय व्यय के अन्तर्गत सृजित देयता	263
2.5.4	लैपटॉप क्रय करने हेतु निर्गत आपूर्ति आदेशों का विवरण	264
2.5.5	अवितरित लैपटॉप का विवरण	265
2.6.1	निधि का विवरण	266
2.6.2	बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय जिनका क्रियान्वयन नहीं किया जा सका	267
3.1	वेतन एवं बकाया वेतन के कपटपूर्ण संवितरण का विवरण	268
3.2	बीमा आच्छादन अवधि में बीमा प्रीमियम के रूप में किये गये भुगतान सम्बन्धी व्यय विवरण	271
3.3(अ)	निर्धारित 4 प्रतिशत के सापेक्ष 5 एवं 12.5 प्रतिशत की दर से जोड़े गये वैट का विवरण	272
3.3(ब)	परिवहन की लागत में जोड़े गये गैर अनुमन्य वैट का विवरण	273
3.4	बीज क्रय एवं उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम को भुगतान की गयी वितरक कमीशन की धनराशि का वर्षवार विवरण	274
3.5	टिपर की अधिक दर के प्रावधान के कारण व्ययाधिक्य	275
3.6	परिहार्य व्यय का विवरण	278
3.7	अधोमानक कार्य पर व्यय का विवरण	279

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत, मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष हेतु, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश शासन के जनरल एवं सोशल सेक्टर/आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत कार्यरत विभागों यथा कृषि, उच्च शिक्षा, गृह, सूचना एवं जनसम्पर्क, सिंचाई, श्रम, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लघु सिंचाई, लोक निर्माण, राजस्व एवं खेलकूद विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं/अथवा अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2013–14 की अवधि के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ पूर्ववर्ती वर्षों की लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये परन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित न हो सके, प्रकरणों तथा वर्ष 2013–14 की अवधि के पश्चात् के प्रकरणों को भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा का निष्पादन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष हेतु जनरल एवं सोशल सेक्टर पर आधारित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में शासन के चयनित कार्यक्रमों एवं विभागों/स्वायत निकायों तथा समितियों इत्यादि की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं वित्तीय लेनदेनों पर आधारित निष्कर्ष सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

1. निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित किए जाने हेतु की जाती है कि शासन के कार्यक्रमों के उद्श्यों की प्राप्ति न्यूनतम लागत पर हुई थी एवं अपेक्षित लाभ लक्षित लाभार्थियों को प्राप्त हुआ था।

1.1 बाढ़ नियंत्रण

उत्तर प्रदेश राज्य के 240.93 लाख हेक्टेयर आच्छादित क्षेत्रफल में सात नदी–घाटियाँ यथा गंगा, गण्डक, गोमती, घाघरा, रामगंगा, सोन और यमुना अवस्थित हैं, जिसके 38 जनपद बारम्बार बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं।

बाढ़ नियन्त्रण की निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है:

- वित्तीय प्रबन्धन अपर्याप्त था क्योंकि ₹ 3938.11 करोड़ के बजटीय प्रावधान के सापेक्ष मात्र ₹ 2,452.17 करोड़ (62 प्रतिशत) व्यय किया गया था जबकि ₹ 1,485.94 करोड़ (38 प्रतिशत) समर्पित किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.7.2)

- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आवश्यक दीर्घकालिक घाटी–वार एंव क्षेत्र–वार मास्टर–प्लान नहीं बनाये गये थे। भारत सरकार के राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, केन्द्रीय जल आयोग; एवं योजना आयोग द्वारा दीर्घ अवधि हेतु सुझाए गए विभिन्न संरचनात्मक एंव गैर–संरचनात्मक बाढ़ नियन्त्रण उपायों को लागू नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.8, 2.1.8.1 एवं 2.1.8.2)

- परियोजनाओं का क्रियान्वयन मुख्यतः कटाव निरोधक कार्यों तक ही सीमित था। दीर्घकालिक समाधान के लिए विस्तृत अध्ययन एवं समेकित हाइड्रोलाजिकल एवं मार्फोलाजिकल सर्वे किये बिना तत्काल राहत देने के लिये तदर्थ आधार पर कटाव निरोधक कार्य ही नियोजित किये गये थे। परिणामस्वरूप, कटाव निरोधक कार्य उसी/समीपवर्ती स्थलों पर बार–बार किये गये थे।

(प्रस्तर 2.1.8.4)

- वर्ष 2009–13 की अवधि में, राज्य को बाढ़ के कारण ₹ 117.87 करोड़ से ₹ 3,259.53 करोड़ की हानि/क्षति हुई।

(प्रस्तर 2.1.8.5)

- स्वीकृत 805 परियोजनाओं में से मात्र 341 परियोजनायें (42 प्रतिशत) ही प्रारम्भ की गयी थीं। चयनित 11 जनपदों में स्वीकृत परियोजनाओं में से 69 प्रतिशत परियोजनायें स्वीकृति की तिथि से 11 वर्षो की अवधि तक अपूर्ण थीं।

(प्रस्तर 2.1.10.1 एवं 2.1.10.2)

- बाढ़ प्रबन्धन विभाग द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर नई तकनीकों को प्रयुक्त करने हेतु क्षमता का विकास नहीं किया था; एवं

(प्रस्तर 2.1.14)

- अनुश्रवण की प्रणाली अपर्याप्त थी तथा बाढ़ प्रबन्धन कार्यो के क्रियान्वयन के अनुश्रवण करने में असमर्थ थी।

(प्रस्तर 2.1.16)

1.2 समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम–शारदा सहायक

समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम, भारत सरकार द्वारा सृजित एवं प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के अन्तर को कम करके कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु प्रारम्भ (1974) किया गया था जिसे फरवरी 2004 में पुनर्संगठित कर इसका नाम 'समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम' (प्रक्षेत्र कार्यक्रम) कर दिया गया। वर्तमान में, प्रक्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत दो समादेश क्षेत्र राम गंगा एवं शारदा सहायक प्रदेश में संचालित हैं। इनमें से शारदा सहायक की निष्पादन लेखापरीक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने हेतु की गयी।

शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत थेः

- 20 प्रतिशत के मानक की तुलना में प्रक्षेत्र विकास कार्य (प्रक्षेत्र कार्य) पर व्यय के सापेक्ष स्थापना व्यय लगभग सौ प्रतिशत रहा।

(प्रस्तर 2.2.2.2)

- सतह एवं भूगर्भ जल के दोहरे प्रयोग एवं लघु सिंचाई टैंक पुनःस्थापना संबंधी योजना नहीं बनाई गयी।

(प्रस्तर 2.2.3.2)

- निर्मित सम्पत्ति के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु प्राविधान न किये जाने से 24,525.52 किमी कच्ची गूल, 4,202.34 किमी पक्की गूल एवं 2,723.06 किमी क्षेत्र ड्रेन्स क्षतिग्रस्त हो गयीं जिसकी मरम्मत हेतु ₹ 489.26 करोड़ की आवश्यकता थी।

(प्रस्तर 2.2.4.4)

- शारदा सहायक नहर प्रणाली में परिकल्पित क्षमता के सापेक्ष सिंचाई हेतु 60 प्रतिशत कम जल उपलब्ध था।

(प्रस्तर 2.2.4.10)

- कार्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए क्योंकि वर्ष 2009–14 की अवधि में समादेश क्षेत्र की दो मुख्य नहर परियोजनाओं में सृजित (32.87 लाख हेक्टेयर) एवं उपभोगित (9.10 लाख हेक्टेयर) सिंचन क्षमता में 72 प्रतिशत (23.77 लाख हेक्टेयर) का अन्तर था जिससे कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं कृषकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रत्याशित उन्नयन की संभावना क्षीण हुई।

(प्रस्तर 2.2.5)

1.3 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद एवं मेरठ

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 के अर्न्तगत नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद एवं सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना लोगों को शिक्षित करने, अनुसंधान कार्य को सम्पादित तथा फसल उपज के अंतराल को कम करने के लिये कृषि प्रौद्योगिकी का विकास करने एवं केन्द्रीय तकनीकी हस्तक्षेप द्वारा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से की गयी थी।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की 2009–14 की अवधि की निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ प्रकाश में आयीं:

- यद्यपि, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा अवधि 2009–14 के मध्य ₹ 963.33 करोड़ का व्यय किया गया था परन्तु दोनों ही विश्वविद्यालयों द्वारा न तो मुख्य रोकड़ बही का रख–रखाव किया गया था और न ही अवशेषों का समाधान बैंक से किया गया था। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा 2011–14 एवं सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा 2013–14 के वार्षिक लेखे भी नहीं बनाये गये थे।

(प्रस्तर 2.3.7 एवं 2.3.14)

- नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के चार घटक कालेजों में चार पाठ्यक्रम कुलाधिपति के अपेक्षित अनुमोदन के बगैर ही संचालित हो रहे थे।

(प्रस्तर 2.3.8.1)

- नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में शैक्षणिक स्टाफ की कमी के कारण 2009–14 की अवधि में शिक्षण कार्य प्रभावित रहा। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में प्रवेश क्षमता की तुलना में छात्रों का नामांकन कम हुआ था एवं ड्राप–आउट का प्रतिशत अधिक था। अवधि 2009–14 में, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में 95 प्रतिशत एवं सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में 92 प्रतिशत छात्रों को सेवायोजन प्राप्त नहीं हुआ था।

(प्रस्तर 2.3.8.2, 2.3.8.3, 2.3.8.4, 2.3.8.5, 2.3.15.1 एवं 2.3.15.4)

- मार्च 2014 तक दोनों ही विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में परियोजनायें अपूर्ण थीं। कृषि अनुसंधान केन्द्र, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कोई भी अनुसंधान गतिविधियाँ नहीं हुई थीं। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में पशु अनुसंधान परियोजना मध्य में ही बन्द कर दी गयी थी।

(प्रस्तर 2.3.9.1, 2.3.9.3, 2.3.16.1 एवं 2.3.16.2)

- अधिसूचित प्रजाति के अनेक अभिजनक एवं आधारीय बीज उत्पादन में नहीं थे। उन्नत प्रजाति के कृषि बीज बड़ी संख्या में न ही अधिसूचित और न ही पेटेन्ट किये गये थे। बीजों का विक्रय अनाज के रूप में करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.57 करोड़ की हानि हुई थी।

(प्रस्तर 2.3.9.4, 2.3.9.5, 2.3.16.3 एवं 2.3.16.4)

- नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में सामुदायिक रेडियो स्टेशन क्रियाशील नहीं था तथा मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाएं, मोबाइल डायग्नोस्टिक–सह–प्रदर्शनी इकाई और जैव नियंत्रण इकाई दोनों विश्वविद्यालयों में क्रियाशील नहीं थीं।

(प्रस्तर 2.310.3, 2.3.10.4,2.3.10.5, 2.3.17.3 एवं 2.3.17.4)

1.4 संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा एवं निधि प्रबंधन

चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक वर्ष संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाती है तथा कुलाधिपति द्वारा राज्य के एक विश्वविद्यालय को नामांकित किया जाता है और शासन परीक्षा आयोजित कराने के लिए चयनित विश्वविद्यालय को अंगीकृत किये जाने वाली प्रक्रिया को रेखांकित करता है। शासन द्वारा वर्ष 1998 में संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि नियमावली बनायी गई और अभ्यर्थियों से वसूल किये गये शुल्क की बचतों से निधि बनायी जानी थी। विगत पाँच वर्षो की संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा की समीक्षा में पाया गयाः

- नमूना–जाँच के लिए चयनित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलबध नही कराये गये। इसी प्रकार, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि के रख–रखाव एवं विश्वविद्यालयों के चयन से सम्बन्धित अभिलेखों को गोपनीयता के आधार पर देने से मना कर दिया गया था। 30 प्रतिशत लेखापरीक्षा पृच्छायें भी अनुत्तरित थी।

(प्रस्तर 2.4.1.4)

- संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि में धनराशि (₹150.90 लाख) स्थानान्तरित न करने के मामले पाये गये थे तथा ₹ 50.99 लाख का व्यय परीक्षा से इतर क्रियाकलापों पर किया गया था। ₹ 7.59 लाख के मानदेयों का भुगतान अपात्र कर्मचारियों को होली एवं दीपावली जैसे अवसरों पर भी किया गया था। विश्वविद्यालयों ने मानदेय का भुगतान निर्धारित सीमा से ₹ 17.10 लाख अधिक किया था। विश्वविद्यालयों द्वारा विवरण पुस्तिका की बिक्री पर अतिरिक्त प्रभार लिए जाने के मामले भी पाये गये थे।

(प्रस्तर 2.4.2.1 एवं 2.4.2.2(अ))

- वर्ष 2013 की संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा में 540 अपात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 2011 में संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा की बायोमेट्रिक प्रणाली क्रियान्वित नहीं की गई थी तथा समस्त गोपनीय एवं परीक्षा से सम्बन्धित अभिलेख परीक्षा परिणाम की घोषणा होने के छः माह के अन्दर ही समाप्त कर दिये गये थे।

(प्रस्तर 2.4.2.2 (ब), (स) एवं 2.4.2.3(अ))

- पंजीकरण एवं जमानत शुल्क से सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव अपर्याप्त था। अभिलेखों के अभाव में अभ्यर्थियों से वसूल/वापस की गई धनराशि तथा इसके उपभोग की जाँच नहीं की जा सकी।

(प्रस्तर 2.4.2.3(स))

1.5 लैपटाप एवं टैबलेटः क्रय एवं विद्यार्थियो को निःशुल्क वितरण

तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन ने विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटाप एवं टैबलेट वितरण का निर्णय लिया था (मार्च 2012)। लैपटाप ऐसे विद्यार्थियों को वितरित किये जाने थे जिन्होंने वर्ष 2012 में 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी तथा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत थे। टैबलेट ऐसे विद्यार्थियों को वितरित किये जाने थे, जिन्होंने वर्ष 2012 में कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी तथा कक्षा 11 अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों अथवा पालिटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत थे जिनके पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम अहर्ता कक्षा 10 उत्तीर्ण थी। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीं:

- शासन द्वारा धनराशियों का अधिक प्रावधान किया गया था। 2012–14 की अवधि में ₹ 2,020.85 करोड़ की धनराशि व्यपगत हो गई थी और ₹ 598.33 करोड़ वैयक्तिक लेखा खाता में अव्ययित पड़े हुये थे।

(प्रस्तरः 2.5.6.1 एवं 2.5.6.3)

- पर्याप्त बजट प्राविधान के बावजूद कक्षा 10 उत्तीर्ण विद्यार्थी टैबलेट के अभीष्ट लाभ से वंचित थे। 26.62 लाख टैबलेट की क्रय प्रक्रिया पर ₹ 60.05 लाख का निष्फल व्यय किया गया था।

(प्रस्तर 2.5.6.2)

- प्रशासकीय व्यय मद के अन्तर्गत अलीगढ़, इलाहाबाद तथा बॉदा जनपदों में लैपटाप वितरण समारोह माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था, जहाँ निर्धारित सीमा से ₹ 2.97 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था। प्रशासकीय व्यय शीर्ष के अन्तर्गत छः जनपदों में ₹ 6.25 करोड़ की देयता सृजित की गयी थी।

(प्रस्तरः 2.5.6.4 एवं 2.5.6.5)

- आकलित 18.90 लाख कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के सापेक्ष मात्र 14.81 लाख लैपटाप क्रय किये गये थे तथा मात्र 14.35 लाख लैपटाप ही वितरित हुए थे जिसके परिणामस्वरूप 4.55 लाख पात्र विद्यार्थी लैपटाप के लाभ से वंचित रहे।

(प्रस्तरः 2.5.6.6(अ))

- संयुक्त भौतिक सत्यापन में चार चयनित जनपदों (अलीगढ़, आजमगढ़, बिजनौर तथा मुरादाबाद) में ₹ 41 लाख के 215 लैपटाप कम पाये गये थे एवं जनपद इलाहाबाद में 52 लैपटाप (₹ 9.91 लाख) चोरी अथवा गायब पाए गये।

(प्रस्तरः 2.5.6.6(ब))

- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अथवा तकनीकी शिक्षा और संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा चयनित 15 जनपदो में से किसी भी जनपद में लैपटाप वितरण के पश्चात् सत्यापन नहीं किया गया था तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा भी चयनित पाँच जनपदों में सत्यापन नहीं किया गया था।

(प्रस्तरः 2.5.6.7)

- राज्य स्तरीय वेब मॉनीटरिंग प्रणाली का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा रहा था। वितरित लैपटाप के उपयोग का आकलन एवं सुनिश्चितता की प्रणाली कमजोर थी तथा इसका अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया जा रहा था जो इसके लिये उत्तरदायी थे।

(प्रस्तरः 2.5.7)

1.6 लेबर सेसः आकलन, लेवी, संग्रह, जमा एवं उपयोग

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नवम्बर 2009 में प्रमुख सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था जिसमें 11 अन्य सदस्य थे। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड उपकर के आकलन, लेवी, संग्रह और उपयोग के लिए, श्रमिक नियोक्ताओं के पंजीकरण एवं श्रमिक पंजीकरण के लिये उत्तरदायी था। सम्प्रेक्षा में देखा गया किः

- स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं पर निधि का अल्प उपयोग किये जाने के कारण ₹ 1,157.87 करोड़ की राशि (मार्च 2014) दो बैंक खातों में संचित थी। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने वर्ष 2009–14 की अवधि के प्राप्ति एवं भुगतान खाते, आय एवं व्यय खाते, बैलेंस शीट एवं रोकड़ बही भी नहीं बनाये थे। बैकों से अवशेषों का आवधिक मिलान भी नहीं किया गया था जिससे अवशेष असत्यापित रहा।

(प्रस्तर 2.6.6)

- विभाग के पास न कोई संस्थागत तन्त्र था जिससे वह संस्थाओं के साथ बातचीत/समन्वय स्थापित कर सके और न ही निर्माण स्थलों से सम्बन्धित परितुलित जानकारी/सुदृढ़ डेटाबेस था। इसके द्वारा आवश्यक सर्वेक्षण, अध्ययन आदि भी नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.6.7.1)

- आठ जिलो की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2009–14 की अवधि में केवल 378 निरीक्षण किये गये थे और प्रत्येक निरीक्षक के लिये निरीक्षण किए जाने हेतु न तो कोई समय सारणी बनाई गई थी और न ही कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(प्रस्तर 2.6.8)

- नमूना जाँच आठ जिलों में पंजीकृत 12,514 नियोक्ताओं में सें उपकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार मात्र कानपुर जिले में 18 आकलन आदेश निर्गत किये गये थे। शेष जिलों में आकलन आदेश निर्गत नहीं किये गये थे।

(प्रस्तर 2.6.9.1)

- अवधि 2009–14 के मध्य, श्रम उपकर का संग्रह मात्र ₹ 1,140 करोड़ था। निर्माण स्थल, श्रमिकों के नियोक्ताओं, श्रमिकों और निर्माण लागत के बारे में व्यापक सूचना एकत्र एवं परितुलित करने हेतु एक व्यापक तन्त्र के अभाव में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पूर्ण उपकर के एकत्रीकरण एवं उसके सापेक्ष प्राप्तियों से अनभिज्ञ रहा।

(प्रस्तर 2.6.9.2)

2. अनुपालन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणी

लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष कमियाँ पायी गयीं जो राज्य सरकार की प्रभावकारिता को प्रभावित करती हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को भी प्रतिवेदित किया गया है। महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्न से सम्बन्धित हैः

- धोखाधड़ी एवं उद्घटित धोखाधड़ी के प्रकरण;
- नियमों और विनियमनों का अनुपालन न किया जाना;
- औचित्य लेखापरीक्षा और पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय किए जाने के प्रकरण; एवं
- निरीक्षण एवं प्रशासनिक नियन्त्रण की विफलता

2.1 धोखाधड़ी एवं उद्घटित धोखाधड़ी के प्रकरण

कुछ शासकीय विभागों एवं उनके क्षेत्रीय पदाधिकारियों के वित्तीय लेन–देनों की लेखापरीक्षा की नमूना–जाँच में कपटपूर्ण भुगतान का प्रकरण प्रकाश में आया जिसकी चर्चा अधोलिखित प्रस्तर में की गयी हैः

वित्तीय नियमानुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का अनुपालन न करने के कारण वेतन एवं वेतन के बकाया के रूप में ₹ 21.93 लाख का कपटपूर्ण संवितरण।

(प्रस्तर 3.1.1)

2.2 नियमों एवं विनियमनों का अनुपालन न किया जाना

उचित वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमनों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आदेश के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमितताएँ, दुर्विनियोग एवं धोखाधड़ी को रोकता है बल्कि वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए भी सहायक होता है। नियमों और विनियमनों का अनुपालन न किये जाने के कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्ष का उल्लेख नीचे किया जा रहा हैः

वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना के कारण अक्टूबर 2014 तक शासन को प्रतिशतता प्रभार के अधिरोपण में ₹ 4.36 करोड़ की हानि।

(प्रस्तर 3.2.3)

गैर सिंचाई कार्यों हेतु जल आपूर्ति के लिए जल नीति में निधार्रित प्रावधान के अनुसार अनुबन्ध का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण शासन को रू0 42.28 करोड़ की हानि।

(प्रस्तर 3.2.5)

2.3 औचित्य लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय किए जाने के प्रकरण

लोक निधि से प्राधिकृत होने वाले व्यय औचित्य एवं व्ययों की प्रभावकारिता के सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित होते हैं। प्राधिकारी जिन्हें व्यय के लिए प्राधिकृत किया जाता है, उससे यह अपेक्षित है कि वह धन का व्यय उतनी ही सतर्कता के साथ करे जितना कि एक सामान्य व्यक्ति अपने धन के व्यय में करता है। लेखापरीक्षा जाँच में अनौचित्यपूर्ण और अधिक व्यय के कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिये गये हैंः

5,000 किलोवाट पर मांग प्रभार के रूप में ₹ 2.10 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया जो कि अन्यथा उसी अवधि हेतु ₹ 53 लाख होता।

(प्रस्तर 3.3.3)

बिना स्वीकार्य कारण के प्रतिधारक दीवार के निर्माण के फलस्वरूप ₹ 17.17 करोड़ का निरर्थक व्यय।

(प्रस्तर 3.3.4)

2.4 निरीक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता

सरकार का यह कर्तव्य है कि वह लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारे जिसके लिये वह स्वास्थ्य, शिक्षा, अवस्थापनाओं के विकास एवं उच्चीकरण तथा लोक सेवा के क्षेत्र में कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करे। यद्यपि कि, लेखापरीक्षा के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आये जिसमें सरकार द्वारा समाज के लाभ के लिये लोक सम्पत्तियों को निर्मित करने हेतु दी गयी धनराशि का उपभोग नहीं किया जा सका/अवरूद्ध थी एवं/अथवा प्रशासनिक नियंत्रण की कमी और असावधानी तथा विभिन्न स्तरों पर ठोस निर्णयों के अभाव के कारण व्यय अलाभकारी/अनुत्पादक सिद्ध हुआ। कुछ प्रकरण नीचे दिये जा रहे हैं:

वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत, भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना, निचली रोहिणी बांध का निर्माण कार्य शुरू किये जाने तथा तालमेल के अभाव के कारण ₹ 157.80 करोड़ का व्यय अलाभकारी था।

(प्रस्तर 3.4.8)

बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत जनपद बांदा एवं हमीरपुर में 2010–11 से 2012–13 के मध्य निर्मित रिचार्ज पिटों की व्यवहार्यता के आकलन में विलम्ब के कारण, निर्माण पर किया गया ₹ 3.03 करोड का व्यय निष्फल था।

(प्रस्तर 3.4.9)

स्वीकृति के उपरान्त छः वर्षों के व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी सेतु, इसके पहुँच मार्गों के साथ बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य के समक्रमिक न होने एवं अपूर्ण रहने के कारण, इन पर किया गया व्यय ₹ 121.34 करोड़ अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 3.4.12)

1 प्रस्तावना

1 प्रस्तावना

1.1 बजट की रूपरेखा

उत्तर प्रदेश राज्य में 71 विभाग हैं। वर्ष 2009–14 की अवधि में राज्य सरकार का वर्षवार पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं उसके सापेक्ष वास्तविक व्यय की स्थिति **सारणी 1.1** में दी गई है:

सारणी 1.1: वर्ष 2009–14 की अवधि में राज्य सरकार का पुनरीक्षित बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009–10		2010–11		2011–12		2012–13		2013–14	
	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक
(1) राजस्व व्यय										
सामान्य सेवायें	42,413.97	40,641.30	48,619.30	48,019.17	52,787.37	52,946.92	62,175.69	59,906.72	64,697.36	61,983.49
समाजिक सेवायें	35,432.70	32,064.28	41,766.70	39,566.70	51,259.27	47,390.94	59,081.49	53,300.32	65,749.29	60,756.28
आर्थिक सेवायें	14,725.33	13,308.00	16,840.08	15,725.03	20,290.65	18,292.21	23,639.78	21,337.36	26,393.20	25,710.72
सहायता अनुदान एवं अंशदान	3,564.53	3,360.03	4,434.89	4,364.71	5,308.25	5,255.10	6,244.67	6,179.24	9,777.74	9,696.38
योग (1)	**96,136.53**	**89,373.61**	**1,11,660.97**	**1,07,675.61**	**1,29,645.54**	**1,23,885.17**	**1,51,141.63**	**1,40,723.64**	**1,66,617.59**	**1,58,146.87**
(2) पूंजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	25,222.23	25,091.23	24,179.00	20,272.80	25,959.72	21,573.96	26,147.20	23,834.29	30,052.82	32,862.65
ऋण एवं अग्रिम संवितरण	1,293.15	941.85	1,074.36	968.22	1,240.15	975.57	1,167.73	1,003.24	1,779.71	1,473.34
लोक ऋणों का पुनर्भुगतान	8,887.36	7,668.59	9,169.83	7,383.08	8,397.88	8,287.61	8,821.50	8,909.04	8,097.86	8,166.74
आकस्मिकता निधि	-	-	-	39.90	-	309.64	-	262.45	-	86.55
लोक लेखा संवितरण	-	1,01,780.30	-	1,17,472.99	-	1,30,970.76	-	1,29,471.51	-	2,20,459.29
अंतिम रोकड़ शेष	-	3,405.36	-	10,304.99	-	13,446.70	-	15,172.42	-	4,020.63
योग (2)	**-**	**1,38,887.33**	**-**	**1,56,441.98**	**-**	**1,75,564.24**	**-**	**1,78,652.95**	**-**	**2,67,069.20**
कुल योग (1+2)	**-**	**2,28,260.94**	**-**	**2,64,117.59**	**-**	**2,99,449.41**	**-**	**3,19,376.59**	**-**	**4,25,216.07**

(स्रोतः वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य बजट के व्याख्यात्मक मेमोरेण्डम)

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

वर्ष 2013–14 की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य के कुल बजट परिव्यय ₹ 1,98,450 करोड़ के सापेक्ष कुल व्यय ₹ 1,92,483 करोड़ था। वर्ष 2012–13 की अवधि में राज्य का कुल व्यय[1] ₹ 1,65,561 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 1,92,483 करोड़ हो गया। राज्य सरकार का राजस्व व्यय वर्ष 2012–13 के ₹ 1,40,724 करोड़ से 12 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 1,58,147 करोड़ हो गया। वर्ष 2009–10 की अवधि में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ₹ 73,673 करोड़ के सापेक्ष 72 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 1,26,490 करोड़ हो गया तथा वर्ष 2009–10 के पूँजीगत व्यय ₹ 25,091 करोड़ से 31 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 32,863 करोड़ हो गया।

[1] कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

अवधि 2009–14 के मध्य राज्य में हुए कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 77 से 85 प्रतिशत (वर्ष 2013–14 में 82 प्रतिशत) था तथा पूंजीगत व्यय का अंश 17 से 22 प्रतिशत था। उसी अवधि में हुए कुल व्यय में वार्षिक औसत वृद्धि दर 14 प्रतिशत जबकि वर्ष 2009–14 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों में वार्षिक औसत वृद्धि दर 17 प्रतिशत थी।

1.3 सतत् बचतें

विगत पाँच वर्षों में 21 प्रकरणों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की सतत् बचतें हुईं। सतत् बचतों का विवरण **सारणी 1.2** में दिया गया है:

सारणी 1.2: सतत् बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	बचतों की धनराशि				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व–दत्तमत						
1	11-कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	720.33	217.67	766.36	644.92	596.10
2	13-कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	--	148.94	134.32	103.79	201.09
3	14-कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	334.35	226.92	211.62	907.53	462.21
4	26-गृह विभाग (पुलिस)	101.09	149.67	--	793.40	982.88
5	32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	414.68	203.62	145.70	403.79	471.31
6	37-नगर विकास विभाग	--	711.79	625.51	238.51	654.69
7	42-न्याय विभाग	191.88	230.59	172.36	178.52	223.31
8	49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग	218.28	180.62	636.10	372.97	271.58
9	52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् एवं अन्य व्यय)	--	104.39	--	353.02	202.58
10	54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	442.11	396.56	238.54	681.45	1,041.27
11	72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	258.35	785.84	582.87	1,276.77	874.11
12	73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	--	571.89	745.76	816.09	348.28
13	83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	291.56	110.33	792.46	1,762.10	1,315.74
14	95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	--	--	--	483.40	597.47
	योग	**2,972.63**	**4,038.83**	**5,051.60**	**9,016.26**	**8,242.62**
पूंजीगत–दत्तमत						
15	11-कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	--	--	100.86	177.73	470.53
16	26-गृह विभाग (पुलिस)	145.34	356.13	488.36	363.24	126.51
17	37-नगर विकास विभाग	374.16	687.12	261.76	737.99	369.91
18	48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	134.62	165.56	373.36	164.73	148.22

19	61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	274.13	153.04	401.78	222.64	190.59
20	83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	724.30	103.62	415.46	588.84	524.04
	योग	**1,652.55**	**1,465.47**	**2,041.58**	**2,255.17**	**1,829.80**
पूंजीगत–भारित						
21	61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	9,219.96	9,288.06	9,999.25	9,934.16	9,840.02
	योग	**9,219.96**	**9,288.06**	**9,999.25**	**9,934.16**	**9,840.02**

(स्रोतः संदर्भित वर्षों के विनियोग लेखे)

1.4 राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित धनराशियाँ

भारत सरकार ने वर्ष 2013–14 की अवधि में राज्य बजट के माध्यम से इतर विभिन्न राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे ₹ 12,282.27 करोड़ की धनराशियाँ हस्तांतरित की थी। भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित धनराशियों की निगरानी हेतु राज्य में कोई भी एजेन्सी नहीं थी तथा कोई भी आँकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं थे जिससे कि यह निश्चित किया जा सके कि वृहद् फ्लैगशिप योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं, जो कि राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा संचालित हैं तथा भारत सरकार द्वारा सीधे वित्तपोषित हैं, पर निश्चित वर्ष में वास्तविक व्यय कितना हुआ है।

1.5 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

वर्ष 2009–14 की अवधि में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण **सारणी 1.3** में दिया गया है:

सारणी 1.3: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आयोजनेत्तर अनुदान	3,947.97	3,092.99	4,396.73	4,341.00	7,933.79
राज्य योजनाओं के लिए अनुदान	5,624.02	6,772.07	6,813.40	5,518.39	6,595.22
केन्द्रीय योजनाओं के लिए अनुदान	3,992.43	435.16	212.45	12.31	225.90
केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के लिए अनुदान	3,576.82	5,133.43	6,337.44	7,466.09	7,650.26
योग	**17,141.24**	**15,433.65**	**17,760.02**	**17,337.79**	**22,405.17**
पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	49.09	(-) 9.96	15.07	(-) 2.38	29.00
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रुप में कुल अनुदान	17.78	13.88	13.57	11.88	13.32

(स्रोतः संदर्भित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6 लेखापरीक्षा का नियोजन एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों/स्वायत्त निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं आदि में निहित व्यय के क्रियाकलापों की निर्णयाकता/जटिलता, प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा हितधारकों के प्रयोजनों एवं विगत लेखापरीक्षा निष्कर्षों में निहित जोखिम के आकलन से प्रारम्भ होती है। इस जोखिम आकलन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृति एवं उसका क्षेत्र निर्धारित किया जाता है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा के निष्कर्षों सहित कार्यालय प्रमुख को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि निष्कर्षों के उत्तर एक माह के अन्दर प्रस्तुत किए जायें। उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को या तो निस्तारित किया जाता है अथवा उसके अनुपालन हेतु अग्रेतर कार्यवाही का परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाये गये लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2013–14 की अवधि में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य के 1,407 आहरण एवं वितरण अधिकारियों एवं 326 स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी थी। इसके अतिरिक्त, राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए तीन निष्पादन लेखापरीक्षा एवं तीन वृहद प्रस्तरों हेतु भी लेखापरीक्षा निष्पादित की गई थी।

1.7 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति शासन की अभिरुचि का अभाव

प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश द्वारा लेन–देनों की नमूना–जाँच एवं महत्वपूर्ण लेखा एवं अन्य अभिलेखों के रख–रखाव हेतु निर्धारित नियम एवं पद्धति के सत्यापन से शासन के विभागों का समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों के पश्चात लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। लेखापरीक्षा के दौरान पायी गई महत्वपूर्ण अनियमिताएँ जब लेखापरीक्षित इकाईयों के स्तर पर निस्तारित नहीं हो पाती हैं तब उन निरीक्षण प्रतिवेदनों को निरीक्षित कार्यालय के प्रमुखों को प्रेषित किया जाता है, जिनकी एक प्रति उनके उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित की जाती है।

कार्यालय के प्रमुख एवं उनके उच्च अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर अनुपालन आख्या कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट) को प्रेषित किया जाना चाहिए। गम्भीर अनियमितताएँ भी विभागों के प्रमुखों के संज्ञान में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट) द्वारा प्रमुख सचिव (वित्त) को भेजे गये लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से लायी जाती है।

लेखापरीक्षा जाँच के परिणामों के आधार पर 8,727 निरीक्षण प्रतिवेदनों[2] में निहित 30,861 लेखापरीक्षा निष्कर्ष 31 मार्च 2014 तक लम्बित थे। वर्ष 2013–14 में

[2] 30 सितम्बर 2013 तक निर्गत एवं 31 मार्च 2014 तक लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्रस्तर सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा समिति की सात बैठकें आयोजित की गई थीं जिसमें 194 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 720 प्रस्तर निस्तारित किये गये थे।

विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित निष्कर्षो पर निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्यवाही नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इस सम्बन्ध में यह संस्तुति की जाती है कि शासन को प्रकरण की जाँच करनी चाहिए जिससे कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रति तत्काल एवं उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली की प्रक्रिया के नियमानुसार, प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित होने वाले सभी लेखापरीक्षा प्रस्तरों एवं समीक्षाओं पर स्वतः कार्यवाही करने की पहल करनी चाहिए, चाहे वे लोक लेखा समिति द्वारा जाँच हेतु लिए जाते हैं अथवा नहीं। उन्हें लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित विस्तृत टिप्पणी एवं उनके द्वारा उठाये गये उपचारी कदम या प्रस्तावित कदम के साथ प्रस्तुत करने थे। हालांकि, 31 मार्च 2013 के अंत तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रस्तरों के संदर्भ में 637 एक्शन टेकेन नोट की प्राप्तियाँ 31 अगस्त 2014 तक लम्बित थीं।

1.9 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रति शासन का रूझान (आलेख्य प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षां)

विगत कई वर्षों से लेखापरीक्षा के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के साथ–साथ चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता में कई महत्वपूर्ण कमियों को बताया गया है जो कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इसका उद्देश्य विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं का लेखा–परीक्षण करना तथा कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्यवाही करने एवं नागरिकों को सेवाओं की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए उचित सुझाव देना था।

लेखा एवं लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के नियमन, 2007 मे दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित आलेख्य निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/आलेख्य प्रस्तरों पर अपने प्रत्युत्तर एक माह के अंदर प्रेषित किये जाने की अवश्यकता थी। यह उनके व्यक्तिगत संज्ञान में लाया गया था कि प्रस्तरों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित कर राज्य विधायिका के समक्ष रखा जायेगा तथा इंगित प्रकरणों पर उनके द्वारा टिप्पणी भेजा जाना वांछित था। उन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा के आलेख्य प्रतिवेदनों एवं आलेख्य लेखा प्रस्तरों पर प्रधान महालेखाकार के साथ परिचर्चा किए जाने हेतु भी सुझाव दिया गया था। प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने वाले प्रस्तावित ड्राफ्ट रिपोर्टो एवं प्रस्तरों को संबंधित विभागों के मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके प्रत्युत्तर हेतु अग्रसारित किया गया था। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं, तीन वृहद् प्रस्तरों की ड्राफ्ट रिपोर्ट एवं 31 आलेख्य प्रस्तरों को संबद्ध विभाग के प्रशासनिक सचिवों को प्रेषित किया गया था तथा सभी प्रकरणों पर शासन के साथ परिचर्चा भी हुई।

2 निष्पादन लेखापरीक्षा

- **2.1** बाढ़ नियंत्रण;
- **2.2** समादेश क्षेत्र विकास कार्यकम–शारदा सहायक;
- **2.3** राज्य कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद एवं मेरठ;
- **2.4** संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा एवं निधि प्रबन्धन;
- **2.5** लैपटाप एवं टैबलेटः क्रय एवं विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरण; एवं
- **2.6** लेबर सेसः आकलन, लेवी, संग्रह, जमा एवं उपयोग।

बाढ़ नियंत्रण



सिंचाई एवं
जल संसाधन विभाग

2 निष्पादन लेखापरीक्षा

इस अध्याय में ''बाढ़ नियंत्रण''; ''समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम–शारदा सहायक''; ''राज्य कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद एवं मेरठ'' की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं ''संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा एवं निधि प्रबंधन''; ''लैपटाप एवं टैबलेटः क्रय एवं विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरण'' तथा ''लेबर सेसः आकलन, लेवी, संग्रह, जमा एवं उपयोग'' पर आधारित वृहद् प्रस्तरों के निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

2.1 बाढ़ नियंत्रण

कार्यकारी सार

बाढ़ नियंत्रण की निष्पादन लेखापरीक्षा में वित्तीय कुप्रबंधन, बाढ़ कार्यों के नियोजन एवं क्रियान्वयन इत्यादि में कमियाँ संज्ञान में आयीं जिन पर आगे चर्चा की गयी हैः

वित्तीय प्रबन्धन

- वित्तीय प्रबंधन अपर्याप्त था क्योंकि ₹ 3,938.11 करोड़ के बजट प्रावधानों के विरूद्ध मात्र ₹ 2,452.17 करोड़ (62 प्रतिशत) ही व्यय किया गया था जबकि ₹ 1,485.94 करोड़ (38 *प्रतिशत)* समर्पित कर दिया गया था। अव्ययित धनराशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिथि को समर्पित की गयी थी जिससे अन्य मदों पर व्यय हेतु पुनर्विनियोजन एवं उपयोग हेतु कोई विकल्प शेष नहीं था।

(प्रस्तर 2.1.7.2)

नियोजन

- उत्तर प्रदेश शासन को बाढ़ नियंत्रण के विभिन्न विधियों का व्यवहारिक अध्ययन कर दीर्घकालिक बेसिन–वार एवं क्षेत्र–वार मास्टर प्लान बनाना था। बाढ़ के प्रभाव को कम करने एवं दीर्घावधि तक प्रभावी समाधन वाले उपायों हेतु राष्ट्रीय बाढ़ आयोग; गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग; केन्द्रीय जल आयोग; एवं भारत के योजना आयोग द्वारा भी कई संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक उपाय सुझाये गये थे। फिर भी, राज्य शासन द्वारा न तो आवश्यक मास्टर प्लान बनाया गया एवं न ही विभिन्न संस्थाओं द्वारा संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक उपायों को लागू करने के सुझावों को लागू किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.8, 2.1.8.1 एवं 2.1.8.2)

- बाढ़ नियंत्रण कार्य जिसमें मुख्यतया कटाव निरोधक कार्य ही सम्मिलित थे, हाइड्रोलाजिकल एवं मार्फोलाजिकल स्थितियों का आवश्यक विस्तृत एवं पूर्ण अध्ययन किये बिना ही नियोजित किये गये थे। फलस्वरूप, उन्हीं/समीपवर्ती स्थलों पर बार–बार कटान निरोधक कार्य सम्पादित किये गये थे।

(प्रस्तर 2.1.8.4)

- वर्ष 2009–13 की अवधि में राज्य में ₹ 117.87 करोड़ से ₹ 3,259.53 करोड़ की हानियाँ/क्षतियाँ हुई।

(प्रस्तर 2.1.8.5)

परियोजनाओं का क्रियान्वयन

- परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कमी थी जैसे कि स्थायी संचालन समिति द्वारा वर्ष 2009–14 की अवधि में स्वीकृत 805 परियोजनाओं में से मात्र 341 (42 प्रतिशत) परियोजनायें ही प्रारम्भ की गयीं। चयनित 11 जनपदों में प्रारम्भ की गयी परियोजनाओं में से 69 प्रतिशत परियोजनायें स्वीकृति तिथि से 11 वर्षों की अवधि तक अपूर्ण थीं।

(प्रस्तर 2.1.10.1 एवं 2.1.10.2)

- तकनीकी विशिष्टियों एवं मानकों का कठोरता से पालन नहीं किया गया था। अनुबन्ध प्रबंधन अपर्याप्त था क्योंकि 52 प्रतिशत अनुबन्ध नामांकन के आधार पर बगैर निविदा के कार्यान्वित किये गये थे।

(प्रस्तर 2.1.10.3 एवं 2.1.11.2)

गुणवत्ता आश्वासन

- विभाग ने सामग्रियों जैसे मृदा एवं जियो–टेक्सटाइल्स की जाँच कराने हेतु सुनिश्चित प्रणाली लागू नहीं किया जिससे निर्माण कार्यों में बगैर जाँच किये सामग्रियाँ प्रयुक्त की गयीं।

(प्रस्तर 2.1.12)

क्षमता विकास

- विभाग ने अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर बाढ़ के प्रबन्धन हेतु क्षमता का विकास नही किया था। नई तकनीकियाँ जैसे डिजिटल एलिवेशन माडल्स, बाढ़ से सम्बन्धित सूचनाओं को आनलाइन प्राप्त करने के लिये अति सूक्ष्म एपरचर टर्मिनल प्रणालियाँ, खतरनाक क्षेत्रों एवं डूबे क्षेत्रों के मानचित्रों को तैयार करना, लागू नही की गयीं थीं। प्रबंधन सूचना प्रणाली भी प्रयुक्त नहीं की जा रही थी।

(प्रस्तर 2.1.14)

अनुश्रवण

- अनुश्रवण प्रणाली अपर्याप्त थी एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यों के सम्पादन का अनुश्रवण करने में असमर्थ थी क्योंकि कार्यों के सम्पादन की प्रगति, प्रारम्भिक लागत अग्रेतर संवर्धनों की लागत इत्यादि के साथ सम्पादित कार्यों की संरचना–वार विवरण जैसी महत्वपूर्ण सूचनायें उपलब्ध नहीं थीं।

(प्रस्तर 2.1.16)

2.1.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य, जिसका क्षेत्रफल 240.93 लाख हेक्टेयर है, में सात नदी–घाटियाँ–जैसे गंगा, गण्डक, गोमती, घाघरा, रामगंगा, सोन और यमुना अवस्थित हैं जिनके 38 जनपद ***(परिशिष्ट–2.1.1)*** आवर्ती बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। राज्य के पूर्वी जिलों में बाढ़ की बारम्बारता मुख्यतः राप्ती, शारदा, घाघरा एवं गण्डक नदियों में रहती है। राज्य के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों, विशेष रूप से आगरा, मथुरा और मेरठ जनपदों में जल निकासी की समस्या है। गंगा नदी के बायें एवं दाहिनें तट पर, घाघरा एवं गण्डक के दाहिनें तट पर कटान स्थल अवस्थित हैं।

वर्ष 2009–13 की अवधि में राज्य को बाढ़ से ₹117.87 करोड़ से ₹ 3,259.53 करोड़ के मध्य घरों, मानव एवं पशु इत्यादि की हानियाँ/क्षतियाँ हुईं ***(परिशिष्ट–2.1.2)***।

2.1.2 बाढ़ प्रबन्धन का तंत्र

बाढ़ नियन्त्रण एवं प्रबन्धन योजनाओं का नियोजन, अन्वेषण एवं क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा राज्य शासन को आर्थिक सहायता के साथ–साथ तकनीकी, परामर्शी, उत्प्रेरक एवं उन्नतिकारक सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश शासन को बाढ़ समस्याओं से विशद रूप से निपटने में सहायता करने हेतु भारत सरकार ने वर्ष 1945 में केन्द्रीय जल आयोग, अप्रैल 1972 में गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग तथा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त, मार्च 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग तथा अक्टूबर 2011 में भारत के योजना आयोग की 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकारी समूह द्वारा भी बाढ़ प्रबंधन के सन्दर्भ में विभिन्न अनुशंसायें एवं सलाहें दी गयी थीं।

केन्द्रीय जल आयोग, बाढ़ के समसामयिक वास्तविक आँकड़ों को एकत्र करने, बाढ़ का पूर्वानुमान करने एवं बाढ़–पूर्वानुमानों को स्थानीय प्रशासन को बाढ़ से निपटने हेतु योजना बनाने एवं उचित प्रशासकीय कदम उठाने हेतु अग्रसारित करने का कार्य करता है। गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग, राज्य बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की स्थायी संचालन समिति द्वारा अग्रेषित परियोजनाओं को अनुमोदित करने एवं उन योजनाओं/परियोजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण करने के साथ–साथ सुनियोजित रूप से बाढ़ पर नियन्त्रण पाने हेतु नदी प्रणालियों के लिये विस्तृत योजनायें तैयार करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बाढ़ आपदा के प्रभाव को रोकने एवं कम करने तथा आपदा की स्थिति में समग्र, समन्वित एवं त्वरित कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है।

2.1.3 संगठनात्मक ढाँचा

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, 'सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग' बाढ़ नियन्त्रण से सम्बन्धित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। सर्वेक्षण, नियोजन एवं परियोजनाओं को तैयार करना तथा कार्यों का सम्पादन विभाग, मण्डल, वृत्त एवं जनपद स्तर पर क्रमशः मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान एवं नियोजन) की सहायता से प्रमुख अभियन्ता, 11 मुख्य अभियन्ताओं, 19 अधीक्षण अभियन्ताओं एवं 56 खण्डों द्वारा किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण के लिये सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का संगठनात्मक ढाँचा ***परिशिष्ट–2.1.3*** में दिया गया है।

2.1.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- निधियों की उपलब्धता पर्याप्त थी एवं वित्तीय प्रबन्धन, वित्तीय नियमों, बजटीय प्रावधानों एवं निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुरूप था;

- दीर्घावधि बेसिन–वार बाढ़ प्रबन्धन के दृष्टिकोण पर आधारित और विभिन्न संस्थाओं द्वारा संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक उपायों के क्रियान्वयन के लिए दिये गये सुझावों/अनुशंसाओं को सम्मिलित करते हुए समग्र योजनायें तैयार एवं प्रभावकारी ढंग से लागू की गयी थीं;

- योजनायें/परियोजनायें मितव्ययिता, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित की गयी थीं एवं बाढ़ के प्रभाव को कम करने वाले अपेक्षित परिणाम समयबद्ध ढंग से प्राप्त हुए थे;

- बाढ़ से सुरक्षा के विभिन्न उपायों को लागू करने हेतु पर्याप्त संस्थागत क्षमता विद्यमान थी; एवं

- अनुश्रवण की प्रणाली प्रभावकारी थी।

2.1.5 लेखापरीक्षा के मानक

लेखापरीक्षा मानकों के स्रोत निम्नलिखित थे:

- बाढ़–प्रबन्धन की परियोजनाओं को तैयार करने के दिशानिर्देश;

- राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग, केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग की अनुशंसाऐं एवं योजनायें;

- बाढ़ प्रबन्धन के लिए भारत सरकार द्वारा गठित समितियों/कार्य–समूहों/कार्य–बलों के प्रतिवेदन;

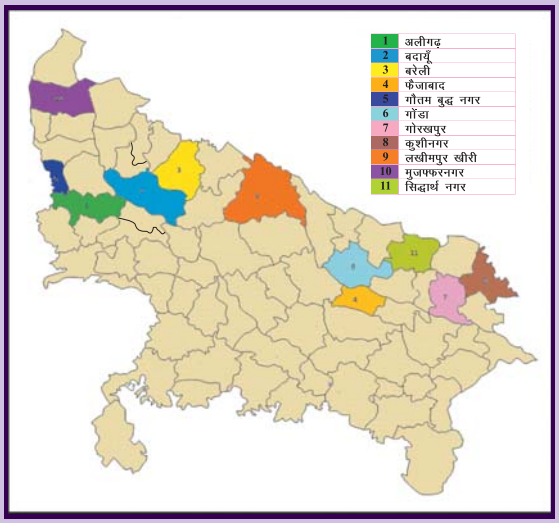
- पर्यावरणीय कानून/अधिनियम; और

- वित्तीय नियमों, बजट मैनुअल, सिंचाई मैनुअल, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देश एवं शासनादेशों/विभागीय नीतियाँ एवं विनियमन।

2.1.6 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2009 से मार्च 2014 की अवधि को आच्छादित करते हुए फरवरी से जुलाई 2014 के मध्य सम्पादित की गयी थी। बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रमों से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा, प्रमुख सचिव (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग) लखनऊ, प्रमुख अभियन्ता, बाढ़ से प्रभावित 38 जनपदों में से बगैर प्रतिस्थापन के आकार आधारित प्रायिकता सांख्यिकी नमूना चयन विधि के आधार पर चयनित 11 जनपदों [1] में मुख्य अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ताओं के कार्यालयों एवं बाढ़/ड्रेनेज खण्ड़ों में की गयी थी। इसके अतिरिक्त, विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त स्थलीय–सत्यापन करके एवं कार्यों के चित्र लेकर भी साक्ष्य एकत्र किये गये थे।

नमूना जाँच के जनपद प्रदर्शित करने हेतु उत्तर प्रदेश का मानचित्र



[1] अलीगढ़, बरेली, बदायूँ, फैजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गोण्डा, गोरखपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर एवं सिद्धार्थनगर।

प्रमुख सचिव के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों/मानकों/क्षेत्रों तथा पद्धति के बारें में चर्चा परिचयात्मक बैठक (अप्रैल 2014) में की गयी थी। सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के साथ समापन गोष्ठी (नवम्बर 2014) में प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर चर्चा की गयी थी। शासन नें अनुशंसाओं को स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश शासन के उत्तर (नवम्बर 2014) को यथोचित रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया था।

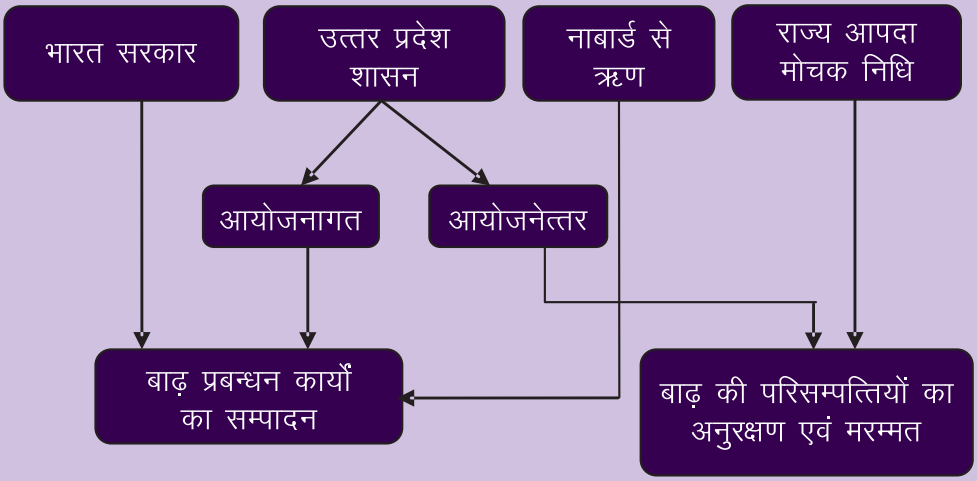
लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.7 वित्तीय प्रबन्धन

2.1.7.1 निधियों के स्रोत

बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रमों के अर्न्तगत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये उत्तर प्रदेश शासन को तीन स्रोतों यथा राज्य योजना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋृण तथा भारत सरकार (भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के मध्य 75:25 के अनुपात में सहभागिता के आधार पर) से निधियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों[2] के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा सृजित राज्य आपदा मोचक निधि के अन्तर्गत भी तटबन्धों के कमजोर भागों जैसे चूहों द्वारा बना दिये गये छिद्र एवं पाइपिंग[3] की मरम्मत हेतु भी निधियाँ प्राप्त होती हैं।

निधि प्रवाह चार्ट



अभिलेखों की नमूना–जाँच में पाया गया कि विभिन्न स्रोतों से होने वाले वित्त पोषण में एकीकरण एवं समन्वय की कमी थी। राज्य आपदा मोचक निधि का प्रबन्धन राजस्व विभाग के राहत आयुक्त द्वारा किया जाता था जो आगे जिलाधिकारियों को धन अवमुक्त करते हैं जिसे जिलाधिकारियों द्वारा बाढ़ खण्डों को अवमुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा बजट के माध्यम से मुख्य लेखाशीर्षक 2711 के अन्तर्गत संरचनाओं के मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु धन उपलब्ध कराया जाता है। कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं नमूना चयनित जनपदों के बाढ़ खण्डों के अभिलेखों की नमूना–जाँच में पाया गया कि समान उद्देश्य के लिए राहत आयुक्त द्वारा ***(परिशिष्ट–2.1.4)*** एवं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ***(परिशिष्ट–2.1.5)*** द्वारा धन अवमुक्त किया गया था परन्तु इन दोनों विभागों के मध्य न ही बजट तैयार करते

[2] आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 46(1) एवं अनुच्छेद 48(1)(अ)।
[3] पाइपिंग मृदा का आन्तरिक क्षरण है जिसके कारण जल स्रवित हो जाता है।

समय एवं न ही बजट आवंटन के समय कोई समन्वय था। खण्डों द्वारा जिला प्रशासन से राज्य आपदा मोचक निधि के अर्न्तगत प्राप्त धनराशियों के सन्दर्भ में प्रमुख अभियन्ता को या शासन को कोई प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया जाता था। निधियों के वित्त पोषण तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन भेजने में समन्वय की कमी न केवल अनियमित थी अपितु समान प्रकृति के कार्यों हेतु धन की दोहरी स्वीकृति हो जाने का जोखिम भी था।

उत्तर प्रदेश शासन ने अपने उत्तर में, संरचनाओं की पुर्नस्थापना/मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु निधियों के कई स्रोतों का होना स्वीकार किया परन्तु उपरोक्त वर्णित दोनों विभागों यथा राहत आयुक्त तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मध्य समन्वय न होने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

2.1.7.2 निधियों की प्राप्ति एवं व्यय

वर्ष 2009–14 की अवधि में स्रोतवार एवं वर्षवार बजट प्रावधान एवं उसके सापेक्ष व्यय का विवरण ***परिशिष्ट–2.1.6*** में दिया गया है एवं **सारणी 1** में उनका सारांशीकरण किया गया है:

सारणी 1: वर्षवार बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	बजट प्रावधान			व्यय	बचत/समर्पण (कालम संख्या 5 – कालम संख्या 6) (कालम संख्या 5 का *प्रतिशत)*
		मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2009-10	638.16	शून्य	638.16	396.04	242.12 (38)
2	2010-11	686.10	शून्य	686.10	496.75	189.35 (28)
3	2011-12	771.37	9.60	780.97	438.45	342.52 (44)
4	2012-13	874.75	100.85	975.60	595.77	379.83 (39)
5	2013-14	834.00	23.28	857.28	525.16	332.12 (39)
	योग	**3,804.38**	**133.73**	**3,938.11**	**2,452.17**	**1,485.94 (38)**

(स्रोतः कार्यालय प्रमुख अभियन्ता से एकत्रित सूचनायें)

उपरोक्त वर्णित व्यय विवरण में वर्ष 2009–14 की अवधि में 11 चयनित जनपदों में खण्डों को कुल आवंटित ₹ 926.77 करोड़ के सापेक्ष ₹ 905.37 करोड़ का व्यय सम्मिलित है ***(परिशिष्ट–2.1.7)***।

निधियाँ 28 से 44 प्रतिशत के मध्य अनुपभोगित रही।

जैसा कि **सारणी 1** से स्पष्ट है कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग यद्यपि मूल बजट प्रावधान (₹ 3,804.38 करोड़) भी व्यय करने में असफल रहा फिर भी ₹ 133.73 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान कराया गया जिसके कारण वर्ष 2009–14 की अवधि में 28 से 44 प्रतिशत तक की भारी बचत हुई। बचत होने का मुख्य कारण शासन द्वारा धन अवमुक्त होने में विलम्ब, भारत सरकार से आनुपातिक अंश की धनराशि अप्राप्त रहना एवं कार्यों के प्राक्कलन में बचत होना था। अग्रेतर, वर्ष 2009–14 की अवधि में ₹ 1,485.94 करोड़ की बचत वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस में वित्त विभाग को समर्पित की गयी थी जिसके कारण विकास की अन्य गतिविधियों हेतु धनराशि को पुनर्विनियोजित करके उसका उपभोग करने हेतु समय शेष नहीं था।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा, सम्प्रेक्षा में मांगे जाने (फरवरी एवं मई 2014) के बावजूद भी राज्य आपदा मोचक निधि के अन्तर्गत निधियों की प्राप्ति एवं उसके सापेक्ष

व्यय का समेकित विवरण सम्पूर्ण राज्य के सन्दर्भ में उपलब्ध नहीं कराया गया। अभिलेखों की संवीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि चयनित नौ जनपदों (फैजाबाद एवं अलीगढ़ को छोड़कर) के 12 खण्डों में वर्ष 2009–14 की अवधि में ₹ 215.43 करोड़ की धनराशि विभिन्न सरंचनाओं के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण/पुर्नस्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि के अन्तर्गत प्रदान की गयी थी।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि खण्डों द्वारा शासनादेश के विपरीत आगामी बाढ़ सत्र के प्रारम्भ होने के पूर्व कार्यों को पूर्ण कर लेने के शासनाादेश की अवहेलना करते हुए कार्य समय से पूर्ण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, एक से 88 प्रतिशत तक की धनराशियाँ ***(परिशिष्ट–2.1.4)*** उपरोक्त वर्णित 12 खण्डों में संबधित वित्तीय वर्षों के अन्त में अप्रयुक्त रहीं। मार्च 2014 तक ₹ नौ करोड़ की धनराशि खण्डों के निक्षेप खाते में अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

उत्तर प्रदेश शासन ने लेखापरीक्षा के कथन को स्वीकार किया परन्तु भारत सरकार द्वारा अपना अंश उपलब्ध न कराये जाने का कारण नही बताया।

2.1.7.3 दायित्वों का सृजन एवं निधियों का व्ययवर्तन

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 के नियम 158 एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर 104 के अनुसार व्यय सदैव आवंटन के अधीन ही सीमित किया जाना चाहिए एवं आकस्मिक स्थिति में जब आवंटन से अधिक व्यय करना आवश्यक हो जाय तो अतिरिक्त आवंटन प्राप्त किये जाने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रशासकीय विभाग को दायित्वों के सृजन एवं निस्तारण की अद्यतन स्थिति रखनी थी।

चयनित जनपदों में ₹ 152.90 करोड़ के वित्तीय दायित्वों का सृजन किया गया था।

अभिलेखों की नमूना–जाँच में संज्ञान में आया कि प्रमुख अभियन्ता एवं शासन के स्तर पर दायित्वों के सृजन तथा निस्तारण से सम्बन्धित कोई अभिलेख संरक्षित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, अनिस्तारित दायित्वों की समेकित स्थिति, लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अभिलेखों की नमूना–जाँच में पाया गया कि वर्ष 1992–93 से 2013–14 की अवधि ***(परिशिष्ट–2.1.8)*** में छः चयनित जनपदों के खण्डों द्वारा नियमों एवं प्रावधानों की अवहेलना करके ₹ 152.90 करोड़ की वित्तीय देनदारी आवंटन से अधिक व्यय करके या बिना आवंटन के ही कार्यों को सम्पादित कराकर सृजित की गयी थी। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा, यद्यपि, इन दायित्वों के निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। उल्लेखनीय है कि ठेकेदारों द्वारा अपने भुगतानों हेतु मुकदमे[4] भी दायर किये गये थे।

दायित्व सृजन के प्रत्येक प्रकरण में, इनको सृजित किये जाने के कारणों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि खण्डों द्वारा दायित्वों की पंजिका का, जिसमें दायित्वों से सम्बन्धित विवरण अंकित किया जाना था, रख–रखाव नहीं किया गया था। चौदह प्रकरणों की विस्तृत संवीक्षा में (₹ 47.63 करोड़ की देनदारी) यह तथ्य संज्ञान में आया कि इन दायित्वों का सृजन, पाँच प्रकरणों में कार्यों को बिना आवंटन के सम्पादित कराने (₹ 23.98 करोड़), चार प्रकरणों में आवंटन से अधिक व्यय करने (₹ 0.27 करोड़) एवं पाँच कार्यों में आंवटित धन को अन्य कार्यों पर व्ययवर्तित करने (₹ 23.38 करोड़) के कारणों से हुआ था। अग्रेतर, उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अनुसार खण्डों द्वारा ₹ 3.81 करोड़ के दायित्वों का निपटारा बिना किसी प्राधिकार के अन्य कार्यों हेतु प्राप्त आवंटन के व्ययावर्तन से वर्ष 2010–14 की अवधि में किया गया था ***(परिशिष्ट–2.1.9)***।

[4] माननीय उच्च न्यायालय में मार्च 2014 तक ठेकेदारों के बिलों के भुगतान न करने सम्बन्धी 39 प्रकरण दायर थे।

उत्तर प्रदेश शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया एवं बताया कि बाढ़ के दौरान आकस्मिक परिस्थितियों में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को बिना बजट आवंटन के ही सम्पादित कराना पड़ता है। दायित्वों के निस्तारण हेतु निधियों के व्ययवर्तन किये जाने के बिन्दु पर यह बताया गया कि दोषी अधिकारियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आकस्मिक परिस्थितियों में कराये गये कार्यों के कारण सृजित हुए दायित्वों का निपटारा सम्बन्धित वर्ष में ही अनुपूरक बजट में प्रावधान कराके किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009–14 की अवधि में अनवरत बजट प्रावधानों के विरूद्ध बचतें हुई थी, अतः 21 वर्षो तक की अवधि से दायित्वों का अनिस्तारित बने रहना तर्कसंगत नहीं था।

दायित्वों के सृजन के समस्त प्रकरणों की जाँच करने के उपरान्त उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

2.1.8 नियोजन

बाढ़–प्रबन्धन की परियोजनाओं को तैयार करने के दिशा–निर्देश में विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति को संज्ञान में लेते हुए दीर्घावधि बेसिन–वार और क्षेत्र–वार मास्टर प्लान बनाये जाने की व्यवस्था की गयी है जिसमें उन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों जिन्हे पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा सकती थी, का व्यौरा, बाढ़ नियन्त्रण की विभिन्न विधियों की व्यापक साध्यता अध्ययन, वरीयतायें, धनावंटन का मोटा–मोटा विवरण अंकित किया गया हो। मास्टर प्लान में, विकास कार्यों का बाढ़ एवं जल निकासी इत्यादि पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन भी सम्मिलित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, बाढ़ के प्रभावशाली प्रबन्धन के लिये राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग, केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग के द्वारा विभिन्न संरचनात्मक एवं गैर–संरचानात्मक उपाय सुझाये गये थे।

संरचनात्मक उपायों में मुख्यतया, बाढ़ की तीव्रता तथा अवधि को कम करने हेतु बड़े जलाशयों का निर्माण, संचित जल की अवमुक्ति को नियंत्रित करने हेतु प्राकृतिक गड्ढों/जल स्त्रोतों तथा झीलों को उपयोग में लाकर डीटेन्शन बेसिन का निर्माण, जल के उत्प्रवाह एवं बाढ़ के प्रवाह को रोकने हेतु तटबन्धों का निर्माण, नदियों का बहाव उनके निर्धारित चैनल में साधने का कार्य तथा बाढ़ के जल को भविष्य में आवश्कतानुसार अन्य नदी बेसिनों अथवा उसी नदी बेसिन में प्रत्यावर्तित करने का कार्य सम्मिलित है।

गैर–संरचनात्मक उपायों में, बाढ़ की स्थिति में, जनता को समय रहते स्थान खाली कर लेने तथा उनकी चल सम्पत्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित कर लेने में सुविधा प्रदान करना; बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों/जोनों को चिन्हित करने एवं इन क्षेत्रों में विकास कार्यों की अनुमन्यता की सीमा स्पष्ट करने हेतु फ्लड–प्लेन जोनिंग करने का कार्य ताकि बाढ़ की स्थिति में क्षति को न्यूनतम रखा जा सके; तथा बाढ़ के स्तर से गाँवों की भूमि को ऊँचा उठा कर फ्लड–प्रूफिंग का कार्य इत्यादि सम्मिलित है। संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक उपायों के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माणों/स्थापनाओं का संक्षिप्त विवरण ***परिशिष्ट–2.1.10*** में दिया गया है। अभिलेखों की नमूना–जाँच में नियोजन में विभिन्न प्रकार की कमियाँ संज्ञान में आयी, जिनकी चर्चा आगे की गयी है:

2.1.8.1 मास्टर प्लान का नहीं बनाया जाना

आवश्यक बेसिन–वार एवं नदी–वार मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जैसा कि बाढ़–प्रबन्धन की परियोजनाएँ को तैयार करने के दिशा–निर्देशों में चाहा गया था, बेसिन–वार/नदी–वार मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया था। बाढ़ की आपदा को कम करने के लिए योजनाओं/परियोजनाओं को तैयार करने में पारम्परिक खण्डित एवं स्थानीय दृष्टिकोण को ही अपनाया गया था। नियोजन, मात्र नदियों के बन्ध–विहीन भागों में तटबन्धों के निर्माण, वर्तमान में मौजूद तटबन्धों/बन्धों में विभिन्न प्रकार के कटाव–निरोधक कार्य, जैसे तटबन्धों की ऊँचाई बढ़ाना एवं उनका सुदृढ़ीकरण करना, नदियों के किनारों तथा तटबन्धो को कटाव से बचाने हेतु अवसंरचनाओं का निर्माण एवं बाढ़ की अवधि में बाढ़ सुरक्षा कार्यों तक ही सीमित था। उपरोक्त के अतिरिक्त, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के पास, बाढ़ से सुरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु कोई योजना नहीं थी।

उत्तर प्रदेश शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया एवं बताया कि समस्त बाढ़ प्रभावित जनपदों को एकीकृत एवं समेकित योजना तैयार करने हेतु निर्देश एवं दिशा–निर्देश जून 2012 में निर्गत कर दिये गये थे जिस पर कार्यवाही की जा रही थी यद्यपि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के अभिलेखों की जाँच में यह संज्ञान में आया कि एकीकृत समेकित योजना तैयार करने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी।

उचित बाढ़ प्रबन्धन हेतु बेसिनवार/नदीवार समेकित मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए।

2.1.8.2 संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक उपायों को न अपनाया जाना

गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग (दिसम्बर 1987), राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (मार्च 1980) एवं योजना आयोग (अक्टूबर 2011) द्वारा बाढ़ की समस्या के दीर्घकालिक समाधान हेतु, संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक उपायों का सम्मिश्रण अपनाने की अनुशंसाओं एवं सुझावों के बावजूद अधिकांश संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक उपायों, जैसा कि नीचे वर्णित है, को लागू नहीं किया गया थाः

(अ) संरचनात्मक उपाय

बाढ़ के लिये दीर्घावधि समाधान हेतु संरचनात्मक उपाय लागू नहीं किये गये थे।

- बेहतर बाढ़ प्रबन्धन हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जलाशयों के निर्माण, रिटेन्सन बेसिन, नदियों का प्रवाह निर्धारित चैनल में साधने का कार्य एवं चैनल सुधार जैसे उपायों के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग द्वारा घाघरा नदी प्रणाली जिसमें शारदा तथा राप्ती सहायक नदियाँ सम्मिलित थीं, हेतु एक विस्तृत योजना तैयार (1987) की गयी थी एवं संरचनात्मक तथा गैर–संरचनात्मक उपायों पर एक कार्यकारी समिति गठित करके कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुशंसा की गयी थी। यद्यपि, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त अनुसंशाओं पर कोई कार्यवाही नवम्बर 2014 तक नहीं की गयी थी।

उत्तर प्रदेश शासन नें लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया एवं बताया कि रिटेन्सन बेसिन का निर्माण, नदियों का प्रवाह निर्धारित चैनेल में सुनिश्चित किये जाने का कार्य एवं चैनल सुधार के कार्य इत्यादि को समेकित योजना में प्रस्तावित किया जायेगा। गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग द्वारा तैयार की गयी विस्तृत योजना को लागू न किये जाने के संबन्ध में उत्तर दिया गया कि जनपद–वार समेकित योजना तैयार की जा रही थी। प्रकरण यथावत रहा कि वास्तव में शासन द्वारा संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक

उपायों को अपनाने के संबन्ध में न तो कोई योजना बनायी गयी एवं न ही गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग के 1987 की अनुशंसाओं को लागू किया गया।

- केन्द्रीय जल आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार तटबन्ध, नदियों की प्राकृतिक धारा में बदलाव के कारण क्षेत्र के डूबने से फसलों, गाँवों एवं अन्य परिसम्पत्तियों की क्षति से सुरक्षा करता है, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के पास यद्यपि सुरक्षित[5] बाढ़ क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढाने हेतु तटबन्धों के निर्माण की आवश्यकता का, व्यापक दृष्टिकोण के साथ विस्तृत रूप से सर्वेक्षित एवं मास्टर प्लान पर आधारित आकलन उपलब्ध नहीं था। वर्ष 2011–12 तक 3,101 किमी तटबन्धों का निर्माण किया जा चुका था एवं उसके बाद कोई निर्माण नहीं कराया गया था।

चयनित जनपदों के अभिलेखों के नमूना–जाँच में अग्रेतर पाया गया कि फरवरी 2003 से दिसम्बर 2010 के मध्य चार जनपदों में, ग्रामों को बचाने हेतु छः तटबन्धों के निमाण कार्य मध्य में ही छोड़ दिये गये थे। जिसके कारण नदी के किनारों एवं समीपवर्ती ग्रामों की सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के कटाव निरोधी कार्यों को कराना पड़ा, जैसा कि प्रस्तर संख्या 2.1.10.2 में वर्णित है। यह इंगित करता है कि तटबन्धों के निर्माण का नियोजन उचित प्रकार से नही किया गया था।

उत्तर प्रदेश शासन ने अपने उत्तर में बाढ़ से सुरक्षा बढ़ाने हेतु तटबन्धों के निर्माण की आवश्यकता के आकलन के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया। अपूर्ण तटबन्धों के निर्माण के मुददे पर शासन ने बताया कि भूमि एवं श्रम मूल्यों में वृद्वि हो जाने के कारण तटबन्धों का निर्माण पूर्ण नहीं कराया जा सका। तटबन्धों का निर्माण अपूर्ण रहने के कारण राज्य एवं जनता बाढ़ से अपेक्षित सुरक्षा प्राप्त करने से वंचित रही।

(ब) गैर–संरचनात्मक उपाय

फ्लड–प्लेन जोनिंग बिल अधिनियमित नहीं किया गया था।

आवर्ती बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जनता को, मूल्यवान सम्पत्ति/अवस्थापनाओं के सृजन के प्रति हतोत्साहित करने के लिए फ्लड–प्लेन जोनिंग बिल तैयार करके उसे अधिनियमित किया जाना था। अभिलेखों की संवीक्षा में यह संज्ञान में आया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी थी। यहाँ तक कि इस सम्बन्ध में कोई कार्यकारी उपाय किये जाने से पूर्व बाढ़ क्षेत्र का आवश्यक मानचित्रीकरण तक नही किया गया था।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि फ्लड–प्लेन जोनिंग बिल पर गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है, यद्यपि इस कथन के समर्थन में शासन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

बाढ़ प्रबन्धन के सम्बन्ध में गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, भारत के योजना आयोग तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दी गयी अनुशंसाओं एवं सुझावों को लागू किया जाना चाहिए।

2.1.8.3 नवीन सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना

केन्द्रीय जल आयोग ने जियो टेक्सटाइल जैसी नवीन सामग्री का सरंचनाओं के निर्माण में उपयोग इनकी अद्वितीय विशेषताओं जैसे टिकाऊपन, रसायनिक अपशिष्टों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, पर्यावरण के प्रति अनुकूलता तथा लगाने में आसानी इत्यादि के

[5] कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो में से ऐसे क्षेत्र जिन्हे बाढ़ प्रबन्धन के विभिन्न उपायों के द्वारा सुरक्षित किया जा सकता था।

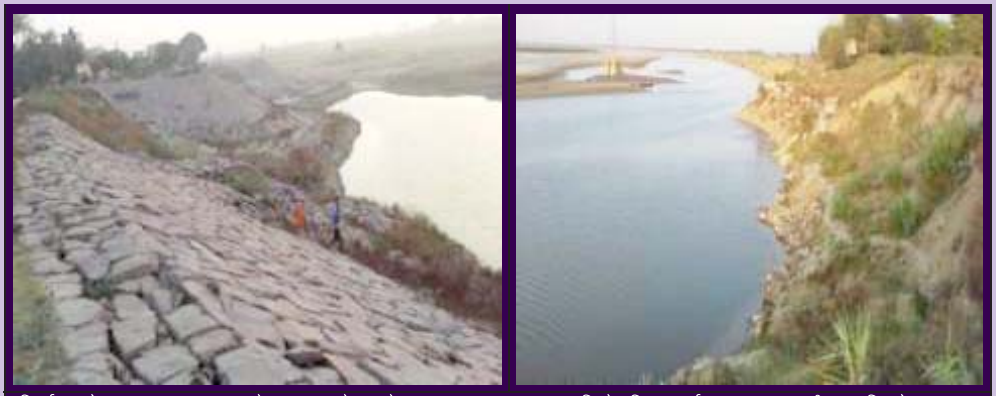
कारण किये जाने का सुझाव (जून 2012) दिया था। फिर भी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जियो टेक्सटाइल्स सामग्री के उपयोग को न तो औपचारिक रूप से लागू किया गया और न ही इनके उपयोग के मानदण्डों का मानकीकरण किया गया था। परिणामस्वरूप, 11 चयनित जनपदों में जून 2012 के बाद स्वीकृत 10 कार्यों में से मात्र दो कार्यों तक ही इसका उपयोग सीमित रहा। जियो–बैगों के उपयोग में अलग–अलग मानदण्डों के अपनाए जाने के परिणामस्वरूप, अतिरिक्त व्यय के प्रकरण पर प्रस्तर संख्या 2.1.11.1 (द) में चर्चा की गयी है।

उत्तर प्रदेश शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया एवं बताया कि जियो टेक्सटाइल्स सामग्रियों के उपयोग के मानदण्डों को बाढ़–प्रबन्धन की परियोजनाएँ तैयार करने के दिशा–निर्देशों में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

2.1.8.4 हाइड्रोलाजिकल एवं मार्फोलाजिकल अध्ययन न किया जाना

आवश्यक हाइड्रोलाजिकिल एवं मार्फोलाजिकल अध्ययन किये बिना कटाव–निरोधक कार्य सम्पादित किये गये थे।

कटाव–निरोधक कार्यों के सम्पादन के लिए, निर्माण कार्यों के अनूकूल एवं प्रतिकूल प्रभावों का आकलन करने हेतु, क्योंकि नदियों के प्राकृतिक मार्ग में विचलन के कारण इनके किनारों एवं समीपवर्ती क्षेत्र प्रभावित होते हैं, विस्तृत एवं व्यापक हाइड्रोलाजिकल एवं मार्फोलाजिकल अध्ययन आवश्यक है।



निर्माण के कारण अन्य स्थलों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किये बिना वर्ष 2012–13 की अवधि में जनपद गोरखपुर में बोक्टा बोरवार तटबन्ध पर किमी 7.100–7.500 के मध्य सम्पादित कटाव निरोधक कार्य (बाएं)। इस कार्य के बाद राप्ति नदी ने तटबन्ध के किमी 7.505 से किमी 7.550 पर आघात किया जिसके कारण फ्लड फाइटिंग कार्य वर्ष 2013–14 में सम्पादित कराया गया (दायें) (दिनांक 28.04.2014)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दीर्घकालिक एवं प्रभावी उपाय हेतु रिबेटमेन्ट, ग्रोयन्स, स्टड, स्पर एवं कटर इत्यादि जैसे कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएँ सामान्यतयः किसी समेकित अध्ययन के बिना तर्दथ रूप से तात्कालिक राहत हेतु नियोजित की गयी थीं।

कटाव निरोधक कार्य अपर्याप्त हाइड्रोलाजिकल आँकड़ों, सर्वे एवं अध्ययन के आधार पर ही कराये गये थे जिससे यह सुनिश्चित नहीं हुआ था कि जिन स्थानों पर कटाव निरोधक कार्य कराये गये थे, वे स्थान वास्तव में सुरक्षित हो गये थे। दस चयनित जनपदों में पाया गया कि वर्ष 2009–14 की अवधि में ₹ 231.64 करोड़ का व्यय एक ही या समीपवर्ती स्थलों पर कटाव निरोधक कार्यों पर किया गया था ***(परिशिष्ट–2.1.11)***।

उत्तर प्रदेश शासन ने स्वीकार किया कि नदी में सेडीमेन्ट लोड का मापन नहीं किया गया था। यद्यपि, यह बताया गया कि उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों हेतु उच्चतम बाढ़ स्तर, बैंक लाइन, बाढ़ का डिस्चार्ज इत्यादि का मूल्यांकन किया गया था। कटाव निरोधक कार्यों की पुनरावृत्ति के मुद्दे पर शासन द्वारा यह

दोहराया गया कि बाढ़ से दीर्घकालिक सुरक्षा प्राप्त करने हेतु सर्वेक्षण आधारित जनपदवार समेकित योजनायें तैयार करने के निर्देश निर्गत कर दिए गये हैं।

तथ्य यथावत रहा कि व्यापक अध्ययन न किये जाने के कारण बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों पर भारी धनराशि व्यय किये जाने के बावजूद भी बाढ़ से दीर्घकालिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

2.1.8.5 आपदाओं/संकटों से सीख न लेना

बाढ़ आवर्ती रूप से घटित होने वाली घटना है इसलिए विगत आपदाओं/संकटों से सीख ली जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में यद्यपि यह पाया गया कि शासन ने आवर्ती बाढ़ से सीख नही लिया क्योंकि जैसा कि प्रस्तर संख्या 2.1.8.1 एवं 2.1.8.2 में चर्चा की गयी है, बाढ़ प्रबन्धन में विस्तृत परिदृश्य तथा स्थायी एवं सुसंगत रणनीति का अभाव था। परिणामस्वरूप, प्रदेश में कुल 73.06 लाख हेक्टेयर बाढ़ से संवेदनशील क्षेत्र में से 58.72 लाख हेक्टेयर सुरक्षित किये जा सकने वाले क्षेत्रों के सापेक्ष मात्र 21.14 लाख हेक्टेयर (36 प्रतिशत) क्षेत्र ही मार्च 2014 तक सुरक्षित किये गये थे। यह आँकड़ा इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय औसत, जो कि 54 प्रतिशत है, से अत्यन्त कम था। फिर भी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने सुरक्षित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने हेतु कोई योजना नहीं बनायी थी। इसके अतिरिक्त, बाढ़–प्रबन्धन की परियोजनाओं को तैयार करने के दिशा–निर्देशों में इंगित है कि योजनाओं के पूर्ण होने के बाद, आने वाली गम्भीर समस्याओं जैसे बन्धों में लगातार कटान/तटबन्ध के ऊपर से जल का उत्प्रवाह, कटाव एवं जल निकासी की समस्या इत्यादि के कारणों का विश्लेषण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाए कि किये गये व्यय के अनुरूप लाभ प्राप्त हुआ है कि नही। फिर भी, वर्ष 2009–14 की अवधि में इस प्रकार का कोई विश्लेषण नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश शासन ने अपने उत्तर में पुनः बताया कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु दीर्घावधि समाधान के लिए जनपद–वार सर्वेक्षण आधारित समेकित योजनाऐं बनाने हेतु आदेश निर्गत किये गये थे। इस प्रकार बाढ़ से सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक स्थायी समाधान प्रदान करने हेतु विभिन्न उपायो के कार्यान्वयन में शिथिलिता के कारण प्रदेश को वर्ष 2009–13 की अवधि में जीवन, फसलें, घरो एवं दूसरी अन्य पसिम्पत्तियों का ₹ 117.87 करोड़ से 3,259.53 करोड़ के मध्य का नुकसान उठाना पड़ा।

2.1.9 कार्यों को प्रदान किया जाना

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ अवधि में फ्लड फाइटिंग कार्यों के अतिरिक्त लघु अवधि के उपायो जैसे कि कटाव निरोधक कार्य, नये तटबन्धों का निर्माण, मौजूदा तटबन्धों का उच्चीकरण एवं उन्हे सुदृढ़ बनाने जैसे कार्यों को ही कराया गया था।

अभिलेखों की सामान्य संवीक्षा के अतिरिक्त, चयनित 11 जनपदों में वर्ष 2009–14 की अवधि में कराये गये कुल 210 कार्यों में से रेन्डम आधार से चुने गये 70 कार्यों की विस्तृत संवीक्षा की गयी जिसमें पाया गया किः

2.1.9.1 परियोजनाओं की स्वीकृति

बाढ़–प्रबन्धन की परियोजनाएँ तैयार करने के दिशा–निर्देशों के अनुसार बाढ़ नियन्त्रण से सम्बन्धित परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुमोदन तीन निर्दिष्ट समितियों यथा प्रमुख अभियन्ता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को सम्मिलित करते हुए मुख्य

अभियन्ताओं की समिति, तकनीकी सलाहकार समिति एवं राज्य बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की स्थायी संचालन समिति द्वारा की जाती है। ₹ 12.50 करोड़ से अधिक धनराशि की परियोजनाएँ स्वीकृति हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग, पटना को अग्रसारित की जाती है। परियोजना की लागत एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अनुसार परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति, मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता एवं शासन द्वारा प्रदान की जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त बाढ़ की अवधि में प्रत्येक वर्ष (15 जून से 15 अक्टूबर) आपातकालीन परिस्थितियों में प्रारम्भ की गयी परियोजनायें शासन द्वारा तकनीकी सलाहकार समिति की आगामी बैठक में संस्तुति किये जाने की शर्त पर स्वीकृत की जाती है।

अभिलेखों की संवीक्षा में संज्ञान में आया कि बाढ़ प्रबन्धन हेतु वर्ष 2009–14 की अवधि में स्थायी संचालन समिति द्वारा 805 परियोजनाएँ स्वीकृत की गयीं। इसके अतिरिक्त, आपात परिस्थितियों के कारण वर्ष 2009–14 की अवधि में ₹ 40.73 करोड़ लागत की 259 अन्य परियोजनायें शासन द्वारा स्वीकृत की गयी थीं। परन्तु, इन 259 परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना को कार्योत्तर स्वीकृति हेतु तकनीकी सलाहकार समिति को नवम्बर 2014 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार किया परन्तु अनापेक्षित परिस्थितियों के कारण स्वीकृत 259 परियोजनाओं को तकनीकी सलाहकार समिति को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत न करने का कारण नहीं बताया।

2.1.9.2 मितव्ययी रूप से असम्भाव्य परियोजनाओं की मंजूरी

परियोजनाओं की सम्भाव्यता का आकलन नहीं किया गया था।

बाढ़–प्रबन्धन की परियोजनायें तैयार करने के दिशा–निर्देशों के प्रस्तर संख्या 3.5.6.7 के अनुसार बाढ़ सुरक्षा की परियोजना मितव्ययी[6] रूप से व्यवहारिक होने के लिए, लाभ–लागत अनुपात कम से कम 1:1 का होना चाहिए। लाभ–लागत अनुपात का आकलन परियोजना से वार्षिक लाभ तथा संचालन एवं अनुरक्षण मूल्य के आधार पर किया जाना था। दिशा–निर्देशों में यह भी उल्लेखित है कि ऐसे जलप्लावित क्षेत्रों की क्षति जहाँ कोई तटबन्ध नहीं बनाया गया था, को लाभ–लागत अनुपात की गणना में नहीं लिया जायेगा।

चयनित 70 कार्यों की संवीक्षा में लाभ–लागत अनुपात के आकलन में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीं:

- विगत पाँच वर्षों में बाढ़ से हुए नुकसान के आँकड़ो के स्थान पर केवल एक वर्ष के आँकड़े लिये गये थे;
- बाढ़ प्रबन्धन योजनाओं के निर्माण के दिशा–निर्देशों के प्रस्तर संख्या 3.5.6.7 के प्रावधानों के विपरीत समस्त चयनित नमूना–जाँच की परियोजनाओं में अंकित क्षति के आँकड़े, सम्बन्धित जिले के राजस्व विभाग के प्राधिकारियों से सत्यापित नही कराये गये थे;
- तीन परियोजनाओं में उसी या समीपवर्ती स्थानों पर लगातार कराये गये परियोजना कार्यों में, विगत परियोजना के निर्माण लागत को जोड़े बिना ही समान लाभ लिया गया था; एवं

[6] सामाजिक, वित्तीय एवं पर्यावरणीय गणकों यहां तक कभी–कभी सुरक्षा (राष्ट्रीय) एवं संरक्षा के गणकों सहित।

- दो परियोजनाओं में, दिशा–निर्देशों के विपरीत जलप्लावन वाले क्षेत्र के क्षति मूल्य को भी सम्मिलित कर लिया गया था जबकि वहाँ कोई तटबन्ध निर्मित नहीं था।

यदि प्रतिपादित व्यवस्थाओं के अनुरूप उक्त पाँचों परियोजनाओं के लाभ–लागत अनुपात की गणना की गयी होती तो इनका लाभ लागत अनुपात एक से कम होता तथा उक्त परियोजनाऐं मितव्ययिता की दृष्टि से सम्भाव्य न होतीं ***(परिशिष्ट–2.1.12)***।

उत्तर प्रदेश शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया एवं बताया कि दिशा–निर्देशों के अनुसार लाभ लागत अनुपात की गणना के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश नवम्बर 2014 में निर्गत कर दिये गये थे।

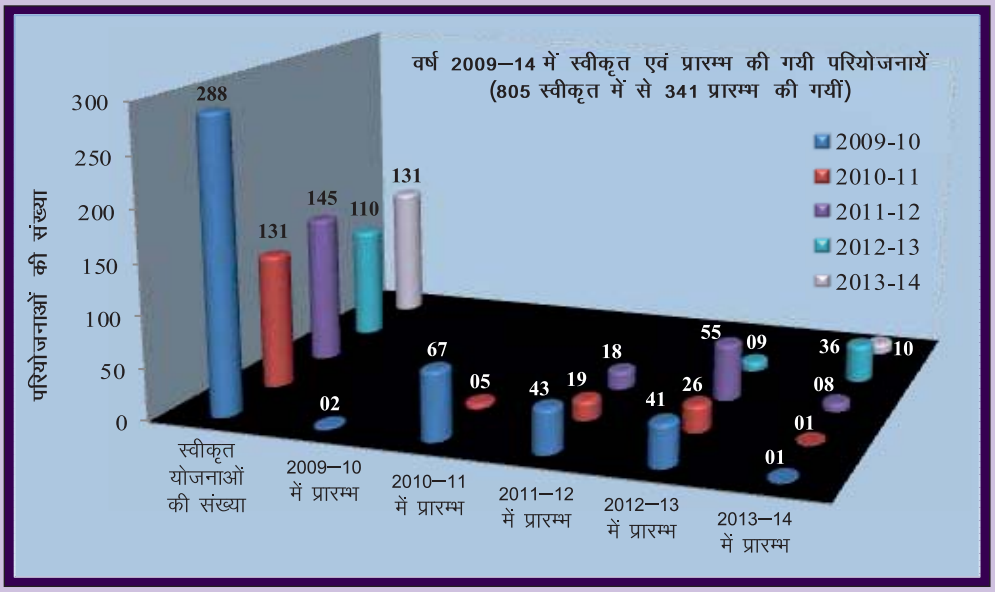
2.1.10 परियोजनाओं का क्रियान्वयन

2.1.10.1 परियोजनाओं को प्रारम्भ करने में विलम्ब

स्वीकृत परियोजनाओं में से मात्र 42 प्रतिशत परियोजनायें प्रारम्भ की गयी थीं।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2009–14 की अवधि में बाढ़ नियन्त्रण से सम्बन्धित 805 स्वीकृत परियोजनाओं में से मात्र 341 परियोजनायें (42 प्रतिशत) स्वीकृत होने के एक से चार वर्षों के विलम्ब से प्रारम्भ की गयी थीं ***(परिशिष्ट–2.1.13)*** / यह स्थिति **चित्र 1** में भी प्रदर्शित की गयी है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा सम्पादन हेतु स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में प्राथमिकता का निर्धारण नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप परियोजनाओं को भौतिक रूप से आरम्भ करने में विलम्ब था जिससे स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तदर्थता एवं मनमानीपन था।

चित्र 1: परियोजनाओं को प्रारम्भ करने में विलम्ब



उत्तर प्रदेश शासन नें लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया एवं बताया कि गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग से अनुमोदन एवं निधियों के आवंटन में विलम्ब के कारण परियोजनाएँ या तो समाप्त कर दी गयी थी या विलम्ब से प्रारम्भ की गई।

अग्रेतर, यह भी प्रकाश में आया कि पाँच स्वीकृत परियोजनाओं को प्रारम्भ करने में विलम्ब के कारण स्थलों की बाढ़ से सुरक्षा हेतु सात वैकल्पिक अस्थायी प्रकृति के कार्य जिनकी लागत ₹ 1.38 करोड़ थी, कराने पड़े ***(परिशिष्ट–2.1.14)***।

उत्तर प्रदेश शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया।

2.1.10.2 परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब

शासनादेश (जून 1987) के अनुसार एवं सिंचाई मैनुअल के प्रस्तर 5 के अनुसार प्रमुख अभियन्ता को कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण करना था।

चयनित जनपदों में 69 प्रतिशत परियोजनायें एक से 11 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी अपूर्ण थीं।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग कार्यालय के अभिलेखों की नमूना–जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009–14 की अवधि में प्रारम्भ की गयी परियोजनाओं के सापेक्ष कार्यों की भौतिक प्रगति की संकलित स्थिति उपलब्ध नहीं थी। स्थायी संचालन समिति अथवा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परियोजनाओं की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति देते समय, परियोजनाओं के पूर्ण होने की समयावधि निर्धारित नहीं की गयी थी। चयनित खण्डों के अभिलेखों की नमूना–जाँच में पाया गया कि 210 परियोजनाओं में से 144 (69 प्रतिशत) परियोजनाएँ, जो वर्ष 2002–13 के दौरान स्वीकृत की गयी थीं, एक से 11 वर्ष व्यतीत होने एवं उन पर मार्च 2014 तक ₹ 546.97 करोड़ व्यय होने के बाद भी अपूर्ण थीं ***(परिशिष्ट–2.1.15)***। संबन्धित खण्डों द्वारा बताया गया कि उक्त परियोजनाएँ निधियों के अप्राप्त रहने/देर से प्राप्त होने एवं तटबन्धों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण अपूर्ण रहीं।

अभिलेखों की नमूना–जाँच में अग्रेतर संज्ञान में आया कि फरवरी 2003 से दिसम्बर 2003 के दौरान चार चयनित जनपदों में छः तटबन्धों का निर्माण कार्य (मार्च 2008 से मार्च 2011) ₹ 70.74 करोड़ व्यय करने के बाद, मुख्यतया धन की उपलब्धता न होने एवं आवश्यक भूमि उपलब्ध न होने के कारण बीच में ही छोड़ दिया गया जिससे अब तक हुआ कुल व्यय अलाभकारी रहा। तटबन्धों के ज्यादातर भाग या तो बनाये नही गये या बनाये भी गए तो उनमें कमियाँ रहीं ***(परिशिष्ट–2.1.16)***।

उत्तर प्रदेश शासन ने अपने उत्तर में बताया कि नमूना चयनित जनपदों में 210 परियोजनाओं में से 55 अपूर्ण थीं। उत्तर सही नहीं था क्योंकि पूर्ण बताई गई 89 अन्य परियोजनाओं पर निधियों की अवमुक्ति बीच में ही रोक दिये जाने के कारण अपूर्ण पड़ी थीं। विडम्बनात्मक रूप से पाँच वर्षों की लेखापरीक्षा अवधि में एक ओर जहाँ अधिक मात्रा में धनराशियाँ (आवंटित बजट का 38 प्रतिशत, ₹ 1,485.94 करोड़) व्यपगत होने दी गयीं वहीं दूसरी ओर धन की कमी के कारण परियोजनायें मध्य में रोक दी गयी। यह अपर्याप्त बजटीय एवं व्यय नियंत्रण को प्रदर्शित करता है।

अग्रेतर, तटबन्धों के अपूर्ण निर्माण के कारण नदी के किनारों एवं समीपवर्ती गाँवों को बचाने हेतु विभिन्न कटाव–निरोधक कार्यों की आवश्यकता हुई। चयनित जनपदों के अभिलेखों की नमूना–जाँच में निम्नलिखित प्रकरण संज्ञान में आयेः

जनपद लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी के दायें किनारे (नीचे की ओर प्रवाहित धारा डाउनस्ट्रीम) एवं शारदा नदी के बाऐं एवं दाऐं किनारे (नीचे की ओर प्रवाहित धारा) पर अवस्थित संवेदनशील ग्रामों के समूहों की सुरक्षा हेतु दो कटाव निरोधक कार्य स्वीकृत किए गये (2010–11) एवं ₹ 55.44 करोड़ का व्यय, नदियों के किनारों के 11 गाँवों में जियो बैग डाल कर परक्यूपाइन स्टड का निर्माण कराया गया। इन कार्यों को प्रारम्भ करने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि लखीमपुर खीरी में गाँवों की तरफ दो तटबन्धों (अ) शारदानगर से ऐरा पुल (11 गैप) एवं (ब) ऐरा पुल से अम्बरपुर (सात गैप) एवं अम्बरपुर से जालिमनगर (19 गैप) के गैपों से होते हुए नदियों ने अपनी धारा बदल ली थी। यदि तटबन्धों का निर्माण पूर्ण कर दिया गया होता तो इन ग्रामों को बाढ़ से सुरक्षित किया जा सकता था एवं कटाव निरोधक कार्य पर किए गये व्यय ₹ 55.44 करोड़ की बचत की जा सकती थी।




जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नगर से ऐरा पुल बांध के अपूर्ण रहने से (बाएं) ग्रामों में पानी प्रवेश करने के कारण उनकी सुरक्षा हेतु कराये गये आवश्यक कटाव निरोधक कार्य (दायें) (दिनांक 23.06.2014)।

उत्तर प्रदेश शासन नें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया तथा बताया कि ग्रामों को बचाने हेतु तटबन्ध के संरेखण को बदला नहीं जा सकता था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि उपरोक्त वर्णित ग्राम, प्रस्तावित तटबन्धों के पीछे अवस्थित थे एवं यदि तटबन्धों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया होता तो नदियों द्वारा धारा बदलने से आयी बाढ़ से इन ग्रामों को सुरक्षित किया जा सकता था।

इसी प्रकार, बरेली में रामगंगा नदी के बाँयें किनारे पर हाजीपुर से मटियार तटबन्ध का निर्माण (स्वीकृत लागत ₹ 7.42 करोड़, लम्बाई 15.700 किमी) वर्ष 2007–08 में प्रारम्भ किया गया था किन्तु 2.200 किमी के गैप को छोड़ते हुए धन की कमी के कारण बीच में ही (मार्च 2010) कार्य बन्द कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, बाढ़ के समय (अगस्त 2011) रामगंगा नदी, तटबन्ध के पाँच गैपों से ग्रामों में प्रवेश कर गयी एवं ग्रामीणों एवं फसलों को भारी मात्रा में प्रभावित किया। फलस्वरूप, तटबन्ध भी बड़ी मात्रा में क्षतिग्रस्त हुआ। तटबन्ध के क्षतिग्रस्त भाग की बाद में वर्ष 2011–14 की अवधि में पाँच अनुबन्धों के माध्यम से ₹ 2.32 करोड़ की धनराशि व्यय करके मरम्मत करायी गयी। यद्यपि, तटबन्ध को वर्ष 2013–14 में ₹ 5.26 करोड़ धनराशि व्यय करके वर्ष 2013–14 में पूर्ण कराया गया। इस प्रकार, यदि तटबन्ध को समय से पूर्ण कर लिया गया होता तो धनराशि ₹ 2.32 करोड़ को बचाया जा सकता था।

उत्तर प्रदेश शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया एवं बताया कि वर्ष 2011 में आयी उच्च बाढ़ के कारण तटबन्ध क्षतिग्रस्त हो गया था जिसकी मरम्मत बाद में करायी गयी थी।

परियोजनाओं की समय से पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु कार्य की गति बढ़ायी जानी चाहिए।

2.1.10.3 तकनीकी विशिष्टियों एवं मानकों का पालन न करना

(अ) स्परों का अधोमानक निर्माण

आईएस कोड 8408:1994 में उल्लिखित है कि स्परों के बीच की दूरी प्रस्तावित स्पर की प्रभावी लम्बाई के दो से ढाई गुना तक होनी चाहिए।

जनपद बदायूँ में नदी की तरफ उसहत तटबन्ध पर (किमी 13.250 और किमी 13.880) 10 परक्यूपाइन स्पर (प्रत्येक स्पर की लम्बाई 24 मीटर एवं उनके बीच की दूरी 70

स्परों का निर्माण निर्धारित मानकों के विपरीत कराया गया।

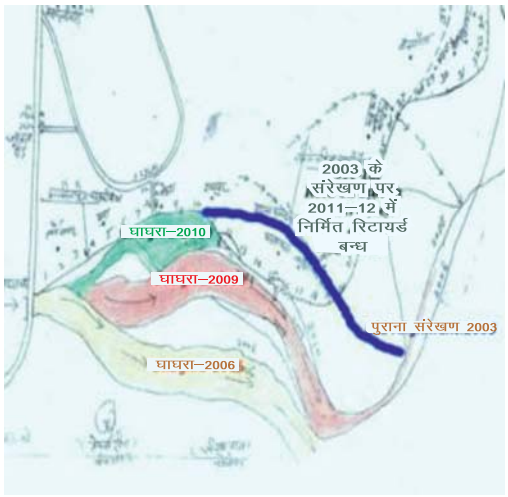
मीटर) के निर्माण की परियोजना का प्रस्ताव (फरवरी 2012) स्वीकृति हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग को प्रेषित किया गया था। गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग ने परियोजना स्वीकृत करते समय (फरवरी 2012) स्परों की लम्बाई घटा कर 12 मीटर तक सीमित कर दिया एवं निर्देशित किया कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्राइंग/प्राक्कलन में यथा आवश्यक बदलाव किये जायें। तद्नुसार स्परों की लम्बाई के सुसंगत (प्रभावी लम्बाई का दो से ढाई गुना), स्परों के मध्य की दूरी (30 मीटर) भी घटायी जानी थी। मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा नहर)[7] द्वारा कोई भी आवश्यक बदलाव न करके, सभी 10 स्परों का निर्माण 70 मीटर के अन्तराल पर (धनराशि ₹ 99.37 लाख) किया गया।

उत्तर प्रदेश शासन नें लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए बताया कि गंगा बाढ़ नियत्रंण आयोग द्वारा स्पर की लम्बाई को कम किया गया किन्तु स्परों के मध्य की दूरी को कम नहीं किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि स्पर की लम्बाई को कम करते समय गंगा बाढ़ नियत्रंण आयोग द्वारा स्पर निर्माण हेतु तकनीकी बदलाव हेतु परियोजना/प्राक्कलन में यथा आवश्यक संशोधनों हेतु स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था। इस प्रकार स्परों का निर्माण, डिजाइन मानदण्डों के विपरीत था जिससे कि तटबन्ध की सुरक्षा हेतु नदी के प्रवाह को तटबन्ध से दूर रखने एवं नदी के बहाव को बदलने के उद्देश्यों को पूर्ण नहीं किया गया।

(ब) उचित सर्वेक्षण के बिना रिटायर्ड तटबन्ध का निर्माण

नदी से उचित दूरी को सुनिश्चित किये बिना रिटायर्ड तटबन्ध के निर्माण के कारण वह असुरक्षित हो गया था।

बाढ़ प्रबन्धन योजनाओं के निर्माण के दिशा–निर्देशों के प्रस्तर संख्या 4.1.1.1 के अनुसार नदी एवं प्रस्तावित तटबन्ध संरेखण के बीच दूरी रखने के लिए नदी के व्यवहार का पर्याप्त अध्ययन एवं तटबन्ध के प्रभाव की पर्याप्त जानकारी आवश्यक होती है।



एल्गिन ब्रिज चरसरी बंध (किमी 10–20) पर घाघरा नदी के समीप ही नदी से बन्ध की दूरी पर विचार किये बिना।

जनपद गोण्डा, बहराइच एवं बाराबंकी के लोगों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के निमित्त, वर्ष 2005–06 में धनराशि ₹ 11.36 करोड़ व्यय कर घाघरा नदी के बाऐं किनारे पर एल्गिन ब्रिज चरसरी बन्धे (लम्बाई 52.400 किमी) का निर्माण किया गया था। एल्गिन ब्रिज चरसरी बन्धे के निर्माण के समय मुख्य अभियन्ता, शारदा सहायक द्वारा बन्ध का संरेखण किमी 10 से 20 के मध्य, बिना प्राधिकार[8] के बदल दिया गया था जिससे बन्ध नदी की तरफ प्रक्षेपित हो गया था। परिणामस्वरूप, बंध असुरक्षित हो गया एवं किमी 14.945 से किमी 16.500 तक में कट गया (अगस्त 2010) था।

[7] मुख्य अभियन्ता, पूर्वी गंगा द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

[8] 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में इस विषय में एक प्रस्तर प्रकाशित हुआ था।

लेखापरीक्षा की संवीक्षा में यह संज्ञान में आया कि एल्गिन ब्रिज चरसरी बन्धे के किमी 10 से 20 के पीछे, वर्ष 2003 में स्वीकृत मूल संरेखण पर ही एक नया रिटायर्ड बन्ध[9] ₹ 5.66 करोड़ के व्यय पर वर्ष 2011–12 में निर्मित किया गया था। यह संज्ञान में होते हुए कि वर्ष 2003 की तुलना में, जब एल्गिन ब्रिज चरसरी बन्धे का मूल संरेखण सुनिश्चित किया गया था, नदी ने अपना प्रवाह बायें तट (डाउनस्ट्रीम) की ओर[10] बदल लिया था, रिटायर्ड बंध के प्रभावी संरेखण को सुनिश्चित करने हेतु, निर्धारित मानदंडो एवं तकनीकी विशिष्टियों का पालन करते हुए, नये सिरे से कार्यवाही आवश्यक थी। उत्तर प्रदेश शासन नें भी इस सम्बन्ध में निर्देशित (फरवरी 2011) किया था कि रिटायर्ड बन्ध का संरेखण सुनिश्चित करते समय, रिटायर्ड बन्ध एवं नदी के मध्य आवश्यक दूरी रखी जाये। खण्ड द्वारा, फिर भी, इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया एवं बन्धे के निर्माण हेतु निर्धारित तकनीकी विशिष्टियों एवं शासन द्वारा इस सम्बन्ध में फरवरी 2011 में निर्गत आदेश की अवहेलना करते हुए, नदी एवं रिटायर्ड बन्धे के मध्य दूरी की वर्तमान स्थिति पर विचार किये बिना मूल संरेखण पर ही रिटायर्ड बन्ध का निर्माण कर दिया गया। परिणामस्वरूप, किमी 11.500 से 19.800 के मध्य रिटायर्ड बन्ध पुनः असुरक्षित हो गया क्योंकि नदी रिटायर्ड बन्ध के अत्यन्त निकट पहुँच (2013) गयी थी। रिटायर्ड बन्ध को बाढ़ से बचाने हेतु इसके विभिन्न रीचों पर कटाव निरोधक कार्यों की ₹ 9.17 करोड़ लागत की दो परियोजनाएँ[11] पुनः सम्पादित (मई–जून 2014) की गयी थी।

इस प्रकार, ₹ 5.66 करोड़ के व्यय से निर्मित रिटायर्ड बंध से क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा का वाँछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ एवं बन्ध की सुरक्षा हेतु पुनः व्यय की आवश्यकता हुई।

उत्तर प्रदेश शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए बताया कि एल्गिन ब्रिज चरसरी बन्धे को वर्ष 2003 में, नदी एवं तटबन्ध के बीच की दूरी रखने के मानदण्डों के अनुसार ही डिजाइन किया गया था एवं नया सर्वेक्षण नहीं कराया गया था। तथ्य यथावत रहा क्योंकि रिटायर्ड तटबन्ध का निर्माण धारा की वर्तमान स्थिति पर विचार करने सम्बन्धी नवीन सर्वेक्षण किये बिना कर दिया गया जिसके फलस्वरूप रिटायर्ड बन्ध पुनः बाढ़ के खतरे से असुरक्षित हो गया तथा परिहार्य व्यय करना पड़ा।

2.1.11 अनुबन्ध प्रबन्धन

अनुबन्ध प्रबन्धन में, प्राक्कलन एवं निविदा प्रपत्रों को तैयार किया जाना, निविदा आमन्त्रण की सूचना, निविदा प्राप्त करना, खोलना एवं उसका मूल्यांकन किया जाना, अनुबन्ध किया जाना, आपूर्ति आदेश निर्गत किया जाना एवं अनुबन्ध के पश्चात अनुबन्धों का क्रियान्वयन किया जाना सम्मिलित है। निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा विशिष्ट आदेश[12] समय–समय पर निर्गत किये गये थे।

लेखापरीक्षा में 11 चयनित जनपदों के नमूना–जाँच वाले 70 कार्यों के 836 अनुबन्धों की संवीक्षा में अनुबन्ध प्रबन्धन से सम्बन्धित निम्नलिखित विसंगतियाँ प्रकाश में आयीं:

[9] पुराने बन्ध के स्थान पर निर्मित बंध।

[10] सितम्बर 2010 में जैसा कि एक तकनीकी समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया था, बालू का ढ़ेर एवं बालू के किनारे नदी में बन गये थे जिसके कारण नदी बांये किनारे की तरफ मुड़ रही थी।

[11] (i) किमी 11.500 से किमी 11.800 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की आगणित लागत 400.00 लाख एवं (ii) आगणित लागत ₹ 516.87 लाख पर रिटायर्ड बंध (एल्गिन ब्रिज चरसरी बंध) के किमी 12.850 से किमी 13.250, किमी 13.450 से किमी 13.650, किमी 15.350 से 15.550, किमी 16.200 से किमी 16.500, किमी 18.450 से किमी 18.800 एवं किमी 19. 600 से किमी 19.800 के मध्य कटाव निरोधक कार्य।

[12] मई 1999, दिसम्बर 2000, अप्रैल एवं अगस्त 2001, जनवरी 2002, फरवरी एवं अप्रैल 2004, नवम्बर 2006 तथा जनवरी 2007।

2.1.11.1 अदक्ष लागत अनुमान

वित्तीय हस्त पुस्तिका, भाग VI के प्रस्तर संख्या 264 एवं 523 में प्रावधान है कि आगणनों को तैयार करने हेतु प्रत्येक प्रकार के कार्य के लिये उस क्षेत्र की वर्तमान न्यूनतम दरों को अंकित करते हुए एक दरों की अनुसूची का रख–रखाव खण्डों में होना चाहिए। प्रमुख अभियन्ता द्वारा निर्गत आदेश (जुलाई 1992) के अनुसार सामग्री दरों के निर्धारण हेतु लोक निर्माण विभाग की अनुमोदित दर अनुसूची में उल्लिखित सामग्रियों की दरें लागू की जायेगी।

चयनित जनपदों के अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालयों तथा खण्डीय कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (फरवरी–जून 2014) में संज्ञान में आया कि दर अनुसूची में विभिन्न सामग्रियों की दरों के निर्धारण हेतु उस क्षेत्र में सामग्रियों की न्यूनतम लागू दरों को प्राप्त करने हेतु न तो कोई क्रियाविधि (जैसे कि बाजार सर्वेक्षण, कोटेशन, दर अनुबन्ध इत्यादि) अपनायी गयी थी और न ही लोक निर्माण विभाग की दरों को लागू किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनपद में समान प्रकृति की सामग्रियों के दरों एवं दरों के विश्लेषण के मानदण्डों में भिन्नता थी। परिणामस्वरूप, अधिक धनराशि का व्यय हुआ जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

(अ) अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा खदान सामग्रियों की ढुलाई हेतु, एक ही क्षेत्र एवं एक ही अवधि में लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची में प्रदत्त दरों से अधिक दरें अनुमोदित की गयी थी। लेखापरीक्षा में आठ चयनित जनपदों में पत्थर बोल्डरों[13] की ढुलाई हेतु लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की दरों की तुलना की गयी तथा यह पाया गया कि 5.95 लाख घनमीटर बोल्डर की खरीद में लोक निर्माण विभाग की अनुमोदित दरों की तुलना में ₹ 26.62 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था। ***(परिशिष्ट–2.1.17)***

उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर में बताया कि लोक निर्माण विभाग की ढुलाई की दरों में चट्टा लगाने की लागत सम्मिलित नहीं थी जबकि उक्त लागत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की दरों में सम्मिलित थी। उत्तर सही नहीं था क्योंकि लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की दरों में ₹ 253.92 से ₹ 573.93 प्रति घनमीटर तक की भिन्नता थी तथा चट्टा लगाने की अतिरिक्त दर (₹ 29.70 प्रति घनमीटर) सम्मिलित करने के बाद भी लोक निर्माण विभाग की दरें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की दरों की तुलना में बहुत कम थी।

(ब) खदान की सामग्रियों का क्रय मूल्य प्रत्येक खदान के सन्दर्भ में न्यूनतम बाजार दर प्राप्त कर के सुनिश्चित किया जाता है। लागत में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये समान प्रकार की सामग्रियों के सन्दर्भ में एक बार सुनिश्चित कर ली गयी दरों को सभी खण्डों द्वारा समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा की संवीक्षा में खण्डों के मध्य एक ही समयावधि में मिर्जापुर/अहिरौरा खदान से पत्थर बोल्डर[14] की खदान दरों में भिन्नता (₹ 275 प्रति घनमीटर से लेकर ₹ 350 प्रति घनमीटर) पायी गयी। तीन चयनित जनपदों के पाँच खण्डों में अधिक दर[15] लागू किये जाने के कारण 3.20 लाख घनमीटर पत्थर के बोल्डर के क्रय में ₹ 0.88 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया ***(परिशिष्ट–2.1.18)***।

[13] बाढ़–निरोधक कार्यों के लिए बहुधा प्रयुक्त सामग्री।
[14] समान भार (20–40 किग्रा) एवं समान विशिष्ट घनत्व (2.65)।
[15] समान अवधि में ली गयी न्यूनतम दर को आधार मानते हुए।

उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर दिया कि प्रत्येक राजस्व मण्डल में खदान भिन्न–भिन्न है, इसीलिये खदान दरें भी भिन्न–भिन्न हैं। उत्तर सही नहीं था क्योंकि उपरोक्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष में पत्थर बोल्डर एक ही खदान (मिर्जापुर/अहिरौरा खदान) से एक ही समयावधि में क्रय किये गये थे। अतः खदान दरों में भिन्नता स्वीकार्य नहीं थी।

(स) दरों की अनुसूची में, पत्थर के बोल्डर की खदान से कार्य–स्थल तक ढुलाई की प्रति किलोमीटर दर भार के सन्दर्भ में निर्धारित की गयी थी। कार्य प्राक्कलनों में ढुलाई की दर को आगणित करने हेतु भार को आयतन में परिवर्तित किया जाता था। लेखापरीक्षा में संज्ञान में आया कि पत्थर के बोल्डर की ढुलाई दरों को आगणित करने के लिए एक मीट्रिक टन भार के लिये 0.71 घनमीटर के परिवर्तन दर के विरूद्ध चार चयनित जनपदों के चार खण्डों द्वारा 0.48 से 0.69 घनमीटर आयतन एक मीट्रिक टन हेतु लिया गया था। इससे पत्थर बोल्डर के आयतन में वृद्धि हुई एवं 1.71 लाख घनमीटर पत्थर बोल्डर की ढुलाई पर ₹ 3.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया ***(परिशिष्ट–2.1.19)।***

उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर दिया कि पत्थर के बोल्डर विभिन्न खदानों से क्रय किये गये हैं एवं प्रत्येक प्रकरण में पत्थर बोल्डर का विशिष्ट घनत्व भी भिन्न–भिन्न हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभागीय नियम पुस्तिका में प्रत्येक प्रकार के पत्थर बोल्डर हेतु परिवर्तन दर 0.71 घनमीटर प्रति मीट्रिक टन निर्धारित है किन्तु खण्डों द्वारा उक्त मानदण्डों का पालन न करके भिन्न–भिन्न परिवर्तन दरें लागू की गयी थीं।

(द) मुख्य अभियन्ता, गण्डक परियोजना, गोरखपुर द्वारा बैरिया ददरी सेमरा तटबन्ध गोरखपुर के किलोमीटर 3.4 से 3.65 के मध्य जियो–बैग का प्रयोग कर लान्चिंग एप्रन के निर्माण एवं ढलानों पर पिचिंग की परियोजना हेतु ₹ 5.86 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (मार्च 2012) प्रदान की गयी थी। अभिलेखों की संवीक्षा से यह संज्ञान में आया कि खण्ड ने कार्य के लिए 0.55 मीटर X 0.55 मीटर के 2,50,840 जियो बैग ₹ 3.10 करोड़ (₹ 123.40 प्रति बैग की दर से) में क्रय किया। यदि बड़े आकार के जियो बैग (1.00 मीटर X 0.75 मीटर/1.09 X 0.69 मीटर) क्रय किये गये होते तो मात्र 87,249 जियो बैगों (निर्धारित दरः ₹ 145.00 प्रति बैग) की आवश्यकता होती। फलस्वरूप जियो बैगों के क्रय पर ₹ 1.83 करोड़[16] की बचत होती। केन्द्रीय जल आयोग ने अपने दिशा–निर्देशों में भी बड़े आकार यथा 1.09 X 0.69 मीटर के जियो बैग के प्रयोग का सुझाव दिया था।

उत्तर प्रदेश शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुये बताया कि बाढ़ सुरक्षा कार्यों में सामान्यतया 1.09 X 0.69 मीटर आकार के जियो बैग उपयोग किये जा रहे थे। प्रकरण यथावत रहा कि छोटे आकार के जियो बैग के उपयोग के कारण उपरोक्त वर्णित कार्य पर अधिक एवं परिहार्य व्यय किया गया था।

2.1.11.2 नामांकन के आधार पर अनुबन्ध/आपूर्ति आदेश

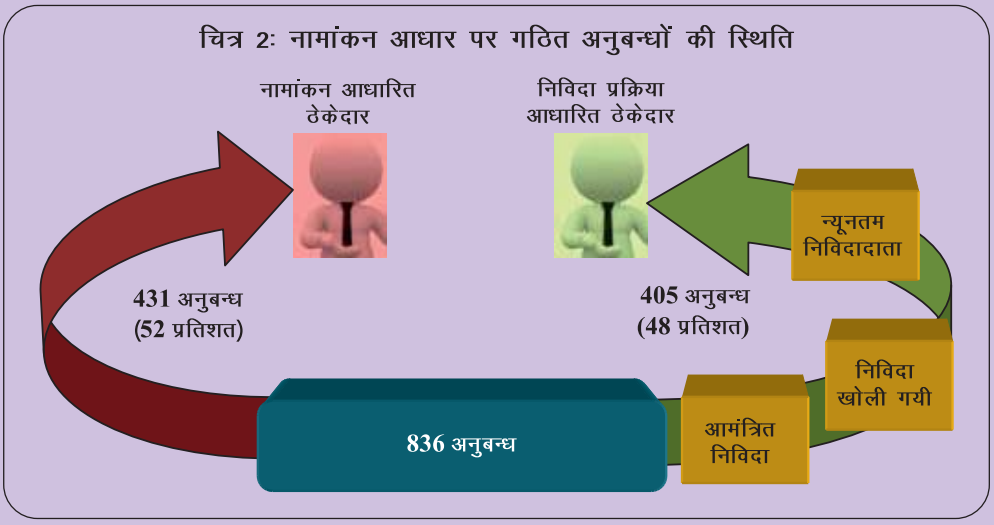
वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रस्तर 356 के अनुसार, कोई भी कार्य अनुबन्ध पर दिये जाने के पूर्व खण्डीय अधिकारी द्वारा अनुबन्ध से सम्बन्धित समस्त कागजात जिसमें कि निविदा प्रपत्र भी सम्मिलित है, तैयार किये जाने चाहिए। वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रस्तर 360 में उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जिसके अनुसार निविदा आमन्त्रित, खोली एवं अन्तिमीकृत की जाती है।

[16] 2,50,840 जियो–बैग की लागत (आकार 0.55 मीटर X 0.55 मीटर), 2,50,840 X 123.40 = ₹ 3.10 करोड़; 87,249 जियो बैग की लागत (आकार 1.00 मीटर X 0.75 मीटर) 87,249 X ₹ 145.00 = ₹ 1.27 करोड़। अतः लागत में अन्तर ₹ 1.83 करोड़ है।

निविदा आमन्त्रित किये बिना नामांकन आधार पर 52 प्रतिशत अनुबन्ध किये गये थे।

प्रतिस्पार्धात्मक निविदाओं से बचने हेतु नमूना–जाँच किये गये 836 अनुबन्धों में से 431 अनुबन्ध (52 प्रतिशत) जिनकी अनुबन्धित लागत ₹ 100.05 करोड़ थी, बिना निविदा के नामांकन आधार पर, निविदा आमन्त्रित करने का समय न होना एवं अत्यावश्यक होना बताकर गठित किये गये थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पाया गया कि उपरोक्त वर्णित 431 में से 133 (31 प्रतिशत) अनुबन्धों की पूर्णता में असाधारण विलम्ब था या इन अनुबन्धों में इनके गठित किये जाने से आठ से 1,691 दिनों के बाद भी कार्य अपूर्ण थे जिसे **चित्र 2** में चित्रित किया गया है एवं जिसका विवरण ***परिशिष्ट–2.1.20*** में अंकित किया गया है।

चित्र 2: नामांकन आधार पर गठित अनुबन्धों की स्थिति



कोटेशन आमन्त्रित किये बिना जियो–बैग के क्रय हेतु आपूर्ति आदेश निर्गत किये गये थे।

अग्रेतर, उत्तर प्रदेश शासन के सामग्रियों के क्रय करने सम्बन्धी आदेश (सितम्बर 2008) का उल्लंघन करके मुख्य अभियन्ता (शारदा), अधीक्षण अभियन्ता (बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी) एवं अधिशासी अभियन्ता (बाढ़ खण्ड, शारदा नगर, लखीमपुर खीरी) द्वारा बिना कोटेशन आमन्त्रित किए ही 12 फर्मों/ठेकेदारों से ₹ 25.35 करोड़ के 23,58,800 जियो बैग, 36 आपूर्ति आदेशों (₹ 36 लाख से लेकर ₹ 223 लाख तक की लागत के) के द्वारा क्रय (जून 2010 से मई 2011) किये गये थे ***(परिशिष्ट–2.1.21)***। किसी भी आपूर्ति आदेश में जियो बैग की आवश्यक तकनीकी विशेषता/गुण, गुणवत्ता जाँच, गारण्टी की शर्ते इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया था एवं समस्त जियो बैगों की आपूर्ति, बिना गुणवत्ता परीक्षण/जाँच के ही, प्राप्त की गयी थी एवं कार्यों पर उनका उपभोग कर लिया गया था।

उत्तर प्रदेश शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

2.1.11.3 विलम्ब हेतु विलम्ब दण्ड अधिरोपित न किया जाना

कार्यो को विलम्ब से पूर्ण करने पर विलम्ब दण्ड नही लगाया गया था।

ठेकेदारों के साथ किये गये अनुबन्ध शर्तों में, कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब होने पर अनुबन्धित मूल्य के 10 प्रतिशत तक का दण्ड अधिरोपित किये जाने की व्यवस्था सम्मिलित थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह उद्घटित हुआ कि 274 अनुबन्ध (अनुबन्धित लागतः ₹ 93.38 करोड़) आठ से 1,691 दिनों तक विलम्बित थे किन्तु ₹ 9.34 करोड़ का विलम्ब दण्ड ***(परिशिष्ट–2.1.22)*** अधिरोपित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, दोषी ठेकेदारों को धनराशि ₹ 9.34 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

उत्तर प्रदेश शासन ने स्पस्ट उत्तर नहीं दिया किन्तु बताया कि यदि ठेकेदार कार्यों के पूर्ण करने में विलम्ब हेतु उत्तरदायी होता है तो उन पर दण्ड अधिरोपित किया जाता

है। यद्यपि उत्तर प्रदेश शासन ने अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।

2.1.11.4 कार्य के एक ही मद हेतु दोहरा भुगतान

ठेकेदार को दोहरा भुगतान किया गया था।

मुख्य अभियन्ता (गण्डक) ने गोरखपुर में अवस्थित हावर्ट बन्ध के स्लोप पर पत्थर बिछाने तथा नीचे के भाग पर लाचिंग एप्रन के निर्माण हेतु ₹ 4.22 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (मई 2011) की थी। अधीक्षण अभियन्ता, गण्डक बाढ़ मण्डल, गोरखपुर ने कार्य सम्पादन हेतु एक ठेकेदार के साथ अनुबन्ध किया (दिसम्बर 2012) था। कार्य में अन्य के अतिरिक्त (i) पत्थर के बोल्डर को बिछाने, डालने का कार्य (अनुबन्धित लागतः ₹ 29.70 लाख) तथा (ii) ईट के रोड़े/झाँवा की आपूर्ति (अनुबन्धित लागतः ₹ 4.56 लाख) सम्मिलित थी। अभिलेखों की जाँच से प्रकाश में आया कि ठेकेदार को भुगतान के समय खण्ड ने ₹ 33.51 लाख[17] का अतिरिक्त भुगतान (i) मिर्जापुर पत्थर के बोल्डर को संग्रहण स्थल से कार्य स्थल तक ढुलाई (₹ 32.44 लाख) तथा (ii) ईट के गिट्टी की तुड़वाई (₹ 1.07 लाख) के एवज में किया, जबकि ये मदें पूर्व वर्णित दो कार्यों अर्थात (i) पत्थर के बोल्डर को बिछानें एवं डालने का कार्य तथा (ii) ईट के रोड़े/झाँवा की आपूर्ति में क्रमशः सम्मिलित थी, इस प्रकार, मिर्जापुर पत्थर बोल्डर की संग्रहण स्थल से कार्य स्थल तक ढुलाई तथा ईट गिट्टी की तुड़वाई हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं था।

उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर में बताया कि पत्थर बोल्डर की संग्रहण स्थल से कार्य स्थल की ढुलाई एवं ईट–गिट्टी की तुड़वाई का कार्य अनुबन्ध में सम्मिलित नहीं था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि ये दोनों कार्य मदें, क्रमशः पत्थर के बोल्डर को बिछाने एवं डालने तथा ईट के रोड़े/झाँवा की आपूर्ति में सम्मिलित थीं।

2.1.12 गुणवत्ता आश्वासन

बाढ़ सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता जाँच से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षो की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है:

2.1.12.1 मिट्टी के कार्यों में मृदा–विश्लेषण नहीं कराया जाना

सामग्रियों की गुणवत्ता जाँच सुनिश्चित नहीं की गयी थी।

बाढ़ प्रबन्धन की योजनाओं के निर्माण के दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 4.1.1.5 में उल्लिखित है कि तटबन्ध के हाइड्रोलिक ग्रेडिएन्ट लाइन को सुनिश्चित करने हेतु, प्रयुक्त की गयी मृदा का विश्लेषण, 12 आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षणों[18] के द्वारा किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा की संवीक्षा में यह संज्ञान में आया कि पाँच चयनित जनपदों के छः मिट्टी के कार्यों (मात्राः 15.10 लाख घनमीटर; व्यय धनराशिः ₹ 18.16 करोड़) में कोई भी प्रयोगशाला परीक्षण नहीं कराया गया था ***(परिशिष्ट–2.1.23)***।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मृदा परीक्षण न कराये जाने के तथ्य को स्वीकार करते हुये बताया गया कि बदायूँ एवं बरेली के तीन तटबन्धों के सन्दर्भ में ग्रेडिएन्ट लाइन बलुई मिट्टी हेतु डिजाईन किया गया था, इसीलिये किसी परीक्षण की आवश्यकता नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि डिजाईन मानदण्डों के अनुरूप मिट्टी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रकार की मृदा का परीक्षण कराया जाना आवश्यक था। अन्य तीन तटबन्धों के सन्दर्भ में शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

[17] (i) एकत्रित किये गये स्थान से कार्य स्थल तक 12,924.61 घनमीटर पत्थर के बोल्डर की ढुलाईः ₹ 32.44 लाख, एवं (ii) 942.49 घन मीटर ईंट के बैलास्ट की तुड़वाई (₹ 1.07 लाख)। अतः कुल भुगतान ₹ 33.51 लाख का हुआ था।

[18] अन्तर्राष्ट्रीय एवं भारतीय मानक कोड 12 प्रकार की प्रयोगशाला जाँच को प्रावधानित करते हैं।

2.1.12.2 जियो टेक्सटाईल सामग्री की गुणवत्ता जाँच

केन्द्रीय जल आयोग ने जियो टेक्सटाईल सामग्रियों के सम्बन्ध में 10 प्रकार की गुणवत्ता जाँच[19], जाँच विधियों के सन्दर्भों एवं अनुमन्यता की सीमाओं के साथ निर्धारित (जून 2012) किया था। ये जाँचें जियो–बैग की अधोमानक आपूर्ति रोकने हेतु निर्धारित किये गये थे। चयनित जनपदों के अभिलेखों की नमूना–जाँच में संज्ञान में आया कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जियो बैग के आपूर्ति के पूर्व अथवा आपूर्ति के पश्चात, उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु कोई क्रियाविधि विकसित नहीं की गयी थी।

अभिलेखों की संवीक्षा में यह अग्रेतर संज्ञान में आया कि दो खण्ड़ो[20] द्वारा जियो बैगों के 54 नमूने {कुल आपूर्तित 33,64,020 जियो बैग (सितम्बर 2010 से जून 2013 के मध्य)} गुणवत्ता जाँच हेतु मुम्बई स्थित एक निजी प्रयोगशाला को भेजे गये थे। लिए गये नमूनों को समस्त आपूर्तियों हेतु प्रतिनिधिक बनाने हेतु किसी वैज्ञानिक तरीके को नहीं अपनाया गया था। सम्बन्धित खण्डों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये 15 जाँच प्रतिवेदनों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उल्लेखित 10 जाँच परीक्षणों में से महत्वपूर्ण पैरा बैगनी विकरण प्रतिरोधक जाँच नहीं करायी गयी थी।

उत्तर प्रदेश शासन ने अपने उत्तर में बताया कि जियो बैग प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु प्रेषित किये गये थे एवं तन्यता शक्ति, द्रव्यमान, तन्यता बढ़ाव, पंचर प्रतिरोध एवं आकार खुलने वाले इत्यादि से सम्बन्धित जाँच कराई गई थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि गुणवत्ता जाँच अपर्याप्त थी एवं जियो बैग की आपूर्ति से सम्बन्धित प्रतिनिधिक नमूने नहीं लिये गये थे।

अग्रेतर, बाढ़ खण्ड, लखीमपुर खीरी में 29,12,070 जियो बैग की खरीद के सापेक्ष सहायक अभियन्ताओं द्वारा ₹ 7.96 करोड़ लागत के 7,49,300 जियो बैग की अधोमानक आपूर्ति हेतु सात ठेकेदारों/फर्म के विरूद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19 जून 2012 को दर्ज करायी गयी थी। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की तिथि तक उल्लिखित जियो बैग कार्यों पर उपभोगित कर लिये गये थे।

उत्तर प्रदेश शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया एवं बताया कि प्रकरण की जाँच की जा रही थी।

कार्यों के अधोमानक निष्पादन को रोकने हेतु सामग्रियों की गुणवत्ता जाँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

2.1.13 पर्यावरणीय सुरक्षा

पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 की उपधारा 3 के क्लाज (डी) के साथ पठित उपधारा (1) एवं धारा 3 (1986 का 29) के उपधारा (2) के क्लाज (v) के प्रावधानों के अनुसार ₹ 50 करोड़ से अधिक लागत की किसी भी परियोजना के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिये पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करके भारत सरकार से पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक है।

[19] भार, तन्यता शक्ति, तन्यता प्रसार, ग्रेब प्रसार, पंचर प्रतिरोधकता, खुलने का आकार, पैराबैगनी किरणों से प्रतिरोधकता, सीबीआर पंचर, ट्रेपेजायड टीयर–शक्ति एंव जल के प्रति परमिबिलिटी।

[20] बाढ़ खण्ड, बदायूँ एंव लखीमपुर खीरी।

तथापि, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा पर्यावरणीय पहलूओं की पूर्ण रूप से उपेक्षा करते हुये अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना वर्ष 2009–13 की अवधि में दो जनपदों में ₹ 50 करोड़ से अधिक लागत की सात परियोजनायें (कुल मूल्य ₹ 768.42 करोड़) प्रारम्भ की गयी थीं ***(परिशिष्ट–2.1.24)*** ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया एवं बताया गया कि ₹ 25 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की स्वीकृति, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा, आवश्यक पर्यावरण अनुमोदन प्राप्त करके की जानी थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन को भारत सरकार से आवश्यक पर्यावरण स्वीकृति सुनिश्चित करना था।

2.1.14 क्षमता विकास

2.1.14.1 अपर्याप्त प्रशिक्षण

बाढ़ प्रबन्धन हेतु कुशल जनशक्ति विकसित करने के लिए भारत सरकार ने अधिकारियों/कर्मचारियों को बाढ़ प्रबन्धन[21] के प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षित करने हेतु विशिष्ट घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करने का सुझाव दिया (अक्टूबर 2011) था।

अभियन्ताओं को दी गयी विशिष्ट प्रशिक्षणों की संख्या न्यून थी।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग नें बाढ़ प्रबन्धन हेतु विशिष्ट घरेलू प्रशिक्षण आयोजित करने पर जोर नहीं दिया। कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के अभिलेखों की संवीक्षा से संज्ञान में आया कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2009–14 की अवधि में कुल आयोजित 100 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में से केवल 15 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ही बाढ़ प्रबन्धन से सम्बन्धित थे जिसमें केवल 65 अभियन्ताओं को ही प्रशिक्षण दिया गया था। यद्यपि कोई भी प्रशिक्षित कर्मी, 11 चयनित जनपदों के खण्ड़ों में नियुक्त नहीं किये गये थे।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष की पुष्टि की गयी लेकिन प्रशिक्षित कार्मिकों को बाढ़ प्रबन्धन कार्यों पर नियुक्त न किये जाने का कोई कारण नहीं बताया।

अभियन्ताओं को प्रभावी बाढ़ प्रबन्धन हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

2.1.14.2 नई प्रौद्योगिकीयों का प्रयोग

योजना आयोग द्वारा सुझाया (अक्टूबर 2011) गया था कि बाढ़ प्रबन्धन हेतु नई प्रौद्योगिकियों, जैसे प्रमुख नदी प्रणालियों के लिए डिजिटल एलिवेशन मॉडल[22], खतरे वाले एवं जल भराव वाले क्षेत्रों का नक्शा तथा केन्द्रीय जल आयोग से 'वीसैट'[23] तंत्र के द्वारा आनलाइन बाढ़ सूचनाओं की स्वतः प्राप्ति का उपयोग किया जाये। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उपरोक्त अनुशंसाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

उत्तर प्रदेश शासन ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया लेकिन बताया कि नई प्रौद्योगिकी पर आधारित बाढ़ प्रबन्धन सूचना तंत्र की स्थापना की पायलट परियोजना एवं नदी के क्रास सेक्शन बनाने इत्यादि के कार्य किये जा रहे हैं।

बाढ़ नियंत्रण के सुदृढ़ प्रबन्धन हेत बेहतर एवं नवीन तकनीकों यथा वीसैट, डिजिटल एलिवेशन मैप को अपनाया जाना चाहिए।

[21] हाइड्रोलोजिकल आँकड़ों का एकत्रीकरण एवं इसका प्रबन्धन, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण, नियोजन एवं परिकल्पन, हाइड्रोलोजिकल अध्ययन, नीति निर्धारण इत्यादि में आधुनिक भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित तकनीकियाँ।

[22] एक प्रणाली जिसमें बाढ़ से सम्बन्धित आँकड़ें पूरी तरह अंकीकृत है।

[23] बहुत सूक्ष्म एपरचर टर्मिनल जो कि नैरो बैण्ड आँकड़ों या ब्राड बैण्ड आँकड़ों को प्रसारित करने में प्रयुक्त होते हैं।

2.1.14.3 प्रबन्धन सूचना प्रणाली का अप्रभावी रहना

प्रबन्धन सूचना प्रणाली का प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया गया था।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा ससमय संरक्षा और राहत उपाय सुनिश्चित करने हेतु बाढ़ से सम्बन्धित सूचनाओं को नागरिक प्रशासन के यथोचित प्राधिकारियों एवं विभागों को सूचित करने हेतु बाढ़ के माड्यूल सहित एक प्रबन्धन सूचना प्रणाली विकसित (नवम्बर 2009) की गयी थी ***(परिशिष्ट–2.1.25)***। नमूना चयनित जनपदों के अभिलेखों की संवीक्षा में संज्ञान में आया कि वांछित उद्देश्य के लिये प्रबन्धन सूचना प्रणाली प्रयोग में नहीं लायी जा रही थी क्योंकि न तो आँकड़े/सूचनायें आनलॉइन अद्यतन किये जा रहे थे एवं न ही प्रबन्धन सूचना प्रणाली से अपेक्षित रिपोर्ट/रिटर्न मार्च 2014 तक तैयार किये जा रहे थे। चयनित जनपदों के खण्डों में स्थापित कम्प्यूटर मुख्यतः टाइपिंग कार्य के लिये प्रयोग किये जा रहे थे एवं लोकल एरिया नेटवर्क इनकी स्थापना की तिथि से निष्प्रयोज्य था।

उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर में बताया कि आँकड़ों/सूचनाओं की आनलाइन प्रविष्टि की जा रही थी। बाढ़ से सम्बन्धित आँकड़े जैसे कि बाढ़ बुलेटिन, विभिन्न नदियों के बाढ़ का स्तर तथा चेतावनी संदेश का आनलाइन प्रेषण किया जा रहा था एवं रिपोर्ट भी तैयार की जा रही थी।

यद्यपि हमने पाया कि चयनित जनपदों में ब्राड बैण्ड के माध्यम से आँकड़े/सूचनायें अद्यतन नहीं की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, प्रबन्धन सूचना प्रणाली से वांछित कई प्रतिवेदन (जैसे कि नदी घाटियों में बाढ़ संवेदी क्षेत्र एवं जीआईएस मैप पर नदी बेसिन में जल मौसम विज्ञान नेटवर्क, संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक बाढ़ कार्यों का विवरण, जल वितरण एवं अवमुक्त करने का विवरण, मौजूदा बाढ़ कार्यों के अभिलेख, वार्षिक प्रवाह प्रतिवेदन इत्यादि) तैयार नहीं किये जा रहे थे।

2.1.15 साक्ष्य एवं दस्तावेजों का अभाव

यह आवश्यक है कि सभी गतिविधियाँ एवं संव्यवहार उचित रूप से अभिलेखित एवं पर्याप्त रूप से साक्ष्यांकित किये गये हों। अभिलेखों की संवीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि नियन्त्रक अभिलेखों का उचित रख–रखाव न करने के कारण अभिलेखीकरण एवं साक्ष्यीकरण अपर्याप्त था। इसके अतिरिक्त, कई महत्वपूर्ण अभिलेख बारम्बार अनुरोध करने के बावजूद लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे लेखापरीक्षा में सम्बन्धित संव्यवहारों को सत्यापित नहीं किया जा सका। विवरण ***परिशिष्ट–2.1.26*** में दिया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर दिया कि अभिलेख पूर्ण किये जा रहे थे एवं आगामी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। प्रकरण यथावत रहा कि अभिलेखीकरण यथोचित नहीं था जिससे साक्ष्यीकरण प्रभावित हुआ था।

2.1.16 अनुश्रवण

अनुश्रवण शिथिल था क्योंकि विभिन्न स्तरों पर यथा शासन, प्रमुख अभियन्ता, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के स्तर पर मासिक रूप से अनुश्रवण बैठकें आयोजित होने के बाद भी, बजट बनाने, व्यय–प्रबन्धन, कार्यों को प्रदान करने, अनुबन्ध–प्रबन्धन, कार्यों के सम्पादन गुणवत्ता–आश्वासन इत्यादि में कमियाँ रहीं। कार्यों की प्रतिवेदिता वास्तविक नहीं थी क्योंकि जो कार्य प्रमुख अभियन्ता के अभिलेखों में पूर्ण दर्शाये गये थे वे चयनित जनपदों के अभिलेखों की नमूना–जाँच में अपूर्ण पाये गये थे। इसके अतिरिक्त, नमूना–जाँच वाले किसी भी खण्ड में सम्पादित कराये गये कार्यों के विस्तृत विवरण

जैसे–सम्पादित कार्य का विवरण, सम्पादन की तिथि, प्रारम्भिक लागत एवं परिवर्धन की लागत इत्यादि को सम्मिलित करते हुए निर्धारित प्रारूप में लॉग बुक नहीं बनायी गयी थी जिससे प्राधिकारी परियोजनाओं की प्रगति के अनुश्रवण करने एवं परियोजनाओं से प्राप्त हुये लाभों को विश्लेषित करने से वंचित रहे।

उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर दिया कि अनुश्रवण बैठकें आवधिक रूप से आयोजित की जा रही थीं। यह भी बताया गया कि सम्पादित कराये गये परियोजनाओं के लाभ का मूल्यांकन भी किया गया था।

2.1.17 निष्कर्ष

- बाढ़ के प्रबन्धन की कोई योजना नहीं थी क्योंकि विभाग द्वारा न तो अपना मास्टर प्लान बनाया गया था और न ही संरचनात्मक/गैर–संरचनात्मक उपायों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, केन्द्रीय जल आयोग एवं भारत सरकार की अनुशंसाओं को अपनाया गया था;

- बाढ़ प्रबन्धन कार्यों के लिए ₹ 2,452.17 करोड़ की धनराशि का व्यय मुख्यतः रिवर ट्रेनिंग कार्य पर, वह भी बिना किसी हाइड्रोलाजिकल एवं मार्फोलोजिकल अध्ययन के किया गया जिसके कारण एक ही/समीपवर्ती स्थलों पर बार–बार कटाव निरोधक कार्य किये गये जो कि लम्बी अवधि का समाधान नहीं था;

- कार्य आदेशित करने से कार्य के पूर्ण किये जाने तक की प्रक्रियाओं में कमियों के प्रकरण थे;

- विभाग के पास, प्रारम्भ किये गये कार्यों के सापेक्ष, पूर्ण कर दिये गये कार्यों की स्थिति दर्शाने वाले अभिलेख नहीं थे। समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में से मात्र 42 प्रतिशत कार्य, वह भी एक से चार वर्ष के विलम्ब से प्रारम्भ किये गये। चयनित जनपदों में प्रारम्भ हुई परियोजनाओं में से 69 प्रतिशत परियोजनाएँ स्वीकृति की तिथि के एक से 11 वर्षो के बाद भी पूर्ण नहीं हुई थीं;

- सामग्रियों की गुणवत्ता–जाँच करने हेतु प्रणाली अधिकांशतः अनुपस्थित थी;

- विभाग ने मानव एवं तकनीकी क्षमता का विकास नहीं किया था क्योंकि अभियन्ताओं को विशिष्ट प्रशिक्षण नहीं प्रदान किया गया था एवं प्रबन्धन सूचना प्रणाली प्रभावी ढ़ंग से उपयोग नहीं की गयी थी; और

- अनुश्रवण शिथिल था क्योंकि कार्यों के सम्पादन की प्रगति, सम्पादित कार्यों का संरचनावार विवरण इत्यादि जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएँ विभाग के पास उपलब्ध नहीं थीं।

समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम–
शारदा सहायक



सिंचाई एवं
जल संसाधन विभाग

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

2.2 समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम–शारदा सहायक

कार्यकारी सार

समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम केन्द्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रुप में 1974 में शुरू किया गया जिसका उद्देश्य सृजित सिंचाई क्षमता एवं प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के अन्तर को कम करके कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता की बढ़ोत्तरी करके कृषकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का उन्नयन करना था। कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्न तथ्य उद्घटित हुये:

वित्तीय प्रबन्धन

- प्रक्षेप विकास कार्य पर कुल व्यय की तुलना में 20 प्रतिशत के मानक के सापेक्ष स्थापना पर व्यय, लगभग 100 प्रतिशत रहा;

(प्रस्तर 2.2.2.2)

आयोजना

- सतह एवं भूगर्भ जल के दोहरे प्रयोग एवं लघु सिंचाई टैंक पुनःस्थापना आदि संबंधी योजना नहीं बनाई गयी थी;

(प्रस्तर 2.2.3.2)

- उत्पादकता बढ़ाने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग का लक्ष्य नियोजन के अभाव में अप्राप्त रहा;

(प्रस्तर 2.2.3)

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम का क्रियान्वयन

- निर्मित सम्पत्ति के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु निधि का प्रावधान न किये जाने से 24,525.52 किमी कच्ची गूल, 4,202.34 किमी पक्की गूल एवं 2,723.06 किमी क्षेत्र ड्रेन क्षतिग्रस्त हो गयी थी;

(प्रस्तर 2.2.4.4)

- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रक्षेत्र विकास कार्य की प्रगति 21 से 92 प्रतिशत तक कम रही;

(प्रस्तर 2.2.4.5)

- 1,688.987 किमी पक्की गूलों के निर्माण में 1.89 करोड़ अधिक ईंटों का प्रयोग कर ₹ 7.94 करोड़ अधिक व्यय किया गया;

(प्रस्तर 2.2.4.5(स)

- शारदा सहायक नहर प्रणाली में परिकल्पित क्षमता के सापेक्ष सिंचन हेतु 60 प्रतिशत कम जल उपलब्ध था जिससे सृजित सिंचन क्षमता के उपभोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा; एवं

(प्रस्तर 2.2.4.10)

- नहर प्रणाली के दोष के कारण 45.39 लाख हेक्टेयर की कुल सृजित क्षमता के सापेक्ष 14.79 लाख हेक्टेयर में जल उपलब्ध नहीं था। नमूना परीक्षित शारदा एवं शारदा सहायक नहर परियोजना के अंतर्गत सृजित (32.87 लाख हेक्टेयर) एवं प्रयुक्त (9.10 लाख हेक्टेयर) कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के 72 प्रतिशत अन्तर (23.77 लाख हेक्टेयर) को भरा नहीं जा सका।

(प्रस्तर 2.2.5)

2.2.1 प्रस्तावना

समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1974 में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सृजित एवं प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के अन्तर को कम करके कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन के उद्देश्य से आरम्भ किया गया था। समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम को फरवरी 2004 में पुनर्संगठित कर नवीन नामकरण 'समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम' किया गया। उत्तर प्रदेश समादेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अंतर्गत तीन समादेश क्षेत्रों, शारदा सहायक, राम गंगा एवं गंडक समादेश का गठन (1973–74) किया गया। इनमें से गण्डक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना वर्ष 1990 में बन्द कर दी गयी। वर्तमान में राम गंगा एवं शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण प्रदेश में संचालित हैं। शासन स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी अनुश्रवण हेतु वर्ष 1998–99 में गठित 'भूमि विकास एवं जल संसाधन' विभाग का विलय 'सिंचाई विभाग' में किया गया तथा इसका नाम 'सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग' कर दिया गया (अप्रैल 2014) । समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के मुख्य क्रियाकलाप प्रक्षेत्र कार्यों का सर्वेक्षण, आयोजना एवं डिज़ाइनिंग, गूलों का निर्माण, खेतों मेड़ों का पुनर्गठन, खेतों की भूमि का समतलीकरण एवं सही आकार प्रदान करना, वाराबन्दी[1], क्षेत्र, मध्यवर्ती एवं सम्पर्क ड्रेन्स का निर्माण, जलभराव क्षेत्रों का उपचार, नहर प्रणाली के दोषों में सुधार एवं बायो–ड्रेनेज आदि थे ***(परिशिष्ट–2.2.1)***।

मार्च 2013 में सृजित एवं प्रयुक्त सिंचाई क्षमता क्रमशः 124.95 लाख हेक्टेयर एवं 64.22 लाख हेक्टेयर थी। इस प्रकार सृजित एवं प्रयुक्त सिंचाई क्षमता में 60.73 लाख हेक्टेयर का अन्तर[2] था। समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 1973–74 में शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) का राज्य में गठन हुआ तथा नवम्बर 1976 में उत्तर प्रदेश समादेश क्षेत्र विकास अधिनियम पारित किया गया। समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य में दो प्राधिकरणों शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) एवं रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। प्राधिकरण मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा है जहां कृषक सामाजिक एवं आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं।

2.2.1.1 संगठनात्मक ढांचा

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का संगठनात्मक ढाँचा ***परिशिष्ट–2.2.2*** में दर्शाया गया है। प्राधिकरण स्तर पर आयुक्त–सह–प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं, उनकी सहायता हेतु मुख्यालय स्तर पर एक संयुक्त निदेशक एवं एक उप निदेशक, मंडल स्तर पर दस उप निदेशक एवं जनपद स्तर पर 44 भूमि संरक्षण अधिकारी नियुक्त हैं।

[1] कृषकों की सहमति से उनकी जोतों के आकार के अनुसार पानी के वितरण हेतु दिन एवं समय का निर्धारण।
[2] स्रोतः आय–व्ययक, सिंचाई विभाग, वर्ष 2013–14।

2.2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्याः

- वित्तीय प्रबन्धन प्रभावकारी व पर्याप्त था जिससे कि निधि की समय से उपलब्धता तथा इसके प्रभावकारी उपयोग को सुनिश्चत किया जा सके;

- समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु योजना की प्रक्रिया पर्याप्त थी;

- समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के विभिन्न घटकों का क्रियान्वयन दिशा–निर्देशों के अनुरूप था तथा शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त हुये; एवं

- कार्यक्रम के दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तन्त्र स्थापित था।

2.2.1.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के मापदण्ड हेतु निम्नलिखित स्रोत थेः

- समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम हेतु निर्गत दिशानिर्देश, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देश, परिपत्र/निर्देश एवं आदेश;

- बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम, वार्षिक कार्य योजना, सर्वेक्षण/अध्ययन प्रतिवेदन, भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमाणित डिज़ाइन एवं प्राक्कलन;

- योजना विभाग के कृषि एवं सिंचाई के आंकड़े; एवं

- समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम संबंधी परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं परियोजना पूर्णता प्रतिवेदन।

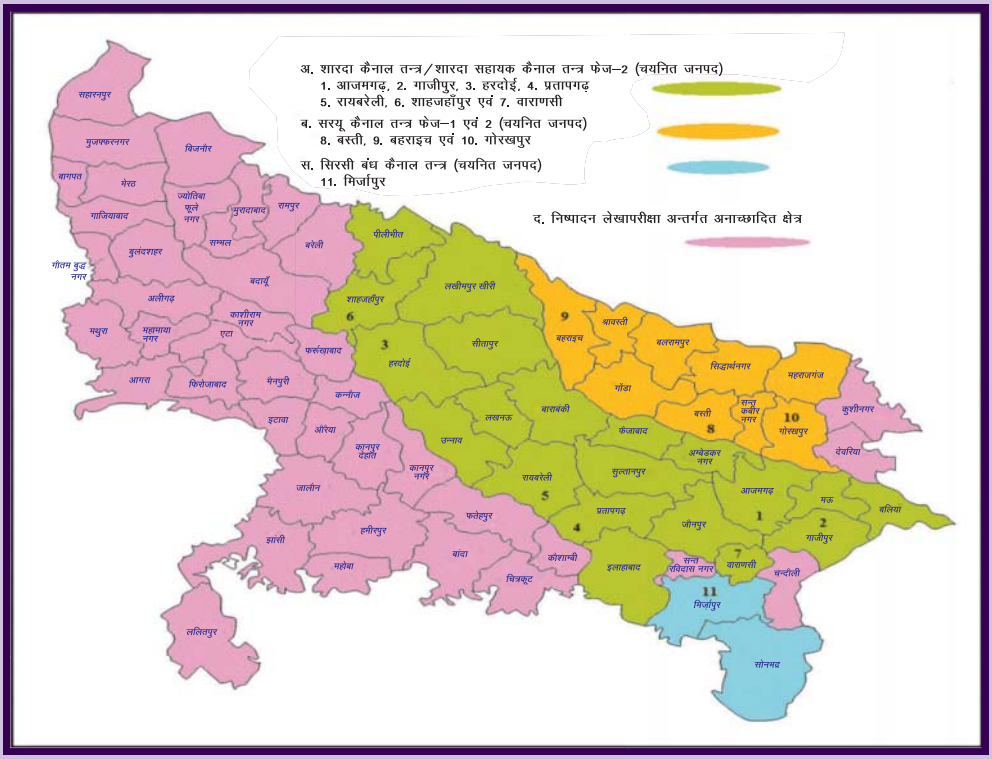
2.2.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं क्रियाविधि

शारदा सहायक–समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि अप्रैल 2009 से मार्च 2014 तक थी। निष्पादन लेखापरीक्षा में, शारदा सहायक–समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत चार संचालित[3] परियोजनाओं एवं एक पूर्ण[4] परियोजना की नमूना–जाँच की गयी। समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम से आच्छादित (दिसम्बर 2013) 32 जनपदों में से 11 जनपदों ***(परिशिष्ट 2.2.3)*** को नमूना–जाँच हेतु चयनित किया गया जैसा कि निम्नवत मानचित्र में दर्शाया गया है।

[3] शारदा नहर प्रणालीः 16.13 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र, सरयू नहर प्रणाली फेज–II: 2.80 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र, शारदा सहायक प्रणाली भाग–IIः 3.30 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र एवं सिरसी नहर प्रणालीः 0.45 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र।

[4] सरयू नहर प्रणाली फेज–I, वर्ष 2009–10 में पूर्ण।

नमूना चयनित जनपदों को दर्शाते हुये उत्तर प्रदेश का मानचित्र



प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग; आयुक्त–सह–प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण; एवं प्रशासक, परियोजना क्रियाविधि कोर टीम के साथ–साथ उप–निदेशकों एवं भूमि संरक्षण अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना–जाँच की गई। लेखापरीक्षा परिणामों की पुष्टि हेतु पांच प्रतिशत कुलाबों[5] का स्थलीय सत्यापन, संयुक्त भौतिक निरीक्षण, लाभार्थियों के साक्षात्कार एवं फोटोग्राफ लिये गये।

परिचयात्मक बैठक (अप्रैल 2014) में प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मापदण्ड, कार्यक्षेत्र एवं क्रियाविधि आदि पर चर्चा की गयी। लेखापरीक्षा परिणाम पर सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के साथ समापन बैठक (नवम्बर 2014) में चर्चा की गयी। शासन का उत्तर नवम्बर 2014 में प्राप्त हुआ जिसे समुचित रुप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया।

2.2.2. वित्तीय प्रबन्धन

2.2.2.1 वित्तीय रुपरेखा

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम केन्द्रीय पुरोनिधनित कार्यक्रम है तथा व्यय अंश केन्द्र एवं राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में विभाजित है, साफ्टवेयर घटक हेतु यह अनुपात 75:25 है। प्रक्षेत्र विकास कार्य एवं जल भराव क्षेत्र के उपचार संबंधी कार्यों हेतु राज्यांश में 10 प्रतिशत कृषक अंश सम्मिलित है। समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों[6] के अनुसार केन्द्रीय सहायता दो किश्तों में देय थी। विगत वित्तीय वर्ष में केन्द्रांश के रुप में निर्गत अनुदान तथा राज्यांश से किये गये व्यय का उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने के उपरांत वर्तमान वर्ष में देय कुल अनुदान का

[5] जिन पर वर्ष 2009–14 की अवधि में प्रक्षेत्र विकास कार्य निष्पादित कराया गया।
[6] जुलाई 2010 में निर्गत एवं 2008–09 से 2011–12 तक लागू।

70 प्रतिशत अवमुक्त किया जाना था। प्रथम किश्त के 70 प्रतिशत का उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत अवशेष 30 प्रतिशत अवमुक्त किया जाना था।

2.2.2.2 कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निधियों की प्राप्ति एवं उपभोग

वित्तीय वर्ष 2009–14 के मध्य समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के विभिन्न क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु निधियों का प्रावधान, अवमुक्ति एवं उपभोग **सारणी–1** में निम्नवत् दर्शाया गया है।

सारणी 1: निधियों के बजट प्रावधान, अवमुक्ति एवं उपभोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	प्राधिकरण में उपलब्ध आरंभिक अवशेष	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया गया बजट प्रावधान	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवमुक्त निधि	प्राधिकरण के पास उपलब्ध निधि (2+4)	व्यय	प्राधिकरण में उपलब्ध अंतिम अवशेष (5-6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2009-10	0.37	40.03	34.87	35.24	34.91	0.33
2	2010-11	0.33	35.42	35.42	35.75	35.42	0.33
3	2011-12	0.33	71.20	71.20	71.53	60.31	11.22
4	2012-13	11.22	56.90	56.90	68.12	61.20	6.92
5	2013-14	6.92	38.85	38.85	45.77	37.82	7.95
		योग	**242.40**	**237.24**	**256.41**	**229.66**	

(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

जाँच में उद्घटित हुआ किः

राज्य सरकार द्वारा समतुल्य राज्यांश का कम प्रावधान किया जाना

राज्य सरकार द्वारा ₹ 33.09 करोड़ कम अंशदान दिया गया।

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों (2005) के अनुसार प्रक्षेत्र विकास कार्यों पर व्यय केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाना था। राज्यांश में 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान सम्मिलित था। आधिक्य व्यय, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। नमूना–जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009–14 की अवधि में प्रक्षेत्र विकास कार्यों पर केन्द्रांश के रूप में ₹ 144.06 करोड़[7] व्यय किया गया। अतः समान राज्यांश 10 प्रतिशत कृषक अंश के साथ राज्य सरकार द्वारा देय था। परन्तु, राज्य सरकार द्वारा मात्र ₹ 110.97 करोड़[8] दिया गया। अतः उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ₹ 33.09 करोड़[9] ***(परिशिष्ट–2.2.4)*** कम राज्यांश दिये जाने के कारण वर्ष 2009–14 की अवधि में कार्यक्रम की उपलब्धि कम रही जैसा कि प्रस्तर संख्या 2.2.4 में वर्णित है।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि प्राधिकरण को अवमुक्त निधियों में स्थापना एवं कार्य मद शामिल हैं। यह भी बताया गया कि वर्ष 2013–14 में केन्द्रांश प्राप्त नहीं हुआ। ₹ 23.84 करोड़ केन्द्रांश अभी प्राप्त होना है जिसके जिसके द्वारा ₹ 23.84 करोड़ राज्यांश सुमेलित हो जाएगा।

[7] कुल ₹ 180.08 करोड़ केन्द्रांश में से ₹ 36.02 करोड़ (20 प्रतिशत स्थापना व्यय) के अतिरिक्त ।
[8] कृषक अंशः ₹ 25.37 करोड़ एवं राज्यांशः ₹ 85.60 करोड़।
[9] कृषक अंश में ₹ 3.44 करोड़ एवं राज्यांश में ₹ 29.65 करोड़ की कमी।

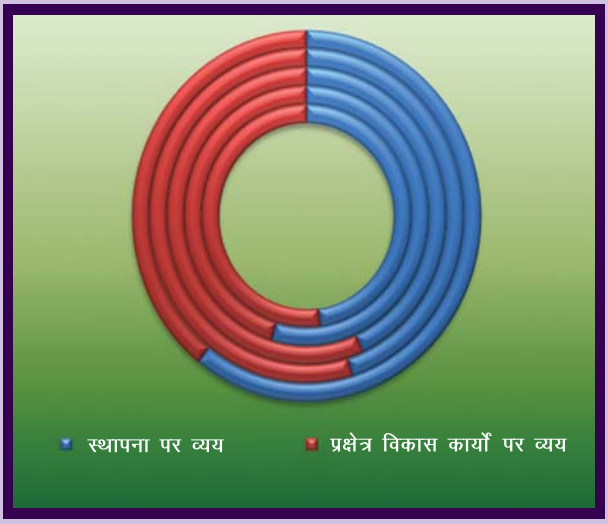
उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वर्ष 2013–14 के केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति, वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष प्रेषित उपभोग प्रमाण–पत्र के आधार पर होनी थी तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यों पर व्यय के सापेक्ष सुमेलित राज्यांश भी अवमुक्त नहीं किया गया था।

कार्यक्रम के त्वरित क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा सुमेलित अंश अवमुक्त किया जाना चाहिये।

स्थापना पर अधिक व्यय

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों (2005) के अनुसार स्थापना व्यय, समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के तीन घटकों (गूलों का निर्माण; क्षेत्र, मध्यवर्ती एवं सम्पर्क ड्रेन्स; एवं जल भराव क्षेत्र उपचार) पर कुल व्यय का 20 प्रतिशत रखा जाना था। स्थापना व्यय केन्द्र एवं राज्य के मध्य 50:50 के अनुपात में वहन किया जाना था। आधिक्य व्यय, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

चित्र 1: स्थापना पर आधिक्य व्यय



नमूना–जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2009 से 2014 की अवधि में समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम पर कुल व्यय (₹ 229.66 करोड़) के सापेक्ष स्थापना व्यय बहुत अधिक ₹ 229.93 करोड़, लगभग 100 प्रतिशत (77 से 154 प्रतिशत के मध्य) था ***(परिशिष्ट 2.2.5)***।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि स्थापना व्यय वचनबद्ध व्यय था तथा कार्य मद में प्रस्ताव के सापेक्ष केवल 37 प्रतिशत धनराशि प्राप्त हुयी थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार को कार्य मद में व्यय को बढ़ाते हुये इसे स्थापना व्यय के सापेक्ष 80:20 के अनुपात में करना था।

सरकार द्वारा प्रक्षेप विकास कार्य पर किये गये व्यय के सापेक्ष स्थापना पर व्यय हेतु निर्धारित मानकों का पालन किया जाना चाहिये।

अपर्याप्त बजट प्रावधान

₹ 634.53 करोड़ की कुल आवश्यकता के सापेक्ष, शासन द्वारा मात्र ₹ 242.40 करोड़ (38 प्रतिशत) का प्राविधान किया गया।

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों (2005) के अनुसार स्थापना लागत को न्यूनतम रखा जाना था। दिशा–निर्देशों में दिये गये सुझाव के अनुसार स्थापना लागत को कम करने के क्रम में शासन द्वारा समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम हेतु बजट को वास्तविक रूप से बढ़ाया जाना था। जबकि 2009–14 की अवधि में शासन ने समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम हेतु बजट प्रावधान नहीं बढ़ाया। अग्रेतर, समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों (2005) के अनुसार वित्तीय आवश्यकताओं एवं भौतिक लक्ष्यों को वर्षवार चरणबद्ध किया जाना था जिसके सापेक्ष शासन द्वारा समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के सम्पादन हेतु समादेश क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं नियोजन किया गया

था। यह पाया गया कि 2009–14 की अवधि में सर्वेक्षित एवं नियोजित क्षेत्र में प्रक्षेत्र कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक ₹ 634.53 करोड़ के सापेक्ष शासन द्वारा मात्र ₹ 242.40 करोड़ (38 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया था ***(परिशिष्ट–2.2.6)***।

उत्तर में शासन द्वारा स्वीकार किया गया कि आवश्यकता के सापेक्ष मात्र 37 प्रतिशत निधि प्राधिकरण को अवमुक्त की गयी।

2.2.2.3 वास्तविक उपभोग के बिना ही उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण

भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया था कि उपभोग प्रमाणपत्र के साथ यह प्रमाणपत्र देना होगा कि 'उपभोग प्रमाण पत्र में इंगित व्यय में वह धनराशि शामिल नहीं हैं जो वैयक्तिक लेखा खाता, सिविल डिपाजिट आदि में अप्रयुक्त पड़ी हैं तथा अन्तिम व्यय मान ली गयी हैं'। यह पाया गया कि 2009–14 की अवधि में नमूना परीक्षित 11 में से 10 जनपदों की जल प्रबन्ध समितियों के खातों में ₹ 8.62 करोड़ ***(परिशिष्ट–2.2.7)*** अंतरित किये गये थे। इनमें से ₹ 1.50 करोड़ (वर्ष 2009–14 की अवधि में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 9.67 लाख से ₹ 60.55 लाख के मध्य) जल प्रबन्ध समितियों के बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़ी थीं जिसे भारत सरकार को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषित करते समय अन्तिम व्यय मान लिया गया था।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि जल प्रबन्ध समितियों के खातों में अवशेष नगण्य था तथा उपभोग प्रमाणपत्र पूर्ण कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रतिवेदन के आधार पर प्रेषित किये गये थे।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ₹ 9.67 लाख से ₹ 60.55 लाख तक की निधियाँ जल प्रबन्ध समितियों के खातों में वर्ष 2009–14 की अवधि में प्रत्येक वर्ष के अंत में अप्रयुक्त पड़ी थीं।

2.2.2.4 वित्तीय विसंगतियाँ

रोकड़ बही

ग्यारह नमूना परीक्षित जनपदों में से पांच जनपदों के आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा रखरखाव किये गये अभिलेखों की नमूना–जाँच में पाया गया कि भूमि संरक्षण अधिकारियों एवं उप निदेशकों द्वारा प्रस्तुत बीजकों के सापेक्ष प्राप्त चेकों को आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर रखी गयी रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, उक्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा 2009–14 की अवधि में संव्यवहारों को रोकड़ बही में अंकित किये बिना ही ₹ 16.82 करोड़ ***(परिशिष्ट–2.2.8)*** वितरित कर दिया गया।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि समस्त बीजक संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों की रोकड़ बही में अंकित किये जाते हैं। उत्तर सही नहीं था, क्योंकि उल्लिखित बीजक लेखापरीक्षा के समय तक आहरण वितरण अधिकारियों की रोकड़ बहियों में अंकित नहीं किये गये थे।

विभागीय प्राप्तियों एवं ब्याज का अनियमित उपभोग

शासनादेश (मई 1979) में उल्लिखित है कि विभागीय प्राप्तियों को बिना देरी किये शासकीय खाते में जमा किया जाना चाहिये। नमूना–जाँच में पाया गया कि भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा निविदा प्रपत्रों की बिक्री से प्राप्त ₹ 5.44 लाख ***(परिशिष्ट–2.2.9)*** अनियमित रूप से आकस्मिक व्यय के रूप में उपभोग कर लिये गये थे। उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अनुसार प्राधिकरण को 'परियोजना

आयुक्त सह प्रशासक एवं मुख्य वित्तीय सलाहकार के वेतन एवं भत्तों के भुगतान पर परियोजना निधि से ₹ 1.25 करोड़ का अनियमित उपयोग (2009–14) किया गया जिनके पद पूर्व से ही स्वीकृत थे।

निधि' नाम से एक निधि रखनी थी। प्राधिकरण द्वारा स्वयं अथवा उसकी ओर से लिये गये उधार के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि इस निधि में रखी जानी थी। अग्रेतर, भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा वर्ष 2009–14 के दौरान प्रक्षेत्र विकास कार्यों के खातों में अर्जित ब्याज ₹ 4.35 करोड़ *(परिशिष्ट–2.2.10)* परियोजना निधि में प्रेषित किये गये। परियोजना निधि से ₹ 1.25 करोड़ प्राधिकरण के आयुक्त–सह–प्रशासक एवं मुख्य वित्तीय सलाहकार, जिनके पद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व से ही स्वीकृत थे, के वेतन एवं भत्तों के भुगतान पर अनियमित रूप से उपभोग कर लिया गया ।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि आयुक्त–सह–प्रशासक के वेतन एवं भत्ते का भुगतान अर्जित ब्याज से न कर प्राधिकरण खाते से किया गया था।

उत्तर सही नहीं था क्योंकि आयुक्त–सह–प्रशासक के वेतन एवं भत्ते का भुगतान प्राधिकरण खाते से किया जाना अनियमित था तथा इनके वेतन एवं भत्ते का भुगतान नियमित बजट से किया जाना चाहिये था।

2.2.2.5 दुर्विनियोजित निधि की वसूली न किया जाना

कार्मिकों द्वारा ₹ 1.61 करोड़ की निधि दुर्विनियोजित की गयी।

नमूना चयनित जनपदों एवं प्राधिकरण के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जनपदीय इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2009–14 के मध्य ₹ 1.61 करोड़ लागत की सामग्रियों का दुर्विनियोजन किया गया था। इसमें से चोरी एवं कपटपूर्ण ढंग से समायोजित दर्शायी गयी सामग्री, जिसकी लागत क्रमशः ₹ 91.29 लाख एवं ₹ 18.86 लाख थी, की वसूली के आदेश नमूना परीक्षित जनपदों क्रमशः हरदोई एवं वाराणसी से सम्बन्धित थे। जबकि यह पाया गया कि वर्ष 2009–14 की अवधि में मात्र ₹ 10.64 लाख (सात प्रतिशत) की वसूली की गयी थी।

भूमि संरक्षण अधिकारी, गाजीपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा वर्ष 2012–13 में ₹ 2.23 करोड़ (सामग्री क्रयः ₹ 1.58 करोड़, सामग्री की ढुलाई एवं जलापूर्तिः ₹ 0.22 करोड़, एवं जल प्रबन्ध समितियों के खातों से आहरणः ₹ 0.43 करोड़) का दुर्विनियोग किया गया।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं तथा विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति में है।

2.2.3 आयोजना

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 4.1 के अनुसार समादेश में व्यवस्थित विकास के लिये शासन द्वारा समस्त क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुये एक समग्र परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना आवश्यक था। हमने पाया किः

2.2.3.1 आंकड़ों के सत्यापन के बिना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना

अन्य विभागों से प्राप्त आंकड़ों की अनुकूलता का सत्यापन नहीं किया गया।

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम दिशानिर्देशों के प्रस्तर 4.1 के अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में भौगोलिक क्षेत्रफल, फिज़ियोग्राफी, टोपोग्राफी, मृदा सर्वेक्षण के आंकड़े, मृदा सिंचनता, भू–क्षमता तथा कमियों के निवारण के उपचारी उपायों को सम्मिलित किया जाना था। यह पाया गया कि समीक्षा अवधि में प्रक्षेत्र विकास कार्यों की आयोजना एवं क्रियान्वयन हेतु प्राधिकरण द्वारा पाँच विस्तृत

परियोजना प्रतिवेदन[10] तैयार किये गये थे। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की नमूना–जाँच में पाया गया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में सम्मिलित आंकड़ों का स्रोत सिंचाई, कृषि एवं भूगर्भ जल आदि विभाग थे। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकरण ने न तो स्वयं आंकड़े संकलित किये और न ही अन्य विभागों से प्राप्त इन आंकड़ों की अनुकूलता का सत्यापन किया। फलस्वरूप, तीन नमूना चयनित जनपदों के भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा प्रक्षेत्र विकास कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान 116 कुलाबे[11] कार्य योग्य नहीं पाये गये। प्राधिकरण द्वारा एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया किन्तु बाद (अक्टूबर 2010) में पाया गया कि शारदा नहर प्रणाली के 16.13 लाख हेक्टेयर में से 5.52 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र कार्य योग्य नहीं था। इस प्रकार, लाभार्थी कृषक सिंचाई के लाभ से वंचित रहे।

तथ्यों को स्वीकार करते हुये प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि इसके द्वारा मुख्यतः प्रक्षेत्र विकास कार्य सम्पादित कराये गये थे। शासन द्वारा प्रकरण पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी।

2.2.3.2 विभिन्न घटकों हेतु आयोजना का अभाव

सतह एवं भूगर्भ जल का सम्मिलित उपयोग, लघु सिंचाई टैंकों का पुर्नप्रतिष्ठापन, भूमि का समतलीकरण, आकारीकरण एवं माइक्रो/स्प्रिंकलर परियोजनाओं की आयोजना नहीं की गयी थी।

सतह एवं भूगर्भ जल का सम्मिलित उपयोग, लघु सिंचाई टैंक का पुर्नप्रतिस्थापन, भूमि का समतलीकरण, आकारीकरण एवं माइक्रो/स्प्रिंकलर परियोजनाएं समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक थे, जिनकी निम्नवत् विवरण के अनुसार आयोजना नहीं की गयी थीः

- समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 5.16 में उल्लिखित है कि एकीकृत विकास एवं प्रबन्धन के लिए सतह एवं भूगर्भ जल के सम्मिलित उपयोग का नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, जो कि जल भराव, लवणीयता, क्षारीयता इत्यादि से बचाव के लिये सतही जल का पूरक होने एवं भूगर्भ जल–स्तर पर नियंत्रण स्थापित करने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की नमूना–जाँच में उद्घटित हुआ कि जल के सम्मिलित उपयोग की योजना नहीं बनायी गयी थी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि सतह एवं भूगर्भ जल के सम्मिलित उपयोग हेतु मुफ्त छिद्रण कार्यक्रम लघु सिंचाई विभाग द्वारा चलाया गया था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि न तो यह विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में सम्मिलित था और न ही लघु सिंचाई विभाग से समन्वय स्थापित कर इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया गया था।

- अपर्याप्त अनुरक्षण एवं अन्य कारणों[12] से मौजूदा लघु सिंचाई टैंकों की सिंचाई क्षमता में कमी आयी। समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों में ऐसे समस्त टैंकों के पुर्नप्रतिस्थापन व पुनःआकारीकरण करने एवं इन्हें परियोजनाओं के सिंचाई समादेश में एकीकृत करने का प्रावधान है। नमूना–जाँच में पाया गया कि न तो स्थापित लघु सिंचाई टैंकों की संख्या सुनिश्चित करने हेतु सर्वेक्षण किया गया और न ही उनके पुर्नप्रतिस्थापन और पुनःआकारीकरण की कोई योजना तैयार की गयी थी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु सिंचाई टैंक का पुर्नप्रतिस्थापन वर्ष 2008–09 के बाद अनुमन्य नहीं

[10] शारदा सहायक नहर प्रणाली फेज-II (वर्ष 2009–10), शारदा नहर प्रणाली (वर्ष 1989–90), सरयू नहर प्रणाली फेज-I (वर्ष 1997–98) एवं II (वर्ष 2009–10) एवं सिरसी बांध नहर प्रणाली (वर्ष 2010–11) में।

[11] आजमगढ़: 48 कुलाबे, गोरखपुरः 44 कुलाबे एवं वाराणसीः 24 कुलाबे।

[12] सिल्टिंग, अतिक्रमण, विभिन्न संरचनाओं को क्षति, अपर्याप्त अतिरिक्त व्यवस्थाएं आदि।

था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इस घटक हेतु केन्द्रीय सहायता को यद्यपि बन्द कर दिया गया था फिर भी इसे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था जिसका क्रियान्वयन नहीं किया गया था।

- भूमि समतलीकरण एवं आकारीकरण का घटक योजना का प्रभावी एवं अभिन्न अंग था क्योंकि यह जल, श्रम एवं ऊर्जा उपयोग की दक्षता में सुधार करता है। प्राधिकरण के अभिलेखों की नमूना–जाँच में पाया गया कि भूमि समतलीकरण एवं आकारीकरण की योजना नहीं बनायी गयी थी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि समादेश क्षेत्र में अधिकांश भूमि विकसित एवं समतल थी जिसके समतलीकरण की आवश्यकता नहीं थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नमूना परीक्षित जनपदों के भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा कराये गये मृदा सर्वेक्षण में परियोजना के समादेश क्षेत्र में असमतल भूमि परिलक्षित हुयी जिसका समतलीकरण सुनिश्चित नहीं किया गया था।

- माइक्रो सिंचाई का क्रियान्वयन, फसल एवं कृषि–जलवायु दशाओं के आधार पर, स्प्रिंकलर अथवा ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा किया जाता है। समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों में यह भी उल्लिखित है कि प्रत्येक परियोजना के कृषि योग्य समादेश क्षेत्र का 10 प्रतिशत या 40 हेक्टेयर इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए माइक्रो सिंचाई प्रणाली प्रावधानित की जाएगी। नमूना–जाँच में पाया गया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में माइक्रो सिंचाई सम्मिलित नहीं थी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि भारत सरकार को स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जायेंगे।

2.2.3.3 जल अंकेक्षण के प्रावधान न किया जाना

बारहवीं योजना के वर्किंग ग्रुप ने जल प्रबन्धन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में जल अंकेक्षण की अनुशंसा (नवम्बर 2011) की थी। इसमें जल उपयोग के चिन्हीकरण, परिमाणीकरण तथा नहरों से रिसाव व अनधिकृत उपयोग आदि के कारण होने वाली हानियों में कमी का प्रावधान था। इसमें मापित/गैर–मापित उपभोक्ताओं इत्यादि को प्रदत्त जल, उत्पादित जल का अभिलेखीकरण एवं जल हानि को रोकने के उपायों की सलाह भी सम्मिलित थी। नमूना–जाँच में पाया गया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में जल अंकेक्षण का कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया था। इस प्रकार, जल संरक्षण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि जल अंकेक्षण 'सहभागी सिंचाई प्रबन्धन' अधिनियम 2009 में सम्मिलित था जिसका जल उपभोक्ता संघों के माध्यम से क्रियान्वयन किया गया। उत्तर सही नहीं था क्योंकि राज्य में मार्च 2014 तक केवल पांच जनपदों[13] के सात खण्डों[14] में ही जल उपभोक्ता संघों का गठन[15] किया गया था।

इस प्रकार, आयोजना के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग से अधिकतम लाभ प्राप्त कर उत्पादकता बढ़ाने का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

[13] बाराबंकी, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली एवं सुल्तानपुर।

[14] शारदा सहायक खण्ड–28, हैदरगढ़ (बाराबंकी); शारदा सहायक खण्ड–36, जौनपुर;शारदा सहायक खण्ड–51, प्रतापगढ़; शारदा सहायक खण्ड–41 एवं 45, रायबरेली एवं शारदा सहायक खण्ड–49 एवं सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर।

[15] 8,858 कुलाबा स्तर समिति, 802 अल्पिका स्तर समिति, 28 रजवाहा स्तर समिति।

2.2.4 समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम का क्रियान्वयन

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत जल स्रोतों के विभिन्न पहलुओं का प्रबन्धन यथा जल के वैज्ञानिक उपभोग हेतु कुलाबों से ऊपर एवं नीचे जल का निकास व प्रबन्धन एवं जल निकास नालियों द्वारा जल का निकास जो अन्ततः संग्रहक, मध्यवर्ती एवं मुख्य नालों द्वारा जल का प्राकृतिक बहिस्राव करता है जैसा कि *परिशिष्ट 2.2.11* में दर्शाया गया है।

2.2.4.1 जल भराव क्षेत्रों के उपचार का अभाव

शारदा सहायक नहर प्रणाली के मुख्य एवं मध्यम समादेश में जल भराव एवं लवणीयता से प्रभावित क्रमशः 4.30 लाख हेक्टेयर एवं 11.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार नहीं किया गया था।

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 5.7.1, संलग्नक-V में उल्लिखित है कि निम्नीकृत भूमि को अधिकतम उत्पादक भूमि में परिवर्तित करने के उद्देश्य से सिंचाई समादेशों में जल भराव क्षेत्रों के उपचार के लिये परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जाएंगी।

प्राधिकरण के अभिलेखों की नमूना–जाँच में पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा अपने समादेश में जल भराव क्षेत्रों के उपचार हेतु कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं करायी गयी थी, यद्यपि, शारदा सहायक नहर प्रणाली के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार प्रदेश में वृहद एवं मध्यम समादेशों में जल भराव एवं लवणीयता से प्रभावित क्षेत्र क्रमशः 4.30 लाख हेक्टेयर एवं 11.50 लाख हेक्टेयर थे जिनमें से पाँच[16] नमूना परीक्षित जनपदों के अंतर्गत 0.22 लाख हेक्टेयर एवं 1.26 लाख हेक्टेयर थे।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि जल भराव क्षेत्रों के उपचार हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी थी जिनकी स्वीकृति प्रतीक्षित थी। उत्तर सही नहीं था क्योंकि प्राधिकरण भारत सरकार को भेजे गये प्रस्तावों को नवम्बर 2014 तक स्वीकृत कराने में विफल रहा। अग्रेतर, वर्ष 2009–14 की अवधि में कोई परियोजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण द्वारा जल भराव क्षेत्र के विवरण का रख–रखाव भी नहीं किया गया था जिससे इस हेतु व्यवस्थित योजना बनाना सम्भव नहीं था।

2.2.4.2 नहर प्रणाली के दोष सुधार की ओर ध्यान न दिया जाना

150 क्यूसेक क्षमता तक की अल्पिका/रजवाहों के प्रणाली दोष के सुधार की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

भारत सरकार द्वारा यह पाया (2005) गया कि सिंचाई परियोजनायें, संचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धी क्रिया–कलापों जैसे कि सिल्ट एवं खरपतवार की सफाई का कार्य, तटबन्ध में मिट्टी का कार्य अथवा नहर के तल एवं किनारों की ड्रेसिंग, तट सुदृढ़ीकरण का कार्य इत्यादि हेतु निधियों की कमी के कारण अपनी क्षमता से काफी नीचे संचालित हो रही थीं। यह मुख्यतः खेतों के स्तर पर सिंचाई जल की अनिश्चित उपलब्धता और परिणामस्वरूप सिंचाई क्षमता में कमी हेतु उत्तरदायी था। अतः 150 क्यूसेक क्षमता तक की अल्पिका/रजवाहों में प्रणाली दोष सुधार हेतु समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम को विस्तारित करते हुये यह घटक सम्मलित किया गया था। नमूना–जाँच में पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में यह महत्वपूर्ण घटक सम्मिलित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, नहर प्रणाली के दोषों में सुधार का विषय अछूता रह गया जिससे कि सृजित एवं प्रयुक्त सिंचन क्षमता के अन्तर को भरा नहीं जा सका।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि नहर प्रणाली के दोष में सुधार का कार्य सिंचाई विभाग के माध्यम से कराया जाना बेहतर था, जिसके लिए लगातार अनुरोध किये गये

[16] आजमगढ, गाजीपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली एवं वाराणसी।

थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नहर प्रणाली के दोष में सुधार का घटक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों में विशेष रूप से उल्लिखित था जिसे सुनिश्चित नहीं किया गया।

2.2.4.3 एडाप्टिव ट्रायल एवं प्रदर्शन का क्रियान्वयन न होना

₹ 1.95 करोड़, जिसे एडाप्टिव ट्रायल एवं प्रदर्शन पर व्यय किया जाना था, को अनियमित रूप से प्रक्षेत्र कार्यों पर व्यय किया गया।

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के प्रस्तर 5.9 के अनुसार एडाप्टिव ट्रायल के अन्तर्गत उत्पादन बढ़ाने के लिये अनुकूल मृदा–जल–फसल सम्बन्ध एवं प्रदत्त स्थितियों में प्रबन्धन तकनीकें विकसित करना था। उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रदर्शन/जल के वैज्ञानिक प्रबन्धन सहित एवं भूमि विकास प्रथाओं सहित वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग, अनुकूल फसलों एवं प्रजातियों का प्रस्तुतीकरण, उर्वरकों के प्रयोग की विधि एवं उचित मात्रा का प्रयोग आदि भी महत्वपूर्ण थे। अतः एडाप्टिव ट्रायल एवं प्रदर्शन को समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम[17] का अभिन्न अंग (2005) बनाया गया था। शासन द्वारा भी प्रक्षेत्र विकास कार्य की कुल लागत का कम से कम एक प्रतिशत व्यय 'एडाप्टिव ट्रायल एवं प्रदर्शन' पर करने का आदेश निर्गत (दिसम्बर 2010) किया गया था। नमूना–जाँच में पाया गया कि यद्यपि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में इस घटक के क्रियान्वयन का प्रस्ताव था परन्तु, वर्ष 2009–14 के दौरान कोई भी परियोजना तैयार नहीं की गयी थी। अग्रेतर, प्राधिकरण ने प्रक्षेत्र विकास कार्य हेतु ₹ 194.75 करोड़[18] का प्रावधान (वर्ष 2010–14) किया था जिसमें से ₹ 1.95 करोड़ (एक प्रतिशत) एडाप्टिव ट्रायल एवं प्रदर्शन पर व्यय किया जाना आवश्यक था, जिसका भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से प्रक्षेत्र विकास कार्य हेतु उपभोग कर लिया गया था। ग्यारह नमूना परीक्षित जनपदों के अभिलेखों की नमूना–जाँच में भी पाया गया कि एडाप्टिव ट्रायल एवं प्रदर्शन पर ₹ 73.22 लाख (प्रक्षेत्र विकास कार्य का एक प्रतिशत) व्यय किया जाना था, जिसे नहीं किया गया ***(परिशिष्ट 2.2.12)***।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि भारत सरकार को एडाप्टिव ट्रायल एवं प्रदर्शन के आठ प्रस्ताव भेजे गये थे, जिनकी स्वीकृति अपेक्षित थी। एडाप्टिव ट्रायल एवं प्रदर्शन हेतु उपलब्ध निधि का उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2.2.4.4 प्रक्षेत्र कार्यों का अनुरक्षण एवं मरम्मत न किया जाना

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जल उपभोक्ता समितियों के गठन के लिये दिशा निर्देश निर्गत (अप्रैल 1987) किये गये थे। इन जल उपभोक्ता संघों को सिंचाई प्रणाली के संचालन एवं अनुरक्षण के कार्य करने थे। नमूना–जाँच में पाया गया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सृजित सम्पत्तियों के अनुरक्षण एवं मरम्मत का प्रावधान नहीं किया गया था। यद्यपि, मार्च 2014 तक पांच जनपदों (बाराबंकी, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली एवं सुल्तानपुर) के केवल सात खण्डों (शारदा सहायक खण्ड–28, हैदरगढ़; शारदा सहायक खण्ड–36 जौनपुर; शारदा सहायक खण्ड–51 प्रतापगढ़; शारदा सहायक खण्ड 41 एवं 45 रायबरेली; एवं शारदा सहायक खण्ड 49 एवं सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर) में जल उपभोक्ता समितियों का गठन (8,858 कुलाबा समिति, 802 अल्पिका समिति, 28 रजवाहा समिति) किया गया था, जिसमें से 11 नमूना परीक्षित जनपदों में से मात्र दो जनपदों (प्रतापगढ़ एवं रायबरेली) में 'जल उपभोक्ता संघ' क्रियाशील थे, किन्तु इनको संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सृजित प्रक्षेत्र विकास कार्य हस्तान्तरित नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण एवं सिंचाई विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण

[17] कार्यक्रम के घटकों हेतु केन्द्र एवं राज्य के द्वारा 75:25 के अनुपात में निधि दिया जाना था।
[18] वर्ष 2010–11: ₹ 35.42 करोड़, वर्ष 2011–12: ₹ 60.31 करोड़, वर्ष 2012–13: ₹ 61.20 करोड़, वर्ष 2013–14: ₹ 37.82 करोड़।

(जुलाई 2014) में यह पाया गया कि 18 जनपदों[19] में पूर्ण हो चुकी एवं चल रही परियोजनाओं में 24,525.52 किमी कच्ची गूल, 4,202.34 किमी पक्की गूल एवं 2,723.06 किमी क्षेत्र ड्रेन्स, क्षतिग्रस्त थीं एवं खेतों तक जल प्रवाह हेतु उपयुक्त नहीं थीं। प्राधिकरण द्वारा क्षतिग्रस्त प्रक्षेत्र विकास कार्यों की मरम्मत हेतु ₹ 498.26 करोड़ (कच्ची गूलः ₹ 79.39 करोड़, पक्की गूलः ₹ 413.76 करोड, क्षेत्र ड्रेन्सः ₹ 5.11 करोड़) की आवश्यकता आकलित की गयी थी (जुलाई 2014)।

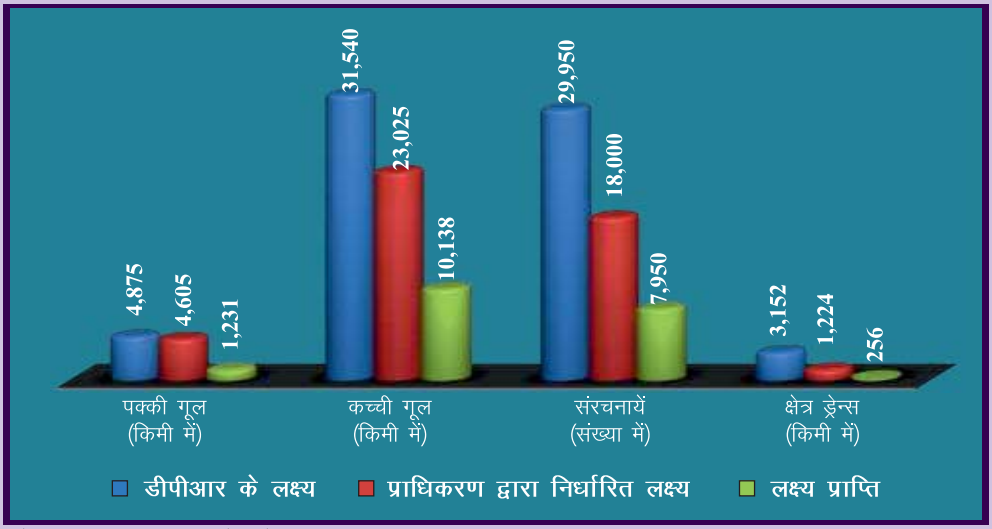
शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास अधिनियम, 1976; उत्तर प्रदेश भूमि विकास नियमावली, 1979; एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज (जल प्रबन्ध समिति) नियमावली, 1989 के प्रावधानों के अनुरूप दीर्घकालीन उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये सृजित सम्पत्तियाँ, सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को हस्तगत की गयी थीं। यह भी बताया गया कि सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु ग्राम पंचायतें अधिकृत थीं तथा समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों में उनके अनुरक्षण हेतु निधि का कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यह सम्पत्तियाँ ग्राम पंचायतों/जल उपभोक्ता संघों को हस्तगत नहीं की गयी थीं जैसा कि नमूना परीक्षित जनपदों के भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया गया था। तथ्य यथावत रहा कि सृजित सम्पत्तियों के रख–रखाव एवं मरम्मत हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

2.2.4.5 प्रक्षेत्र विकास कार्यों की धीमी प्रगति

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रक्षेत्र विकास कार्यों की उपलब्धि में 21 से 92 प्रतिशत तक की कमी थी।

प्रत्येक खेत को पानी उपलब्ध कराने के दृष्टिगत प्रक्षेत्र विकास कार्यों में सर्वेक्षण, नियोजन एवं डिजाइन; पक्की/कच्ची गूलों; तथा जल नियंत्रक संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित था। **चित्र 2** से स्पष्ट है कि प्रक्षेत्र विकास कार्यों हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में अंकित लक्ष्यों की अपेक्षा बहुत कम थे तथा वर्ष 2009–14 की अवधि में लक्ष्य हेतु कमी छः से 61 प्रतिशत के मध्य रही। अग्रेतर, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष घटकवार उपलब्धियाँ 21 से 92 प्रतिशत कम रहीं ***(परिशिष्ट–2.2.13)***।

चित्र 2: विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ



(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

[19] अम्बेदकर नगर, अमेठी, बलिया, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गाजीपुर, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, श्रावस्ती, सोनभद्र, सन्त कबीर नगर, सन्त रविदास नगर एवं उन्नाव।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, सम्बन्धित नहर प्रणाली के सम्पूर्ण समादेश के लिये बनाये गये थे एवं समग्रता को ध्यान में रखकर वर्षवार चरणबद्धता प्रस्तावित की गयी थी जबकि कार्यों का निष्पादन निधि की उपलब्धता के अनुसार कराया गया। चूंकि, भारत सरकार द्वारा सहमति ज्ञापन के अनुसार निधि अवमुक्त नहीं की गयी अतः उपलब्धियां लक्ष्यों के सापेक्ष नहीं थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया जाना था तथा केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर प्राप्त की जानी थी।

(अ) प्रक्षेत्र विकास कार्यों का अपर्याप्त सर्वेक्षण, नियोजन एवं डिजाइन

प्रक्षेत्र विकास कार्यों के निष्पादन से पूर्व टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण[20], मृदा सर्वेक्षण[21] एवं कन्टूर सर्वेक्षण[22] किया जाना था। नमूना–जाँच में पाया गया कि कार्यों के सर्वेक्षण, नियोजन एवं डिजाइनिंग में कमी थी तथा इनकी उपलब्धि में कमी आठ से 36 प्रतिशत के मध्य रही ***(परिशिष्ट–2.2.14)***।

यह भी पाया गया कि चार क्रियाशील परियोजनाओं पर वर्ष 2009–14 की अवधि में सर्वेक्षण कार्य पर किया गया ₹ 38.19 करोड़[23] का व्यय अलाभकारी रहा क्योंकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाते समय सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग नहीं किया गया था। अग्रेतर, सर्वेक्षण कार्य की गुणवत्ता में कमी थी, क्योंकि टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण का कार्य अक्रियाशील सर्वेक्षण उपकरणों[24] एवं गैर–तकनीकी वाराबन्दी कर्मचारियों के माध्यम से कराया गया था।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया कि टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण का कार्य प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण का कार्य वाराबन्दी स्टाफ द्वारा किया गया था जो कि गैर–तकनीकी एवं अप्रशिक्षित कार्मिक थे।

(ब) पक्की गूलों के निर्माण में कम उपलब्धि

नहर के कुलाबों से गूलों का निर्माण इस प्रकार किया जाना था कि कुलाबे के समादेश का प्रत्येक खेत इससे जुड़ जाए। कच्ची गूलों में रिसाव के कारण सिंचाई जल की भारी मात्रा (15 से 17 प्रतिशत) व्यर्थ हुयी। इसे रोकने हेतु समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम में गूलों की कुल लम्बाई के 15 प्रतिशत तक पक्की गूलों[25] के निर्माण का प्रावधान था। प्राधिकरण द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 67 से 120 प्रतिशत तक लक्ष्य निर्धारित किये गये थे जबकि, वर्ष 2009–14 की अवधि में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पक्की गूलों के निर्माण की प्रगति 68 से 82 प्रतिशत के मध्य रही जैसा कि नीचे **चित्र 3** में दर्शाया गया है तथा विवरण ***परिशिष्ट–2.2.15*** में दिया गया है।

[20] गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रक्षेत्र विकास कार्यों का समुचित नियोजन एवं डिजाइनिंग।

[21] भूमि की उर्वरता का पूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से इसकी क्षमता, एवं उपजाऊपन को परखने हेतु भूमि का वर्गीकरण।

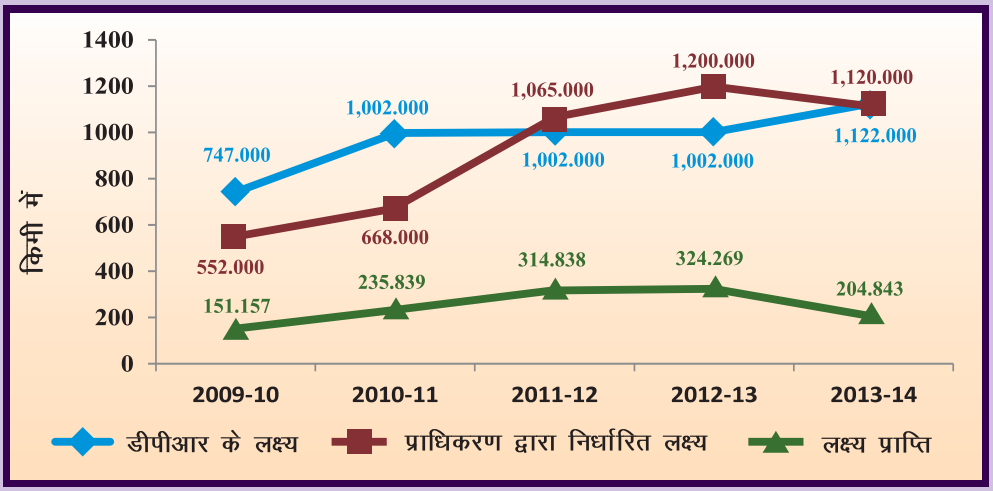
[22] प्रक्षेत्र के ढलान एवं भू–स्तर का वैज्ञानिक ढंग से नियोजन।

[23] 3,81,912 हेक्टेयर (शारदाः 81,970 हेक्टेयर, शारदा सहायकः 1,65,314 हेक्टेयर, सरयू–IIः 1,08,975 हेक्टेयर एवं सिरसीः 25,653 हेक्टेयर) ₹ 1,000 प्रति हेक्टेयर की दर से।

[24] भूमि की सतह के मापन हेतु 'लेवेल डम्पी'।

[25] पक्की गूलें ईंट, सीमेण्ट एवं बालू द्वारा एवं कच्ची गूलें मिट्टी की बनी थीं।

चित्र 3: पक्की गूलों का निर्माण



(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया कि वांछित निधि के सापेक्ष मात्र 37 प्रतिशत निधि अवमुक्त होने के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी।

(स) पक्की गूलों के निर्माण में पायी गयी अनियमितताएं

अधोमानक कार्य हेतु भुगतान

संपादित कार्य का मापन एवं सत्यापन किये बिना ही ₹ 86.59 लाख का भुगतान किया गया था।

प्रक्षेत्र विकास मैनुअल के अनुसार, मापन एवं सत्यापन के बिना कार्य का भुगतान आपूर्तिकर्ताओं को नहीं किया जाएगा। भूमि संरक्षण अधिकारी, बस्ती के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2010–12 के दौरान 31 पक्की गूलों (7.93 किमी) का निर्माण ₹ 86.59 लाख ***(परिशिष्ट–2.2.16)*** की लागत से किया गया था और निष्पादित कार्य का भुगतान बिना मापन एवं सत्यापन के कर दिया गया था। आयुक्त–सह–प्रशासक द्वारा कार्यों के मापन/सत्यापन हेतु गठित (दिसम्बर 2012) तकनीकी समिति ने भी ₹ 86.59 लाख की लागत के कार्यों को अधोमानक पाया।

शासन द्वारा उत्तर में तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया गया कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति में है।

ईंटों पर अस्वीकार्य व्यय

1.89 करोड़ ईंटों की अधिक खपत के फलस्वरूप ₹ 7.94 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

नमूना जाँच में पाया गया कि प्राधिकरण ने ब्रिक वर्क के लिए 500 ईंट प्रति घनमीटर का मानक निर्धारित (अक्टूबर 2007) किया था जिसे समान विशिष्टियों के लिये जून 2013 में घटाकर 460 ईंट प्रति घनमीटर कर दिया गया। लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग ने भी अपनी दर अनसूची (सितम्बर 2009) में ब्रिक वर्क के लिए 460 ईंट प्रति घनमीटर का मानक निर्धारित किया था। नमूना परीक्षित जनपदों के अभिलेखों की नमूना–जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009–14 के दौरान 1,688.987 किमी पक्की गूलों के निर्माण हेतु निष्पादित कराये गये 4,72,409.66 घनमीटर[26] ब्रिक वर्क के लिए 460 ईंट प्रति घनमीटर के मानक से अधिक ईंटों का प्रयोग करते हुये 1.89 करोड़ ईंटों[27] की अधिक खपत की गयी जिससे वर्ष 2009–14 में ₹ 7.94 करोड़[28] का अधिक व्यय हुआ।

[26] 1,688.987 किमी X 279.70 घनमीटर प्रति किमी=4,72,409.66 घनमीटर।
[27] 4,72,409.66 घनमी0 X 40 ईंट प्रति घनमीटर=1,88,96,386.40 ईंटें।

शासन ने उत्तर में बताया कि 460 ईंट प्रति घनमीटर के मानक में ब्रिक बैलास्ट के लिए आवश्यक ईंट अलग से है जो कि, पिछले 500 ईंट प्रति घनमीटर के मानक में सम्मलित थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत दर अनुसूची में ब्रिक बैलास्ट के प्रावधान जैसी कोई विशिष्टि उल्लिखित नहीं थी।

भिन्न–भिन्न लागत पर गूलों का निर्माण

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों में उल्लिखित है कि विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के मध्य बेहतर समन्वय होना चाहिये। नमूना–जाँच में पाया गया कि वर्ष 2013–14 के दौरान सिंचाई विभाग द्वारा बहराइच जनपद में पक्की गूलों का निर्माण ₹ 2,266.63 प्रति मीटर की दर से किया गया। किन्तु, समस्त नमूना परीक्षित जनपदों में वर्ष 2009–14 के दौरान प्राधिकरण द्वारा यही कार्य ₹ 1,400–1,500 प्रति मीटर की दर से कराया गया। इस प्रकार, विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं के मध्य कोई समन्वय नहीं था और प्रत्येक संस्था स्वयं के ड्रांइग एवं डिजाइन एवं अलग–अलग लागत पर कार्य कर रहीं थीं।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि सिंचाई विभाग द्वारा स्वयं की विशिष्टियों के अनुसार प्रक्षेप विकास कार्य निष्पादित कराया गया जबकि प्राधिकरण द्वारा इसे स्वयं के प्रक्षेत्र विकास मैनुअल के अनुसार निष्पादित कराया गया, इस प्रकार, दोनों मामलों में प्रति मीटर दर समान नहीं हो सकती। स्पष्ट था कि इन इकाइयों के मध्य कोई समन्वय नहीं था और गूलों के निर्माण में अलग–अलग दरों को अपनाया गया।

सामग्री के अधिक क्रय के कारण शासन को क्षति

आवश्यकता से अधिक मात्रा में क्रय की गयी ₹ 8.89 लाख लागत की सीमेन्ट की क्षमता क्षीण होना।

प्रक्षेत्र मैनुअल के अनुसार प्रक्षेत्र विकास कार्य को 15 माह में पूर्ण किया जाना था। यह भी निर्धारित किया गया था कि आवश्यकता से अधिक सामग्री का क्रय नहीं किया जाना चाहिये और जिस कार्य के लिये क्रय किया गया है उसी कार्य पर इसका उपयोग किया जाना चाहिये। भूमि संरक्षण अधिकारी, गोरखपुर के अभिलेखों की नमूना–जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011–12 में प्रक्षेत्र विकास कार्यों के लिये ईंट (₹ 15.65 लाख), मोरम (₹ 5.72 लाख) एवं सीमेन्ट (₹ 8.89 लाख) को क्रय किया गया था। इन सामग्रियों का जुलाई 2014 तक उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि जनपद गोरखपुर में कोई और कार्य कराने की आवश्यकता नहीं थी। भारतीय मानक (आईएस 269–1968) द्वारा निश्चित किये गये मानक के अनुसार ₹ 8.89 लाख की सीमेन्ट अपनी क्षमता खो चुकी थी। इस प्रकार, शासन को क्षति हुई।

शासन ने उत्तर में बताया कि संबंधित उप निदेशकों के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रिया में है।

हेडलोड पर अधिक भुगतान

हेडलोड द्वारा सामग्री की ढुलाई में अनुचित भुगतान का अनुपात 321 प्रतिशत था।

नमूना परीक्षित जनपद शाहजहांपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ट्रैक्टर/बैलगाड़ी के स्थान पर हेडलोड द्वारा खेतों तक सामग्रियों की ढुलाई की गयी थी और प्राधिकरण/उप निदेशकों द्वारा दर अनुसूची में अनुमोदित दरों की अपेक्षा अधिक दर पर भुगतान किया गया था। हेडलोड द्वारा ढुलाई से संबंधित वाउचरों

[28] वर्ष 2009–14 की अवधि में भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा अनुबंधित ₹ 4,200 प्रति हजार ईंट की न्यूनतम दर को आधार मानते हुये।

के विश्लेषण में पाया गया कि वर्ष 2009–14 के दौरान हेडलोड द्वारा सामग्रियों के ढुलान के सभी प्रकरणों में अनुचित भुगतान का अनुपात 321 प्रतिशत था *(परिशिष्ट–2.2.17)*। भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा उक्त अवधि में हेडलोड पर सूचित किये गये ₹ 94.76 लाख के कुल भुगतान में बिना निविदा एवं कार्यादेश के ₹ 72.25 लाख का अनियमित भुगतान आगणित किया गया।

शासन ने उत्तर में बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा सूचित अधिक भुगतान की वसूली प्रगति में है।

(द) कच्ची गूलों के निर्माण में कम उपलब्धि

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में कुल गूलों का 85 प्रतिशत कच्ची गूल के रूप में निर्मित कराया जाना प्रावधानित था। प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2009–14 की अवधि में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्दिष्ट लक्ष्यों का 61 से 110 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया जबकि कच्ची गूलों के निर्माण की उपलब्धि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्दिष्ट लक्ष्यों के सापेक्ष कम रही तथा यह 32 एवं 48 प्रतिशत के मध्य रही जैसा कि नीचे **चित्र 4** में दर्शाया गया है तथा विवरण ***परिशिष्ट–2.2.18*** में दिया गया है।

चित्र 4: कच्ची गूलों का निर्माण



(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

अग्रेतर, प्रक्षेत्र विकास मैनुअल के अनुसार, एक कुलाबे का कृषि योग्य समादेश क्षेत्र 40 हेक्टेयर होना चाहिये तथा कुलाबे का कृषि योग्य समादेश क्षेत्र 40 हेक्टेयर से अधिक होने की दशा में प्राधिकरण का दायित्व था कि अतिरिक्त कुलाबे की स्थापना हेतु सिंचाई विभाग से समन्वय स्थापित करे। नमूना–जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009–14 की अवधि में 40 हेक्टेयर से अधिक तथा 230 हेक्टेयर तक के कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के 691 कुलाबों **(सारणी–2)** पर कार्य का नियोजन एवं निष्पादन किया गया। इन कुलाबों पर गूलों का निर्माण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के विरुद्ध था, जिसके फलस्वरूप रिसाव के द्वारा पानी की क्षति तथा अतिरिक्त क्षेत्र पर कम सिंचाई हो सकेगी।

सारणी 2: वर्ष 2009–14 में 40 हेक्टेयर से बड़े कृषि योग्य समादेश क्षेत्र वाले कुलाबे

क्र0 सं0	जिले का नाम	कुलाबों की संख्या
1	आजमगढ़	33
2	बहराइच	61
3	बस्ती	56
4	गाजीपुर	100
5	गोरखपुर	10
6	हरदोई	118
7	मिर्जापुर	18
8	प्रतापगढ़	64
9	रायबरेली	59
10	शाहजहांपुर	81
11	वाराणसी	91
	योग	**691**

(स्रोतः भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में संकलित आंकड़े)

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि आवश्यकता के सापेक्ष मात्र 37 प्रतिशत निधि अवमुक्त होने के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया जाना था तथा केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के आधार पर की जानी थी। अग्रेतर, 40 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य समादेश क्षेत्र वाले कुलाबों पर प्रक्षेत्र विकास कार्यों के निष्पादन के बारे में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

(य) जल नियंत्रक संरचनाओं के निर्माण में कम उपलब्धि

मृदा क्षरण एवं पानी की हानि को रोककर खेतों में सिंचाई जल की नियमित उपलब्धता हेतु जल नियंत्रक संरचनाएं[29] आवश्यक थीं। पाया गया कि वर्ष 2009–14 की अवधि में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित 29,950 संरचनाओं के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 7,950 संरचनाएं (27 प्रतिशत) ही निर्मित करायी गयीं ***(परिशिष्ट–2.2.19)***।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया कि स्थलीय आवश्यकताओं एवं सीमित बजट की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्य कराए गये। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि जल नियंत्रक संरचनाओं के निर्माण के लक्ष्य स्थलीय सर्वेक्षण के पश्चात् निर्धारित किये गये थे जिसे कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था।

2.2.4.6 क्षेत्र, सम्पर्क एवं मध्यवर्ती ड्रेन्स के निर्माण में कम उपलब्धि

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 5.7.1 के अनुसार, स्थायी कृषि के लिये पूर्वापेक्षित है कि पौधों के जड़ क्षेत्र में जल, वायु एवं लवण का समुचित संतुलन बनाये रखा जाए। खेतों से सिंचाई के अतिरिक्त जल को हटाने के लिये समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र, मध्यवर्ती एवं सम्पर्क ड्रेन्स के निर्माण का घटक सम्मिलित किया गया था।

[29] गूलों तथा क्षेत्र ड्रेन्स दोनों में आउटलेट्स, शूट्स, ड्राप्स, साइफन्स एवं कलवर्ट्स आदि के आकार में।

वर्ष 2009–14 की अवधि में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में 3,152 किमी क्षेत्र ड्रेन्स के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। किन्तु, लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि मात्र 256.125 किमी (आठ प्रतिशत) थी। वर्ष 2009–14 की अवधि में उपलब्धि की प्रतिशतता 25 प्रतिशत (वर्ष 2009–10) से घटकर एक प्रतिशत (वर्ष 2013–14) रह गयी ***(परिशिष्ट–2.2.20)***।

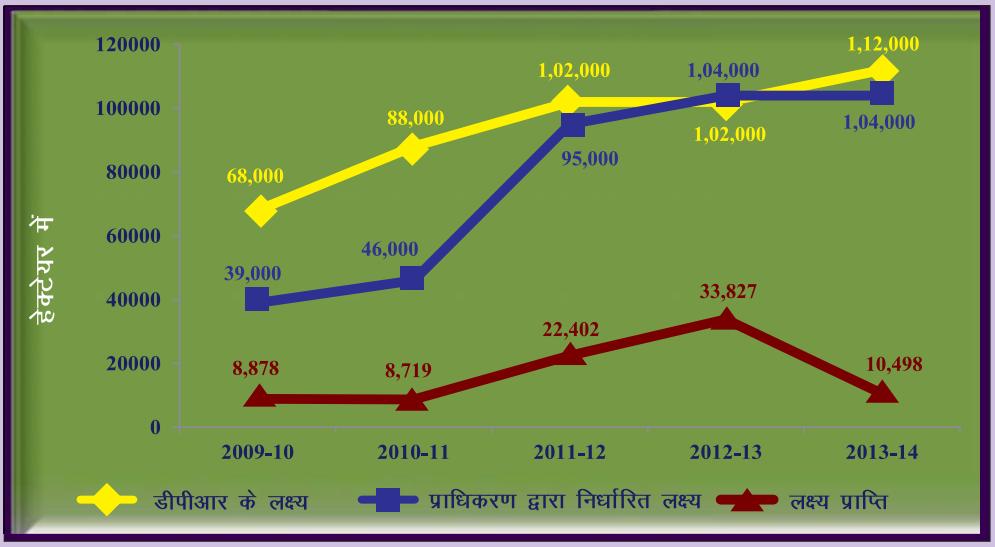
नमूना–जाँच में यह भी उद्घटित हुआ कि मध्यवर्ती एवं सम्पर्क ड्रेन्स का निर्माण नहीं कराया गया था।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया कि आवश्यकता के सापेक्ष मात्र 37 प्रतिशत निधि अवमुक्त की गयी जिसके कारण लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी। यह भी बताया गया कि क्षेत्र एवं मध्यवर्ती ड्रेन्स का निर्माण स्थानीय आवश्यकता के अनुसार जल प्रबन्ध समितियों की अनुशंसा पर कराया गया। जबकि शासन द्वारा सम्पर्क ड्रेन्स का निर्माण नहीं कराये जाने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया जाना था तथा केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर की जानी थी।

2.2.4.7 वाराबन्दी

कृषकों को उनकी जोतों के अनुपात में समतापूर्ण ढंग से एवं समय से सिंचाई जल के वितरण हेतु कुलाबे के समादेश क्षेत्र में वाराबन्दी का नियोजन किया गया था। वर्ष 2009–14 की अवधि में वाराबन्दी का लक्ष्य 4.72 लाख हेक्टेयर था, जबकि दिसम्बर 2013 तक उपलब्धि मात्र 0.84 लाख हेक्टेयर (18 प्रतिशत) थी जैसा कि नीचे **चित्र 5** में दर्शाया गया है तथा विवरण ***परिशिष्ट–2.2.21*** में दिया गया है।

चित्र 5: वाराबन्दी का लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ



(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

इस प्रकार, वर्ष 2009–14 की अवधि में प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया (प्रक्षेत्र विकास कार्य) 3.88 लाख हेक्टेयर बगैर वाराबन्दी के रहा। यह भी पाया गया कि यद्यपि, प्रगति रिपोर्ट में वाराबन्दी के लक्ष्य एवं उपलब्धियां दर्शाये गये थे, किन्तु वर्ष 2009–14 के दौरान प्राधिकरण की वाराबन्दी इकाइयां अक्रियाशील रहीं तथा वाराबन्दी स्टाफ प्रक्षेत्र विकास कार्यों के सर्वेक्षण एवं निर्माण में लगा था।

उत्तर में शासन द्वारा बताया (नवम्बर 2014) गया कि वर्ष 2009–14 के मध्य 4.72 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 0.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र संतृप्त किया गया तथा इसकी वाराबन्दी की गयी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वाराबन्दी की इकाईयां अक्रियाशील थीं तथा वाराबन्दी स्टाफ सर्वेक्षण एवं निर्माण कार्यों में लगा था।

2.2.4.8 प्रशिक्षण

किसानों के प्रशिक्षण पर ₹ 1.95 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 45.35 लाख व्यय किया गया।

जल प्रयोग में दक्षता एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय जल नीति 1987 सिंचाई प्रबंधन में किसानों की प्रगतिशील भागीदारी पर जोर देती है। समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के अनुसार भी मुख्य प्रणाली से वितरण में सुधार हेतु, प्रक्षेत्र के जल प्रबंधन, नियोजन एवं प्रक्षेत्र विकास कार्यों की डिजाइन, जल वितरण आदि हेतु प्रशिक्षण दिया जाना था। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी आदेशित (दिसम्बर 2010) किया गया कि प्रक्षेत्र विकास कार्यों की कुल लागत का कम से कम एक प्रतिशत किसानों एवं क्षेत्र प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण पर व्यय किया जाएगा। नमूना–जाँच में पाया गया कि वर्ष 2010–14 की अवधि में प्रक्षेत्र कार्यों पर ₹ 194.75 करोड़[30] व्यय किया गया। इस प्रकार, ₹ 1.95 करोड़ (एक प्रतिशत) प्रशिक्षण पर व्यय किया जाना था। यद्यपि, किसानों के प्रशिक्षण पर वर्ष 2010–14 की अवधि में मात्र ₹ 45.35 लाख व्यय किया गया। ग्यारह नमूना चयनित जनपदों के अभिलेखों की नमूना–जाँच में पाया गया कि ₹ 73.22 लाख (प्रक्षेत्र विकास कार्यों पर किये गये ₹ 73.22 करोड़ के व्यय का एक प्रतिशत) प्रशिक्षण पर व्यय किया जाना था किन्तु, मात्र ₹ 2.92 लाख का उपयोग प्रशिक्षण हेतु किया गया ***(परिशिष्ट 2.2.12)***।

शासन ने उत्तर में बताया कि समादेश क्षेत्र विकास के कार्य में लगे कर्मचारी पर्याप्त अनुभवी एवं कुशल थे। ऐसी परिस्थिति में आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण पर व्यय किया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि शासन द्वारा दिसम्बर 2010 में स्पष्ट रूप से प्रक्षेत्र विकास कार्यों पर किये गये कुल व्यय का न्यूनतम एक प्रतिशत प्रशिक्षण पर व्यय किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

2.2.4.9 सहभागी सिंचाई प्रबन्धन

प्रणाली के संचालन एवं रखरखाव, सिंचाई प्रभार के एकत्रीकरण एवं जल वितरण के उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिये जल उपभोक्ता संघों के निर्माण हेतु जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश (अप्रैल 1987) निर्गत किया गया। सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 एवं सहभागी सिंचाई प्रबंधन नियम, 2010 प्रदेश में जनवरी 2011 में लागू किये गए। बारहवीं योजना (नवम्बर 2011) के वर्किंग ग्रुप के प्रतिवेदन के प्रस्तर 2.5.8 के अनुसार सहभागिता का दृष्टिकोण किसानों के भरोसे में वृद्धि एवं जल वितरण में समानता, विवादों में कमी, नहर प्रणाली का समय से एवं अच्छा रखरखाव एवं फसल उत्पादन की वृद्धि को सुगम बनाता है। नमूना–जाँच में पाया गया कि सिंचाई विभाग द्वारा मार्च 2010 तक सात जनपदों[31] एवं जनवरी 2011 तक शेष जनपदों में शाखा, रजवाहा, अल्पिका एवं कुलाबा स्तर पर जल उपभोक्ता संघों का गठन कर सहभागी सिंचाई प्रबंधन के क्रियान्वयन की योजना थी। मार्च 2014 तक पांच जनपदों[32] (नमूना चयनित 11 में से दो जनपदों) के मात्र सात खण्डों[33] में इन संघों का गठन किया गया

[30] वर्ष 2010–11: ₹ 35.42 करोड़, वर्ष 2011–12: ₹ 60.31 करोड़, वर्ष 2012–13: ₹ 61.20 करोड़, वर्ष 2013–14: ₹ 37.82 करोड़।
[31] अमेठी, बाराबंकी, जौनपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली एवं सुल्तानपुर।
[32] बाराबंकी, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली एवं सुल्तानपुर।
[33] शारदा सहायक खण्ड–28, हैदरगढ़; शारदा सहायक खण्ड–36, जौनपुर;शारदा सहायक खण्ड–51, प्रतापगढ़; शारदा सहायक खण्ड–41 एवं 45, रायबरेली तथा शारदा सहायक खण्ड 49 एवं सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर।

था[34]। सिंचाई विभाग एवं जल उपभोक्ता संघों के मध्य सहमति–ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना था। किन्तु पाया गया कि मार्च 2014 तक पंजीकृत 9688 जल उपभोक्ता संघों में से मात्र 805[35] संघों (आठ प्रतिशत) के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। अग्रेतर, 11 नमूना परीक्षित जनपदों में से दो जनपदों में स्थित मात्र 292 जल उपभोक्ता संघों के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस प्रकार, प्राधिकरण समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम से आच्छादित अवशेष 27 जनपदों (नमूना परीक्षित 11 जनपदों में से नौ जनपदों को सम्मिलित कर) में जल उपभोक्ता संघों के गठन को सुनिश्चित करने में विफल रहा। अग्रेतर, समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के दिशा–निर्देशानुसार जल उपभोक्ता संघों को न्यूनतम आधारभूत संरचना[36] के निर्माण हेतु 'एकमुश्त क्रियान्वयन अनुदान'[37] एवं 'आधारभूत संरचना अनुदान'[38] दिया जाना था। यह पाया गया कि गठित किसी भी जल उपभोक्ता संघ को 'एकमुश्त क्रियान्वयन अनुदान' एवं 'आधारभूत संरचना अनुदान' नहीं दिया गया।

उत्तर में शासन ने बताया कि सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम के अंतर्गत जल उपभोक्ता संघों का गठन सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है और 'एकमुश्त क्रियान्वयन अनुदान' का प्रस्ताव वर्ष 2013–14 में भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम में उल्लिखित अन्य क्रियाकलापों के साथ–साथ नहर प्रणाली की आयोजना, क्रियान्वयन, संचालन एवं रख–रखाव में जल उपभोक्ता संघों की सहभागिता को सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

2.2.4.10 जल की अपर्याप्त उपलब्धता

अधिक सिंचाई के लिए सिंचाई क्षमता के सृजन और उपयोग के मध्य अन्तर को कम करने की दृष्टि से जल प्रयोग क्षमता एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। शारदा सहायक नहर प्रणाली (कृषि योग्य समादेश क्षेत्र–16.74 लाख हेक्टेयर) के संचालन कार्य की नमूना–जाँच में पाया गया कि मुख्य रीच में सिल्ट जमा होने के कारण पोषक नहर की क्षमता स्थायी रूप से घटकर (मई 2007) 650 क्यूमेक (डिजाइन) के स्थान पर 425 क्यूमेक (35 प्रतिशत) रह गयी। सिल्ट इजेक्टर उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था क्योंकि नहर के बहिस्राव पर जलस्तर ऊंचा था और सिल्ट इजेक्टर चैनल भी कम स्लोप पर था। जल प्रवाह प्रणाली में 25 से 30 प्रतिशत की अतिरिक्त जल हानि हुयी थी[39]। इस प्रकार, सिंचाई हेतु डिजाइन के सापेक्ष जल की वास्तविक उपलब्धता लगभग 60 प्रतिशत कम थी। जल की उपलब्धता कम होने से नहर प्रणाली की सृजित क्षमता का उपभोग प्रभावित हुआ।

शासन द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

समादेश क्षेत्र के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के सभी घटकों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिये।

[34] 8,858 कुलाबा समिति, 802 अल्पिका समिति, 28 रजवाहा समिति।
[35] नमूना परीक्षित 11 में से दो जनपदों के 292 संघों सहित।
[36] दिन प्रतिदिन के कार्यों के निष्पादन एवं अभिलेखों के सुरक्षित रखरखाव हेतु एक कार्यालय एवं इसका अधिष्ठान।
[37] ₹ 1,000 प्रति हेक्टेयर की दर से एकमुश्त क्रियान्वयन अनुदान जिसे बारहवी योजना के दौरान वर्ष 2013 में पुनरीक्षित कर ₹ 1,200 प्रति हेक्टेयर किया गया (केन्द्रांशः 45 प्रतिशत, राज्यांशः 45 प्रतिशत एवं कृषक अंशः 10 प्रतिशत)।
[38] ₹ 2.25 लाख अथवा वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो।
[39] नमूना परीक्षित जनपदों (आजमगढ़, प्रतापगढ़ एवं रायबरेली) द्वारा सूचित।

2.2.5 सिंचाई क्षमता के सृजन एवं उपयोग में अन्तर

दो मुख्य नहर परियोजनाओं के अंतर्गत सृजित एवं उपभोगित सिंचाई क्षमता में 72 प्रतिशत का अन्तर बना हुआ था।

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सृजित सिंचाई क्षमता का बेहतर उपयोग कर कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना था। नमूना–जाँच में पाया गया कि समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम से आच्छादित कुल कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के सापेक्ष प्रक्षेत्र विकास कार्यों का वास्तविक निष्पादन 16 से 59 प्रतिशत के मध्य था। अग्रेतर, मार्च 2014 तक चल रही चार परियोजनाओं में 45.39 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के सापेक्ष मात्र 24.18 लाख हेक्टेयर (53 प्रतिशत) में प्रक्षेत्र विकास कार्य पूर्ण किए गये थे जैसा कि नीचे **चित्र 6** में दर्शाया गया है तथा विवरण ***परिशिष्ट–2.2.22*** में दिया गया है। इस प्रकार कार्य की धीमी प्रगति के कारण समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

चित्र 6: विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत भौतिक उपलब्धियाँ



(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

यह भी पाया गया कि 45.39 लाख हेक्टेयर की कुल सृजित क्षमता में से 14.79 लाख हेक्टेयर प्रक्षेत्र में प्रणाली क्षमता में कमी जैसे नहर प्रणाली के क्षतिग्रस्त होने व सिल्टिंग आदि के कारण जल उपलब्ध नहीं था। प्राधिकरण ने प्रक्षेत्र विकास कार्यों के निष्पादन को 30.60 लाख हेक्टेयर में सीमित कर दिया जहां कि सिंचाई के लिए जल पहले से ही उपलब्ध था। कृषि योग्य समादेश क्षेत्र के सृजन और उपयोग के अन्तर को भरने हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रणाली दोष में सुधार हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया जबकि समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम का यह एक मुख्य घटक था। अग्रेतर, सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध करायी सूचना के अनुसार वर्ष 2013–14 में दो मुख्य सिचाई परियोजनाओं, शारदा नहर परियोजना (सृजितः 16.13 लाख हेक्टेयर, उपभोगित 3.75 लाख हेक्टेयर), शारदा सहायक नहर परियोजना (सृजितः 16.74 लाख हेक्टेयर, उपभोगित 5.35 लाख हेक्टेयर) में सृजित (32.87 लाख हेक्टेयर) एवं उपभोगित (9.10 लाख हेक्टेयर) सिंचाई क्षमता में 72 प्रतिशत (23.77 लाख हेक्टेयर) का अन्तर था।

शासन ने उत्तर में बताया कि शारदा सहायक नहर प्रणाली वर्ष 1974–75 से लगातार चल रही है इसके कारण कमी होना स्वाभाविक है। यह भी बताया गया कि सिंचाई क्षमता के सृजन एवं उपभोग के मध्य अन्तर का कारण लक्ष्य के सापेक्ष कम निधि

अवमुक्त होना था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अन्तर नहर प्रणाली में दोष के कारण था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा ध्यान नहीं दिया गया।

2.2.6 संयुक्त भौतिक निरीक्षण का परिणाम

लेखापरीक्षा दल द्वारा नमूना परीक्षित जनपदों के 1960 कुलाबे जहां प्रक्षेत्र विकास कार्य कराया गया था, में से 98 कुलाबों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया और 490 किसानों का साक्षात्कार लिया गया जिसमें उद्घटित हुआ कि:

- छः कुलाबों[40] की डिजाइन त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि इन कुलाबों की सतह खेत की सतह से काफी नीचे थी जहां कि प्रक्षेत्र विकास कार्य कराये गये थे। परिणामस्वरुप, किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा था।

- किसानों द्वारा अनधिकृत रूप से 34 कुलाबों में चार इंच परिधि वाले पाइप के स्थान पर 12 इंच की परिधि के पाइप जोड़े गये थे।

- कच्ची गूलें बनाए बिना ही 80 कुलाबों पर प्रक्षेत्र विकास कार्य कराया गया। इस प्रकार, पक्की गूलों से जुड़े किसानों के खेतों में ही पानी पहुंच सका।

- गोरखपुर, जनपद में गोला शाखा के कुलाबा संख्या 47 एवं बहराइच, जनपद के बेलखरा अल्पिका के कुलाबा संख्या 17 पर किसानों द्वारा अपने खेतों के पास नहर को अवरूद्ध कर दिया गया जिससे इन कुलाबों के बाद पड़ने वाले किसानों के खेतों में पानी उपलब्ध नहीं था।



गोरखपुर जनपद की गोला शाखा (टेल की तरफ) जहां किसानों द्वारा अवरोध के कारण पानी उपलब्ध नहीं था।


03.07.2014 के अनुसार बहराइच जनपद में कुलाबा संख्या 17 के निकट अवरूद्ध बेलखरा अल्पिका।

- अट्ठाइस कुलाबों के सिस्टर्न एवं संरचनाएं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पाये गये।

- तीन कुलाबे राजकीय नलकूप के समादेश क्षेत्र में बनाये गये थे। इसके अतिरिक्त, कुलाबा संख्या 71 की पक्की गूलें राजकीय नलकूप की गूलों से जुड़ी थीं।

- अड़तीस कुलाबों में सिल्ट पायी गयी जिससे पानी अपनी पूर्ण क्षमता से नहीं चल सकता था जो अन्तिम छोर के कृषकों को सिंचाई सुविधा से वंचित कर रहा था।

[40] रायबरेली जनपद के शिवगढ़ रजवाहा का कुलाबा संख्या 74, 76, 77, 78, 79 एवं 86।

- बारह कुलाबे, पाइप के माध्यम से नहर से नहीं जुड़े थे। परिणामस्वरूप, पानी खेतों तक नहीं पहुंच सकता था।

- गाजीपुर जनपद में मिर्जापुर अल्पिका के कुलाबा संख्या एक से आठ पर कोई कार्य नहीं कराया गया किन्तु, अभिलेखों में उक्त कार्य को पूर्ण दर्शाया गया था।

भौतिक निरीक्षण के तथ्यों को शासन द्वारा स्वीकार किया गया। गाजीपुर जनपद की मिर्जापुर अल्पिका के प्रकरण में बताया गया कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की गयी है।

2.2.7 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के प्रगति एवं क्रियान्वयन का अनुश्रवण आवधिक प्रगति प्रतिवेदनों, विस्तृत लेखे, क्षेत्र भ्रमण, गुणवत्ता नियंत्रण, समवर्ती मूल्यांकन एवं विभिन्न स्तरों की अनुश्रवण समितियों द्वारा किया जाना था।

2.2.7.1 राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति, प्राधिकरण, राज्य स्तरीय समन्वय समिति तथा जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा अपर्याप्त अनुश्रवण

प्रगति की समीक्षा एवं निष्पादन में सुधार हेतु सुझाव देने के लिये एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया गया था। जल के समुचित उपयोग हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के लिये एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन (सितम्बर 1983) किया गया। राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति एवं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकें वर्ष में दो बार होनी थीं। अग्रेतर, प्राथमिकताओं के निर्धारण, संबंधित भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा बनायी गयी वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुमोदन तथा परियोजना के अन्तर्गत सृजित सिंचाई क्षमता के अनुश्रवण एवं उपयोग जैसे मुद्दों के निर्धारण हेतु एक जनपद स्तरीय क्रियान्वयन अनुश्रवण समिति का गठन किया जाना था।

प्राधिकरण के अभिलेखों की नमूना–जाँच में पाया गया कि राज्य अनुश्रवण समिति की दस वांछित बैठकों के सापेक्ष मात्र एक बैठक (जुलाई 2013) हुयी थी। राज्य समन्वय समिति की बैठक से सम्बन्धित कोई विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। आयुक्त–सह–प्रशासक द्वारा वर्ष 2009–14 में पांच बैठकें की गयी थीं, तथापि, बैठकों की आवृत्ति के मानक लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। इसकी बैठक (अक्टूबर 2009) में 'नहर प्रणाली के दोष में सुधार' एवं 'एडाप्टिव ट्रायल' के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया था किन्तु, मार्च 2014 तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था। अग्रेतर, वर्ष 2012–13 में जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति से प्रक्षेत्र विकास कार्यों का समय से अनुमोदन लेने का निर्देश दिया गया किन्तु जनपदीय अनुश्रवण समिति से समय से अनुमोदन न लिया जाना जारी रहा।

नमूना चयनित जनपदों में जनपदीय अनुश्रवण समिति की बैठक वर्ष में मात्र एक बार वार्षिक कार्ययोजना के अनुमोदन हेतु आहूत की गयीं। जाँच में पाया गया कि भूमि संरक्षण अधिकारी, बस्ती की वर्ष 2011–12 की, भूमि संरक्षण अधिकारी, वाराणसी एवं मिर्जापुर जनपदों की वर्ष 2013–14 की कार्ययोजनाएं जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा जून 2014 तक अनुमोदित नहीं की गयी थीं।

अग्रेतर, समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम में लाभार्थियों की सहभागिता को बढ़ाने तथा निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चत करने के उद्देश्य से उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण समिति के गठन का आदेश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया (अक्टूबर 2013)। तथापि, किसी भी नमूना परीक्षित जनपद में इस समिति का सृजन नहीं किया गया।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि शासन स्तर पर प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में राज्य अनुश्रवण समिति की बैठकें हुयी थीं तथा कार्यवृत्त में लिये गये निर्णयों का अनुपालन प्राधिकरण द्वारा किया गया था। इसी प्रकार, अन्य समितियों की बैठकें भी नियमित रूप से की जाती हैं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि बैठकों में लिये गये निर्णयों यथा प्राथमिताओं के निर्धारण से सम्बन्धित मुद्दे, वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन, प्रणाली के दोष सुधार एवं एडाप्टिव ट्रायल से संबंधित प्रस्तावों के भारत सरकार को प्रेषण आदि के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त अन्य समितियों द्वारा आहूत बैठकों के समर्थन में अभिलेखों की लेखापरीक्षा के द्वारा माँग किये जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

समादेश क्षेत्र के परिकल्पित समग्र विकास हेतु विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही समस्त योजनाओं के एकीकरण का अनुश्रवण शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

2.2.7.2 भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में विसंगतियाँ

किसी वित्तीय वर्ष में निष्पादित कार्यों का अभिलेखन भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा '40 कालम रिपोर्ट' में किया जा रहा था तथा निष्पादित कार्यों की भौतिक प्रगति 'भौतिक प्रगति रिपोर्ट' में प्राधिकरण को प्रेषित की जा रही थी। नमूना परीक्षित जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009–14 की अवधि में वास्तविक कार्य निष्पादन के सापेक्ष प्रगति कम/अधिक (51 से 131 प्रतिशत तक) पक्की गूल (104 प्रतिशत, प्रतिवेदितः 619.13 किमी, निष्पादितः 596.97 किमी) कच्ची गूल (126 प्रतिशत, प्रतिवेदितः 4,266.37 किमी, निष्पादितः 3,377.83 किमी) संरचनाएं (51 प्रतिशत, प्रतिवेदितः 3,433 संख्या में, निष्पादितः 6,735 संख्या में) तथा क्षेत्र ड्रेन्स (131 प्रतिशत, प्रतिवेदितः 74.55 किमी, निष्पादितः 57.03 किमी) प्रतिवेदित की गयी थी ***(परिशिष्ट 2.2.23)***।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि जहाँ निष्पादित एवं प्रतिवेदित प्रगति में अन्तर पाया गया है, आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

2.2.7.3 वेब आधारित अनुश्रवण का अभाव

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यों की त्रैमासिक प्रगति की स्थिति के प्रेषण हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रक्षेत्र विकास कार्य परियोजना का वेब आधारित अनुश्रवण किया जाना था। प्राधिकरण एवं नमूना परीक्षित जनपदों के अभिलेखों की नमूना–जाँच में पाया गया कि वेब आधारित अनुश्रवण व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी थी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि विभागीय वेबसाइट अभी प्रारम्भिक अवस्था में है।

2.2.7.4 गुणवत्ता नियंत्रण

उत्तर प्रदेश शासन एवं जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य हस्ताक्षरित (दिसम्बर 2010) सहमति–ज्ञापन निर्धारित करता है कि कार्य निष्पादन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित की जाएगी तथा विगत वित्तीय वर्ष में कराये गये कार्यों के संबंध में एक स्वतंत्र संस्था (विभाग से इतर एक विशेषज्ञ अभिकरण) की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जुलाई–अगस्त में जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। सहमति–ज्ञापन में यह भी उल्लिखित है कि गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया इस प्रकार होनी चाहिये कि आँकड़ों की सत्यता तथा कार्यों की गुणवत्ता हेतु प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके। अग्रेतर, सीमेन्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश (मार्च 1999) के अनुसार आपूर्तित सीमेन्ट की नमूना–जाँच लोक निर्माण विभाग के अनुसंधान संस्थान, लखनऊ या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में करायी जाएगी। नमूना–जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009–14 के मध्य न तो सीमेन्ट की जाँच करायी गयी न ही वांछित रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को प्रेषित की गयी। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गयी थी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि यथासम्भव निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि गुणवत्ता सुनश्चित करने हेतु प्राधिकरण द्वारा सामग्री की कोई जाँच नहीं करायी गयी थी।

2.2.7.5 भौतिक निरीक्षण/प्रक्षेत्र विकास कार्यों का सत्यापन

उप निदेशकों द्वारा मात्र 45 प्रतिशत निरीक्षण किया गया था।

प्रक्षेत्र विकास मैनुअल के अनुसार उप निदेशकों द्वारा अपने परिक्षेत्र में प्रक्षेत्र विकास कार्यों के 10 प्रतिशत कुलाबों का भौतिक सत्यापन किया जाना था। नमूना–जाँच में पाया गया कि चयनित आठ जनपदों[41] में वर्ष 2009–14 के मध्य 1,407 कुलाबों का निर्माण किया गया। इस प्रकार, 141 कुलाबों का भौतिक सत्यापन किया जाना था किन्तु, उप निदेशकों द्वारा मात्र 63 कुलाबों (45 प्रतिशत) का सत्यापन किया गया ***(परिशिष्ट–2.2.24)***। अग्रेतर, यह भी पाया गया कि वर्ष 2013–14 में पाँच उप निदेशक[42] भूमि संरक्षण अधिकारी का पद भी धारण किये हुए थे जिससे कि कार्यों की अनुश्रवण प्रणाली कमजोर रही, क्योंकि प्रक्षेत्र विकास मैनुअल के अनुसार, उप निदेशकों को भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा कराये गये कार्यों का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण करना था।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया था तथा बताया गया कि उप निदेशकों को निर्धारित 10 प्रतिशत गूलों के सत्यापन हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

2.2.7.6 प्रक्षेत्र विकास कार्यों का राजस्व अभिलेखों में अंकन न किया जाना

दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादित प्रक्षेत्र विकास कार्यों जिसमें नक्शे भी सम्मिलित थे, को राजस्व अभिलेखों में अभिलेखित कराया जाना था। नमूना–जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009–14 के मध्य किसी भी नमूना परीक्षित जनपद में कराये गये प्रक्षेत्र विकास कार्यों का राजस्व अभिलेखों में अभिलेखीकरण सुनिश्चित नहीं किया गया था।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया कि सृजित सम्पत्तियों के नक्शे की प्रति राजस्व अभिलेखों में अंकन हेतु सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को सदैव उपलब्ध करायी

[41] बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, हरदोई, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली एवं वाराणसी।
[42] आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, मिर्जापुर, वाराणसी।

गयी है जिसका अनुश्रवण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि नमूना परीक्षित जनपदों के भूमि संरक्षण अधिकारियों ने यह तथ्य स्वीकार (जून 2014) किया था कि कराये गये प्रक्षेत्र विकास कार्यों का अभिलेखीकरण राजस्व अभिलेखों में नहीं किया गया था।

2.2.7.7 समवर्ती मूल्यांकन

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के निष्पादन का आकलन करने हेतु इसका समवर्ती मूल्यांकन कराया जाना था जिससे बाधाओं को चिन्हित कर सुधारात्मक उपाय किया जा सके। यह पाया गया कि वर्ष 2009–14 के मध्य समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन नहीं कराया गया था। इस प्रकार, समवर्ती मूल्यांकन द्वारा चिन्हित सम्भावित कमियों के मध्यवर्ती सुधार का लक्ष्य अप्राप्त रहा।

शासन द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

2.2.8 निष्कर्ष

- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समतुल्य अंश अवमुक्त नहीं किया गया जिससे कार्यक्रम की प्रगति बाधित हुयी;

- बीस प्रतिशत के मानक के सापेक्ष अधिष्ठान मद में गैर–आनुपातिक रूप से अत्यधिक व्यय (प्रक्षेत्र विकास कार्य का 100 प्रतिशत) किया गया ।

- समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम की आयोजना अपर्याप्त थी। फलस्वरूप, बिना नियोजन के कार्यों का निष्पादन हुआ और कार्यक्रम के विभिन्न घटकों का क्रियान्वयन नहीं कराया गया।

- कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति धीमी थी क्योंकि केवल प्रक्षेत्र विकास कार्य ही कराये जा रहे थे। यहां तक कि प्रक्षेत्र विकास कार्यों के घटकों अर्थात पक्की, कच्ची गूलें, संरचनाएं एवं क्षेत्र ड्रेन्स के निर्माण की प्रगति विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष क्रमशः 25, 32, 27 एवं आठ प्रतिशत रही।

- मात्र आठ प्रतिशत जल उपभोक्ता संघों के साथ सहमति–ज्ञापन हस्ताक्षरित किये गये थे। प्राधिकरण 32 में से 27 जनपदों में जल उपभोक्ता संघों का गठन सुनिश्चित करने में विफल रहा। गठित किसी भी जल उपभोक्ता संघ को एकमुश्त क्रियान्वयन एवं आधारभूत संरचना अनुदान नहीं दिया गया था;

- अनुश्रवण कमजोर था, गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव था एवं समवर्ती मूल्यांकन नहीं कराया गया था। कमजोर अनुश्रवण एवं समवर्ती मूल्यांकन का अभाव प्रदेश सरकार को कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सुधारात्मक कदम, यदि कोई हों, उठाने के अवसर से वंचित रखा।

- इस प्रकार, कार्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुये क्योंकि वर्ष 2009–14 की अवधि में ₹ 459.59 करोड़ के व्ययोपरांत भी समादेश क्षेत्र की शारदा एवं शारदा सहायक नहर परियोजनाओं में सृजित एवं उपभोगित सिंचन क्षमता में 72 प्रतिशत का अन्तर था, जो कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं कृषकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रत्याशित उन्नयन की संभावना को क्षीण कर रहा था।

राज्य कृषि विश्वविद्यालय,
फैजाबाद एवं मेरठ



कृषि शिक्षा
एवं अनुसंधान विभाग

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

2.3 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद एवं मेरठ

कार्यकारी सारांश

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की निष्पादन लेखापरीक्षा में परिलक्षित हुआः

वित्तीय प्रबन्धन

- यद्यपि, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में ₹ 963.33 करोड़ की धनराशि का व्यय 2009–14 के मध्य किया गया, परन्तु न तो मुख्य रोकड़ बही का रखरखाव किया गया और न ही बैकों से अवशेष का समाधान किया गया। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा अवधि 2011–14 तथा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा अवधि 2013–14 के वार्षिक लेखे भी नहीं बनाये गये थे।

(प्रस्तर 2.3.7 एवं 2.3.14)

शैक्षणिक गतिविधियाँ

- नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के चार घटक महाविद्यालयों में चार पाठ्यक्रमों को बिना विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के आवश्यक अनुमोदन के संचालित किया जा रहा था।

(प्रस्तर 2.3.8.1)

- अवधि 2009–14 के मध्य शैक्षणिक कर्मचारियों की कमी के कारण नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में शैक्षणिक कार्य प्रभावित रहा। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में छात्रों की प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नामांकन कम था एवं ड्रापआउट की दर उच्च थी। अवधि 2009–14 के मध्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में 95 प्रतिशत एवं सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में 92 प्रतिशत विद्यार्थियों को सेवा योजन प्राप्त नहीं हुआ था।

(प्रस्तर 2.3.8.2, 2.3.8.4, 2.3.8.5, 2.3.15.1 एवं 2.3.15.4)

- भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रावधानित 87 संकाय सदस्यों के मापदण्ड के सापेक्ष नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद एवं सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में क्रमशः 50 एवं 15 शैक्षणिक संकाय सदस्यों द्वारा पशु चिकित्सा एवं पशुपालन का स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा था। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में, ₹ 62.99 लाख के व्यय के उपरान्त भी पुस्तकालय का डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के संघटक महाविद्यालयों में आवश्यकता अनुसार कक्षाऐं एवं प्रेक्षागृह उपलब्ध नहीं थे।

(प्रस्तर 2.3.8.3, 2.3.8.6, 2.3.8.7, 2.3.15.2 एवं 2.3.15.6)

शोध गतिविधियाँ

- दोनों विश्वविद्यालयों में अधिकांश परियोजनायें अपूर्ण (मार्च 2014) थी। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के फसल अनुसंधान केन्द्रों पर शोध कार्यक्रम नहीं किये गए थे। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में पशु अनुसंधान परियोजना को मध्य में ही बंद कर दिया गया था।

(प्रस्तर 2.3.9.1, 2.3.9.3, 2.3.16.1 एवं 2.3.16.2)

- अधिकांश अधिसूचित बीज प्रजाति के अभिजनक एवं आधारीय बीजों का उत्पादन नहीं किया गया था। अग्रेतर आधिकांश विकसित बीज प्रजातियों को न तो अधिसूचित कराया गया और न ही पेटेंट कराया गया था। बीजों का विक्रय अनाज के रूप में भी करने के फलस्वरूप ₹ 2.57 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.3.9.4, 2.3.9.5, 2.3.16.3 एवं 2.3.16.4)

प्रसार गतिविधियाँ

- नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में सामुदायिक रेडियो स्टेशन क्रियाशील नहीं था। दोनों विश्वविद्यालयों में मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालायें, मोबाइल डायग्नोस्टिक–सह–प्रदर्शनी इकाई और जैव नियंत्रण इकाईयां अक्रियाशील थी।

(प्रस्तर 2.3.10.3, 2.3.10.4, 2.3.10.5, 2.3.17.3 एवं 2.3.17.4)

2.3.1 प्रस्तावना

कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य, केंद्रित हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने, अनुसंधान कार्यों को संपादित करने और फसल उत्पादन के अंतराल को कम करने के लिए कृषि एवं प्रौद्योगिक का विकास/हस्तांतरण किया जाना था। उत्तर प्रदेश में पाँच कृषि विश्वविद्यालय, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, मान्यवर श्री कांशीरामजी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, *सैम हिंगिनबाटम* कृषि प्रौद्योगिक एवं विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद और सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ कार्यशील हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (विश्वविद्यालय अधिनियम) के अधीन जनवरी 1974 में नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद एवं अक्टूबर 2000 में सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गयी थी। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अधिकार क्षेत्र में फैजाबाद में पाँच[1] संघटक महाविद्यालयों के अतिरिक्त अम्बेडकर नगर में महामाया कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिक महाविद्यालय (स्थापितः 2002); सात क्षेत्रीय शोध केन्द्र[2], 17 कृषि विज्ञान केन्द्र[3] और चार कृषि ज्ञान केन्द्र[4] थे। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक

[1] कृषि महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय, उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, मत्स्य महाविद्यालय और पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय।

[2] बहराइच, बड़ीबाग, बसुली, फैजाबाद, घाघराघाट, मसौधा और तिसुही।

[3] अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, चन्दौली, फैजाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, महराजगंज, मऊ, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और वाराणसी।

[4] अमेठी, देवरिया, गाजीपुर और गोण्डा।

विश्वविद्यालय, मेरठ के अधिकार क्षेत्र में तीन संघटक महाविद्यालय[5], तीन फसल अनुसंधान केन्द्र[6], 13 कृषि विज्ञान केन्द्र[7] और दो कृषि ज्ञान केन्द्र[8] थें।

2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद एवं सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के कुलाधिपति उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल हैं। विश्वविद्यालयों के प्रधान कार्यकारी कुलपति हैं। प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग कृषि विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए उत्तरदायी हैं। संगठनात्मक चार्ट ***परिशिष्ट–2.3.1*** में दिया गया है।

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 7 (के) के अनुसार, प्रबंधन परिषद और विद्वत परिषद कृषि विश्वविद्यालय के शैक्षिक मामलों के अनुश्रवण एवं संचालन के लिए सर्वोच्च निकाय हैं। प्रबंधन परिषद में पदेन अध्यक्ष के रूप में कुलपति एवं सोलह सदस्य सम्मिलित रहते हैं। रजिस्ट्रार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। निधियों के पर्यवेक्षण एवं बजट तथा वार्षिक लेखों को तैयार करने के लिए नियंत्रक उत्तरदायी है।

2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह जाँच करना था कि क्याः

- वित्तीय प्रबंधन प्रभावी और कुशल था,
- प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु शैक्षणिक कार्य के लिए पर्याप्त संस्थागत क्षमता थी,
- उपज अंतराल को कम करने और खाद्यान्न की उत्पादकता में वृद्धि के परिकल्पित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान और प्रसार गतिविधियॉ प्रभावी थीं, और
- एक प्रभावी अनुश्रवण तंत्र विद्यमान था।

2.3.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड निम्नलिखित से प्राप्त किया गया हैः

- भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्गत किए गए दिशा–निर्देश;
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश; और
- बजट मैनुअल, राज्य वित्तीय नियमावली आदि।

[5] सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्याोगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में कृषि महाविद्यालय, जैव प्रौद्योगिक महााविद्यालय और पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय।

[6] बुलन्दशहर, नगीना और उझानी।

[7] बागपत, बिजनौर, बदायूँ, बुलन्दशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर एवं शाहजहाँपुर।

[8] बरेली एवं ज्योतिबा फूले नगर।

2.3.5 कार्य क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए राज्य में संचालित पाँच कृषि विश्वविद्यालयों में से दो विश्वविद्यालय, राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद एवं सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ का चयन किया गया था। अवधि 2009–14 के मध्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रसार गतिविधियों और वित्तीय प्रबंधन के अभिलेखों का फरवरी 2014 से जुलाई 2014 के मध्य परीक्षण किया गया। नमूना जाँच में 12[9] कृषि विज्ञान केन्द्रों/कृषि ज्ञान केन्द्रों के अभिलेखों का भी परीक्षण किया गया।

उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के साथ परिचयात्मक बैठक (मई 2014) आयोजित की गयी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मापदंड, कार्य क्षेत्र और पद्धति पर चर्चा की गयी। प्रमुख सचिव के साथ समापन बैठक 14 नवम्बर 2014 को आयोजित की गयी जिसमें तथ्यों, आंकड़ों और संस्तुतियों को स्वीकार किया गया। शासन के उत्तरों (नवम्बर 2014) को समुचित रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

2.3.6 सीमाएं

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद एवं सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ से बार–बार अनुरोध के पश्चात भी, कुछ सूचनायें/अभिलेखों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया और नवम्बर 2014 तक बहुतायात लेखापरीक्षा आपत्तियों/पृच्छाओं के उत्तर ***(परिशिष्ट–2.3.2)*** नहीं दिये गये थें, जो कि लेखापरीक्षा परिणामों को सीमित करता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद

2.3.7 वित्तीय प्रबंधन

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद का वार्षिक बजट, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य संस्थाओं से शोध तथा प्रसार की योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन/सम्पादन हेतु प्राप्त अनुदान के आधाार पर बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय छात्रों से प्राप्त शुल्क, फार्म की बिक्री, बीजों की बिक्री इत्यादि से भी अपनी आय अर्जित करता है ।

2.3.7.1 वार्षिक लेखों को विलम्ब से बनाया जाना

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 34(1) के अनुसार वार्षिक लेखा कुलपति के दिशा–निर्देशन में बनाया जाना था तथा बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाना था। हमनें पाया कि वर्ष 2011–14 के वार्षिक लेखे तैयार किये जा रहे थे। परिणामस्वरूप, वर्षवार अद्यतन सम्पत्ति का मूल्य एवं दायित्व तथा आय से अधिक व्यय एवं विलोमतः सुनिश्चित नहीं किया जा सका था। अंग्रेतर, खाते के ऋणात्मक अवशेषों के कारणों का भी समाधान नहीं किया गया था।

इंगित किये जाने पर, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आश्वस्त किया गया कि वार्षिक लेखे तैयार किये जायेंगे।

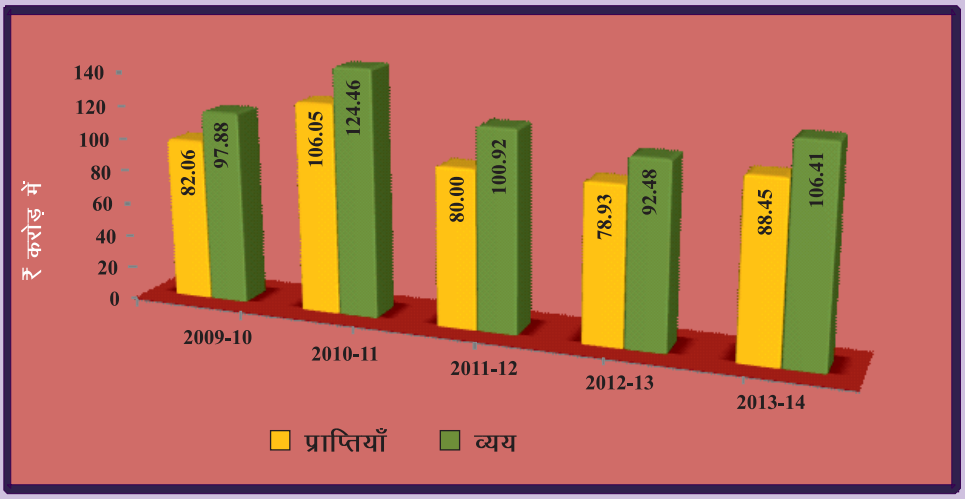
[9] नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में छः कृषि विज्ञान केन्द्रों (बाराबंकी, बलिया, फैजाबाद, गोरखपुर, जौनपुर और सिद्धार्थनगर) और एक कृषि ज्ञान केन्द्र (गाजीपुर) तथा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में चार कृषि विज्ञान केन्द्रों (बदायूँ, बिजनौर, मेरठ और शाहजहाँपुर) और एक कृषि ज्ञान केन्द्र (बरेली)।

2.3.7.2 वित्तीय स्थिति

अवधि 2009–14 के मध्य ₹ 522.15 करोड़ की धनराशि का व्यय।

अवधि 2009–14 के मध्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा ₹ 435.49 करोड़ प्राप्त किया गया तथा ₹ 522.15 करोड़ का व्यय किया गया था। वर्षवार प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति **चित्र 1** में दी गई है।

चित्र 1: वर्ष 2009–14 के मध्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में प्राप्ति एवं व्यय



(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

चित्र 1 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2009–14 के मध्य, आय पर व्यय की अधिकता ₹ 13.55 करोड़ से ₹ 20.92 करोड़ के मध्य थी, जो अन्य योजनाओं की धनराशि यथा शोध, बीज उत्पादन तथा अन्य विकास गतिविधियों से व्ययावर्तित कर की गयी थी ***(परिशिष्ट–2.3.3)***।

2.3.7.3 सामान्य रोकड़ बही का रख–रखाव न किया जाना

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–पाँच (भाग–1, नियम 27 ए) प्रावधानित करता है कि वित्तीय अवधि के समस्त लेन–देन को संस्था द्वारा एक सामान्य रोकड़ बही में अभिलिखित किया जाना चाहिए। हमनें पाया कि प्राप्ति एवं व्यय से सम्बन्धित समस्त लेन–देन की प्रविष्टि हेतु सामान्य रोकड़ बही नहीं बनाई (2009–14) गई थी। यद्यपि 101 सहायक रोकड़ बही बनाई गयी थीं, लेकिन बैंक के अवशेषों के साथ उनके अवशेषो का समाधान (2009–14) कभी नहीं किया गया था। अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि मार्च 2014 में छात्रवृत्ति खाते से सम्बन्धित ₹ 1.77 करोड़ का ऋणात्मक अवशेष विश्वविद्यालय की रोकड़ बही में दर्ज था।

इंगित किये जाने पर, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताया गया कि मुख्य रोकड़ बही को रख–रखाव न किये जाने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

2.3.7.4 सामान्य भविष्य निधि अंशदान का व्ययावर्तन

उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (आय–व्यय) अनुभाग–1 के दिनांक 31.03.2002 के आदेश के अनुसार सामान्य भविष्य निधि अंशदान को कोषागार में मुख्य शीर्ष–8009 (उप शीर्ष–14) में जमा किया जाना चाहिए था। लेकिन कर्मचारियों के वेतन भत्तों से

कटौती किए गए (अगस्त 2011 से फरवरी 2014) सामान्य भविष्य निधि अंशदान (₹ 21.48 करोड़) को कोषागार में जमा नहीं किया गया था। अंशदान को बैंक खाते में निरूद्ध रखा गया था तथा समस्त धनराशि ₹ 21.48 करोड़ को कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान पर व्ययावर्तित किया गया था।

इंगित किये जाने पर, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताया गया कि सामान्य भविष्य निधि अंशदान को कोषागार में जमा न किये जाने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

2.3.7.5 अनियमित शुल्क प्रतिपूर्ति

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को अनुमोदित पाठ्यक्रमों हेतु अनिवार्य रूप से वापस न किए जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गयी थी (जूलाई 2011)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए ₹ 2.14 करोड़ की अनुमन्य शुल्क प्रतिपूर्ति (वर्ष 2010–13 के मध्य) के विरूद्ध ₹ 2.43 करोड़ रूपये की शुल्क प्रतिपूर्ति का दावा, जिला समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद को प्रस्तुत किया गया था, जिसे स्वीकृत एवं अवमुक्त (अप्रैल 2011 से जनवरी 2013) किया गया। फलस्वरूप, ₹ 0.29 करोड़ की अधिक प्रतिपूर्ति की गयी।

- उत्तर प्रदेश शासन के अनुदेशों की अवहेलना करते हुए ₹ 1.30 करोड़ की शुल्क (अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ₹ 0.54 करोड़, सामान्य वर्ग के गरीबों हेतु ₹ 0.31 करोड़ तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु ₹ 0.45 करोड़) गैर अनुमोदित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्रों को भी प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की गयी थी।

उत्तर प्रदेश शासन ने अधिक शुल्क प्रतिपूर्ति के दावों की जॉच करने का आश्वासन दिया।

2.3.7.6 बकाया वेतन का अनियमित भुगतान

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुदेशों के अनुसार राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा अध्यापकों के लिए पूर्व वांछित योग्यता थी एवं छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर बकाया वेतन का भुगतान मात्र उन शिक्षकों को ही किया जाना था जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2006 के पूर्व हुई हो और वे राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण हों। जांच में यह पाया गया कि बकाया वेतन के भुगतान हेतु ₹ 26.13 करोड़ (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदः ₹ 20.91 करोड़ एवं राज्य सरकार : ₹ 5.22 करोड़) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राज्य सरकार से प्राप्त किया गया था जिसमें से ₹ 16.59 करोड़ (₹ 14.44 करोड़ की धनराशि 2011–12 में अयोग्य अध्यापकों एवं ₹ 2.15 करोड़ की धनराशि वर्ष 2011–14 के मध्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते पर) अनियमित रूप से व्यय किए गए थे एवं शेष ₹ 9.54 करोड़ बैंक में पड़े थे।

शासन द्वारा अवगत कराया गया कि आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर प्रदेश शासन को समय से लेखे बनाना, निर्धारित अभिलेखों का सामयिक रखरखाव हेतु समुचित प्रणाली को बनाना तथा वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करना चाहिये।

2.3.8 शैक्षणिक गतिविधियाँ

2.3.8.1 पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 16(1) एवं 28(एफ) के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद ही 'शैक्षणिक गतिविधियों की प्रभारी होगी' एवं नवीन पाठ्यक्रम केवल विद्वत परिषद की अनुशंसा पर तथा प्रबंध परिषद एवं कुलाधिपति के अनुमोदन से ही प्रारम्भ किया जा सकता है।

शासन के अनुमोदन के बिना पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किया गया।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में छह स्नातक, चार परास्नातक पाठ्यक्रम (कृषि, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन; अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी; मत्स्य तथा गृह विज्ञान एवं उद्यान) तथा कृषि में *डाक्टर ऑफ फिलासफी* (पीएचडी.) संचालित थे। अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि विद्वत परिषद ने चार नये पाठ्यक्रमों का अनुमोदन (2000–09) किया जिसका विवरण **सारणी 1** में निम्नवत है:

सारणी 1: विद्वत परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम

क्र0 सं0	अवधि	पाठ्यक्रम का नाम	महाविद्यालय का नाम	घोषित उत्तीर्ण छात्रों की संख्या
1	2006–07	बी0एस0सी0 (उद्यान)	उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय	62
2	2006–07	बी0एस0सी0 (मत्स्य)	मत्स्य महाविद्यालय	55
3	2008–09	बी0टेक0 (कम्प्यूटर विज्ञान)	महामाया कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिक महाविद्यालय, अम्बेडकरनगर	58
4	2000–01	कम्प्यूटर *एप्लीकेशन* में स्नातकोत्तर *डिप्लोमा*	कृषि महाविद्यालय	211
शैक्षणिक सत्र जुलाई माह से प्रारम्भ				

(स्रोत: विश्वविद्यालय के अभिलेख)

विद्वत परिषद के अनुमोदनोपरान्त उक्त पाठ्यक्रमों पर कुलाधिपति से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव मात्र जनवरी 2014 में प्रेषित किया गया था, विलम्ब से प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण इसे अनुमोदित नहीं (जून 2014) किया गया था। परिणामस्वरूप, उक्त पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियमों में सम्मिलित नहीं किया गया था। फिर भी, उक्त शैक्षणिक सत्रों से प्रारम्भ पाठ्यक्रम बिना अनुमोदन के अभी भी चल रहे थे।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवगत कराया गया कि (नवम्बर 2014) उक्त पाठ्यक्रमों की अनुमति जून 2014 में प्रदान की गयी थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कुलाधिपति के आवश्यक अनुमोदन के पश्चात् ही पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किया जाना था। इसके अतिरिक्त, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन पाठ्यक्रम का अनुमोदन कुलाधिपति से अभी प्राप्त होना शेष है, जबकि, उक्त पाठ्यक्रम 2000–01 से प्रारम्भ हो चुका था।

उत्तर प्रदेश शासन को पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के पूर्व कुलाधिपति का वांछित अनुमोदन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.3.8.2 शैक्षणिक कर्मचारी

प्राध्यापक–सह–विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक/वैज्ञानिक एवं सहायक प्राध्यापक/सहायक वैज्ञानिक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारी हैं।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में शैक्षणिक कर्मचारियों की कमी।

वर्ष 2009–14 के मध्य प्राध्यापक–सह–विभागाध्यक्ष, सह प्राध्यापक/वैज्ञानिक, एवं सहायक प्राध्यापक/सहायक वैज्ञानिक के अधिकांश पद रिक्त थे ***(परिशिष्ट–2.3.4)***। इसके अतिरिक्त, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के विद्वत परिषद द्वारा शोध सहायकों को अध्यापक/व्याख्याता घोषित (मार्च 1992) किया गया था जबकि वे अपेक्षित योग्यता धारित नहीं करते थे। शैक्षणिक कर्मचारियों की कमी ने शिक्षण एवं शोध कार्यों को प्रभावित किया जिसकी चर्चा प्रस्तर 2.3.8.4 एवं 2.3.9.3 में की गयी है ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताया गया कि प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों तथा वैज्ञानिकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही अतिशीघ्र की जाएगी।

2.3.8.3 पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए मापदण्ड

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के विनियम 2008 के अन्तर्गत बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एवं एनीमल हस्बेन्ड्री में पाँच वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के प्रारम्भ करने हेतु 87 शैक्षणिक संकाय सदस्यों का होना आवश्यक था। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 15(2) निर्दिष्ट करती है कि इस मानक को पूर्ण किए बिना पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ नही किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- यद्यपि शैक्षणिक संकाय सदस्य भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के मानकों से कम (अक्टूबर 2012 तक 31, अप्रैल 2013 तक 40 तथा मार्च 2014 तक 50) पद थे, उत्तर प्रदेश शासन ने बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एवं एनीमल हस्बेन्ड्री पाठ्यक्रम हेतु मात्र 64 पद सृजित किये थे। इस पाठ्यक्रम हेतु वर्ष 2009–10 बैच में 44 छात्रों की प्रवेश क्षमता के सापेक्ष 69 छात्र (50 नये नामांकित छात्र एवं 19 *रिपीटर्स* सहित) अध्ययनरत थे जिसमें से केवल 37 छात्र (54 प्रतिशत) उत्तीर्ण हुए थे। अग्रेतर, वर्ष 2009–13 के मध्य पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम में चार वर्षों से प्रत्येक वर्ष के प्रथम सेमस्टर में कुल 92 अनुर्त्तीण छात्र अध्ययनरत थे ।

- शैक्षणिक संकाय सदस्यों की संख्या में कमी और अन्य मानकों जैसे–दृश्यश्रव्य सुविधा, स्वास्थ्य इकाई, पशुओं के लिए वाह्य चिकित्सा विभाग एवं मछली पालन केन्द्र की सुविधा न होने के कारण भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली ने बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एवं एनीमल हस्बेन्ड्री में वर्ष 2012–13 सत्र हेतु छात्रों का नामांकन प्रतिबंधित (अप्रैल 2012) कर दिया था। इसलिए वर्ष 2012–14 के मध्य विश्वविद्यालय द्वारा 88 छात्रों की प्रति वर्ष प्रवेश क्षमता के सापेक्ष कोई भी छात्र इन वर्षों में नामांकित नहीं किया गया।

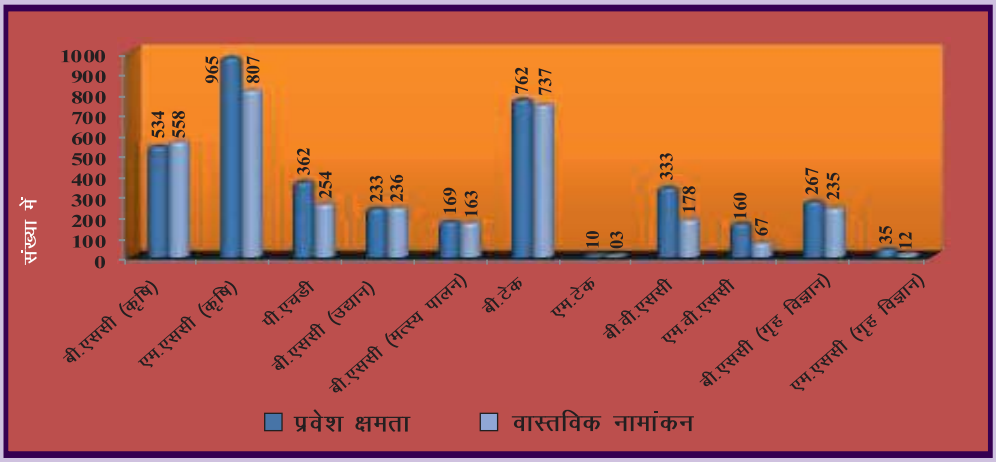
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताया गया कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन किया जाएगा।

2.3.8.4 नामांकन में कमी एवं *ड्रापआउट* की उच्च दर

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की विद्वत परिषद ने, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद तथा भारतीय कृषि एवं अनुसन्धान परिषद के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न संघटक महाविद्यालयों में छात्र प्रवेश क्षमता निर्धारित की थी। तथापि,

वर्ष 2009–14 के मध्य विभिन्न संघटक महाविद्यालयों में छात्र प्रवेश क्षमता विद्वत परिषद द्वारा निर्धारित छात्र प्रवेश क्षमता के सापेक्ष छात्र नामांकन में कमी देखी गयी थी जैसा कि **चित्र 2** में एवं विवरण ***परिशिष्ट–2.3.5*** में दिया गया है।

चित्र 2: वर्ष 2009–14 के मध्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष छात्र नामांकन



(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

चित्र 2 से देखा जा सकता है कि नामांकन में तीन से 70 प्रतिशत के मध्य कमी थी ***(परिशिष्ट–2.3.5)***। नामांकन में कमी के अतिरिक्त, छात्रों के कालेज छोड़ने की दर वर्ष 2009–13 के मध्य बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (कम्प्यूटर विज्ञान) में तीन से 47 प्रतिशत, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (कृषि) में दो से 18 प्रतिशत, बैचलर ऑफ साइन्स (मत्स्य) में शून्य से 26 प्रतिशत, मास्टर ऑफ साइन्स (कृषि) में 10 से 16 प्रतिशत एवं मास्टर ऑफ वेटनरी साइन्स में शून्य से 33 प्रतिशत के मध्य थी ***(परिशिष्ट–2.3.6)***।

छात्रों के नामांकन में कमी एवं कालेज छोड़ने की उच्च दर मुख्य रूप से (अधिकांशतः) असमुचित शिक्षण संकाय, अपर्याप्त बुनियादी सुविधायें (क्लासरूम इत्यादि) एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद सेवायोजन की अपर्याप्त सुविधा के कारण थी।

उत्तर पुस्तिकाओं की अपर्याप्त जाँच एवं मूल्यांकन

अग्रेतर, (वर्ष 2009–14) में 965 छात्रों ने उत्तर–पुस्तिकाओं की जाँच के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 192 छात्रों को प्रदान किए गये मूल अंकों से अधिक एवं 7 छात्रों को प्रदान किए गये मूल अंकों से कम अंक प्रदान किया गया। 237 छात्रों में से 137 छात्रों को पुर्नमूल्यांकन (वर्ष 2010–12) के पश्चात् मूल अंको से अधिक अंक प्रदान किया गया। यह इंगित करता है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का स्तर भी अपर्याप्त था।

उत्तर प्रदेश शासन ने आश्वस्त किया कि प्रवेश क्षमता के अनुरूप छात्र नामांकित किए जाएंगे। यद्यपि, तथ्य इंगित कर रहे थे कि वर्ष 2009–14 के मध्य कृषि एवं सह विज्ञान में एक निर्धारित संख्या में छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य अप्राप्त रहा था। इसके अतिरिक्त, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं जाँच में आवश्यक सावधानी नहीं बरती गयी थी।

2.3.8.5 छात्रों को सेवायोजन

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(3) के अनुसार सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले स्नातकों के सेवायोजन में संकाय अध्यक्ष, छात्र कल्याण सहायता करेंगे। यद्यपि, सेवायोजन प्रकोष्ठ का गठन वर्ष 2006 में किया गया था लेकिन संकाय अध्यक्ष, छात्र कल्याण की तैनाती न होने के कारण क्रियाशील नहीं था। सफल छात्रों का कोई *फीड बैक* कम्पनियों को मुहैया नहीं कराया गया था तथा केवल कुछ ही कम्पनियाँ *कैंपस* चयन हेतु उपस्थित हुई थी। अवधि 2009–13 के मध्य, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में 1,393 उत्तीर्ण छात्रों में से 69 छात्र (पाँच प्रतिशत) ही सेवायोजित हुये थे। सभी उत्तीर्ण छात्रों के सेवायोजन का विवरण विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध नहीं था।

उत्तर प्रदेश शासन ने बताया कि सेवायोजन प्रकोष्ठ के समुचित क्रियान्वयन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।

2.3.8.6 पुस्तकालय का संचालन

मौजूदा पुस्तकालय को *डिजिटाइज* करने के दृष्टिकोण से, डिजिटल लाइब्रेरी ऑटोमेशन और नेटवर्किंग की स्थापना हेतु ₹ 69.99 लाख की एक परियोजना सितम्बर 2011 में स्वीकृति की गयी थी। परियोजना में कम्प्यूटर आदि की अवस्थापना के साथ पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली *साफ्टवेयर* तथा *जर्नल* संग्रह एवं रखरखाव प्रणाली आदि सम्मिलित थी। इसी क्रम में, उपरोक्त के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने ₹ 69.99 लाख अवमुक्त (वर्ष 2011–12) किया था। अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा मार्च 2012 तक कार्य को पूर्ण करने हेतु उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ के साथ सहमति ज्ञापन सम्पादित (नवम्बर 2011) किया गया और उसे ₹ 62.99 लाख[10] (नवम्बर 2011: ₹ 35 लाख एवं मार्च 2012: ₹ 27.99 लाख) का अग्रिम दिया गया। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ द्वारा कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति की गयी (जनवरी 2012)। फिर भी, कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से दो वर्ष व्यतीत होने एवं ₹ 62.99 लाख (90 प्रतिशत) व्यय के पश्चात भी *डिजिटाइजेशन* कार्य अपूर्ण था। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल एवं नेटवक्रिंग प्रणाली की एक वर्ष की वारण्टी अवधि भी जनवरी 2013 में समाप्त हो चुकी थी। शेष धनराशि ₹ सात लाख भी सितम्बर 2011 से बैंक में नवम्बर 2014 तक पड़ी थी।

अग्रेतर, यह भी पाया गया कि वर्ष 2008 से पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं (नवम्बर 2014) की गई थी। इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय में इंटरनेट और परिसर में वाई–फाई की सुविधा की अनुपलब्धता के कारण, वर्ष 2011–13 के मध्य ₹ 53.16 लाख के क्रय की गई ई–पुस्तकों[11] के लाभ से छात्र और शिक्षक वंचित रहे।

उत्तर प्रदेश वित्तीय नियमों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार समस्त भंडार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाण–पत्र दर्ज किया जाना चाहिये। फिर भी, वर्ष 2009–14 के मध्य पुस्तकालय की संपत्ति का भौतिक सत्यापन कभी नहीं किया गया था।

[10] 50 प्रतिशत अग्रिम आपूर्ति आदेश के साथ और 40 प्रतिशत सुपुर्दगी के बाद।
[11] डिजिटल रूप में एक इलेक्ट्रानिक पुस्तक।

उत्तर प्रदेश शासन ने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी ऑटोमेशन और नेटवर्किंग को यथाशीघ्र क्रियाशील किया जाएगा। यह भी बताया गया कि नियमानुसार पुस्तकालय को समुचित रूप से क्रियाशील किया जायेगा एवं सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन मानकों के अनुसार किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, संरचित बुनियादी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग एवं अपेक्षित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र विकसित करना चाहिए।

2.3.8.7 बुनियादी सुविधाओं की अपर्याप्तता/अभाव होना

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की चतुर्थ संकाय अध्यक्ष समिति के कृषि शिक्षा, 2007, के मानकों के अनुसार प्रत्येक संकाय में स्नातक पाठ्यक्रम हेतु चार कक्षायें, एक परीक्षा कक्ष; प्रत्येक संकाय विभाग में एक स्नातकोत्तर कक्षा, एक प्रयोगशाला एवं एक सभागार होना चाहिए; एवं प्रत्येक कक्षा स्लाइड/प्रोजेक्टर एवं मल्टीमीडिया से सुसज्जित होनी चाहिए।

गृह विज्ञान संकाय में केवल एक शिक्षण कक्ष उपलब्ध होने के कारण अधिकांश कक्षायें कृषि महाविद्यालय में व्यवस्थित की गयी थी। अग्रेतर, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन संकाय के पाँच विभागों के पास कोई स्नातकोत्तर शिक्षण कक्ष नहीं थे। उद्यान महाविद्यालय में कोई सभागार नहीं था। इसके अतिरिक्त, मत्स्य के सात विभागों में चार परास्नातक कक्षा कक्ष थे जिसमें कोई स्नातकोत्तर शिक्षण कक्ष संचालित नहीं था एवं आवश्यक आठ प्रयोगशालाओं में से केवल तीन संचालित थे।

उत्तर प्रदेश शासन ने आश्वस्त किया कि अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा एवं सभागार के निर्माण हेतु प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्रेषित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश शासन को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करना चाहिए ।

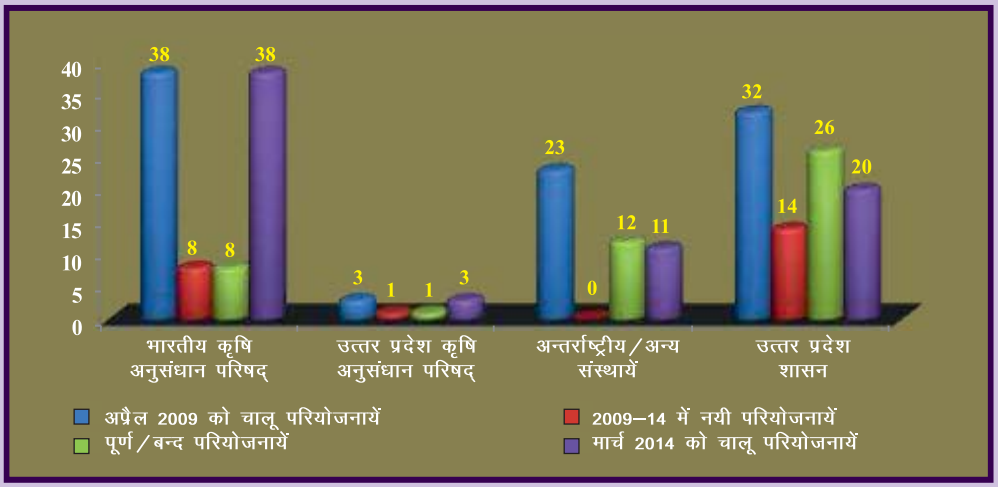
2.3.9 शोध गतिविधियाँ

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद को कृषि एवं अन्य सहयोगी क्षेत्रों में शोध कार्यों हेतु तथा फसल उपज के अन्तर को कम करने एवं अनाज के उत्पादन को बढाने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न संस्थायें (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद; उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आदि) निधि उपलब्ध कराती हैं।

2.3.9.1 शोध गतिविधियों का प्रबन्धन

शोध गतिविधियों के प्रबन्धन हेतु शोध निदेशक, प्रभारी शोध निदेशालय उत्तरदायी हैं। शोध निदेशालय द्वारा परियोजना वार स्वीकृति, परियोजना की अवधि, निधियों की स्वीकृति, अवमुक्ति तथा व्यय, वर्तमान स्थिति तथा समापन प्रतिवेदन सम्बन्धी अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था। इसलिये लेखापरीक्षा द्वारा ली गई परियोजनाओं के उद्देश्यों तथा व्ययों के सन्दर्भ में सफलता की सीमा/उपलब्धि को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार संस्थावार शोध परियोजनाओं की संख्या एवं उनके पूर्ण होने की स्थिति **चित्र 3** में एवं विवरण ***परिशिष्ट 2.3.7*** में दिया गया है ।

चित्र 3 : संस्थावार शोध परियोजनाओं की संख्या



(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

जैसा कि **चित्र 3** से स्पष्ट है कि मार्च 2014 के अन्त में 72 परियोजनायें संचालित थी तथा अवधि 2009–14 में 47 परियोजनायें समाप्त/पूर्ण हो गयी थी। संचालित 72 परियोजनाओं में से, वर्ष 2009–10 के पूर्व की 61 तथा अवधि 2009–14 के मध्य में 11[12] परियोजनायें ली गईं थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 72 संचालित शोध परियोजनाओं में 28 परियोजनायें अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना के अन्तर्गत 1976 से 2009 के मध्य ली गयी थीं, जो कि अवधि 2009–14 के मध्य ₹ 54.23 करोड़ व्यय किये जाने के पश्चात् भी मार्च 2014 तक अपूर्ण थी। इन परियोजनाओं के जारी रहने की आवश्यकता एवं प्रगति के लिये न कोई मध्यवर्ती समीक्षा एवं न ही कोई मूल्यांकन किया गया था। अग्रेतर, शोध कार्यों के लिये, परियोजनाओं के चयन के सम्बन्ध में कोई मापदण्ड नहीं बनाया गया था।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शोध गतिविधियों के अभिलेखों का रख–रखाव शोध निदेशालय में किये जाने का आश्वासन दिया गया।

उत्तर प्रदेश शासन को सभी शोध से सम्बन्धित अभिलेखों के रखरखाव तथा शोध परियोजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा समीक्षा की क्रियाविधि, पश्च समीक्षा सम्मिलित करते हुये तंत्र विकसित करना सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

2.3.9.2 शोध सलाहकारी समिति

विश्वविद्यालय की शोध सलाहकारी समिति[13] कुलपति को आवंटन/निधियों को निर्गत करने, अनुदान प्राप्त करने की शर्तों आदि की सलाह देने के लिये उत्तरदायी है। हमने पाया कि विश्वविद्यालय प्रबन्धन ने न तो शोध सलाहकारी समिति द्वारा अनुश्रवण हेतु कोई प्रक्रिया को प्रारम्भ किया और न ही शोध सलाहकारी समिति की बैठकों की आवृति को निर्धारित किया।

नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009–14 के मध्य में शोध सलाहकारी समिति की मात्र दो बैठकें आयोजित की गयी थीं जिसके फलस्वरूप उपलब्ध निधि जारी नहीं की जा सकी। कुल ₹ 7.77 करोड़ (वर्ष 2000–14) शोध कार्यो आदि में आकस्मिक व्यय करने के लिये उपलब्ध था लेकिन आवश्यक धनराशि निदेशक, शोध को अवमुक्त

[12] 2009-10:3, 2010-11:7, 2011-12:1, 2012-13: शून्य तथा 2013-14: शून्य।
[13] उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 के अनुसार।

(वर्ष 2001–14) नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप, 32 में से 16 शोध परियोजनायें[14] अवरूद्ध थी।

अग्रेतर, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा शोध परियोजनाओं के लिए अपने अंश ₹ 78.11करोड़ (75 प्रतिशत) के सापेक्ष ₹ 66.74 करोड़ निर्गत (वर्ष 2002–14) किया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी निर्धारित अंश ₹ 26.04 करोड़ (25 प्रतिशत) के सापेक्ष ₹ 14.60 करोड़ निर्गत (वर्ष 2008–11 तथा 2012–13) किया गया। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवशेष धनराशि क्रमशः ₹ 11.37 करोड़ तथा ₹ 11.44 करोड़ निर्गत नहीं (मार्च 2014) की गयी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शोध सलाहकारी समिति की नियमित बैठके कराने हेतु आश्वस्त किया गया ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुश्रवण को गम्भीरता से लेना चाहिए तथा शोध सलाहकारी समिति की बैठकों की आवृति निर्धारित किया जाना चाहिये।

2.3.9.3 फसल अनुसन्धान केन्द्र

फसल अनुसन्धान केन्द्रों पर शोध की नगण्य गतिविधियाँ।

कृषि एवं सहायक कार्यक्रमों के लिये उन्नत प्रजाति के बीजों एवं प्रबन्धन कार्यों पर तकनीकी ज्ञान को अद्यतन करने के उद्देश्य से तीन एग्रो क्लाईमेटिक क्षेत्रों[15] में शोध हेतु सात फसल अनुसन्धान केन्द्रों की स्थापना की गयी थी। शोध कार्यक्रमों में, विभिन्न एग्रो क्लाईमेटिक क्षेत्रों में तकनीकी विकास फसलों के लिए उन्नत प्रजाति की बीज तथा गुणवत्ता पूर्ण बीज उत्पादन शामिल है। सात में से तीन (नमूना जाँच) फसल अनुसन्धान केन्द्रों के शोध कार्यक्रमों का विवरण **सारणी 2** में दिया गया है।

सारणी 2: फसल अनुसन्धान केन्द्रों की गतिविधियाँ

क्र0 सं0	शोध केन्द्रों का नाम	क्षेत्रफल	टिप्पणियाँ
1	फसल अनुसन्धान केन्द्र, बड़ीबाग तथा अंकुशपुर, गाजीपुर	17.8 हेक्टेअर	न ही शोध गतिविधियाँ की गयी और न ही बीजों का उत्पादन किया गया।
2	फसल अनुसन्धान केन्द्र, तिसुही, मिर्जापुर	31 हेक्टेअर	शोध गतिविधियाँ नहीं की गयी। केवल बीजों का उत्पादन किया गया।
3	फसल अनुसन्धान केन्द्र, बसुली, महाराजगंज	11 हेक्टेअर	शोध गतिविधियाँ नहीं की गयी। केवल बीजों का उत्पादन किया गया।

(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फसल अनुसन्धान केन्द्र, बड़ीबाग में शोध गतिविधियाँ तथा बीज उत्पादन, निधियों के अभाव में तथा विद्युत की उपलब्धता न होने के कारण संचालित नही हुई यद्यपि स्थापना मद में वर्ष 2009–14 की अवधि में ₹ 3.94 करोड़ का व्यय किया गया था। फसल अनुसन्धान केन्द्रों तिसुही तथा बसुली में शोध गतिविधियों के परीक्षणो को वैज्ञानिकों के अभाव में संचालित नहीं किया गया जिससे उक्त केन्द्रों के स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति नही हो सकी।

उत्तर प्रदेश शासन ने बताया कि वैज्ञानिकों के अभाव में शोध परीक्षणों को संचालित नहीं किया गया।

[14] शोध स्कीम राइस, ऑयल सीड प्रोजेक्ट, पल्सेस प्रोजेक्ट, रिसर्च ऑन वेजीटेबिल क्राप्स, क्राप फिसियोलॉजी, एआरपी–कुमारगंज, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, नार्प–मसोधा, नार्प–बसुली, नार्प–तिसुही, शोध स्कीम–तिसुही, फ्लड राइस, नार्प–घाघराघाट, जूट इसटैबलिसमैन्ट, शोध स्कीम–बहराइच, नार्प–गाजीपुर।

[15] उत्तर पूर्व मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र तथा विन्ध्य क्षेत्र।

2.3.9.4 अभिजनक एवं आधारीय प्रजाति के अधिसूचित बीज

विभिन्न परिस्थितियों में उन्नत प्रजाति के फसलों के बीजों को विकसित करने तथा नये विकसित प्रजातियों पर उपयुक्त एग्रो–तकनीक विकसित करने के लिये 1976 एवं 1987 के मध्य धान, मक्का, गेहूँ तथा जौ पर शोध प्रारम्भ किया गया था। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में अनाज के 51 प्रजातियों के बीजों को विकसित किया था (वर्ष 1980–2014)। तथापि, मात्र 36 अधिसूचित हुये थे ***(परिशिष्ट–2.3.8 तथा 2.3.9)***। लेखापरीक्षा में पाया गया किः

- धान की 22 अधिसूचित (वर्ष 1982–2009) प्रजातियों के बीजों के सापेक्ष मात्र चार का उत्पादन, वर्ष 2008 से किया गया तथा अभिजनक तथा आधारीय बीजों की आठ प्रजातियों का उत्पादन कभी–कभी (वर्ष 2008–13) किया गया। अभिजनक तथा आधारीय बीजों की 10 प्रजातियों का उत्पादन वर्ष 2008 से नहीं किया गया;

- गेहूँ की छः अधिसूचित प्रजातियों के बीजों के सापेक्ष वर्ष 2008–13 की अवधि में केवल तीन[16] का उत्पादन निरन्तर किया गया, मात्र दो[17] कभी–कभी तथा एक[18] का कभी नहीं किया गया;

- जौ की सात अधिसूचित प्रजातियों के बीजों के सापेक्ष, तीन का उत्पादन वर्ष 2008–13 की अवधि में कभी नहीं किया गया; तथा

- यद्यपि, मक्का की एक प्रजाति (शक्तिमान–1) का बीज, वर्ष 2001 में अधिसूचित हुआ था, इसका उत्पादन वर्ष 2008–13 की अवधि में कभी नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश शासन ने बताया कि अधिसूचित बीजों के उत्पादन का प्रयास किया जायेगा परन्तु दिसम्बर 2014 तक बीजों के उत्पादन हेतु कोई नीति उपलब्ध नहीं थी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सभी अधिसूचित प्रजातियों के बीजों का उत्पादन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.3.9.5 बीज उत्पादन

(अ) बीजों को अधिसूचित एवं पेटेण्ट न कराया जाना

विकसित प्रजाति के बीजों को अधिसूचित एवं पेटेण्ट न किया जाना।

बीज एवं वनस्पति प्रजाति अधिनियम, 2000 के अनुसार कृषकों को बीजों के विक्रय का प्रस्ताव तब तक नहीं किया जाना चाहिये जब तक भारत सरकार से अधिसूचना निर्गत होने का प्रमाण न प्राप्त हो जाये। अग्रेतर, पेटेण्ट अधिनियम, 1970 के अनुसार नये आविष्कार के पेटेण्ट के लिये वास्तविक एवं प्रथम खोजकर्ता द्वारा एक आवेदन किया जाना चाहिये। तथापि अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अधिकांश मात्रा में विकसित बीजों को अधिसूचित तथा पेटेण्ट नहीं किया गया था। विभिन्न वर्षों में 1980–2012), अनाज श्रेणी के 51 बीज प्रजातियों को विकसित किया गया था। इनमें से 15 (धानः12 तथा जौः तीन) को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ***(परिशिष्ट–2.3.8)*** न करने के कारण बीज उत्पादन श्रृंखला (वर्ष 1982–2014) में नहीं लिया गया। यद्यपि, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिये पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान के नरेन्द्र मयंक प्रजाति के बीज को विकसित (2008) किया गया जो 2009 में अधिसूचित हुआ था, इसका उत्पादन कभी नहीं हुआ।

[16] एन डब्ल्यू–1012, एन डब्ल्यू–1014 और एन डब्ल्यू–2036।
[17] एन डब्ल्यू–1076 तथा एन डब्ल्यू–1067।
[18] एन डब्ल्यू–4018।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा 1974 से 159 प्रजातियों के बीज विकसित किये गये तथापि, पेटेण्ट अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत इन प्रजातियों के बीजों को पेटेण्ट कराने हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा छः शोध आविष्कार पेटेण्ट हेतु आवेदन (2013–14) किये गये थे जो कि फसल के बीज प्रजातियों से भिन्न थे। तथापि, पेटेण्ट किये जाने हेतु अनुमोदन प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आश्वस्त किया गया कि बीजों की अधिसूचना तथा पेटेण्ट हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(ब) बीजों का विक्रय अनाज के रूप में किये जाने से हुई हानि

प्रत्येक क्षेत्र मे फसल बुवाई हेतु निर्धारित समयान्तर्गत कृषकों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने एवं नयी विकसित प्रजातियों के विस्तार के लिये उत्पादित बीजों का विक्रय समय से किया जाना था ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2009–13 के मध्य उत्पादित ₹ 2.31 करोड़ मूल्य के 8018.83 कुन्तल बीज का बीज विधायन एवं विपणन इकाइयों के मध्य समन्वय की कमी के कारण सम्बन्धित वर्षो में विक्रय नहीं किया गया। फलस्वरूप, बीज की गुणवत्ता में कमी आई, जैसा कि ***परिशिष्ट–2.3.10*** में दिया गया है। बीजों को अगले वर्षो में अनाज के रूप में मात्र ₹ 0.72 करोड़ में नीलामी के माध्यम से विक्रय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.59 करोड़ की हानि हुयी, जिससे कृषकों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुयी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कृषकों को समय से बीजों की बिक्री का आश्वासन दिया गया।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विकसित प्रजाति के बीजों को अधिसूचित करने तथा पेटेन्ट कराने का प्रयास किया जाना चाहिए।

2.3.9.6 औषधीय, सुगन्धित पौधा तथा पान बेल शोध परियोजना

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा औषधियों, सुगन्धित पौधों तथा पान के बेल की उन्नत प्रजातियाँ विकसित करने हेतु एक शोध परियोजना प्रारम्भ (1980) की गयी थी। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा 1990 तथा 2010 के मध्य ₹ 1.89 करोड़ का व्यय (2008–14) कर औषधीय पौधों की चार प्रजातियाँ[19] (मन्दूकपर्णी अन्तर्गत वल्लभ मेधा, लेमनग्रास, बाबची तथा नरेन्द्र पोस्ता–1) विकसित एवं लोकार्पित की गयी। तथापि, इन प्रजातियों का प्रचलन न होने के कारण, उनकी वाणिज्यिक खेती प्रारम्भ नहीं हुई।

उत्तर प्रदेश शासन ने औषधियों, सुगन्धित पौधों तथा पान बेल लोकप्रिय किये जाने हेतु आश्वस्त किया।

2.3.9.7 पोस्ट–हार्वेस्ट तकनीक

विभिन्न शोध गतिविधियों का फलीभूत न होना।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने *पोस्ट हार्वेस्ट* तकनीक द्वारा मुख्य फसलों में *पोस्ट हार्वेस्ट* हानियों के मूल्यांकन के लिये पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में अखिल भारतीय

[19] मन्दूकपर्णीः सेन्टेला एशियाटिका, लेमनग्रासः किम्बोपोजोन सिट्रेट्स, बाबचीः सोरेलिया कोरिलिफोलिया तथा पोस्ताः पापेवर सोमनिफेरम।

समन्वित शोध परियोजना प्रारम्भ (1990–91) की परियोजना, अपेक्षित तकनीकी कर्मचारी (सर्वेक्षणकर्ता) की तैनाती न होने के कारण 2001 में अक्रियाशील हो गयी। सितम्बर 2005 में, इस केन्द्र को महामाया कृषि अभियन्त्रिकी एवं प्रौद्योगिक महाविद्यालय, अम्बेडकर नगर में स्थानान्तरित कर दिया गया। वहाँ भी तकनीकी कर्मचारी (सर्वेक्षणकर्ता) की नियुक्ति न होने के कारण यह अक्रियाशील थी। मुख्य फसलों में *पोस्ट हार्वेस्ट* हानियों के आकलन के लिये अवधि 2009–14 के मध्य उपलब्ध निधि ₹ 1.62 करोड़ में से ₹ 1.13 करोड़ का व्यय किया गया था तथा शेष ₹ 49 लाख अप्रयुक्त पड़ी थी। इसलिये, दिसम्बर 2013 में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा परियोजना बन्द कर दी गयी।

इस प्रकार, ₹ 1.13 करोड़ का व्यय किये जाने के बावजूद मुख्य फसलों में *पोस्ट हार्वेस्ट* हानियों का मूल्यांकन नहीं किया जा सका तथा परियोजना को बन्द कर देना पड़ा।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सर्वेक्षणकर्ता की नियुक्ति न किये जाने को स्वीकार किया गया तथा अवगत कराया गया कि कर्मचारी की कमी के कारण केन्द्र अक्रियाशील था।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शोध को प्रभावकारी बनाना सुनिश्चित किया जाना चाहिये जिससे कृषकों को अपेक्षित लाभ मिल सके।

2.3.10 प्रसार गतिविधियाँ

प्रसार गतिविधियों का तात्पर्य तकनीकी रूप से सम्भव, परिस्थितिकीय रूप से अनुकूल एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य सूचना उपलब्ध कराना जो कि शोध प्रणालियो के माध्यम से परीक्षण एवं स्वीकार्य परिणामों के उपरान्त प्राप्त होती है।

कृषि प्रौद्यागिकी सूचना केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों/कृषि ज्ञान केन्द्रों, किसान मेले आदि के माध्यम से कृषकों को आवश्यकता आधारित एवं क्षेत्र विशेष की समस्याओं पर नये परिणामों की जानकारी से अवगत कराया जाता है।

2.3.10.1 प्रसार सलाहकारी समिति

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 28 (सी) के अनुसार राज्य के साथ प्रसार कार्यक्रमों के समन्वय तथा प्रसार कार्यक्रमों की प्रभावकारिता में वृद्धि के तरीके एवं रास्ते सुझाने के लिए नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ने कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। हमनें पाया कि नवम्बर 2012 में ही समिति गठित की गयी थी तथा बैठकों की आवृत्ति निर्धारित नहीं होने के कारण मात्र दो बैठकें (5 दिसम्बर 2012 एवं 26 सितम्बर 2013) ही की गयी थीं।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आश्वस्त किया गया कि प्रसार सलाहकारी समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जायेगी ।

2.3.10.2 कृषि विज्ञान केन्द्रों की क्रियाविधि

कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा उपलब्धियों का अभिलेखीकरण न करना।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दिशा–निर्देशों ने कृषि विज्ञान केन्द्रों को नवीन प्रौद्योगिकियों एवं कृषि रोपण में प्राप्त नये अनुसंधान के परिणामों के प्रसार गतिविधियों के पूर्ण अभिलेखीकरण के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। हमनें पाया गया कि नमूना

जाँच किए गए छः कृषि विज्ञान केन्द्रों में प्रसार गतिविधियों का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित नहीं किया गया था क्योकि तिथि, स्थान, समय तथा विषय की अधिसूचना के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे तथा कृषकों के चयन के लिए अपनायी गयी विधि का भी अभिलेखीकरण नहीं किया गया था। अग्रेतर, बुवाई की तिथि, वैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रों में किये गये भ्रमण का विवरण, प्रक्षेत्र दिवसों का आयोजन, फसल कटाई के परिणाम आदि कृषि विज्ञान केन्द्रों में अभिलेखित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, उल्लेखित गतिविधियां निकट के विकास खण्डों तक ही सीमित थी। वर्ष 2009–14 के मध्य 3274 लक्ष्य के सापेक्ष 3294 प्रशिक्षण कार्यक्रम, 5299 के सापेक्ष 5559 प्रथम पंक्ति प्रदर्शन एवं 156 के सापेक्ष 160 प्रक्षेत्र परीक्षण कराये गये थे। अतः लक्ष्यों की अधिकतम प्राप्ति की गयी थी। जबकि इन प्रशिक्षण कार्यक्रमो, प्रदर्शनों एवं परीक्षणों को वास्तव में कराये जाने के समर्थन में अभिलेख/साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे, यद्यपि, मांग की गयी थी ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि प्रसार गतिविधियों का अभिलेखीकरण किया जाएगा एवं प्रसार गतिविधियाँ समस्त विकास खण्डों में करायी जाएगी।

2.3.10.3 सामुदायिक रेडियो स्टेशन

ग्रामीण समुदाय के बेहतर जीवन यापन के लिए तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के परिसर में वर्ल्ड डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित (फरवरी 2008) किया गया जिसमें विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियां[20] भी शामिल थी जो फरवरी 2008 में हस्तगत की गयी थी। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यागिक विश्वविद्यालय द्वारा सर्वे रिपोर्ट एवं ₹ 25,000 की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के उपरान्त *कामनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेन्टर फार एशिया,* नई दिल्ली से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त न होने के कारण सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालित नहीं किया जा सका था, जिससे ग्रामीण समुदाय के बेहतर जीवन यापन के लिए कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में जागरूकता लाने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुयी।

उत्तर प्रदेश शासन ने आश्वासन दिया गया कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन शीघ्र ही क्रियाशील किया जाएगा।

2.3.10.4 मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला तथा सचल परीक्षण सह प्रदर्शन इकाई

मृदा परीक्षण का उद्देश्य मृदा नमूनों में उपलब्ध पोषक तत्वों का आकलन एवं मूल्यांकन, अम्लीय प्रतिक्रिया एवं क्षेत्र की पोषकता ज्ञात करना था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 12 कृषि विज्ञान केन्द्रों (प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र में एक) में मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए ₹ 1.48 करोड़ की धनराशि अवमुक्त (2004–12) की थी। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद ने 10 प्रयोगशालाओं के लिए ₹ 1.20 करोड़ का *केमिकल बैलेन्स* एवं *वाटर डिस्टिलेशन स्टिल* आदि क्रय किया (2004–12) एवं दो कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत न करने के कारण अवशेष ₹ 28 लाख समर्पित कर दिया गया था। जबकि, अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति, विषय वस्तु विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति न किए जाने से प्रयोगशालाएँ मार्च 2014 तक अक्रियाशील थी।

[20] फोन इन कामकाम मल्टीकाम 3, एम्प्ली स्पीकर, ट्रांसमीटर, केबल आर एफ, डाइपोल एन्टीना सिस्टम, सोनीआईसी रिकार्डर एवं सोनी डी जे माइक।

अग्रेतर, कृषकों के प्रक्षेत्रों पर पशुधन परीक्षण एवं पौध विश्लेषण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर सचल परीक्षण सह प्रदर्शन इकाई स्थापित की जानी थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इकाई के लिए ₹ 32.50 लाख अवमुक्त किया (वर्ष 2010–11)। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद ने मिनी बस एवं अन्य उपकरणों के क्रय पर ₹ 24.81 लाख व्यय किया था। परन्तु मिनी बस में उपकरण स्थापित न करने के कारण सचल इकाई जुलाई 2014 तक अक्रियाशील थी। मिनी बस विश्वविद्यालय कर्मचारियों के वाहन के रूप में प्रयोग[21] की जा रही थी।

इस प्रकार, मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाओं पर ₹ 1.20 करोड़ के व्यय एवं सचल परीक्षण सह प्रदर्शन इकाई की स्थापना मद पर ₹ 32.50 लाख के व्यय का उपयोग लाभदायी तरीके से नहीं किया गया था जिससे कृषकों के प्रक्षेत्रों पर पशुधन परीक्षण एवं पौध विश्लेषण सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूति नहीं हुयी।

उत्तर प्रदेश शासन ने आश्वासन दिया कि मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला एवं सचल परीक्षण सह प्रदर्शन इकाई शीघ्र ही क्रियाशील की जाएगी।

2.3.10.5 जैव नियंत्रण इकाई

बॉयो–एजेंटों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने बड़े पैमाने पर बॉयो–एजेंटो के उत्पादन हेतु ₹ 67 लाख की एक परियोजना जैव–नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु स्वीकृत (जनवरी 2009) की, जिससे कि कीटों को नियंत्रित तथा फसलों के रोगो को सीमित किया जा सके। इकाई की स्थापना में जीर्णोद्धार (₹ 27.60 लाख), गैर–आवर्ती व्यय (₹ 21.70 लाख), बॉयो–एजेंट के उत्पादन के लिए पंजीकरण (₹ छः लाख), वाहन (₹ पॉच लाख) और परिचालन लागत (₹ 6.70 लाख) सम्मिलित थे। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद ने अगस्त 2009 में ₹ 41.98 लाख से (जीर्णोधारः ₹ 21.17 लाख; गैर–आवर्ती व्ययः ₹ 13.44 लाख; वाहनः ₹ पॉच लाख तथा परिचालन लागतः ₹ 2.37 लाख) जैव–नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की थी, लेकिन बॉयो–एजेंट के उत्पादन के लिए नवम्बर 2014 तक प्रयोगशाला का पंजीकरण सक्षम प्राधिकारी के यहॉ नहीं कराया गया था। यहाँ तक कि पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी, प्रयोगशाला को क्रियाशील नहीं (नवम्बर 2014) बनाया गया था, परिणाम स्वरूप ₹ 41.98 लाख का किया गया व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त, कृषकों को गुणवत्ता पूर्ण बॉयो–एजेंटो को उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश शासन ने बताया कि बॉयो–एजेंटों के विक्रय किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बॉयो–एजेंटों के उत्पादन हेतु आवश्यक लाइसेंस अभी प्राप्त किया जाना शेष था।

2.3.10.6 प्लांट हेल्थ क्लीनिक

राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र बाराबंकी (2009–10) एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत बस्ती (2011–12) के लिए प्लान्ट हेल्थ क्लीनिक अनुमोदित की गयी थी। कृषि विज्ञान केन्द्रों बाराबंकी एवं बस्ती में प्लान्ट हेल्थ क्लीनिक स्थापित करने के लिए ₹ 20 लाख (₹ 10 लाख प्रति क्लीनिक) की धनराशि 2009–12 के मध्य अवमुक्त की गयी थी। यद्यपि ₹ 19.33 लाख का उपभोग

[21] विभिन्न महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं द्वारा कर्मचारियों को बस स्टेशन एवं रेलवे स्टेशन ले जाने एवं ले आने के लिए वाहन के रूप में प्रयोग किया गया ।

उपकरण, रसायन एवं ग्लासवेयर के क्रय के लिए 2011–12 तक किया गया था परन्तु तकनीकी कर्मचारी नियुक्त न किए जाने से प्लांट हेल्थ क्लीनिक अभी तक क्रियाशील नहीं था। अतः व्यय की गयी ₹ 19.33 लाख की धनराशि अलाभकारी थी।

उत्तर प्रदेश शासन ने आश्वासन दिया कि प्लांट हेल्थ क्लीनिक शीघ्र ही क्रियाशील की जाएगी।

2.3.10.7 आदर्श पौधशाला

राज्य औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत आंवला, अमरूद, बेल, बेर एवं करौंदा के अभिजात क्लोनों एवं नई प्रजातियों[22] के लिए नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के अनुसार छः मॉडल पौधशालाओं की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने ₹ 93 लाख (₹ 18 लाख प्रति मॉडल बड़ी पौधशाला पाँच पौशालाओं के लिए एवं ₹ तीन लाख एक छोटी पौधशाला के लिए) स्वीकृत (2009–11) किया था। पौधशालाओं की स्थापना के लिए प्रति पौधशाला ₹ 16.50 लाख उपकरण, मशीनरी के क्रय एवं अवस्थापना सुविधाओं के लिए तथा ₹ 1.50 लाख एक बार की परिचालन लागत के लिए थी। अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश शासन ने ₹ 73.50 लाख की धनराशि अवमुक्त (2009–11) की थी तथा कार्य कांस्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज (सी एण्ड डी एस), उत्तर प्रदेश, जल निगम को आवंटित (दिसम्बर 2010) किया गया था। क्योंकि, कार्यदायी संस्था द्वारा आदर्श पौधशाला के लिए प्रस्तुत प्राक्कलित लागत (बड़ी पौधशालाओं के लिये ₹ 21.98 लाख प्रति माडल पौधशाला) स्वीकृत लागत से अधिक थी इसलिए यह स्थापित नहीं हुई थी एवं धनराशि अप्रयुक्त पड़ी थी (नवम्बर 2014)।

उत्तर प्रदेश शासन ने अवगत कराया कि आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर प्रदेश शासन को प्रसार सलाहकारी समिति एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों की क्रियाविधि, बायो कंट्रोल इकाई, मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला, सचल परीक्षण सह प्रदर्शन इकाई, सामुदायिक रेडियो स्टेशन एवं आदर्श पौधशालाओं की कार्यप्रणाली को समुचित, सरल एवं सुदृढ करने को सुनिश्चित करना चाहिए।

2.3.11 सिविल कार्य और परिसम्पत्ति

2.3.11.1 सिविल कार्य

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में, 2005–14 के मध्य ₹ 226.45 करोड़ लागत के 19 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे और बिना निविदा आमंत्रित किये विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित किये गये थे तथा ₹ 183.25 करोड़ का अग्रिम भी, कन्सट्रक्शन और डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम (₹ 69.99 करोड़); उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (₹ 82.38 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (₹ 30.88 करोड़) को भुगतान किया गया था। कार्यों की लागत को व्यय वित्त समिति द्वारा कई बार संशोधित किया गया था। यद्यपि, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ₹ 151.77 करोड़ का व्यय (दिसम्बर 2005 से मार्च 2014) तक किया गया था फिर भी निर्माण कार्य अपूर्ण थे (जुलाई 2014)***(परिशिष्ट–2.3.11)***।

[22]आँवला' एम्बलीकोरफिसिनलिस, अमरूदः सिडियमवाजावा (मिरटेशिया), बेलः एजिलिमारमेलोस, बेरः जिजिफस मारसियानान्द एवं करोंदाः कैरिसयाकोंगेस्टा।

वर्ष 2005–06 के मध्य, मत्स्य महाविद्यालय, डा0 राम मनोहर लोहिया अभियांत्रिकी एव जैव प्रौद्योगिक महाविद्यालय तथा उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय का निर्माण कार्य जिसकी लागत ₹ 55.02 करोड़ थी एवं पूर्ण करने की निर्धारित तिथि अक्टूबर 2008 थी, कन्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम को आवंटित किया गया था। सम्पूर्ण लागत ₹ 55.02 करोड़ उत्तर प्रदेश जल निगम को अग्रिम भुगतान (वर्ष 2005–11) किया गया था। कार्यदायी संस्था ने ₹ 41.92 करोड़ का व्यय (मार्च 2014) किया था किन्तु आठ वर्षो के उपरान्त भी निर्माण कार्य अपूर्ण थे (मार्च 2014)।

उत्तर प्रदेश शासन ने आश्वस्त किया कि अपूर्ण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण किया जायेगा एवं निर्मित भवनों का उपयोग किया जायेगा।

2.3.11.2 विश्वविद्यालय भूमि का अतिक्रमण

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के विभिन्न स्थानों पर 34 हेक्टेयर भूमि पर स्थानीय निवासियों द्वारा अतिक्रमित किया गया था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि अधिकांश धनराशि निर्माण कार्य में अवरोधित थी; विश्वविद्यालय के सम्पत्ति प्रबंधन में भी कमी थी। लेखापरीक्षा में मांगे जाने पर भी अतिक्रमण से संबंधित विस्तृत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश शासन को अपनी भूमि को अतिक्रमण से सुरक्षित रखना चाहिए।

2.3.12 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

2.3.12.1 प्रबन्ध परिषद

नीति निर्माण और शैक्षणिक, शोध, प्रसार तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक क्रियाकलापों के कार्यक्रमों को अनुमोदित करने के लिए प्रबंध परिषद की एक नियमित बैठक प्रत्येक दो माह पर होनी थी। फिर भी लेखापरीक्षा में पाया गया कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में निर्धारित मानक 30 बैठकों के सापेक्ष 2009–14 के मध्य 20 बैठकें आयोजित की गई थी ।

इस प्रकार, प्रबन्ध परिषद की निर्धारित बैठक न होने से विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु नीतियां नहीं बन पाई और वार्षिक लेखा व वार्षिक आख्या नियमित रूप से नहीं बनाये गये थे।

उत्तर प्रदेश शासन ने आश्वस्त किया कि प्रबन्ध परिषद की नियमित बैठकें आयोजित की जायेगी।

2.3.12.2 निष्पादन मूल्यांकन

योजनाओं के पूर्ण होने पर मुख्य अन्वेषक को निर्धारित प्रारूपों पर अपनी आख्या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद को शोध परियोजनाओं के निष्पादन मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के परियोजनाओं के मुख्य अन्वेषकों ने प्रगति आख्या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसन्धान परिषद

को प्रस्तुत किया जाना उल्लिखित किया था, परन्तु लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने पर निष्पादन मूल्यांकन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई थी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आश्वस्त किया गया कि शोध परियोजनाओं का निष्पादन मूल्यांकन कराया जायेगा।

2.3.13 निष्कर्ष

- सामान्य भविष्य निधि अंशदान को जमा करने, अनुदान के उपभोग तथा कर्मचारियों/शिक्षकों के वेतन एवं भत्तों के अनियमित वितरण सम्बन्धी वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरण थे;

- विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कर्मचारियों की अत्यधिक कमी थी। छात्रों का वास्तविक नामांकन महाविद्यालयों की प्रवेश क्षमता से अत्यधिक कम था। शैक्षणिक सुविधायें जैसे पर्याप्त कक्षायें, पुस्तकालय तथा सेवायोजन प्रकोष्ठ की भी कमी थी।

- शोध सलाहकारी समिति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नही किया गया एवं शोध क्रियायें या तो नही की गयीं या उनका समुचित अनुश्रवण नही किया गया। इसके अतिरिक्त, उत्पादन/अधिसूचना/बीजों के पेटण्ट करने हेतु कोई नीति नही थी। कृषि विज्ञान केन्द्रों का निष्प्रभावी, फसल शोध केन्द्रों की अक्रियाशीलता तथा प्रसार विशेष प्रयोगशालाओं एवं जैव नियंत्रण इकाइयों इत्यादि की अक्रियाशीलता के कारण प्रयोगशालाओं से कृषि प्रक्षेत्रों को स्थानान्तरित करने वाली प्रसार गतिविधियों की तकनीक पूर्णतः फलीभूत नही हुई ।

लेखापरीक्षा परिणाम

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (विश्वविद्यालय अधिनियम) के अधीन अक्टूबर 2000 में सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गयी थी। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अधिकार क्षेत्र में तीन संघटक महाविद्यालय, तीन फसल अनुसंधान केन्द्र, 13 कृषि विज्ञान केन्द्र और दो कृषि ज्ञान केन्द्र थे।

2.3.14 वित्तीय प्रबंधन

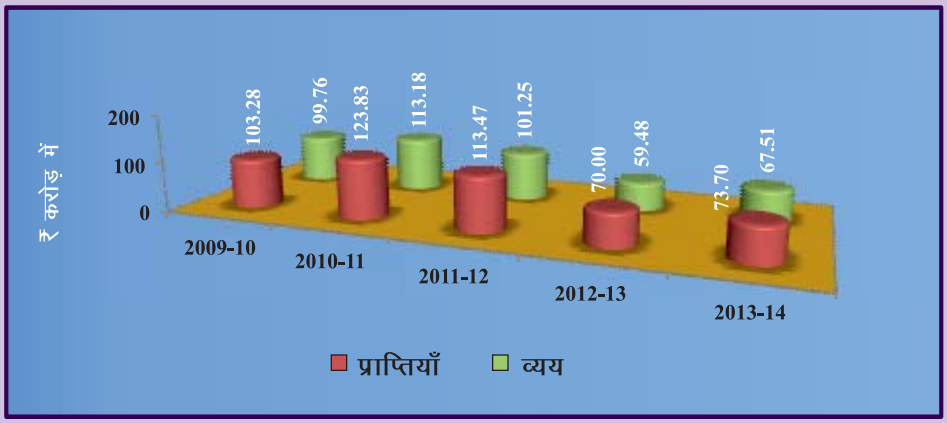
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ का वार्षिक बजट, राज्य सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य संस्थाओं से शोध तथा प्रसार की योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन/सम्पादन हेतु प्राप्त अनुदान के आधार पर बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय छात्रों से प्राप्त शुल्क, फार्म की बिक्री, बीजों के विक्रय इत्यादि से भी अपनी आय अर्जित करता है ।

2.3.14.1 वार्षिक लेखों को विलम्ब से बनाया जाना

प्रस्तर 2.3.7(1) में वर्णित बजट तैयार करने के प्रावधानों का अनुपालन सरदार वल्लभभाई पटेल विश्वविद्यालय ने नही किया था तथा धारा 34 (2) के तहत प्रबन्ध परिषद द्वारा राज्य सरकार को लेखे प्रस्तुत नही किये गए थे। यद्यपि, 2013–14 का

वार्षिक लेखा तैयार किया जा रहा था, अद्यतन सम्पत्ति का मूल्य, दायित्व एवं वर्षवार आय से अधिक व्यय या विलोमतः का आकलन नहीं किया जा सका था। सरदार वल्लभभाई पटेल विश्वविद्यालय, मेरठ में 2009–14 के मध्य प्राप्ति एवं व्यय का विवरण **चित्र 4** में उल्लिखित है ***(परिशिष्ट–2.3.12)***।

चित्र 4: अवधि 2009–14 के मध्य सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में प्राप्ति एवं व्यय



(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

हमनें पाया किः

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–V (भाग–1 नियम 27ए) में प्रावधानित है कि एक वित्तीय अवधि के समस्त लेन–देन को संस्था के एक सामान्य रोकड़ बही में अभिलिखित किया जाना चाहिए किन्तु प्राप्ति एवं व्यय की प्राविष्टियों हेतु मुख्य (सामान्य) रोकड़ बही नहीं बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त 2009–14 के मध्य सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा आठ सहायक रोकड़ बही का रख–रखाव किया जा रहा था।

अग्रेतर, सात बचत बैंक खातों में ₹ 0.43 करोड़ जमा किया गया (दिसम्बर 2004 से दिसम्बर 2009) एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के खाते से आहरित ₹ 1.61 करोड़ (अप्रैल–मई 2008) की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त 2009–14 के मध्य उक्त अवशेषों का बैंक के शेषों के साथ समाधान कभी नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश शासन ने आश्वासन दिया कि वार्षिक लेखा बनाया जायेगा। यह भी बताया गया कि मुख्य रोकड़ बही के रख–रखाव करने की कार्यवाही की जायेगी।

2.3.14.2 बकाया वेतन का अनियमित भुगतान

जैसा कि पूर्व **प्रस्तर–2.3.7.6** में विवेचित है, हमनें पाया कि छठे वेतन आयोग के बकाया भुगतानों हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रावधानों के विपरीत ₹ 10.77 करोड़ (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदः ₹ 8.62 करोड़ एवं राज्य सरकारः ₹ 2.15 करोड़) की बकाया धनराशि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त की गयी थी जिसमें से (₹ 7.89 करोड़ की धनराशि 2010–12 में उन अपात्र अध्यापकों को भुगतान की गयी जो राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं थे एवं ₹ 1.79 करोड़ की धनराशि कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर) धनराशि अनियमित रूप

से व्यय की गई एवं शेष ₹ 1.09 करोड़ की धनराशि समर्पित (अप्रैल 2012) कर दी गयी थी।

उत्तर प्रदेश शासन ने बताया कि वेतन एवं भत्तो के अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2.3.15 शैक्षणिक गतिविधियाँ

2.3.15.1 शैक्षणिक कर्मचारी

वर्ष 2009–14 के मध्य सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष शैक्षणिक कर्मचारियों की तैनाती का विवरण ***परिशिष्ट–2.3.13*** में दिया गया है।

शैक्षणिक कर्मचारियों की कमी थी।

हमने पाया कि 2009–14 के मध्य सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में शैक्षणिक कर्मचारियों के 30 से 76 प्रतिशत पद रिक्त थे। सहायक प्राध्यापकों एवं सहायक वैज्ञानिकों की संख्या में कमी ने शैक्षिक एवं शोध कार्यो को प्रभावित किया।

उत्तर प्रदेश शासन ने बताया कि प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों एवं वैज्ञानिकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी।

2.3.15.2 पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए मापदण्ड

पूर्व प्रस्तर 2.3.8.3 में विवेचित किए गये प्रावधानों के अनुसार हमनें पाया कि:

- वर्ष 2011–12 में बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एवं एनीमल हस्बेन्डरी का पाठ्यक्रम कृषि महाविद्यालय एवं पशु विज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त अध्यापकों को नियुक्त कर चलाया जा रहा था। अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि नियुक्त किये गये अधिकांश अध्यापक बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एवं एनीमल हस्बेन्डरी हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता धारित नहीं करते थे। इस प्रकार, उक्त पाठ्यक्रम भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के आदेशों के विपरीत संचालित किया जा रहा था। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के प्रतिबंध (अगस्त 2012) के बावजूद 2011–12 में 45 छात्र बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एवं एनीमल हस्बेन्डरी पाठ्यक्रम में नामांकित किये गये थे एवं 2012–13 में नरेन्द्र देव कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद से 40 छात्र सरदार वल्लभ पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में स्थानान्तरित किये गये थे तथा 2012–14 के मध्य 85 में से केवल 39 छात्र ही अध्ययनरत थे।

- उत्तर प्रदेश शासन ने बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एवं एनीमल हस्बेन्डरी पाठ्यक्रम हेतु 61 शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के पद अगस्त 2008 में सृजित किए थे। इसके सापेक्ष पद सृजन के चार वर्षों बाद अगस्त 2012 में शैक्षणिक कर्मचारियों के 43 पद स्वीकृत किए गये थे। यद्यपि, निर्धारित मानक 87 पदों के सापेक्ष केवल 15 नियमित शिक्षक ही पशु चिकित्सा एवं पशुपालन संकाय में वर्ष 2013–14 में नियुक्त किए गये थे। अग्रेतर, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अर्हत संकाय सदस्य/अध्यापक के मानक के विपरीत बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एवं एनीमल हस्बेन्डरी हेतु सात अनुबंधित प्राध्यापक (युवा पेशेवर एवं विशेषज्ञ जो एक शैक्षिक वर्ष या दो सत्रों के लिये नियुक्त), नौ पशुपालन विज्ञान के शिक्षक, नौ सम्बद्ध शिक्षकों एवं एक अतिथि संकाय शिक्षक भारतीय पशुचिकित्सा परिषद के अर्हत संकाय सदस्य/अध्यापक

के मानक के विपरीत अध्यापन कार्य कर रहे थे। 17 प्रयोगशाला सहायक एवं 17 प्रयोगशाला *टेक्नीशियन* के स्वीकृत पद के सापेक्ष केवल एक प्रयोगशाला *टेक्नीशियन* की तैनाती की गयी थी ***(परिशिष्ट–2.3.14)***।

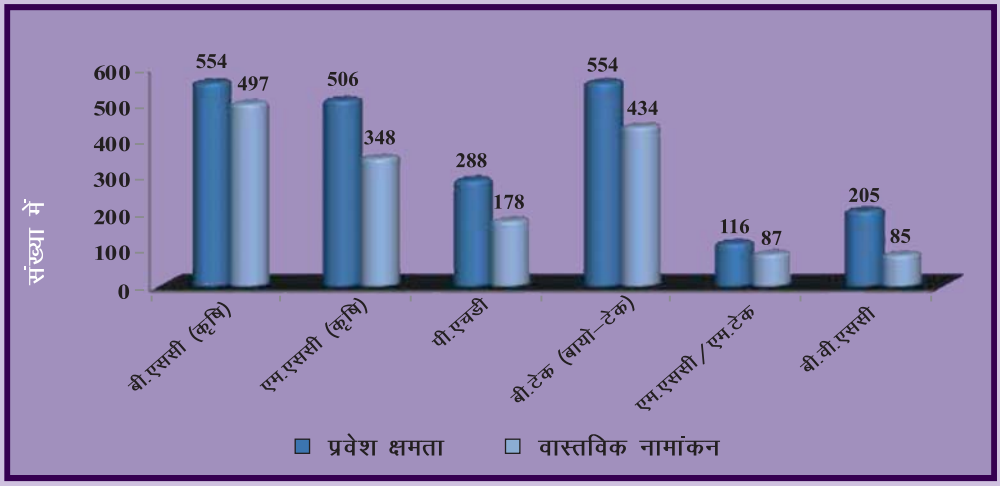
उत्तर प्रदेश शासन ने बताया कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक को सम्मिलित करते हुए मानकों का अनुपालन किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश शासन को विश्वविद्यालय द्वारा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेतु भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2.3.15.3 नामांकन में कमी

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के मानकों के अनुसार विभिन्न संघटक महाविद्यालयों में छात्रों की प्रवेश क्षमता विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद, निर्धारित करती है। यद्यपि, हमनें पाया कि विभिन्न संघटक महाविद्यालयों में 2009–14 के मध्य विद्वत परिषद द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता के सापेक्ष छात्रों के नामांकन में कमी पायी गयी जैसा कि **चित्र 5** में दर्शाया गया है।

चित्र 5: अवधि 2009–14 के मध्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष छात्रों का नामांकन



(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

चित्र 5 से देखा जा सकता है कि छात्र नामांकन में कमी 10 से 59 प्रतिशत के मध्य थी ***(परिशिष्ट 2.3.15)***। नामांकन में कमी अधिकांशतः अपर्याप्त शिक्षा संकाय, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं एवं पाठयक्रम पूर्ण होने पर सेवायोजन सम्बन्धी अप्रभावी सुविधाओं के कारण थी।

उत्तर प्रदेश शासन ने आश्वस्त किया कि छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप छात्रों का नामांकन किया जाएगा। तथ्य यह था कि कृषि एवं सहयोगी विज्ञान संस्थाओं में एक निर्धारित मात्रा में लोगों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी थी।

2.3.15.4 छात्रों को सेवायोजन

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(3) के अनुसार संकाय अध्यक्ष, छात्र कल्याण को उत्तीर्ण हुये छात्रों के सेवायोजन में सहयोग करना था। वर्ष 2006 में विश्वविद्यालय में

एक सेवायोजन प्रकोष्ठ का गठन किया गया था लेकिन 2006 से अब तक संकाय अध्यक्ष, छात्र कल्याण का पद स्वीकृति न होने के कारण, उक्त प्रकोष्ठ क्रियाशील नहीं था। परिणामस्वरूप, उत्तीर्ण हुयें छात्रों का कोई भी फीड बैक कम्पनियों को प्रदान नहीं किया गया एवं केवल कुछ ही कम्पनियाँ कैंपस चयन हेतु आई थी। 2009–14 की अवधि में कुल 977 छात्रों में केवल 83 (8 प्रतिशत) ही सेवायोजित हुए थे ***(परिशिष्ट–2.3.16)***। विश्वविद्यालय के समस्त उत्तीर्ण छात्रों के सेवायोजन संबंधी विवरण लेखापरीक्षा को माँगे जाने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराये गये।

उत्तर प्रदेश शासन ने बताया कि सेवायोजन प्रकोष्ठ के समुचित संचालन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।

2.3.15.5 पुस्तकालय के क्रियाकलाप

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पुस्तकों के क्रय, सूचना एवं संचार तकनीकी को सुदृढ़ करने आदि के लिए ₹ 60 लाख की एक परियोजना स्वीकृत किया और दिसम्बर 2013 में धनराशि अवमुक्त किया। ₹ 60 लाख में से ₹ 57.75 लाख पुस्तकों (₹ 38 लाख) एवं फर्नीचर (₹ 19.75 लाख) के क्रय पर व्यय किया गया था। यद्यपि, सूचना एवं संचार तकनीकी एवं अन्य कार्यों पर नवम्बर 2014 तक कोई व्यय नहीं किया गया था।

उल्लेखनीय है कि, नवम्बर 2014 तक पुस्तकालयाध्यक्ष का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय में स्टैक कक्ष, कैटलाग कक्ष, अध्ययन कक्ष मौजूद नहीं थे और पुस्तकों का उचित रख–रखाव सुनिश्चित नहीं किया गया था। 2009–14 की अवधि में पुस्तकालय की परिसम्पत्तियों को भौतिक रूप से कभी सत्यापित नहीं किया गया था, जैसा कि उत्तर प्रदेश के वित्तीय नियमों में निर्धारित था।

उत्तर प्रदेश शासन ने बताया कि पुस्तकालय के उचित संचालन हेतु कार्यवाही की जायेगी एवं परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन मानक के अनुसार कराया जायेगा।

उत्तर प्रदेश शासन को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक कर्मचारियों के रिक्तियों को भरते हुए, प्रवेश क्षमता के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों का नामांकन, पुस्तकालय के सुचारू संचालन आदि के द्वारा संस्थागत पर्याप्तता सुनिश्चित करना चाहिए ताकि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता का सुधार हो सके ।

2.3.15.6 बुनियादी सुविधाओं की अपर्याप्तता/अभाव

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की चतुर्थ संकाय समिति के कृषि शिक्षा, 2007 के मानकों के विनियमन के अनुसार जैसा कि पूर्व प्रस्तर 2.3.8.7 में चर्चा की गयी है, के सापेक्ष हमने पाया कि कृषि महाविद्यालय के 11 विभागों में कोई परीक्षा कक्ष नहीं था। अग्रेतर, कृषि महाविद्यालय के छह विभागों में कोई स्नातक कक्षा कक्ष नहीं थे एवं जैव प्रौद्योगिक संकाय के एक विभाग में परास्नातक शिक्षण कक्ष नहीं था। अधिकांश कक्षाओं के कक्ष निर्धारित/आवश्यक मल्टीमीडिया/प्रोजेक्टर आदि से सुसज्जित नहीं थे। परीक्षा कक्ष न होने, अपर्याप्त शिक्षण कक्ष एवं अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं ने शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

उत्तर प्रदेश शासन ने बताया कि आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा।

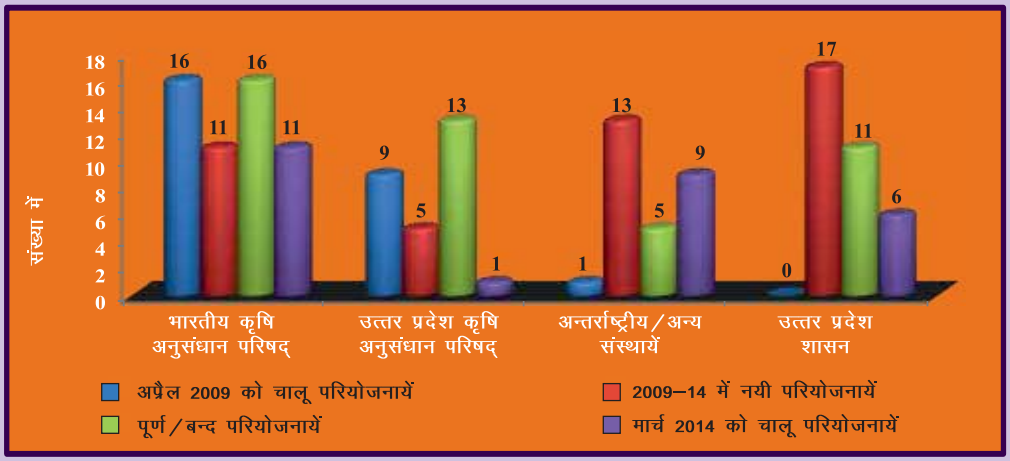
2.3.16 शोध गतिविधियाँ

कृषि एवं अन्य सहयोगी क्षेत्रों में शोध कार्यो तथा फसल उपज के अन्तर को कम करने एवं अनाज की उत्पादकता को बढाने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न संस्थायें (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आदि) निधि उपलब्ध कराती हैं।

2.3.16.1 शोध गतिविधियों का प्रबन्धन

शोध गतिविधियों के प्रबन्धन हेतु शोध निदेशक उत्तरदायी थे। हमनें पाया कि शोध निदेशालय द्वारा परियोजना वार स्वीकृति आदेश, अवधि, निधियों का अनुमोदन/अवमुक्त करना एवं व्यय, वर्तमान स्थिति तथा समापन प्रतिवेदन सम्बन्धी अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था। इसलिये, लेखापरीक्षा द्वारा 2009–14 की अवधि में संचालित योजनाओं के व्ययों, परियोजनावार उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में परियोजना की सफलता की सीमा/शोध उपलब्धि सुनिश्चित नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी संस्थावार शोध परियोजनाओं की पूर्णता की सूचना **चित्र 6** तथा विवरण ***परिशिष्ट–2.3.17*** में दिया गया है।

चित्र 6: संस्थावार शोध परियोजनाओं की संख्या



(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

चित्र 6 से एवं ***परिशिष्टः 2.3.17*** से स्पष्ट है कि मार्च 2014 के अन्त तक 27 परियोजनायें संचालित थी तथा 45 परियोजनायें 2009–14 के मध्य में समाप्त/पूर्ण कर दी गयी थी। संचालित 27 परियोजनाओं में, 2009–10 के पूर्व छः तथा 2009–14 के मध्य 21[23] ली गयी थी। हमने पाया कि शोध गतिविधियों हेतु परियोजनाओं के चयन के सम्बन्ध में कोई मापदण्ड नहीं बनाया गया था।

उत्तर प्रदेश शासन ने शोध गतिविधियों के अभिलेखों का रखरखाव शोध निदेशालय में किये जाने का आशवासन दिया।

2.3.16.2 मवेशी शोध परियोजना

साहीवाल गायों के सर्वोत्तम समूह स्थापित करने, उत्तम गुणवत्ता के जर्मप्लास्म सांडो का उत्पादन और एक प्रजनन जैव प्रौद्योगिक प्रयोगशाला की स्थापना पौष्टिक विशेषता

[23] 2009–10:6, 2010–11:3, 2011–12:6, 2012–13:4 तथा 2013–14:2।

वाले चोकर, पारम्परिक चारा आदि, की वृद्धि के सम्बन्ध में शैक्षणिक अध्ययन हेतु की गई थी।

शोध निदेशक ने एक परियोजना (लागतः ₹ 1.65 करोड़[24]) तैयार की तथा उत्तर प्रदेश शासन ने स्वीकृत (2008–09) एवं ₹ 80 लाख अवमुक्त किया था। शोध निदेशक द्वारा अवमुक्त धनराशि (2009–10) में से ₹ 31.45 लाख का व्यय 34 उपकरणों के क्रय तथा शेष मवेशी शेड (₹ 25 लाख), मवेशियों के क्रय (₹ नौ लाख), आहार एवं चारा आदि (₹ 6.55 लाख) तथा संविदा कर्मचारियों के वेतन (₹ आठ लाख) पर किया था। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शेष ₹ 85 लाख अवमुक्त न करने के कारण परियोजना को मध्य में ही समाप्त (अगस्त 2011) कर दिया गया था। हमने पाया कि कृषकों से लिये गए 28 गायों को विश्वविद्यालय के पशुधन शोध केन्द्र को स्थानान्तरित (अगस्त 2011) कर दिया गया तथा *साहीवाल* गायों के दूध को केन्द्र द्वारा विक्रय किया जा रहा था। उसके उपरान्त, प्रयोगशाला का उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों हेतु किया जा रहा था एवं *साहीवाल* गायों के सर्वोत्तम समूह को स्थापित करने का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

उत्तर प्रदेश शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया गया।

2.3.16.3 अधिसूचित प्रजाति के अभिजनक एवं आधारीय बीज

विभिन्न परिस्थितियों में उन्नत प्रजाति के फसलों के बीजों को विकसित करने तथा नये विकसित प्रजातियों पर उपयुक्त एग्रो–तकनीक विकसित करने के लिये वर्ष 2000 एवं 2011 के मध्य धान, गेहूँ तथा जौ पर शोध सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ किया गया था।

हमने पाया कि 2000–2014 के मध्य में फसलों के 15 प्रजातियों के बीज विकसित किये गये थे। तथापि, 15 प्रजाति में से अनाज वर्ग के मात्र दो, नवम्बर 2014 तक अधिसूचित थे। अग्रेतर, दो अधिसूचित प्रजातियों के बीजों (वल्लभ 21 एवं 22) में से, मात्र एक प्रजाति (वल्लभ 22) का उत्पादन वर्ष 2010 में किया गया था ।

उत्तर प्रदेश शासन ने बताया (नवम्बर 2014) कि अधिसूचित प्रजाति के बीजों का उत्पादन करने का प्रयास किया जायेगा।

2.3.16.4 बीज उत्पादन

(अ) अधिसूचित एवं पेटेण्ट न कराया जाना

विकसित प्रजाति के बीजों का अधिसूचित एवं पेटेण्ट नहीं किया गया।

जैसा कि पूर्व प्रस्तर 2.3.9.5 में प्रावधानों की चर्चा की गयी है, हमने पाया कि सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में विभिन्न फसलों के 15 प्रजातियों के बीजों को विकसित किया गया (2000–14) था। इनमें से, 11 प्रजातियों के बीज मार्च 2014 तक अधिसूचित नहीं हुये थे, इसलिये, बीज उत्पादन श्रृंखला में शामिल नही किये गए। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा उन 15 प्रजातियों को पेटेन्ट कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

उत्तर प्रदेश शासन ने बीजों को अधिसूचित तथा पेटेण्ट कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया।

[24] मवेशी शेड का निमाणः ₹ 30 लाख, प्रयोगशाला की स्थापना : ₹ 54 लाख, भोजन, चारा तथा दवाई आदिः ₹ 63 लाख तथा अनुबन्धित कर्मचारियों का वेतनः ₹ 18 लाख,

(ब) बीजों की बिक्री अनाज के रूप में किये जाने से हुई हानि

प्रत्येक क्षेत्र में फसल बुवाई हेतु निर्धारित समयान्तर्गत कृषकों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने एवं नयी विकसित प्रजातियों के विस्तार के उद्देश्य से उत्पादित बीजों का सम्बन्धित वर्षों में समय से विक्रय किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2009–13 की अवधि में उत्पादित, ₹ 1.24 करोड़ मूल्य के 2,682.31 कुन्तल बीज समय से बेचे नहीं गये थे। गुणवत्ता में ह्रास होने के कारण बीजों को आगामी वर्षों में अनाज के रूप में नीलामी के माध्यम से मात्र ₹ 0.27 करोड़ में बेचा गया था ***(परिशिष्ट–2.3.10)***। परिणामस्वरूप, ₹ 0.97 करोड़ की हानि हुयी तथा कृषकों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के मूल उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं हुयी।

उत्तर प्रदेश शासन ने आश्वासन दिया कि कृषकों को बीजों की बिक्री समय से एवं उनके उत्पादन वर्ष में की जायेगी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कृषकों को बीजों की बिक्री उनके उत्पादन वर्ष में एवं समय से सुनिश्चित करनी चाहिये।

2.3.16.5 इन्टीग्रेटेड एग्रो–मेट एडवाइज़री सर्विस

वर्ष 2008–09 में ₹ 6.80 लाख से इन्टीग्रेटेड एग्रो–मेट एडवाइज़री सर्विस परियोजना, मौसम की भविष्यवाणी तथा परामर्श बुलेटिन से कृषकों को मौसम परिणामों की उन्नत जानकारी से अवगत कराने के लिये भारत सरकार द्वारा मौसम सम्बन्धी आँकड़ों को एकत्रित करने, आँकड़ों का रखरखाव तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पुणे को प्रेषित करने के लिये, प्रारम्भ की गयी थी। सलाहकार सेवाओं के संचालन के लिये एक तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति की जानी थी। जाँच में पाया गया कि सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय ने 15 जनपदों के 13 कृषि विज्ञान केन्द्रों के कृषकों हेतु मात्र एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया था तथा बिना तकनीकी अधिकारी के ₹ 3.81 लाख का व्यय किया गया था। फलस्वरूप, एग्रो–मेट एडवाइज़री सर्विस परियोजना अर्थपूर्ण ढंग से क्रियाशील नहीं थी तथा कृषक अपेक्षित लाभ से वंचित रह गये थे।

उत्तर प्रदेश शासन ने बताया गया कि परियोजना के संचालन के लिये तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

उत्तर प्रदेश शासन को विभिन्न शोध परियोजनाओं को क्रियाशील करते हुए शोध को प्रभावकारी बनाना चाहिए जिससे कृषकों को शोध क्रियाओं का देय लाभ मिल सके।

2.3.17 प्रसार गतिविधियाँ

2.3.17.1 प्रसार सलाहकारी समिति

प्रभावी प्रसार कार्यक्रम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुलपति की अध्यक्षता में एक प्रसार सलाहकारी समिति[25] जिसमें प्रसार सेवाओं के निदेशक, सचिव, महाविद्यालयों के संकाय अध्यक्ष एवं परीक्षण स्टेशनों के निदेशक सदस्य थे, का गठन किया जाना था ।

[25] उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 28 (सी) के अनुसार।

समिति द्वारा, राज्य के साथ प्रसार कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय एवं प्रसार कार्यक्रमों की प्रभावकारिता में वृद्धि करने के तरीको की सलाह कुलपति को दी जानी थी। जाँच में पाया गया कि सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा यद्यपि जुलाई 2004 में समिति गठित की गयी थी परन्तु समिति के बैठकों की आवृत्ति निर्धारित नहीं होने के कारण मात्र दो बैठकें[26] आयोजित की गयी थी।

उत्तर प्रदेश शासन ने आश्वासन दिया कि प्रसार सलाहकारी समिति की नियमित बैठक आयोजित की जाएगी।

2.3.17.2 कृषि विज्ञान केन्द्रों की क्रियाविधि

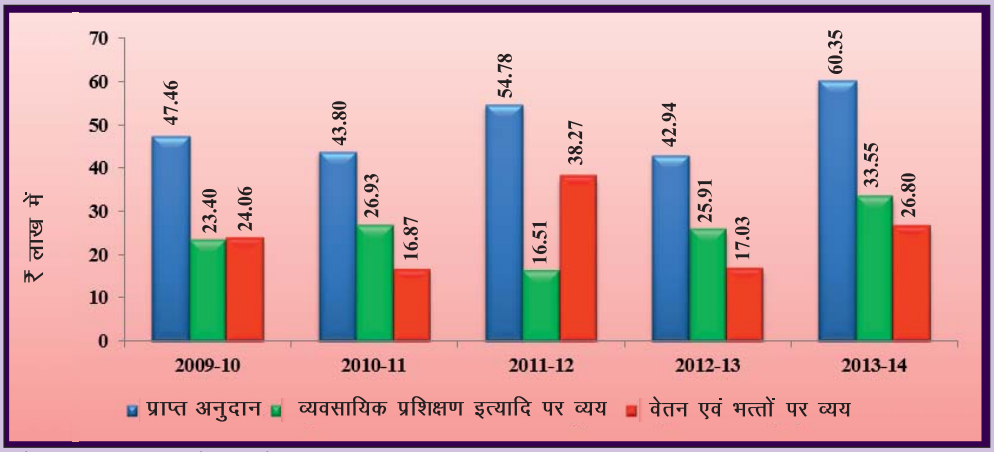
(अ) नमूना जाँच किए गये 13 में से चार कृषि विज्ञान केन्द्रों के अभिलेखों में पाया गया कि प्रसार गतिविधियों का व्यापक प्रचार–प्रसार अभिलेखों में प्रदर्शित नहीं था। कृषकों के चयन प्रणाली, बुवाई की तिथि, वैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रों के भ्रमण का विवरण, फील्ड दिवस का आयोजन, क्राप कटिंग के परिणाम आदि नमूना जाँच किये गए कृषि विज्ञान केन्द्रों में अभिलेखित नहीं थे तथा, गतिविधियां निकट के विकास खण्डों तक ही सीमित थीं। वर्ष 2009–14 के मध्य, 7779 लक्ष्य के सापेक्ष 7403 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये गये, 12322 प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों के लक्ष्य के सापेक्ष 10829 किये गये एवं 509 प्रक्षेत्र परीक्षणों के लक्ष्य के सापेक्ष 413 परीक्षण कराये गये थे। इस प्रकार न तो पूर्ण रूप से लक्ष्यों की प्राप्ति की गयी थी और न ही इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रदर्शनों एवं परीक्षणों के वास्तव में कराये जाने के सम्बन्ध में अभिलेख/साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये थे, यद्यपि कि मांग की गयी थी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि प्रसार गतिविधियों का अभिलेखीकरण किया जाएगा एवं प्रसार गतिविधियां समस्त विकास खण्डों में आयोजित करायी जायेंगी।

(ब) अग्रेतर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रत्येक स्वीकृति में निर्गत निर्देशों (2009–14) के अनुसार, प्रत्येक मद के अन्तर्गत व्यय को स्वीकृत सीमा तक सीमित किया जाना था। आवंटन के अन्तर्गत एक मद से दूसरे मद में पुनः आवंटित करने के लिए सक्षम आधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से 2009–14 के मध्य ₹ 2.49 करोड़ का अनुदान व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों, प्रक्षेत्रों परीक्षणों आदि, प्रत्येक के लिए निर्धारित धनराशि प्राप्त हुयी थी। फिर भी, जैसा निर्धारित था, धनराशि का व्यय (2009–14) नहीं किया गया एवं केवल ₹ 1.26 करोड़ का व्यय व्यावसायिक प्रशिक्षण पर किया गया जिसका विवरण **चित्र 7 (*परिशिष्ट–2.3.18*)** में दिया गया है।

[26] 16 जुलाई 2004 एवं 14 अक्टूबर 2013।

चित्र 7: व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा प्रथम पंक्ति प्रदर्शन पर व्यय



(स्रोत–विश्वविद्यालय के अभिलेख)

उपरोक्त **चित्र 7** से स्पष्ट है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए आवंटित धनराशि व्ययाावर्तित करके वेतन एवं भत्तों के भुगतान पर व्यय की गयी थी जिसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था, यद्यपि यह आवश्यक था।

उत्तर प्रदेश शासन ने आश्वासन दिया कि कृषि विज्ञान केन्द्रों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान सक्षम अधिकारी की अपेक्षित अनुमोदन के उपरान्त किया जाएगा।

2.3.17.3 मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला तथा सचल डायग्नोस्टिक–सह–प्रदर्शन इकाई।

मृदा परीक्षण का उद्देश्य मृदा नमूनों में उपलब्ध पोषक तत्वों के आकलन एवं मूल्यांकन हेतु लिए गए नमूने में अम्लीय प्रतिक्रिया एवं एक क्षेत्र की पोषकता ज्ञात करना था।

हमने पाया कि :

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ को प्रत्येक तीन कृषि विज्ञान केन्द्रों में एक मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए ₹ 0.42 करोड़ अवमुक्त (2010–12) किया था। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद ने ₹ 35 लाख से तीन प्रयोगशालाओं के लिए केमिकल बैलेन्स, वाटर डिस्टिलेशन स्टिल आदि का क्रय (2010–12) किया था जबकि ₹ सात लाख अप्रयुक्त था। जबकि, अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति, विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं किए जाने से प्रयोगशालाएं अक्रियाशील (मार्च 2014) थीं ।

- कृषकों के प्रक्षेत्रों पर पशुधन परीक्षण एवं पौध विश्लेषण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर सचल डायग्नोस्टिक–सह–प्रदर्शन इकाई स्थापित की जानी थी जिसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 2010–11 में ₹ 32.50 लाख अवमुक्त की गयी थी। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा ₹ 29.50 लाख का व्यय मिनी बस एवं अन्य उपकरणों के क्रय पर किया गया परन्तु मिनी बस में उपकरण स्थापित न किए जाने के कारण सचल इकाई अक्रियाशील (जुलाई 2014) थी। मिनी बस का अनियमित रूप से उपयोग

कृषि विज्ञान केन्द्र, गाजियाबाद एवं सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा *पूल्ड* वाहन के रूप में कृषकों को लाने ले जाने के लिए बिना परियोजना में प्रावधान के किया जा रहा था। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा परियोजना की धनराशि में से ₹ 50 हजार का व्यय मोटर साइकिल क्रय पर किया था।

इस प्रकार, मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाओं पर ₹ 35 लाख एवं सचल डायग्नोस्टिक–सह–प्रदर्शन इकाई पर ₹ 29.50 लाख का व्यय अलाभकारी रहा था। मोटर साईकिल क्रय पर भी ₹ 50,000 का अनियमित व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, कृषकों के प्रक्षेत्रों पर पशुधन परीक्षण एवं पौध विश्लेषण सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुयी थी।

उत्तर प्रदेश शासन ने आश्वासन दिया कि मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला एवं सचल परीक्षण सह प्रदर्शन इकाई शीघ्र ही क्रियाशील की जाएगी। यद्यपि, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मोटर साइकिल के अनियमित क्रय पर कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2.3.17.4 जैव–नियंत्रण इकाई

बायो–एजेन्टों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो कीटों को नियंत्रित करने और फसलों में रोगों को नियंत्रित करने हेतु बायो–एजेन्टों के उत्पादन के लिए जैव–नियंत्रण इकाई स्थापित की जानी थी।

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सभी 13 कृषि विज्ञान केन्द्रों में जैव नियंत्रण इकाई स्थापित करने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ को ₹ 1.66 करोड़ अवमुक्त (मार्च एवं अप्रैल 2011) किया था। तथा 13 कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए आवश्यक केमिकल्स, ग्लासवेयर एवं यंत्रों के क्रय पर ₹ 1.35 करोड़ का व्यय (वर्ष 2010–12) किया था जबकि ₹ 18.58 लाख जैव–नियंत्रण इकाइयों के परिचालन पर व्यय (वर्ष 2012–14) किया था। यद्यपि, तीन कृषि विज्ञान केन्द्रों[27] पर आवश्यक संरचनाओं की कमी एवं वैज्ञानिकों की अनुपलब्धता के कारण बायो एजेन्ट का उत्पादन नहीं हुआ था। शेष 10 कृषि विज्ञान केन्द्रों पर बायो–एजेन्ट उत्पादन एवं वितरण के लिए लाइसेंस प्राप्त न होने के कारण बायो–एजेन्टों का उत्पादन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ का व्यय आलाभकारी था।

उत्तर प्रदेश शासन ने अवगत कराया कि बायो–एजेन्टों की बिक्री के लिए प्रयास किए जा रहे थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बायो–एजेन्टों के उत्पादन के लिए वांछित लाइसेंस प्राप्त किया जाना शेष था।

2.3.17.5 मॉडल पौधशाला

उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत 12 कृषि विज्ञान केन्द्रों पर आंवला, अमरूद, लीची तथा आम के अभिजात क्लोनों एवं नई प्रजातियों[28] की तीव्र वृद्धि के लिए छोटी पौधशालाओं की स्थापना हेतु सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ को ₹ 36 लाख स्वीकृत एवं अवमुक्त (वर्ष 2009–10) किया था।

[27] बदायूँ, बुलन्दशहर एवं गौतमबुद्ध नगर।

[28] आँवलाः एम्ब्लीओरफिसिनलिस, अमरूदः सिडिन ग्वाजावा (मिरटेशिया) लीचीः लीची चिनेनसेस एवं आमः मैग्नीफेरा इण्डिका।

पौधशाला की स्थापना में शेड नेट हाउस का निर्माण, वाटर टैंक एवं मदर ब्लाक, पौधरोपण सामग्री इत्यादि परिचालन सहित शामिल थीं। यद्यपि, पौधशाालाओं पर मात्र आंशिक कार्य कराया गया था जैसे कि पाँच कृषि विज्ञान केन्द्रों पर मात्र शेड नेट, आठ कृषि विज्ञान केन्द्रों पर वाटर टैंक एवं एक कृषि विज्ञान केन्द्र पर मदर ब्लाक के निमार्ण कार्य पर ₹ 11.74 लाख का व्यय किया गया था। अवशेष ₹ 24.26 लाख चार वर्षो तक रखने के पश्चात् राज्य औद्यानिक मिशन को वापस (मार्च 2014) किया गया था।

उत्तर प्रदेश शासन ने अवगत कराया कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रसार गतिविधियां प्रभावी हो तथा उचित एवं पर्याप्त अभिलेखीकरण हो तथा कृषकों को वांछित लाभ प्राप्त होने के साक्ष्य उपलब्ध रहे।

2.3.18 सिविल कार्य और सम्पत्ति

2.3.18.1 सिविल कार्य

वर्ष 2010–13 के मध्य ₹ 45.74 करोड़ की लागत से बेसिक सांइस महाविद्यालय, अभियंत्रण महाविद्यालय और हाईटेक फ्लोरीकल्चर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया गया था। भवनों का उपयोग शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों को स्वीकृति नहीं मिलने के कारण (नवम्बर 2014) नहीं किया जा रहा था।

उत्तर प्रदेश शासन ने बताया कि शैक्षिक तथा गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति के उपरान्त ही महाविधालय भवनों का उपयोग किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश शासन को शैक्षिक तथा गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों के पदों को शीध्र ही स्वीकृत करना चाहिए।

2.3.18.2 विश्वविद्यालय की भूमि का अतिक्रमण

चिरौड़ी फार्म की 136.44 हेक्टेयर भूमि में से एक तालाब (1.20 हेक्टेयर) तथा एक फार्म (3.708 हेक्टेयर) पर स्थानीय निवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। अग्रेतर, *दांतल काकर खेरा* फार्म की 13.03 हेक्टेयर भूमि से 4.38 हेक्टेयर भूमि को मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा एवं 1.76 हेक्टेयर भूमि को स्थानीय निवासियों द्वारा अतिक्रमित किया गया था ।

उत्तर प्रदेश शासन ने बताया कि अतिक्रमण करने वालो के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपनी भूमि को अनाधिकृत कब्जे एवं अतिक्रमण से बचाना चाहिए।

2.3.19 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

(अ) प्रबंध परिषद

नीति निर्माण और शैक्षणिक, शोध, प्रसार तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक क्रियाकलापों के कार्यक्रमों को अनुमोदित करने के लिए प्रबंध परिषद की एक नियमित बैठक प्रत्येक 2 माह पर होनी थी। फिर भी लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि

एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में निर्धारित मानक 30 बैठकों के सापेक्ष 2009–14 के मध्य 12 बैठकें आयोजित की गई थीं।

इस प्रकार, प्रबन्ध परिषद की निर्धारित बैठके आयोजित न होने से विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु नीतियां नहीं बन पाई और वार्षिक लेखा व वार्षिक प्रतिवेदन नियमित रूप से नहीं बनाये गये थे।

उत्तर प्रदेश शासन ने आश्वस्त किया कि प्रबन्ध परिषद की बैठकें मानकों के अनुसार की जायेगीं।

(ब) निष्पादन मूल्यांकन

योजनाओं के पूर्ण होने पर मुख्य अन्वेषक द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर अपनी आख्या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद को शोध परियोजनाओं के निष्पादन मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के परियोजनाओं के मुख्य अन्वेषकों द्वारा प्रगति आख्या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसन्धान परिषद को प्रस्तुत की गई थी परन्तु निष्पादन मूल्यांकन आख्या लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध नही करायी गई थी।

उत्तर प्रदेश शासन ने आश्वस्त किया कि शोध परियोजनाओं का निष्पादन मूल्यांकन कराया जायेगा।

2.3.20 निष्कर्ष

- अनुदान के उपभोग तथा कर्मचारियों/शिक्षकों के वेतन एवं भत्तों के अनियमित वितरण सम्बन्धी वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरण थे ।

- सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विशविद्यालय, मेरठ में शैक्षणिक कर्मचारियों की अत्यधिक कमी थी। छात्रों का वास्तविक नामांकन, 10 से 59 प्रतिशत के मध्य, महाविद्यालयों की प्रवेश क्षमता से अत्यधिक कम था। शैक्षणिक सुविधाओं जैसे पर्याप्त कक्षाओं, पुस्तकालय तथा सेवानियोजन प्रकोष्ठ की भी कमी थी।

- उत्पादन/अधिसूचना/बीज को पेटेन्ट करने के लिए कोई नीति नही बनायी गयी थी। कृषि विज्ञान केन्द्रों के निष्प्रभावी रहने, विशेष प्रयोगशालाओं एवं जैव नियंत्रण इकाइयों, इत्यादि की अक्रियशीलता के कारण प्रयोगशालाओं से कृषि प्रक्षेत्रों को स्थानान्तरित करने वाली प्रसार गतिविधियों की तकनीक पूर्णतः फलीभूत नही हुई थी; एवं

- इसके अस्तित्व में आने के 11 वर्ष पश्चात् भी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ निर्धारित उद्देश्यों यथा लोगों को शिक्षित करने, शोध कार्यों को संपादित करने तथा केन्द्रित हस्तक्षेप के माध्यम से फसल उत्पादन के अन्तराल को कम करने हेतु कृषि तकनीकी का विकास/हस्तान्तरण करने में असफल थे।

संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा एवं निधि प्रबंधन



चिकित्सा शिक्षा विभाग

चिकित्सा शिक्षा विभाग

2.4 संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा एवं निधि प्रबंधन

2.4.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम हेतु औषधि स्नातक एवं शल्य स्नातक; दन्त शल्य स्नातक; आयुर्वेदिक औषधि एवं शल्य स्नातक; होम्योपैथिक औषधि एवं शल्य स्नातक; और यूनानी औषधि एवं शल्य स्नातक की 1785 सीटों को 28 राजकीय चिकित्सा कालेजों/विश्वविद्यालय[1] में भरे जाने हेतु संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। विगत पाँच वर्षों की परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 0.64 लाख से 0.79 लाख के मध्य रही। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय नियमावली 1973 के खण्ड–28 के उपखण्ड (5) के प्रावधान के अनुसार 85 प्रतिशत सीटों को भरे जाने हेतु संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के आयोजन के लिये राज्य के एक विश्वविद्यालय का नामांकन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति द्वारा किया जाता है। शेष 15 प्रतिशत सीटों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरा जाता है। चिकित्सा कालेजों में छात्रों का प्रवेश पूर्णतया संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई योग्यता सूची और महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आयोजित काउंसिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

शासन द्वारा (जनवरी 1998) संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि नियमावली 1997 (नियमावली) परीक्षा से सम्बन्धित व्यय जैसे कि माननीय न्यायालय में पैरवी करने हेतु अधिवक्ताओं की फीस, प्रशासनिक व्यय आदि मे हुए व्यय को करने हेतु बनायी गयी थी। उक्त नियमावली में यह प्रावधान किया गया था कि छात्रो से प्राप्त शुल्क की बचत[2] धनराशि से निधि बनाई जायेगी। निधि का प्रबंधन शासन द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में नामित समिति में निहित था।

वर्ष 2009–14 की अवधि में पाँच संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षाएँ आयोजित हुई थी, जिसमें से दो–दो परीक्षाएँ किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (वर्ष 2009 एवं 2012) और छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (वर्ष 2010 एवं 2013) तथा एक परीक्षा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (वर्ष 2011) द्वारा आयोजित करायी गयी थी।

2.4.1.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- निधि का प्रयोग वांछित उद्देश्य के लिए किया गया था;
- परीक्षा आयोजन हेतु स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रणाली रखी गई थी;
- अधिनियम, शासनादेशों एवं नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन किया गया था; एवं
- प्रक्रिया के अनुश्रवण हेतु समुचित व्यवस्था के साथ ही सुदृढ़ एवं सुरक्षित सूचना प्रौद्योगिकी अस्तित्व में थी।

[1] संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा विवरण पुस्तिका–2013 के अनुसार।

[2] नामित विश्वविद्यालयों द्वारा विवरण पुस्तिका की बिक्री से प्राप्त शुल्क में से हुई बचत की 50 प्रतिशत धनराशि से शासन स्तर पर निधि का गठन किया जाना था।

2.4.1.2 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा के मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गये:

- परीक्षा के आयोजन हेतु शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देश;
- संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि नियमावली–1997; एवं
- माननीय उच्च न्यायालय का 1998 का निर्णय

2.4.1.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

पाँच परीक्षाओं से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना–जाँच नामित विश्वविद्यालयों के स्तर पर जबकि काउंसिलिंग एवं निधि से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना–जाँच कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग में माह जून 2014 एवं जुलाई 2014 में की गई थी। हमने लेखापरीक्षा अवधि में विश्वविद्यालयों एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को लेखापरीक्षा ज्ञापन निर्गत किये। लेखापरीक्षित इकाईयों एवं शासन से प्राप्त बिन्दुवार उत्तरों पर समुचित रूप से विचार किया गया एवं प्रतिवेदन में उचित स्थान पर समाविष्ट किया गया। प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ समापन बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2014 को आयोजित की गई थी।

2.4.1.4 सीमायें

कार्यालय, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग से बार–बार अनुरोध किये जाने के पश्चात् भी उनके कार्यालय द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र सीमित था। चयनित इकाईयों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किये गये अभिलेखों की सूची ***परिशिष्ट–2.4.1*** में दी गई है। अग्रेतर, नमूना–जाँच के लिए चयनित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित कराने से सम्बन्धित अभिलेख उसकी गोपनीयता का कारण बताते हुए दिसम्बर 2014 तक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किये गये थे। इसके अतिरिक्त सितम्बर 2014 तक निर्गत लेखापरीक्षा ज्ञापनों में से 30 प्रतिशत के उत्तर भी नही दिये गये (*दिसम्बर* 2014)। लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेख प्रस्तुत कराने हेतु किये गये प्रयासों एवं इकाईयों द्वारा अनुत्तरित लेखापरीक्षा ज्ञापनों का विवरण क्रमशः ***परिशिष्ट–2.4.2*** एवं ***परिशिष्ट–2.4.3*** में दिया गया है। समापन बैठक के अनुक्रम में शासन द्वारा दिनांक 5 दिसम्बर 2014 को ***(परिशिष्ट–2.4.4)*** सम्बन्धित इकाईयों को उत्तर एवं अभिलेख पाँच दिनों के अन्दर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इसके पश्चात् भी काउंसिलिंग सहित पाँचों परीक्षाओं से सम्बन्धित माँगे गये सभी वांछित अभिलेखों को लेखापरीक्षा को दिसम्बर 2014 तक प्रस्तुत नही किया गया था।

2.4.2 लेखापरीक्षा परिणाम

उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की नमूना–जाँच एवं प्रस्तुत उत्तरों के आधार पर लेखापरीक्षा के परिणाम निम्नवत् है:

2.4.2.1 वित्तीय स्थिति

नियमावली के अनुसार नामित विश्वविद्यालय संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के आयोजन में हुए व्यय के पश्चात् हुई बचत का 50 प्रतिशत शासन स्तर पर रख–रखाव किये जाने वाले संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि में अन्तरित की जानी चाहिए।

अवशेष 50 प्रतिशत बचत नामित विश्वविद्यालय के निस्तारण पर रखी जानी थी। प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि से सम्बन्धित अभिलेख/आँकड़ें प्रस्तुत नही किये जाने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा वर्ष 2009–14 की अवधि तक निधि की वित्तीय स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

विश्वविद्यालयों के नमूना–जाँच के समय लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर विश्वविद्यालयों द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को अन्तरित निधि[3] का विवरण **सारणी 1** में दर्शाया गया है।

सारणी 1: शासन एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को अन्तरित निधि का विवरण

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	विवरण पुस्तिका के विक्रय से प्राप्त धनराशि (शुल्क सहित)	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के आयोजन में व्यय की गयी धनराशि	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि में अन्तरित धनराशि	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को उपलब्ध करायी गई धनराशि	विश्वविद्यालयों के पास अवशेष धनराशि
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	2009	512.42	443.61	31.02	34.30	3.49
		2012	754.52	342.35	शून्य	38.97	373.20
2	छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	2010	542.43	302.26	98.83	34.50	106.84
		2013	974.37	393.67	194.87	41.84	343.99
3	बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी	2011	537.79	382.85	101.20	32.64	21.10

(स्रोतः विश्वविद्यालयों की नमूना–जाँच)

हमने पाया कि:

शासनादेश के प्रावधान के अनुसार किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ ने ₹ 150.90 लाख संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि में अन्तरित नही किया।

- शासन ने किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा 2012 की विवरण पुस्तिका की बिक्री से प्राप्त कुल धनराशि (₹ 754.52 लाख) का 20 प्रतिशत हिस्सा संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि में देने हेतु निर्देशित किया (फरवरी 2012)। तद्नुसार किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा ₹ 150.90 लाख संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि में अन्तरित किया जाना वांछित था। हमने पाया कि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त धनराशि संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि में अन्तरित नहीं की गयी थी। इसी प्रकार, शासन ने बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय को विवरण पुस्तिका की बिक्री के सापेक्ष प्रति विवरण पुस्तिका ₹ 50 काउंसिलिंग शुल्क के रूप में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया (फरवरी 2011)। तथापि, बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा (मई 2011) ₹ 34.05 लाख के सापेक्ष ₹ 32.64 लाख की धनराशि अन्तरित की गयी थी। इसके परिणाम स्वरूप महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को ₹ 1.41 लाख की धनराशि कम अन्तरित की गई।

[3] बचत का 50 प्रतिशत शासन स्तर पर रख–रखाव किये जाने वाले संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि में अन्तरित की जानी थी तथा कुल बेची गई विवरण पुस्तिका के सापेक्ष ₹ 50 प्रति विवरण पुस्तिका काउसिंलिंग फीस के रूप में महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को देय थी।

समापन बैठक में, शासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को उक्त धनराशि संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि में अन्तरित करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायेंगे। शासन द्वारा अग्रेतर कहा गया कि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय से शेष धनराशि की वसूली करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

नियमों के विपरीत ₹ 50.99 लाख व्यय किया गया।

- संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि नियमावली 1997 के प्रस्तर–4 में प्रावधानित है कि उक्त निधि से अधिवक्ताओं को माननीय न्यायालयों में पैरवी करने हेतु शुल्क, परीक्षा से सम्बन्धित प्रशासनिक व्यय जैसे–स्टेशनरी, कार्यालय सामग्री, पेट्रोल एवं कर्मचारियों के मानदेय आदि का भुगतान किया जा सकता था। फिर भी, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण एवं छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की नमूना–जाँच में हमने पाया कि उक्त वर्णित नियमावली के प्रावधानों के विपरीत ₹ 50.99 लाख विविध कार्यालय व्यय, टैक्सी बिलों, स्कैनरों का क्रय, यात्रा बिलों आदि पर संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा से अलग किया गया था, जैसा कि ***परिशिष्ट–2.4.5*** में दर्शाया गया है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा उत्तर में बताया गया (जुलाई 2014) कि व्यय तत्कालीन महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के निर्देश पर किया गया था जबकि छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया गया कि स्कैनर का क्रय पर्यावरण अध्ययन के अवर–स्नातक कार्यक्रम हेतु किया गया था। तथ्यों को स्वीकार करते हुए शासन द्वारा यह कहा गया कि परीक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उक्त व्यय संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि से किया गया था। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि भविष्य में संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि से इस प्रकार के व्यय से बचा जायेगा।

- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा विभिन्न कर्मचारियो को विभिन्न उद्वेश्यो हेतु कुल ₹ 31.66 लाख का वितरण मानदेय भुगतान के लिए दर्शाया गया। हालांकि, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा अनेक महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे रोकड/बैंक पासबुक, मानदेय पंजिका आदि का रख–रखाव नही किया गया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वर्ष 2009–14 के मध्य वास्तव में मानदेय के रूप में वितरित की गई धनराशि का निर्धारण नही किया जा सका। अग्रेतर, हमने यह भी पाया कि ₹ 31.66 लाख में से ₹ 7.59 लाख के मानदेय का भुगतान अपात्र कर्मचारियों को उनके योगदान को सुनिश्चित/अभिलिखित किये बिना ही किया गया था। हमने यह भी पाया कि मानदेय का भुगतान, होली एवं दीपावली जैसे अवसरों पर भी किया गया था। विवरण ***परिशिष्ट–2.4.6*** में दर्शाया गया है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा उत्तर में बताया गया (जुलाई 2014) कि मानदेय का भुगतान शासन के निर्देश पर एवं पूर्व प्रचलन के आधार पर किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नही है, क्योंकि निधि का उपयोग केवल उन्हीं कर्मचारियों के मानदेय भुगतान पर किया जाना था जिन्होंने परीक्षा सम्पादन में अपनी सेवायें दी हों।

छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर एवं किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मानदेय का भुगतान किया गया था।

- मूल नियम 47 के खण्ड–24 के अनुसार किसी भी अधिकारी को (राजपत्रित एवं अराजपत्रित शासकीय कर्मचारी) विभिन्न स्रोतों से मानदेय एवं शुल्क प्राप्त करने की अधिकतम सीमा ₹ 3,500 प्रति वित्तीय वर्ष है। देयकों की जाँच के समय हमने पाया कि छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2013 में 12 कर्मचारियों को (₹ 0.30 से ₹ एक लाख के मध्य)

₹ 8.50 लाख मानदेय के रूप मे भुगतान किया गया था तथा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा वर्ष 2012 में सात कर्मचारियों को (₹ 0.30 से ₹ तीन लाख के मध्य) ₹ 8.60 लाख के रूप में मानदेय का भुगतान किया गया था, जैसा कि ***परिशिष्ट–2.4.7*** में वर्णित है।

कुलसचिव, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा उत्तर में बताया गया (सितम्बर 2014) कि मानदेय की दरें शीर्ष समिति/कुलपति द्वारा निर्धारित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मानदेय भुगतान करने में अधिकतम सीमा का उल्लघंन किया गया था। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)। शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को होली एवं दीपावली जैसे अवसरों पर मानदेय के भुगतान को प्रतिबन्धित करने का निर्देश दिया गया। अग्रेतर, शासन द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय भुगतान के लिए दरों के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे। शासन द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि प्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यापक बनाने हेतु संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि नियमावली–1997 में भी आवश्यक संशोधन किया जायेगा। शासन का उत्तर मान्य नही है क्योंकि मूल नियम 47 के खण्ड–24 के अधीन दरें पहले से ही निर्धारित थीं।

उक्त निधि को स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रभावशाली प्रबन्धन प्रणाली से युक्त बनाने हेतु संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि नियमावली–1997 का पुनः अवलोकन किया जाना चाहिए।

2.4.2.2 क्रियान्वयन

विश्वविद्यालयों का चयन एवं अधिसूचना

संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा आयोजन हेतु विश्वविद्यालयों का चयन माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय (दिसम्बर 1998) के अनुपालन में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा छः सदस्यीय[4] समिति की सलाह पर किया जाता है और किसी भी विश्वविद्यालय को उक्त दायित्व लगातार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निर्दिष्ट नही किया जाता है। नामित विश्वविद्यालय के कुलपति को संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के आयोजन के लिए पदेन अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। शासन द्वारा विश्वविद्यालय का चयन तथा संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के आयोजन कराने की नियम एवं शर्तें वार्षिक आधार पर अधिसूचित की जाती है।

तथापि, कार्यालय, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा द्वारा विश्वविद्यालयों के चयन से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए मना कर दिया गया, परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा द्वारा चयन प्रक्रिया में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

समापन बैठक में शासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि विश्वविद्यालयों के चयन सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा को शीघ्र प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। तथापि, उक्त अभिलेख दिसम्बर 2014 तक प्रतीक्षित थे।

संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के आयोजन के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

[4] प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के दो कुलपति एवं राज्य चिकित्सा कालेज के दो प्राचार्य।

(अ) विवरण पुस्तिका की बिक्री

विश्वविद्यालयों द्वारा विवरण पुस्तिका की बिक्री पर ₹ 68.13 लाख अतिरिक्त प्रभारित किया गया था।

शासन द्वारा विवरण पुस्तिका की बिक्री के लिए बैंक कमीशन एवं डाक व्यय सहित दरों का निर्धारण प्रतिवर्ष किया जाता है। तद्नुसार नामित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिकायें बेची जानी चाहिए। तीन विश्वविद्यालयों[5] द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की नमूना–जाँच (जुलाई 2014) में पाया गया कि निर्धारित दर का उल्लघंन करके विश्वविद्यालयों द्वारा बैंक कमीशन एवं डाक व्यय को जोड़ते हुए विवरण पुस्तिका की बिक्री पर ₹ 68.13 लाख अधिक प्रभारित किया गया था। विवरण ***परिशिष्ट–2.4.8*** में दिया गया है।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह बताया गया कि विश्वविद्यालयों को अभ्यर्थियों से बैंक कमीशन एवं डाक व्यय भारित करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए शासनादेश में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पूर्व निर्धारित दरों में बैंक एवं डाक व्यय सम्मिलित था।

(ब) आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग

आवेदन–पत्र प्राप्त होने के पश्चात्, विश्वविद्यालयों द्वारा संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना था कि अभ्यर्थियों ने शासन द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों यथा आवश्यक शैक्षिक योग्यता, उम्र, श्रेणी आदि का पालन किया गया है।

संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2013 में 540 अपात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई थी।

छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की नमूना–जाँच में पाया गया कि संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2013 की विवरण पुस्तिका में अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष प्रावधानित थी अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जिनका जन्म 31 दिसम्बर 1996 के बाद हुआ हो, वह संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2013 के लिए अर्ह नही होगें। संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा 2013 के परिणाम की जाँच में हमने पाया कि 540 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका जन्म दिनांक 31 दिसम्बर 1996 के बाद हुआ था, इसके बावजूद उनको संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2013 में भाग लेने की अनुमति दी गई साथ ही इन सभी अभ्यर्थियों को श्रेणी भी आवंटित की गई थी।

कुलसचिव, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2014) कि साफ्टवेयर में पर्याप्त जाँच बिन्दु के अभाव के कारण त्रुटि हुई और भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी। शासन द्वारा तथ्यों को भी स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा (नवम्बर 2014) बताया गया कि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा अनुमोदित विवरण पुस्तिका 2013 में स्पष्ट उल्लेख था कि आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी की अर्हता नही जाँची जायेंगी तथा अभ्यर्थी संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा 2013 की प्रवेश परीक्षा हेतु स्वयं अपनी अर्हता सुनिश्चित करेगें।

विश्वविद्यालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेश (अप्रैल 2013) में संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु का स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकरण में उचित स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

[5] छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ और बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।

(स) पररूपण रोकने हेतु–बायोमेट्रिक प्रणाली

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2011 में बायोमेट्रिक प्रणाली को लागू नही किया गया था।

शासन द्वारा (फरवरी 2011) संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2011 में बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया तथा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी को संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के समय छात्रों के बायोमेट्रिक निशान एकत्र किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। तथापि, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा शासन के आदेश का उल्लंघन करते हुए मई 2011 में सम्पादित संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2011 में बायोमेट्रिक प्रणाली लागू नहीं की गई। अग्रेतर, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आयोजित संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2012 में बायोमेट्रिक प्रणाली तीन स्तर पर लागू की गयी (प्रथमः परीक्षा के समय, द्वितीयः काउसिंलिग एवं तृतीयः 'एफ' स्तर के रूप में भी जाना जाने वाला, प्रथम सत्र परीक्षा के पूर्व) और बायोमेट्रिक सत्यापन में 34 मामले धोखेबाजी के पता लगे। 34 में से 8 उम्मीदवार बायोमेट्रिक परीक्षा में असफल रहे, जबकि 26 ने बायोमेट्रिक परीक्षा मे हिस्सा नही लिया। परिणामस्वरूप सभी 34 उम्मीदवारों को उनके चिकित्सा कालेजों से निकाल दिया गया।

लेखापरीक्षा को केवल बायोमेट्रिक परीक्षा में असफल रहे किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के तीन उम्मीदवारों का विवरण (प्रवेश पत्र, अगुँली निशान सत्यापन प्रतिवेदन एवं आवेदन–पत्र) उपलब्ध कराया गया। उक्त अभिलेखों की जाँच में हमने पाया कि उम्मीदवार के परीक्षा हाल में लिये गये छायाचित्र का मिलान आवेदन–पत्र एवं प्रवेश–पत्र पर उपलब्ध छायाचित्र से नही हो रहा था। शेष अन्य 31 उम्मीदवारों का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराया गया। इसी प्रकार, संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2010 के तीन पररूपण मामलों का विवरण माँगे जाने पर भी छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराया गया था।

इस प्रकार, संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2012 से सम्बन्धित 34 सीटें अवरूद्ध एवं रिक्त रहीं जिनको प्रतीक्षारत छात्रों से भरा नही जा सका।

वित्त अधिकारी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा अपने उत्तर (जुलाई 2014) में अवगत कराया गया कि समयाभाव के कारण संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2011 में बायोमेट्रिक प्रणाली लागू नहीं की जा सकी। मुख्य परीक्षा संयोजक, संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2009 एवं 2012 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा अवगत (नवम्बर 2014) कराया गया कि सम्बन्धित अभिलेख परीक्षा नियन्त्रक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। तथापि, लेखापरीक्षा के निरन्तर अनुरोध के बावजूद उक्त अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराया गया (दिसम्बर 2014)।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त होते ही लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा। तथापि, दिसम्बर 2014 तक उक्त स्पष्टीकरण लेखापरीक्षा को प्रतीक्षित था।

(द) परीक्षा संचालन (संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा)

छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की नमूना–जाँच के दौरान लेखापरीक्षा को एक वाउचर की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2013 में एक अभ्यर्थी को श्रेणी आवंटित की गई थी, जबकि दयानंद गर्ल्स पी.जी.कालेज, कानपुर के वरिष्ठ अधीक्षक (परीक्षा) द्वारा उक्त अभ्यर्थी को संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा में अनुपस्थित दर्शाया गया

था। लेखापरीक्षा द्वारा पूर्ण अनुपस्थित विवरण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया, किन्तु छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा गोपनीयता के कारणों का उल्लेख करते हुए मना कर दिया गया। इस प्रकार, इस तरह की अनियमितताएँ होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया (सितम्बर 2014) कि प्रकरण की जाँच की जायेगी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा केन्द्र के प्रेक्षक द्वारा लापरवाही से अभ्यर्थी को अनुपस्थित चिन्हित कर दिया गया था, यद्यपि अभ्यर्थी उपस्थित था। शासन द्वारा विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया गया कि भविष्य में अनुपस्थिति विवरण की प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाये।

(य) उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन

उत्तर पुस्तिकाएँ तीन प्रतियों में रखी जाती है। एक प्रति का उपयोग स्कैन कर परिणाम बनाने में किया जाता है, जबकि शेष दो प्रति शासन एवं सम्बन्धित उम्मीदवार को दी जाती है। चूँकि सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराये गये थे, अतः उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए अपनायी गई प्रणाली की शुद्धता की जाँच लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी।

अग्रेतर, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से एकत्र सूचना की जाँच में यह भी पाया गया कि छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा आयोजित संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2013 में 21 छात्रों का अभ्यर्थन इस कारण निरस्त कर दिया गया था क्योंकि उक्त छात्रों द्वारा आप्टीकल मार्क–अप रीडर उत्तर पुस्तिका में दूसरे अभ्यर्थी का अनुक्रमांक अंकित कर दिया गया था। 21 अभ्यर्थियों के आप्टीकल मार्क–अप रीडर आवेदन–पत्र एवं सत्यापन शीट के अलावा छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा अन्य कोई भी अभिलेख यथा उत्तर पुस्तिका, प्रवेश–पत्र, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन प्रक्रिया आदि उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्य संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षाओं में भी इस प्रकार की गड़बड़ी की संम्भावना से इंकार नही किया जा सकता।

शासन द्वारा उत्तर में, गोपनीयता के कारणों का उल्लेख करते हुए उत्तर पुस्तकायें लेखापरीक्षा से साझा करने से मना कर दिया गया। शासन का दृष्टिकोण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परीक्षा होने के पश्चात् अभ्यर्थियों को भी उत्तर पुस्तिकायें उपलब्ध करायी जाती है।

(र) परिणाम घोषणा

संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के आयोजन के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम की घोषणा की जाती है और उसकी एक प्रति शासन और महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को भी अग्रसारित की जाती है। फिर भी नमूना–जाँच में शामिल किये गये विश्वविद्यालयों द्वारा गोपनीयता का उल्लेख करते हुए परिणाम की प्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने से मना कर दिया गया।

शासनादेश (अप्रैल 2013) में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलो में जहाँ कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों को चारों विषय (वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी एवं जन्तु विज्ञान) में समान अंक प्राप्त होते हैं, तो ऐसे अभ्यार्थियों की श्रेणी का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा नामित अधिकारी की उपस्थिति में लाटरी (टॉस) द्वारा की जायेगी।

संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2013 की नमूना–जाँच (जुलाई 2014) के शीर्ष 600 अभ्यर्थियों के परिणाम (महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा उपलब्ध कराई गई परीक्षा की साफ्ट कापी) में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 19 मामलों में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रत्येक विषय में समान अंक प्राप्त किये थे और इन अभ्यर्थियों को तद्नुसार श्रेणी भी आवंटित की गई थी। फिर भी, विश्वविद्यालय द्वारा शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों को लाटरी प्रणाली से श्रेणी आवंटित करने सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये। कुल सचिव, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2014) कि लाटरी द्वारा श्रेणी आवंटित करने सम्बन्धी अभिलेख गोपनीय हैं और लेखापरीक्षा के साथ साझा नही किये जा सकते हैं।

उत्तर में, शासन ने विश्वविद्यालयों को परीक्षा परिणाम की प्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया, जिसकी प्राप्ति प्रतीक्षित (दिसम्बर 2014) थी।

(ल) काउंसिलिंग

परिणाम घोषित हो जाने के उपरान्त महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के माध्यम से सीट का आबंटन किया जाता है जोकि तीन स्तरों (प्रथम कांउसिंलिंग, द्वितीय कांउसिंलिंग और विस्तारित काउन्सिलिंग) में चार केन्द्रों यथा संजय गाँधी पोस्ट ग्रेज्यूएट इन्स्टीट्यूट, लखनऊ, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, कानपुर तथा मेरठ में होती है तथा अभ्यर्थियों का प्रवेश प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक सम्बन्धित मेडिकल कालेज में हो जाना चाहिए। वर्ष 2006 से आन लाइन काउंसिलिंग लागू की गई थी तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा काउंसिलिंग में सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2010 तक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र लखनऊ की सेवायें ली गई थी। इसके बाद, उक्त उददेश्य हेतु एक निजी संस्था (मैसर्स रेडिएन्ट इन्टरप्राइजेज, लखनऊ) की सेवाऐं ली गयी थी। काउंसिलिंग प्रक्रिया की दक्षता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से लेखापरीक्षा द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा सम्पादित की गई काउंसिलिंग के विवरणों को माँगा गया। काउंसिलिंग हेतु बुलाये गये छात्रों की संख्या, एप्लीकेशन साफ्टवेयर, छात्र जिन्होनें सीट आवंटन के पश्चात् भी प्रवेश नही लिया, छात्रों को वापस की गई जमानत राशि आदि से सम्बन्धित आँकड़े लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किये गये थे। सम्पूर्ण अभिलेखों एवं आँकड़ों के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा काउंसिलिंग की दक्षता की जाँच नहीं की जा सकी।

शासन द्वारा उत्तर में तथ्यों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया गया कि अंकीकृत आँकड़े रखने की अवधि शीघ्र अधिसूचित की जायेगी।

शासन को काउंसिलिंग प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और परीक्षा में बायोमेट्रिक प्रणाली के प्रयोग को भी सुनिशचित किया जाना चाहिए।

2.4.2.3 आन्तरिक नियन्त्रण

उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि पाँच में से तीन इकाईयों (महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर तथा बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी) मे प्रभावी आन्तरिक नियन्त्रण की प्रणाली नहीं थी। यह भी देखा गया कि इन इकाईयों द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत कुछ आवश्यक अभिलेख जैसे रोकड़ बही, तुलन–पत्र एवं लेजर आदि का रख–रखाव नही किया गया था।

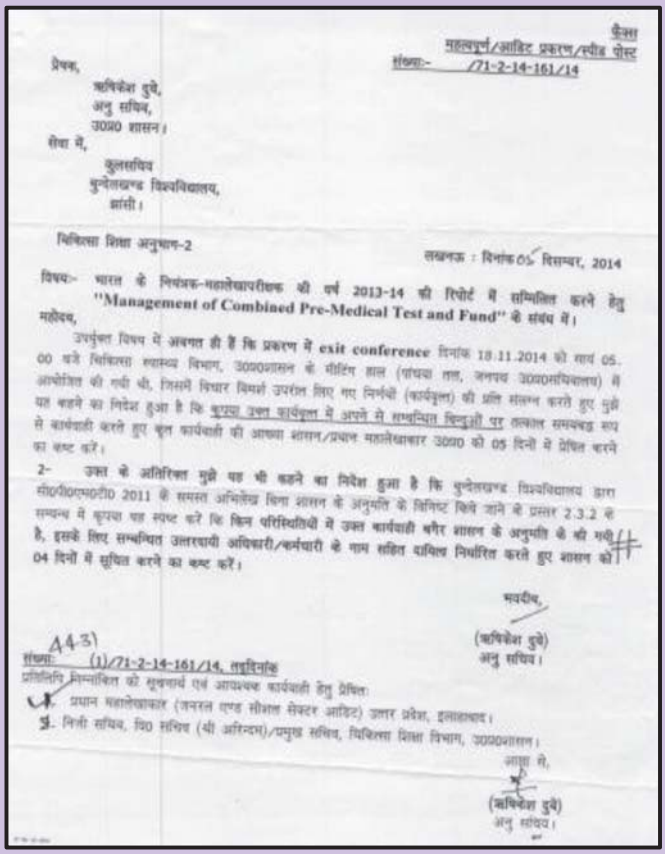
समापन बैठक में शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि सम्बन्धित इकाईयों में प्रभावी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(अ) आवश्यक अनुमोदन के बिना अभिलेखों को समाप्त किया जाना

बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा 2011 के समस्त गोपनीय एवं परीक्षा से सम्बन्धित अभिलेख विनष्ट कर दिये गये थे।

बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय के मैनुअल में परीक्षा परिणाम घोषित होने के छः माह बाद प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं को विनष्ट किये जाने का प्रावधान है। मैनुअल में गोपनीय लेखा एवं संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा से सम्बन्धित अभिलेखों को विनष्ट करने का कोई मानदण्ड नही था। हमने पाया कि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2011 का परीक्षा परिणाम घोषित होने के छः माह के अन्दर ही संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2011 से सम्बन्धित समस्त गोपनीय लेखा एवं संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के अभिलेख समाप्त कर दिये गये थे।

चित्र 1: शासन द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण



फैक्स
महत्वपूर्ण/आडिट प्रकरण/स्पीड पोस्ट
संख्याः- /71-2-14-161/14

प्रेषक,
ऋषिकेश दुबे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
कुलसचिव
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
झांसी।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
लखनऊ : दिनांक 05 दिसम्बर, 2014

विषयः- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2013-14 की रिपोर्ट में सम्मिलित करने हेतु "Management of Combined Pre-Medical Test and Fund" के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत ही हैं कि प्रकरण में **exit conference** दिनांक 18.11.2014 को सायं 05.00 बजे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन के मीटिंग हाल (पंचम तल, जनपथ उ0प्र0सचिवालय) में आयोजित की गयी थी, जिसमें विचार विमर्श उपरांत लिए गए निर्णयों (कार्यवृत्त) की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त कार्यवृत्त में अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर तत्काल समयबद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन/प्रधान महालेखाकार उ0प्र0 को 05 दिनों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

2- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा सी0पी0एम0टी0 2011 के समस्त अभिलेख बिना शासन के अनुमति के विनिष्ट किये जाने के प्रस्तर 2.3.2 के सम्बन्ध में कृपया यह स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में उक्त कार्यवाही कौन शासन के अनुमति के की गयी है, इसके लिए सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के नाम सहित दायित्व निर्धारित करते हुए शासन को 04 दिनों में सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

संख्याः (1)/71-2-14-161/14, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, वि0 सचिव (श्री आरन्दम)/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।

आज्ञा से,
(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

यह इंगित किए जाने पर वित्त अधिकारी, बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय ने बताया (जुलाई 2014) कि कुलपति की अध्यक्षता वाली समिति के निर्णय के अनुसार अभिलेख विनष्ट किये गये थे। शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया गया कि बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जायेगा तथा उसका निष्कर्ष लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। तदनुसार, शासन द्वारा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी से स्पष्टीकरण माँगा गया (दिसम्बर 2014), तथापि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय का उत्तर प्रतीक्षित था।

(ब) सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं मानकों का अनुपालन न किया जाना

सूचना तथा सम्बन्धित प्रौद्योगिकी के नियन्त्रित उद्देश्य के संरचना (कोबीट–अप्रैल 2012) में वर्णित, वाह्य सेवाओं से लिए जाने वाले कार्य हेतु ध्यान देने के सामान्य स्वीकार्य मानक निम्नवत् हैः

- यह सुनिश्चित करना कि वाह्य सेवाओं हेतु कार्य परिभाषित और अभिलिखित हैं;

- तकनीकी दक्षता एवं निष्पादन योग्यता पर आधारित वाह्य सेवा प्रदाता के चयन हेतु परिभाषित एवं क्रियान्वित ढ़ाँचा उपलब्ध हैं।

- परिभाषित सेवा स्तर, सुरक्षा, निरन्तरता आदि के लिये औपचारिक अनुबन्ध के साथ वाह्य सेवा–सम्बन्ध सुनिश्चित किया जाय; एवं

- वाह्य सम्बन्धों हेतु पूर्व क्रियाशील व्यवस्था, अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन की स्पष्ट एवं प्रभावकारी प्रणाली परिभाषित करना एवं लागू करना।

सभी तीन इकाईयों (छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी) द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की नमूना–जाँच में पाया गया कि संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा से सम्बन्धित अधिकांश कार्य यथा आवेदन–पत्रों की जाँच, आँकड़ों का अंकीकरण, प्रवेश–पत्रों की छपाई, अनुक्रमांक सूची का सत्यापन, परिणाम तैयार किये जाने आदि सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किये बिना निजी फर्म से बाहरी ठेके पर कराये गये थे। हमने आगे जाँच में पाया कि तीनों विश्वविद्यालयों द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा विकसित/प्रयोग की जाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के सामान्य तथा उपयोग के नियन्त्रण को सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रणाली नही अपनायी गई थी। सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण सेवा प्रदाता के चयन की शुद्धता स्थापित नही की जा सकी।

बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर तथा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा उत्तर में बताया गया (क्रमशः जुलाई, सितम्बर तथा नवम्बर 2014) कि विश्वविद्यालय द्वारा कोई सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन/साफ्टवेयर प्रयोग नही किया गया था तथा समस्त कार्य बाहरी ठेके से कराये गये थे। शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया तथा आश्वासन दिया गया कि भविष्य में सूचना तथा सम्बन्धित प्रौद्योगिकी के प्रावधानों का पालन किया जायेगा।

अतः सूचना प्रौद्यगिकी नीति के अनुपालन के अभाव में लेखापरीक्षा में संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा में अपात्र अभ्यर्थियों को भाग लेने की अनुमति देने के उदाहरण पाये गये जैसा कि प्रस्तर 2.4.2.2 में वर्णित है।

(स) साक्ष्यकरण एवं अभिलेखीकरणः पंजीकरण एवं जमानत शुल्क

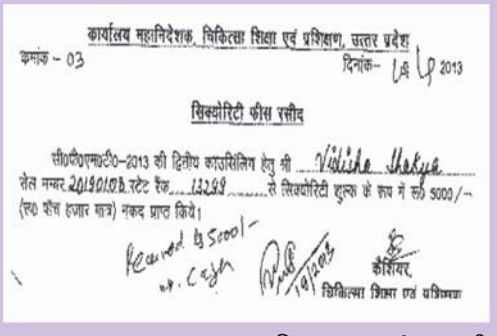
बिना पर्याप्त साक्ष्यकरण एवं अभिलेखीकरण के ही पंजीकरण एवं जमानत शुल्क नगद संग्रहीत किये गये थे।

काउंसिलिंग हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में भाग लेने के पूर्व वापसी योग्य जमानत शुल्क ₹ 5,000 तथा वापसी न करने योग्य ₹ 300 जमा करना अपेक्षित था। छात्रों को पंजीकरण एवं जमानत शुल्क बैंक में जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा (2008) एक्सिस बैंक में एक खाता खोला गया था।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की नमूना–जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के खाते में छात्रों द्वारा वर्ष 2008 से पंजीकरण एवं जमानत शुल्क जमा किया जा रहा था। जो उम्मीदवार शुल्क बैंक में जमा करने में असफल रहे उनसे पंजीकरण एवं जमानत शुल्क काउंसिलिंग के समय नगद लिया गया था।

हमने पाया कि पंजीकरण एवं जमानत शुल्क संग्रहण एवं वापसी की व्यवस्था दोषपूर्ण थी। जैसे कि वर्ष 2012 एवं 2013 में (महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ ने वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 का उक्त अभिलेख प्रस्तुत नही किया था) उम्मीदवारों से स्थल पर पंजीकरण एवं जमानत शुल्क मद में नगद संग्रह की गयी धनराशि बैंक में जमा नहीं किये जाने के दृष्टान्त भी पाये गये थे हमने यह भी पाया कि स्थल पर नगद जमा के बदले उम्मीदवार को हस्तलिखित प्राप्ति रसीद निर्गत की गयी थी। कुछ दृष्टान्तों में हमने पाया कि उन प्राप्ति रसीदों का भी उपयोग किया गया, जिन प्राप्ति रसीदों पर कोई क्रम संख्या अंकित नही थी और एक ही क्रम संख्या एक से अधिक प्राप्ति रसीदों पर अंकित थी। उपरोक्त प्रकरण के दो उदाहरण नीचे दिये गये है:

एक क्रम संख्या की नगद प्राप्ति रसीद



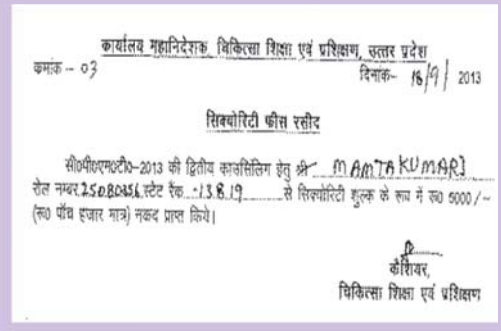
कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश
क्रमांक - 03 दिनांक- 18/9/2013

सिक्योरिटी फीस रसीद

सी0पी0एम0टी0-2013 की द्वितीय काउंसिलिंग हेतु श्री Vidisha Thakur रोल नम्बर 20190108 रटेट रैंक 13299 से सिक्योरिटी शुल्क के रूप में रू0 5000/- (रू0 पाँच हजार मात्र) नकद प्राप्त किये।

Received Rs 5000/- by cash

कैशियर,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण



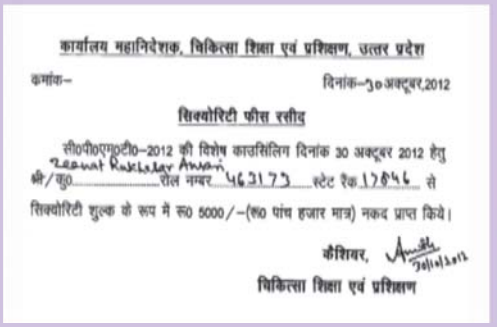
कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश
क्रमांक - 03 दिनांक- 18/9/2013

सिक्योरिटी फीस रसीद

सी0पी0एम0टी0-2013 की द्वितीय काउंसिलिंग हेतु श्री/कु0 M AMTA KUMARI रोल नम्बर 2508045 रटेट रैंक 13819 से सिक्योरिटी शुल्क के रूप में रू0 5000/- (रू0 पाँच हजार मात्र) नकद प्राप्त किये।

कैशियर,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण

बिना क्रम संख्या की नगद प्राप्ति रसीद



कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश
क्रमांक- दिनांक-30 अक्टूबर,2012

सिक्योरिटी फीस रसीद

सी0पी0एम0टी0-2012 की विशेष काउंसिलिंग दिनांक 30 अक्टूबर 2012 हेतु श्री/कु0 Rasmat Rakkalar Aman रोल नम्बर 463173 रटेट रैंक 17846 से सिक्योरिटी शुल्क के रूप में रू0 5000/-(रू0 पांच हजार मात्र) नकद प्राप्त किये।

कैशियर,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण



कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश
क्रमांक- दिनांक-30 अक्टूबर,2012

सिक्योरिटी फीस रसीद

सी0पी0एम0टी0-2012 की विशेष काउंसिलिंग दिनांक 30 अक्टूबर 2012 हेतु श्री/कु0 Shishir Rana रोल नम्बर 485741 रटेट रैंक 20238 से सिक्योरिटी शुल्क के रूप में रू0 5000/-(रू0 पांच हजार मात्र) नकद प्राप्त किये।

कैशियर,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण

अग्रेतर, हमने पाया कि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण ने किसी भी अभिलेख का रख–रखाव नही किया था जिससे वास्तविक नगद संग्रह एवं वापसी का प्रतिभू किया जा सके। वर्ष 2009–14 की अवधि में बैंक में संग्रहित धनराशि हेतु भी अभिलेखों का रख–रखाव नही किया गया था।

समापन बैठक में शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि लेखापरीक्षा की टिप्पणी के फलस्वरूप वर्ष 2014 से पंजीकरण एवं जमानत शुल्क नगद संग्रह करने की प्रक्रिया बन्द कर दी गयी। आगे महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा यह अवगत भी कराया कि पारदर्शिता हेतु सभी सम्बन्धित अभिलेख बनाये जायेगें एवं उक्त कमियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

अतः अभिलेखों की अनुपलब्धता से, लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित नही किया जा सका कि कुल कितनी धनराशि छात्रों से प्राप्त/वापस की गयी एवं किस सीमा तक धनराशि का उपयोग अनुमन्य उददेश्य पर किया गया एवं इस प्रकार नगद/बैंक में संग्रहित धनराशि के किसी दुरूपयोग से इंकार नही किया जा सकता।

अभिलेखों के विनष्टीकरण हेतु शासन द्वारा स्पष्ट समयबद्धता निर्धारित किया जाना चाहिए। संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के आयोजन के सन्दर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी नीति का कठोरता से अनुपालन किया जाना चाहिए। प्रक्रिया, अभिलेखीकरण, साक्ष्यीकरण आदि अस्पष्टता से रहित होनी चाहिए, और यथोचित स्तर पर प्रकरण की जाँच किये जाने की आवश्यकता है।

2.4.3. निष्कर्ष

- *इकाईयों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में स्पष्टता के अभाव में संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि का प्रबन्धन मनमाने ढंग से किया गया था। निधि के दुरूपयोग के उद्धरण पाये गये थे;*

- *ऐसे उद्धरण भी पाये गये जिसमें आवेदन–पत्रों की प्रोसेसिंग में जाँच समुचित नहीं थी एवं बायोमेट्रिक प्रणाली आदि लागू करने में शासन के मानकों का उल्लंघन किया गया था, दिये गये तथ्य कि बड़ी संख्या में पात्र छात्रों का भविष्य संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा पर निर्भर होने के कारण प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी, सही, विश्वसनीय एवं समुचित रूप में अभिलिखित एवं साक्ष्यीकृत होने की आवश्यकता है। यद्यपि, विगत पाँच वर्षों में ऐसा नहीं था; और*

- *परीक्षा परिणाम की घोषणा के छः माह के अन्दर परीक्षा से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को समाप्त किये जाने सहित अपर्याप्त अनुश्रवण, अविश्वसनीय सूचना प्रौद्यौगिकी एवं बायोमेट्रिक प्रणाली, बेहद लचर अभिलेखीकरण, एवं साक्ष्यीकरण आदि परीक्षा की विश्वसनीयता के साथ समझौता था।*

लैपटाप एवं टैबलेटः
क्रय एवं विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरण



माध्यमिक शिक्षा विभाग

माध्यमिक शिक्षा विभाग

2.5 लैपटाप एवं टैबलेटः क्रय एवं विद्यार्थियो को निःशुल्क वितरण

2.5.1 प्रस्तावना

तकनीकी ज्ञान के साथ अद्यतन रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटाप एवं टैबलेट वितरण का निर्णय (मार्च–2012) लिया गया था। लैपटाप ऐसे विद्यार्थियो को वितरित किया जाना था जिन्होने परीक्षा लेने वाली संस्था[1] से वर्ष 2012 में कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी तथा उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत थे। टैबलेट ऐसे विद्यार्थियो को वितरित किया जाना था, जिन्होने वर्ष 2012 में कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी तथा कक्षा 11 अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा पालिटेक्निक संस्थाओं जिनके पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम अहर्ता कक्षा 10 उत्तीर्ण थी, में अध्ययनरत थे। शासन द्वारा निर्णय (मई–2012) लिया गया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा लैपटाप एवं टैबलेट क्रय किये जायेंगे तथा विद्यालयों अथवा संस्थाओं द्वारा पात्र विद्यार्थियों की सूची तैयार कर अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड की जानी थी। वर्ष 2012 के दौरान विभिन्न बोर्ड से कक्षा 10 में 33.29 लाख[2] तथा कक्षा 12 में 25.01 लाख[3] विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। जबकि, शासन द्वारा कक्षा 12 उत्तीर्ण तथा उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत विद्यार्थियों को लैपटाप वितरण हेतु, अनुबन्धित मात्रा 15[4] लाख लैपटाप के सापेक्ष 14.81 लाख लैपटाप क्रय किये गये थे। जबकि नवम्बर 2014 तक कोई टैबलेट क्रय नहीं किया गया था। विद्यार्थियो को लैपटाप व टैबलेट का वितरण मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी एवं तहसीलदार इत्यादि की उपस्थिति में आयोजित समारोह में किया जाना था।

2.5.2 लैपटाप अथवा टैबलेट वितरण हेतु संगठानात्मक ढांचा

शासन स्तर पर, प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा लखनऊ; राज्य स्तर पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ; एवं राज्य परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद, लखनऊ (सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत) तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक विद्यार्थियों को लैपटाप एवं टैबलेट वितरण हेतु उत्तरदायी थे।

2.5.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निःशुल्क लैपटाप तथा टैबलेट वितरण योजना की लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन एवं सुनिश्चित करना था कि क्या;

- वित्तीय संसाधनों का प्रबन्धन विवेकपूर्ण था;
- निःशुल्क लैपटाप वितरण का उद्देश्य प्राप्त करने हेतु योजना का क्रियान्वयन समुचित एवं प्रभावशाली था;
- लैपटाप के क्रय एवं उपयोग पारदर्शी, नैतिक एवं कुशल तरीके से किये जा रहे थे;

[1] उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उत्तर माध्यमा की परीक्षा, आलिम परीक्षा उत्तर प्रदेश, मदरसा शिक्षा परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यादि।

[2] उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबादः 29.81 लाख, सी0बी0एस0ई0ः 1.61 लाख, आई0सी0एस0ई0ः 0.30 लाख, मदरसा बोर्डः 1.06 लाख, उत्तर माध्यमिक संस्कृत शिक्षा बोर्डः 0.51 लाख।

[3] उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषदः 23.31 लाख, सी0बी0एस0ई0ः 0.81 लाख, आई0सी0एस0ई0ः 0.20 लाख, मदरसा बोर्डः 0.34 लाख, तथा उत्तर माध्यमिक संस्कृत शिक्षा बोर्डः 0.35 लाख।

[4] उत्तर प्रदेश बोर्ड, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 एवं उत्तर माध्यमिक संस्कृत शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश से कक्षा 12 परीक्षा उत्तीर्ण (18.90 लाख) विद्यार्थियो की आकलित संख्या पर आधारित।

- विद्यार्थियों का चयन मानदण्डों के अनुसार था; और
- योजना के अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त और प्रभावी तंत्र था।

2.5.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

लेखा परीक्षा मापदण्ड निम्न स्रोतो से प्राप्त किये गये है:

- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 05 जुलाई 2012 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश;
- बजटीय प्रावधान;
- निविदा अभिलेख अथवा अनुबन्ध;
- सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र/निर्देश; और
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवधिक रिपोर्ट्स/रिटर्न्स।

2.5.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं प्रक्रिया

कार्यालय प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, राज्य परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद, लखनऊ; एवं परिमाण के अनुपात के आधार पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा नमूना चयनित 15 जनपदों[5] के जिला विद्यालय निरीक्षकों के लैपटाप व टैबलेट क्रय एवं वितरण सम्बन्धी वर्ष 2012–14 तक के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा की गयी (मई 2014 से जुलाई 2014)। लेखापरीक्षा के परिणामों पर प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन से दिनांक 18 नवम्बर 2014 को समापन संगोष्ठी में विचार विमर्श किया गया था। वार्ता के दौरान लेखापरीक्षा परिणामों एवं अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया था। शासन का उत्तर सितम्बर 2014 में प्राप्त हुआ था जिसे प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित किया गया।

2.5.6 लेखापरीक्षा परिणाम

2.5.6.1 वित्तीय स्थिति

विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटाप वितरण पर ₹ 3,420.76 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी।

बजट प्रावधान एवं उसके सापेक्ष व्यय की वर्षवार स्थिति **सारणी 1** में दी गयी है:

सारणी 1: बजट प्रावधान एवं व्यय की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	विवरण	बजट प्रावधान	व्यय	बचत (-)
1	2012–13	कक्षा 10 उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु टैबलेट	302.39	0.20	(-) 302.19
		कक्षा 12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु लैपटाप	2,417.98	1,020.40	(-) 1,397.58
2.	2013–14	कक्षा 10 उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु टैबलेट	302.39	0.84	(-) 301.55
		कक्षा 12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु लैपटाप	2,418.85	2,399.32	(-) 19.53
		योग	**5,441.61**	**3,420.76**	**(-) 2,020.85**

(स्रोतः वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के विनियोग लेखे)

[5] परिमाण के अनुपात के आधार पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा नमूना चयनित जिले अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बलरामपुर, बांदा, बिजनौर, इटावा, गौतमबुद्ध नगर, गाजीपुर, कानपुर देहात, लखनऊ, महाराजगंज, मेरठ, मुरादाबाद तथा संतरविदास नगर।

सारणी से स्पष्ट है कि मुख्य रूप से टैबलेट क्रय नही किये जाने एवं लैपटाप कम क्रय किये जाने के कारण 2012–14 की अवधि में ₹ 2,020.85 करोड़ की बचत हुयी थी।

वार्ता के दौरान शासन ने बताया कि व्यय की अनिश्चितता के कारण धनराशि समर्पित नही हो सकी। तथ्य यथावत है कि यह अपर्याप्त बजटीय और व्यय नियंत्रण का संकेतक था क्योंकि कथित धनराशि व्यपगत हुयी।

अवधि 2012–14 में, लैपटाप एवं टैबलेट के क्रय एवं विद्यार्थियों को इसके वितरण पर प्रावधानित बजट ₹ 5,441.61 करोड़ के सापेक्ष ₹ 3,420.76 करोड़ का व्यय किया गया था। फिर भी, लेखापरीक्षा में अपर्याप्त नियोजन, वित्तीय अव्यवस्था एवं टैबलेट का अवितरित रहना इत्यादि पाया गया। इसके अतिरिक्त माँग किये जाने के बावजूद बजट प्रक्रिया, विद्यार्थियो के चयन, मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से सम्बन्धित अभिलेख व पर्यवेक्षण संम्बन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किये गये ***(परिशिष्ट–2.5.1)***।

2.5.6.2 टैबलेट क्रय करने की प्रक्रिया पर निरर्थक व्यय

₹ 60.06 लाख का निरर्थक व्यय।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि शासन ने टैबलेट क्रय करने हेतु रुपये ₹ 604.78 करोड़ का बजट प्रावधान किया था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 26.62 लाख टैबलेट क्रय करने हेतु बिड डाक्यूमेन्ट को अन्तिम रूप दिया गया था, व्यापक निविदा प्रकाशित की गयी थी और प्री–बिड सम्मेलन को आयोजित किया था। फिर भी, किसी वेन्डर का चयन नही हो सका। योजना के आरम्भ से कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण किये जाने का क्रियान्वयन नही किया गया था। इस प्रक्रिया में, शासन ने टैबलेट क्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव के निवेदन (₹ 16.29 लाख), निविदा प्रकाशन सूचना (₹ 43.32 लाख), प्री–बिड सम्मेलन (₹ 0.29 लाख) तथा प्रतिस्पर्धात्मक निविदा (₹ 0.16 लाख) पर कुल ₹ 60.06 लाख का व्यय किया गया जो निरर्थक रहा।

समापन संगोष्ठी में शासन ने बताया कि टैबलेट वितरण करने अथवा योजना बन्द करने का प्रस्ताव, शासन स्तर पर लम्बित था।

2.5.6.3 निधियों का अवरूद्ध रहना

अवरूद्ध धनराशि ₹ 598.33 करोड़।

लेखापरीक्षा ने पाया कि व्यय की गयी धनराशि ₹ 3,420.76 करोड़ में से शासन ने ₹ 1,588.64 करोड़ (मार्च 2013: ₹ 1,000 करोड़ एवं मार्च 2014: ₹ 588.64 करोड़) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड के वैयक्तिक लेखा खाता मे जमा किया था तथा इसके पश्चात् ₹ 990.31 करोड़ (मार्च 2013: ₹ 2.91 करोड़; जून 2013: ₹ 240.32 करोड़; अगस्त 2013: ₹ 388.54 करोड़; एवं सितम्बर 2013: ₹ 358.54 करोड़) आहरित किये। अवशेष धनराशि ₹ 598.33 करोड़ उक्त वैयक्तिक लेखा खाता में नवम्बर 2014 तक अव्यतित पड़ी थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि सम्बन्धित जनपदों के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के वैयक्तिक लेखा खाता में नवम्बर 2014 तक ₹ 141.14 करोड़ (₹ 3,420.76 करोड़ में से) की धनराशि पड़ी हुई थी, जिसका भुगतान आपूर्तित लैपटाप की एक वर्ष की वारन्टी अवधि पूर्ण होने के उपरान्त आपूर्तिकर्ता को किया जाना था।

वार्ता के दौरान शासन ने बताया कि धनराशि का उपभोग अथवा समर्पित करने की कार्यवाही की जायेगी।

2.5.6.4 प्रशासकीय व्यय की अधिकता

₹ 2.97 करोड़ का अनुमन्य सीमा से अधिक व्यय।

शासनादेश (दिसम्बर 2013) के अनुसार जहाँ लैपटाप वितरण समारोह माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित किया जाना था वहाँ प्रासंगिक व्ययों जैसे वितरण लागत एवं वितरण समारोह के आयोजन के रूप में ₹ 1.50 करोड़ का प्रशासनिक व्यय अनुमन्य था।

प्रशासकीय व्यय सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि चयनित 15 जनपदों में से तीन[6] जनपदो में (जहाँ लैपटाप वितरण समारोह माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था) वहाँ अनुमन्य प्रशासकीय व्यय ₹ 4.50 करोड़ के सापेक्ष ₹ 7.47 करोड़ का व्यय (जिस हेतु ₹ 1.50 करोड़ का आवंटन एवं भुगतान किया था) लैपटाप वितरण के आयोजन में किया गया था, परिणामस्वरूप ₹ 2.97 करोड़ का अधिक व्यय हुआ ***(परिशिष्ट–2.5.2)***।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि अधिक व्यय के भुगतान की जाँच प्रक्रिया में है।

2.5.6.5 लम्बित देयता

अधिक राशि का दायित्व भी सृजित किया जाना।

प्रशासकीय व्यय संम्बन्धी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि चयनित 15 जनपदों में से छः[7] में आवंटित धनराशि ₹ 1.57 करोड़ के सापेक्ष ₹ 7.82 करोड़ का व्यय किया गया जो वेंडर अथवा आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया था। परिणामस्वरूप नवम्बर 2014 तक बिल की धनराशि ₹ 6.25 करोड़ भुगतान हेतु लम्बित थी जिसके कारण ₹ 6.25 करोड़ देयता का सृजन हुआ ***(परिशिष्ट–2.5.3)***।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि व्यय का भुगतान परीक्षण के आधीन था। इस प्रकार एक तरफ शासन द्वारा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के वैयक्तिक लेखा खाता में ₹ 598.33 करोड़ रखे गये थे एवं दूसरी तरफ ₹ 6.25 करोड़ की देयता सृजित की गयी थी।

2.5.6.6 लैपटाप का वितरण

आपूर्तिकर्ता को 14.81 लाख लैपटाप (लागत ₹ 2,822.71 करोड) का आपूर्ति आदेश किया जाना।

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा ने लैपटाप वितरण हेतु कक्षा 12 उत्तीर्ण 18.90 लाख विद्यार्थियों का आकलन किया था (मार्च 2012) जिसके सापेक्ष शासन ने 15 लाख लैपटाप क्रय करने हेतु व्यापक निविदा आमंत्रित की थी और लैपटाप की आपूर्ति हेतु मेसर्स एच0पी0 सेल्स इण्डिया लिमिटेड (फर्म) की निविदा स्वीकृति की थी। प्राप्त आवेदन–पत्र 14.91 लाख के सापेक्ष उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोशन लिमिटेड ने 15 लाख लैपटाप क्रय करने के लक्ष्य के सापेक्ष ₹ 2,822.71 करोड़ लागत के 14.81 लाख लैपटाप की आपूर्ति हेतु सात आपूर्ति आदेश फर्म को निर्गत किये थे। आंकलित 18.90 लाख विद्यार्थियों के सापेक्ष मात्र 15 लाख लैपटाप हेतु निविदा आमंत्रित करने एवं अवशेष 10,000 लैपटाप के क्रय हेतु फर्म को आपूर्ति आदेश निर्गत न किये जाने का कोई कारण लेखा परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर भी नही बताया गया। फर्म द्वारा 313 तहसीलो के सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को 14.81 लाख लैपटाप की आपूर्ति की गयी (मार्च से सितम्बर 2013 तक) तथा मई 2014 तक 95 प्रतिशत (₹ 2,681.57 करोड़) का भुगतान किया जा चुका था ***(परिशिष्ट–2.5.4)***। 15 जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षकों के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीः

[6] अलीगढ़, इलाहाबाद एवं बाँदा
[7] अलीगढ़, इलाहाबाद, बाँदा, बिजनौर, गौतमबुद्ध नगर एवं संतरविदास नगर

(अ) लैपटाप का अवितरित रहना

पर्याप्त मात्रा में लैपटाप का वितरण न किया जाना।

विद्यार्थियो की अनुपस्थिति या उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों के अपात्र होने के कारण, क्रय किये गये 14.81 लाख लैपटाप में से 45,803 लैपटाप (लागत ₹ 87.29 करोड़) का वितरण नहीं किया गया था और वे जनपदों में तहसील स्तर पर रखे हुए थे। 15 जनपदों की नमूना जाँच में, जहाँ 3,81,609 विद्यार्थियों को लैपटाप वितरित करने थे जिसमें से विद्यार्थियों की अनुपस्थिति या अपात्र होने के कारण अवितरित 12,213 लैपटाप तहसील स्तर पर स्टाक में अवितरित रखे हुए थे (जुलाई 2014)। जनपदवार विवरण ***परिशिष्ट–2.5.5*** में दिया गया है। शासन ने निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड एवं सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देशित किया (जून 2014) कि पात्र विद्यार्थियों को लैपटाप का वितरण अन्य जनपदों को पुनः आवंटन कर सुनिश्चित करे।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2014) कि 45,803 लैपटाप वितरण प्रक्रिया में थे।

अग्रेतर, सम्बन्धित कालेजों अथवा संस्थाओं के प्रधानाचार्यों द्वारा पात्र विद्यार्थियों की सूची तैयार की जानी थी और जिसे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोशन लिमिटेड को भेजने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षकों को प्रस्तुत की जानी थी। जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ के अभिलेखो की जाँच में पाया गया कि 24,471 पात्र विद्यार्थियों मे से 21,425 विद्यार्थियों को लैपटाप वितरित किये गये परिणामस्वरूप 3,046 पात्र विद्यार्थियों को लैपटाप वितरित नही किये गये।

शासन ने उत्तर में बताया कि जनपद मेरठ में 3,046 पात्र विद्यार्थियों को लैपटाप वितरित नहीं किये गये थे क्योकि उन्होनें निर्धारित समय अवधि में आवेदन नहीं किये थे। हालांकि, माँगे जाने के बावजूद (नवम्बर 2014) अपने उत्तर के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये।

(ब) भण्डार में लैपटाप का कम पाया जाना

योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार, लैपटाप वितरण से पूर्व क्रय किये गये एवं स्टोर में रखे गये लैपटाप में से पाँच प्रतिशत लैपटाप का भौतिक सत्यापन उप जिलाधिकारी अथवा तहसीलदार या जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी द्वारा किया जाना था।

भण्डार में लैपटाप का कम पाया जाना।

15 जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि क्रय किये गये एवं स्टोर में रखे गये लैपटाप में से पॉच प्रतिशत लैपटाप का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा किया गया। अग्रेतर, भण्डार में उपलब्ध लैपटाप के संयुक्त भौतिक सत्यापन में चार[8] जनपदो में ₹ 41 लाख लागत के कुल 215 लैपटाप कम पाये गये थे, जो यह दर्शाता था कि आवश्यक सत्यापन उचित तरीके से नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर में बताया गया कि अलीगढ़ और बिजनौर जनपद में लैपटाप की संख्या में कमी नही पायी गयी। आजमगढ़ और मुरादाबाद के संम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि माँगे जाने के बावजूद (नवम्बर 2014) अपने उत्तर के समर्थन में शासन ने कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये थे।

[8] अलीगढ़: 206, आजमगढ़: तीन, बिजनौर: चार एवं मुरादाबाद: दो।

जनपद इलाहाबाद के अभिलेखो की जाँच में पाया गया कि लैपटाप वितरण समारोह के बाद 52 लैपटाप (₹ 9.91 लाख) कम पाये गये। समारोह संचालन के दौरान लैपटाप के उचित रख–रखाव हेतु जिला प्रबन्धन समिति उत्तरदायी थी।

उत्तर में, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा तथ्य को स्वीकार किया गया (जून 2014) और बताया गया कि ये लैपटाप चोरी अथवा गायब हुये थे तथा इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी थी।

शासन द्वारा इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी गयी।

2.5.6.7 वितरण के पश्चात् विद्यार्थियों का सत्यापन न किया जाना

वितरण के पश्चात् विद्यार्थियों का सत्यापन न किया जाना।

योजना के दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 8.7 के अनुसार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अथवा तकनीकी शिक्षा और संस्थाओं के प्रमुख द्वारा विद्यार्थियो का सत्यापन तथा पॉच प्रतिशत विद्यार्थियों का सत्यापन जिला स्तरीय समिति द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाना था कि लैपटाप वितरण मात्र पात्र विद्यार्थियों को ही किया गया था तथा वे उसका प्रयोग कर रहे थे।

15 जिला विद्यालय निरीक्षकों के अभिलेखो की नमूना–जाँच में पाया गया कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अथवा तकनीकी शिक्षा और संस्थाओं के प्रमुख द्वारा नमूना चयनित 15 जनपदों में से किसी भी जनपद में लैपटाप वितरण के पश्चात विद्यार्थियो का सत्यापन नही किया गया था। जाँच में यह भी पाया गया कि जिला स्तरीय समिति द्वारा 15 जनपदों में से दस[9] में पॉच प्रतिशत विद्यार्थियों का सत्यापन किया गया था तथा शेष पाँच जनपदों[10] में नहीं किया गया था। फिर भी, लैपटाप के उपयोग की प्रतिपुष्टि को सुनिश्चित करने हेतु कोई विस्तृत तंत्र नहीं बनाया गया था। लाभार्थियों द्वारा लैपटाप के उपयोग की सीमा के सत्यापन हेतु शासन द्वारा कोई दिशा–निर्देश या प्रोफार्मा नहीं बनाया गया था। कम्प्यूटर के उपयोग हेतु विद्यार्थियों को मात्र एक दिवसीय प्रदर्शन के अतिरिक्त कोई भी प्रणाली स्थापित नहीं थी। यद्यपि कुछ अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया था परन्तु लैपटाप प्राप्त विद्यार्थियों को आने वाली समस्याओं में सहयोग करने हेतु इन प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए कोई बाध्यकारी आदेश निर्गत नहीं किये गये थे।

उत्तर में शासन ने बताया कि विद्यार्थियों को वितरित किये गये लैपटाप की जाँच की गयी थी एवं अधिकारियों द्वारा जनपदों में भ्रमण करके भी जाँच की गयी तथा उनके उपयोग करने की प्रतिपुष्टि की गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योकि न तो लैपटाप के उपयोग की प्रतिपुष्टि हेतु अर्थपूर्ण प्रणाली विकसित की गयी थी और न ही माँगे जाने के बावजूद (नवम्बर 2014) लैपटाप के उपयोग करने से संम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये थे।

2.5.7 अनुश्रवण

उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य स्तरीय वेब पर्यवेक्षण पद्धति स्थापित करने हेतु आदेश निर्गत किये (फरवरी 2013) तथा इसके संचालन की क्रियाविधि जिलाधिकारियों को सूचित की गयी थी। फिर भी हमने पाया किः

[9] अलीगढ़, आजमगढ़, बांदा, बिजनौर, इटावा, गौतमबुद्ध नगर, गाजीपुर, लखनऊ, मेरठ एवं मुरादाबाद।
[10] इलाहाबाद, बलरामपुर, कानपुर देहात, महाराजगंज तथा संतरविदास नगर।

- जनपदों एवं तहसीलों में विभिन्न तिथियों में लैपटाप वितरित करना दर्शाया गया था लेकिन पुष्टि की स्थिति 'नहीं' दर्शायी गयी थी;

- बिल की तिथि एवं धनराशि दर्शायी गयी थी लेकिन भुगतान की तिथि एवं चेक के विवरण का कालम रिक्त दर्शाये गये थे;

- नौ जनपदों के 1,348 अपात्र लाभार्थियों के आँकड़ों में भिन्नता थी; एवं

- पाँच जनपदों (अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर एवं कानपुर देहात) के अध्यापकों के प्रशिक्षण की स्थिति सम्बन्धी आँकड़े भी अपलोड नहीं किये गये थे।

यह प्राधिकारियों द्वारा राज्य स्तरीय वेब पोर्टल पर अविश्वसनीय आँकड़ों को अपलोड करने एवं कमजोर अनुश्रवण किये जाने का सूचक था।

उत्तर में शासन ने बताया कि वेब पोर्टल को अद्यतन करने की प्रक्रिया चल रही थी एवं आश्वासन दिया कि इसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा। वार्ता के दौरान, शासन द्वारा वही दोहराया गया। तथ्य यह ही है कि वेब पोर्टल अद्यतन एवं प्रयोग में नही था।

स्टाक में पड़े अवितरित 45,803 लैपटाप को उपयोग में लिए जाने की कार्यवाही शासन द्वारा अविलम्ब प्रारम्भ की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को वितरित किये गये 14.35 लाख लैपटाप का उनके द्वारा उपयोग किये जाने की सुनिश्चितता हेतु शासन द्वारा सुदृढ़ अनुश्रवण प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए जिससे योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।

2.5.8 निष्कर्ष

- पर्याप्त बजटीय प्रावधानों के बावजूद कक्षा 10 उत्तीर्ण विद्यार्थी टैबलेट पाने से वंचित थे।

- वर्ष 2012 में कक्षा 12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु 14.81 लाख लैपटाप का क्रय एवं वितरण और लैपटाप की भण्डार में कमी, लैपटाप का अवितरित रहना और लैपटाप वितरण के उपरान्त विद्यार्थियो का सत्यापन न होना, विद्यार्थियो को तकनीकी ज्ञान से भिज्ञ करने सम्बन्धी योजना के उद्देश्य को प्राप्त न करना प्रदर्शित करता है।

- शासन ने बजट में अत्यधिक निधि का प्रावधान किया था जो कि वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यपगत हो गयी एवं बजट प्रावधान ₹ 598.33 करोड़ बिना व्यय के वैयक्तिक लेखा खाते में पड़ा रहा।

- शासकीय तन्त्र, निःशुल्क वितरित किए गये लैपटाप का अभिप्रेत उद्देश्य के लिए उपयोग सुनिश्चित करने हेतु अपर्याप्त था।

लेबर सेसः
आकलन, लेवी, संग्रह, जमा एवं उपयोग



श्रम विभाग

श्रम विभाग

2.6 लेबर सेसः आकलन, लेवी, संग्रह, जमा एवं उपयोग

2.6.1 प्रस्तावना

असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के सेवा शर्तों, विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संम्बन्धी, को विनियमित करने तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 लागू किया। अधिनियम के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अंन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) नियम 2009 बनाया। नियम के अनुसार प्रत्येक अधिष्ठान जिन्होंने किसी भी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन दस या उससे अधिक निर्माण कर्मकारों को नियोजित किया हो तथा ऐसे निजी आवासीय भवन स्वामी जिसके निर्माण की लागत 10 लाख या उससे अधिक हो कुल निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से सेस की कटौती की जायेगी।

नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नवम्बर 2009 में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन किया जिसमें प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार अध्यक्ष तथा 11 अन्य सदस्य[1] थे। बोर्ड श्रमिकों के नियोक्ताओं के पंजीकरण, श्रमिक पंजीकरण एवं उपकर के आकलन, लेवी, संग्रह जमा एवं उपयोग तथा निधि के प्रबन्धन एवं इससे सम्बन्धित अन्य मामलों के लिए, उत्तरदायी था। हालांकि, नियम बना लिये गये थे परंतु निर्माण स्थलों, नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के संबंध में तथा आवश्यक लेबर सेस के आकलन व लेवी की जानकारी से संबंधित तंत्र का अभाव था।

2.6.2 संगठनात्मक ढांचा

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के प्रशासक/अध्यक्ष थे तथा राज्य स्तर पर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश उपकर के आकलन, लेवी, संग्रह, जमा और उपयोग के लिए उत्तरदायी थे। सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे तथा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी थे। उपश्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त प्रभागीय/जिलास्तर पर उपकर के लेवी, संग्रह और उपयोग के लिए उत्तरदायी थे।

2.6.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य थे कि क्याः

- वार्षिक लेखे नियमित रूप से तैयार किये गये थे;
- नियोक्ताओं एवं लाभार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया गया था;
- संस्थागत तन्त्र/प्रक्रिया ठीक थी; तथा
- उपकर का उचित आकलन, लेवी, संग्रह और उसका उपयोग सुनिश्चित किया गया था।

[1] एक सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा नामित होगा; मुख्य निरीक्षक, 2009 की अधिसूचना के अनुसार नियुक्त होगा; तीन अधिकारिक सदस्य विशेष सचिव स्तर से कम के नहीं होंगे; तीन व्यक्ति भवन एवं अन्य निर्माण संस्था के श्रमिकों के नियोजकों को प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे; एवं तीन व्यक्ति भवन निर्माण श्रमिकों का प्रतिनिधत्व करने वाले होंगे।

2.6.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड के स्रोत निम्नवत थे;

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (बीओसीडब्लू अधिनियम) तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम);

- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) नियम 2009 (नियम 2009);

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 1998 (उपकर नियम); एवं

- समय समय पर जारी किये गये शासनादेश।

2.6.5 कार्यक्षेत्र एवं प्रणाली

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के 2009–14 अवधि से सम्बन्धित अभिलेख प्रमुख सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, लखनऊ के कार्यालयों में जाँचे गये (जून एवं जुलाई 2014)। आठ जिलों–अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हरदोई, झांसी, कानपुर एवं लखनऊ के उपश्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त कार्यालयों में भी अभिलेखों की जाँच की गयी। दिनांक 29 अप्रैल 2014 को एक परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों एवं मापदण्डों आदि पर प्रमुख सचिव, श्रम के साथ चर्चा की गयी। शासन का उत्तर अक्टूबर 2014 में प्राप्त हुआ । दिनांक 07 नवम्बर 2014 को समापन बैठक आयोजित की गई जिसमें तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की गयी एवं लेखापरीक्षा के सुझावों को शासन द्वारा स्वीकार किया गया। शासन के उत्तर को यथोचित ढंग से प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.6.6 वित्तीय स्थिति

वार्षिक लेखों के अभाव में निधि की स्थिति असत्यापित थी

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) की धारा 3 के अंतर्गत एक उपकर लगाया एवं वसूला जायेगा जोकि निर्माण लागत के एक प्रतिशत से कम नहीं होगा। इस प्रकार, उपकर से प्राप्त धनराशि बोर्ड को भुगतान किया जाना था जिसे कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर व्यय किया जाना था। इसके अतिरिक्त पंजीकरण हेतु ₹ 50 का पंजीकरण शुल्क उप श्रम आयुक्त द्वारा श्रमिकों से लिया जाना था तथा इसे निधि में जमा किया जाना था। श्रमिकों द्वारा अपनी सदस्यता बनाए रखने के लिए ₹ 50 का वार्षिक अंशदान भी दिया जाना था। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अधिनियम की धारा 27 के अनुसार बोर्ड को लेखा व सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के वार्षिक लेखे तैयार करने थे।

निधि की वर्ष 2009–14 अवधि की वर्षवार प्राप्तियाँ एवं भुगतान का विवरण **सारणी 1** में दर्शाया गया है।

सारणी 1: पंजीकरण शुल्क, प्राप्त उपकर एवं उसके उपयोग की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्तियाँ			उपलब्ध निधियों का क्रमिक शेष	व्यय	अंतिम अवशेष
			पंजीकरण शुल्क	श्रम उपकर	जमा पर ब्याज			
1	2009-10	शून्य	शून्य	0.05	शून्य	0.05	शून्य	0.05
2	2010-11	0.05	0.56	103.13	0.84	104.58	.05	104.53
3	2011-12	104.53	1.33	266.63	11.71	384.20	2.29	381.91
4	2012-13	381.91	13.87	311.79	27.43	735.00	4.89	730.11
5	2013-14	730.11	17.84	458.46	49.58	1255.99	98.12	1157.87
		योग	**33.60**	**1,140.06**	**89.56**		**105.35**	

नोटः वर्ष 2011–12 के अन्तिम अवशेष और वर्ष 2012–13 के प्रारम्भिक अवशेष में अगस्त 2011 में राज्य समेकित निधि में जमा किया गया ₹ 177 करोड़ सम्मिलित हैं।

(स्रोतः सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य कल्याण के उपायों पर अल्प उपयोग किये जाने के कारण ₹ 1,157.87 करोड़ दो बैंक खातों में ***(परिशिष्ट–2.6.1)*** अवरूद्ध थे।

अग्रेतर, यह भी पाया गया कि उत्तर प्रदेश शासन ने श्रम आयुक्त को राज्य की संचित निधि में ₹ 177 करोड़ जमा करने का निर्देश (अगस्त 2011) दिया था। आयुक्त ने प्राप्ति लेखा शीर्ष[2] में धनराशि जमा की (अगस्त 2011) । हालांकि, अवमानना याचिकाओं (वर्ष 2006) पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सामान्य निर्देश निर्गत (फरवरी 2012) किया गया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के पास उपलब्ध धनराशि का निवेश केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में किया जाना चाहिए। परन्तु, उत्तर प्रदेश शासन ने ₹ 177 करोड़ की धनराशि तत्काल वापस न करके ₹ 165 करोड़ की धनराशि 30 माह विलम्ब से मार्च 2014 में वापस की तथा शेष ₹ 12 करोड़ की धनराशि अभी भी उत्तर प्रदेश शासन के पास पड़ी हुई थी (अक्टूबर 2014) जिसके कारण भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को ₹ 26.80 करोड के ब्याज की हानि हुयी। शासन ने बताया (सितम्बर 2014) कि ₹ 12 करोड़ की राशि को भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि को हस्तान्तरित किया जायेगा।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2009–14 की अवधि के प्राप्ति एवं भुगतान खाते, आय एवं व्यय खाते, तुलन–पत्र एवं रोकड़ बही भी नहीं बनाये गये थे। बैकों के अन्तिम अवशेषों का आवधिक मिलान भी नहीं किया गया था जिससे अन्तिम अवशेष असत्यापित रहा।

उत्तर में उत्तर प्रदेश शासन ने बताया कि आवर्ती मिलान किए जाने हेतु एक चार्टर्ड लेखाकार की नियुक्ति की जा चुकी है।

निधि के वार्षिक खातों को, जैसा कि आवश्यक था, तैयार किया जाना आवश्यक है जिससे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की यथार्थ एवं उचित वित्तीय स्थिति निरूपित हो सके।

[2] 0230–800–अन्य प्राप्तियाँ–11 उत्तर प्रदेश भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की प्राप्तियाँ।

2.6.7 डाटाबेस का रखरखाव न किया जाना

श्रम विभाग के पास निर्माण स्थलों, नियोक्ताओं श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं उनकी उनकी सुरक्षा आदि से सम्बन्धित आवश्यक सूचनायें एकत्र करने हेतु एक मजबूत तन्त्र होना अनिवार्य है, जबकि पाया गया कि;

2.6.7.1 निर्माण स्थलों के विषय में सूचना का संग्रह

विभाग के पास निर्माण कार्य स्थलों से सम्बन्धित सूचना एकत्र एवं परितुलन करने के तंत्र का अभाव था।

श्रम विभाग को (क) नियामक अधिकारियों, जैसे विकास प्राधिकरणों के शहरी–स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड आदि (ख) राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्यों को स्वीकृत करने वाले विभाग (ग) केन्द्र सरकार द्वारा निर्माण कार्य स्वीकृत करने वाले विभाग (घ) राज्य एवं केन्द्र के राजस्व प्राप्त करने वाले विभाग/संस्थाए (उदाहरणार्थ सम्पत्तिकर, वैट, आयकर, सेवाकर, उपकर आदि (ङ) और अन्य संस्थाओं जिनके पास निर्माण स्थल सम्बन्धी जानकारी हो, से आपसी समन्वय स्थापित करके ऐसे तन्त्र का विकास करना चाहिए था जिससे राज्य में समस्त निर्माण स्थलों के बारे में जानकारी एकत्र कर उनका परितुलन किया जा सके। इस प्रकार एकत्रित एवं परितुलित सूचनाओं से एक सुदृढ़ डेटाबेस का विकास किया जाना चाहिये था। 2009 के नियमों के नियम 283 के अनुसार भी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को भवन श्रमिकों के संबंध में अध्ययन एवं सर्वेक्षण आदि कराना था जिससे रोजगार की प्रकृति, दक्षता, आय, मजदूरी एवं कार्य की दशा तथा उनपर विभिन्न योजनाओं के प्रभाव का पता लगाया जा सके। यद्यपि पाया गया कि ऐसे किसी अर्थपूर्ण तंत्र का अभाव था।

इस तथ्य को देखते हुए कि सरकार को निर्माण स्थलों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं थी। सरकार के पास न ही श्रमिकों के बारे में विस्तृत जानकारी थी न ही नियोक्ताओं के बारे में जानकारी थी।

इसके अतिरिक्त, न तो श्रम विभाग के पास कोई संस्थागत तन्त्र था जिससे वह ऐसी संस्थाओं के साथ बातचीत एवं समन्वय स्थापित कर सके न ही निर्माण स्थलों से सम्बन्धित परितुलित जानकारी या सुदृढ़ डेटावेस था। तथा इन के द्वारा आवश्यक सर्वेक्षण अध्ययन आदि भी नहीं किया गया था।

शासन ने बताया कि ऐसी संस्थाओं के साथ समन्वय एवं सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु ऐसी प्रणाली विकसित की जायेगी जिससे सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जा सके जिससे श्रमिकों एवं नियोक्ताओं का व्यापक डाटाबेस विकसित किया जा सके।

2.6.7.2 श्रमिकों के नियोक्ताओं का पंजीकरण

उत्तर प्रदेश भवन एवं अंन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) नियम 2009 के नियम 23–28 और 275–280 के अनुसार ऐसे नियोक्ता जिन्होंने 10 या उससे अधिक श्रमिकों को निर्माण कार्य में संलग्न किया हो को उपश्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा एवं उसके पश्चात उपरोक्त नियमावली के नियम 53 के अन्तर्गत फार्म 15 में वार्षिक रिटर्न जमा करना होगा। जिसमें निर्माण की प्रकृति, कार्यरत श्रमिकों की संख्या, निर्माण की लागत इत्यादि का विस्तृत वर्णन दिया गया हो।

राज्य में वर्ष 2009–14 में कुल 46,084 पंजीकृत नियोक्ता थे। आठ परीक्षण जिलों में 12,514 नियोक्ता[3] (मार्च 2014 तक) पंजीकृत थे, जिसमें से केवल 599 (पाँच प्रतिशत) नियोक्ताओं ने मई 2014 तक रिटर्न भरे थे एवं शेष 11,916 (95 प्रतिशत) ने पंजीकरण अधिकारी को रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये थे। उपश्रमायुक्त ने बकायादारों को कोई नोटिस जारी नहीं किया, जो कि नियम के अन्तर्गत आवश्यक था।

शासन ने बताया कि सभी उपश्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त को नियम/धारा के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश जारी कर दिया गया है।

2.6.7.3 लाभार्थियों के रूप में श्रमिकों का पंजीयन

श्रमिक, लाभार्थी बनने की सुविधा की जानकारी के अभाव में अपेक्षित लाभों से वंचित रहे।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अनुसार ऐसे श्रमिक (जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है परन्तु 60 वर्ष से कम आयु के हैं और पिछले 12 माह में किसी निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कम से कम 90 दिन संलग्न थे), एक लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र थे। अधिनियम की धारा 17 के अनुसार यदि कोई लाभार्थी उक्त कोष के लिए अपना वार्षिक अंशदान ₹ 50 जमा नहीं करता तो वह लाभार्थी नहीं रह जायेगा।

आठ नमूना परीक्षित उपश्रमायुक्त कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि एक बड़ी संख्या में लाभार्थी ₹ 50 का वार्षिक अंशदान न देने के कारण बाद के वर्षों में लाभार्थी नहीं रह गये थे। आठ परीक्षित जिलों की जिलेवार एवं वर्षवार स्थिति **सारणी 2** में दर्शायी गयी है।

सारणी 2: श्रमिकों का पंजीकरण

क्र0 सं0	जनपद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के दौरान श्रमिकों का पंजीकरण						
1	अंबेडकर नगर	शून्य	494	287	435	11,456
2	फैजाबाद	शून्य	806	96	615	17,264
3	गौतमबुद्ध नगर	शून्य	3,272	1,804	12,356	55,436
4	गाजियाबाद	1,053	2,968	3,733	7113	27,780
5	हरदोई	शून्य	564	1,370	452	5,347
6	झांसी	शून्य	1,108	685	581	5,087
7	कानपुर	शून्य	4,900	4,409	4,792	52,737
8	लखनऊ	शून्य	2,997	5,638	7,544	23,617
वर्ष के दौरान श्रमिकों का नवीनीकरण						
1	अंबेडकरनगर	शून्य	शून्य	35	67	110
2	फैजाबाद	शून्य	शून्य	270	572	1,390
3	गौतमबुद्ध नगर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	101
4	गाजियाबाद	शून्य	290	शून्य	817	शून्य
5	हरदोई	शून्य	शून्य	10	180	184
6	झाँसी	शून्य	शून्य	164	110	290
7	कानपुर	शून्य	शून्य	538	1,532	4,032
8	लखनऊ	शून्य	शून्य	88	512	3,427

(स्रोतः संम्बन्धित उपश्रमायुक्त कार्यालय)

[3] अम्बेडकर नगर 238; फैजाबाद 1,002; गौतमबुद्ध नगर 1,931; गाजियाबाद 1,256; हरदोई 868; झांसी 367; कानपुर 5,645 एवं लखनऊ 1,207।

परीक्षित जिलो में 136[4] श्रमिकों के अभिलेखों (लाभार्थी पंजीकरण पंजिका, आवेदन पत्र आदि) की जाँच की गयी। जाँच में पाया गया कि 68 (136 में से) श्रमिकों का नवीनीकरण द्वारा लंबित था। तथापि, 64 श्रमिकों द्वारा नवीनीकरण अंशदान नहीं दिया गया था, जिसके परिणामस्वरुप वह आने वाले वर्षों में लाभार्थी नहीं रह गये।

शासन ने बताया कि श्रमिकों को निधि अंशदान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तथ्य यह था कि नियम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लाभ हेतु श्रमिकों को नियमावली के अंतर्गत योजनाओं के लाभ के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का सदस्य होना अनिवार्य था तथा अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करते रहने के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण पहली आवश्यकता थी। श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यो का अभाव था जिसके कारण योजना के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी।

इस जागरूकता को पर्याप्त रूप से श्रमिकों के बीच प्रचारित किया जाना चाहिए था जिससे योजना के अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

2.6.8 संस्थागत तन्त्र

प्रवर्तन हेतु संस्थागत तन्त्र का कमजोर होना।

केन्द्र एवं राज्य के सभी राजस्व प्राप्ति विभागों की तरह राज्य के श्रम विभाग में भी एक मजबूत प्रवर्तन शाखा जिसको गुप्तचर शाखा द्वारा गुप्त सूचनायें प्राप्त हों तथा उड़नदस्ता जिससे आकस्मिक जाँच का संचालन किया जा सके, होना चाहिए था। इस प्रकार की शाखा और दल के निर्माण स्वीकृत करने वाली संस्थाओं, नियामक प्राधिकरण, कर प्राधिकरण और अन्य निकायों/एजेन्सियों जो कि निर्माण स्वीकृत और निर्माण सम्पादन के मध्य आते हों उदाहरणार्थ परिवहन, बिजली आपूर्तिकर्ता, भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता आदि से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी एकत्र करने में सहायता प्राप्त करनी चाहिए। इन दस्तों/दलों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लागू उपकर सम्बन्धी नियमों का पालन किया जा रहा है तथा शिकायत आदि का निराकरण किया जा रहा है। किन्तु यह पाया गया कि इस प्रकार के दल/दस्ते या तो नहीं थे या अशक्त अवस्था में थे।

बोर्ड ने उत्तर में बताया कि इस प्रकार की प्रणाली विकास की प्रक्रिया में थी। शासन ने बोर्ड के उत्तर की पुनरावृत्ति की।

अग्रेत्तर, नियमावली 2009 के नियम 253 और 254 में निर्माण स्थलों के निरीक्षण की प्रक्रिया वर्णित है। श्रम विभाग के निरीक्षक द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में सभी निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया जाना था तथा उन नियोक्ताओं को, जिन्होंने श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण की उपेक्षा की हो, को कारण बताओं नोटिस या चेतावनी जारी किया जाना था। आठ जिलों की नमूना–जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009–14 की अवधि में केवल 378 निरीक्षण किये गये थे। तथापि, निरीक्षकों हेतु ऐसे निरीक्षण की न तो कोई समय सारणी बनाई गई थी और न ही कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

शासन ने बताया कि इस हेतु मैनुअल बनाने का निर्णय (अगस्त 2014) में लिया गया है।

[4] फैजाबाद–24, गौतम बुद्ध नगर–20, गाजियाबाद–24, झाँसी–24, कानपुर–19, लखनऊ–25

2.6.8.1 विशेषज्ञ समिति

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अधिनियम की धारा 5 के अनुसार ऐसे लोगों की, जो कि भवन अथवा अन्य निर्माण कार्यों में दक्षता रखते हों, की एक विशेषज्ञ समिति गठित की जानी थी जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने के लिए सरकार को सलाह दें।

यद्यपि, ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया और बिना विशेषज्ञ समिति के परामर्श के नियम बना लिये गये थे।

2.6.8.2 राज्य सलाहकार समिति

नियमावली, 2009, के अंतर्गत अधिनियम को लागू करने हेतु सलाह देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अध्यक्ष के अधीन राज्य सलाहकार समिति का गठन किया जाना चाहिए था। समिति की बैठक छः माह में कम से कम एक बार या जब कोई प्रकरण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विचारार्थ भेजा जाय या जैसा अध्यक्ष निर्धारित करे होनी थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि माननीय मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में समिति का गठन नवम्बर 2013 में किया गया। परन्तु बैठक कभी नहीं हुई (अक्टूबर 2014)।

अग्रेत्तर, नियमावली 2009 के नियम 264 के अन्तर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार आयोजित की जानी थी। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के 2009–14 के मध्य हुई 24 बैठकों के कार्यवृत्त की समीक्षा में देखा गया कि बैठक नियमित रूप से आयोजित की गयी थी और निर्णय भी लिये गये थे। लेकिन इसके कई निर्णय कार्यान्वित नहीं किये गये थे ***(परिशिष्ट–2.6.2)***।

शासन ने बताया कि प्रक्रियात्मक कमियों का सुधार भविष्य की बैठकों में किया जायेगा।

शासन को प्रवर्तन तंत्र मजबूत करना चाहिये था जिससे श्रमिकों की समस्याओं को कम किया जा सके।

2.6.9 श्रम उपकर का आकलन, निर्धारण, लेवी, संग्रहण एवं उपयोग

2.6.9.1 श्रम उपकर का निर्धारण एवं लेवी

उपकर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार भवन एवं अंन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन के विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के उद्देश्य हेतु निर्माण लागत पर जिसमें भूमि की लागत छोड़ कर अन्य सभी व्यय सम्मिलित होंगे के एक प्रतिशत की दर से एकत्रित किया जाएगा। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार वह अधिकारी या प्राधिकारी या जिसे विवरणी प्रस्तुत गई है, जाँच करने अथवा जाँच करवाने, जैसा की वह उचित समझे तथा इस आशय से कि विवरणी में दिया गया विवरण सही है, के पश्चात उपकर के निर्धारण का आदेश पारित करेगा।

अधिनियम की धारा 8 के अनुसार यदि कोई नियोक्ता देय धनराशि निर्धारण आदेश के निर्धारित समय में देने में विफल रहता है तो वह नियोक्ता देय धनराशि पर ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त उपकर अधिनियम की धारा 9 के अनुसार यदि किए गए निर्धारण के क्रम में नियोक्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपकर की धनराशि नहीं दिया गया हो तो वह बकाया समझा जायेगा और इस सम्बन्ध में विहित

प्राधिकारी उचित जाँच के पश्चात् उक्त नियोक्ता पर दण्ड जो कि उपकर की राशि से अधिक नहीं होगी लगा सकता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आठ परीक्षण जिलों के 12,514 पंजीकृत नियोक्ताओं में से केवल कानपुर जिले में 18 आकलन आदेश उपकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार जारी किये गये थे। शेष जिलों में आकलन आदेश निर्गत नहीं किये गये थे।

इसी प्रकार, किसी भी परीक्षण जिले में धारा 8 के अनुसार उपकर भुगतान में देरी पर ब्याज नहीं वसूला गया था। पुनः किसी भी परीक्षण जिले में उपकर के भुगतान न किये जाने पर धारा 9 के अन्तर्गत कोई दण्ड नहीं लगाया गया था।

शासन ने उत्तर में बताया कि अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने का कारण तकनीकी कर्मचारियों की कमी थी और तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्णय ले लिया गया है। तथापि, तथ्य यह है कि बोर्ड कुल देय उपकर से अनभिज्ञ है और सार्थक रूप से अधिनियम और नियमों का श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण के लिए लागू करने में सक्षम नहीं है।

2.6.9.2 श्रम उपकर का संग्रह

उपकर नियम के नियम 4 के अनुसार नियोक्ता द्वारा उपकर निर्माण कार्य के पूरा होने के 30 दिनों के अन्दर या अन्तिम निर्धारण के 30 दिनों के अन्दर, जो भी पहले हो, कर संग्राहक को जमा कर देना चाहिए। उपकर संग्राहक/उपकर आकलन अधिकारी को किसी भी अधिष्ठान में प्रवेश करने, सामग्री की सूची बनाने, पंजिकाओ तथा प्रासंगिक दस्तावेज की मांग करने या पंजिकाओं या प्रासंगिक दस्तावेज जो निर्माण कार्य के आकलन/श्रमिकों की संख्या या निर्माण के स्तर के सामान्य आकलन के लिए आवश्यक हो की मांग करने का अधिकार प्राप्त है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि श्रम उपकर का संग्रह 2009–14 में 1,140 करोड़ था। निर्माण स्थल, नियोक्ताओं, श्रमिकों और निर्माण लागत के बारे में सूचना एकत्र करने हेतु एक व्यापक तन्त्र के अभाव में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड वास्तविक उपकर देयता एवं प्राप्तियों को सुनिश्चित नहीं कर सका।

शासन ने बताया कि सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने हेतु शीघ्र ही एक तन्त्र विकसित किया जायेगा और उपकर के उद्ग्रहण और इसके मूल्यांकन में आने वाली कठिनाइयों को भविष्य की बैठकों में संज्ञान में लिया जायेगा।

2.6.9.3 उपकर का उपयोग

बीओसीडब्लू द्वारा श्रमिकों के लाभ के लिए एकत्रित उपकर का उपयोग नहीं किया जाना।

उत्तर प्रदेश शासन ने (फरवरी 2009) श्रमिकों के कल्याण के लिए ग्यारह योजनायें[5] अधिसूचित कीं। इसके अतिरिक्त भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने (वर्ष 2011–13) छः योजनायें[6] प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित की। लाभार्थियों द्वारा योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु कुल 1,97,460 आवेदन (वर्ष 2010–14)

[5] मातृत्व लाभ योजना, पेंशन योजना, भवन क्रय या निर्माण अग्रिम, अपंगता पेंशन योजन, दाह संस्कार सहायता योजना, मृत्यु लाभ योजना, मेधावी क्षात्रों को नकद पुरष्कार योजना, स्वास्थ्य सहायता योजना, लाभार्थियों के बच्चों को नकद शैक्षिक सहायता योजना, लाभार्थियों के बच्चों को नकद सहायता योजना, पारिवारिक पेंशन योजना।

[6] कामगार बालिका मदद योजना (2010–11), सौर ऊर्जा सहायता योजना (2011–12), साईकिल सहायता योजना (2011–12) एवं सचल पालना गृह योजना (2013–14), औजार क्रय हेतु आर्थिक सहायता योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना।

प्राप्त हुए, जिनमें से 1,40,373 आवेदन स्वीकृत किये गये, 17,725 आवेदन अस्वीकार किये गये और 39,362 आवेदन उपश्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त कार्यालयों में निस्तारण हेतु मार्च 2014 तक लम्बित थे।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009–14 तक बोर्ड की निधि में ₹ 1,140 करोड़ प्राप्त किये गये थे जिसके सापेक्ष इस अवधि में मात्र ₹ 76.59 करोड़ (सात प्रतिशत) बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर तथा ₹ 28.76 करोड़ प्रशासनिक कार्यों पर व्यय किया गया था जिसका विवरण सारणी–3 में दिया गया है:

सारणी 3: व्यय तथा लाभार्थियों को प्रदत्त लाभ/सहायता की स्थिति

क्र0 सं0	योजना का नाम	अवधि	व्यय (₹ करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
1	बाल विकास योजना	2009-14	7.36	15,277
2	औजारों के लिये वित्तीय सहायता	2009-14	4.59	33,989
3	साईकिल सहायता योजना	2009-14	5.45	43,563
4	बाल सदन योजना	2009-14	48.92	शून्य (मार्च 2014 में भुगतान)
5	बालिका आशीर्वाद योजना	2009-14	1.72	940
6	अन्य जैसे–अक्षमता पेंशन, मेधावी छात्र पुरस्कार आदि योजनायें	2009-14	8.56	46,604
		योग	**76.59**	**1,40,373**

(स्रोतः भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, लखनऊ)

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को श्रमिकों को उनके अधिकारों; कल्याणकारी योजनाओं आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना; और लाभार्थियों के बच्चों के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना आदि करना था। हालाकि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि न तो सूचना शिक्षण और संचार क्रियायें की गई थी और न ही 2009–14 के मध्य शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई। यह न केवल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की निष्क्रियता दर्शाती है बल्कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कल्याण के उद्देश्य के प्रति उदासीनता भी दर्शाती है।

शासन ने बताया कि श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए अधिक योजनाएँ चलायी जायेगी और यह भी निर्णय लिया गया (सितम्बर 2014) की आठ जिलों में बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण किये जाने की प्रारम्भिक योजना शुरू की जायेगी।

2.6.9.4 विवरणियों को प्रस्तुत न किया जाना

अधिनियम की धारा 46 के अनुसार नियोक्ताओं द्वारा भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कम से कम 30 दिन पहले एक लिखित सूचना सम्बन्धित क्षेत्र के निरीक्षक को जिसमें अन्य बातो के अलावा कार्यस्थल, कार्य करवाने वाले व्यक्ति का नाम व पता तथा सम्पर्क किए जाने के पते का विवरण हो, दिया जाना आवश्यक है। धारा 48 में कार्य प्रारम्भ किए जाने की सूचना न दिये जाने पर दण्ड का प्राविधान है, जिसमें तीन माह का कारावास या रु0 2,000 का आर्थिक दण्ड या दोनों लगाये जा

सकते हैं। अग्रेतर, नियम, 2009 के नियम 53 में प्रावधान है कि प्रत्येक अधिष्ठान नियोक्ता को स्थापना से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी प्रपत्र 15 में प्रस्तुत करना होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण अधिनियम के धारा 46 के दोषियों के विरूद्ध धारा 48 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही के संम्बन्ध में कोई भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा में पुनः पाया गया कि आठ परीक्षण जिलों के 12,514 पंजीकृत नियोक्ताओं में से नियम 53 के अन्तर्गत केवल 599 के प्रकरणों में विवरणी प्रस्तुत की गई थी। इन 599 मामलों में जिनमें विवरणी प्रस्तुत की गई थी, 161 (26 प्रतिशत) प्रकरणों[7] की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात लम्बी अवधि बीत जाने के पर भी कोई अन्तिम निर्धारण नहीं किया गया था।

शासन ने बताया कि सभी उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण अधिनियम के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिये जा चुके हैं। यद्यपि, बोर्ड द्वारा विवरणियों के अनुबन्ध पर कोई नियन्त्रण न होने के कारण उपकर की हानि, आवश्यक आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

शासन आवश्यक सभी निर्माण कार्यों से संबंधित कर्मचारियों के दल को बनाये, इसके अतिरिक्त श्रमिकों के अभिप्रेत लाभ हेतु उपकर संग्रह के अधिकतम लाभ को भी सुनिश्चित करें।

2.6.10 निष्कर्ष

- निधि के खातों का रख–रखाव नहीं किया गया और वार्षिक वित्तीय विवरण नहीं तैयार किया गया था;

- योजनाओं के अन्तर्गत अपेक्षित लाभ प्रदान करने के लिए लाभार्थियों की पहचान नहीं की गयी थी;

- उपकर के आकलन के लिए 2009–14 के मध्य कोई सर्वेक्षण/अध्ययन नहीं किया गया था। लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ प्रदान करने हेतु नियोक्ताओं, श्रमिकों एवं निर्माण लागत से सम्बन्धित कोई व्यापक डेटावेस नहीं बनाया गया था; और

- प्रदेश सरकार की ढीली कार्यप्रणाली से केन्द्र सरकार के अधिनियम व राज्य सरकार की नियमावली के कार्यान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा तथा जो कुछ भी उपकर संग्रह हुआ उसका एक प्रतिशत भी अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय नहीं किया गया।

[7] फैजाबाद–24, गौतमबुद्ध नगर–20, गाजियाबाद–25, हरदोई–31, झांसी–20, कानपुर–20 एवं लखनऊ–21।

3 लेन-देनों की लेखापरीक्षा

- 3.1 धोखाधड़ी एवं उद्घटित धोखाधड़ी के प्रकरण;
- 3.2 नियमों एवं विनियमनों का अनुपालन न किया जाना;
- 3.3 औचित्य लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय किये जाने के प्रकरण; एवं
- 3.4 निरीक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता।

3 लेन-देनों की लेखापरीक्षा

शासकीय विभागों, उनके क्षेत्रीय कार्यालयों एवं स्वायत्त निकायों के लेन–देनों की लेखापरीक्षा में श्रोतों के प्रबंधन में कमियों, औचित्य एवं मितव्ययिता के अनुपालन में विफलता के अनेकों प्रकरण प्रकाश में आये। इन कमियों एवं विफलताओं का प्रस्तुतीकरण उत्तरवर्ती प्रस्तरों में वृहद् शीर्षों के अन्तर्गत किया गया है।

3.1 धोखाधड़ी एवं उद्घटित धोखाधड़ी के प्रकरण

कुछ शासकीय विभागों एवं उनके क्षेत्रीय पदाधिकारियों के वित्तीय लेन–देनों की लेखापरीक्षा की नमूना–जाँच में कपटपूर्ण भुगतान का प्रकरण प्रकाश में आया जिसकी चर्चा अधोलिखित प्रस्तर में की गयी है:

गृह विभाग

3.1.1 ₹ 21.93 लाख की धनराशि का वेतन एवं बकाया वेतन का कपटपूर्ण संवितरण

वित्तीय नियमानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा कर्तव्यो एवं उत्तरदायित्वों का अनुपालन न करने के फलस्वरुप ₹ 21.93 लाख की धनराशि का वेतन एवं बकाया वेतन का कपटपूर्ण संवितरण हुआ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 के प्रस्तर 138 के अनुसार कार्यालय प्रमुख अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित देयकों पर आहरित वेतन अथवा भत्ता के प्रत्येक मद के लिये तब तक उत्तरदायी है जब तक कि वह धनराशि की प्राप्ति के लिये हकदार व्यक्ति को अदा न किया गया हो तथा वेतन देयकों के कार्यालय–प्रति पर सम्यक रूप से स्टाम्प सहित, जहां आवश्यक हो, उनकी प्राप्ति न ले ली गयी हो।

कमान्डेन्ट, छठी वाहिनी, प्रान्तीय सशस्त्र बल, मेरठ की पूर्व संव्यवहार लेखापरीक्षा माह दिसम्बर 2010 मे सम्पादित की गयी थी तथा दिनांक 7 अगस्त 2013 को धन के गबन से सम्बन्धित दो व्यक्तिगत शिकायतें इस कार्यालय को प्राप्त हुईं थी। तद्नुसार, कमाण्डेन्ट को दिनांक 19 अगस्त 2013 से दिनांक 27 अगस्त 2013 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा किये जाने की सूचना दिनांक 8 अगस्त 2013 को प्रेषित की गयी थी। अभिलेखो की लेखापरीक्षा जाँच में कपटपूर्ण संवितरण के चार प्रकरण प्रकाश में आएँ:

- माह अक्टूबर 2010 में, माह जनवरी 2006 से माह अक्टूबर 2010 की अवधि के सात देयको से ₹ 72.96 लाख (40 प्रतिशत) की धनराशि का बकाया वेतन आहरित किया गया था और आहरित धनराशि की चेकों को बैंक[1] मे जमा किया गया था। यद्यपि, ₹ 72.96 लाख की धनराशि के चेकों में से 12 कर्मचारियों से संबधित ₹ 2.15 लाख की धनराशि दो से चार बार पाँच बैंक खातो में जमा किया गया था। इसका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट–3.1ए*** में दिया गया है।

[1] स्टेट बैक आफ इण्डिया, मुख्य शाखा, मेरठ कैन्टोनमेन्ट, मेरठ।

- शासन द्वारा माह नवम्बर 2010 में आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी के संवर्गों को वेतन समता प्रदान किया गया[2] और तद्नुसार 197 प्लाटून कमाण्डरो, मुख्य आरक्षियों एवं आरक्षियों के बकाया वेतन ₹ 63.53 लाख की धनराशि का एक देयक माह जुलाई 2012 मे कोषागार को प्रेषित किया गया था। प्रेषण के माह में ही कोषागार से उसी धनराशि का एक चेक भी प्राप्त किया गया और 194 प्लाटून कमाण्डरों, मुख्य आरक्षियों एवं आरक्षियों से सम्बंधित विस्तृत सूची बैंक को प्रेषित की गयी थी जिसमें एक कल्पित नाम के लिए ₹ 0.97 लाख दूसरे कर्मचारी[3] के बैक खाते[4] में जमा किया गया जो कि छठी वाहिनी, प्रान्तीय सशस्त्र बल, मेरठ के लेखा शाखा मे कार्यरत था। इस प्रकार आहरित और संवितरित धनराशि समान थी परन्तु बैंक सूची मे चार नाम लुप्त[5] थे क्योंकि बैंक सूची में चार नामों को जोड़ने/हटाने मे हेर–फेर किया गया था।

- माह मार्च 2011 में संशोधित बकाया वेतन के चार देयक ₹ 1.69 करोड़ कोषागार से आहरित किये गये थे और सम्बन्धित कर्मचारियों के बैक[6] खाते मे विस्तृत सूची के साथ चेकों को बैक मे जमा किया गया था। इस प्रकार, सात कर्मचारियों के बैक खातों में ₹ 2.73 लाख की धनराशि को दो बार जमा किया गया था। विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट–3.1बी*** में दिया गया है।

- माह फरवरी 2011 से माह फरवरी 2012 के दौरान 36 कर्मचारियों से सम्बन्धित वेतन एवं बकाया वेतन ₹ 17.05 लाख की धनराशि आहरित कर उसे दो से छः बार नौ बैंक खातो मे जमा किया गया था। विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट–3.1सी*** में दिया गया है।

इस प्रकार, वित्तीय नियमो के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अपने उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यो का पालन न करने के फलस्वरुप ₹ 21.93 लाख की धनराशि का भुगतान उन व्यक्तियों को किया गया जो कि भुगतान प्राप्त करने के हकदार नहीं थे। इससे वेतन एवं बकाया वेतन ₹ 21.93 लाख की धनराशि का कपटपूर्ण संवितरण हुआ।

कमाण्डेन्ट, छठी वाहिनी, प्रान्तीय सशस्त्र बल, मेरठ द्वारा यह बताया गया (अगस्त 2013) कि बैंक की सूची से चार नामों के अलग करने के प्रकरण की जाँच की जायेगी। अग्रेतर, यह भी बताया गया कि लेखा शाखा में कार्यरत कर्मचारियों[7] के विरूद्ध दिनांक 18 अगस्त 2013 को पुलिस में प्रकरण पंजीकृत करा दिया गया है और प्रकरण की जाँच प्रगति में है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रारम्भ किये जाने की सूचना प्राप्त होने के दस दिन पश्चात् एवं लेखापरीक्षा कार्य प्रारम्भ किये जाने (दिनांक 19.8.2013) के मात्र एक दिन पूर्व ही की गयी कार्यवाही विलम्ब से की गयी कार्यवाही थी। यद्यपि प्रकरण तीन वर्ष से अधिक पुराना था। प्रकरण की अग्रेतर जाँच कराए जाने की आवश्यकता है और कपटपूर्ण संवितरण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध उचित कठोर कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिए।

माह नवम्बर 2014 में हुई चर्चा में शासन द्वारा आँकड़ों एवं तथ्यों को स्वीकार किया गया और यह बताया गया कि प्रकरण की वर्तमान स्थिति के साथ–साथ आपराधिक और विभागीय कार्यवाहियों से लेखापरीक्षा को अवगत कराने का निर्देश सम्बन्धित इकाई को दिया गया है।

[2] संख्याः 3699/छः–पु–1–10–148/2008 दिनांक 28 नवम्बर, 2010।
[3] श्री पन्थ राम।
[4] स्टेट बैंक आफ इण्डिया, मुख्य शाखा, मेरठ कैन्टोनमेन्ट, मेरठ।
[5] तीन लुप्त नाम और एक नकली नाम जोडा गया।
[6] स्टेट बैंक आफ इण्डिया, मुख्य शाखा, मेरठ कैन्टोनमेन्ट, मेरठ।
[7] मुकेश कुमार, मनोज कुमार सिरोही, नरेश कुमार, अन्जु कुमारी एवं पन्थ राम।

3.2 नियमों एवं विनियमनों का अनुपालन न किया जाना

उचित वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमनों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आदेश के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमितताएँ, दुर्विनियोग एवं धोखाधड़ी को रोकता है बल्कि वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए सहायक भी होता है। नियमों और विनियमनों का अनुपालन न किये जाने के कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

राजस्व विभाग

3.2.1 परिहार्य व्यय

कृषकों को दुर्घटनाओं के बीमा आच्छादन प्रदान किये जाने हेतु, वर्ष 2010–14 की अवधि में, बीमा कम्पनी से अनुबन्ध न करने व दुर्घटना दावों का शासन द्वारा स्वयं भुगतान करने/दायित्व सृजित किये जाने के कारण ₹ 301.36 करोड़ का परिहार्य व्यय/दायित्व सृजन हुआ।

शासन द्वारा वर्ष 2004–05 में किसानों[8] को व्यक्तिगत बीमा आच्छादन[9] प्रदान करने के उद्देश्य से कृषक दृर्घटना बीमा योजना प्रारम्भ की गयी थी। योजनान्तर्गत शासन द्वारा बीमा कम्पनी को वार्षिक बीमा प्रीमियम देय था तथा बीमा कम्पनी द्वारा किसानों को मृत्यु, स्थायी रूप से विकलांग होने आदि की दशा में बीमित धनराशि देय थी।

कार्यालय जिलाधिकारी, पीलीभीत के अभिलेखों की जाँच तथा कार्यालय आयुक्त सह सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ से संकलित सूचना (मार्च 2014) से यह ज्ञात हुआ कि शासन द्वारा माह सितम्बर 2009 से माह सितम्बर 2010 की अवधि के लिये बीमा कम्पनियों से माह सितम्बर 2009 में निविदायें आमंत्रित की गयी थी। निविदा आमंत्रण सूचना में बीमा कम्पनियों को निविदा के साथ–साथ धरोहर धनराशि भी जमा किया जाना आवश्यक था। यद्यपि, निविदा में भाग लेने वाली बीमा कम्पनियों द्वारा धरोहर राशि जमा नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, अनुबंध का गठन नहीं किया जा सका। शासन ने माह अक्टूबर 2009 में धरोहर राशि जमा करने की शर्त की छूट प्रदान की (नवम्बर 2009) और ओरिएन्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड के साथ अनुबंध गठित किया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार शासन द्वारा ओरिएन्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड को ₹ 54.60 करोड़ का बीमा प्रीमियम देय था। अनुबंध गठन में विलम्ब (दो माह) के कारण दिनांक 16 सितम्बर 2009 से दिनांक 18 नवम्बर 2009 तक की अवधि बीमा आच्छादन से संरक्षित नहीं रही और जिसके फलस्वरुप शासन द्वारा ₹ 14.20 करोड़ बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिये बीमा प्रीमियम हेतु प्रावधानित बजट से 1,482 लाभार्थियों/दावेदारों को बीमा दावे का भुगतान किया गया। शासन ने अवशेष प्रीमियम ₹ 5.47 करोड़ (₹ 54.60 करोड़ मे से) ओरिएन्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड द्वारा बार–बार निवेदन (माह जुलाई 2010 और माह अक्टूबर 2010) किए जाने के बावजूद भी भुगतान नही किया जिसके कारण ओरिएन्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड द्वारा माह अक्टूबर 2010 और माह नवम्बर 2010 के दावो का भुगतान[10] नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, शासन द्वारा बीमा प्रीमियम हेतु प्रावधानित बजट से लाभार्थियों/दावेदारों को ₹ 2.14 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया।

[8] किसानों (12 से 70 वर्ष के आयु समूह के) जिनका नाम शासकीय अभिलेखों की खतौनी मे कृषि भूमि के मालिक के रूप में अंकित हो।

[9] अप्रैल 2012 से मृत्यु, स्थायी विकलांगता, दो बाहों की क्षति, दो पैरों या दो आँखो या एक बाह और एक पैर की क्षति होने की धटना पर ₹ एक लाख को संशोधित कर ₹ पाँच लाख कर दिया गया है।

[10] 13 अक्टूबर 2010 से 18 नवम्बर 2010।

जाँच मे यह भी पाया गया कि शासन द्वारा मात्र वर्ष 2010–11 (माह नवम्बर 2010) एवं वर्ष 2012–13 (दिसम्बर 2012) को छोड़कर, वर्ष 2010–14 की अवधि मे बीमा कम्पनियों से निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी। आमंत्रित निविदायें भी निविदाकर्ता द्वारा शर्तों एवं मानकों के पूर्ण न होने के कारण अन्तिमीकरण तक नही पहुँच पायीं। परिणामस्वरूप, शासन द्वारा 2010–14 की अवधि में ₹ 563.68 करोड[11]. का बजट प्रावधान किया गया एवं प्रावधानित धनराशि ₹ 563.68 करोड़ में से ₹ 562.35 करोड़[12] की धनराशि 14,317 लाभार्थियों/दावेदारों[13] को बीमा दावों के भुगतान पर की गयी।

अग्रेतर, जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2004–05 में कृषक दृर्घटना बीमा योजना प्रारम्भ किये जाने से वर्ष 2004–05 से वर्ष 2009–10 तक शासन द्वारा ₹ 160.49 करोड़ का अनुबन्ध बीमा कम्पनियों से गठित किया गया था जिसके सापेक्ष बीमा कम्पनियों द्वारा योजनान्तर्गत लाभार्थियों/दावेदारों को ₹ 229.65 करोड़ का भुगतान किया गया था। विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट–3.2*** में दिया गया है। परिणामस्वरूप, शासकीय राजकोष में ₹ 69.16 करोड़ की बचत हुयी थी।

इस प्रकार, वर्ष 2010–14 की अवधि मे बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिये बजटीय प्रावधान के बावजूद, शासन द्वारा बरती गयी शिथिलता के कारण बीमा कम्पनियों के साथ अनुबन्ध गठित न करने के कारण ₹ 301.36 करोड़[14] की धनराशि का दावेदारों को परिहार्य भुगतान/दायित्व सृजन करना पड़ा जो कि वर्ष 2004–05 से वर्ष 2009–10 की अवधि के समय ही अनुबन्ध गठित कर बचाया जा सकता था।

शासन द्वारा माह नवम्बर 2014 में हुई चर्चा में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये यह बताया गया कि वर्ष 2014–15 के लिये निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जायेगी।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

3.2.2 निधि का दुरूपयोग

भू–प्रतिकर की धनराशि ₹ 2.21 करोड़ का अनियमित आहरण कर बैंक ड्राफ्ट के रूप में शासकीय लेखों से पृथक रखना तथा वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर अनुरक्षण कार्यो पर ₹ 2.03 करोड़ का दुरूपयोग।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 174(10)107(5) एवं 108 के प्रावधान के अनुसार कोई भी धनराशि कोषागार से तब तक आहरित न की जाय जब तक कि ऐसी धनराशियों की तत्काल भुगतान हेतु आवश्यकता न हो और नियंत्रण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि विनियोजन की धनराशि या उसके अंश को जिसकी वर्ष के दौरान आवश्यकता न हो, जैसे ही उसके बचत या व्यपगत होने का पूर्वाभास हो तो उसे समर्पित कर दिया जाना चाहिए।

ललितपुर जनपद में 3,141 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासन ने जमरार बांध परियोजना के निर्माण हेतु ₹ 60.10 करोड़ की प्रशासनिक एवं

[11] वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के लिये क्रमशः ₹ 1,272.75 लाख + ₹ 7,000 लाख + ₹ 7,000 लाख + ₹ 41,095 लाख = ₹ 56, 367.75 लाख अर्थात् ₹ 563.80 करोड़।

[12] वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के लिये क्रमशः ₹ 1,269.75 लाख + ₹ 6,984 लाख + ₹ 69.89 लाख + ₹ 40,991.75 लाख = ₹ 56,234.50 लाख अर्थात् ₹ 562.35 करोड़।

[13] वर्ष 2010–13 की अवधि का।

[14] शासन द्वारा भुगतानः 562.35 करोड़ + 14.20 करोड़ + 2.14 करोड़ = 578.69 करोड़ + 2012–2014 की अवधि में दायित्व सृजनः 377.87 करोड़ = 956.56 करोड़ – 655.20 करोड़ (कल्पित बीमा प्रीमियम का भुगतान यदि शासन द्वारा कम्पनी के साथ अनुबन्ध गठित किया गया होता) = 301.36 करोड़ (परिहार्य व्यय)।

वित्तीय स्वीकृति (अगस्त 2008) प्रदान की। शासनादेश में विशेष रूप से इंगित किया गया था कि स्वीकृत धनराशियों का व्यय केवल परियोजना के अनुमोदित कार्यो पर किया जाय। किसी भी विचलन की स्थिति में प्रमुख अभियंता एवं संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खंड, माताटीला, ललितपुर के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2012) एवं सूचनाओं के संकलन (मई 2014) में पाया गया कि परियोजना हेतु 929.865 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी जिसमें से खण्ड द्वारा अप्रैल 2014 तक ₹ 12.27 करोड़ मूल्य की 259.946 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गयी। किसानों को भू–प्रतिकर के भुगतान हेतु वर्ष 2008–12 के दौरान 89.437 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 2.21 करोड़ मूल्य के 260 बैंक ड्राफ्ट बनवाये गये परन्तु, भूमि के बढ़े हुए मूल्य (दरें प्रथम बार ₹ 80,000/90,000 प्रति एकड़ से ₹ 1,00,000 प्रति एकड़ माह जून 2009 में संशोधित की गयी तथा पुनः इसे बढ़ाकर माह अगस्त 2010 में ₹ 1,30,000 प्रति एकड़ कर दिया गया) के कारण उक्त बैंक ड्राफ्ट किसानों को वितरित नही किये गये एवं अप्रैल 2012 तक खंड के पास पड़े थे। इन परिस्थितियों में उक्त बैंक ड्राफ्टों को निरस्त कराकर उनकी धनराशियों को शासकीय लेखों के सम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना चाहिए था।

अग्रेतर यह भी संज्ञान में आया कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा अप्रैल से जुलाई 2012 के मध्य पुराने बैंक ड्राफ्टों को निरस्त कराकर वर्ष 2012–13 में कार्यादेशों के माध्यम से कराये गये अनुरक्षण कार्यों पर, ठेकेदारों को नये बैंक ड्राफ्टों को तैयार करवाकर (अप्रैल से जुलाई 2012) ₹ 2.03 करोड़ का भुगतान उन निधियों से किया गया था जिन्हें भू–प्रतिकर के मद में अंतिम रूप से लेखाबद्ध किया जा चुका था (सितम्बर 2008 से दिसम्बर 2011)। परियोजना की सम्पूर्ण अवधि हेतु अनुरक्षण कार्यो के लिए स्वीकृत ₹ 28.65 लाख के सापेक्ष ₹ 2.03 करोड़ का अनधिकृत व्यय किया गया था। इस प्रकार, वित्तीय नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कोषागार से ₹ 2.21 करोड़ का अनियमित आहरण और अनुरक्षण कार्यो पर ₹ 2.03 करोड़ का दुरूपयोग हुआ।

अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर में तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) और बताया कि भूमि के बढ़े हुए मूल्य के कारण बैंक ड्राफ्टों को रदद् किया गया और तद्नुसार अनुरक्षण कार्य हेतु ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए नये बैंक ड्राफ्ट बनवाये गये। तथ्य यथावत रहा कि ₹ 2.03 करोड़ का अनियमित आहरण कर अनुरक्षण कार्यो पर व्यय किया गया था।

वार्ता (नवम्बर 2014) के दौरान शासन ने तथ्यों एवं आंकड़ो को स्वीकार करते हुए बताया की संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर लिया गया है और संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी।

3.2.3 शासन को हानि

प्रतिशतता प्रभार के अधिरोपण में वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों की अवहेलना के कारण अक्टूबर 2014 तक शासन को ₹ 4.36 करोड़ की हानि।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–छः के प्रस्तर 635 एवं 636 में निक्षेप कार्यों पर प्रतिशतता प्रभार[15] का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग द्वारा अशासकीय संगठनों एवं स्थानीय निकायों के कार्यो के सम्पादन हेतु कार्य की लागत पर 12.5 प्रतिशत की दर से जिसमें एक प्रतिशत लेखा एवं लेखापरीक्षा शुल्क सम्मिलित है, प्रतिशतता प्रभार अधिरोपित करने हेतु शासन द्वारा निर्देशित (फरवरी 1997 और जनवरी 2011)[16] किया गया था।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निमार्ण खण्ड–2, झांसी के अभिलेखों की जाँच (अक्टूबर– नवम्बर 2013) में पाया गया कि पारीक्षा जलाशय से पारीक्षा थर्मल पावर स्टेशन को जलापूर्ति हेतु, शासन द्वारा गुरूसहाय मुख्य नहर की सीमेन्ट कान्क्रीट लाइनिंग की एक परियोजना को ₹ 34.90 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति (अगस्त 2008) प्रदान की गयी। परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित थी और कार्य को सिंचाई विभाग के तीन खण्डों (सिंचाई निर्माण खण्ड–1, झाँसीः किमी 0.000 से 16.000, सिंचाई निर्माण खण्ड–2, झाँसीः किमी 16.000 से 34.500 एवं झाँसी खण्ड बेतवा नहर, झाँसीः किमी 34.500 से 52.000) द्वारा निक्षेप कार्य के रूप में सम्पादित किया जाना था। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा सिंचाई विभाग को जून 2008 और मई 2011 के मध्य ₹ 34.90 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी। वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों में निहित प्रावधानानुसार एक वाणिज्यिक संस्था होने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश सरकार की कम्पनी) से कार्य की कुल लागत के 12.5 प्रतिशत की दर से ₹ 4.36 करोड़ की धनराशि प्रतिशतता प्रभार के अधिरोपण एवं वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों में निहित प्रावधानों के विपरीत खण्डो द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के लिए कराये गये कार्यो पर प्रतिशतता प्रभार ₹ 4.36 करोड़ का अधिरोपण नहीं किया गया था। परियोजना के पुनरीक्षण की स्वीकृति लम्बित होने के कारण कार्य अपूर्ण था और अक्टूबर 2014 तक तद्नुसार प्रतिशतता प्रभार ₹ 4.06 करोड़[17] की वसूली किये बिना परियोजना पर ₹ 32.47 करोड़ का व्यय किया जा चुका था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2013) कि दोनों विभाग शासन के अधीन है, अतः प्रतिशतता प्रभार के अधिरोपण का प्रावधान नही किया गया। उत्तर सत्य नहीं था क्योंकि शासनादेशों (फरवरी 1997 तथा जनवरी 2011) में स्पष्ट उल्लेख है कि सिंचाई विभाग द्वारा वाणिज्यक विभागों के लिये कराये गये निक्षेप कार्यो पर 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशतता प्रभार का अधिरोपण किया जाना चाहिए। चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश सरकार की कम्पनी है, अतः उस पर प्रतिशतता प्रभार का अधिरोपण किया जाना चाहिये था।

[15] निक्षेप कार्यो में स्थापना,यन्त्र एवं संयत्र तथा लेखा एवं लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में भारित धनराशि यदि कोई हो, को प्रतिशतता प्रभार/सेन्टेज चार्ज माना जाता है।

[16] संख्या अ–2–87/दस–97–17(4)–75 दिनांक 27–02–1997 एवं शासनादेश दिनांक 25–01–2011।

[17] ₹ 32.47 करोड़ का 12.5 प्रतिशत= ₹ 4.06 करोड़।

शासन ने वार्ता (नवम्बर 2014) के दौरान आँकड़ों एवं तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि पुनरीक्षित परियोजना में प्रतिशतता प्रभार का प्रावधान किया जायेगा। जाँचोपरान्त, प्रतिशतता प्रभार सम्मिलित न किये जाने हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। परियोजना का पुनरीक्षण अभी किया जाना था तथा जाँच परिणामों पर निगरानी रखी जायेगी।

3.2.4 ₹ 87.08 करोड़ का अलाभकारी व्यय

भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना लखेरी बाँध के निर्माण पर ₹ 87.08 करोड़ का अलाभकारी व्यय।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–छः के प्रस्तर 378 में निहित प्रावधान के अनुसार ऐसी भूमि पर कोई कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए जब तक की उत्तरदायी सिविल अधिकारियों द्वारा उसकी उपलब्धता सुनिश्चित न करा दी जाय।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खण्ड–5 , झाँसी (अधिशासी अभियन्ता) के अभिलेखों की जाँच (अक्टूबर 2013) में पाया गया कि खरीफ फसल के लिये 1,188 हेक्टेयर एवं रबी फसल के लिये 1,980 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु, शासन द्वारा लखेरी बांध (बांध) परियोजना (झाँसी में) को ₹ 20.37 करोड़ लागत की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी (मार्च 2003)। सामग्रियों एवं श्रम की दरों में वृद्धि एवं विलम्ब से कार्य शुरू (नवम्बर 2004) किये जाने के कारण परियोजना लागत को ₹ 66.52 करोड़ पर पुनरीक्षित (फरवरी 2006) किया गया, जिसे पुनः विस्तृत परिकल्प में नई कार्य मदों को सम्मिलित किये जाने, श्रमिकों एवं सामग्रियों की दरों में वृद्धि एवं पुनर्वास कार्यो की लागत में अत्यधिक वृद्धि के कारण ₹ 87.08 करोड़ तक पुनरीक्षित किया गया (सितम्बर 2008)। बांध का निर्माण कार्य ₹ 87.08 करोड़ के व्ययोपरान्त मार्च 2010 में पूर्ण किया गया।

यद्यपि, 37.248 हेक्टेयर भूमि की अनुपलब्धता के कारण दो ग्रामो (बुढ़ाई एवं रेवन) के विस्थापितों को जो बांध एवं जलाशय के निर्माण के डूबे क्षेत्र में थे, जून 2014 तक पुर्नवासित नहीं किया जा सका था । भू/भवन प्रतिकर हेतु बनवाये गये ₹ 59.60 लाख के बैंक ड्राफ्ट (अगस्त 2009 से अप्रैल 2011 के मध्य आहरित) पंजीकरण शुल्क की अनुपलब्धता के कारण खण्ड में अवितरित पड़े थे क्योंकि पुनरीक्षित परियोजना की स्वीकृति लंबित थी (नवम्बर 2014) जबकि उक्त बैंक ड्राफ्टों की धनराशि को परियोजना के अंतिम व्यय में सम्मिलित (अगस्त 2009 से अप्रैल 2011) कर लिया गया था। इन दो ग्रामों के निवासियों के पुनर्वासित नहीं होने से बांध को भरा नहीं जा सका जिसके कारण परियोजना कार्य पूर्ण (मार्च 2010) होने के चार वर्षो से अधिक अंतराल के पश्चात भी लक्षित भूमि में सिंचाई के उद्देश्य की पूर्ति नही हो सकी। इस प्रकार बांध के निर्माण में ₹ 87.08 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2013 एवं मार्च 2014) कि परियोजना के शेष कार्यो को स्वीकृति के उपरान्त पूर्ण कराया जायेगा जो परियोजना को लाभकारी बनायेगा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रभावित ग्रामों के पुर्नवास हेतु भूमि का अधिग्रहण बांध निर्माण प्रारम्भ करने के पूर्व किया जाना आवश्यक था। यह भी कि परियोजना की लागत को दो बार पुनरीक्षित किया गया परन्तु प्रभावित ग्रामों के पुर्नवास हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार लक्षित सिंचाई सुविधा का लाभ जन सामान्य को नहीं मिल सका, परिणामस्वरूप ₹ 87.08 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

वार्ता (नवम्बर 2014) के दौरान शासन ने आंकड़ो एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया कि पुनरीक्षित परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के पश्चात् परियोजना से लाभ प्राप्त हो सकेगा।

3.2.5 शासन को हानि

गैर सिंचाई कार्य हेतु जल आपूर्ति के लिए जल नीति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार अनुबन्ध का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण शासन को ₹ 42.28 करोड़ की हानि।

गैर–सिंचित कार्यों पर जल की आपूर्ति के लिए नीति का निर्धारण करते समय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ₹ 50,000 प्रति क्यूसेक प्रति वर्ष रायल्टी की दर (अप्रैल 1985) तथा ₹ 3.12 प्रति हजार घन फीट जल मूल्य (अक्टूबर 1988) निर्धारित किया गया था। रायल्टी की दर ₹ 1,50,000 प्रति क्यूसेक प्रति वर्ष मई 1998[18] में संशोधित की गयी तथा पुनः रायल्टी की दर ₹ 6,00,000 एवं जल मूल्य की दर ₹ 12.48 प्रति हजार घन फीट माह जुलाई 2011[19] में बढ़ायी गयी। उपभोक्ता से जल मूल्य की वसूली के लिए विशेष रूप से यह निर्देशित किया गया था (अप्रैल 1985) कि प्रांरभिक दस वर्षो के लिए सिंचाई विभाग तथा उपयोगकर्ता विभाग/एजेंसी के मध्य अनुबन्ध गठित किया जायेगा। दस वर्षो के पश्चात् आगामी दस वर्षो के लिए एक नया अनुबन्ध गठित किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता, हेड वर्क्स खण्ड, आगरा नहर, ओखला नई दिल्ली के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर 2013) में पाया गया कि आगरा नहर से बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन, नई दिल्ली को मार्च 1989 से वर्तमान तक गैर–सिंचित कार्य हेतु जल आपूर्ति किया जा रहा था। लेकिन शासन के निर्देशों के विपरीत नवम्बर 2014 तक सिंचाई विभाग एवं बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के मध्य कोई अनुबन्ध गठित नहीं किया गया था। अग्रेतर, सिंचाई विभाग द्वारा आपूर्तित एवं बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन द्वारा उपयोगित जल की मात्रा पर प्रारम्भ से ही सिंचाई विभाग एवं बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया था। आपूर्तित एवं उपयोगित जल की मात्रा के प्रकरण का समाधान करने के लिए जुलाई 1996 एवं दिसम्बर 2007 के मध्य विभिन्न अध्ययन[20] किये गये। इन अध्ययनों में बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन द्वारा उपभोग किये गये जल की मात्रा में 48.60 क्यूसेक से लेकर 246 क्यूसेक तक की भिन्नता थी। यद्यपि, बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की द्वारा आंकलित 48.60 क्यूसेक जल की मात्रा के उपभोग को स्वीकार किया गया (मार्च 2008) तथा उस मात्रा के लिए रायल्टी की धनराशि ₹ 84.61 लाख का भुगतान किया गया (मार्च 2008) परन्तु उपभोगित जल के मूल्य का भुगतान नही किया गया। सिंचाई विभाग प्रस्ताव से सहमत नहीं था। तत्पश्चात दोनों पक्षो की संयुक्त बैठक (मार्च 2011) में प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग द्वारा वास्तविक जल निस्सरण के मापन हेतु दो अधीक्षण अभियंताओं[21] की एक कमेटी गठित (मार्च 2011) की गयी। कमेटी द्वारा मापित जल निस्सरण (15 मार्च 2011 से 25 अप्रैल 2011) तथा शासन की नीति के आधार पर प्रमुख सचिव द्वारा बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन से जल आपूर्ति के प्रारम्भिक तिथि से जल उपभोग की मात्रा 59.02 क्यूसेक प्रति वर्ष मानते हुए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज

[18] ओएम संख्याः 1192 दिनांक 26.05.1998।
[19] ओएम संख्याः 2953 दिनांक 15.07.2011।
[20] सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की द्वारा अगस्त 2006 (92.53 क्यूसेक) आई.आई.टी. कानपुर द्वारा जनवरी 2006 (176 से 246 क्यूसेक), तथा आईआईटी, रूड़की द्वारा नवम्बर 2007 (48.60 क्यूसेक) में सम्पादित।
[21] अधीक्षण अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन वृत्त–आठ, लखनऊ तथा अधीक्षण अभियंता–तृतीय वृत्त, सिंचाई निर्माण कार्य, आगरा।

सहित रायल्टी एवं जल मूल्य की वसूली का आदेश (अप्रैल 2011) दिया गया था। खण्ड द्वारा कुल ₹ 42.28 करोड़ (नवम्बर 2014) की धनराशि जिसमें रायल्टी की अवशेष धनराशि ₹ 1.45 करोड़, जल मूल्य की अवशेष धनराशि ₹13.38 करोड़ तथा उन पर 1 मार्च 1989 से 30 सितम्बर 2014 तक की अवधि के ब्याज की धनराशि ₹ 27.45 करोड़ सम्मिलित थी, की मांग की गयी। यद्यपि बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन द्वारा मॉग को स्वीकार नहीं किया गया तथा पुनः जल उपभोग की मात्रा 48.60 क्यूसेक ही स्वीकार की गयी। इस प्रकार आपूर्तित एवं उपभोगित जल की मात्रा के लिए किसी परस्पर सहमत मापन तंत्र के अभाव में शासन को नवम्बर 2014 तक ₹ 42.28 करोड़ की हानि उठानी पड़ी, जिसमें प्राप्ति होने तक और वृद्धि होगी क्योंकि शासन की स्वीकृति के अभाव (नवम्बर 2014) में सिंचाई विभाग एवं बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के मध्य ड्राफ्ट अनुबन्ध निष्पादित किया जाना अभी भी शेष था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2013) कि जल की आपूर्ति, नीति के अनुसार की जा रही थी तथा अनुबन्ध के निष्पादन की प्रक्रिया वर्ष 2002 से प्रगति में थी। परन्तु, आपूर्तित जल की मात्रा पर विवाद के कारण इसका अंतिमीकरण नहीं किया जा सका। उत्तर से पुष्टि होती है कि बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को जल आपूर्ति प्रारम्भ करने से पहले (मार्च 1989) सिंचाई विभाग द्वारा शासन की नीति (अप्रैल 1985) के अनुरूप बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के साथ कोई अनुबन्ध नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि जलापूर्ति आरंभ करने के 24 वर्षो से भी अधिक अंतराल के पश्चात् अनुबन्ध शासन की स्वीकृति के लिए मात्र दिसम्बर 2013 में भेजा गया जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तित जल की मात्रा पर विवाद हुआ तथा समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित दर पर जल मूल्य एवं रायल्टी की वसूली नही की जा सकी।

इस प्रकार, शासन की नीति का अनुपालन नही किये जाने तथा सिंचाई विभाग द्वारा बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को जलापूर्ति प्रारम्भ करने की तिथि से 25 वर्षो की समाप्ति के उपरान्त भी अनुबन्ध का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण शासन को अप्राप्त रायल्टी, जलमूल्य एवं उस पर अर्जित व्याज के रूप में सितम्बर 2014 तक ₹ 42.28[22] करोड़ की हानि हुई।

शासन द्वारा वार्ता के दौरान (नवम्बर 2014) तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि सहमति–ज्ञापन/अनुबन्ध के निष्पादन की कार्यवाही प्रगति में थी।

3.2.6 ₹ 1.59 करोड़ का अलाभकारी व्यय

पर्याप्त धनावंटन सुनिश्चित किये बिना कार्य प्रारंभ कराये जाने के फलस्वरूप ₹ 1.59 करोड़ का अलाभकारी व्यय।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 174 (8) के अनुसार बिना पर्याप्त धनावंटन के व्यय किया जाना वित्तीय अनियमितता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–6 के प्रस्तर 375 (ए) के अनुसार यह मूल नियम है कि कोई कार्य तब तक प्रारंभ नही कराया जाना चाहिए जब तक कि विस्तृत परिकल्प एवं प्राक्कलन की स्वीकृति, निधियों का आवंटन और कार्य प्रारंभ कराये जाने के आदेश सक्षम प्रधिकारी द्वारा निर्गत न कर दिये जायें।

[22] ₹ 27.45 करोड़ के व्याज सहित।

अधिशासी अभियन्ता, बाण सागर नहर निर्माण खण्ड–9, मीरजापुर के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2013) में पाया गया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भागवत राजवाहा के किमी 0.000 से 6.600 पर कांक्रीट लाइनिंग कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति (जून 2009) ₹ 4.98 करोड़ की लागत से प्रदान की गयी एवं वित्तीय स्वीकृति मात्र ₹ 50 लाख की ही प्रदान की गयी। मुख्य अभियन्ता (बाण सागर), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा भागवत राजवाहा के कांक्रीट लाइनिंग परियोजना के कार्य की मदों हेतु तकनीकी स्वीकृति (फरवरी 2010) प्रदान की गयी।

यह पाया गया (जुलाई 2013) कि खण्ड द्वारा परियोजना हेतु प्राइमर, लो डेन्सिटी पोलीथीलीन फिल्म, सीलिंग कम्पाउन्ड आदि का क्रय किया गया एवं ₹ 50 लाख की धनराशि वर्ष 2009–10 में व्यय की गयी। इसके अतिरिक्त, अधीक्षण अभियन्ता बाण सागर नहर निर्माण वृत्त–3 मीरजापुर द्वारा कार्य को शीघ्र समाप्त करने के लिये कांक्रीट लाइनिंग के कार्य को छः भागों में बाँट कर एवं परियोजना हेतु प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक ₹ 5.69 करोड़ लागत के छः अनुबंध[23] अगस्त–सितंबर 2009 में निष्पादित किये गये। परन्तु, कार्य के आरम्भ एवं समापन के निर्धारित माहों क्रमशः अगस्त–सितंबर 2009 और फरवरी–मार्च 2011 से तीन वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। प्रत्येक कार्य[24] हेतु निर्धारित 14 मदों, जो इन अनुबन्धों के माध्यम से कराये जाने थे, में से मात्र एक मद[25] का कार्य अगस्त 2009 एवं सितंबर 2010 के दौरान ₹ 1.14 करोड़ की लागत से ठेकेदारों द्वारा कराया गया था। परियोजना के अन्तर्गत धनाबंटन के अभाव एवं रनिंग बिलों के भुगतान न हो पाने की स्थिति में ठेकेदारों ने कार्य रोक दिया एवं अनुबंधों को रद्द करने की मांग की। तत्पश्चात, अधीक्षण अभियंता ने सभी छः अनुबंध निरस्त (मार्च एवं मई 2012)[26] कर दिये। शासन द्वारा ₹ 6.38 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति (मई 2012) प्रदान की गयी एवं परियोजना हेतु ₹ 80 लाख अवमुक्त (अगस्त 2012) किया गया था। खण्ड द्वारा ठेकेदारों के रनिंग बिलों के विरूद्ध ₹ 80 लाख का भुगतान (नवम्बर 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य) किया गया फिर भी ₹ 29.07 लाख की देनदारियाँ लंबित (अक्टूबर 2014) थी। नहर की लाइनिंग का कार्य अपूर्ण (सितंबर 2014) था एवं वर्ष 2009–10 में ₹ 41.18 लाख की लागत से परियोजना हेतु क्रय की गयी सामग्रियाँ स्टोर में पाँच वर्षों से अधिक समय से अप्रयुक्त पड़ी थी। अग्रेतर, खण्ड द्वारा प्रेषित ₹ 7.87 करोड़ को एक पुनः पुनरीक्षित प्रस्ताव (अप्रैल 2013) प्रमुख अभियन्ता स्तर पर स्वीकृति हेतु लंबित था (जून 2014)। इस प्रकार, वित्तीय नियमों एवं बजट मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत बिना पर्याप्त धनावंटन सुनिश्चित किये कार्य प्रारंभ कराये जाने के कारण परियोजना पर किया गया ₹ 1.59 करोड़[27] का व्यय अलाभकारी रहा (₹ 29.07 लाख की देनदारियों सहित) जो अनुबन्ध की कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि (मार्च 2011) के तीन वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अपूर्ण था। आगे यह भी पाया गया कि नये अनुबंधों के कार्य, जिनको दिसम्बर 2015 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था, सितम्बर 2014 तक प्रारम्भ नहीं हो सके थे। इसके अतिरिक्त, करीब पाँच वर्ष पूर्व क्रय की गयी ₹ 41.18 लाख की सामग्रियों के उपयोग किये जाने की संभावना बहुत दूर प्रतीत होती है।

[23] अनुबंध संख्या 05, 06, 07, 08, 09 एवं 10/एसई/2009–10।

[24] भागवत राजवाहा के लाइनिंग का कार्य (i) किमी 0.000 से 1.000 तक (अनुबंध संख्या 10/एसई/2009–10) (ii) किमी 1.000 से 2.100 तक (अनुबंध संख्या 05/एसई/2009–10), (iii) किमी 2.100 से 3.200 तक (अनुबंध संख्या 06/एसई/2009–10), (iv) किमी 3.200 से 4.300 तक (अनुबंध संख्या 07/एसई/2009–10), (v) किमी 4.300 से 5.500 तक (अनुबंध संख्या 09/एसई/2009–10), एवं (vi) किमी 5.500 से 6.600 तक (अनुबंध संख्या 08/एसई/2009–10)।

[25] नहर में समस्त लीड, लिफ्ट, मैनुअल कम्पैक्शन एवं ड्रेसिंग सहित ढुलाई की गयी मिटट्ी से भराव कार्य।

[26] अनुबंध संख्या 07, 08, 09 एवं 10, मार्च 2012 में एवं अनुबंध संख्या 05 तथा 06, मई 2012 में।

[27] ₹ 50 लाख + ₹ 80 लाख + ₹ 29.07 लाख = ₹ 1.59 करोड़।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (जुलाई 2013) अधिशासी अभियन्ता द्वारा उत्तर में बताया गया (जुलाई 2013) कि धनाबंटन के अभाव में ठेकेदारों ने कार्य बंद कर दिया था और इसे पूर्ण नहीं किया जा सका था। उत्तर से लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गयी इस आपत्ति की पुष्टि होती है कि परियोजना का कार्य वित्तीय नियमों के विपरीत बिना धनाबंटन सुनिश्चित किये प्रारंभ कराया गया था।

वार्ता के दौरान (नवम्बर 2014) शासन ने आंकड़ों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया कि कार्य पूर्ण कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

3.2.7 शासन को हानि

भू–प्रतिकर के भुगतान में अत्यधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में शासन को ₹ 1.21 करोड़ की हानि।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–पाँच भाग–1 के प्रस्तर 161 के अनुसार अपरिहार्य भुगतान को अभुगतानित नही रखा जाना चाहिए। अपरिहार्य भुगतान को स्थगित किया जाना आर्थिक दृष्टिकोण से उचित नही है तथा यथाशीघ्र सभी वास्तविक भुगतान बाध्यताओं को अभिनिश्चित, परिसमापित तथा अभिलिखित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2012) एवं अग्रेतर संकलित सूचना (अगस्त 2013) में पाया गया कि खण्ड द्वारा "गोमती नगर सुरक्षा बांध" के निर्माण हेतु 9.998 हेक्टेयर एवं 4.488 हेक्टेयर भूमि क्रमशः ग्राम जुगौली एवं जियामऊ में अधिग्रहीत की गई (नवम्बर 1985)। इन ग्रामों की अधिग्रहीत भूमि हेतु भू–प्रतिकर दिया जाना निश्चित किया गया एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, शारदा सहायक परियोजना, लखनऊ द्वारा अधिनिर्णय घोषित (अगस्त 1990) किया गया। अधिनिर्णय में 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम सहित इन ग्रामों की भू–प्रतिकर की धनराशि क्रमशः ₹ 29.57 लाख एवं ₹ 13.27 लाख सम्मिलित थी। भू–प्रतिकर के भुगतान मे विलम्ब पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय था। परियोजना वर्ष 1985 में शुरू एवं वर्ष 2005 में पूर्ण की गयी। यह देखा गया कि स्वीकृत परियोजना में परियोजना हेतु आवश्यक भूमि के अधिग्रहण हेतु ₹ 47.50 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया था। यद्यपि, परियोजना में भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि का प्रावधान होने एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा अगस्त 1990 में अधिनिर्णय घोषित किये जाने पर भी, धनराशि की अनुपलब्धता के कारण इन ग्रामों की अधिग्रहीत भूमि हेतु, यथा समय भू–प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया। जबकि, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा शासन से भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि की मांग किये जाते समय भू–प्रतिकर के भुगतान में विलम्ब के फलस्वरूप बढ़ते हुए ब्याज के भार के बारे में बार–बार अनुस्मारित[28] कराया गया था। परन्तु शासन ने अगस्त 2011 में ₹ 1.88 करोड़ स्वीकृत किया। परिणामस्वरूप प्रतिकर अधिनिर्णय की घोषणा किये जाने के 21 वर्ष पश्चात दिनांक 30 अगस्त 2011 को खण्ड द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को ₹ 1.49 करोड़, ब्याज सहित ₹ 1.88 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसमें से ₹ 1.21 करोड़ का भुगतान अधिनिर्णय की घोषणा की तिथि से जून 2011 तक का किया गया, जिसे बचाया जा सकता था। इस प्रकार, वित्तीय नियमों के विपरीत भू–प्रतिकर के भुगतान में अत्यधिक विलम्ब के कारण शासन को ₹ 1.21 करोड़ की क्षति हुई।

[28] पत्र–संख्या 866 दिनांकः 04.08.2006, तथा संख्या 63 दिनॉक 29.12.2006।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर में बताया (अगस्त 2012) कि भू–प्रतिकर की धनराशि के भुगतान हेतु कई बार मांग की गई किन्तु धनाबंटन में विलम्ब के कारण ब्याज का भुगतान किया गया था। उत्तर मान्य नही है क्योंकि परियोजना में भू–प्रतिकर हेतु धनराशि का प्रावधान पूर्व में ही किया गया था एवं विभाग का यह उत्तरदायित्व था कि परियोजना हेतु आवंटित धनराशि से अधिनिर्णय की घोषणा पर तद्नुसार भू–प्रतिकर का भुगतान किया जाना चाहिए था।

शासन द्वारा वार्ता में (नवम्बर 2014) तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण लम्बित होने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ। परन्तु लंबित प्रकरणों की प्रकृति एवं उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। शासन से उक्त सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध (नवम्बर 2014) किया गया था जो कि अभी तक प्रतीक्षित है।

3.2.8 निष्फल व्यय

मानक के अनुसार खण्ड का पुर्नगठन किये जाने में विभाग एवं शासन की विफलता के कारण ₹ 8.40 करोड़ का निष्फल व्यय।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत निर्माण खण्डों के कार्यभार से सम्बन्धित मानक को शासन द्वारा पुनरीक्षित किया गया (जनवरी 1996)[29] जिसमें एक निर्माण खण्ड का कार्यभार ₹ दो करोड़ प्रति खण्ड प्रतिवर्ष निर्धारित था। उक्त शासनादेश में यह भी उल्लिखित था कि मूल्य सूचकांक को ध्यान मे रखते हुए मानक प्रत्येक दो वर्ष में पुनरीक्षित किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता, जरौली पम्प नहर निर्माण खण्ड–प्रथम, फतेहपुर के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2014) एवं आगे अधिशासी अभियन्ता, जरौली पम्प नहर निर्माण खण्ड–प्रथम तथा अधिशासी अभियन्ता जरौली पम्प नहर निर्माण खण्ड–द्वितीय, फतेहपुर से एकत्रित सूचना (मई 2014) में पाया गया कि शासन ने जरौली पम्प नहर परियोजना के निर्माण हेतु इन खण्डों का गठन (अगस्त 1998) किया। परियोजना जून 2007 में पूर्ण हो गयी थी, तथा परियोजना पूर्ण होने सम्बन्धी प्रतिवेदन शासन को जून 2007 में प्रेषित किया गया था। उसके पश्चात इन खण्डों को कोई निर्माण कार्य आवंटित नहीं किया गया तथा दोनों खण्ड मात्र 4.7 किमी लम्बी पोषक नहर के अनुरक्षण का कार्य कर रहे थे। यह देखा गया कि मुख्य अभियंता (बाणसागर), इलाहाबाद द्वारा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं शासन को नियमित रूप से यह लिखा[30] जा रहा था कि जरौली पम्प नहर परियोजना के पूर्ण होने के दृष्टिगत इन दो खण्डों का अस्तित्व मात्र 4.7 किमी लम्बी पोषक नहर के अनुरक्षण के लिए रखना न्यायोचित नहीं होगा। तद्नुसार, मुख्य अभियन्ता ने शासकीय/सार्वजनिक हित में इन खण्डों का पुर्नगठन करने तथा पोषक नहर के अनुरक्षण का कार्य फतेहपुर में स्थापित रामगंगा संगठन के दो अन्य खण्डों[31] को सौपने का अनुरोध किया (जनवरी 2007)। परन्तु इस सम्बन्ध में विभाग एवं शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। परिणामस्वरूप, इन खण्डों द्वारा वर्ष 2008–14 के दौरान मात्र ₹ 1.70 करोड़[32] का अनुरक्षण कार्य सम्पादित किया गया

[29] ए–1–(1)/95–27–सिं–8–15ए/94 दिनांक 02.01.1996।
[30] सितम्बर 2010 एवं मई 2012।
[31] फतेहपुर खण्ड निचली गंगा नहर, फतेहपुर एवं सिंचाई खण्ड, फतेहपुर।
[32] ₹ 0.82 करोड़ (जरौली पम्प नहर निर्माण खण्ड–प्रथम)+₹ 0.88 करोड़ (जरौली पम्प नहर निर्माण खण्ड–द्वितीय) = ₹ 1.70 करोड़।

(₹ दो करोड़ के विद्यमान मापदण्ड के सापेक्ष औसत ₹ 14.12 लाख[33] प्रति खण्ड प्रति वर्ष), जबकि इन खण्डों का स्थापना[34] व्यय इस अवधि के दौरान ₹ 8.40 करोड़ (₹ 3.83 करोड़ जरौली पम्प नहर निर्माण खण्ड–प्रथम + ₹ 4.57 करोड़: जरौली पम्प नहर निर्माण खण्ड–द्वितीय) था। इस प्रकार, परियोजना के पूर्ण होने के सात साल बाद भी समय पर निर्णय लेने में विभाग के साथ–साथ शासन की विफलता के कारण इन खण्डों पर ₹ 8.40 करोड़ की धनराशि का निष्फल व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करते समय अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया (मई 2014) कि खण्डों का पुर्नगठन किये जाने का निर्णय जनवरी 2007 से उच्च स्तर पर लम्बित था।

शासन द्वारा वार्ता (नवम्बर 2014) में तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि दोनों खण्डों के विघटित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। तथ्य यथावत रहा कि शासन स्तर पर इन खण्डों को विघटित किये जाने का निर्णय लेने में सात साल से अधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 8.40 करोड़ की धनराशि का व्यय निष्फल रहा।

3.2.9 अतिरिक्त व्यय

निर्धारित चार प्रतिशत के स्थान पर पाँच एवं 12.5 प्रतिशत की दर से वैट जोड़ने तथा बोल्डर/स्पिलिट अथवा कट स्टोन की ढुलाई पर गैर अनुमन्य वैट जोड़ने के कारण कार्यो की लागत में वृद्धि एवं ₹ 2.87 करोड़ का अतिरिक्त व्यय।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के अध्याय–15 के प्रस्तर 174 (15) (तृतीय) में प्रावधानित है कि विधिक, अनुबंध या नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य धनराशि से अधिक का भुगतान किया जाना वित्तीय अनियमितता है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–छः के प्रस्तर 523 में यह प्रावधान है कि आगणन तैयार करने, करार अनुबन्धों में दरों के निर्धारण में मार्गदर्शन हेतु प्रत्येक वृत्त में सामान्य रूप से कराये जाने वाले सभी कार्यो के लिए एक दर अनुसूची तैयार एवं अद्यतन रखी जानी चाहिए। सहारनपुर वृत्त में उपलब्ध दरों की अनुसूची में खदान से कार्यस्थल तक सामग्री के ढुलाई में वैट को सम्मिलित करने का प्रावधान नही किया गया था क्योंकि खदान पर सामग्री की लागत में वैट पहले से ही सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त, वैट एक्ट–2007 के अनुसार बोल्डर/स्पलिट अथवा कट स्टोन के लिये चार प्रतिशत की दर से वैट का निर्धारण किया गया था।

अधिशासी अभियंता, ड्रेनेज खण्ड–प्रथम, मेरठ एवं सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर एवं नवम्बर 2013) में बाढ़ नियंत्रण कार्यो के स्वीकृत आगणनों[35] में निम्नलिखित त्रुटियॉ पायी गयीः

(अ) इन खण्डों द्वारा बोल्डर/स्पिलिट अथवा कट स्टोन की आपूर्ति हेतु दर विश्लेषण में चार प्रतिशत की निर्धारित दर के स्थान पर पाँच प्रतिशत एवं 12.5 प्रतिशत की दर से वैट जोड़ा गया था। ***(परिशिष्ट–3.3अ)***

[33] ₹ 81.86 लाख/6 = ₹ 13.64 लाख (जरौली पम्प नहर निर्माण खण्ड–प्रथम) एवं ₹ 87.59 लाख/6 जरौली पम्प नहर निर्माण खण्ड–द्वितीय = ₹ 14.60 लाख, औसत = ₹ 13.64 + ₹ 14.60/2 = ₹ 14.12 लाख।

[34] वेतन एवं भत्ते, यात्रा भत्ते इत्यादि।

[35] सिंचाई निर्माण खण्डः 34/सीई/11–12, 38/एसई/11–12, 32/सीई/11–12, 44/सीई/11–12 और 23/सीई/12–13; ड्रेनेज खण्ड–Iः 40/सीई/10–11 एवं 19/सीई/10–11।

(ब) इसी प्रकार इन खण्डों द्वारा बोल्डरों की आपूर्ति की दरों के विश्लेषण में निर्धारित मानक/आदेशों के विपरीत बोल्डर/स्पिलिट अथवा कट स्टोने की ढुलाई में वैट जोड़ा गया था ***(परिशिष्ट–3.3 ब)***।

इस प्रकार, कार्य की इस मद में दरों की वृद्धि के फलस्वरूप कार्यो की कुल लागत में ₹ 2.87 करोड़[36] की वृद्धि हो गयी। इन बढ़ी हुई दरों के आधार पर निविदायें आमंत्रित की गयीं और अनुबंधों का गठन किया गया। बोल्डर/स्पिलिट अथवा कट स्टोन की आपूर्ति में बढ़ी हुई दरों पर स्वीकृति के कारण शासन को ₹ 2.87 करोड़ अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सिंचाई निर्माण खण्ड ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2013) कि अब ढुलाई में कोई भी वैट भारित नहीं किया जा रहा है, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि खण्ड द्वारा अपनी त्रुटि की पहचान की गयी और ठीक कर लिया गया। ड्रेनेज खण्ड–प्रथम ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2013) कि वैट एक्ट, 2007 के आधार पर ही 12.5 प्रतिशत की दर से वैट जोड़ा गया। उत्तर मान्य नही था क्योंकि वैट एक्ट, 2007 के अनुसार बोल्डर/स्पिलिट अथवा कट स्टोन पर चार प्रतिशत की दर से ही वैट अनुमन्य था, जो कि इस तथ्य से भी स्पष्ट था कि खण्ड द्वारा एक अन्य कार्य[37] में इस मद हेतु चार प्रतिशत की दर से ही वैट जोड़ा गया था।

इस प्रकार, इन खण्डों द्वारा उच्च दरों से वैट जोड़ने और ढुलाई की लागत में वैट जोड़ने के फलस्वरूप कार्य की लागत में ₹ 2.87 करोड़ का अतिरिक्त/अधिक व्यय करना पड़ा।

शासन ने वार्ता (नवम्बर 2014) के दौरान आंकड़ो एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया कि आगणन के तैयार करने में त्रुटि को चिन्हित किया जायेगा और इसमें एकरूपता स्थापित करने हेतु आदेश निर्गत किये जायेगें। तथ्य यथावत है कि उच्च दरों एवं गैर अनुमन्य वैट को आगणनों में शामिल करने के कारण आगणित दरों में वृद्धि हुई थी।

3.3 औचित्य लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय किए जाने के प्रकरण

लोक निधि से प्राधिकृत होने वाले व्यय औचित्य एवं व्ययों की प्रभावकारिता के सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित होते है। प्राधिकारी जिन्हें व्यय के लिए प्राधिकृत किया जाता है, उससे यह अपेक्षित है कि वह धन का व्यय उतनी ही सतर्कता के साथ करें जितना कि सामान्य व्यक्ति अपने धन के व्यय में करता है। लेखापरीक्षा जाँच में अनौचित्यपूर्ण और अतिरिक्त व्यय के निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये:

[36] ₹ 1.23 करोड़ + ₹ 1.64 करोड़ (परिशिष्ट 1 एवं 2 के अनुसार)।

[37] टी 5/2009–10 दिनॉक: 22.03.2010 तथा अनुबंध सं0 57,59,62,64,105,124,130,132,133,135,136,144,143,146, 148, 149 एवं 193/अधिशासी अभियन्ता/2010–11, 27–45/सहयक अभियन्ता/2011–12।

कृषि विभाग

3.3.1 उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम को अनुचित सहायता

उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम को वर्ष 2011–14 की अवधि में बीजों के क्रय पर गैर अनुमन्य कमीशन दिए जाने से ₹ 11.99 करोड़ की अनुचित सहायता।

प्रदेश में कृषि फसलों हेतु कृषकों को बिक्री के लिये बीजों के खुदरा मूल्य का निर्धारण[38] उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा किया जाता है।

कार्यालय कृषि निदेशालय, लखनऊ के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया (मार्च 2014) कि शासन के मई 2003 के आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, कृषि निदेशालय, लखनऊ को फसलों हेतु बीज आपूर्त्ति की नोडल एजेंसी है। बीजों की बिक्री कृषि निदेशालय, लखनऊ द्वारा ब्लॉक स्तर पर स्थित भण्डार गृहों के माध्यम से कृषकों को की जाती है। तद्नुसार, वर्ष 2011–14 की अवधि में, कृषि निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम को विभिन्न फसलों के 14,48,765 कुन्तल[39] बीजों की आपूर्त्ति हेतु आपूर्ति आदेश निर्गत किये गये थे। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा उनकी आपूर्त्ति की गई एवं एक्स–प्लांट मूल्य पर 4.25 प्रतिशत की दर से ₹ 11.99 करोड़ वितरक कमीशन के साथ कुल ₹ 626.33 करोड़ के बीजक प्रस्तुत किये गये। कृषि निदेशालय ने इस तथ्य की उपेक्षा करते हुये कि कृषि निदेशालय द्वारा स्वयं कृषकों को बीज वितरित किये गये थे, 2011 से 2014 की अवधि में उक्त बीजकों का भुगतान कर दिया जिसमें ₹ 11.99 करोड़ वितरक कमीशन सम्मिलित था। विविध बीजों का क्रय (2011–14) एवं उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम को भुगतान किये गये वितरक कमीशन का वर्षवार विवरण ***परिशिष्ट 3.4*** में दिया गया है।

इस प्रकार, वर्ष 2011–14 की अवधि में गैर अनुमन्य वितरक कमीशन दिए जाने से उत्तर प्रदेश बीज निगम को ₹ 11.99 करोड़ की अनुचित सहायता दी गई।

उत्तर में शासन द्वारा वितरक कमीशन के भुगतान को इस आधार पर न्यायसंगत ठहराया गया (नवम्बर 2014) कि उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा बीज विधायन, बीजों की टैगिंग/पैकिंग, भण्डार क्षति निदान के उपायों तथा बीजों के क्रय हेतु व्यावसायिक बैंकों से लिये गये ऋणों पर ब्याज के भुगतान इत्यादि पर व्यय वहन करना पड़ता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बीजों के एक्स–प्लांट मूल्य में उपरोक्त व्यय पहले ही शामिल थे। वार्ता (नवम्बर 2014) के दौरान भी शासन द्वारा पुनः उपरोक्त उत्तर को दोहराया गया।

[38] निगम द्वारा विविध मद जैसे बीज उत्पादकों की कीमत भुगतान, बीज विधायन प्रभार आदि (एक्स–प्लांट लागत) तथा प्रशासनिक व्ययों को शामिल करते हुये बीजों की लागत मूल्य का निर्धारण किया जाता है। जब लागत मूल्य में जोखिम की संभावना, वितरक का कमीशन एवं परिवहन व्यय जोड़ दिये जाने पर एक्स–स्टोरेज डिपो लागत निर्धारित होती है।

[39] 2011–12: 6,84,864 कुन्तल, 2012–13: 7,37,076.50 कुन्तल एवं 2013–14: 26,824 कुन्तल।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

3.3.2 ₹ 23.64 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय, भारत सरकार के समान 15 प्रतिशत छूट का मानक न अपनाए जाने के कारण, विभागीय विज्ञापनों के प्रकाशन में ₹ 23.64 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–पाँच (भाग–1)[40] में प्रावधानित है कि शासकीय धन के व्यय में एक लोक सेवक द्वारा वही सजगता बरती जानी चाहिए जैसे कि एक सामान्य विवेक सम्मत व्यक्ति अपने निजी धन के व्यय में बरतता है।

अन्य निकाय/प्राधिकरण/अभिकरण के मानको को अपनाए जाते समय शासन के हित मे लाभकारी प्रावधान को अपनाया जाना चाहिए।

शासन द्वारा विभागीय विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु दिशा–निर्देश[41] निर्गत किये गये (दिसम्बर 2003)। दिशा–निर्देशो के अनुसार, शासकीय विभागो के विज्ञापन, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (निदेशालय) के माध्यम से विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर, समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराया जाना था। साथ ही, यह भी प्रावधानित किया गया था कि ऐसे समाचार–पत्र जिनके प्रकाशन की दरें विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, उनको राज्य सरकार के सूचना विभाग के साथ सूचीबद्ध माना जायेगा किन्तु भारत सरकार के मंत्राालय/विभागो, अन्य ग्राहक संगठनो के विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय, भारत सरकार के माध्यम से प्रकाशित होने वाले विज्ञापनो के सापेक्ष उनको प्रदान की जा रही 15 प्रतिशत छूट का मानक राज्य सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

निदेशालय के अभिलेखो की जाँच (मई 2013) में एवं अग्रेतर संकलित सूचना (मई 2014) में पाया गया कि विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर उत्तर प्रदेश राज्य के शासकीय विभागो के विज्ञापनो के सीधे समाचार–पत्रो में अथवा प्राइवेट एजेन्सियों के माध्यम से प्रकाशन का उत्तरदायित्व निदेशालय का है। विज्ञापनो के प्रकाशन के पूर्व, प्रकाशन की तिथि, समाचार–पत्र का नाम, भाषा, स्थान तथा वर्ग सेन्टीमीटर मे निर्धारित स्थान आदि के साथ शासकीय विभागो के वर्गीकृत विज्ञापनो के प्रकाशन हेतु पैनल मे सूचीबद्ध समाचार–पत्रों एवं प्राइवेट विज्ञापन एजेन्सियों के पक्ष में सीधे स्वीकृत आदेश निर्गत किया जाता है। विज्ञापन के प्रकाशन के उपरान्त सम्बन्धित प्रकाशक/एजेन्सी द्वारा देयक तैयार कर निदेशालय को प्रस्तुत किया जाता है। विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराए जाने पर शासकीय विभागों के विज्ञापनों के प्रकाशन पर विभागो को 15 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है जिसका लाभ लिए बिना ही निदेशालय द्वारा विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय की पूरी दर पर प्रकाशक/एजेन्सी को भुगतान किया गया था।

अग्रेतर, जाँच मे पाया गाया कि निदेशालय द्वारा वर्ष 2008–14 की अवधि में विभागीय वर्गीकृत विज्ञापनों के प्रकाशन पर समाचार–पत्र प्रकाशको और प्राइवेट विज्ञापन एजेन्सियों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय की पूर्ण दरों पर

[40] प्रस्तर 169।

[41] शासनादेश संख्या 2130/19–1–2003–89/2001 दिनांक 18 दिसम्बर 2003।

₹ 157.60 करोड़[42] का भुगतान किया गया। निदेशालय द्वारा विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय, भारत सरकार के समान 15 प्रतिशत छूट प्राप्त करने के लिए समाचार–पत्र प्रकाशको एवं प्राइवेट विज्ञापन एजेन्सियों से समझौता करने के स्थान पर समाचार–पत्र प्रकाशको एवं प्राइवेट विज्ञापन एजेन्सियों के दावों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय की पूर्ण दरों पर भुगतान किये जाने के फलस्वरूप ₹ 23.64 करोड़[43] का अतिरिक्त व्यय किया गया ।

इस प्रकार, विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय के 15 प्रतिशत छूट के मानक की उपेक्षा करने एवं निदेशालय द्वारा विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय की पूर्ण दरों पर भुगतान करने के परिणामस्वरूप ₹ 23.64 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

शासन द्वारा उत्तर मे (सितम्बर 2014) बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दिशा–निर्देशों के अनुसार शासकीय विभागों के विज्ञापन, सूचीबद्ध प्रकाशकों/एजेन्सियों के माध्यम से विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय की पूर्ण दरों पर, बिना 15 प्रतिशत छूट प्राप्त किये, प्रकाशित कराये गये थे। यह भी बताया गया कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयो/विभागो के संदर्भ में विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय एक सेवा प्रदाता एजेन्सी है जबकि शासकीय विज्ञापनो के प्रकाशन हेतु राज्य सरकार द्वारा निदेशालय को वार्षिक बजट उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार, विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय एवं निदेशालय के मध्य तुलना करना उचित नही था।

उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि निदेशालय द्वारा विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय के समान ही प्रकाशकों/एजेन्सियों को सूचीबद्ध किया गया था एवं प्रकाशकों/एजेन्सियों को भुगतान के लिए भी विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय की दरों को भी विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय के 15 प्रतिशत छूट के मानक का संज्ञान लिए बिना ही अंगीकार किया गया था। अग्रेतर, प्राइवेट विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा अपने राजस्व के रूप में ग्राहको से वसूली गयी 15 प्रतिशत धनराशि के समान ही विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय द्वारा 15 प्रतिशत कमीशन की राशि प्रभारित करता है जो अंततः सम्बन्धित मंत्रालयो/विभागो को वापस कर दी जाती है। अतः राज्य सरकार/निदेशालय को भी कमीशन के स्थान पर 15 प्रतिशत छूट प्राप्त करना चाहिए था। इससे स्पष्ट था कि भारत सरकार की प्रणाली को स्वीकार नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.64 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

वार्ता में (नवम्बर 2014), शासन द्वारा बताया गया कि विभाग को सेवा प्रदाता इकाई के रूप में मान्यता प्रदान किये जाने/चिन्हीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

[42] ₹ 151.46ः करोड़ पब्लिशिंग हाउसेस एवं ₹ 6.14 करोड़ः प्राइवेट विज्ञापन एजेन्सी।
[43] 157.60 (151.46+6.14) करोड़ का 15 प्रतिशत।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

3.3.3 परिहार्य व्यय

5000 किलोवाट पर माँग प्रभार के रूप में ₹ 2.10 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया अन्यथा उसी अवधि हेतु ₹ 53 लाख का व्यय होता।

राज्य बजट मैनुअल के अध्याय–नौ के अनुसार व्ययाधिकारी से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक धन के व्यय के संदर्भ में भी उतनी ही सतर्कता बरते जितना कि सामान्य विवेकसम्मत व्यक्ति अपने निजी धन के व्यय के संदर्भ में बरतता है।

शासन ने ₹ 388.20 करोड़[44] की आकलित एवं पुनरीक्षित लागत से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जालौन स्थित उरई के निर्माण की स्वीकृति दी (अगस्त 2006) एवं निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को दिसम्बर 2009 तक पूर्ण करने के लिए सौंपा (अगस्त 2006) गया ।

प्रधानाचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जालौन (उरई) के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2013) में पाया गया कि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को वर्ष 2006–13 की अवधि में ₹ 331.83 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने सितम्बर 2006 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किये तथा दिसम्बर 2009 तक मात्र 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ था। शेष 30 प्रतिशत कार्य शासन द्वारा वर्ष 2010–11 तथा वर्ष 2011–12 में धनराशि अवमुक्त न करने के कारण अपूर्ण था।

अग्रेतर जाँच (मार्च 2013) में पाया गया कि चिकित्सा महाविद्यालय एवं परिसर के अन्य भवनों में विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, कानपुर द्वारा 7,142.32 किलोवाट के विद्युत संयोजन का प्राक्कलन तैयार किया गया एवं अनुमोदन हेतु दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को प्रस्तुत किया गया (अक्टूबर 2008)। प्रबंध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, झाँसी ने फरवरी 2009 में 5,000 किलोवाट के विद्युत संयोजन को स्वीकृति दी एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वितरण खण्ड, जालौन को ₹ 1.49 करोड़ जमा किये (फरवरी 2009)। चूँकि निर्माण कार्य अपूर्ण था एवं चिकित्सा महाविद्यालय संचालित नहीं हुआ था, अतः उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने अधिशासी अभियंता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उरई को विद्युत भार घटाकर 1,000 किलोवाट करने हेतु आवेदन (मई 2009) इस आधार पर किया कि 1,000 किलोवाट विद्युत भार ही पर्याप्त था। हालांकि, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने आवेदन की उपेक्षा करते हुए चिकित्सा महाविद्यालय को विद्युत आपूर्ति करना आरम्भ किया (जनवरी 2010) एवं बिल 5,000 किलोवाट के लिए प्रेषित किया। प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा पुनः आवेदन किये जाने (सितम्बर 2010 से जून 2012) पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भार घटाकर 1,000 किलोवाट करने के लिए सहमत हुआ (अक्टूबर 2012) एवं प्रधानाचार्य को नये अनुबंध गठन करने एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को बताया गया। हालांकि, प्रधानाचार्य द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं 5,000 किलोवाट हेतु ₹ 2.63 करोड़ (जनवरी 2010 से अप्रैल 2013) माँग प्रभार के रूप में भुगतानित किया गया जो अन्यथा 1,000 किलोवाट हेतु ₹ 53 लाख होता।

[44]सिविल कार्यः ₹ 299.56 करोड़, विद्युत कार्य : ₹ 88.64 करोड़।

इस प्रकार, चिकित्सा महाविद्यालय के भवन के अपूर्ण रहने एवं प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय की शिथिलता के कारण जनवरी 2010 से अप्रैल 2013 की अवधि हेतु स्वीकार्य पर माँग प्रभार के रूप में ₹ 53 लाख के स्थान पर ₹ 2.10 करोड़ का व्यय किया गया।

शासन ने वार्ता (नवम्बर 2014) में तथ्यों एवं आंकड़ों तथा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

3.3.4 निरर्थक व्यय

अनौचित्यपूर्ण प्रतिधारक दीवार के निर्माण के फलस्वरूप ₹ 17.17 करोड़ का निरर्थक व्यय।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल[45] के अनुसार व्यय प्रथम दृष्टया अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिये। प्रत्येक सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके नियंत्रणाधीन लोक धनराशि में से व्यय करते समय वह वही सावधानी बरतेगा जो सामान्य विवेक सम्मत व्यक्ति निजी धन को खर्च करने में बरतता है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर/अक्टूबर 2013) में पाया गया कि शारदा सहायक फीडर चैनल के दाहिने किनारे पर मोहनलालगंल–गोसाईगंज मार्ग पर स्थित जिला कारागार, आदर्श कारागार एवं नारी बंदी निकेतन तथा उनके कैदियों की नहर कटान से सुरक्षा हेतु प्रमुख सचिव, गृह और पुलिस महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें ने सिंचाई विभाग से शारदा सहायक फीडर चैनल के क्षतिग्रस्त दायें किनारे को सुदृढ़ करने का अनुरोध किया (अक्टूबर/दिसम्बर 2008)। परन्तु, सिंचाई विभाग द्वारा प्रमुख सचिव एवं पुलिस महानिरीक्षक के अनुरोध के विपरीत केवल दायें किनारे पर प्रतिधारक दीवार बनाने के स्थान पर नहर के दोनों किनारों पर किमी 161.400 से किमी 164.200 तक ₹ 43.85 करोड़ की लागत से प्रतिधारक दीवार बनाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया (अक्टूबर 2009) गया। व्यय–वित्त समिति द्वारा ₹ 43.51 करोड़ की लागत से परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गयी (जुलाई 2010)। राज्य सरकार द्वारा भी उसी धनराशि पर परियोजना को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (नवम्बर 2010)। मुख्य अभियन्ता, शारदा सहायक, लखनऊ द्वारा इस कार्य हेतु ₹ 43.45 करोड़ लागत के आगणन की स्वीकृति प्रदान की गयी (जनवरी 2011)। प्रथम चरण में खण्ड द्वारा किमी 161.400 से 164.200 तक नहर के दाये किनारे पर प्रतिधारक दीवार बनाने का कार्य वर्ष 2010–11 में प्रारम्भ किया गया और धनराशि ₹ 23.90 करोड़ व्यय के उपरान्त वर्ष 2011–12 में इसे पूर्ण किया गया।

तदोपरान्त, अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत्त सिंचाई कार्य, लखनऊ द्वारा नहर के बाये किनारे पर प्रतिधारक दीवार बनाने हेतु कार्य आरम्भ एवं समापन की तिथि क्रमशः 18 मार्च 2013 एवं 17 अगस्त 2013 निर्धारित करते हुए दो अनुबन्ध[46] गठित किये गये। उक्त अनुबन्धों के सापेक्ष ₹ 17.17 करोड़[47] की धनराशि के व्ययोपरान्त दोनो अनुबन्ध/कार्य पूर्ण किये गये (मार्च 2014)। लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि प्रमुख

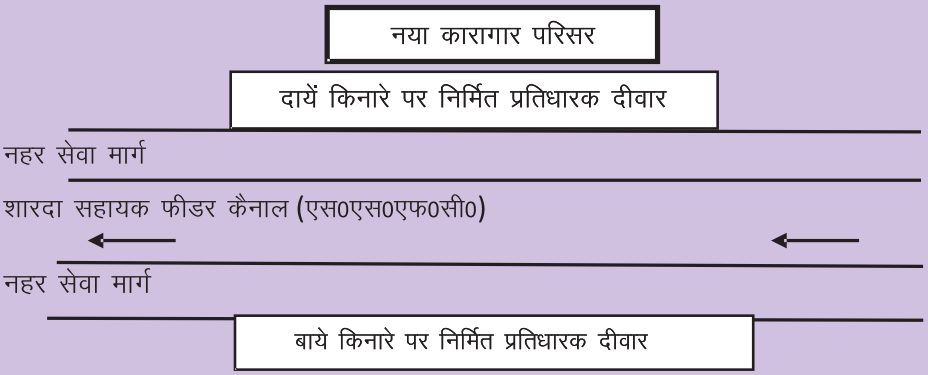
[45] प्रस्तर 12(iii)I।

[46] अनुबन्ध संख्या–81 तथा 82/एसई–XII/2012–13 दिनांक 18.03.2013 क्रमशः किमी 162.580 से किमी 163.390 तथा किमी 163.390 से किमी 164.200 तक।

[47] ₹ 9.81 करोड़ तथा ₹ 7.36 करोड़ क्रमशः अनुबन्ध संख्या 81 एवं 82/एसई–XII/2012–13 के सापेक्ष।

सचिव एवं महानिरीक्षक के अनुरोध के अनुसार नहर के बाये किनारे पर प्रतिधारक दीवार बनाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि नहर के दायें किनारे पर स्थित जिला कारागार, आदर्श कारागार और नारी बंदी निकेतन एवं उसके अन्दर रहने वाले कैदियों की शारदा सहायक फीडर चैनल में दरार से सुरक्षा के आधार पर ही परियोजना के प्रस्ताव को तैयार किया गया था। अतः नहर के बाये किनारे पर प्रतिधारक दीवार बनाने का न तो उपयोगकर्ता विभाग द्वारा अनुरोध किया गया था और न ही इसकी आवश्यकता थी। इस प्रकार, शारदा सहायक फीडर चैनल के बाये किनारे पर प्रतिधारक दीवार (जैसा कि नीचे दर्शाया गया है) बनाने का कार्य औचित्यपूर्ण नहीं था और इस पर किया गया ₹ 17.17 करोड़ की धनराशि का व्यय निरर्थक रहा।

प्रतिधारक दिवारों का चित्रात्मक प्रदर्शन



(माप के अनुसार नही)

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर 2013) कि कार्य का प्रस्ताव शासन स्तरीय एवं सक्षम प्राधिकारियों की बैठक के दौरान लिये गये निर्णय के आधार पर बनाया गया था, जो नहर की सुरक्षा हेतु आवश्यक था। केवल दायें किनारे पर प्रतिधारक दीवार बनाने से नहर का बायाँ किनारा असुरक्षित हो जाता। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि क्षतिग्रस्त शारदा सहायक फीडर चैनल के दाँये किनारे पर स्थित नव निर्मित लखनऊ जनपद के कारागार परिसर को नहर के दाँये किनारे के टूटने की स्थिति में सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कारागार विभाग के अनुरोध के क्रम में परियोजना का क्रियान्वयन किया गया था। इस प्रकार, बाँये किनारे पर प्रतिधारक दीवार बनाने का प्रस्ताव एवं क्रियान्वयन वित्तीय औचित्य के सिद्वान्तों के विपरीत था जिसके फलस्वरूप ₹ 17.17 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, क्षतिग्रस्त नहर के सुदृढ़ीकरण का प्रकरण पुलिस महानिरीक्षक के अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में सुलझाया नही जा सका।

वार्ता (नवम्बर 2014) में शासन ने तथ्यों और आंकड़ों को स्वीकार करते हुए बताया कि बायें किनारे पर सुरक्षात्मक दीवार का निमार्ण तकनीकी कारणों से किया गया। शासन का उत्तर सही नहीं था क्योंकि प्रमुख सचिव एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा कारागार की सुरक्षा कारणों से, क्षतिग्रस्त नहर के केवल दाहिने किनारे के बचाव हेतु अनुरोध किया गया था। यद्यपि, शासन द्वारा उल्लिखित तकनीकी कारणों की माँग की गयी है (नवम्बर 2014) जो दिसम्बर 2014 तक प्रतीक्षित थी।

लोक निर्माण विभाग

3.3.5 अनौचित्यपूर्ण व्यय

मार्ग के चौड़ीकरण में वेट मिक्स मैकेडम की अतिरिक्त मात्रा के बिछाने पर ₹ 1.64 करोड़ का अनौचित्यपूर्ण व्यय।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–छः के प्रस्तर 318 के अनुसार कार्य की तकनीकी स्वीकृति यह सुनिश्चित करती है कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से सही हैं तथा आगणन की गणनाएँ सटीक एवं समुचित आंकड़ों पर आधारित हैं। अग्रेतर, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्देशित (अक्टूबर 2007) है कि मार्ग के चौड़ीकरण वाले भाग में क्रस्ट की मोटाई, मार्ग के कैरेजवे की विद्यमान क्रस्ट मोटाई के समान होनी चाहिये।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कानपुर के अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2011) एवं संकलित सूचना (मार्च 2013 एवं फरवरी 2014) में उद्घटित हुआ कि व्यस्ततम समय में यातायात सघनता को कम करने हेतु कानपुर–हमीरपुर–सागर मार्ग के किमी 3.500 से 7.450 (लम्बाई 3.950 किमी) के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागत, ₹ 21.45 करोड़ की, प्रदान (मार्च 2010) की गयी थी। मुख्य अभियन्ता, कानपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग द्वारा समान लागत की तकनीकी स्वीकृति जून 2010, में प्रदान की गयी थी। कार्य निष्पादन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर वृत्त, कानपुर द्वारा मेसर्स इन्डियन इन्फ्रा बिल्ट प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर के साथ ₹ 18.59 करोड़ की लागत का एक अनुबंध संख्या 14/एसई–के वी/2010–11 दिनांक जुलाई 2010 में गठित किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कानपुर शहर के औद्योगिक महत्व एवं व्यस्ततम समय में यातायात सघनता को कम करने के आशय से 3.950 किमी लम्बे (किमी 3.500 से 7.450) कानपुर–हमीरपुर–सागर मार्ग की विद्यमान चौड़ाई 7 मीटर को 16 मीटर किया जाना था। जाँच में पाया गया कि विस्तृत आगणन के प्रतिवेदन एवं क्रस्ट डिजाइन (विस्तृत आगणन के साथ संलग्न) के अनुसार कैरेजवे की विद्यमान सतह 50 सेमी (45 सेमी वाटर बाउन्ड मैकेडम एवं 5 सेमी बिटुमिनस मैकेडम) मोटी थी जिसे चौड़ीकरण वाले भाग में 20 सेमी ग्रेनुलर सबबेस एवं 30 सेमी वेट मिक्स मैकेडम के साथ मार्ग के पूरी 16 मीटर चौड़ाई में 7.5 सेमी बिटुमिनस मैकेडम एवं 2.5 सेमी सेमी–डेन्स बिटुमिनस मैकेडम बिछाकर 60 सेमी तक बढ़ाया जाना था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि मार्ग के चौड़ीकरण वाले भाग में (10,665 घनमीटर) एवं इण्टर–लाकिंग सीमेंट ब्लाक पटरी के नीचे वाले भाग में (3,258.75 घनमीटर) वेट मिक्स मैकेडम की आवश्यक मात्रा 13,923.75 घनमीटर के सापेक्ष आगणन में 24,588.75 घनमीटर का प्रावधान किया गया जिसमें मार्ग के चौड़ीकरण वाले भाग की दुगुनी वेट मिक्स मैकेडम मात्रा (21,330 घनमीटर) सम्मिलित थी। अग्रेतर, वेट मिक्स मैकेडम कार्य मद की आवश्यक 13,923.75[48] घनमीटर मात्रा के सापेक्ष 21,993.365 घनमीटर वेट मिक्स मैकेडम का कार्य सम्पादित कराया गया जिसमें चौड़ीकरण वाले भाग में त्रुटिपूर्ण रूप से बढायी गयी मात्रा भी सम्मिलित थी। वेट मिक्स मैकेडम की आवश्यक मात्रा 13,923.75 घनमीटर के सापेक्ष, 8,069.615[49] घनमीटर

[48] चौड़ीकरण वाले भाग में 10,665 घनमीटर + इण्टर–लाकिंग सीमेंट ब्लाक पटरी वाले भाग में 3,258.75 घनमीटर= 13,923.75 घनमीटर।

[49] सम्पादित एवं भुगतानित 21,993.365 घनमीटर मात्रा (–) आवश्यक 13,923.75 घनमीटर मात्रा = 8,069.615 घनमीटर।

अधिक कार्य मात्रा के लिए ठेकेदार को ₹ 1.64[50] करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया (मार्च 2014)।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2014) कि वेट मिक्स मैकेडम की मात्रा टाइपिंग त्रुटि के कारण स्वीकृत विस्तृत आगणन में दुगुनी हो गयी थी जबकि वास्तविक मात्रा 10,665 घनमीटर होनी चाहिए थी एवं तद्नुसार, चौड़ीकरण कार्य कराया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि माप पुस्तिका के अनुसार स्वीकृत विस्तृत आगणन एवं अनुबन्ध में त्रुटिपूर्ण रूप में बढ़ायी गयी वेट मिक्स मैकेडम कार्य मद की मात्रा के अनुसार ही माप 8,069.615 घनमीटर वेट मिक्स मैकेडम के अधिक कार्य का सम्पादन एवं भुगतान किया गया था। इस प्रकार ₹ 1.64 करोड़ का अनौचित्यपूर्ण व्यय किया गया था।

वार्ता (नवम्बर 2014) में शासन द्वारा स्वीकार किया गया कि स्वीकृत विस्तृत आगणन में वेट मिक्स मैकेडम की मात्रा त्रुटिपूर्ण रूप में दुगुनी हो गयी थी तथा इसके अधिक प्रावधान/सम्पादन के सम्बन्ध में जाँचोंपरान्त उत्तरदायित्व निर्धारण किया जायेगा।

3.3.6 व्ययाधिक्य

मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में टिपर की अधिक दर के प्रावधान के कारण ₹ 3.18 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के परिपत्र (सितम्बर 2008) के अनुसार, विभिन्न कार्यमदों की दर का विश्लेषण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित स्टैण्डर्ड डाटा बुक में प्रावधानित दरों के अनुसार किया जाना चाहिए तथा मशीनरी हेतु, 2001–02 को आधार वर्ष मानते हुए प्रति वर्ष पाँच प्रतिशत की मूल्य वृद्धि अनुमन्य है। स्टैण्डर्ड डाटा बुक (2003) के अनुसार वर्ष 2001–02 में टिपर[51] की दर ₹ 1.74 प्रति टन–प्रति किमी निर्धारित थी।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2013) में पाया गया कि शासन द्वारा हिन्दुवारी (जनपद सोनभद्र) से मड़िहान (जनपद मिर्जापुर) तक लुम्बिनी–दुद्धी मार्ग (किमी 343.00 से 387.50) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु ₹ 87.37 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान (दिसम्बर 2008) की गयी थी। मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य के विस्तृत आगणन पर प्राविधिक स्वीकृति (मई 2009) प्रदान की गयी। अधीक्षण अभियन्ता, मिर्जापुर वृत्त ने कार्य निष्पादन हेतु जनवरी 2009 में ₹ 41.50 करोड़ की लागत का अनुबंध[52] गठित किया।

आगणन की जाँच में पाया गया कि ग्रेनुलर सब–बेस, वेट मिक्स मैकेडम, डेन्स बिटुमिनस मैकेडम एवं बिटुमिनस कंक्रीट के बिछाए जाने के लिए टिपर की दर, उस वर्ष हेतु स्टैण्डर्ड डाटा बुक (2003) में प्रावधानित दर ₹ 1.74[53] प्रति टन–प्रति किमी के स्थान पर ₹ 3.35[54] प्रति टन–प्रति किमी प्रावधानित की गयी। तद्नुसार, विभाग द्वारा

[50] 8,069.615 घनमीटर X ₹ 1,965 = ₹ 1,58,56,793.47 + ₹ 5,09,003.07 (3.21 प्रतिशत प्रीमियम) = ₹ 1,63,65,796.54 = ₹ 1.64 करोड़, बिल संख्या 24/एफ, बीजक संख्या 24, दिनांक 07.03.2014 द्वारा भुगतानित।

[51] एक मशीन जिसका उपयोग मिट्टी, ग्रेनुलर सब–बेस, वेट मिक्स मैकेडम, डेन्स बिटुमिनस मैकेडम एवं बिटुमिनस कंक्रीट के मिश्रण की ढुलाई हेतु किया जाता है।

[52] अनुबंध संख्या 69/एसई–एमसी/2008–09 दिनांक 19.01.2009 मेसर्स छात्रशक्ति कान्स्ट्रक्शन कम्पनी के साथ लागत ₹ 41,49,97,878.00 (0.25 प्रतिशत कम दर पर) का आगणित लागत ₹ 41,60,32,973.00 (बिटुमिन की लागत को छोड़कर) के विरूद्ध।

[53] टिपर की दर ₹ 1.74 X 35 प्रतिशत वृद्धि (2001–02 को आधार वर्ष मानते हुये) = ₹ 2.35।

[54] टिपर की दर ₹ 3.35 X 29 प्रतिशत वृद्धि = ₹ 4.32।

ग्रेनुलर सब–बेस, वेट मिक्स मैकेडम, डेन्स बिटुमिनस मैकेडम एवं बिटुमिनस कंक्रीट कार्यमद में टिपर की यूजेज दर क्रमशः ₹ 130.74, ₹ 143.82, ₹ 150.86 एवं ₹ 154.01 प्रति घनमीटर के स्थान पर ₹ 240.53, ₹ 264.59, ₹ 277.54 एवं ₹ 283.35 प्रति घनमीटर ली गयी। इस प्रकार, स्टैण्डर्ड डाटा बुक (2003) एवं विभागीय परिपत्र (सितम्बर 2008) में निहित प्रावधानों के विरूद्ध, टिपर की बढ़ी हुई यूजेज दरों को अपनाए जाने के फलस्वरूप इन कार्य मदों के सम्पादन पर सितम्बर 2014 तक ₹ 3.18 करोड़ का अधिक व्यय किया गया ***(परिशिष्ट–3.5)***।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर (जनवरी 2013) में बताया कि टिपर की यूजेज दरें प्रमुख अभियन्ता के परिपत्र (जनवरी 2006) के आधार पर अपनायी गयीं। उत्तर सही नहीं था क्योंकि प्रमुख अभियन्ता का संदर्भित परिपत्र (जनवरी 2006) विभागीय कार्यो में प्रयोग होने वाली मशीनरी के यूजेज दरों से संम्बन्धित था, न कि, ऐसे कार्य जिनकी कार्य मदों की दर विश्लेषण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के स्टैण्डर्ड डाटा बुक के आधार पर किया गया हो। इस प्रकार, ग्रेनुलर सब–बेस, वेट मिक्स मैकेडम, डेन्स बिटुमिनस मैकेडम एवं बिटुमिनस कंक्रीट की दरें जिन्हे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के स्टैण्डर्ड डाटा बुक के आधार पर विश्लेषित किया गया था, में टिपर की दरें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के स्टैण्डर्ड डाटा बुक (2003) एवं प्रमुख अभियन्ता के परिपत्र (सितम्बर 2008) के आधार पर विश्लेषित की जानी चाहिए थी।

वार्ता (नवम्बर 2014) में शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया एवं जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया।

3.3.7 ₹ 5.54 करोड़ का परिहार्य व्यय

वेहिकल डैमेज फैक्टर का मान अधिक लिए जाने से मिलियन स्टैण्डर्ड एक्सिल की अधिक गणना के फलस्वरूप ₹ 5.54 करोड़ का परिहार्य व्यय।

इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टि[55] के अनुसार मार्ग पर एक्सिल लोड सर्वे कराये जाने के उपरान्त वेहिकल डैमेज फैक्टर का वास्तविक मान लिया जाना चाहिए परन्तु एक्सिल लोड की पर्याप्त सूचना उपलब्ध न होने एवं परियोजना के अन्तर्गत एक्सिल लोड सर्वे कराया जाना उचित न होने की दशा में विशिष्टि में प्रदत्त वेहिकल डैमेज फैक्टर का सांकेतिक[56] मान प्रयोग किया जाना चाहिए। अग्रेतर, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा मार्ग निर्माण के आगणन बनाए जाने में इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों को अपनाये जाने हेतु दिसम्बर 2005 में निर्देशित तथा सितम्बर 2008 में दोहराया गया।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2013) में पाया गया कि जनपद सोनभद्र में मुर्धवा–म्योरपुर–बभनी–चपकी–बीजपुर मार्ग[57] के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु शासन द्वारा ₹ 22.38 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (मार्च 2008) की गयी। मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी क्षेत्र द्वारा समान लागत की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (मई 2009) की गयी। अधीक्षण अभियन्ता, मिर्जापुर वृत्त, मिर्जापुर द्वारा

[55] आईआरसी 37–2001।
[56] प्रतिदिन वाणिज्यिक वाहनों की संख्या 0 से 150, 150–1500 एवं 1500 से अधिक के परिचालन पर क्रमशः 1.5, 3.5 व 4.5 वेहिकल डैमेज फैक्टर लिया जाना चाहिए।
[57] चैनेज 36.750 से 69.120 किमी।

मेसर्स छात्रशक्ति कन्सट्रक्शन कम्पनी, बलिया के साथ चार अनुबंध[58] गठित (मार्च 2008 से जुलाई 2008) किए गये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस मार्ग की प्रतिदिन वाणिज्यिक वाहनों की संख्या 126 एवं कैलीफोर्निया बियरिंग रेशियो मान सात प्रतिशत थी। खण्ड द्वारा मिलियन स्टैण्डर्ड एक्सिल की गणना में वेहिकल डैमेज फैक्टर का मान एक्सिल लोड सर्वे कराये बिना, इण्डियन रोड कांग्रेस के प्रावधानों के विरूद्ध, जिसमें प्रतिदिन वाणिज्यिक वाहनों की संख्या 0 से 150 हेतु वेहिकल डैमेज फैक्टर का मान 1.5 लिया जाना चाहिए, 3.5 लिया गया। उच्च वेहिकल डैमेज फैक्टर मान 3.5 के आधार पर मिलियन स्टैण्डर्ड एक्सिल 1.97 संगणित किया गया। परिणामस्वरूप, 400 मिमी[59] मोटी क्रस्ट डिजाइन की गयी। यदि वेहिकल डैमेज फैक्टर का मान 1.5 संज्ञान में लिया गया होता तो मिलियन स्टैण्डर्ड एक्सिल 'एक' होता। तद्नुसार डिजाइन की गयी क्रस्ट की मोटाई 375 मिमी होती जिसमें चौड़ीकरण वाले भाग में 150 मिमी ग्रेनुलर सबबेस एवं 150 मिमी वाटर बाउन्ड मैकेडम तथा पूरी चौड़ाई[60] में 75 मिमी वाटर बाउन्ड मैकेडम तथा 20 मिमी प्रीमिक्स कारपेट[61] की बिटुमिनस सतह होती।

इस प्रकार, इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों के अनुसार जिसमें एक्सिल लोड सर्वे के अभाव में वेहिकल डैमेज फैक्टर का सांकेतिक मान 1.5 लिया जाना प्रावधानित है, के विपरीत वेहिकल डैमेज फैक्टर का मान 3.5 लिए जाने एवं फलस्वरूप उच्च मिलियन स्टैण्डर्ड एक्सिल के आगणन से क्रस्ट मोटाई की डिजाइन किया जाना, इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों के विपरीत था। इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण क्रस्ट संरचना के माध्यम से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पर अनावश्यक[62] एवं महँगी[63] बिटुमिनस सतह बिछाने पर ₹ 5.54 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया ***(परिशिष्ट–3.6)***।

उत्तर में एवं वार्ता (नवम्बर 2014) के दौरान शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की गयी तथा अवगत कराया गया कि मार्ग की प्रारम्भिक प्रतिदिन वाणिज्यिक वाहनों की संख्या 126 एवं मार्ग निर्माण के उपरान्त 145 आगणित था जो 150 प्रतिदिन वाणिज्यिक वाहनों की संख्या के निकट था तद्नुसार, अत्यधिक भारी वाणिज्यिक वाहनों के लोड के दृष्टिगत वेहिकल डैमेज फैक्टर का मान 3.5 लिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वास्ताविक एक्सिल लोड सर्वे नहीं कराया गया था जैसा कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकार (जनवरी 2014) किया गया। अतः इण्डियन रोड कांग्रेस विशिष्टि के अनुसार क्रस्ट संरचना में वेहिकल डैमेज फैक्टर का मान 1.5 लिया जाना चाहिए था।

[58] अनुबंध सख्या 42/एसई/दिनांक 29.03.2008, चैनेज 36.750 से 45.000 हेतु, 43/एसई/ दिनांक 23.06.2008, चैनेज 46.000 से 55.000 हेतु, 47/एसई/दिनांक 28.06.2008 चैनेज 56.000 से 65.000 हेतु, 49/एसई/दिनांक 01.07.2008 चैनेज 66.000 से 69.120 हेतु।

[59] ग्रेनुलर सबबेस – 150 मिमी, वाटर वाउन्ड मैकेडम – 150 मिमी, बिटुमिनस मैकेडम – 75 मिमी, तथा सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट – 25 मिमी।

[60] वर्तमान सतह को हटाकर।

[61] प्रीमिक्स कारपेट।

[62] आवश्यक 375 मिमी,के स्थान पर 400 मिमी, क्रस्ट लिया जाना।

[63] 20 मिमी प्रीमिक्स कारपेट के स्थान पर 75 मिमी बिटुमिनस मैकेडम व 25 मिमी सेमी डेन्स बटुमिनस कंक्रीट को किया जाना।

3.3.8 शासकीय क्षति

स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट में प्राईस एड्जस्टमेन्ट क्लाज के प्रावधान को अनौचित्य पूर्ण रूप में अंगीकार किए जाने से शासन को ₹ 2.13 करोड़ की क्षति।

वित्तीय हस्त–पुस्तिका खण्ड–पाँच (भाग–1) के प्रस्तर 169 के अनुसार शासकीय अधिकारी से शासकीय कार्यो सम्बन्धी संव्यवहारों में शासकीय धनराशियों के व्यय करते समय वही सजगता बरते जाने की अपेक्षा है जैसा कि एक सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति निजी धन के व्यय में बरतता है।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर की लेखापरीक्षा (जून 2013) में पाया गया कि शासन द्वारा केन्द्रीय मार्ग निधि के अंतर्गत इण्टर–स्टेट कनेक्टिविटी योजना के अधीन बिलासपुर–मिलक मार्ग के किमी 0.000 से 33.125 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु लागत ₹ 35.50 करोड़ की स्वीकृति प्रदान (नवम्बर 2010) की गयी। मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए गये विस्तृत आगणन जिसमें सामग्री, श्रम इत्यादि की दरों में वृद्धि विषयक मूल्य समायोजन क्लाज का प्रावधान सम्मिलित नहीं था, पर समान लागत की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (नवम्बर 2010) की गयी। अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रामपुर ने विस्तृत आगणन पर मुख्य अभियन्ता द्वारा तकनीकी स्वीकृति (नवम्बर 2010) प्रदान किए जाने के पूर्व ही निविदायें आमंत्रित की (जून 2010) तथा स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट पर आधारित एक अनुबंध[64] गठित (नवम्बर 2010) किया जिसमें प्राइस एड्जस्टमेंट क्लाज सम्मिलित था। कार्य मई 2012 में पूर्ण कर लिया गया एवं सम्पादित कार्य के सापेक्ष ठेकेदार को कुल ₹ 31.94[65] करोड़ का अंतिम भुगतान किया (मार्च 2013) गया। अग्रेतर, अनुबंध की शर्तो एवं नियमों के अनुसार सामग्री, श्रम इत्यादि की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप ठेकेदार को ₹ 2.13 करोड़[66] की धनराशि का भुगतान (जनवरी 2013) मूल्य समायोजन हेतु किया गया।

अग्रेतर, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ एवं अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर–खीरी वृत्त द्वारा संकलित सूचना (मई 2014) से ज्ञात हुआ कि इण्टर–स्टेट कनेक्टिविटी योजना के अर्न्तगत चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के दो[67] अन्य कार्य भी स्वीकृति किए गये थे। इन दोनों कार्यो का सम्पादन, अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर–खीरी वृत्त, सीतापुर द्वारा स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट की शर्तो पर गठित अनुबन्धो[68], जिसमें प्राइस एड्जस्टमेंट क्लाज का प्रावधान सम्मिलित नहीं था, के माध्यम से कराया जा रहा था। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि स्थापित वित्तीय नियमों एवं शासकीय हितों के विपरीत अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त द्वारा प्राइस एड्जस्टमेंट क्लाज को अनौचित्यपूर्ण रूप में अंगीकार किए जाने से प्राइस एडजस्टमेंट के रूप में ठेकेदार को ₹ 2.13 करोड़[69] का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

[64] अनुबंध संख्या 12/एसई/2010–11 लागत ₹ 32,90,89,708.10 मेसर्स मथियान कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, मुजफ्फरनगर जिसकी कार्य प्रारम्भ व समापन तिथियॉ क्रमशः 22.11.2010 एवं 21.05.2012 थी।

[65] 15/अंतिम बिल, बाउचर संख्या 76 दिनांक 18.03.2013 , धनराशि ₹ 31,93,94,237.00।

[66] बीजक संख्या 72 दिनांक 31.01.2013।

[67] जॉब संख्या आईएससी–यूपी–2011–009, सिसैया–इसानगर–हसनपुर–कटौली मार्ग (लम्बाई 19.000 किमी) लागत ₹ 2,892.62 लाख एवं जाब संख्या आईएससी–यूपी–2011–010, हरगॉव–दतेली–पिपरझिला मार्ग (लम्बाई 17.700 किमी) लागत ₹ 3401.14 लाख।

[68] अनुबन्ध संख्या 118/एसई दिनांक 24.12.2011 एवं अनुबन्ध संख्या 40/एसई दिनांक 30.04.2013।

[69] नवम्बर 2010 एवं मार्च 2012 के मध्य।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जून 2013) कि कार्य केन्द्र पुरोनिधानित इण्टर–सेट कनेक्टिविटी योजना के अर्न्तगत स्वीकृत होने के कारण स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट की शर्तो पर गठित अनुबंध के आधार पर प्राइस एडजस्टमेंट का भुगतान किया गया है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त द्वारा मौलिक वित्तीय सिद्धान्तों के विपरीत प्राइस एडजस्टमेंट क्लाज को सम्मिलित करते हुए अनुबंध का गठन किया गया था। अग्रेतर, उसी योजना में स्वीकृत दो अन्य कार्यो के सम्पादन हेतु, अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर–खीरी वृत्त द्वारा गठित किए गये अनुबंधों में स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के अर्न्तगत प्राइस एडजस्टमेंट क्लाज को अंगीकार नहीं किया गया था।

इस प्रकार, स्थापित वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित न किए जाने एवं प्राइस एडजस्टमेंट क्लाज के अनौचित्यपूर्ण रूप में अंगीकार किए जाने से ठेकेदार को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ था तथा शासन को ₹ 2.13 करोड़ की क्षति हुयी थी।

वार्ता (नवम्बर 2014) में शासन ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए लेखापरीक्षा में इंगित आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के कार्यो के सम्पादन हेतु गठित अनुबंधो में शर्तो की एकरूपता सुनिश्चित किए जाने हेतु शीघ्र निर्देश निर्गत किए जाने का आश्वासन दिया।

3.3.9 निष्फल व्यय

इण्डियन रोड कांग्रेस विशिष्टियों का अनुपालन सुनिश्चित न किए जाने के फलस्वरूप ₹ 2.98 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टि[70] की धारा 404.1.2 के अनुसार बाउन्ड मैकेडम एवं विद्यमान बिटुमिनस सतह के मध्य एकत्रित होने वाले पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना मार्ग के विद्यमान काली सतह पर वाटर बाउन्ड मैकेडम बिछाए जाने का प्रावधान वांछनीय नहीं है। अग्रेतर, धारा 404.3.1 के अनुसार जहाँ तक सम्भव हो, मार्ग की विद्यमान बिटुमिनस सतह पर वाटर बाउन्ड मैकेडम बिछाए जाने से बचना चाहिए क्योंकि यह पेवमेंट के दोनों सतहों के इण्टरफेस पर आंतरिक जल–निकासी की समस्या उत्पन्न करेगा।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2012 एवं सितम्बर 2013) में पाया गया कि शासन द्वारा राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत मुजफ्फरनगर–सहारनपुर मार्ग के चैनेज किमी 17 से 59 (कुल 42.800 किमी) तक के भाग की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु ₹ 34.15 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (दिसम्बर 2010) की गयी। मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य के विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (फरवरी 2011) की गयी। कार्य के स्वीकृत विस्तृत आगणन में मार्ग के चैनेज किमी 28 से 59 के मध्य इण्डियन रोड कांग्रेस विशिष्टियों के विपरीत समुचित ड्रैनेज प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित किये बिना ही 75 मिमी वाटर बाउन्ड मैकेडम को मार्ग की विद्यमान बिटुमिनस सतह पर बिछाए[71] जाने का प्रावधान किया गया था। अधीक्षण अभियन्ता, सहारनपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य सम्पादन हेतु एक अनुबंध[72] गठित

[70] सड़क एवं सेतु निर्माण कार्यो की विशिष्टियाँ (2001)।

[71] आगणन में 75 मिमी ग्रेनुलर सबबेस (जी–3), 50 मिमी बिटुमिनस मैकेडम, 100 मिमी डेन्स बिटुमिनस मैकेडम एवं 40 मिमी बिटुमिनस कंक्रीट का प्रावधान किया गया था।

[72] 12/एसई/2010–11 दिनांक 23.02.2011, मेसर्स गोडविन इंजीनियर्स एवं कान्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद के साथ लागत ₹ 24,10,12,549.94 , चैनेज किमी 28.000 से 59.000।

किया गया जिसके कार्य प्रारम्भ व समापन की तिथियाँ क्रमशः फरवरी 2011 व मई 2012 थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा सात[73] किमी के चैनेज में डेन्स बिटुमिनस मैकेडम स्तर तक कार्य कराया गया। अक्टूबर 2014 तक इस कार्य पर ₹ 2.98 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी थी ***(परिशिष्ट–3.7)***। कार्य सम्पादन की अवधि में, इस सात किमी में 75 मिमी वाटर बाउन्ड मैकेडम के ऊपर बिछायी गयी बिटुमिनस सतह एवं कुछ स्थानों पर वाटर बाउन्ड मैकेडम भी क्षतिग्रस्त हो गयी। अनुबंध की शर्तों के पालन में विफलता, सम्पादित कार्य के क्षतिग्रस्त होने, अनुबंध के अनुसार माइल–स्टोन[74] प्राप्त करने में विफल रहने तथा कार्य–सारिणी उपलब्ध न कराने के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुबंध निरस्त (अक्टूबर 2011) कर दिया गया। इस अवधि में प्रकरण उच्च स्तरीय तकनीकी समिति को संदर्भित किया गया जिसने अपनी बैठक (सितम्बर 2011) में यह अभिलिखित किया कि मुख्य अभियन्ता द्वारा इस सात किमी में विद्यमान बिटुमिनस सतह पर ग्रेनुलर लेयर का के प्रावधान ही मार्ग के क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण है। इस कारण, 9.4 किमी लम्बाई में विद्यमान बिटुमिनस सतह के उपर 75 मिमी ग्रेनुलर सबबेस के पुराने प्रावधान को उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया एवं पुरानी बिटुमिनस सतह को उखाड़कर उस पर वेट मिक्स मैकेडम, डेन्स–ग्रेडड बिटुमिनस मैकेडम एवं बिटुमिनस कंक्रीट बिछाए जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णित किया गया (सितम्बर 2011) कि इस सात किमी के क्षतिग्रस्त भाग में, पुरानी बिटुमिनस सतह को उखाड़ कर आवश्यक नान–बिटुमिनस मोटाई व वाटर बाउन्ड मैकेडम/बिटुमिनस मैकेडम/डेन्स–ग्रेडड बिटुमिनस मैकेडम बिछाये जाने का कार्य ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जाए। परन्तु, अनुबंध के निरस्त (अक्टूबर 2011) होने के कारण क्षतिग्रस्त भाग का कार्य ठीक नहीं कराया गया।

इस प्रकार, इण्डियन रोड कांग्रेस विशिष्टियों के विपरीत, बिना समुचित ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित किये अथवा नान–बिटुमिनस क्रस्ट के बिछाए जाने के पूर्व विद्यमान बिटुमिनस क्रस्ट को हटाए बिना, सात किमी के चैनेज में कार्य सम्पादन पर ₹ 2.98 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया। इसे मुख्य अभियन्ता एवं उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा भी स्वीकार (सितम्बर 2011) किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, अधिशासी अभियन्ता द्वारा उत्तर (सितम्बर 2013) में बताया गया कि विद्यमान बिटुमिनस सतह पर ग्रेनुलर सतह बिछाए जाने का प्रावधान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की द्वारा प्राप्त (जनवरी 2011) डिजाइन के आधार पर किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मार्ग निर्माण के सम्पादन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की द्वारा प्राप्त डिजाइन के सापेक्ष, इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियो के संगत, विभाग द्वारा समुचित ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अनुमोदित पद्धतियाँ नहीं अपनायी गयी। परिणामस्वरूप इण्डियन रोड कांग्रेस विशिष्टियों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने से ₹ 2.98 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया जैसा कि उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा भी इंगित किया गया था।

[73] किमी 43,49,50,51,52,55 एवं 56 ।

[74] अनुबंध के अनुसार माईल–स्टोन के आधार पर 6 करोड़ की लागत के कार्य के विपरीत दिनांक 30.05.2011 तक 1.5 करोड़ का कार्य सम्पादित कराया जाना एवं कार्य सारिणी उपलब्ध कराये जाने मे विफल रहना।

वार्ता (नवम्बर 2014) में शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए, लेखापरीक्षा आपत्ति के सापेक्ष दोषी अधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने का आश्वासन दिया गया।

3.4 निरीक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता

सरकार का यह कर्तव्य है कि वह लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारे जिसके लिये वह स्वास्थ्य, शिक्षा, अवस्थापनाओं के विकास एवं उच्चीकरण तथा लोक सेवा के क्षेत्र में कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करे। यद्यपि, लेखापरीक्षा के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आये जिसमें सरकार द्वारा समाज के लाभ के लिये लोक सम्पत्तियों को निर्मित करने हेतु दी गयी धनराशि का उपभोग प्रशासनिक नियंत्रण की कमी और असावधानी तथा विभिन्न स्तरों पर ठोस निर्णयों के अभाव के कारण नही किया गया था/अवरुद्ध थी या फिर अलाभकारी/अनुत्पादक व्यय सिद्ध हुआ। कुछ प्रकरण नीचे दिये जा रहे है:

उच्च शिक्षा विभाग

3.4.1 उद्देश्य की पूर्ति न होना

₹ 12.43 करोड़ (₹ 12.15 करोड़ भवन निर्माण पर व ₹ 27.90 लाख उपकरणों के क्रय पर) का व्यय किए जाने के बाद भी भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली द्वारा दन्त पाठ्यक्रम को मान्यता न दिये जाने के कारण दन्त विज्ञान में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने का उद्देश्य पूर्ण न होना।

किसी विश्वविद्यालय द्वारा दन्त कालेज की स्थापना करने के पूर्व भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली द्वारा दन्त विज्ञान पाठ्यक्रम की मान्यता आवश्यक होती है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (विश्वविद्यालय) की शैक्षिक परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के उपकुलपति की अध्यक्षता में मई 2004 में आयोजित बैठक में 100 विद्यार्थियों की क्षमता के एक दन्त महाविद्यालय की स्थापना के निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में ₹ 13.10 करोड़ (पुनरीक्षित[75]) की लागत से चार मंजिला भवन निर्माण किया जाना था। निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को सौंपा गया। कार्य नवम्बर 2005[76] तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय के अभिलेखों की संप्रेक्षा (जुलाई 2012) एवं अग्रेतर एकत्रित सूचनाओं (मई 2013 से जुलाई 2014 के मध्य) से यह तथ्य प्रकाश में आया कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने विश्वविद्यालय परिसर मे दन्त विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को आवेदन किया (अप्रैल 2004) एवं वर्ष 2004–06[77] के मध्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को दन्त विज्ञान महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु ₹ 12.15 करोड़ (₹ 13.10 करोड़ में से) की धनराशि उपलब्ध करायी। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने जुलाई 2004 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। जब कार्य प्रगति पर था तब विश्वविद्यालय ने प्रस्तावित दन्त विज्ञान महाविद्यालय हेतु सितम्बर 2004 से मार्च 2006 की अवधि[78] में ₹ 27.90 लाख के उपकरण क्रय किये। जून 2006 में भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली

[75] वास्तविक प्रक्कलनः ₹ 3.83 करोड़, (जनवरी 2004), प्रथम पुनरीक्षणः ₹ 12.50 करोड़ ,(जुलाई 2004) एवं द्वितीय संशोधनः ₹ 13.10 करोड़ (फरवरी 2009)।

[76] विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा 8 अगस्त 2001 में किये गये मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैडिंग के अनुसार।

[77] जून 2004 एवं दिसम्बर 2005।

[78] ₹ 12.31 लाख के उपकरणों का मूल्य दर्शाता है।

के निरीक्षकों ने महाविद्यालय के संचालन हेतु भौतिक सुविधाओं जैसे भवन एवं उपकरण तथा शैक्षणिक स्टाफ की उपलब्धता एवं उनकी योग्यता व अनुभव आदि सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय का दौरा किया। निरीक्षकों ने दन्त कुर्सियों, संकाय (प्रोफेसरों, रीडरों, लेक्चररों) आदि में कमियाँ पायी। परिणामस्वरूप, भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली की कार्यकारी समिति ने विश्वविद्यालय को पाँच दिन के अन्दर कमियों को दूर करने के लिए कहा, परन्तु उन्हें दूर करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। फिर भी निर्माण कार्य चालू रहा तथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने ₹ 12.91 करोड़ व्यय कर भवन निर्माण कार्य पूरा किया तथा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा नवम्बर 2010 में भवन अधिग्रहीत किया गया, परन्तु भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली द्वारा दंत विज्ञान पाठ्यक्रम को मान्यता न दिए जाने के कारण दन्त विज्ञान पाठ्यक्रम मई 2014 तक प्रारम्भ नहीं हो सका।

इस प्रकार, ₹ 12.43 करोड़ (₹ 12.15 करोड़ भवन निर्माण पर व ₹ 27.90 लाख उपकरणों के क्रय पर) का व्यय किए जाने तथा भवन निर्माण पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के आठ वर्ष पश्चात् भी भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली द्वारा दन्त पाठ्यक्रम को मान्यता न दिये जाने के कारण दन्त विज्ञान पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ ।

विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर (मई 2013) में बताया गया कि निर्मित भवन पैरा मेडिकल तथा आतिथ्य प्रबंधन पाठ्यक्रमों के लिए उपयोग किया जा रहा था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दन्त महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण के पूर्व ही पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम एक अन्य भवन में संचालित था तथा होटल एवं आतिथ्य प्रबंधन पाठ्यक्रम हेतु भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं था। इस प्रकार दंत महाविद्यालय हेतु निर्मित भवन का उपयोग प्रशासनिक समिति द्वारा प्राधिकृत उद्देश्य हेतु नहीं किए जाने से निर्माण कार्य पर व्यय की गई धनराशि का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

वार्ता (दिसम्बर 2014) में शासन ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.4.2 निष्फल व्यय

ट्रामा सेंटर स्थापित करने की निर्धारित तिथि के लगभग चार वर्ष बाद भी इटावा तथा फतेहपुर में ट्रामा सेंटर की स्थापना न होने तथा इसके निर्माण पर किये गये व्यय ₹ 1.30 करोड़ का अलाभकारी होना।

ट्रामा सेंटर[79] स्थापित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ट्रामा सेंटर हेतु क्षमता विकास में सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना की शुरुआत की एवं मानव शक्ति, भवन उपकरण, संचार, वैधानिक सहायता एवं डाटा एंट्री हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त एक एम्बुलेंस भी उपलब्ध करायी जानी थी।

भारत सरकार द्वारा जिला अस्पताल इटावा (जनवरी 2009 में ₹ 65 लाख) एवं जिला अस्पताल फतेहपुर (दिसम्बर 2008 में ₹ 65 लाख) के परिसर में भवन निर्माण हेतु ₹ 1.30 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी। निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को इटावा में मई 2010 तक एवं फतेहपुर में सितम्बर 2010 तक पूरा करने हेतु सौपा गया।

[79] ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल (पुरूष) इटावा एवं फतेहपुर के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच (इटावाः जनवरी 2014 एवं फतेहपुरः दिसम्बर 2013) से परिलक्षित हुआ कि भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को ₹ 1.30 करोड़ की धनराशि उपलब्ध[80] करायी गयी। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड ने इटावा में कार्य प्रारम्भ (नवम्बर 2009) किया तथा कार्य जुलाई 2010 में पूरा किया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, इटावा ने निर्मित भवन का अधिग्रहण अक्टूबर 2010 में किया। भारत सरकार ने मार्च 2011 में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को एम्बुलेंस उपलब्ध करायी एवं तीन वर्षों से अधिक समय के बाद अक्टूबर 2013 में उपकरण हेतु ₹ 2.45 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी, जो कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, इटावा के नाम से खोले गये बचत खाते[81] में अव्ययित पड़ी हुई थी (नवम्बर 2014)।

फतेहपुर में उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड ने जनवरी 2010 में कार्य प्रारम्भ किया क्योंकि अपेक्षित भूमि तुरन्त उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। परिणामस्वरूप, शासन द्वारा भवन निर्माण पर व्यय का आकलन पुनरीक्षित (नवम्बर 2011) कर ₹ 1.01 करोड़ कर दिया गया। भवन निर्माण कार्य ₹ 65 लाख के व्यय के बाद भी जून 2014 तक अधूरा रहा क्योंकि आवश्यक अनुमति के बिना आकलन का संशोधन करने के कारण भारत सरकार द्वारा मूल एवं पुनरीक्षित अनुमान की अंतर धनराशि (₹ 36 लाख) अवमुक्त नहीं की गई थी। भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2012 में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, फतेहपुर को एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई तथा एक वर्ष पश्चात् (दिसम्बर 2013) ₹ 2.45 करोड़ की धनराशि उपकरण आदि के लिये अवमुक्त की गई जो बचत बैंक खाते[82] में नवम्बर 2014 तक अव्ययित जमा थी।

इस प्रकार लगभग चार वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी इन ट्रामा सेंटर के स्थापित न होने से इटावा तथा फतेहपुर में निर्माण पर किया गया व्यय ₹ 1.30 करोड़ अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त, बैंक के बचत खाते में लगभग एक वर्ष से ₹ 4.90 करोड़ की धनराशि अवरूद्ध (नवम्बर 2014) थी।

वार्ता (नवम्बर 2014) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षो तथा तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार करते हुए बताया कि अंतर की धनराशि ₹ 36 लाख स्वीकृत की जा चुकी है (अगस्त 2014)। तथ्य यथावत रहा कि समापन की निर्धारित तिथि के लगभग चार वर्ष के पश्चात् भी ट्रामा सेंटरों की स्थापना नहीं हुई थी।

3.4.3 निष्फल व्यय

शासन के ढुलमुल रवैये के कारण 100 शैय्या युक्त अस्पताल स्वीकृति के सात वर्ष बाद भी नहीं बनने (नवम्बर 2014) के कारण इसके निर्माण पर किया गया व्यय ₹ 13.77 करोड़ निष्फल रहा।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की जुलाई 2006 की घोषणा का अनुपालन करते हुए शासन ने सिरौली गौसपुर, बाराबंकी में 100 शैय्या युक्त अस्पताल के निर्माण, जिसमें मुख्य भवन का निर्माण मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रांगण में किया जाना था एवं शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए भू–खण्ड पर चिकित्सा कर्मचारियों हेतु आवासों एवं नर्सों हेतु हॉस्टल का निर्माण भी सम्मिलित था, हेतु ₹ 12.41 करोड़ (पुनरीक्षित)[83] की

[80] इटावा (नवम्बर 2009: ₹ 35 लाख एवं जनवरी 2010: ₹ 30 लाख) एवं फतेहपुर (जनवरी 2010: ₹ 65 लाख)।
[81] खाता संख्या–27240100025515, बैक ऑफ बड़ौदा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, इटावा के पक्ष में।
[82] मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, फतेहपुर के पक्ष में खाता सं0–05660100028671, बैक ऑफ बड़ौदा ।
[83] मूल आगणन ₹ 11,30 करोड़।

धनराशि स्वीकृत की (नवम्बर 2006)। निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को सौंपा (अक्टूबर 2006) गया जिसे दो चरणों[84] में पूरा करना था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (दिसम्बर 2013) कि शासन ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को ₹ 11.80 करोड़[85] की धनराशि अवमुक्त (2006–12) की। दिसम्बर 2006 में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में मुख्य भवन का निर्माण कार्य आरम्भ किया। नवम्बर 2009 में जब निर्माण कार्य प्रगति पर था तभी महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ ने प्रस्तावित अस्पताल हेतु उपकरण क्रय (लागतः ₹ 2.28 करोड़) करने के लिए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया। शासन द्वारा फरवरी 2010 में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं ₹ 2.08 करोड़[86] की धनराशि स्वीकृत की गयी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी ने विभिन्न उपकरणों की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता[87] को मार्च 2010 में आपूर्ति आदेश दिया। मार्च 2010 में उपकरणों की आपूर्ति की गयी एवं ₹ 2.08 करोड़ का भुगतान (अप्रैल 2010) किया गया। सितम्बर 2010 में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने ₹ 9.02 करोड़ की लागत से मुख्य भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मार्च 2011 में अधिग्रहीत किया गया। शासन ने 100 शैय्या युक्त अस्पताल की स्वीकृति के पाँच वर्ष बाद चिकित्सा कर्मचारियों हेतु आवासों एवं नर्सों हेतु एक हॉस्टल के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को भूमि उपलब्ध कराई (मार्च 2011)। भूमि मुख्य भवन से न केवल दो किलोमीटर दूर थी वरन् अगम्य भी थी। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने चिकित्सा कर्मचारियों हेतु आवासों एवं नर्सों हेतु हास्टल का निर्माण कार्य मई 2011 में आरम्भ किया तथा ₹ 2.67 करोड़ की लागत से सितम्बर 2013 में पूरा किया। हालांकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह संज्ञान में आया कि मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती न होने के कारण 100 शैय्या युक्त अस्पताल संचालित नहीं हुआ था तथा उपकरण क्रय के चार वर्ष बाद भी गोदाम में पड़े हुए थे।

इस प्रकार शासन के ढुलमुल रवैये के कारण 100 शैय्या युक्त अस्पताल सात वर्ष बाद भी संचालित नहीं हो सका (नवम्बर 2014 तक) जिससे इसके निर्माण पर किया गया व्यय ₹ 13.77 करोड़ निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, चार वर्ष पूर्व क्रय किए गए उपकरण खराब होने की स्थिति मे थे।

नवम्बर 2014 में परिचर्चा के दौरान शासन ने तथ्यों एवं आंकड़ों तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षो की पुष्टि की।



रखे हुए अप्रयुक्त चिकित्सा उपकरण दिनांक 28–12–2013

[84] प्रथम चरणः मुख्य भवन एवं द्वितीय चरणः चिकित्सा कर्मचारियों हेतु आवासों एवं नर्सों हेतु हास्टल।

[85] नवम्बर 2006: ₹ 2.50 करोड़, सितम्बर 2007: ₹ तीन करोड़, मार्च 2008: ₹ 5.79 करोड़, मार्च 2012: ₹ 20 लाख एवं नवम्बर 2012: ₹ 29.93 लाख।

[86] प्रस्तावित ₹ 2.28 करोड़ में से शासन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी को ₹ 2.08 करोड़ स्वीकृत किया।

[87] कंसार्ट लेबोरेटरीस लखनऊ, उत्तर प्रदेश इन्डस्टीयल कोआपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड, कानपुर, आधुनिक सिस्टम कानपुर, राजा सर्जिकल लखनऊ, सिगमा कानपुर, विनायक बरेली, पुरी सर्जिकल लखनऊ, अमित इन्टर प्राइजेज लखनऊ, ओरिएन्टल बरेली तथा पूजा बाराबंकी। विक्रय इनवायस उपलब्धता के अनुसार उपकरणों की संख्या 1502 थी।

3.4.4 अविवेकपूर्ण निर्णय

तीन वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद भी अस्पताल भवन, जिला फैजाबाद का निर्माण कार्य न केवल अपूर्ण था (₹ 51.34 करोड़) बल्कि बिना भवन की पूर्णता सुनिश्चित किये ₹ 4.40 करोड़ के उपकरण क्रय का निर्णय भी अविवेकपूर्ण था।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसरण में शासन द्वारा मार्च 2008 में जनपद फैजाबाद में 300 शैयायुक्त के अस्पताल भवन के निर्माण कार्य हेतु ₹ 54.05 करोड़ (पुनरीक्षित)[88] की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (मार्च 2008) प्रदान की गई थी और निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को मार्च 2011 तक पूर्ण करने हेतु मार्च 2008 में सौंपा गया था।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, फैजाबाद के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2013) में पाया गया कि शासन द्वारा 2008–14 की अवधि में ₹ 51.34 करोड़ उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को अवमुक्त किया गया था। जून 2008 में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने कार्य प्रारंभ कर दिया था परन्तु चिन्हित स्थान पर वार्ड ब्लाक का निर्माण कार्य स्थानीय विवाद के कारण प्रारंभ नही किया गया था। फलस्वरूप, आउट–ले प्लान को पुनरीक्षित कर अनुमोदित (मई 2011) किया गया तथा मार्च 2012 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी किया गया। निर्देश के बावजूद नवम्बर 2014 तक निर्माण कार्य अपूर्ण रहा।

शासन द्वारा फरवरी 2010 में उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (₹ 6.19 करोड़) प्रदान की गई थी तथा ₹ 5.81 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उस समय तक (फरवरी 2010) निर्माण कार्य 51 प्रतिशत पूर्ण हुआ था। इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण था, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, फैजाबाद द्वारा उपकरणों के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की गयी तथा फरवरी 2010 एवं मार्च 2010 में ₹ 4.40 करोड़ के उपकरण[89] के क्रय हेतु आपूर्ति आदेश निर्गत किये गये। उपकरण एवं अन्य सामग्रियों की मार्च 2010 में आपूर्ति की गई तथा ₹ 4.40 करोड़ का भुगतान (अप्रैल 2010) आपूर्तिकर्ताओं को किया गया। हालांकि, अस्पताल भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण था अतः उपकरणों को स्थापित नहीं किया गया तथा चार वर्ष बाद भी (जून 2014 तक) उपकरण स्टोर में रखे थे। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने नवम्बर 2014 तक 80 प्रतिशत निर्माण कार्य ₹ 51.34 करोड़ की लागत से पूर्ण किया ।

इस प्रकार न केवल निर्धारित तिथि के तीन वर्ष पश्चात् भी अस्पताल भवन अपूर्ण था (₹ 51.34 करोड़) बल्कि शासन द्वारा जनपद फैजाबाद में अस्पताल भवन का कार्य पूर्ण होना सुनिश्चित किये बिना उपकरण (₹ 4.40 करोड़) के क्रय का निर्णय अविवेकपूर्ण था।

वार्ता (नवम्बर 2014) में शासन ने तथ्यों एवं आंकड़ों तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया।

[88] शासनादेश संख्या 412/5-1-08-5(7)/08 दिनांक 28 मार्च 2008 ₹ 33.68 करोड़.के लिए।
[89] आपूर्तिकर्ता दो एवं मदों की संख्या (उपकरण एवं अन्य) 232 थीं।

राजस्व विभाग

3.4.5 निष्फल व्यय

संशोधित आगणन की स्वीकृति न होने के कारण प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास पूर्ण करने की तिथि के पाँच वर्ष बाद भी (अक्टूबर 2014 तक) अपूर्ण रहने के फलस्वरूप ₹ 4.16 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। प्रशिक्षणार्थियों को ठहरने की सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य भी विफल रहा।

राजस्व विभाग के प्रशिक्षणार्थियो[90] को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत[91] राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भू–लेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई के परिसर में छात्रावास[92] के निर्माण के लिए ₹ 4.16 करोड़ की स्वीकृति दी गयी (मार्च 2008)। निर्माण कार्य के अन्तर्गत छात्रावास, आवासीय भवनो[93] एवं अन्य कार्यों[94] के साथ–साथ भवन की साज–सज्जा भी सम्मिलित थी। उत्तर प्रदेश जल निगम को निर्माण कार्य मार्च 2008 में दिया गया जिसे अगस्त 2009 तक पूर्ण करना था। ₹ 4.16 करोड़ की धनराशि कोषागार, लखनऊ से आहरित की गयी (मार्च 2008) और उसे जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के वैयक्तिक लेखा खाता में जमा किया गया (मार्च 2008)।

कार्यालय जिलाधिकारी, हरदोई के अभिलेखो की जाँच (जनवरी 2014) में पाया गया कि उपरोक्त वैयक्तिक लेखा खाता से ₹ 4.16 करोड़ के आहरण की स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जून 2008 में दी गयी और प्रस्तावित छात्रावास के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम को अगस्त 2008 में धनराशि उपलब्ध करायी गयी। उत्तर प्रदेश जल निगम ने अगस्त 2008 मे निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। तथापि, उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्य की धीमी गति के कारण छात्रावास और आवासीय भवनों का निर्माण कार्य संस्थान के परिसर में ₹ 4.16 करोड़ में अक्टूबर 2012 तक पूर्ण किया। अवशेष कार्य (विद्युत फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, रेलिंग कार्य, चहारदीवारी, मार्ग, मार्ग प्रकाश एवं भवन की साज–संज्जा) अधूरे थे (अक्टूबर 2014)। उत्तर प्रदेश जल निगम ने अवशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए ₹ 8.60 करोड़ का एक संशोधित आगणन शासन को प्रेषित किया (नवम्बर 2012) जो मुख्य रूप से मूल आगणन की धनराशि का दोगुना होने तथा निर्धारित विशिष्टियों में बिना औचित्य बदलाव किए जाने के कारण स्वीकृति के लिए लम्बित था (अक्टूबर 2014)।

इस प्रकार, संशोधित आगणन की स्वीकृति न होने के कारण, संस्थान परिसर में प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास का कार्य इसके पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के पाँच वर्ष बाद भी अक्टूबर 2014 तक अपूर्ण था जिससे इस पर ₹ 4.16 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य भी प्राप्त नही हुआ।

वार्ता (नवम्बर 2014) में शासन ने आश्वासन दिया कि शीघ्र उत्तर दिया जायेगा एवं कार्य पूर्ण करने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

[90] राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार व अन्य अधिकारी आदि।
[91] भू–अभिलेखो का रख–रखाव एवं राजस्व प्रशासन मे सुधार।
[92] 100 प्रशिक्षणार्थी।
[93] टाइप तीन के भवनो की दो संख्या और टाइप पाँच के भवन की एक संख्या।
[94] मार्ग, चहारदीवारी एवं खेल मैदान का निर्माण, गली में प्रकाश, विद्युतीकरण आदि।

खेलकूद विभाग

3.4.6 निष्फल व्यय

जनपद सिद्धार्थ नगर के स्पोर्टस् स्टेडियम में तरण ताल के निर्माण पर किया गया ₹ 4.41 करोड़ का व्यय अनुचित नियोजन के कारण निष्फल रहा जिससे लक्षित एथलीटों को तरण ताल की सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य विफल रहा।

लोगों को तरण ताल की सुविधा उपलब्ध करवा कर तैराकी के क्षेत्र में प्रतिभाओं को विकसित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा सिद्धार्थ नगर के स्पोर्टस् स्टेडियम में तरण ताल के निर्माण हेतु ₹ 5.03 करोड़ की स्वीकृति (फरवरी 2009) दी गई। निर्माण कार्य जिसमें ग्यारह कार्य[95] सम्मिलित थे, उत्तर प्रदेश जल निगम को जून 2011 तक पूर्ण किए जाने के लिए आवंटित (फरवरी 2009) किया गया।

जिला क्रीड़ा अधिकारी, सिद्धार्थ नगर के कार्यालय के अभिलेखों की सम्प्रेक्षा तथा उसके पश्चात् एकत्रित सूचनाओं (क्रमशः दिसम्बर 2013 एवं मार्च 2014) से ज्ञात हुआ कि शासन द्वारा सिद्धार्थ नगर में तरण ताल के निर्माण हेतु निदेशक, खेलकूद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये ₹ 5.03 करोड़ के प्रस्ताव (मई 2008) प्रस्ताव को शासन द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति (फरवरी 2009) प्रदान की गई। शासन द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम को जून 2009 में भूमि उपलब्ध कराई गयी। उत्तर प्रदेश जल निगम के निदेशक द्वारा ₹ 5.27 करोड़ की लागत वाले तरण ताल के ले–आउट प्लान को जुलाई 2009 में तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। शासन द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम को वर्ष 2009 से वर्ष 2013 के मध्य ₹ 5.03 करोड़[96] की धनराशि अवमुक्त की गई।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्माण कार्य जून 2009 में प्रारम्भ किया गया। हालांकि निदेशक, खेलकूद ने स्थलीय निरीक्षण (जुलाई 2009) में पाया कि ले–आउट प्लान की संरचना से स्टेडियम में पूर्व से स्थित एथेलिटिक ट्रैक के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना थी तथा तद्नुसार उत्तर प्रदेश जल निगम को निर्माण कार्य रोकने का निर्देश (अगस्त 2009) दिया। उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अगस्त 2009 में कार्य रोक दिया गया परन्तु सचिव, खेलकूद की अध्यक्षता में हुई बैठक (नवम्बर 2009) में संशोधित ले–आउट प्लान की स्वीकृति (दिसम्बर 2009) पर निर्णय लिए जाने के उपरान्त दिसम्बर 2009 में कार्य पुनः प्रारम्भ किया गया। धन की उपलब्धता के बावजूद कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी थी तथा कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (जून 2011) से तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी कार्य अपूर्ण था (नवम्बर 2014 तक)। सितम्बर 2013 तक इस कार्य पर ₹ 4.41 करोड़ व्यय किया जा चुका था। इसी बीच उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा पुनरीक्षित अनुमान ₹ 5.61 करोड़ प्रस्तुत किया गया (दिसम्बर 2012) जो निदेशक, खेलकूद, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास स्वीकृति हेतु लंबित था (नवम्बर 2014)। इस प्रकार, सिद्धार्थनगर के स्पोर्टस् स्टेडियम में तरण ताल के निर्माण पर किया गया ₹ 4.41 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त, एथलीटों को तरण ताल की सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हुआ।

शासन ने उत्तर में बताया (जुलाई 2014) कि पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत नहीं किया जाएगा तथा कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। हालांकि, प्रकरण पर चर्चा

[95] तरण ताल, प्रशिक्षु ताल, बैलेसिंग टैंक, बडा पैवेलियन, छोटा पैवेलियन, नलकूप व पम्प हाउस, प्लान्ट कक्ष, रेन वाटर हार्वैस्टिंग, फ्लड लाईटिंग, स्थल विकास एवं 50 केवीए जनरेटर की स्थापना।

[96] अगस्त 2009: ₹ 35.20 लाख, सितम्बर 2010: ₹ 4.80 लाख, मार्च 2010: ₹ 433.28 लाख एवं सितम्बर 2012: ₹ 29.52 लाख।

(नवम्बर 2014) के समय शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकडों को स्वीकार किया गया तथा बताया गया कि पुनरीक्षित आगणन को स्वीकृत कर कार्य मार्च 2015 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। तथ्य यह ही है कि लक्षित एथलीटों को तरण ताल की सुविधा प्रदान किए जाने का उददेश्य प्राप्त नहीं हुआ।

3.4.7 अनुचित नियोजन

ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर में वीआईपी पैवेलियन की ट्रस रूफिंग (आंकलित लागतः ₹ 26.18 करोड़) के निर्माण हेतु अनुचित नियोजन के कारण स्टेडियम का राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय दिवा–रात्रि मैंचों से वंचित रहना।

ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर में राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय दिवा–रात्रि क्रिकेट मैचों के आयोजन हेतु शासन ने वर्ष 1999–2001 की अवधि में ₹ 6.56 करोड़ व्यय कर फ्लडलाइट टावर का निर्माण कराया।

अगस्त 2009 में शासन ने ट्रस रूफिंग[97] युक्त वीआईपी पैवेलियन के निर्माण के लिए ₹ 26.18 करोड़[98] की धनराशि स्वीकृत की तथा निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश आवास विकास बोर्ड को सौंपा गया (जुलाई 2008)। निर्माण कार्य दिसम्बर 2012 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया।

उप निदेशक, क्षेत्रीय क्रीड़ा कार्यालय, कानपुर के कार्यालय के अभिलेखों की सम्प्रेक्षा (मई 2013) में यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश आवास विकास बोर्ड को ₹ 26.18 करोड़[99] की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। ट्रस रूफिंग की डिजाइन उत्तर प्रदेश आवास विकास बोर्ड द्वारा उपरोक्त पैवेलियन की स्थिति ध्यान में रखे बिना तैयार की गई थी जिससे फ्लडलाइट टावरों का प्रकाश बाधित हो रहा था। उत्तर प्रदेश आवास विकास बोर्ड ने तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही मार्च 2010 में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप, वीआईपी पैवेलियन के ट्रस रूफिंग के कारण मार्च 2013 में स्टेडियम में खेले गये दिवा–रात्रि क्रिकेट मैच के दौरान फ्लडलाइट का प्रकाश मैदान पर बाधित हुआ। इसी मध्य उप निदेशक, क्षेत्रीय क्रीड़ा कार्यालय, कानपुर द्वारा उपरोक्त तथ्य को अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास विकास बोर्ड के संज्ञान में लाया गया (मार्च 2013)। अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास विकास बोर्ड ने सूचित किया (अप्रैल 2013) कि ट्रस रूफ की डिजाइन उप निदेशक, क्षेत्रीय क्रीड़ा कार्यालय, कानपुर द्वारा अनुमोदित थी (जनवरी 2010) तथा यह भी बताया कि निर्माण कार्य खेलकूद विभाग तथा जिलाधिकारी, कानपुर द्वारा नामित अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया गया। हालांकि, ट्रस रूफिंग युक्त वीआईपी पैवेलियन का निर्माण कार्य जारी रखा गया एवं उत्तर प्रदेश आवास विकास बोर्ड द्वारा ₹ 26.18 करोड़ व्यय करने के बाद कार्य पूर्ण कर नवम्बर 2013 में विभाग को हस्तान्तरित किया गया।

इस प्रकार, अनुचित नियोजन से निर्मित ट्रस रूफिंग से विद्यमान फ्लड लाईट के प्रकाश बाधित होने के कारण स्टेडियम राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय दिवा–रात्रि मैंचों के आयोजन एवं उनसे होने वाले राजस्व/अर्जन से भी वंचित रहा।

उप–निदेशक, क्षेत्रीय क्रीड़ा, कानपुर द्वारा उत्तर में बताया गया (मई 2013) कि फ्लडलाइटों के टावर को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही थी। हालांकि,

[97] लागत वृद्धि के कारण नवम्बर 2012 में पुनरीक्षित।
[98] धातु से बनी छत जो इतनी कसकर बंधी रहती है कि हिल नहीं सकती।
[99] 2009–10: ₹ 1.60करोड़, 2010–11: ₹ 5.00करोड़, 2011–12: ₹ 2.77करोड़, 2012–13: ₹ 14.00करोड़ एवं 2013–14: ₹ 2.81करोड़।

जून 2014 में उप–निदेशक, क्षेत्रीय क्रीड़ा, कानपुर द्वारा सूचित किया गया कि किसी भी दिवा रात्रि मैच का आयोजन न होने के कारण अभी तक उपरोक्त कार्य हेतु कोई भी आगणन तैयार नहीं किया गया।

चर्चा (दिसम्बर 2014) के दौरान शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार किया गया तथा आश्वासन दिया गया कि प्रकरण पर विचार करके उस पर लिए गये निर्णय से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

3.4.8 अलाभकारी व्यय

तालमेल के अभाव तथा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना निचली रोहिणी बांध का निर्माण कार्य शुरू किये जाने के कारण ₹ 157.80 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (अधिनियम) के अध्याय–4, प्रस्तर 4.4 के अनुसार ऐसे प्रकरणों जिनमें निर्माण कार्य के कुछ हिस्सों में वन भूमि सम्मिलित हो वहाँ पर गैर वन भूमि में भी तब तक कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वन भूमि के गैर वन प्रयोजनार्थ स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त न कर ली जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–6 के प्रस्तर 378 के अनुसार भी किसी भूमि पर तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उत्तरदायी सिविल अधिकारियों द्वारा भूमि उपलब्ध न करा दी जाय।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड–3, ललितपुर के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2014) में पाया गया कि ललितपुर जनपद में 1,900 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा महरौनी तहसील में रोहिणी नदी पर निचले रोहिणी बांध (मिट्टी का बांध) के निर्माण हेतु ₹ 60.93 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (फरवरी 2008) प्रदान की गयी। कार्य की मात्रा, श्रम एवं सामग्री मूल्यों में वृद्धि एवं पुर्नस्थापन कार्यों की लागत सम्मिलित किये जाने के कारण व्यय–वित्त समिति द्वारा जून 2010 में परियोजना की पुनरीक्षित लागत ₹ 174.26 करोड़ की गयी। शासन द्वारा मई 2011 में पुनरीक्षित लागत हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। व्यय–वित्त समिति ने पुनरीक्षित परियोजना को स्वीकृति प्रदान करते समय निर्देशित किया था कि परियोजना मार्च 2012 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाय।

यह देखा गया कि परियोजना हेतु, 693.14 हेक्टेयर[100] भूमि आवश्यक थी जिसमें 32.315 हेक्टेयर वन भूमि सम्मिलित थी जिसके लिए अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक था। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विपरीत भूमि का अधिग्रहण एवं वन भूमि का उपयोग गैर वन प्रयोजनार्थ भारत सरकार से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही निर्माण कार्य वर्ष 2008–09 में प्रारम्भ किया गया। परियोजना पर नवम्बर 2014 तक ₹ 157.80 करोड़ का व्यय किया गया था जबकि 238.96 हेक्टेयर भूमि जिसमें कि 32.315 हेक्टेयर वन भूमि सम्मिलित थी, अधिग्रहीत की जानी शेष थी (नवम्बर 2014)। यहाँ तक कि वन भूमि के गैर वन प्रयोजनार्थ प्रस्ताव भी विलम्ब से जून 2010 में सामाजिक वानिकी प्रखण्ड, ललितपुर को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2014 तक वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति नहीं दी गयी थी एवं परियोजना के पूर्ण होने

[100] डूबा क्षेत्रः 603.262 हेक्टेयर, नहरः 82.704 हेक्टेयर एवं पुर्नस्थापनाः 7.179 हेक्टेयर।

की निर्धारित तिथि से दो वर्ष एवं आठ माह पश्चात भी परियोजना अपूर्ण थी, जिसके कारण नवम्बर 2014 तक किया गया ₹ 157.80 करोड़[101] का व्यय अलाभकारी रहा।

खण्ड ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2014) कि सामाजिक वानिकी प्रखण्ड, ललितपुर को वन भूमि के गैर वन भूमि प्रयोजनार्थ प्रस्ताव जून 2010 में प्रेषित किया गया था जो कि पत्राचार[102] स्तर में था तथा भूमि के हस्तांरण हेतु प्रयास किये जा रहे थे। उत्तर से पुष्टि होती है कि परियोजना का कार्य वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वित्तीय नियमों का उल्लघंन करते हुए शुरू किया गया जिसके कारण न केवल निर्धारित समय में परियोजना पूर्ण की जा सकी वरन् ₹ 157.80 करोड़ का किया गया व्यय भी अलाभकारी रहा।

शासन द्वारा वार्ता (नवम्बर 2014) में तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि वन भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

इस प्रकार, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से वन भूमि के उपयोग हेतु स्वीकृति की प्राप्ति एवं वित्तीय नियम के अनुसार आवश्यक भूमि को अधिग्रहीत करने के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निचले रोहिणी बांध परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किये जाने के फलस्वरूप नवम्बर 2014 तक किया गया ₹ 157.80 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

लघु सिंचाई विभाग

3.4.9 ₹ 3.03 करोड़ का निष्फल व्यय

बाँदा एवं हमीरपुर जनपदों में बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत निर्मित रिचार्ज पिटों की साध्यता को सुनिश्चित किये जाने में विलम्ब के कारण वर्ष 2010–11 से वर्ष 2012–13 की अवधि में उनके निर्माण पर व्यय की गयी ₹ 3.03 करोड़ की धनराशि निष्फल रही।

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशसंख्या–1973/62–2–2010–2/2 (47)/08 टीसी लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–2, लखनऊ दिनांक 11 मई 2010 द्वारा बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत कूपों पर डगवेल रिचार्ज का कार्य लघु सिंचाई विभाग को सौंपा गया जिसके लिए ₹ 300 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (अगस्त 2010)। बुन्देलखण्ड पैकेज हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों (मई 2010) में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि डगवेल रिचार्ज का कार्य केवल उन्हीं कूपों पर किया जायेगा जिनका गहरीकरण/जीर्णोद्धार करा लिया गया हो। डगवेल रिचार्ज के निर्माण की योजना का लक्ष्य भू–जल स्थिति में सुधार द्वारा सिंचन क्षमता में वृद्धि किया जाना था।

अग्रेतर, भारत के योजना आयोग के अधीन गठित राष्ट्रीय वर्षा जल सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के तकनीकी विशेषज्ञ ने सलाह दी थी (नवम्बर 2010) कि नदियों की मिट्टी से निर्मित विशाल मैदानों वाले बाँदा एवं हमीरपुर जनपदों में कूपों का गहरीकरण एवं रिचार्ज पिट की उपयोगिता नहीं थी क्योंकि गहरीकरण के दौरान कूपों के ध्वस्त होने का खतरा था साथ ही कृषकों का रूझान नलकूपों की ओर होने के कारण सिंचाई के लिए भी उपयोगी नहीं थे।

[101] हेड वर्क्स ₹ 106.33 करोड़.+ मुख्य नहर एवं शाखाएँ ₹ 35.01करोड़ + अन्य मद ₹ 16.46 करोड़ = ₹ 157.80 करोड़।

[102] दिनांकः: 05.07.2010, 01.09.2010, 21.09.2010, 25.02.2011,17.03.2012, 09.01.2014, 01.02.2014 एवं 03.02.2014।

अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, बाँदा (मार्च 2013) एवं अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, हमीरपुर (मई 2014) के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि नवम्बर 2010 एवं मार्च 2013 के मध्य दिशा–निर्देशों के प्रावधान के विपरीत मौजूदा कूपों का गहरीकरण/जीर्णोद्धार सुनिश्चित किये बिना क्रमशः ₹ 1.67 करोड़ एवं ₹ 1.36 करोड़ व्यय करके 766 एवं 910 रिचार्ज पिट बनाये गये। परिणामस्वरूप वहाँ सिंचन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुयी थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, बाँदा ने स्वीकार किया कि कूपों का गहरीकरण अव्यवहारिक होने के कारण सिंचन क्षमता में वृद्धि नहीं हुयी तथा बताया कि योजना के अन्तिमीकरण हेतु प्रथम चरण में प्रारम्भ किये गये रिचार्ज पिटों के निर्माण कार्य पूर्ण किये गये एवं ये वर्षा जल के भण्डारण तथा भूगर्भीय जल स्तर को बढ़ाने हेतु उपयोगी थे। अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, हमीरपुर ने उत्तर दिया कि डगवेल रिचार्ज एवं कूपों का गहरीकरण/जीर्णोद्धार दोनों पृथक कार्य थे तथा किसी एक की उपयोगिता दूसरे पर आश्रित नहीं थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दिशा–निर्देशों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि रिचार्ज पिट के कार्य को निष्पादित किये जाने के पूर्व कूपों का गहरीकरण/जीर्णोद्धार अनिवार्य था। अग्रेतर, शासन ने भी निर्देशित किया था (मई 2012) कि उन जनपदों में जहाँ गहरीकरण का कार्य नहीं किया जाना था वहाँ कोई रिचार्ज पिट नहीं बनाये जायेंगे। इससे सिद्ध होता है कि कूपों का गहरीकरण एवं रिचार्ज पिटों के निर्माण पृथक कार्य नहीं थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013–14 में राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किये गये मूल्यांकन अध्ययन में भी इसकी पुष्टि की गयी कि इन रिचार्ज पिटों की कोई उपयोगिता नहीं थी।

इस प्रकार, दिशा–निर्देशों की अवहेलना एवं इन दोनो जनपदों में रिचार्ज पिटों के निर्माण पर तकनीकी विशेषज्ञ की अनुशंसाओं पर सरकार की विलम्ब से प्रतिक्रिया के कारण ₹ 3.03 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

चर्चा (नवम्बर 2014) में, शासन ने तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

लोक निर्माण विभाग

3.4.10 अलाभकारी व्यय

स्वीकृति के ग्यारह वर्षो के उपरान्त भी अमेठी बाईपास मार्ग के अपूर्ण रहने के कारण उस पर व्यय की गई धनराशि ₹ 2.02 करोड़ अलाभकारी रही।

वित्तीय हस्त–पुस्तिका खण्ड–6 के प्रस्तर 378 के अनुसार उत्तरदायी सिविल अधिकारी से आवश्यक भूमि प्राप्त किए बिना कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जाना चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अमेठी के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी/मार्च 2013) एवं अग्रेतर संकलित सूचना (मार्च 2014) से ज्ञात हुआ कि भारी यातायात के परिचालन के कारण अमेठी टाउन एरिया में यातायात जाम की समस्या के तत्काल समाधान हेतु शासन द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि के अर्न्तगत ₹ 2.42 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 5.80 किमी लम्बे अमेठी बाईपास मार्ग के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (अगस्त 2003) की गयी। मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र, फैजाबाद द्वारा अमेठी बाईपास मार्ग के विस्तृत आगणन पर ₹ 2.42 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (मार्च 2004) की गयी जिसमें 67 सेमी की

आवश्यक क्रस्ट मोटाई के सापेक्ष 32 सेमी क्रस्ट मोटाई का प्रावधान था। अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद वृत्त, फैजाबाद द्वारा अमेठी बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु ₹ 2.68 करोड़ की लागत का एक अनुबंध संख्या 06/एसई फैजाबाद/03–04 गठित किया गया जिसके अनुसार कार्य के समापन की नियत तिथि सितम्बर 2005 थी।

अग्रेतर, जाँच में पाया गया कि 5.80 किमी लम्बाई हेतु आवश्यक सम्पूर्ण भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना, मात्र किमी 2 से 5.80 तक के भाग की भूमि–उपलब्धता के आधार पर, मार्च 2004 में अमेठी बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। जबकि अवशेष भाग (किमी 0 से 2) की भूमि कार्य के नियत समापन की तिथि के उपरान्त अप्रैल 2006 में प्राप्त हुयी। ठेकेदार द्वारा 3.80 किमी लम्बाई का कार्य पूर्ण (मार्च 2007) कराया गया तथा किमी 0 से 2 तक विभिन्न भागो में कुछ मिटटी का कार्य (1.60 किमी लम्बाई) मार्च 2007 तक कराया गया। कार्य समापन की नियत तिथि के उपरान्त मार्ग के किमी 0 से 2 तक के अवशेष भाग की भूमि उपलब्ध कराने के कारण ठेकेदार द्वारा श्रम व सामग्री की दरों में वृद्धि के आधार पर दरों के पुनरीक्षण की मांग की गयी। विभाग ने मार्च 2007 तक सम्पादित कार्य के आधार पर अनुबन्ध को अन्तिमीकृत कर दिया (जुलाई 2010)। अमेठी बाईपास मार्ग के अपूर्ण निर्माण कार्य पर अक्टूबर 2014 तक ₹ 2.02 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी थी।

यह भी पाया गया कि आवश्यक 67 सेमी पेवमेंट क्रस्ट के स्थान पर अपर्याप्त 32 सेमी क्रस्ट का प्रावधान किये जाने के कारण आंशिक निर्मित अमेठी बाईपास मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी थी। ठेकेदार द्वारा कार्य सम्पादन की अवधि में क्रस्ट की अपर्याप्तता सम्बन्धी तथ्य को अधिशासी अभियन्ता के संज्ञान में लाया गया था। यद्यपि, मार्ग के निर्मित भाग हेतु एग्रीगेट ड्रेन सहित किमी 0 से 2 तक के अवशेष भाग हेतु 67 सेमी क्रस्ट मोटाई का प्रस्ताव उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की स्वीकृति हेतु प्रेषित (जुलाई 2011) किया गया था जो अभी भी (अक्टूबर 2014) प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया (मार्च 2013 एवं मार्च 2014) कि पुनरीक्षित प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के अनुमोदन के उपरान्त पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वित्तीय नियमों के विपरीत आवश्यक सम्पूर्ण भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया था। अग्रेतर, राज्य आकस्मिकता निधि के अंतर्गत स्वीकृत अमेठी बाईपास मार्ग का निर्माण अमेठी टाउन एरिया में जाम की समस्या से तत्काल समाधान के मूल उद्देश्य को पूर्ण करने में विफल रहा क्योंकि मार्ग के दोनों सिरों को अभी भी (अक्टूबर 2014) जोड़ा जाना बाकी है।

इस प्रकार, स्वीकृत 5.80 किमी लम्बाई के सापेक्ष, अपर्याप्त क्रस्ट के साथ 3.80 किमी लम्बाई में आंशिक निर्मित अमेठी बाईपास मार्ग समयावधि के पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो गया। अमेठी टाउन एरिया में जाम की समस्या के समाधान का मूल उददेश्य प्राप्त नहीं हुआ एवं इस पर ₹ 2.02 करोड़ का किया गया व्यय भी अलाभकारी था। अग्रेतर, राज्य आकस्मिकता निधि के अर्न्तगत कार्य की स्वीकृति प्रदान किया जाना एवं धनराशि उपलब्ध कराना भी औचित्यपूर्ण नहीं था क्योंकि स्वीकृति के ग्यारह वर्षों के उपरान्त भी निर्माण कार्य अपूर्ण था।

शासन ने वार्ता (नवम्बर 2014) में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए स्वीकार किया कि निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के पूर्व आवश्यक सम्पूर्ण भूमि का अधिग्रहण

सुनिश्चित न किये जाने के कारण कार्य अपूर्ण था। शासन द्वारा प्रकरण में जाँच एवं यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने का भी आश्वासन दिया गया।

3.4.11 ₹ 5.24 करोड़ का अलाभकारी व्यय

खो नदी के हाइड्रोलॉजिकल स्टडी यथा प्रवाह–व्यवहार का अध्ययन किये बिना सेतु निर्माण, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण पर ₹ 5.24 करोड़ का अलाभकारी व्यय।

इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टि[103] के अनुसार सेतु एवं पहुँच मार्गों के निर्माण हेतु जल प्रवाह एवं अनुवर्ती जल स्तरों का विश्वसनीय आंकलन आधारभूत आवश्यकता है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, नजीबाबाद, बिजनौर की लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2013) में पाया गया कि जनपद बिजनौर में सारंगवाला गांव के निकट खो नदी पर सेतु, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु ₹ 4.38[104] करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत (जुलाई 2008) की गयी। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ₹ 3.36 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले सेतु[105] के निर्माण एवं निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग ₹ 1.02 करोड़ की लागत से सेतु के दोनों ओर पहुँच मार्ग व अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु उत्तरदायी थे। मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद द्वारा पहुँच मार्ग व अतिरिक्त पहुँच मार्ग के कार्य की तकनीकी स्वीकृति फरवरी 2010 में प्रदान की गयी थी।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम[106] ने सेतु सर्वेक्षण कार्य किया एवं सेतु के संरेखण हेतु तीन[107] विकल्प प्रस्तावित किये। स्थल चयन समिति[108], जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एवं लोक निर्माण विभाग के सदस्य सम्मिलित थे, ने इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों के विरूद्ध बाढ़ प्रवाह/बाढ़ प्रवाह गति, बाढ़ प्रवाह व्यवहार एवं नदी के अनुवर्ती जल स्तरों का आकलन किए बिना सेतु निर्माण हेतु उपलब्ध तीन प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव के पक्ष में निर्णय लिया (अप्रैल 2009)।

सेतु एवं पहुँच मार्गो का निर्माण कार्य क्रमशः उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एवं निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, नजीबाबाद, बिजनौर द्वारा प्रारम्भ किया गया। परन्तु जब सेतु निर्माण कार्य प्रगति में था तब बाढ़ (सितम्बर 2010) के कारण नदी की धारा बायीं तरफ (सारंगवाला गाँव की तरफ) परिवर्तित हो गयी जिसने दोनों तरफ हुए पहुँच मार्गो के निर्माण कार्य को क्षतिग्रस्त कर दिया। अधिशासी अभियन्ता ने सिविल अभियान्त्रिकी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की (आईआईटी) से नदी के हाइड्रोलॉजिकल स्टडी किये जाने का अनुरोध (दिसम्बर 2010) किया। आईआईटी ने नदी की धारा को सेतु की तरफ लाने हेतु गाइड बंध व काजवे के निर्माण की अनुशंसा करते हुए अपना प्रतिवेदन निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, नजीबाबाद, बिजनौर प्रस्तुत किया (अप्रैल 2011)।

[103] आईआरसीः एसपी 54–2000 की प्रस्तर संख्या 5.3.7।

[104] सेतु की लागतः ₹ 3.36 करोड़ व पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग की लागत ₹ 1.02 करोड़।

[105] सेतु की लम्बाई 179.30 मीटर।

[106] अमरोहा इकाई।

[107] विकल्प–1: नदी की धारा के लम्बवत् सेतु का संरेखण जिसमें दोनों सिरे सीधे जुड़ते है, विकल्प–2 सारंगवाला गाँव की तरफ कटान कर रही नदी के अपस्ट्रीम में सेतु संरेखण, विकल्प 3: डाउन स्ट्रीम जहाँ नदी की धारा फैलती है, में सेतु संरेखण।

[108] शामिल तीन सदस्य 1. अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रामपुर, 2. महाप्रबंधक बरेली/मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, बरेली 3. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (डिजाईन), उत्तर प्रदे'ा राज्य सेतु निगम, लखनऊ।

विभाग ने आईआईटी, रूड़की की अनुशंसा पर तत्परता से कोई कार्यवाही नहीं की। इस बीच, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने ₹ 4.34 करोड़ की धनराशि व्यय कर के मार्च 2012 तक सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण करा लिया एवं निर्माण खण्ड– II, लोक निर्माण विभाग, नजीबाबाद, बिजनौर द्वारा पहुँच मार्ग/अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण पर ₹ 90 लाख की धनराशि व्यय (मार्च 2012) की गयी। मुख्य अभियन्ता ने मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से स्थल की जाँच एवं कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक हाई पावर कमेटी के गठन का अनुरोध (अक्टूबर 2012) किया। अग्रेतर, वर्ष 2013–14 की बाढ़ में नदी ने अपनी धारा पुनः परिवर्तित कर दी एवं निर्मित सेतु से 200–250 मीटर दूर बह रही थी। मुख्य अभियन्ता द्वारा आईआईटी, रूड़की की अनुशंसाओं को सम्मिलित करते हुए ₹ 12.33 करोड़ का एक पुनरीक्षित आगणन विलम्ब से (मार्च 2013) उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को प्रेषित किया गया जिसने इसे प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को अग्रसारित (नवम्बर 2013) किया। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा ₹ 12.42 करोड़ का पुनरीक्षित आगणन जिसे प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनरीक्षित कर ₹ 12.65 करोड़ किया गया, शासन को जनवरी 2014 में प्रेषित किया गया जिसकी स्वीकृति अक्टूबर 2014 तक प्रतीक्षित थी।

यह स्पष्ट था कि स्थल चयन समिति द्वारा खो नदी के जल प्रवाह व अनुवर्ती जल स्तरों आदि का विश्वसनीय आकलन किए बिना अपर्याप्त सर्वेक्षण के आधार पर संरेखण का निर्णय किया गया जिसके परिणामस्वरूप नदी की धारा में प्रायः परिवर्तन हुआ। निर्मित सेतु के सूखे स्थान में आ जाने के कारण आम जनता के लिए अनुपयोगी निर्मित सेतु, पहुँच मार्ग व अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण पर किया गया व्यय ₹ 5.24 करोड़ अलाभकारी था।

लेखापरीक्षा में इंगित (दिसम्बर 2013) किए जाने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एवं लोक निर्माण विभाग के संयुक्त अध्ययन के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्थल चयन समिति जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एवं लोक निर्माण विभाग के सदस्य सम्मिलित थे, द्वारा बाढ़ प्रवाह/बाढ़ प्रवाह गति, बाढ़ प्रवाह व्यवहार एवं अनुवर्ती जल स्तरों के आवश्यक आकलन हेतु हाइड्रोलाजिकल अध्ययन किए बिना ही सेतु निर्माण स्थल का चयन किया गया।

वार्ता (नवम्बर 2014) में शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकडों की पुष्टि करते हुए निर्मित सेतु को उपयोगी बनाए जाने हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया।

3.4.12 अलाभकारी व्यय

स्वीकृति के छः वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी सेतु, इसके पहुँच मार्गों एवं बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य समक्रमिक न होने के कारण अपूर्ण रहा, जिसके कारण इन पर किया गया ₹ 121.34 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के निर्देशानुसार (अगस्त 2005) सेतु निर्माण, पहुँच मार्गों इत्यादि का कार्य इस प्रकार समक्रमिक किया जाए कि उक्त निर्माण के पूर्ण होने के उपरान्त तुरन्त जनता को अभिप्रेत हित लाभ प्राप्त हो सके।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बाँदा की लेखापरीक्षा (जनवरी 2013) एवं अग्रेतर संकलित सूचना (मई 2014) में ज्ञात हुआ कि बाँदा शहर में भारी वाहनों के डायवर्जन द्वारा यातायात सघनता से निदान एवं दुर्घटनाओं[109] से बचाव हेतु शासन द्वारा ₹ 40.01 करोड़ की लागत से 16.50 किमी लम्बे दो–लेन बाईपास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान (अक्टूबर 2007) की गयी। उक्त बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग–76 के किमी 209 से प्रारम्भ होकर प्रस्तावित बाईपास के चैनेज किमी 2.680 पर केन नदी को पार करते हुए बाँदा–नरैनी–कालिंजर मार्ग में समाप्त होना था। मुख्य अभियन्ता, झाँसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (दिसम्बर 2007) की गयी। बाँदा शहर की यातायात सघनता को देखते हुए प्रमुख अभियन्ता ने उक्त बाईपास को दो–लेन से चार–लेन किये जाने का निर्णय (जुलाई 2008) लिया। तद्नुसार शासन द्वारा 18.600 किमी लम्बे बाईपास लागत ₹ 73.98 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति (दिसम्बर 2008) एवं मुख्य अभियन्ता, झाँसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग द्वारा समान लागत की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान (फरवरी 2009) की गयी। अधीक्षण अभियन्ता, बाँदा वृत्त द्वारा कार्य सम्पादन हेतु जुलाई 2010 में कार्य समापन की नियत तिथि के साथ दो अनुबन्ध[110] गठित किए गये।

अग्रेतर, शासन द्वारा ₹ 30.57 करोड़[111] की लागत से निर्मित होने वाले 400 मीटर पहुँच मार्गों सहित केन नदी पर 479.80 मीटर लम्बे सेतु के निर्माण की स्वीकृति प्रदान (अगस्त 2008) की गयी। पहुँच मार्गों एवं सेतु निर्माण का कार्य क्रमशः लोक निर्माण विभाग एवं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा सम्पादित कराया जाना था। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित सेतु के दोनों तरफ 200 मीटर लम्बे पहुँच मार्गों के निर्माण हेतु दो अनुबन्ध[112] गठित (जुलाई 2010) किए गये।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेतु एवं पहुँच मार्गों का निर्माण कार्य बाईपास मार्ग के निर्माण कार्य के साथ समक्रमिक रूप से नहीं किया गया। साथ ही, बाईपास के चैनेज किमी 17.800 से 18.100 (300 मीटर) तक की आवश्यक भूमि अधिग्रहीत नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अक्टूबर 2014 तक सम्पूर्ण स्वीकृत लागत ₹ 73.98 करोड़ के व्ययोपरान्त भी, बाईपास के पूर्ण स्वीकृत लम्बाई 18.600 किमी के सापेक्ष भौतिक प्रगति विच्छिन्न चैनेजों[113] में 85 प्रतिशत ही थी। अग्रेतर, अक्टूबर 2014 तक मूल स्वीकृत लागत ₹ 22.76 करोड़ के सापेक्ष लगभग 74 प्रतिशत अधिक अर्थात् ₹ 39.55 करोड़ की धनराशि व्यय किए जाने के उपरान्त भी सेतु निर्माण की भौतिक प्रगति 62 प्रतिशत[114] ही थी। अक्टूबर 2014 तक, सेतु के दोनों तरफ पहुँच मार्गों की भौतिक प्रगति ₹ 7.81 करोड़ की धनराशि व्यय किए जाने उपरान्त 45 प्रतिशत थी। बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु, पुनः पुनरीक्षित आगणन प्रेषित नहीं (अक्टूबर 2014) किया गया था यद्यपि, शासन की स्वीकृति हेतु सेतु (₹ 64.74 करोड़) एवं पहुँच मार्गों (₹ 14.11 करोड़) के प्रेषित (मई 2014) पुनरीक्षित आगणन पर शासन की स्वीकृति अक्टूबर 2014 तक प्रतीक्षित थी। सेतु का निर्माण कार्य मार्च 2012 से रूका हुआ था।

[109] वर्ष 2010–11 से 2014–15 (अगस्त 2014 तक) की अवधि में भारी वाहनों से दुर्घटनाओं की संख्याः 78, मृत्युः 59, घायलों की संख्याः 77।

[110] 20/एसई/2007–08 दिनांक 31.12.2007 (कार्य प्रारम्भ तिथि) लागत ₹ 34,24,80,091.00 एवं 03/एसई/2008–09 दिनांक 04.8.2009 (कार्य प्रारम्भ तिथि) लागत ₹ 21,43,29,796.00।

[111] ₹ 780.96 लाख दोनों तरफ पहुँच मार्ग हेतु एवं ₹ 2,276.30 लाख केन नदी पर सेतु निर्माण हेतु।

[112] 20/एसई/2010–11 दिनांक 01.07.2010 लागत ₹ 94,72,705.00 एवं 21/एसई/2010–11 दिनांक 01.07.2010 लागत ₹ 94,67,959.00।

[113] किमी 0.00 से 15.350, 15.450 से 16.700 तक एसडीबीसी स्तर तक कार्य; किमी0 15.350 से 15.450, 16.700 से 16.860, 16.860 से 16.960, 16.960 से 17.800 एवं 18.100 से 18.600 तक कलवर्ट व मिटटी कार्य तथा किमी0 17.800 से 18.100 में भूमि अधिग्रहण न होने से कोई कार्य नहीं कराया गया था।

[114] फाउन्डेशन कार्य–40 प्रतिशत + सब स्ट्रक्चर 09 प्रतिशत + सुपर स्ट्रक्चर 13 प्रतिशत = 62 प्रतिशत

इस प्रकार, बाईपास मार्ग (₹ 73.98 करोड़), सेतु (₹ 39.55 करोड़) एवं पहुँच मार्गों (₹ 7.81 करोड़) पर किया गया कुल ₹ 121.34 करोड़ का व्यय अलाभकारी था क्योंकि नियत समापन तिथि से चार वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी बाईपास, सेतु एवं पहुँच मार्गों का निर्माण अपूर्ण था। परिणामस्वरूप, बाँदा शहर में भारी वाहनों के डायवर्जन द्वारा यातायात सघनता से निदान एवं दुर्घटनाओं से बचाव का वाँक्षित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

वार्ता (नवम्बर 2014) में शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि करते हुए बाईपास के निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में अवशेष भूमि के अधिग्रहण एवं रेलवे विभाग से लेबल क्रासिंग/रेल उपरिगामी सेतु बनाये जाने हेतु समन्वय स्थापित किए जाने की कार्यवाही को गति प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया। तथ्य यह है कि बाईपास मार्ग के पूर्ण न होने के कारण वाँक्षित उद्देश्य अभी भी अप्राप्त रहा।

(मुकेश पी सिंह)

इलाहाबाद प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0)

दिनांक उत्तर प्रदेश

21 जनवरी 2015

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

दिनांक 23 जनवरी 2015

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट
2.1.1

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जनपदवार वर्गीकरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.1; पृष्ठ 8)

अति संवेदनशील जनपद	संवेदनशील जनपद
अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, बदायूँ, देवरिया, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, कासगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, महराजगंज, मऊ, पीलीभीत, संत कबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सीतापुर।	**प्रथम वरीयता:** बांदा, बरेली, बिजनौर, बुलन्दशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली एवं उन्नाव। **कुल 11 जनपद** **द्वितीय वरीयता:** अलीगढ़, हरदोई, रामपुर एवं शाहजहाँपुर।
कुल 23 जनपद	**कुल 04 जनपद**

(स्रोतः प्रमुख अभियन्ता कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.2

वर्ष 2009-13 के दौरान राज्य को बाढ़ से क्षति/नुकसान

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.1; पृष्ठ 9)

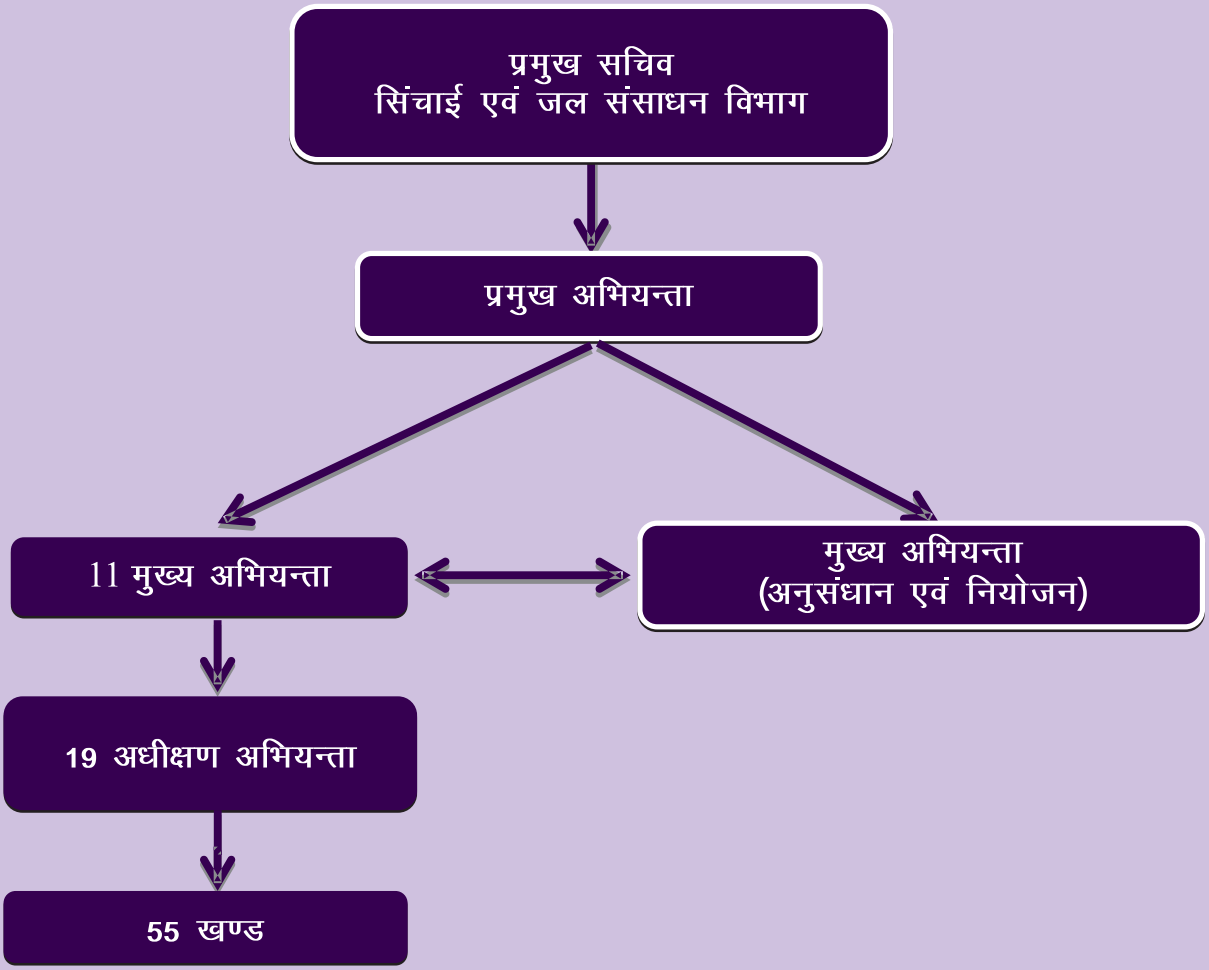
वर्ष	प्रभावित जनपदों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	प्रभावित गाँवों की संख्या	क्षतिग्रस्त हुये मकानों की संख्या (लाख में)	मृतकों की संख्या (संख्या में)	मृत पशुओं की संख्या (संख्या में)	क्षतियों की लागत (₹ करोड़ में)
2009	15	20.38	1,712	0.04	35	90	129.30
2010	44	53.76	6,819	1.19	118	714	1,013.78
2011	36	23.06	3,587	0.48	729	249	1,438.44
2012	15	6.835	1,118	0.06	105	70	117.87
2013	40	35.44	5,785	0.80	380	550	3,259.53
योग	**150**	**139.475**	**19,021**	**2.57**	**1,367**	**1,673**	**5,958.92**

(स्रोतः प्रमुख अभियन्ता कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट
2.1.3

संगठनात्मक ढाँचा

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.3; पृष्ठ 9)



परिशिष्ट 2.1.4

वर्ष 2009–14 के दौरान राज्य आपदा मोचक निधि के अन्तर्गत प्राप्त एवं उसके सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.7.1; पृष्ठ 11 एवं प्रस्तर संख्या 2.1.7.2; पृष्ठ 13)

(₹ लाख में)

विवरण	बदायूँ	बरेली	गौतमबुद्ध नगर	गोण्डा	गोरखपुर			कुशीनगर	लखीमपुर खीरी	मुजफ्फर नगर	सिद्धार्थ नगर		योग
					बाढ़ खण्ड–2	बाढ़ खण्ड	ड्रेनेज खण्ड				सिंचाई निर्माण खण्ड	ड्रेनेज खण्ड	
2009-10													
प्रारम्भिक अवशेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल उपलब्ध निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.86	0.00	0.00	552.52	600.38
व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.86	0.00	0.00	552.52	600.38
अन्तिम अवशेष (कुल उपलब्ध निधि का प्रतिशत)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00
2010-11													
प्रारम्भिक अवशेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
कुल उपलब्ध निधि	108.74	103.54	109.70	1078.64	96.24	106.23	189.25	0.00	2,509.02	423.00	213.34	802.58	5,740.28
व्यय	108.74	103.54	59.34	1078.64	96.24	106.23	189.25	0.00	2,509.02	423.00	213.34	802.58	5,689.92
अन्तिम अवशेष (कुल उपलब्ध निधि का प्रतिशत)	0.00 (0)	0.00 (0)	50.36 (46)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	50.36
2011-12													
प्रारम्भिक अवशेष	0.00	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.36
कुल उपलब्ध निधि	617.63	90.33	217.10	901.17	90.32	130.21	42.00	78.36	0.00	1,363.93	630.04	1,227.62	5,388.71
व्यय	615.49	90.33	109.70	893.03	85.68	130.21	42.00	78.36	0.00	1,363.93	630.04	1,227.62	5,266.39
अन्तिम अवशेष (कुल उपलब्ध निधि का प्रतिशत)	2.14 (0)	0.00 (0)	107.40 (51)	8.14 (01)	4.64 (05)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	122.32
2012-13													
प्रारम्भिक अवशेष	0.00	0.00	107.40	8.14	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.18
कुल उपलब्ध निधि	252.05	0.00	107.40	150.93	129.24	351.71	440.37	0.00	0.00	52.60	1,169.28	5,000.18	7,627.76
व्यय	252.05	0.00	107.40	150.93	129.24	325.71	440.37	0.00	0.00	52.60	1,169.28	5,000.18	7,653.76
अन्तिम अवशेष (कुल उपलब्ध निधि का प्रतिशत)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	26.00 (08)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	26.00
2013-14													
प्रारम्भिक अवशेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
कुल उपलब्ध निधि	722.51	19.52	0.00	284.11	88.36	202.04	252.88	43.83	21.76	176.03	545.75	0.00	2,356.79
व्यय	244.28	19.52	0.00	284.11	88.36	26.00	28.85	21.92	21.76	176.03	545.75	0.00	1,456.58
अन्तिम अवशेष (कुल उपलब्ध निधि का प्रतिशत)	478.23 (66)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	176.04 (87)	224.03(88)	21.91 (50)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	0.00 (0)	900.21

(स्रोतः खण्डों द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.5

मुख्य लेखाशीर्ष–2711 के अन्तर्गत आवंटन एवं उसके सापेक्ष व्यय का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.7.1; पृष्ठ 11)

(₹ लाख में)

जनपद एवं खण्ड का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		योग	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
बरेलीः												
बाढ़ खण्ड	34.00	34.00	30.00	30.00	89.50	89.50	65.00	65.00	50.00	50.00	268.50	268.50
बदायूँः												
बाढ़ खण्ड	70.00	70.00	84.00	84.00	211.00	211.00	315.00	315.00	198.00	198.00	878.00	878.00
गौतमबुद्ध नगरः												
सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद	12.00	12.00	80.00	80.00	78.00	78.00	100.00	100.00	91.00	91.00	361.00	361.00
गोण्डाः												
बाढ़ खण्ड	130.00	130.00	193.75	193.75	147.00	147.00	220.00	220.00	145.00	144.97	835.75	835.72
गोरखपुरः												
बाढ़ खण्ड	120.56	120.56	105.04	105.04	207.40	207.40	125.00	125.00	113.70	111.20	671.70	669.20
बाढ़ खण्ड–द्वितीय	65.00	65.00	150.57	150.57	195.22	195.22	301.00	301.00	72.50	65.00	784.29	776.79
ड्रेनेज खण्ड	85.00	85.62	100.00	100.04	76.00	76.99	100.00	98.96	128.50	127.63	489.50	489.24
कुशीनगरः												
बाढ़ खण्ड	25.00	25.00	59.00	59.00	230.17	230.17	172.00	172.00	211.00	211.00	697.17	697.17
लखीमपुर खीरीः												
बाढ़ खण्ड	35.20	35.20	37.00	37.00	19.52	19.52	135.00	100.00	85.00	85.00	311.72	276.72
मुजफ्फरनगरः												
ड्रेनेज खण्ड	296.05	296.48	123.50	123.46	120.00	119.33	315.00	314.96	215.00	214.99	1069.55	1069.22
सिद्धार्थनगरः												
ड्रेनेज खण्ड	36.20	36.20	135.70	135.70	87.72	87.72	130.00	130.00	118.50	118.50	508.12	508.12
सिंचाई निर्माण खण्ड	46.80	46.80	105.00	105.00	98.00	98.00	130.00	130.00	64.00	64.00	443.80	443.80

(स्रोतः खण्डों द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.6

वर्ष 2009-14 के दौरान प्रावधानित एवं उसके सापेक्ष व्यय का विवरण (भारत सरकार सहायतित)

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.7.2; पृष्ठ 12)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान			व्यय	बचत/समर्पण
	केन्दांश	राज्यांश	योग	योग	
2009-10	169.03	56.35	225.38	214.80	10.58
2010-11	190.11	63.37	253.48	207.52	45.96
2011-12	82.78	27.59	110.37	30.86	79.51
2012-13	--	--	--	--	--
2013-14	208.43	83.27	291.70	103.04	188.66
योग	**650.35**	**230.58**	**880.93**	**556.22**	**324.71**

(स्रोतः कार्यालय प्रमुख अभियन्ता से एकत्रित सूचना)

वर्ष 2009–14 के दौरान प्रावधान एवं उसके सापेक्ष व्यय का विवरण (नाबार्ड से ऋण)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान			व्यय	बचत/समर्पण
	नाबार्ड से ऋण	राज्यांश	योग		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
2009-10	386.99	26.69	413.68	311.91	101.77
2010-11	168.18	18.78	186.96	160.97	25.99
2011-12	402.64	54.21	456.85	355.36	101.49
2012-13	14.36	1.95	16.31	3.09	13.22
2013-14	25.10	8.62	33.72	-	33.72
योग	**997.27**	**110.25**	**1,107.52**	**831.33**	**276.19**

(स्रोतः कार्यालय प्रमुख अभियन्ता से एकत्रित सूचना)

परिशिष्ट
2.1.7

चयनित खण्डों में प्रावधान एवं व्यय का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.7.2; पृष्ठ 12)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत/समर्पण (कॉलम संख्या 2 – कालम संख्या 3) (कालम 2 के सापेक्ष प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
2009-10	154.10	143.56	10.54 (7)
2010-11	211.05	210.71	0.34 (1)
2011-12	172.00	169.81	2.19 (1)
2012-13	242.76	239.95	2.81 (1)
2013-14	146.86	141.34	5.52 (4)
योग	**926.77**	**905.37**	**21.40 (2)**

(स्रोतः चयनित खण्डों से एकत्रित सूचना)

परिशिष्ट
2.1.8

चयनित जनपदों के खण्डों में सृजित दायित्वों का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.7.3; पृष्ठ 13)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जनपद / खण्ड का नाम	दायित्व सृजन की अवधि	धनराशि
1	**फैजाबाद**		
	बाढ़ खण्ड	2007-08 से 2011-12	194.70
2	**गोण्डा**		
	बाढ़ खण्ड	2005-06 से 2011-12	1,696.79
3	**गोरखपुर**		
	ड्रेनेज खण्ड	1996-97 से 2012-13	2,438.85
	बाढ़ खण्ड	2007-08 से 2011-12	662.80
	बाढ़ खण्ड–द्वितीय	1992-93 से 2013-14	235.30
4	**कुशीनगर**		
	बाढ़ खण्ड	2009-10 से 2011-12	884.47
5	**लखीमपुर खीरी**		
	बाढ़ खण्ड	2009-10 से 2011-12	4,994.67
6	**सिद्धार्थनगर**		
	ड्रेनेज खण्ड	1997-98 से 2011-12	3,607.15
	सिंचाई निर्माण खण्ड	2007-08 से 2011-12	575.06
		योग	**15,289.79** **अर्थात् ₹ 152.90 करोड़**

(स्रोतः चयनित जनपदों के खण्डों द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.9

लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु निधियों के व्ययवर्तन का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.7.3; पृष्ठ 13)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जनपद / खण्ड का नाम	कार्य का नाम जिसके आवंटन को व्ययवर्तित किया गया	अवधि	दायित्वों के भुगतान का विवरण	
				मद / कार्य का नाम	धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**गोण्डा**				
	बाढ़ खण्ड	एल्गिन ब्रिज चरसरी बन्धे के किमी 35.00 से 36.350 तक कटाव निरोधक कार्य	2010-11	वैट, आयकर, रायल्टी और प्राविधिक संपरीक्षा प्रकोष्ठ की वसूली, वर्ष 2009–10 से सम्बन्धित भुगतान	54.14
		एल्गिन ब्रिज चरसरी बन्धे के किमी 16.100 से 17.500 तक कटाव निरोधक कार्य	--तदैव--		45.00
		एल्गिन ब्रिज चरसरी बन्धे के किमी 10.00 एवं 20.00 के बीच रिटायर्ड बन्धे का निर्माण	2011-12		25.00
		एल्गिन ब्रिज चरसरी बन्धे के किमी 14.950 एवं 16.500 के बीच रिंग बन्धे का निर्माण	--तदैव--		25.00
		रेवली आदमपुर बन्धे के किमी 11.460 और 11.750 के बीच लांचिग एप्रन, परक्यूपाईन स्टड का निर्माण	2012-13		60.92
		एल्गिन ब्रिज चरसरी बन्धे के किमी 22.775 और 22.900 के बीच कटाव निरोधक कार्य	--तदैव--		14.75
2	**गोरखपुर**				
	बाढ़ खण्ड	नौसढ़–कलानी रिंग बन्ध के किमी 0.200 से 3.00 तक सुरक्षात्मक कार्य	2013-14	आमी बन्धे के निर्माण का ठेकेदार के पिछले वर्षों के बिलों का भुगतान	41.90
		मलौनी बन्ध पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य	2013-14	आमी बन्धे के निर्माण का ठेकेदार के पिछले वर्षो के बिलों का भुगतान	5.36
3	**सिद्धार्थनगर**				
	ड्रेनेज खण्ड	करमहना–भोजपुर बन्धे के किमी 8.500 से 9.00 तक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य	2013-14	सकरौर–भिखारीपुर रिंग बन्धे पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य	41.52
				टेंगनहिया मनकोट ग्राम में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य	67.00
				योग	**380.59 अर्थात् ₹ 3.81 करोड़**

(स्रोतः चयनित जनपदों के खण्डों द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट
2.1.10

बाढ सुरक्षा हेतु विभिन्न संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक उपायों का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.8; पृष्ठ 14)

संरचनात्मक उपाय

जलाशय

जलाशय आने वाले बाढ़ की तीव्रता को नियन्त्रित कर सकते है। ये नदी में अधिक बहाव के समय जल को संचित करते है एवं उच्च बहाव की कठिन परिस्थितियों के व्यतीत होने के पश्चात जल को अवमुक्त करते है जिससे कि अगली धारा को लेने के लिए वे तैयार रहें।

अवरोधन घाटी

अवरोधन घाटी का निर्माण सामान्यतया प्राकृतिक गड्ढों/दलदली भूमियों एवं झीलों के चारों तरफ वृत्त तटबन्ध बनाकर उनकी क्षमता में वृद्धि करके एवं संग्रहित जल को अवमुक्त करने हेतु उचित उपाय प्रदान करके किया जाता है।

तटबन्ध

तटबन्ध, बाढ़ के बहाव को सीमित रखते हैं एवं उत्प्रवाह को रोकते हैं जिससे नुकसान को कम किया जा सके। तटबन्धों को बड़ी नदियों एवं उनकी सहायक नदियों के गम्भीर आघातों से स्परों, पिचिंग और अन्य कटाव निरोधक कार्यों द्वारा उचित प्रकार से सुरक्षा प्रदान की जाती है।

नदियों का चैनेलाइजेशन

नदियों का चैनेलाइजेशन, नेवीगेशन चैनेलों का सक्रिय करके एवं नदियों को उनकी मूल धारा में लाकर, मेन्डरिंग की समस्या से निपटना है।

चैनेल सुधार

चैनेल सुधार में सिल्ट सफाई, तलकर्षण, लाइनिंग आदि के द्वारा नदियों की हाइड्रोलिक स्थिति में सुधार लाना सम्मिलित है ताकि नदियों के डिस्चार्ज को कम स्तर पर अथवा बैंक के स्तर तक सीमित किया जा सके। तलकर्षण नदी के किनारों पर कटाव को रोकने हेतु चैनेल सुधार का एक उपाय है।

बाढ जल का प्रत्यावर्तन

बाढ के जल के प्रत्यावर्तन में, बाढ़ के प्रवाह के किसी भाग को दूसरी घाटी या उसी घाटी में, समस्याग्रस्त क्षेत्र के डाउनस्ट्रीम में भेजना अथवा किसी गढढे में एकत्र करना, जहाँ से एकत्रित जल को भविष्य में अवमुक्त किया जा सके, सम्मिलित है।

गैर–संरचनात्मक उपाय

बाढ़ पूर्वानुमान

बाढ़ की अग्रिम चेतावनी मिलने पर लोगों को बाढ़ से बचाकर निकालने एवं उनकी चल सम्पत्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने में सहायता प्रदान की जाती हैं। बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी केन्द्रीय जल आयोग का दायित्व है। वर्तमान में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पूरे राज्य में सभी सात नदी घाटियों को आच्छादित करते हुए 115 हाइड्रोलिक एवं हाइड्रो–मेट्रोलाजिकल स्थल, गेज, डिस्चार्ज, तलछटी एवं जल गुणवत्ता को मापने हेतु संचालित किये जा रहे हैं।

फ्लड प्लेन जोनिंग

फ्लड प्लेन जोनिंग में ऐसे क्षेत्रों, जो विभिन्न तीव्रताओं, बारम्बारताओं एवं प्रायिकताओं की बाढ़ों से प्रभावित रहते है, को रेखांकित किया जाता है एवं उनमें विकास कार्यो की अनुमन्यता की सीमा स्पष्ट की जाती है ताकि जब कभी वास्तव मे बाढ़ आये तब भले ही उससे बचा न जा सके किन्तु क्षतियों को कम किया जा सके।

फ्लड प्रूफिंग

फ्लड प्रूफिंग उपायों के अन्तर्गत गाँवों को पूर्व में निर्धारित बाढ़ स्तर से ऊपर उठाना एवं उन्हे आसपास की सडकों एवं ऊँची भूमियों से जोड़ना सम्मिलित है।

परिशिष्ट 2.1.11

एक ही स्थल/समीपवर्ती स्थल पर कार्यों की पुनरावृत्ति का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.8.4; पृष्ठ 17)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्य की पुनरावृत्ति का विवरण			
	कार्यस्थल	वर्ष	कार्य का नाम	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जनपद–गोण्डा (बाढ़ खण्ड)				
1	एल्गिन ब्रिज चरसरी बन्ध का किमी 10.00 से 20.00	2009-10	किमी 15.00 से 18.250 कटान निरोधक कार्य	276.41
			किमी 11.750 पर स्पर के क्षतिग्रस्त नोज पर पुर्नस्थापना का कार्य	89.31
			किमी 11.750 से 12.500 पर रिटायर्ड बन्ध के पुर्नस्थापना का कार्य	101.05
			बन्धे के किमी 11.750 से 12.500 पर बाढ़ सुरक्षा एवं पुर्नस्थापना का कार्य	417.59
		2010-11	किमी 16.100 से 17.500 कटान निरोधक कार्य	539.02
			किमी 14.950 पर फ्लड फाइटिंग कार्य	15.00
			किमी 16.095 पर फ्लड फाइटिंग कार्य	14.96
		2011-12	किमी 14.945 से 16.950 के बीच डैम्पनर संख्या 10 पर मरम्मत/पुर्नस्थापना का कार्य	57.79
			किमी 16.550 पर कटान निरोधक कार्य	24.29
			किमी 10.00 से 20.00 पर रिटायर्ड बन्धे का निमाण कार्य	565.99
		2012-13	किमी 11.185 एवं 11.285 पर कटान निरोधक कार्य	30.49
			किमी 14.480 पर स्पर के पुर्नस्थापना का कार्य	28.57
			किमी 14.780 पर स्पर के पुर्नस्थापना का कार्य	3.73
		2013-14	किमी 14.945 से 16.530 पर स्पर एवं डैम्पनर संख्या 10 पर कटान निरोधक कार्य	17.03
			योग	**2,181.23**
2	रेवली आदमपुर बंध के किमी 9.350 एवं 11.580 के मध्य	2010-11	किमी 9.500 से 10.350 पर कटान निरोधक कार्य	299.55
			किमी 10.00 के स्पर संख्या 01 के शैंक एवं नोज पर सुरक्षात्मक कार्य	189.40
			किमी 10.230 एवं 10.350 पर परक्यूपाईन एवं स्पर की पुर्नस्थापना का कार्य	371.52
		2011-12	किमी 11.460 से 11.580 पर कटान निरोधक कार्य	18.92
			किमी 9.375 से 9.750 पर कटान निरोधक कार्य	500.00
			किमी 9.450 से 9.725 पर कटान निरोधक कार्य	368.42
			किमी 9.775 से 9.990 पर कटान निरोधक कार्य	571.31
			किमी 9.395 से 9.750 पर कटान निरोधक कार्य	359.35
			किमी 9.350 पर कटान निरोधक कार्य	589.63
		2012-13	किमी 11.200 से 11.460 पर कटान निरोधक कार्य	668.52
			रेवली आदमपुर बंध के किमी 11.460 पर स्पर संख्या 9 एवं किमी 9.350 से 12.300 तक सुरक्षात्मक कार्य	39.74
			योग	**3,976.36**

जनपद बदायूँ (बाढ़ खण्ड)				
3	गंगा महावा बन्ध के किमी 17.125 से 18.660	2011-12	किमी 17.125 से 18.125 के मध्य चार स्परों का निर्माण	110.19
			किमी 18.05 पर क्षतिग्रस्त शैंक की पुर्नस्थापना का कार्य	19.69
			किमी 18.00 पर क्षतिग्रस्त शैंक की पुर्नस्थापना का कार्य	19.50
			किमी 18.550 से 18.650 पर क्षतिग्रस्त बन्धे की मरम्मत/पुर्नस्थापना का कार्य	39.98
			योग	**189.36**
4	जोरी नगला की बाढ़ सुरक्षा का कार्य	2012-13	किमी 1.75 से 4.81 पर बाढ़ सुरक्षा का कार्य	407.22
			किमी 1.70 से 1.90 के मध्य क्षतिग्रस्त डैम्पनर की मरम्मत/पुर्नस्थापना का कार्य	36.43
5	चन्दनपुर हुसैनपुर तटबन्ध का सुदृढ़ीकरण	2012-13	तटबन्ध के किमी 0.00 से 10.350 का सुदृढ़ीकरण	400.61
			किमी 4.50 से 5.30 की बाढ़ सुरक्षा का कार्य	56.47
		2013-14	किमी 1.750 से 3.250 की बाढ़ सुरक्षा का कार्य	191.66
			किमी 0.00 से 3.600 के मध्य शैंक की मरम्मत/पुर्नस्थापना का कार्य	14.19
			योग	**1,106.58**
जनपद–मुजफ्फरनगर (ड्रेनेज खण्ड)				
6	ग्राम रामडा के निकट कार्य	2010-11	यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित अम्बेडकर ग्राम रामडा एवं हैदरपुर की बाढ़ सुरक्षा का कार्य	331.12
			ग्राम रामडा के निकट कटान निराधक कार्य	36.85
7	यमुना नदी के बायें किनारें पर स्थित ग्राम मावी, काकोर, मामोर एवं सहपत में बाढ़ सुरक्षा का कार्य	2010-11	यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम मावी, काकोर, मामोर एवं सहपत की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा का कार्य	228.16
			ग्राम काकोर में बाढ़ सुरक्षा का कार्य	68.20
			ग्राम मावी में बाढ़ सुरक्षा का कार्य	54.70
		2011-12	ग्राम मावी में बाढ़ सुरक्षा का कार्य	97.23
			ग्राम काकोर में बाढ़ सुरक्षा का कार्य	72.12
			योग	**888.38**
जनपद–गोरखपुर (बाढ़ खण्ड–द्वितीय)				
8	बैरिया–ददरी–सेमरा बन्ध	2010-11	बैरिया–ददरी–सेमरा बन्ध के किमी 5.200 से 6.500 के मध्य वर्षा से कटान की भराई का कार्य एवं शैंक की पुर्नस्थापना	10.00
		2011-12	बैरिया–ददरी–सेमरा बन्ध के किमी 0.00 से 6.500 के मध्य वर्षा से कटान की भराई का कार्य	19.79
		2012-13	बैरिया–ददरी–सेमरा बन्ध के किमी 5.200 से 6.500 के मध्य वर्षा से कटान की भराई का कार्य एवं शैंक की पुर्नस्थापना	17.23
			क्षतिग्रस्त स्लोप एवं डौला की पुर्नस्थापना का कार्य (किमी 0.00 से 0.970)	19.99
9	कंसासुर–खुटभार रिंग बन्ध	2010-11	बन्धे की पुर्नस्थापना का कार्य (किमी 0.00 से 8.74)	10.00
		2011-12	रिंग बन्धे की पुर्नस्थापना का कार्य (किमी 0.00 से 8.74)	19.30
			वर्षा से कटान की भराई का कार्य	19.33
		2012-13	वर्षा से कटान की भराई का कार्य	11.82
			वर्षा से कटान की भराई का कार्य (किमी 2.00 से 3.00)	18.45

10	कोठा–रखहट बन्ध किमी 0.00 से 8.18	2010-11	बाढ़ सुरक्षा का आपातकालीन कार्य	10.00
		2011-12	बाढ़ सुरक्षा का आपातकालीन कार्य	18.06
		2012-13	बाढ़ सुरक्षा का आपातकालीन कार्य	19.99
11	मझवलिया बन्ध किमी 0.00 से 3.200	2011-12	बाढ़ सुरक्षा का आपातकालीन कार्य	23.22
		2012-13	रिंग बन्ध के निर्माण का कार्य	279.53
			क्षतिग्रस्त बन्धे की मरम्मत/पुर्नस्थापना का कार्य (किमी 0.00 से 0.500)	19.03
			योग	**515.74**
जनपद–गोरखपुर (ड्रेनेज खण्ड)				
12	बेलसर रिगौली बाँध	2010-12	राप्ती नदी के बाये किनारें पर स्थित बेलसर रिगौली बाँध का सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण	807.11
		2010-11	मरम्मत का कार्य	19.07
		2011-12	किमी 24.200 एवं 24.400 के मध्य बाढ़ सुरक्षा का कार्य	19.98
			किमी 22.400 एवं 22.600 के मध्य बाढ़ सुरक्षा का कार्य	19.99
			किमी 16.500 एवं 16.700 के मध्य बाढ़ सुरक्षा का कार्य	19.97
			वर्षा से कटान की भराई का कार्य	19.96
			क्षतिग्रस्त बन्धे की मरम्मत (किमी10.600 से 14.000)	15.65
			क्षतिग्रस्त बन्धे की मरम्मत (किमी 14.000से 18.000)	15.71
			क्षतिग्रस्त बन्धे की मरम्मत (किमी18.000 से 22.000)	15.00
			क्षतिग्रस्त बन्धे की मरम्मत (किमी26.000 से 26.850)	13.20
			क्षतिग्रस्त बन्धे की मरम्मत (किमी22.00 से 26.00)	15.71
			योग	**981.35**
जनपद–गोरखपुर (बाढ़ खण्ड)				
13	बखरिया रिंग बाँध	2010-11	किमी 0.300 एवं 0.710 के मध्य बाढ़ सुरक्षा का कार्य	469.64
			किमी 0.275 से 0.365 के मध्य आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा का कार्य	16.00
		2011-12	वर्षा से कटान की भराई का कार्य	6.07
14	कनैल मझगवाँ बाँध	2010-11	किमी 6.100 एवं 6.400 के मध्य बाढ़ सुरक्षा का कार्य	86.05
			किमी 0.00 से 6.850 के मध्य बन्धें का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	45.17
			किमी 1.200 एवं 1.520 के मध्य बाढ़ सुरक्षा का कार्य	80.64
			किमी 5.650 एवं 6.010 के मध्य बाढ़ सुरक्षा का कार्य	165.76
		2011-12	किमी 5.650 एवं 6.010 के मध्य बाढ़ सुरक्षा का कार्य	4.04
			किमी 6.090 एवं 6.12 के मध्य लांचिग एप्रन के सुदृढ़ीकरण का कार्य	19.86
			किमी 2.020 पर स्थित शैंक की पुर्नस्थापना का कार्य	9.89
			वर्षा से क्षतिग्रस्त बन्धे की पुर्नस्थापना (किमी 0.00 से 6.850)	14.67
15	नौसढ़ कलानी रिंग बाँध के किमी 0.200 से 3.00	2010-11	वर्षा से क्षतिग्रस्त किमी 0.200 से 0.375 पर बन्धे की पुर्नस्थापना	6.37
		2011-12	किमी 0.500 से 1.500 तक साईड स्लोप की पुर्नस्थापना	19.55
		2012-13	किनारों का सुदृढ़ीकरण कार्य	99.63
		2013-14	किनारों का सुदृढ़ीकरण कार्य	470.63
			योग	**1,513.97**

जनपद–कुशीनगर (बाढ़ खण्ड)				
16	एपी तटबन्ध	2011-12	किमी 10.518 पर स्पर के पुर्नस्थापना का कार्य	18.98
		2013-14	किमी 10.500 पर स्पर नोज के ढलान पर पिंचिंग कार्य	72.00
			योग	**90.98**
जनपद–सिद्धार्थनगर (ड्रेनेज खण्ड)				
17	सकरौर–भिखारीपुर (एसबी) रिटायर्ड बन्ध	2009-11	किमी 9.800 से 11.600 पर रिटायर्ड बन्धे का निर्माण एवं कटान निरोधक कार्य	784.34
			किमी 0.950 से 11.600 पर रिटायर्ड बन्धे का निर्माण एवं कटान निरोधक कार्य	404.22
		2008-10	किमी 9.800 से 11.250 पर रिटायर्ड बन्धे का निर्माण एवं कटान निरोधक कार्य	245.00
		2011-12	किमी 12.700 से 14.00 पर रिटायर्ड बन्धे का निर्माण एवं किमी 12.700 पर स्पर का निर्माण कार्य	638.98
			किमी 0.950 पर स्पर संख्या 5 की पुर्नस्थापना (आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा कार्य)	29.10
			स्पर संख्या 4 के क्षतिग्रस्त नोज की पुर्नस्थापना का कार्य	74.35
			–तदैव–	69.50
			किमी 0.00 से 22.600 के मध्य क्षतिग्रस्त बन्धें की पुर्नस्थापना का कार्य	99.20
			किमी 0.00 से 22.600 के मध्य बाढ़ सुरक्षा का कार्य (आपातकालीन कार्य)	230.80
			स्पर संख्या 6 के क्षतिग्रस्त नोज की पुर्नस्थापना का कार्य	35.40
		2012-13	आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा कार्य	43.28
			किमी 11.600 पर स्थित स्पर के क्षतिग्रस्त नोज की पुर्नस्थापना का कार्य	47.02
			किमी 12.400 पर स्थित स्पर की आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा का कार्य	49.54
			किमी 12.400 पर स्थित स्पर की आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा का कार्य	46.00
			किमी 13.600 पर स्थित स्पर पर आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा कार्य	49.14
			किमी 13.600 पर स्थित स्पर के क्षतिग्रस्त नोज की पुर्नस्थापना का कार्य	44.88
			किमी 12.050 पर स्थित स्पर पर आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा कार्य	37.35
			किमी 12.050 पर स्थित स्पर के क्षतिग्रस्त नोज की पुर्नस्थापना का कार्य	47.03
			किमी 12.700 पर स्थित क्षतिग्रस्त स्पर की पुर्नस्थापना का कार्य	37.92
			किमी 11.000 पर स्थित क्षतिग्रस्त स्पर की पुर्नस्थापना का कार्य	48.93
			किमी 11.300 पर स्थित क्षतिग्रस्त स्पर की पुर्नस्थापना का कार्य	50.00
			योग	**3,111.98**

जनपद–सिद्धार्थनगर (सिंचाई निर्माण खण्ड)				
18	बाँसी पनघटिया बाँध	2011-12	बम्बू क्रेट का निर्माण (किमी 0.775 से 0.875)	6.30
		2012-13	तीन क्रेट का निर्माण (किमी 0.775 से 0.875)	0.70
		2011-12	चार क्रेट का निर्माण (किमी 0.900 से 1.250)	8.39
		2012-13	चार क्रेट का निर्माण (किमी 0.900 से 1.250)	0.93
		2013-14	किमी 0.450 से 0.700 पर बाढ़ सुरक्षा कार्य	617.31
			पाँच कटर की पुर्नस्थापना (किमी 0.650 से 0.750)	19.79
		2012-13	बन्धे के किमी 0.700 से 5.00 के टाँप एवं स्लोप की पुर्नस्थापना का कार्य	11.60
			किमी 0.675 से 0.795 तक नौ बम्बू क्रेट का निर्माण	10.08
			किमी 0.750 से 1.150 तक बाढ़ सुरक्षा कार्य	122.74
		2013-14	किमी 0.750 से 1.150 तक बाढ़ सुरक्षा कार्य	38.13
			ईट, झाँवा आदि के द्वारा डैम्पनर का निर्माण	16.74
			योग	**852.71**
जनपद–बरेली (बाढ़ खण्ड)				
19	गौटिया मोहर सिंह बाँध का निर्माण	2007-10	बाँध का निर्माण	739.12
		2010-11	बाँध की पुर्नस्थापना	193.87
		2013-14	बाँध की पुर्नस्थापना किमी 11.700 से 15.700 एवं 0.00 से 9.00	39.05
			योग	**972.04**
जनपद–लखीमपुर खीरी (बाढ़ खण्ड)				
20	शारदा नदी के बायें किनारे पर ऐरा ब्रिज से अम्बरपुर एवं घाघरा नदी के दायें तट पर जालिम नगर से अम्बरपुर मार्जिनल बाँध	2009-10	शारदा नदी के बायें किनारें पर ऐरा ब्रिज से अम्बरपुर के किमी 0.00 से 3.826, 4.300 से 4.835, 7.300 से 8.300, 11.800 से 12.435, 19.000 से 22.950, 23.250 से 24.250 एवं 28.575 से 28.650 तक मरम्मत एवं पाट होल्स की भराई	37.18
			जालिम नगर से अम्बरपुर के किमी 5.800, 10.00 से 11.00, 34.500 से 36.100 तक मरम्मत एवं पाट होल्स की भराई	10.68
21	घाघरा नदी के दायें तट पर स्थित ग्रामों हटवा, मठपुरवा, मोचनापुर, सधुवापुर, झबरा की सुरक्षा का कार्य	2010-11	ग्राम मठपुरवा, झबरा, मोचनापुर, हटवा एवं सधुवापुर की सुरक्षा हेतु फ्लड फाइटिंग कार्य	465.98
22	रतौली, रमपुरवा, मोचियाना चहमलपुर, चिकनाजती, मन्डुरा, ग्रामों की सुरक्षा का कार्य	2010-11	ग्राम चहमलपुर एवं चिकनाजती की सुरक्षा हेतु फ्लड फाइटिंग कार्य	426.45
		2013-14	ग्राम चहमलपुर की बाढ़ से सुरक्षा हेतु संरचना की पुर्नस्थापना का कार्य	21.75
			योग	**962.04**
जनपद–फैजाबाद (बाढ़ खण्ड)				
23	रौनाही बन्ध के किमी 7.05 से	2009-10	कटाव निरोधक कार्य (किमी 7.200 से 8.200)	122.73
			बन्धे के किमी 7.050 से 7.950 की पुर्नस्थापना	1.25

	8.200	2010-11	किमी 7.050 पर स्पर का निर्माण एवं किमी 7.300 तथा 7.950 के बीच स्थापित स्टड का सुदृढ़ीकरण	209.00
		2011-12	किमी 7.200 से 8.200 के मध्य कटाव निरोधक कार्य	20.00
24	रौनाही बन्ध के किमी 3.800 से 5.500	2009-10	किमी 4.000 से 5.000 के मध्य बाढ़ सुरक्षा का कार्य	19.96
		2011-12	किमी 4.000 से 5.000 के मध्य बाढ़ सुरक्षा का कार्य	6.50
		2009-10	किमी 3.800 से 5.400 के बीच दो टी–स्पर का निर्माण	589.87
		2012-13	किमी 3.800 से 5.400 के बीच दो टी–स्पर का निर्माण	30.00
		2012-14	किमी 5.00 से 5.500 के मध्य कटाव निरोधक कार्य	475.19
25	अयोध्या बिल्वहरि बाँध	2009-10	किमी 6.500 से 8.800 के मध्य कटाव निरोधक कार्य	59.06
			किमी 8.650 से 9.150 के मध्य कटाव निरोधक कार्य	564.68
		2010-12	किमी 9.050 से 9.150 के मध्य कटाव निरोधक कार्य	329.48
		2011-12	किमी 8.200 से 8.600 एवं 9.160 से 9.201 के मध्य आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा का कार्य	18.93
		2012-13	किमी 8.650 से 9.150 के मध्य कटाव निरोधक कार्य	44.42
		2012-14	किमी 8.300 से 8.500 के मध्य कटाव निरोधक कार्य	441.62
			योग	**2,932.69**
जनपद–गौतमबुद्ध नगर (सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद)				
26	हिन्डन यमुना दोआब बन्ध	2010-11	किमी 27.200 से 27.690 के मध्य तीन स्टड का निर्माण	738.00
			किमी 26.700 पर स्थित एप्रन एवं स्लोप पर स्टोन पिचिंग का काय	65.61
		2011-12	बन्धे के किमी 14.780 से 29.343 के मध्य की संरचना की पुर्नस्थापना एवं बन्धे का उच्चीकरण	747.29
			बन्धे के किमी 21.8.00 से 23.00 के मध्य मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण	19.67
		2012-13	पुराने संरचना की पुर्नस्थापना एवं चार नये डैम्पनर का निर्माण (किमी 18.00 से 19.00)	431.39
			बन्धे के किमी 25.950 से 28.500 की पुर्नस्थापना	280.65
		2013-14	किमी 17.500 से 22.300 के मध्य कटाव निरोधक कार्य	606.34
			योग	**2,888.95**
			महा योग	**23,164.36 या ₹ 231.64 करोड़**

(स्रोतः चयनित जनपदों के खण्डों द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.12

चयनित कार्यों का विवरण, जिनमें लाभ-लागत अनुपात की गणना ठीक प्रकार से नहीं की गयी

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.9.2; पृष्ठ 20)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	परियोजना का विवरण	परियोजना की लागत	लाभ का अनुमान	प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत	लाभ–लागत अनुपात	परियोजना पर पूर्व में कराये गये कार्य की लागत	पूर्व परियोजना की लागत जोड़ने के पश्चात् लाभ–लागत अनुपात
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जनपद–गोण्डा (बाढ़ खण्ड)							
1	रेवली आदमपुर बाँध के किमी 11.200 से 11.460 के मध्य जियो बैग द्वारा लांचिंग एप्रन एवं परक्यूपाईन स्टड का निर्माण	404.68	370.86	71.21	5.21:1	3,318.87	0.59:1
2	रेवली आदमपुर बाँध के किमी 11.460 से 11.750 के मध्य जियो बैग द्वारा लांचिंग एप्रन एवं परक्यूपाईन स्टड का निर्माण	411.54	370.86	72.66	5.10:1	3,730.41	0.58:1
जनपद–सिद्धार्थनगर (ड्रेनेज खण्ड)							
3	सकरौर–भिखारीपुर के रिटायर्ड बाँध के किमी 9.800 से 11.600 का निर्माण एवं कटाव निरोधक कार्य	554.20	593.32	214.54	2.76:1	3,357.69	0.88:1
जनपद–लखीमपुर खीरी (बाढ़ खण्ड)							
4	घाघरा नदी के दायें तट पर ग्राम समूहों की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य	3,040.00	133.63	516.80		-	0.26:1
5	शारदा नदी के बायें एवं दायें तट पर ग्राम समूहों की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य	2,504.00	100.80	425.68		-	0.24:1

(स्रोतः चयनित जनपदों के खण्डों द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.13

परियोजनाओं के प्रारम्भ में विलम्ब का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.10.1; पृष्ठ 20)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्टीयरिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की संख्या जिन्हें प्रारम्भ किया गया एवं निधि प्रदान की गयी	वर्षवार परियोजनाएँ जिनको प्रारम्भ किया गया									
			2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
			संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2009-10	288	154	02	12.98	67	296.56	43	144.98	41	192.31	01	80.24
2010-11	131	51	--	--	05	87.65	19	103.83	26	137.55	01	170.08
2011-12	145	81	--	--	--	--	18	86.14	55	247.86	08	35.54
2012-13	110	45	--	--	--	--	--	--	09	48.87	36	206.87
2013-14	131	10	--	--	--	--	--	--	--	--	10	69.21
योग	**805**	**341**	**02**	**12.98**	**72**	**384.21**	**80**	**334.95**	**131**	**626.59**	**56**	**561.94**

(स्रोतः प्रमुख अभियन्ता कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.14

स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ करने में विलम्ब के कारण कराये गये अस्थायी कार्यों का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.10.1; पृष्ठ 20)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	स्वीकृत कार्यों का विवरण			अस्थायी कार्यों का विवरण		
	कार्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्य सम्पादित किये जाने की अवधि	परियोजना को प्रारम्भ किये जाने का वर्ष	कॉलम संख्या 2 में अंकित कार्य की स्वीकृति के पश्चात् अस्थायी कार्यों को चालू किये जाने का विवरण	कॉलम संख्या 6 में अंकित कार्य पर व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जनपद–गोरखपुर						
1	बोक्टा–बरवार बाँध के किमी 0.500 से 0.900, 1.600 से 1.970, 7.500 से 7.800 के मध्य बाढ़ सुरक्षा कार्य	2011-12	मार्च 2014 तक प्रारम्भ नहीं किया गया	2013-14	(i) राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित बोक्टा–बरवार बाँध के किमी 7.505 से 7.630 के मध्य आपातकालीन कार्य	19.89
					(ii) राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित बोक्टा–बरवार बाँध के किमी 7.675 से 7.750 के मध्य आपातकालीन कार्य	24.15
2	बरसाइत कटान स्थल के किमी 22.800 से 23.300 के मध्य बाढ़ सुरक्षा कार्य	2011-12	मार्च 2014 तक प्रारम्भ नहीं किया गया	2013-14	(iii) बरसाइत कटान स्थल के किमी 22.800 से 23.300 के मध्य बाढ़ सुरक्षा कार्य (आपातकालीन कार्य)	19.63
जनपद–कुशीनगर						
3	एपी बाँध के किमी 1.600 से 1.900 के मध्य पुर्नस्थापना एवं कटान निरोधक कार्य	2011-12	2012-13	2012-13	(iv) किमी 1.710, 1.735, 1.760 पर स्टड एवं किमी 1.710 से 1.800 के मध्य लाचिंग एप्रन की मरम्मत/निर्माण कार्य	15.82
					(v) किमी 1.710, 1.735, 1.760 पर स्टड एवं किमी 1.710 से 1.800 के मध्य लाचिंग एप्रन की मरम्मत/निर्माण कार्य	19.87
जनपद–गोण्डा						
4	रेवली आदमपुर बाँध के किमी 11.200 से 11.460 कटाव निरोधक कार्य	2011-12	2012-13	2011-12	(vi) रेवली आदमपुर बाँध के किमी 11.260 से 11.360 के मध्य आपातकालीन कार्य	19.82
5	रेवली आदमपुर बाँध के किमी 11.460 से 11.750 कटाव निरोधक कार्य	2011-12	2012-13	2011-12	(vii) रेवली आदमपुर बाँध के किमी 11.460 से 11.580 के मध्य आपातकालीन कार्य	18.92
					योग	**138.10 अर्थात् ₹ 1.38 करोड़**

(स्रोतः चयनित जनपदों के खण्डों द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.15

चयनित जनपदों में अपूर्ण कार्यों का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.10.2; पृष्ठ 21)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	जनपद/खण्ड का नाम	कुल कराये गये कार्यो की संख्या	परियोजनाओं के स्वीकृति की अवधि	कार्य की लागत	अपूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों पर व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**गोण्डा**					
	बाढ़ खण्ड	26	2007-12	144.04	24	98.17
2	**गोरखपुर**					
	ड्रेनेज खण्ड	08	2009-10	66.38	08	57.07
	बाढ़ खण्ड	17	2003-12	71.70	12	27.68
	बाढ़ खण्ड-2	20	2005-12	98.87	17	57.61
3	**लखीमपुर खीरी**					
	बाढ़ खण्ड	09	2002-12	146.16	02	49.06
4	**सिद्धार्थ नगर**					
	ड्रेनेज खण्ड	17	2003-11	92.11	15	78.11
	सिंचाई निर्माण खण्ड	35	2005-12	74.52	18	25.57
5	**कुशीनगर**					
	बाढ़ खण्ड	11	2007-13	48.44	10	27.08
6	**फैजाबाद**					
	बाढ़ खण्ड	18	2005-12	89.24	17	67.28
7	**बरेली**					
	बाढ़ खण्ड	13	2007-12	38.42	06	14.26
8	**बदायूँ**					
	बाढ़ खण्ड	17	2007-13	88.70	10	36.28
9	**मुजफ्फरनगर**					
	ड्रेनेज खण्ड	11	2006-13	25.18	03	4.88
10	**गौतम बुद्ध नगर**					
	सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद	08	2009-13	43.09	02	3.92
	योग	**210**		**1,026.85**	**144**	**546.97**

(स्रोतः चयनित जनपदों के खण्डों द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट
2.1.16

चयनित जनपदों में अपूर्ण तटबन्धों का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.10.2; पृष्ठ 21)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	तटबन्ध का नाम	स्वीकृति का विवरण		आवंटन	व्यय	कुल लम्बाई (किमी में)	कुल निर्मित लम्बाई (किमी में)	गैप की संख्या	कार्य बन्दी का माह	कारण
		लागत	वर्ष							
1	**गोरखपुर**									
	आमी नदी के दायें तट पर कौड़ीराम से खजनी–गोरखपुर मार्ग तक तटबन्ध	1,307.27	दिसम्बर 2003	929.55	579.36	24.700	5.285	05	मार्च 2009	धन की अनुपलब्धता
	आमी नदी के बायें तट पर कौड़ीराम से खजनी–गोरखपुर मार्ग तक तटबन्ध	1,294.04	दिसम्बर 2003	921.28	571.28	24.500	5.555	06	मार्च 2009	धन की अनुपलब्धता
2	**कुशीनगर**									
	छितौनी दरगौली तटबन्ध	324.38	दिसम्बर 2003	185.38	91.65	4.600	2.500	उपलब्ध नहीं कराया गया	मार्च 2008	भूमि की अनुपलब्धता
3	**सिद्धार्थनगर**									
	महदेवा उसका तटबन्ध	1,067.00	दिसम्बर 2003	925.86	925.86	18.300	13.190	11	मार्च 2011	धन की अनुपलब्धता
		4,212.19 (संशोधित)	दिसम्बर 2010							
4	**लखीमपुर खीरी**									
	शारदा नदी के बायें तट पर शारदा नगर से ऐरा ब्रिज	1,445.00	फरवरी 2003	1,350.85	1,350.85	28.800	19.040	11	मार्च 2010	धन की अनुपलब्धता
	शारदा नदी के बायें तट पर ऐरा ब्रिज से अम्बरपुर एवं घाघरा नदी के दाये तट पर जालिम नगर से अम्बरपुर	4,276.91	फरवरी 2003	3,555.09	3,555.09	59.050	29.100	26	मार्च 2010	धन की अनुपलब्धता
				योग	**7,074.09 लाख या ₹ 70.74 करोड़**	**159.95**	**74.67**			

(स्रोतः चयनित जनपदों के खण्डों द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.17

लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में लागू ढुलाई की दरों का तुलनात्मक विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.11.1(अ); पृष्ठ 25)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जनपद / खण्ड का नाम	चयनित कार्यों की संख्या	वर्ष 2009–14 के मध्य कुल क्रय किये गये स्टोन बोल्डर की मात्रा (घनमीटर में)	ढुलाई का भुगतान		लोक निर्माण विभाग की दरों के अनुसार ढुलाई		अधिक भुगतान
				दर (₹ प्रति घनमीटर)	धनराशि	दर (₹ प्रति घनमीटर)	धनराशि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**बरेली**							
	बाढ़ खण्ड	10	27,258.55	823.62 से 1,219.14	251.13	856.75 से 569.70	174.40	76.73
2	**फैजाबाद**							
	बाढ़ खण्ड	11	94,630.12	1,203.03 से 1,751.97	1,424.81	986.70 से 1,091.70	978.79	446.02
3	**गौतमबुद्ध नगर**							
	सिंचाई निर्माण खण्ड	03	45,095.28	1,318.60 से 1,486.87	623.68	786.00 से 840.75	369.69	253.99
4	**गोण्डा**							
	बाढ़ खण्ड	09	54,090.53	1,654. 23 से 2,354.93	1,059.16	869.90 से 1,781.00	668.59	390.57
5	**गोरखपुर**							
	बाढ़ खण्ड	02	12,447.85	1,622.11	235.18	1,461.8	181.96	53.22
	बाढ़ खण्ड-2	09	1,03,220.26	1,403.10 से 1,918.89	1,753.77	907.20 से 1,276.25	1,150.51	603.26
6	**लखीमपुर खीरी**							
	बाढ़ खण्ड	06	15,241.51	1,238.99 से 1,286.74	194.05	875.70 से 1,001.70	136.87	57.18
7	**मुजफ्फरनगर**							
	ड्रेनेज खण्ड	26	24,107.70	1,181.7 से 1,653.17	345.89	857.25 से 1,160.00	246.33	99.56
8	**सिद्धार्थ नगर**							
	ड्रेनेज खण्ड	07	2,02,651.20	1,461.99 से 1,799.55	3,045.72	1,217.70 से 1,316.70	2,478.40	567.320
	सिंचाई निर्माण खण्ड	03	15,888	2,096.26 से 2,284.5	349.55	1,398.75 से 1,559.75	235.07	114.48
	योग	**86**	**5,94,631.00 या 5.95 लाख घनमीटर**		**9,282.92**		**6,620.61**	**2,662.33 या ₹ 26.62 करोड़**

(स्रोतः चयनित जनपदों के खण्डों द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.18

पत्थर बोल्डर की खदान की दर में भिन्नता के कारण अधिक भुगतान का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.11.1(ब); पृष्ठ 25)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जनपद / खण्ड का नाम	कार्य की संख्या	बोल्डर की मात्रा (घनमीटर में)	खदान दर के अनुसार धनराशि	खदान की स्वीकार्य दर के अनुसार धनराशि	अतिरिक्त भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**गोरखपुर**					
	बाढ़ खण्ड-2	08	95,127.59	285.38	266.36	19.02
	ड्रेनेज खण्ड	06	78,548.13	235.64	220.43	15.21
	बाढ़ खण्ड	03	21,843.89	65.53	58.51	7.02
2	**कुशीनगर**					
	बाढ़ खण्ड	04	9,009.92	27.03	23.19	3.84
3	**सिद्धार्थनगर**					
	ड्रेनेज खण्ड	34	1,15,609.84	373.27	330.81	42.46
	योग	**55**	**3,20,139.37 या 3.20 लाख (घनमीटर)**	**986.85**	**899.30**	**87.55 या ₹ 0.88 करोड़**

(स्रोतः चयनित जनपदों के खण्डों द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट
2.1.19

पत्थर बोल्डर की मात्रा की मापी हेतु भिन्न-भिन्न मापदण्ड अपनाने के कारण अतिरिक्त भुगतान

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.11.1(स); पृष्ठ 26)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	चयनित कार्यों की संख्या	क्रय की गयी पत्थर बोल्डर की मात्रा (घनमीटर में)	पत्थर बोल्डर की प्रति मीट्रिक टन परिवर्तन दर	ढुलाई का भुगतान	पत्थर बोल्डर की परिवर्तन दर 0.71 प्रति मीट्रिक टन अपनाये जाने पर किये जाने वाला ढुलाई का भुगतान	अतिरिक्त भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**बरेली**						
	बाढ़ खण्ड	10	27,258.55	0.69 घनमीटर	2,51,13,249.46	2,44,04,857.64	7,08,391.82
2	**फैजाबाद**						
	बाढ़ खण्ड	9	52,613.07	0.69 घनमीटर	9,39,00,617.33	8,95,96,210.38	43,04,406.95
3	**गौतमबुद्ध नगर**						
	सिंचाई निर्माण खण्ड	3	45,095.28	0.48 घनमीटर	5,94,62,636.21	4,21,65,054.55	1,72,97,581.66
4	**मुजफ्फर नगर**						
	ड्रेनेज खण्ड	61	45,822.17	0.60 घनमीटर	6,66,39,748.75	5,63,10,614.25	1,03,29,134.50
	योग	**83**	**1,70,789.07 या 1.71 लाख घनमीटर**		**24,51,16,251.75**	**21,24,76,736.82**	**3,26,39,514.93 या ₹ 3.26 करोड़**

(स्रोतः चयनित जनपदों के खण्डों द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.20

नामांकन आधार पर गठित किये गये अनुबन्ध जो कि अपूर्ण रहे का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.11.2; पृष्ठ 27)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जनपद / खण्ड का नाम	कार्य का नाम	कुल अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धित लागत	विलम्ब (दिनों में)
1	**गोण्डा**				
	बाढ़ खण्ड	किमी 14.945 से 16.950 के मध्य स्पर का निर्माण	11	257.78	58 से 744
2	**गोरखपुर**				
	बाढ़ खण्ड	मलौनी बाँध के मिर्जापुर कार्यस्थल पर बाढ़ सुरक्षा कार्य	16	222.37	43 से 1,277
	ड्रेनेज खण्ड	गहासांडकोलिया बाँध (किमी 6.350 से 7.620)	01	20.76	163
		बढ़याकोठा बाँध पर बाढ़ सुरक्षा कार्य	28	461.00	99 से 473
		बढ़याकोठा तुक्रवलिया बाँध पर बाढ़ सुरक्षा कार्य	08	127.98	48 से 222
3	**कुशीनगर**				
	बाढ़ खण्ड	छितौली बाँध पर बाढ़ सुरक्षा कार्य	02	28.49	224 से 228
4	**लखीमपुर खीरी**				
	बाढ़ खण्ड	ग्राम झबरा, मोचनपुर, मठपुरा, सधुआपुर एवं हटवा के निकट बाढ़ सुरक्षा कार्य	10	242.77	15 से 89
		ऐरा बिज से अम्बरपुर एवं अम्बरपुर से जालिमनगर पर तटबन्ध का निर्माण	09	204.78	1,310 से 1,470
		ग्राम गोचरनखेडिया के निकट ऐरा बिज से अम्बरपुर के किमी 9.500 से 10.200 पर कटाव निरोधक कार्य	07	161.37	134 से 285
5	**मुजफ्फरनगर**				
	ड्रेनेज खण्ड	शीतलगढ़ी, बड़ी मुस्लिम में बाढ़ सुरक्षा कार्य	01	156.36	30
		ग्राम बेलहरा के निकट स्पर, स्टड का निर्माण एवं शैंक की पुर्नस्थापना	02	279.73	43 से 374
6	**सिद्धार्थनगर**				
	सिंचाई निर्माण खण्ड	बाँसी पनघटिया बाँध (किमी 0.450 से 0.700)	02	56.84	170
		बाँसी पनघटिया बाँध (किमी 16.300 से 16.500)	05	51.42	12 से 183
		बाँसी पनघटिया बाँध (किमी 2.550 से 2.950)	01	339.04	12
		मदरहवा अशोगवा बाँध (किमी 0.00 से 15.900)	02	523.36	285
		मदरहवा अशोगवा बाँध (किमी 7.900 से 8.200)	02	56.75	235 से 1,285
	ड्रेनेज खण्ड	सकरौर–भिखारीपुर रिटायर्ड बाँध के किमी 12.700 से 14.000 का निर्माण	02	46.17	170 से 758
		सकरौर–भिखारीपुर रिटायर्ड बाँध के किमी 0.650 से 13.600 का निर्माण	13	389.3	08 से 699
		उस्का महदेवा बाँध का निर्माण	11	114.84	1,680 से 1,691
		योग	**133**		

(स्रोतः चयनित जनपदों के खण्डों द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.21

आपूर्ति आदेश द्वारा जियो बैग क्रय का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.11.2; पृष्ठ 27)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	आपूर्ति आदेश निर्गत करने वाले अधिकारी का विवरण	आपूर्ति आदेश संख्या	ठेकेदार का नाम	आपूर्तित मात्रा (बैग की संख्या)	धनराशि
1	अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, शारदा नगर, लखीमपुर खीरी	912/बाखशाल/ दिनांक 10.06.2010	मे0 टेक्नों फैब्रिक, सूरत	32,000	36.00
2	अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, शारदा नगर, लखीमपुर खीरी	913/बाखशाल/ दिनांक 10.06.2010	विश्वनाथ ट्रेडर्स, लखनऊ	32,000	36.00
3	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	975/बांमल/ दिनांक 23.06.2010	मे0 टेक्नों फैब्रिक, सूरत	75,000	83.63
4	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	991/बांमल/ दिनांक 24.06.2010	हाईटेक स्पेशियलिटी, फैब्रिक्स (एक्सपोर्टस) प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात	60,000	66.90
5	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	2898/बांमल/ दिनांक 23.06.2010	मे0 टेक्नों फैब्रिक, सूरत	50,000	55.75
6	अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, शारदा नगर, लखीमपुर खीरी	101/बाखशाल/ दिनांक 10.11.2010	मे0 टेक्नों फैब्रिक, सूरत	35,500	39.58
7	अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, शारदा नगर, लखीमपुर खीरी	1692/बाखशाल/ दिनांक 30.11.2010	मे0 टेक्नों फैब्रिक, सूरत	35,500	39.58
8	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	3329/बांमल/ दिनांक 04.12.2010	मे0 टेक्नों फैब्रिक, सूरत	80,000	89.20
9	अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, शारदा नगर, लखीमपुर खीरी	1793/बाखशाल/ दिनांक 20.12.2010	मे0 टेक्नों फैब्रिक, सूरत	35,500	39.58
10	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	243/बांमल/ दिनांक 23.02.2011	हाईटेक स्पेशियलिटी, फैब्रिक्स (एक्सपोर्टस) प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात	35,500	39.58
11	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	2389/बांमल/ दिनांक 20.09.2010	गरवारे वाल रोप लिमिटेड, नई दिल्ली	85,000	94.78
12	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	1260/बांमल/ दिनांक 27.04.2011	आर. सी. जी. कन्सट्रक्शन, लखनऊ	35,000	39.03
13	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	1707/बांमल/ दिनांक 28.05.2011	मे0 टेक्नों फैब्रिक, सूरत	35,000	39.03
14	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	1170/बांमल/ दिनांक 05.07.2010	गरवारे वाल रोप लिमिटेड, नई दिल्ली	85,000	94.78
15	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	1671/बांमल/ दिनांक 31.07.2010	गरवारे वाल रोप लिमिटेड, नई दिल्ली	75,000	83.63
16	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	2158/बांमल/ दिनांक 31.08.2010	गरवारे वाल रोप लिमिटेड, नई दिल्ली	80,000	89.20

17	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	2897/बांमल/ दिनांक 02.11.2010	ग्रीन इण्टरप्राइजेज, लखीमपुर खीरी	50,000	55.75
18	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	2896/बांमल/ दिनांक 2.11.2010	गरवारे वाल रोप लिमिटेड, नई दिल्ली	50,000	55.75
19	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	3174/बांमल/ दिनांक 23.11.2010	शाइन क्राफ्ट न्यू मलहार, लखनऊ	50,000	55.75
20	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	3330/बांमल/ दिनांक 04.12.2010	गरवारे वाल रोप लिमिटेड, नई दिल्ली	80,000	89.20
21	मुख्य अभियन्ता, (शारदा), लखनऊ	3112 दिनांक 31.12.2010	मे0 टेक्नों फैब्रिक, सूरत	2,00,000	223.00
22	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	269 (1) /बांमल/ दिनांक 31.01.2011	गरवारे वाल रोप लिमिटेड, नई दिल्ली	80,000	89.20
23	मुख्य अभियन्ता, (शारदा), लखनऊ	344 दिनांक 04.02.2011	शाइन क्राफ्ट न्यू मलहार, लखनऊ	2,00,000	223.00
24	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	500/बांमल/ दिनांक 19.02.2011	शाइन क्राफ्ट न्यू मलहार, लखनऊ	80,000	89.20
25	मुख्य अभियन्ता, (शारदा), लखनऊ	1076 दिनांक 02.04.2011	मे0 दुधवा फूड इन्डिया लिमिटेड, लखनऊ	1,71,900	167.25
26	अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, शारदा नगर, लखीमपुर खीरी	833/बाखशाल/ दिनांक 02.04.2011	अलायन्स कन्सट्रक्शन, लखीमपुर खीरी	35,500	39.58
27	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	761/बांमल/ दिनांक 05.03.2011	गरवारे वाल रोप लिमिटेड, नई दिल्ली	50,000	55.75
28	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	3532/बांमल/ दिनांक 22.12.2010	आर. सी. जी. कन्सट्रक्शन, लखनऊ	50,000	55.75
29	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	501/बांमल/ दिनांक 19.02.2011	गरवारे वाल रोप लिमिटेड, नई दिल्ली	80,000	89.20
30	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	1439/बांमल/ दिनांक 04.05.2011	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह,लगुचा	35,000	39.03
31	अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, शारदा नगर, लखीमपुर खीरी	947/बाखशाल/ दिनांक 21.06.2010	चौधरी उबेद अहमद, बाराबंकी	32,000	40.03
32	अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, शारदा नगर, लखीमपुर खीरी	954/बाखशाल/ दिनांक 26.06.2010	चौधरी उबेद अहमद, बाराबंकी	32,000 एवं 35,900	
33	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	3533/बांमल/ दिनांक 22.12.2010	ग्रीन इण्टरप्राइजेज, लखीमपुर खीरी	50,000	55.75
34	अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, शारदा नगर, लखीमपुर खीरी	332/बाखशाल/ दिनांक 07.03.2011	हाईटेक स्पेशियलिटा, फैब्रिक्स (एक्सपोर्टस) प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात	35,500	39.58
35	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	1706/बांमल/ दिनांक 28.05.2011	गरवारे वाल रोप लिमिटेड, नई दिल्ली	50,000	55.75
36	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी	1473/बांमल/ दिनांक 07.05.2011	मे0 पंकज चौहान, लखीमपुर खीरी	45,000	50.18

(स्रोतः चयनित जनपदों के खण्डों द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.22

अनुबन्धों का विवरण जिनके पूर्ण होने में विलम्ब हुआ किन्तु विलम्ब शुल्क अधिरोपित नहीं किया गया

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.11.3; पृष्ठ 27)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जनपद / खण्ड का नाम	विलम्बित अनुबन्धों का विवरण			दिनों में विलम्ब
		कार्य का नाम	अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धित लागत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**बदायूँ**				
	बाढ़ खण्ड	उसांवा बन्धे के किमी 12.700 से 14.000 के मध्य बाढ़ सुरक्षा कार्य	19	1,251.52	11 से 248
2	**बरेली**				
	बाढ़ खण्ड	गौटिया मोहर सिंह एवं ग्राम समूहों के अवशेष भाग में बाढ़ सुरक्षा कार्य	01	75.30	45
3	**गौतमबुद्ध नगर**				
	सिंचाई निर्माण खण्ड	यमुना नदी के बायें किनारे के ग्राम कोडली के निकट किमी 18.000 से 19.000 में पूर्व में कराये गये पुर्नस्थापना वाले स्थल पर कार्य कटान निरोधक कार्य एवं चार नये डैम्पनर का निर्माण	03	55.70	13 से 22
		एचवाईडी बाँध के किमी 0.00 से 6.00 के मध्य सुदृढ़ीकरण एवं पुर्नस्थापना का कार्य	02	44.08	10 से 21
		यमुना नदी के बायें किनारे के ग्राम याकूतपुर के निकट एचवाईडी बाँध के किमी 25.950 से 28.500 के मध्य सुदृढ़ीकरण एवं पुर्नस्थापना का कार्य	06	101.57	15 से 22
4	**गोण्डा**				
	बाढ़ खण्ड	रेवली आदमपुर बाँध पर लाचिंग एप्रन बनानें का कार्य (किमी 11.460 से 11.750)	01	319.99	114
		रेवली आदमपुर बाँध पर लांचिंग एप्रन बनाने का कार्य (किमी 11.200 से 11.460)	01	244.16	91
		स्पर का निर्माण किमी 14.945 से 16.950 के मध्य	11	257.78	58 से 744
		एल्गिन चरसरी बाँध के किमी 16.100 से 17.500 के मध्य कटान निरोधक कार्य	06	86.34	14 से 102
5	**गोरखपुर**				
	बाढ़ खण्ड	मलौनी बाँध के मिर्जापुर कार्यस्थल पर बाढ़ सुरक्षा कार्य	16	222.37	43 से 1277
	ड्रेनेज खण्ड	हाबर्ट बाँध पर बाढ़ सुरक्षा कार्य	01	212.96	38
		गहासांडकोलिया बाँध (किमी 6.350 से 7.620)	01	20.76	163
		बढ़याकोठा बाँध बाढ़ सुरक्षा कार्य	28	461	99 से 473
		बढ़याकोठा तुक्रवलिया बाँध पर बाढ़ सुरक्षा कार्य	08	127.98	48 से 222
6	**सिद्धार्थनगर**				
	सिंचाई निर्माण खण्ड	बाँसी पनघटिया बाँध (किमी 0.450 से 0.700)	03	510.92	170 से 190
		बाँसी पनघटिया बाँध (किमी 16.300 से 16.500)	05	51.42	12 से 183
		बाँसी पनघटिया बाँध (किमी 2.550 से 2.950)	01	339.04	12
		मदरहवा अशोगवा बाँध (किमी 0.000 से 15.900)	02	523.36	285
		मदरहवा अशोगवा बाँध (किमी 7.900 से 8.200)	03	93.24	235 से 1285

7	**फैजाबाद**				
	बाढ़ खण्ड	मुबारकपुर दहिया डैम्पनर संख्या 22 के निकटा बाढ़ सुरक्षा कार्य	03	15.48	30 से 280
		रौनाही पम्प हाउस के निकट कटान निरोधक कार्य	13	143.97	30 से 75
		रौनाही बन्धे के के किमी 5.000 से 5.500 के मध्य निकट कटान निरोधक कार्य	11	135.21	59 से 86
		एबी बन्धे के किमी 9.050 से 9.150 के मध्य बाढ़ सुरक्षा कार्य	07	111.60	20 से 120
8	**कुशीनगर**				
	बाढ़ खण्ड	एपी बन्धे के किमी 1.480 पर स्पर की पुर्नस्थापना का कार्य	02	56.06	13 से 187
		एपी बन्धे के किमी 1.600 से 1.900 के मध्य पुर्नस्थापना एवं कटान निरोधक कार्य	01	38.78	15
		नरवाजोत बन्धे पर स्थित स्पर की पुर्नस्थापना कार्य	05	21.76	16 से 452
		छितौली बन्धे पर बाढ़ सुरक्षा कार्य	03	46.19	224 से 328
9	**मुजफ्फरनगर**				
	ड्रेनेज खण्ड	कृष्णी नाले पर ब्रिज एवं उससे सम्बन्धित कार्य	06	509.64	29 से 1461
		रामदा हैदरपुर पर बाढ़ सुरक्षा कार्य	01	312.17	43
		पथेर खुगान, मन्डवार, बसेरा एवं खुरगान में नाला सुधार कार्य	01	332.79	43
		शीतलगढ़ी एवं बड़ी मुस्लिम ग्रामों में बाढ़ सुरक्षा कार्य	01	156.36	30
		ग्राम बेल्हरा के निकट स्पर, स्टड एवं पुर्नस्थापना का एवं निर्माण।	02	279.73	43 से 374
10	**लखीमपुर खीरी**				
	बाढ़ खण्ड	ग्राम झबरा, मोचनपुर, मठपुरा, सधुआपुर एवं हटवा के निकट बाढ़ सुरक्षा कार्य	25	423.07	11 से 89
		ऐरा बिज से अम्बरपुर एवं अम्बरपुर से जालिमनगर पर तटबन्ध का निर्माण	14	424.85	20 से 1470
		ग्राम सकेतु के निकट कटाव निरोधक एवं स्पिल बन्द करने का कार्य	02	64.7	08 से 18
		ग्राम प्रताप बहेड़ी के निकट बाढ़ सुरक्षा कार्य	03	335.73	93 से 230
		ग्राम गोचरनखेडिया के निकट ऐरा बिज से अम्बरपुर के किमी 9.500 से 10.200 पर कटाव निरोधक कार्य	07	161.37	134 से 285
11	**सिद्धार्थनगर**				
	ड्रेनेज खण्ड	सकरौर–भिखारीपुर रिटायर्ड बाँध के किमी 12.700 से 14.000 का निर्माण	02	46.17	170 एवं 758
		सकरौर–भिखारीपुर रिटायर्ड बाँध के किमी 0.650 से 13.600 का निर्माण	15	389.3	08 से 699
		उस्का महदेवा बाँध का निर्माण	32	334.08	1680 से 1691
		योग	**274**	**9,338.50 या ₹ 93.38 करोड़**	
देय किन्तु अधिरोपित न किया गया विलम्ब शुल्क ₹ 9.34 करोड़ (कुल अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत)					

(स्रोतः चयनित जनपदों के खण्डों द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.23

सम्पादित कराये गये मिट्टी के कार्यों का विवरण जिनमें मृदा की जाँच नहीं करायी गयी

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.12.1; पृष्ठ 28)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	जनपद / खण्ड का नाम	बन्धे का नाम	स्वीकृति का दिनांक	मिट्टी के कराये गये कार्य की मात्रा (लाख घनमीटर)	व्यय
1	**बदायूँ**				
	बाढ़ खण्ड	(i) गंगा महावा तटबन्ध के किमी 0.00 से 10.00	जुलाई 2011	3.42	6.53
		(ii) उसहट तटबन्ध किमी 2.00 से 17.00	जुलाई 2011	0.41	0.59
2	**बरेली**				
	बाढ़ खण्ड	(iii) हाजीपुर से मटियार तटबन्ध (अवशेष कार्य)	दिसम्बर 2010	0.81	1.39
3	**गोरखपुर**				
	ड्रेनेज खण्ड	(iv) बढ़याकोठा बन्धे का उच्चीकरण	नवम्बर 2009	1.29	0.60
4	**गोण्डा**				
	बाढ़ खण्ड	(v) एल्गिन ब्रिज चरसरी बन्ध के रिटायर्ड बन्ध के किमी 10 से 20 के मध्य कार्य	अप्रैल 2011	6.12	5.26
5	**सिद्धार्थनगर**				
	सिंचाई निर्माण खण्ड	(vi) मदरहवा अशोगवा बाँध के किमी 3.00 से 15.900 के मध्य सुदृढ़ीकरण कार्य	फरवरी 2013	3.05	3.79
		योग		**15.10**	**18.16**

(स्रोतः चयनित जनपदों के खण्डों द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.24

परियोजनाओं का विवरण जिनमें पर्यावरण अनुमति प्राप्त करनी थी

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.13; पृष्ठ 30)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	वर्ष	जनपद	कार्य का नाम	परियोजना की लागत
1	2009-10	लखनऊ	ग्राम खादरा से सीतापुर–हरदोई बाई पास मार्ग तक तटबन्ध का निर्माण (गोमती नदी के बाये किनारें)	8,498.00
2	2009-10	लखनऊ	गोमती नगर एक्सटेन्शन की सुरक्षा हेतु रेलवे लाईन से अमर शहीद पथ तक तटबन्ध का निर्माण	11,366.00
3	2009-10	लखनऊ	अमर शहीद पथ से गोमती एक्वाडक्ट तक तटबन्ध का निर्माण	9,374.00
4	2009-10	लखनऊ	गोमती नदी के दायें किनारें पर अमर शहीद पथ से गोमती जल सेतु तक तटबन्ध का निर्माण	8,138.00
5	2010-11	बाराबंकी	एल्गिन ब्रिज से घाघरा नदी के दायें तट तक तटबन्ध का निर्माण	16,817.00
6	2010-11 एवं 2011-12	लखनऊ	हार्डिंग ब्रिज (दायें तटबन्ध के अपस्ट्रीम) गऊघाट पम्पिंग स्टेशन से हरदोई–सीतापुर बाईपास रोड़ तक तटबन्ध का निर्माण	6,449.15
7	2012-13	लखनऊ	गोमती नदी (बायें किनारे) से शहीद पथ तक तटबन्ध का निर्माण	16,200.00
			योग	**76,842.15 लाख या ₹ 768.42 करोड़**

(स्रोतः प्रमुख अभियन्ता कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट
2.1.25

बाढ़ प्रबन्धन कार्यों हेतु प्रबन्धन सूचना प्रणाली के मुख्य अवयव

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.14.3; पृष्ठ 31)

प्रबन्धन सूचना प्रणाली के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाने थेः

- जीआईएस प्लेटफार्म पर बाढ़ उन्नयन क्षेत्रों के आँकड़े/सूचनाएँ तैयार करना जिसमें बाढ़ जलमग्नता का क्षेत्र, स्थान एवं कटान की स्थिति की सूचना सम्मिलित हो;
- जीआईएस प्लेटफार्म पर नदी घाटियों में हाइड्रोमेट्रेलाजिकल नेटवर्क को तैयार किया जाना;
- क्षेत्र के आँकड़े एवं सर्वेक्षणों का विवरण अभिलेखित किया जाना;
- संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक बाढ़ कार्यों का विवरण अभिलेखित किया जाना;
- जल वितरण एवं उसकी अवमुक्ति का अभिलेख संरक्षित किया जाना;
- वर्तमान में मौजूद बाढ़ कार्यों के अभिलेखों को बनाया जाना;
- बाढ़ पूर्वानुमान का विवरण बनाया जाना;
- जल वितरण एवं अवमुक्तन रिपोर्ट एवं पूर्वानुमान रिपोर्ट इत्यादि तैयार किया जाना; एवं
- वार्षिक रिपोर्ट तैयार किया जाना।

(स्रोतः प्रमुख अभियन्ता कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.26

अभिलेखों का विवरण जो बनाये नहीं गये/लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.15; पृष्ठ 31)

क्र0 सं0	कार्यालय/खण्ड का नाम	अभिलेख जिनका रखरखाव नहीं किया गया	अभिलेख जिन्हें लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया
1	बाढ़ खण्ड, बदायूँ	कार्य पंजिका, ठेकेदार खाताबही, कार्यसार पंजिका, संरचनाओं की मरम्मत की लाग बुक, दायित्व पंजिका एवं भण्डार लेखे की बन्दी मार्च 2013 के पश्चात न किया जाना	राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, बाढ़ प्रतिवेदन एवं बन्धे के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि/क्रय की गयी भूमि का विवरण
2	बाढ़ खण्ड, बरेली	संरचनाओं की मरम्मत की लाग बुक, दायित्व पंजिका	---तदैव--
3	बाढ़ खण्ड, फैजाबाद	कार्य पंजिका, ठेकेदार खाताबही, कार्यसार पंजिका, संरचनाओं की मरम्मत की लाग बुक, दायित्व पंजिका एवं भण्डार लेखे की बन्दी मार्च 2009 के पश्चात न किया जाना	---तदैव---
4	बाढ़ खण्ड, गोण्डा	कार्य पंजिका, ठेकेदार खाताबही, कार्यसार पंजिका, संरचनाओं की मरम्मत की लाग बुक, दायित्व पंजिका एवं भण्डार लेखे की बन्दी मार्च 2005 के पश्चात न किया जाना	राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, बाढ़ प्रतिवेदन, बन्धे के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि/क्रय की गयी भूमि का विवरण एवं स्टॉक लेखे (सामग्रियों की प्राप्ति एवं निर्गमन)।
5	ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर	कार्य पंजिका, ठेकेदार खाताबही, कार्यसार पंजिका, संरचनाओं की मरम्मत की लाग बुक, दायित्व पंजिका एवं भण्डार लेखे की बन्दी सितम्बर 2012 के पश्चात न किया जाना	---तदैव---
6	बाढ़ खण्ड, गोरखपुर	कार्य पंजिका, ठेकेदार खाताबही, कार्यसार पंजिका, संरचनाओं की मरम्मत की लाग बुक, दायित्व पंजिका एवं भण्डार लेखे की बन्दी सितम्बर 2010 के पश्चात न किया जाना	---तदैव---
7	बाढ़ खण्ड– द्वितीय, गोरखपुर	कार्य पंजिका, ठेकेदार खाताबही, कार्यसार पंजिका, संरचनाओं की मरम्मत की लाग बुक, दायित्व पंजिका एवं भण्डार लेखे की बन्दी मार्च 2013 के पश्चात न किया जाना	---तदैव---
8	बाढ़ खण्ड, कुशीनगर	कार्य पंजिका, ठेकेदार खाताबही, कार्यसार पंजिका, संरचनाओं की मरम्मत की लाग बुक, दायित्व पंजिका एवं भण्डार लेखे की बन्दी मार्च 2005 के पश्चात न किया जाना	---तदैव---
9	बाढ़ खण्ड, लखीमपुर खीरी	संरचनाओं की मरम्मत की लॉग बुक, दायित्व पंजिका	---तदैव---
10	ड्रेनेज खण्ड, मुजफ्फरनगर	कार्य पंजिका, ठेकेदार खाताबही, कार्यसार पंजिका, संरचनाओं की मरम्मत की लाग बुक, दायित्व पंजिका एवं भण्डार लेखे की बन्दी सितम्बर 2013 के पश्चात न किया जाना	---तदैव---
11	ड्रेनेज खण्ड, सिद्धार्थनगर	कार्य पंजिका, ठेकेदार खाताबही, कार्यसार पंजिका, संरचनाओं की मरम्मत की लाग बुक, दायित्व पंजिका एवं भण्डार लेखे की बन्दी मार्च 2005 के पश्चात न किया जाना	---तदैव---
12	सिंचाई निर्माण खण्ड, सिद्धार्थनगर	कार्य पंजिका, ठेकेदार खाताबही, कार्यसार पंजिका, संरचनाओं की मरम्मत की लाग बुक, दायित्व पंजिका एवं भण्डार लेखे की बन्दी मार्च 2012 के पश्चात न किया जाना	---तदैव---

(स्रोतः चयनित खण्ड़ों के अभिलेखो से एकत्रित सूचना)

परिशिष्ट 2.2.1

समादेश क्षेत्र विकास और जल प्रबन्धन कार्यक्रम के मुख्य घटक

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.1; पृष्ठ 34)

(i) प्रक्षेत्र विकास कार्यों का सर्वेक्षण, नियोजन एवं आकारीकरण;

(ii) गुलों का निर्माण, वर्तमान में निर्माण की कुल लागत का कम से कम दस प्रतिशत लाभार्थी अंशदान के साथ;

(iii) प्रक्षेत्र विकास कार्यों के पूर्ण कार्यक्रम में कुल निर्माण लागत का कम से कम दस प्रतिशत लाभार्थी अंश के साथ भूमि समतलीकरण एवं आकारीकरण, खेतों के मेड़ों में सुधार एवं गुल निर्माण;

(iv) वाराबंदी (बिना केन्द्रीय सहायता के जारी);

(v) अतिरिक्त जल निकासी हेतु सम्पर्क, मध्यम एवं क्षेत्र ड्रेन्स का निर्माण;

(vi) पारंपरिक तकनीकों के साथ–साथ बायो–ड्रेनेज (जहाँ लागू हो), का प्रयोग करते हुए (निर्माण के कुल लागत का कम से कम दस प्रतिशत लाभार्थी अंशदान के साथ) सिंचित समादेश में जल भराव क्षेत्र का उपचार;

(vii) भूमि एवं जल प्रबन्धन संस्थान (वाल्मी) एवं भारत सरकार से 75 प्रतिशत निधि प्राप्त करने वाले अन्य संस्थानों के माध्यम से राज्य प्रायोजित साफ्टवेयर घटकों जैसे कि कृषकों, क्षेत्र प्रतिनिधि एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण, एडाप्टिव ट्रायल एवं प्रदर्शन, सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के लिये अनुसंधान कार्य, सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशाला एवं कार्यक्रम का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण आदि;

(viii) जल उपभोक्ता संघों को क्रियान्वयन अनुदान;

(ix) स्थापना लागत–उपरोक्तानुसार मदों के प्रक्षेत्र विकास कार्यों का 20 प्रतिशत;

(x) जल संसाधन मंत्रालय के स्तर से अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप में उच्च स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण, सम्मेलनों का आयोजन, कार्यशालायें, सेमिनार आदि;

(xi) कुलाबों के ऊपर 4.25 क्यूमेक (150 क्यूसेक) क्षमता के रजवाहों का प्रणाली दोष सुधार;

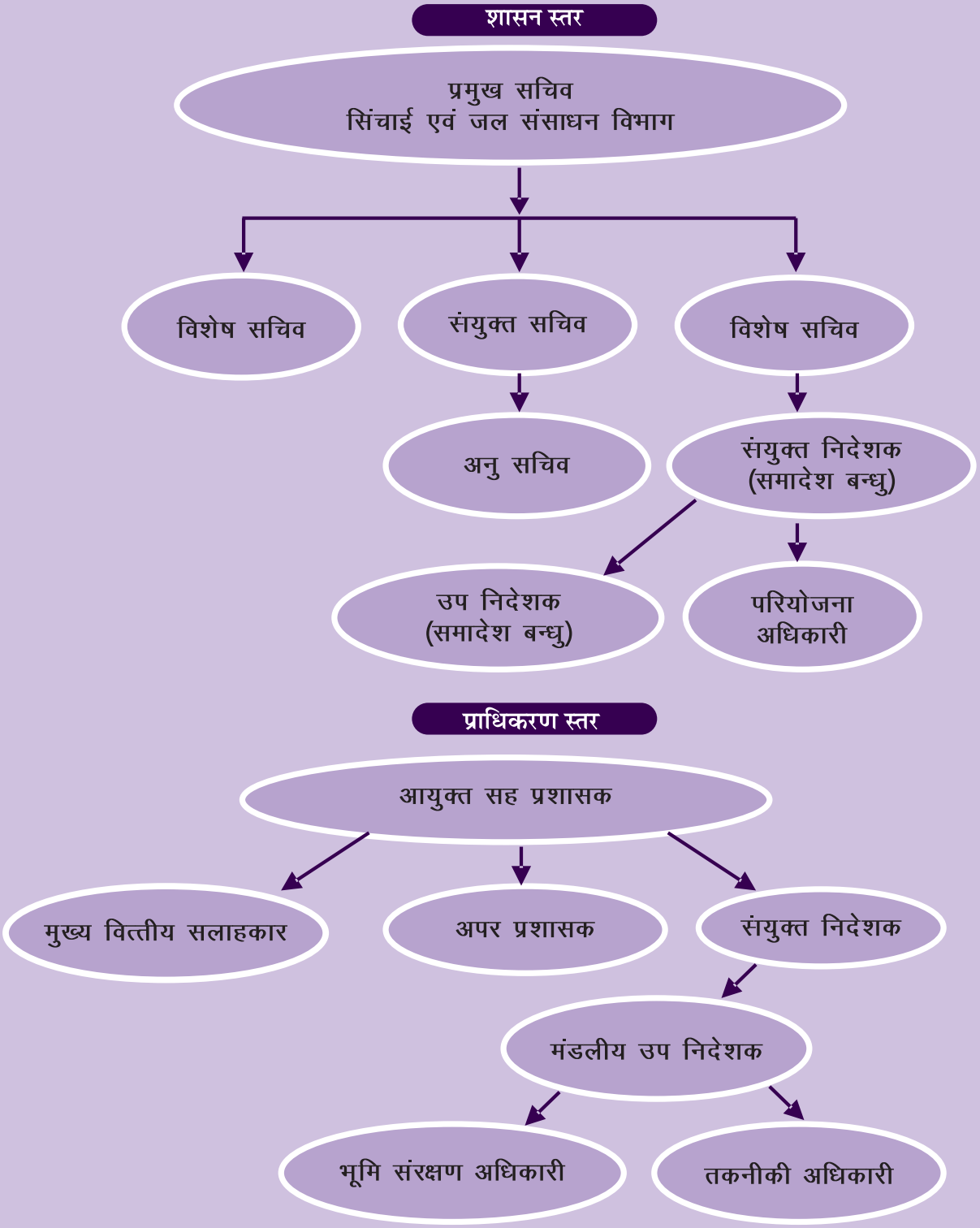
(xii) स्थापित सिंचाई टैंकों के पुनर्निर्माण एवं सिल्ट निकासी में चिन्हित सिंचाई समादेश के अन्तर्गत सिंचाई प्रणाली एवं नियंत्रण संरचनाओं में कम से कम दस प्रतिशत (कुल लागत का) लाभार्थी अंशदान रखरखाव निधि के रूप में एवं इससे प्राप्त ब्याज भविष्य में रखरखाव के लिये प्रयोग होना था; एवं

(xiii) जारी घटकों के अन्तर्गत मद (vi) के भाग के रूप में जलभराव क्षेत्रों के उपचार के लिये पारंपरिक तकनीकों के पूरक के रूप में स्थान विशिष्ट बायोड्रेनेज तकनीक का प्रयोग।

परिशिष्ट
2.2.2

संगठनात्मक चार्ट

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.1.1; पृष्ठ 34)



परिशिष्ट 2.2.3

शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जिलों की सूची

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2..2.1.4; पृष्ठ 35)

क्र0 सं0	जिले का नाम	चयनित
(क) सिरसी बांध नहर प्रणाली		
1	**मिर्जापुर**	**चयनित–1**
2	सोनभद्र	
(ख) सरयू नहर प्रणाली फेज-II		
3	बलरामपुर	
4	**बस्ती**	**चयनित–2**
5	**बहराइच**	**चयनित–3**
6	गोण्डा	
7	**गोरखपुर**	**चयनित–4**
8	महराजगंज	
9	सिद्धार्थ नगर	
10	श्रावस्ती	
11	सन्त कबीर नगर	
(ग) शारदा नहर प्रणाली/शारदा सहायक नहर प्रणाली भाग-II		
12	**आजमगढ़**	**चयनित–5**
13	इलाहाबाद	
14	अम्बेदकर नगर	
15	अमेठी	
16	बलिया	
17	बाराबंकी	
18	फैजाबाद	
19	**गाजीपुर**	**चयनित–6**
20	**हरदोई**	**चयनित–7**
21	जौनपुर	
22	लखीमपुर खीरी	
23	लखनऊ	
24	मऊ	
25	पीलीभीत	
26	**प्रतापगढ़**	**चयनित–8**
27	**रायबरेली**	**चयनित–9**
28	**शाहजहाँपुर**	**चयनित–10**
29	सीतापुर	
30	सुल्तानपुर	
31	उन्नाव	
32	**वाराणसी**	**चयनित–11**

(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

परिशिष्ट 2.2.4

राज्य सरकार द्वारा दिये गये समान अंशदान का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.2.2; पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	प्रक्षेत्र विकास कार्य पर व्यय			भारत सरकार के अंश से व्यय	भारत सरकार के अंश से प्रक्षेत्र विकास कार्य पर व्यय (20 प्रतिशत स्थापना व्यय को छोड़कर)	राज्य सरकार के अंश से प्रक्षेत्र विकास कार्य पर व्यय (कालम 4–6)	समान अंशदान की तुलना में राज्य सरकार द्वारा दिया गया कम अंशदान (कालम 6–7)
		बजट के माध्यम से	कृषक अंश	योग				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2009-10	34.91	3.83	38.74	33.35	26.68	12.06	14.62
2	2010-11	35.42	3.93	39.35	26.00	20.80	18.55	2.25
3	2011-12	60.31	6.63	66.94	45.14	36.11	30.83	5.28
4	2012-13	61.20	6.78	67.98	45.45	36.36	31.62	4.74
5	2013-14	37.82	4.20	42.02	30.14	24.11	17.91	6.20
	योग	**229.66**	**25.37**	**255.03**	**180.08**	**144.06**	**110.97**	**33.09**

(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

परिशिष्ट 2.2.5

स्थापना व्यय हेतु अवमुक्त, बजट में प्राविधानित एवं उपभोग किए गए धन का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.2.2; पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	स्थापना व्यय हेतु बजट प्रावधान	स्थापना व्यय	समर्पित/ लैप्स	प्रक्षेत्र विकास कार्य पर व्यय	प्रक्षेत्र विकास कार्य पर व्यय की तुलना में स्थापना व्यय का प्रतिशत
1	2009-10	32.08	32.07	0.01	34.91	92
2	2010-11	42.66	42.63	0.03	35.42	120
3	2011-12	48.31	46.31	2.00	60.31	77
4	2012-13	50.61	50.60	0.01	61.20	83
5	2013-14	59.90	58.32	1.58	37.82	154
योग		**233.56**	**229.93**	**3.63**	**229.66**	**100**

(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

परिशिष्ट
2.2.6

आयोजना किये गये क्षेत्र के सापेक्ष निधियों की आवश्यकता एवं प्रावधान का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.2.2; पृष्ठ 39)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	सर्वे एवं नियोजन किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	मानक के अनुसार आवश्यक निधि[1]	प्रक्षेत्र विकास कार्य हेतु प्राविधानित राशि	प्राविधान प्रतिशत में
1	2009-10	46,000	73.89	40.03	54
2	2010-11	46,000	73.89	35.42	48
3	2011-12	95,000	152.61	71.20	47
4	2012-13	1,04,000	167.07	56.90	34
5	2013-14	1,04,000	167.07	38.85	23
योग		**3,95,000**	**634.53**	**242.40**	**38**

(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

[1] ₹ 16,064 प्रति हेक्टेयर की दर से।

परिशिष्ट 2.2.7

जल प्रबन्ध समितियों के पास अवशेष किन्तु व्यय के रूप में मानी गयी निधियों का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.2.3; पृष्ठ 39)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जिले का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		अन्तरित निधि	वर्ष के अंत में अवशेष निधि	अन्तरित निधि	वर्ष के अंत में अवशेष निधि	अन्तरित निधि	वर्ष के अंत में अवशेष निधि	अन्तरित निधि	वर्ष के अंत में अवशेष निधि	अन्तरित निधि	वर्ष के अंत में अवशेष निधि
1	शाहजहाँपुर	43.90	11.01	23.15	12.09	28.42	12.75	20.25	4.09	22.96	8.60
2	हरदोई	0.92	अनुपलब्ध	39.73	अनुपलब्ध	43.41	13.90	58.48	अनुपलब्ध	15.90	अनुपलब्ध
3	बस्ती	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1.80	1.80	6.05	3.46	6.35	0.24	32.67	17.09
4	रायबरेली	2.60	0.20	6.74	0.71	38.09	2.27	38.64	0.48	45.04	6.58
5	प्रतापगढ़	29.72	6.35	6.24	1.35	13.95	1.09	20.72	2.51	34.37	9.42
6	गोरखपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	13.52	2.01
7	आजमगढ़	2.29	2.14	16.13	2.70	12.14	4.63	15.36	1.36	29.61	11.44
8	बहराइच	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
9	गाजीपुर	27.87	1.52	19.43	0.07	17.06	1.56	23.00	0.88	0.00	0.00
10	मिर्जापुर	0	0	0	0	0	0	11.23	0.11	94.47	5.41
	योग	**107.30**	**21.22**	**113.22**	**18.72**	**159.12**	**39.66**	**194.03**	**9.67**	**288.54**	**60.55**
जल प्रबन्ध समितियों को वर्ष 2009–14 की अवधि में अन्तरित कुल निधि											**862.21 (अर्थात ₹ 8.62 करोड़)**
वर्ष 2009–14 की अवधि में प्रत्येक वर्ष के अंत में अप्रयुक्त निधि											**149.82 (अर्थात ₹ 1.50 करोड़)**

(स्रोतः भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में संकलित किये गये आंकड़े)

परिशिष्ट 2.2.8

रोकड़ बही में अंकित किये बिना ही आहरित एवं वितरित किये गये बीजकों का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.2.4; पृष्ठ 39)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	बीजक प्रस्तुतकर्ता प्राधिकारी	बीजक आहरणकर्ता प्राधिकारी	आहरित किन्तु रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गयी धनराशि का विवरण
1	भूमि संरक्षण अधिकारी, मिर्जापुर	उप निदेशक, मिर्जापुर	8.25
2	भूमि संरक्षण अधिकारी, वाराणसी	उप निदेशक, वाराणसी	3.96
3	उप निदेशक, आजमगढ़	भूमि संरक्षण अधिकारी, आजमगढ़	2.32
4	भूमि संरक्षण अधिकारी, खण्ड-II, बहराइच	भूमि संरक्षण अधिकारी, बहराइच	0.36
5	उप निदेशक, गोरखपुर	भूमि संरक्षण अधिकारी, गोरखपुर	1.93
योग			**16.82**

(स्रोतः भूमि संरक्षण अधिकारी एवं उप निदेशकों के कार्यालय में संकलित किये गये आंकड़े)

परिशिष्ट 2.2.9

निविदा प्रपत्रों की बिक्री से हुयी प्राप्ति एवं इसके अनियमित उपभोग का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.2.4; पृष्ठ 39)

क्र0 सं0	जिले का नाम	उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में आकस्मिक व्यय के रूप में किया गया अनियमित व्यय (₹ में)
1	मिर्जापुर	66,500
2	हरदोई	65,000
3	प्रतापगढ़	75,600
4	वाराणसी	27,500
5	गाजीपुर	29,000
6	शाहजहांपुर	28,500
7	आजमगढ़	48,800
8	बहराइच	1,11,000
9	रायबरेली	50,900
10	बस्ती	38,200
11	गोरखपुर	2,700
	योग	**5,43,700 (अर्थात ₹ 5.44 लाख)**

(स्रोतः भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में संकलित किये गये आंकड़े)

परिशिष्ट
2.2.10

जनपदीय भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा प्राधिकरण को प्रेषित ब्याज का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.2.4; पृष्ठ 40)

(₹ करोड़ में)

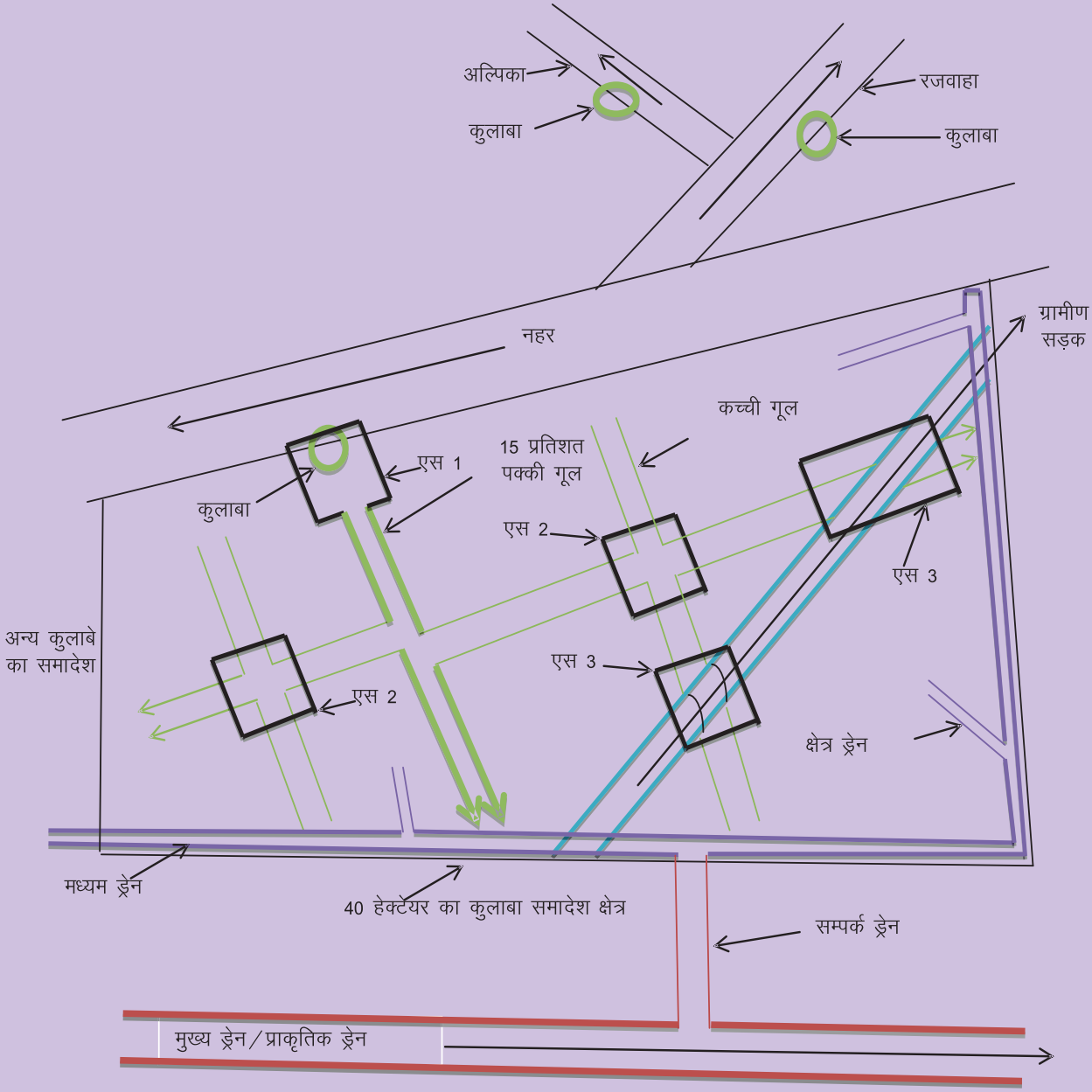
क्र0 सं0	वर्ष	जनपदीय भूमि संरक्षण अधिकारियों से प्राप्त ब्याज की धनराशि
1	2009-10	0.22
2	2010-11	0.37
3	2011-12	0.65
4	2012-13	1.08
5	2013-14	2.03
योग		**4.35**

(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

परिशिष्ट
2.2.11

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रक्षेत्र विकास कार्यों एवं ड्रेनिंग प्रणाली का चित्रण

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.4; पृष्ठ 43)



एस 1: सिस्टर्न एस 2: गूल क्रासिंग एस 3: सड़क क्रासिंग

पक्की गूल :
कच्ची गूल :
क्षेत्र ड्रेन :
मध्यम ड्रेन :
सम्पर्क ड्रेन :
मुख्य ड्रेन/प्राकृतिक ड्रेन :
ग्रामीण सड़क :
कुलाबा समादेश क्षेत्र :

परिशिष्ट
2.2.12

2010-14 की अवधि में एडाप्टिव ट्रायल, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण पर किये गये व्यय का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.4.3; पृष्ठ 44 एवं प्रस्तर संख्या 2.2.4.8; पृष्ठ 52)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जिले का नाम	प्रक्षेत्र विकास कार्य पर कुल व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष एक प्रतिशत मानक के अनुसार व्यय	प्रशिक्षण पर व्यय	कमी	प्रतिशत कमी
1	आजमगढ़	599.78	6.00	0.73	5.27	88
2	बहराइच	980.70	9.81	0.00	9.81	100
3	बस्ती	450.84	4.51	0.73	3.78	84
4	गाजीपुर	652.34	6.52	0.00	6.52	100
5	गोरखपुर	195.85	1.96	0.73	1.23	63
6	हरदोई	1,247.96	12.48	0.00	12.48	100
7	मिर्जापुर	493.36	4.93	0.00	4.93	100
8	प्रतापगढ़	465.41	4.65	0.00	4.65	100
9	रायबरेली	739.83	7.40	0.00	7.40	100
10	शाहजहांपुर	787.41	7.87	0.73	7.14	91
11	वाराणसी	708.31	7.08	0.00	7.08	100
योग		**7,321.79**	**73.22**	**2.92**	**70.30**	**96**

(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

2009–14 की अवधि में एडाप्टिव ट्रायल एवं प्रदर्शन मद में कोई व्यय नहीं किया गया।

परिशिष्ट
2.2.13

प्रक्षेत्र विकास कार्य के लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.4.5; पृष्ठ 45)

क्र0 सं0	मद का नाम	डीपीआर में लक्ष्य	प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियाँ	डीपीआर के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया कम लक्ष्य (प्रतिशत में)	डीपीआर के लक्ष्य के सापेक्ष कम उपलब्धि (प्रतिशत में)
1	सर्वेक्षण एवं आयोजना (लाख हेक्टेयर में)	3.80	2.95	3.00	22	21
2	पक्की गूल (किमी में)	4,875	4605	1,230.95	06	75
3	कच्ची गूल (किमी में)	31,540	23,025	10,138.41	27	68
4	संरचनाएं (संख्या में)	29,950	18,000	7,950	40	73
5	फील्ड ड्रेन्स (किमी में)	3,152	1,224	256.13	61	92

(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

परिशिष्ट
2.2.14

प्रक्षेत्र विकास कार्यों का अपर्याप्त सर्वेक्षण आयोजन एवं डिजाइनिंग

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.4.5(अ); पृष्ठ 46)

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	डीपीआर में लक्ष्य	प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया लक्ष्य	डीपीआर के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा कम निर्धारित लक्ष्य (प्रतिशत में)	उपलब्धियाँ	डीपीआर में लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियों में कमी (प्रतिशत में)
1	शारदा सहायक–2	1,80,000	1,58,000	12	1,65,314	08
2	सरयू-2	1,60,000	1,13,000	29	1,08,975	32
3	सिरसी	40,000	24,000	40	25,653	36
4	शारदा नहर	अनुपलब्ध	84,000	--	81,970	--
	योग#	**3,80,000**	**2,95,000**	**22**	**2,99,942**	**21**

(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

#शारदा नहर प्रणाली को छोड़कर, जिसका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

परिशिष्ट
2.2.15

पक्की गूलों का निर्माण

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.4.5(ब); पृष्ठ 46)

(लम्बाई किमी में)

क्र0 सं0	वर्ष	डीपीआर में लक्ष्य	प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य	डीपीआर के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा कम निर्धारित लक्ष्य (प्रतिशत में)	उपलब्धियाँ	डीपीआर में लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियों में कमी (प्रतिशत में)
1	2009-10	747.000	552.000	26	151.157	80
2	2010-11	1,002.000	668.000	33	235.839	76
3	2011-12	1,002.000	1,065.000	(–) 6	314.838	69
4	2012-13	1,002.000	1,200.000	(–) 20	324.269	68
5	2013-14	1,122.000	1,120.000	0	204.843	82
योग		**4,875.000**	**4,605.000**	**06**	**1,230.946**	**75**

(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

परिशिष्ट 2.2.16

बस्ती जनपद में अधोमानक कार्य पर किये गये व्यय का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.4.5(स); पृष्ठ 47)

क्र0 सं0	नहर का नाम	कुलाबा संख्या	प्रस्तावित लम्बाई	निर्मित लम्बाई (मीटर)	सामग्री की खपत						
					सीमेन्ट	लागत	बालू	लागत	ईंट	लागत	मस्टर रोल से किया गया भुगतान
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	रुदौली रजवाहा (2010-11)	33 (आर)	435	339.5	172.93	55,337	26.408	72,622	47,855	2,24,918	30,000
		34 (एल)	197	46.5	23.41	7,491	3.576	9,834	6,053	30,564	0
		37 (आर)	316	112	36.235	11,595	5.531	15,210	12,050	56,635	0
		38 (एल)	300	289	146.94	47,022	22.442	61,715	40,687	1,91,228	29,975
		39 (आर)	340	342	174.18	55,738	26.598	73,144	48,233	2,26,695	19,975
		39 (आर)	0	334.5	106.55	60,593	16.262	47,022	30,774	2,26,615	0
		40 (एल)	254	99.5	52.09	16,668	8.814	24,238	14,368	67,529	30,000
		43 (एल)	269	256	131.88	42,201	20.139	55,382	36,471	1,71,413	35,000
		44 (एल)	241	90	47.465	15,188	7.242	19,915	13,031	61,245	30,000
		45 (आर)	156	201.5	103.9	33,247	15.864	43,626	28,706	1,34,918	0
2	खलीलाबाद ब्रान्च (2011-12)	4 (आर)	384	434	274.58	87,865	41.47	1,14,042	68,563	3,22,246	38,340
		9	175	245	124.93	39,977	19.08	52,476	34,705	1,63,113	0
		3 (आर)	429	285	145.28	46,488	22.186	61,011	40,203	1,88,954	0
		4 (एल)	415	330	169	54,080	25.80	70,950	46,830	2,20,101	0
		9 (एल)	433	132	67.611	21,635	10.323	28,388	18,702	87,899	0
3	बल्देवजोत अल्पिका (2011-12)	1	306	221	113.72	36,390	17.35	47,712	31,417	1,47,659	27,955
		3	426	111.5	29.82	9,542	4.55	12,512	8,285	38,939	7,407
		4	383	231	118.75	38,000	18.126	49,846	32,735	1,53,854	27,310
4	रौना अल्पिका (2011-12)	2	479.5	536	259.91	83,171	39.709	1,09,199	72,198	3,39,330	65,480
		03 (एल)	164	207	100.37	32,117	15.334	42,168	27,880	1,31,036	28,730
		4	0	490	247.37	79,157	37.792	1,03,928	68,713	3,32,951	57,950
5	खमरिया अल्पिका (2011-12)	1	520	142	71.206	22,785	10.874	29,903	19,711	92,641	10,000
		2	852	137	70.483	22,554	10.762	29,595	19,498	91,640	10,000
		3	687	198	0	0	0	0	0	0	0
		4 (एल)	495	483	249.38	79,801	38.396	1,05,589	69,220	3,25,334	60,000
6	परसा तिवारी अल्पिका (2011-12)	1	372	392	197.93	63,337	30.234	83,143	54,907	2,58,062	64,920
		2	363	363	183.7	58,784	28.059	77,162	50,980	2,39,606	20,000
		3	393	180	91.867	29,397	14.031	38,585	25,451	1,19,619	43,650
		4	194	108	55.89	17,884	8.533	23,465	15,442	72,577	20,880
7	मदरहना अल्पिका (2011-12)	2	50	295	148.52	47,526	22.69	62,397	41,255	1,93,898	0
		7	367	298	151.67	48,535	23.168	63,712	42,087	1,97,808	0
	योग	**31**	**10,395.5**	**7,929**	**3,868**	**12,64,105**	**590.7**	**16,28,491**	**10,67,010**	**51,09,027**	**6,57,572**
										महायोग (कालम 8,10, 12 एवं 13 का)	**86,59,195**
											(अर्थात ₹ 86.59 लाख)

(स्रोतः भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में संकलित किये गये आंकड़े)

परिशिष्ट
2.2.17

हेडलोड द्वारा ईंटों की ढुलाई में किये गये अधिक भुगतान का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.4.5(स); पृष्ठ 49)

क्र0 सं0	दूरी/रीच (मीटर)	दर अनुसूची के अनुसार ढुलाई की दर/1000 (₹ में)	ढुलाई हेतु भुगतान की दर/1000 (₹ में)	अधिक भुगतान/ 1000 (₹ में)	अधिक भुगतान की प्रतिशतता
1	31-50	47.25	47.25	0.00	0.00
2	51-75	65.25	112.50	47.25	72.41
3	76-100	83.25	195.75	112.50	135.14
4	101-125	92.25	291.00	198.75	215.45
5	126-150	106.50	397.50	291.00	273.24
6	151-200	117.75	515.25	397.50	337.58
7	201-300	148.50	663.75	515.25	346.97
8	301-400	175.50	842.25	666.75	379.91
9	401-500	213.75	1,056.00	842.25	394.04
10	501-1000	236.25	1,292.25	1,056.00	446.98
दर		**1,286.25**	**5,413.50**	**4,127.25**	**320.87**
कुल भुगतान		**22,51,522**	**94,76,085**	**72,24,563**	
(₹ लाख में)			**94.76**	**72.25**	

(स्रोतः भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में संकलित किये गये आंकड़े)

परिशिष्ट
2.2.18

कच्ची गूलों का निर्माण

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.4.5(द); पृष्ठ 49)

(लम्बाई किमी में)

क्र0 सं0	वर्ष	डीपीआर में लक्ष्य	प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य	डीपीआर के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य का प्रतिशत	उपलब्धियाँ	डीपीआर में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियों का प्रतिशत
1.	2009-10	4,033	2,760	68	1,690.383	42
2.	2010-11	5,478	3,340	61	1,736.067	32
3.	2011-12	5,478	5,325	97	2,371.387	43
4.	2012-13	5,478	6,000	110	2,634.125	48
5.	2013-14	5,358	5,600	105	1,706.445	32
योग		**25,825**	**23,025**	**89**	**10,138.41**	**39**

(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

परिशिष्ट
2.2.19

संरचनाओं का निर्माण

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.4.5(य); पृष्ठ 50)

(संख्या में)

क्र0 सं0	वर्ष	डीपीआर में लक्ष्य	प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य	डीपीआर के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य का प्रतिशत	उपलब्धियाँ	डीपीआर में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियों का प्रतिशत
1.	2009-10	4,500	2,735	61	1,182	26
2.	2010-11	6,150	2,435	40	1,470	24
3.	2011-12	6,150	4,184	68	1,729	28
4.	2012-13	6,150	4,184	68	2,059	33
5.	2013-14	7,000	4,462	64	1,510	22
योग		**29,950**	**18,000**	**60**	**7,950**	**27**

(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

परिशिष्ट
2.2.20

फील्ड ड्रेन्स का निर्माण

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.4.6; पृष्ठ 51)

(लम्बाई किमी में)

क्र0 सं0	वर्ष	डीपीआर में लक्ष्य	प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य	डीपीआर के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य का प्रतिशत	उपलब्धियाँ	डीपीआर में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियों का प्रतिशत
1.	2009-10	476.000	140.000	29	119.400	25
2.	2010-11	648.000	168.000	26	36.800	6
3.	2011-12	648.000	300.000	46	44.270	7
4.	2012-13	648.000	340.000	52	44.880	7
5.	2013-14	732.000	276.000	38	10.775	1
योग		**3,152.000**	**1,224.000**	**39**	**256.125**	**8**

(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

परिशिष्ट
2.2.21

वाराबन्दी का क्रियान्वयन

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.4.7; पृष्ठ 51)

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र0 सं0	वर्ष	डीपीआर में लक्ष्य	प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य	डीपीआर के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य का प्रतिशत	उपलब्धियाँ	डीपीआर में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियों का प्रतिशत
1	2009-10	68,000	39,000	57	8,878	13
2	2010-11	88,000	46,000	52	8,719	10
3	2011-12	1,02,000	95,000	93	22,402	22
4	2012-13	1,02,000	1,04,000	102	33,827	33
5	2013-14	1,12,000	1,04,000	93	10,498	9
	योग	**4,72,000**	**3,88,000**	**82**	**84,324**	**18**

(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

परिशिष्ट
2.2.22

विभिन्न परियोजनाओं की भौतिक प्रगति

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.5; पृष्ठ 54)

क्र0 सं0	सिंचाई परियोजना का नाम	आरम्भ किये जाने का वर्ष	प्रणाली का सिंचित समादेश क्षेत्र	प्राधिकरण द्वारा लिया गया सिंचित समादेश क्षेत्र	विकास कार्य हेतु उपलब्ध समादेश क्षेत्र	लक्ष्य	मार्च 2014 तक आच्छादित क्षेत्र	आच्छादन का प्रतिशत (कालम 5 के सापेक्ष 8)
1	शारदा नहर परियोजना	1989-90	16.13	16.13	10.61	10.61	9.44	59
2	शारदा सहायक नहर प्रणाली फेज–II	2009-10	16.74	3.30	3.30	3.17	0.76	23
3	सरयू नहर प्रणाली फेज–II	2009-10	12.00	2.80	2.80	2.75	0.46	16
4	सिरसी बांध नहर	2010-11	0.52	0.45	0.45	0.45	0.08	18
		योग	**45.39**	**22.68**	**17.16**	**16.98**	**10.74**	**47**
टिप्पणीः शारदा सहायक नहर प्रणाली फेज–I के अंतर्गत पहले से ही आच्छादित क्षेत्र					13.44		13.44	
				कुल क्षेत्रफल	**30.60**		**24.18**	

(स्रोतः शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण)

परिशिष्ट
2.2.23

वास्तविक एवं प्रतिवेदित भौतिक प्रगति का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.7.2; पृष्ठ 57)

क्र0 सं0	जिले का नाम	पक्की गुल (किमी में)		कच्ची गुल (किमी में)		संरचना (संख्या में)		ड्रेन्स (किमी में)	
		प्रतिवेदित	क्रियान्वित	प्रतिवेदित	क्रियान्वित	प्रतिवेदित	क्रियान्वित	प्रतिवेदित	क्रियान्वित
1	रायबरेली	71.7	75.478	545.65	504.942	444	2,945	6.25	1.915
2	मिर्जापुर	32.85	32.85	263.65	131.99	178	278	0	0
3	प्रतापगढ़	45.34	62.107	380.86	438.354	300	353	8	10.607
4	हरदोई	103.46	106.569	754.49	633.036	414	382	8	9
5	बस्ती	27.23	4.643	200.8	0	138	33	2.7	0
6	गोरखपुर	12.6	6.445	111	0	64	42	0	0
7	वाराणसी	73.892	64.623	492.1	267.306	431	407	10.5	4.635
8	गाजीपुर	60.7	60.688	519.23	451.84	369	628	27.5	22.99
9	आजमगढ़	53.9	47.128	37.103	138.168	339	477	11.3	7.58
10	बहराइच	53.691	55.324	445.44	361.045	358	779	0.3	0.3
11	शाहजहाँपुर	83.763	81.119	516.05	451.151	398	411	0	0
योग		**619.126**	**596.974**	**4,266.373**	**3,377.832**	**3,433**	**6,735**	**74.55**	**57.027**
भिन्नता का प्रतिशत		104%		126%		51%		131%	

(स्रोतः भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में संकलित किये गये आंकड़े)

परिशिष्ट
2.2.24

प्रक्षेत्र विकास कार्य के निरीक्षण/सत्यापन का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.2.7.5; पृष्ठ 58)

क्र0 सं0	जिले का नाम	2009–14 की अवधि में निर्मित कुलाबों की संख्या	उप निदेशक द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण की संख्या	निर्गत निरीक्षण आख्या की संख्या
1	बहराइच	193	5	5
2	वाराणसी	225	8	8
3	मिर्जापुर	108	0	0
4	हरदोई	214	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5	रायबरेली	248	0	0
6	प्रतापगढ़	278	11	11
7	गोरखपुर	22	0	0
8	बस्ती	119	39	39
योग		**1,407**	**63**	**63**

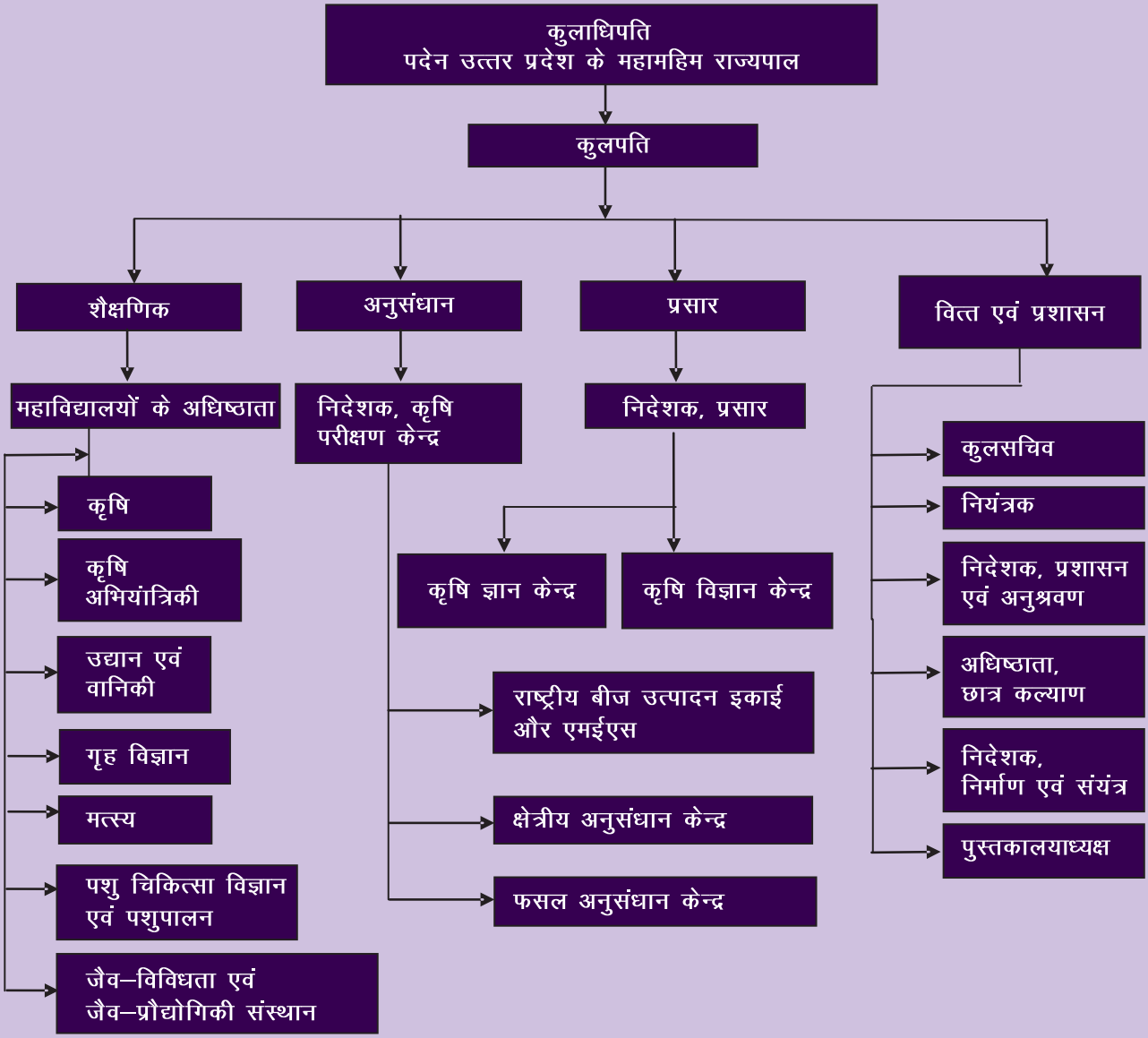
(स्रोतः भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में संकलित किये गये आंकड़े)

टिप्पणीः आजमगढ़, गाजीपुर एवं शाहजहांपुर इकाईयों द्वारा आँकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये।

परिशिष्ट
2.3.1

संगठनात्मक ढ़ाँचा

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 2.3.2; पृष्ठ 63)



परिशिष्ट 2.3.2

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा प्रस्तुत न किये गये अभिलेख

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.3.6; पृष्ठ 64)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	अभिलेखों के नाम
1	वित्त विभाग	दूरस्थ शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी के अभिलेख।
2	शोध	27 शोध परियोजनाओं के अभिलेख
3	शैक्षणिक एवं प्रशासनिक	प्रशासन द्वारा 2009 से 2014 में नियुक्ति की पत्रावलियाँ, संयुक्त कृषि एवं तकनीकी प्रवेश परीक्षा के व्यय वाउचर्स, अनुबन्ध दर की पत्रावलियाँ तथा निविदा पत्रावलियाँ।
4	निर्माण एवं संयंत्र	• वर्ष 2009 से 2011 के मध्य निदेशक, निर्माण एवं संयंत्र द्वारा कराये गये कार्य और 2008–14 के मध्य अनुरक्षण कार्य के तथा अभिलेख जैसे अनुमोदित विस्तृत कार्ययोजना, निविदा आमंत्रण पत्रावली, तुलनात्मक विवरण, समय वृद्धि तथा विचलन स्वीकृति अभिलेख, बिल एवं वाउचर्स, उपभोग विवरण, जाँच एवं अनुश्रवण अभिलेख, माप पुस्तिकायें, अनुबंध हस्तान्तरण प्रपत्र, वैट, लेबर सेस एवं आयकर कटौती, कार्यादेश और आपूर्ति आदेश, आवास किराया वसूली के अभिलेख, आवास कर, जल व विद्युत बिल तथा आवास अनुरक्षण अभिलेख, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुरक्षण, अनुदान, सुरक्षित जमा व अवमुक्ति के अभिलेख। • कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा कृत कार्यों के अभिलेख (कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिज़ाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड इत्यादि) अवधि 2009–14 के कार्य तथा भंडार व स्कन्ध, यंत्र व संयत्र, माप पुस्तिकायें और अनुरक्षण कार्यो की माप पुस्तिकायें, कोटेशन पत्रावली, अस्थायी व स्थायी अग्रिम समायोजन व वाउचर्स, उपभोग विवरण।

विश्वविद्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर न दिया जाना

विश्वविद्यालय का नाम	जारी लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ (पृष्ठों में)	उत्तर प्राप्त (पृष्ठों में)	उत्तर प्रस्तुत (प्रतिशत)	उत्तर प्रस्तुत नहीं (पृष्ठों में)
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	1,364	1,026	75	338
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ	842	818	97	24

परिशिष्ट 2.3.3

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद में प्राप्तियाँ एवं व्यय

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.3.7.2; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्तियाँ					व्यय	अन्तिम अवशेष
			अनुदान		विश्वविद्यालय आय	अन्य प्राप्तियाँ	योग		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर					
1	2009–10	(–)14.95	48.65	17.22	5.07	26.07	82.06	97.88	(–)15.82
2	2010–11	(–)15.82	49.44	29.47	6.07	36.89	106.05	124.46	(–)18.41
3	2011–12	(–)18.41	24.60	27.93	11.64	34.24	80.00	100.92	(–)20.92
4	2012–13	(–)20.92	18.91	39.20	11.10	30.64	78.93	92.48	(–)13.55
5	2013–14	(–)13.55	21.85	39.30	11.89	28.96	88.45	106.41	(–)17.96
योग			**163.45**	**153.12**	**45.77**	**156.80**	**435.49**	**522.15**	

(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

परिशिष्ट
2.3.4

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद में शैक्षणिक कर्मचारियों का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.3.8.2; पृष्ठ 68)

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद					प्रतिशत में कमी (प्रतिशतता की प्रसार सीमा)
			2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	
		(संख्या में)						
1	प्राध्यापक सह विभागाध्यक्ष	40	09	09	07	11	11	73 से 83
2	सह प्राध्यापक / वैज्ञानिक	56+1	34	31	27	25	30	39 से 55
3	सहायक प्राध्यापक / सहायक वैज्ञानिक	167+3	121	116	111	95	103	28 से 43
योग		**267**	**164**	**156**	**145**	**131**	**144**	.

(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.5

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद में अवधि 2009-14 में छात्रों की प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नामांकन

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.3.8.4; पृष्ठ 69)

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	वास्तविक नामांकन	कमी / आधिक्य (प्रतिशत)
1	कृषि महाविद्यालय	बी0एस0सी0 (कृषि) एम0एस0सी0 (कृषि) पी0एच0डी0	534 965 362	558 807 254	(+) 24 (4) (–) 158 (16) (–) 108 (30)
2	उद्यान तथा वानिकी महाविद्यालय	बी0एस0सी0 (उद्यान)	233	236	(+) 03 (1)
3	मत्स्य महाविद्यालय	बी0एस0सी0 (मत्स्य)	169	163	(–) 06 (3.5)
4	महामाया कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	बी0टेक0 एम0टेक0 (2012–13)	762 10	737 03	(–) 25 (03) (–) 07 (70)
5	पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय	बी0वी0एस0सी0 एम0वी0एस0सी0	333 160	178 67	(–) 155 (47) (–) 93 (58)
6	गृह विज्ञान महाविद्यालय	बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान) एम0एस0सी0 (गृह विज्ञान)	267 35	235 12	(–) 32 (12) (–) 23 (66)
		योग	3,830	3,250	607 (16)

(स्रोतःविश्वविद्यालय के अभिलेख)

परिशिष्ट
2.3.6

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद में छात्रों के विश्वविद्यालय छोड़ने की दर का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.3.8.4; पृष्ठ 69)

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम का नाम	वर्ष 2009–10		वर्ष 2010–11		वर्ष 2011–12		वर्ष 2012–13	
		अन्तिम वर्ष के छात्र	छोड़ने की दर (प्रतिशत)	अन्तिम वर्ष के छात्र	छोड़ने की दर (प्रतिशत)	अन्तिम वर्ष के छात्र	छोड़ने की दर (प्रतिशत)	अन्तिम वर्ष के छात्र	छोड़ने की दर (प्रतिशत)
1	बी0एस0सी0 (कृषि)	71	01(1)	94	02(2)	129	06(5)	134	06(4)
2	बी0एस0सी0 (उद्यान)	19	03(16)	27	03(11)	67	05(7)	62	10(16)
3	बी0एस0सी0 (मत्स्य)	19	05(26)	27	0(0)	41	08(20)	41	04(10)
4	बी0टेक0(कृषि)	65	12(18)	68	01(2)	61	03(5)	98	02(2)
5	एम0टेक0 (अभियांत्रिकी)	40	06(15)	40	06(15)	39	02(5)	39	0(0)
6	बी0टेक0 (कम्प्यूटर विज्ञान)	38	18(47)	40	04(10)	35	01(3)	–	–
7	बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान)	30	01(3)	45	02(4)	58	0(0)	51	0(0)
8	एम0एस0सी0 (कृषि)	87	09(10)	132	18(14)	174	21(12)	166	26(16)
9	एम0वी0एस0सी0	03	01(33)	08	01(13)	04	0(0)	27	0(0)

(स्रोतःविश्वविद्यालय के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.7

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद में संस्थावार शोध परियोजनाओं की संख्या

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.3.9.1; पृष्ठ 71)

क्र0 सं0	संस्थाओं का नाम	अप्रैल 2009 में चल रही परियोजनाओं का विवरण	नयी परियोजनायें 2009–14	योग	पूर्ण/समाप्त परियोजनायें	मार्च 2014 में चल रही परियोजनाओं का विवरण
1	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद	38	8	46	8	38
2	उत्तर प्रदेश कृषि अनुसन्धान परिषद	3	1	4	1	3
3	अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें/अन्य संस्थायें	23	शून्य	23	12	11
4	उत्तर प्रदेश शासन	32	14	46	26	20
योग		**96**	**23**	**119**	**47**	**72**

(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.8

बीजों के जारी एवं अधिसूचना की सूची

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.3.9.4 तथा 2.3.9.5 पृष्ठ 74)

क्र0 सं0	फसल का नाम	बीज प्रजाति का नाम	जारी होने का वर्ष	अधिसूचना का वर्ष
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद				
1	धान	सरजू–52	1980	1982
2		नरेन्द्र धान–1	1980	1988
3		नरेन्द्र धान–2	1982	1987
4		नरेन्द्र –80	1986	1987
5		नरेन्द्र –118	1987	1988
6		नरेन्द्र–97	1992	1992
7		नरेन्द्र–359	1992	1994
8		जल लहरी	1993	1994
9		जल प्रिया	1993	1995
10		जलनिधि	1992	1994
11		बाढ अवरोधी	1995	1997
12		नरेन्द्र उसर धान–2	1996	1998
13	हाइब्रिड धान	नरेन्द्र शंकर धान–2	1998	1998
14	हाइब्रिड धान	नरेन्द्र उसर धान शंकर –3	2005	अधिसूचित नहीं
15	धान	नरेन्द्र उसर धान–3	1999	1999
16		बारानी दीप	2001	2006
17		एन डी आर – 8002	2005	2005
18		एन डी आर –2026	2004	अधिसूचित नहीं
19		शुष्क सम्राट	2006	2007
20		एन डी आर – 2064	2007	अधिसूचित नहीं
21		नरेन्द्र नारायनी	2008	अधिसूचित नहीं
22		नरेन्द्र मयंक	2008	2009
23		नरेन्द्र जलपुष्प	2008	अधिसूचित नहीं
24		एन डी आर – 8013	2008	अधिसूचित नहीं
25		नरेन्द्र धनेश्वरी	2008	अधिसूचित नहीं
26		नरेन्द्र शिशिर	2008	अधिसूचित नहीं
27		स्वर्णा सब–1	2009	2009
28		नरेन्द्र धान–3112–1	2009	2009
29		नरेन्द्र उसर धान–2008	2009	2009
30		नरेन्द्र लालमती	2009	2009
31		नरेन्द्र उसर धान–2009	2010	अधिसूचित नहीं
32		नरेन्द्र सुगन्धा धान	2010	अधिसूचित नहीं
33		नरेन्द्र धान–2065	2010	अधिसूचित नहीं
34		एन डी जी आर 201	2012	अधिसूचित नहीं
35	मक्का	शक्तिमान–1	2001	2001

36	गेहूँ	नरेन्द्र गेहूँ–1012	1998	1998
37		नरेन्द्र गेहूँ–1014	1998	1998
38		नरेन्द्र गेहूँ–1076	2002	2003
39		नरेन्द्र गेहूँ–2036	2002	2002
40		नरेन्द्र गेहूँ–1067	2005	2005
41		नरेन्द्र गेहूँ–4018	2012	2013
42	जौ	नरेन्द्र जौ–1	1999	2001
43		नरेन्द्र जौ–2	1999	2001
44		नरेन्द्र जौ–3	2001	2002
45		नरेन्द्र जौ–4	2002	अधिसूचित नहीं
46		नरेन्द्र जौ–5	2007	अधिसूचित नहीं
47		नरेन्द्र जौ–6	2003	2005
48		नरेन्द्र जौ–7	2011	अधिसूचित नहीं
49		एनडीबी – 1173	जारी	अधिसूचित
50		एनडीबी – 943	2007	2009
51		एनडीबी – 1445	2012	2013
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ				
1	चिकपी	डब्ल्यू सी जी – 3 (वल्लभ कालर चना–1)	2004 एसवीआरसी	अधिसूचित नहीं
		वल्लभ काबुली चना–1	चिन्हित, 2005 सीवीआरसी	अधिसूचित नहीं
2	बासमती चावल	वल्लभ बासमती–22	2009, सीवीआरसी	2009
		वल्लभ बासमती–21	2013, एसवीआरसी	2013
		वल्लभ बासमती–23	2013, एसवीआरसी	अधिसूचित नहीं
		वल्लभ बासमती–24	चिन्हित, 2012, सीवीआरसी	अधिसूचित नहीं
3	उर्द	वल्लभ उर्द–1	चिन्हित, 2008, सीवीआरसी	अधिसूचित नहीं
4	टारामिरा	वल्लभ टारामिरा –1	2009, एसवीआरसी	2009
		वल्लभ टारामिरा –2	2009, एसवीआरसी	2009
5	हल्दी	वल्लभ प्रिया	2004, एसवीआरसी	अधिसूचित नहीं
6	अरवी	वल्लभ निक्की	2007, एसवीआरसी	अधिसूचित नहीं
7	कलौंजी	वल्लभ भावी	2010, एसवीआरसी	अधिसूचित नहीं
8	पेठा	वल्लभ पेठा–1	2010, एसवीआरसी	अधिसूचित नहीं
9	धनिया	सर्वाहारी	2010, एसवीआरसी	अधिसूचित नहीं
10	मेथी	वल्लभ चिंकी	2006, एसवीआरसी	अधिसूचित नहीं

(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

(एस वी आर सी : स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी, सीवीआरसी : सेन्ट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी)

टिप्पणीः 1. रिलीज : फसल की बीज प्रजाति का पहचान होने के बाद स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी/सेन्ट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी द्वारा जारी किया जाता है ।

2. अधिसूचना : शासन द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के बाद बीज का विक्रय किसानों के बीच किया जाना चाहिए ।

परिशिष्ट 2.3.9

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद में बीज उत्पादन का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.3.9.4; पृष्ठ 74)

क्र0 सं0	बीज प्रजाति का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेअर)	उत्पादन (धान) (कुन्तल)											
			2008–09		2009–10		2010–11		2011–12		2012–13		योग	
			बी0 एस0	एफ0 एस	बी0 एस0	एफ0 एस	बी0 एस0	एफ0 एस	बी0 एस0	एफ0 एस	बी0 एस0	एफ0 एस	बी0 एस0	एफ0 एस
1.	सरजू–52 (नोटिफाइड)	206.09	225.00	2,507.57	169.20	262.60	89.10	460.85	113.40	819.00	278.55	1,785.36	875.25	5,835.38
2.	एनडीआर–97 (नोटिफाइड)	94.32	58.20	554.28	52.15	825.35	14.00	263.69	18.00	201.15	22.25	326.40	164.60	2,170.87
3.	जलनिधि (नोटिफाइड)	4.80	13.35	शून्य	2.30	22.95	8.10	शून्य	1.20	शून्य	शून्य	शून्य	24.95	22.95
4.	एनडीआर–359 (नोटिफाइड)	121.03	120.15	798.65	237.15	402.00	80.10	1148.42	99.60	636.80	204.30	618.09	741.30	3,603.96
5.	एनडीआर–118 (नोटिफाइड)	3.40	11.00	शून्य	शून्य	46.80	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	11.00	46.80
6.	एनडीआर–8002 (नोटिफाइड)	37.85	29.60	139.80	36.00	224.56	46.60	शून्य	263.74	76.30	60.35	306.20	436.29	746.86
7.	जललहरी (नोटिफाइड)	4.90	13.50	शून्य	5.85	91.20	11.60	शून्य	15.12	शून्य	8.00	शून्य	54.07	91.20
8.	उसर–3	36.57	6.80	शून्य	32.40	70.40	27.20	536.45	14.00	107.80	31.50	शून्य	111.90	714.65
9.	जलप्रिया (नोटिफाइड)	1.94	शून्य	शून्य	शून्य	18.40	2.40	शून्य	4.00	शून्य	शून्य	शून्य	6.40	18.40
10.	स्वर्णासब–1 (नोटिफाइड)	94.54	शून्य	शून्य	424.80	शून्य	381.15	810.16	529.06	780.75	230.30	491.00	1,565.31	2,081.91
11.	बाढ़अवरोधी (नोटिफाइड)	0.60	शून्य	शून्य	2.25	शून्य	1.00	शून्य	2.80	शून्य	शून्य	शून्य	6.05	शून्य
12.	बरानी दीप (नोटिफाइड)	1.80	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3.20	शून्य	14.40	शून्य	16.00	शून्य	33.60	शून्य
13.	शुष्कसम्राट (नोटिफाइड)	2.40	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4.00	शून्य	12.00	शून्य	54.45	शून्य	70.45	शून्य
14.	नरेन्द्र धान–1 (नोटिफाइड)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	नरेन्द्र धान–2 (नोटिफाइड)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	नरेन्द्र–80 (नोटिफाइड)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	उसर धान–2 (नोटिफाइड)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	नरेन्द्र शंकर धान–2 (नोटिफाइड)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	नरेन्द्र उसर धान–2 (नोटिफाइड)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	एनडीआर–2026	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	एनडीआर–2064	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	नरेन्द्र नारायणी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23.	नरेन्द्र मंयक (नोटिफाइड)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	नरेन्द्र जलपुष्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	एनडीआर–8013	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26.	नरेन्द्र धनेश्वरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	नरेन्द्र शिशिर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	नरेन्द्र धान 3113–1 (नोटिफाइड)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

29.	नरेन्द्र उसर धान–2008 (नोटिफाइड)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	नरेन्द्र लालमति (नोटिफाइड)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	नरेन्द्र उसर धान–2009	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	नरेन्द्र सुगन्धा धान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	नरेन्द्र धान–2065	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	एनडीजीआर–201	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	**610.24**	**477.60**	**4,000.30**	**962.10**	**1,964.26**	**668.45**	**3,219.57**	**1,087.32**	**2,621.80**	**905.70**	**3,527.05**	**4,101.17**	**15,332.98**
	गेहूँ													
1.	एन0डब्ल्यू–1012 (नोटिफाइड)	32.36	60.00	36.00	190.90	शून्य	247.00	शून्य	100.00	शून्य	8.80	शून्य	606.70	36.00
2.	एन0डब्ल्यू–1014 (नोटिफाइड)	35.87	27.00	123.70	172.60	शून्य	78.40	125.45	15.60	शून्य	4.20	शून्य	297.80	249.15
3.	एन0डब्ल्यू–1076 (नोटिफाइड)	6.10	21.35	5.00	4.80	शून्य	5.30	शून्य	शून्य	शून्य	6.60	शून्य	38.05	5.00
4.	एन0डब्ल्यू–2036 (नोटिफाइड)	46.69	95.50	15.25	295.30	35.00	147.10	52.50	43.20	शून्य	66.60	शून्य	647.70	102.75
5.	एन0डब्ल्यू–1067 (नोटिफाइड)	4.00	50.00	शून्य	2.40	शून्य	17.10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	69.50	शून्य
6.	एन0डब्ल्यू–4018 (नोटिफाइड)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	**125.02**	**253.85**	**179.95**	**666.00**	**35.00**	**494.90**	**177.95**	**158.80**	**शून्य**	**86.20**	**शून्य**	**1,659.75**	**392.90**
	जौ													
1.	नरेन्द्र जौ–1 (नोटिफाइड)	16.61	1.10	6.75	5.65	शून्य	73.00	शून्य	77.40	शून्य	2.00	19.75	159.15	26.50
2.	नरेन्द्र जौ–2 (नोटिफाइड)	28.10	28.25	शून्य	49.85	12.15	84.30	शून्य	84.00	शून्य	20.15	शून्य	266.55	12.15
3.	नरेन्द्र जौ–3 (नोटिफाइड)	7.60	2.12	शून्य	7.72	शून्य	65.26	शून्य	5.60	शून्य	21.60	14.85	102.30	14.85
4.	नरेन्द्र जौ–4	0.45	0.44	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.44	शून्य
5.	नरेन्द्र जौ–5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	नरेन्द्र जौ–6 (नोटिफाइड)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	नरेन्द्र जौ–7	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	एन0डी0बी0–1173 (नोटिफाइड)	9.91	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	13.00	शून्य	59.70	शून्य	31.10	शून्य	103.80	शून्य
9.	एन0डी0बी0–943 (नोटिफाइड)	0.85	0.90	शून्य	0.94	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1.84	शून्य
10.	एन0डी0बी0–1445 (नोटिफाइड)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	**63.52**	**32.81**	**6.75**	**64.16**	**12.15**	**235.56**	**शून्य**	**226.70**	**शून्य**	**74.85**	**34.60**	**634.08**	**53.50**
	मक्का													
1.	शक्तिमान–1 (नोटिफाइड)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

(बी0एस0:ब्रीडर सीड;एफ0एस0: फाउन्डेशन सीड).

परिशिष्ट
2.3.10

अनाज के रूप में विक्रय किये गये बीज का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.3.9.5(ब); पृष्ठ 75 एवं प्रस्तर संख्या 2.3.16.4(ब); पृष्ठ 88)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद						
वर्ष	धान बीज	बिकी न हुए बीजों की मात्रा (कुन्तल)	बीजों की दर (₹ / कुन्तल)	बिकी न हुए बीजों का मूल्य (₹ लाख में)	अनाज के रूप में विक्रय हुये बीज	
					मात्रा (कुन्तल)	धनराशि (₹ लाख में)
2009–10	अभिजनक बीज	122.41	3,400	4.16	1,307.81	11.73
	आधारीय बीज	2,439.45	2,170	52.94		
2010–11	अभिजनक बीज	318.24	3,570	11.36	1,063.34	10.00
	आधारीय बीज	550.84	2,200	12.12		
2011–12	अभिजनक बीज	123.78	3,700	4.58	443.31	4.96
	आधारीय बीज	758.27	2,380	18.05		
2012–13	अभिजनक बीज	423.34	3,800	16.09	638.70	7.37
	आधारीय बीज	237.43	2,650	6.29		
योग		**4,973.76**		**125.59**	**3,453.16**	**34.06**

वर्ष	गेहूँ बीज	बिकी न हुए बीजों की मात्रा (कुन्तल)	बीजों की दर (₹ / कुन्तल)	बिकी न हुए बीजों का मूल्य (₹ लाख में)	अनाज के रूप में विक्रय हुये बीज	
					मात्रा (कुन्तल)	धनराशि (₹ लाख में)
2009–10	अभिजनक बीज	147.73	3,800	5.61	614	7.25
	आधारीय बीज	145.00	2,350	3.41		
2010–11	अभिजनक बीज	331.18	4,000	13.25	1077	10.24
	आधारीय बीज	40.54	2,430	0.99		
2011–12	अभिजनक बीज	487.59	4,100	19.99	877.36	11.25
	आधारीय बीज	1,072.17	2,620	28.09		
2012–13	अभिजनक बीज	202.66	4,200	8.51	620	7.60
	आधारीय बीज	499.93	2,880	14.40		
योग		**2,926.80**		**94.25**	**3,188.36**	**36.34**

वर्ष	चना बीज	बिकी न हुए बीजों की मात्रा (कुन्तल)	बीजों की (₹ / कुन्तल)	बिकी न हुए बीजों का मूल्य (₹ लाख में)	अनाज के रूप में विक्रय हुये बीज	
					मात्रा (कुन्तल)	धनराशि (₹ लाख में)
2010–11	अभिजनक बीज	80.42	9,000	7.24	38.38	1.07
	आधारीय बीज	0.29	5,145	0.01		
2011–12	अभिजनक बीज	33.03	11,000	3.63	5.25	0.12
	आधारीय बीज	4.00	8,480	0.34		
2012–13	अभिजनक बीज	0.53	11,000	0.06	0.69	0.02
योग		**118.27**		**11.28**	**44.32**	**1.21**
महायोग		**8,018.83**		**231.12**	**6,685.84**	**71.61**

(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ						
वर्ष	धान बीज	बिकी न हुए बीजों की मात्रा (कुन्तल)	बीजों की दर (₹/कुन्तल)	बिकी न हुए बीजों का मूल्य (₹ लाख में)	अनाज के रूप में विकय हुये बीज	
					मात्रा (कुन्तल)	धनराशि (₹ लाख में)
2009–10	आधारीय बीज	53.02	4,700	2.49		
2010–11	अभिजनक बीज	2.88	6,300	0.18	129.86	1.75
	आधारीय बीज	780.89	5,100	39.83		
2011–12	अभिजनक बीज	69.84	6,300	4.40	277.90	5.21
	आधारीय बीज	391.56	5,200	20.36		
2012–13	अभिजनक बीज	36.10	6,500	2.35	390.19	12.22
	आधारीय बीज (पीबी–1121)	159.52	5,800	9.25		
	आधारीय बीज (पीआर–113)	77.10	2,900	2.24		
	प्रमाणित बीज	115.63	5,300	6.13		
योग		**1,686.54**		**87.23**	**797.95**	**19.18**

वर्ष	गेहूँ बीज	बिकी न हुए बीजों की मात्रा (कुन्तल)	बीजों की दर (₹/कुन्तल)	बिकी न हुए बीजों का मूल्य (₹ लाख में)	अनाज के रूप में विकय हुये बीज	
					मात्रा (कुन्तल)	धनराशि (₹ लाख में)
2009–10	आधारीय बीज	72.40	2,750	1.99		
2010–11	अभिजनक बीज	85.6	4,000	3.42	400	4.40
	आधारीय बीज	473.35	2,900	13.73		
2011–12	अभिजनक बीज	78.8	4,100	3.23	180	2.00
	आधारीय बीज	70.44	3,000	2.11		
2012–13	अभिजनक बीज	58.00	4,200	2.44	.	.
	आधारीय बीज	50.95	3,300	1.68		
योग		**889.54**		**28.60**	**580**	**6.40**

वर्ष	सरसों बीज	बिकी न हुए बीजों की मात्रा (कुन्तल)	बीजों की दर (₹/कुन्तल)	बिकी न हुए बीजों का मूल्य (₹ लाख में)	अनाज के रूप में विकय हुये बीज	
					मात्रा (कुन्तल)	धनराशि (₹ लाख में)
2009–10	आधारीय बीज	4.10	5,500	0.23	4.11	0.08
2010–11	आधारीय बीज	19.21	7,000	1.34	19.21	0.48
2011–12	आधारीय बीज	13.40	7,500	1.01	13.40	0.40
2012–13	आधारीय बीज	69.52	7,500	5.21		.
योग		**106.23**		**7.79**	**36.72**	**0.96**
महायोग		**2,682.31**		**123.62**	**1,414.67**	**26.54**

(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.11

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद में अपूर्ण कार्यों का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.3.11.1; पृष्ठ 79)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	स्वीकृति तिथि	मूल लागत	पुनरीक्षित स्वीकृति	पुनरीक्षित लागत	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्यदायी संस्था को अवमुक्त धनराशि	व्यय	कार्य प्रारम्भ तिथि	कार्य समाप्ति की मूल तिथि	परियोजना की स्थिति (31 मार्च 2014 तक)
1	मतस्य महाविद्यालय	27.12.05	918.90	अगस्त-08/ 03.05.10	1,476.37/ 1,532.66	कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम	1,525.77	1,204.00	01.03.06	24.10.08	अपूर्ण
2	डा0 राम मनोहर लोहिया कालेज आफ बायोटेक्नालोजी	08.12.05	670.74	01.08.07 15.06.09 13.07.10	988.94 1,520.68 1,609.35	कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम	1,609.35	1,283.00	01.04.06	24.10.08	अपूर्ण
3	उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय	22.12.05	1,661.05	15.06.09 04.05.10	2,141.13 2,366.90	कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम	2,366.90	1,705.00	01.04.06	24.10.08	अपूर्ण
4	उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय की फर्निशिंग	07.02.11	313.41	लागू नहीं	लागू नहीं	कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम	313.41	285.00	28.02.11	31.03.12	अपूर्ण
5	अक्मा कृषि फार्म का सुदृढीकरण	30.01.09	263.52	17.05.10	783.59	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	783.59	528.00	02.02.09	01.02.11	अपूर्ण
6	गृह विज्ञान महाविद्यालय का सुदृढीकरण	30.01.09	401.94	17.05.10	684.82	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	684.82	563.62	02.02.09	01.02.11	अपूर्ण
7	कृषि प्रयोगशाला केन्द्र निदेशालय का सुदृढीकरण	30.01.09	310.22	12.08.11	556.26	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	528.45	405.66	02.02.09	01.08.10	अपूर्ण
8	कृषि महाविद्यालय का सुदृढीकरण	30.01.09	141.95	17.05.10	393.44	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	393.44	338.81	02.02.09	01.02.10	अपूर्ण

9	अतिथि गृह का का सुदृढीकरण	30.01.09	227.51	17.05.10	293.09	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	293.09	279.63	02.02.09	01.02.11	अपूर्ण
10	कालेज आफ वेटनरी साइंस का सुदृढीकरण	30.01.09	234.08	18.08.10	460.74	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	460.74	325.65	02.02.09	01.02.11	अपूर्ण
11	आवासीय भवनों का सुदृढीकरण	30.01.09	377.26	28.02.11	747.32	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	710.32	679.00	02.02.09	01.08.10	अपूर्ण
12	कालेज आफ एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट की स्थापना	23.12.08	2006.31	23.03.12	2798.69	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	2,658.69	2200.00	29.11.08	28.11.10	अपूर्ण
13	आन्तरिक मार्गो, हाई मास्ट इलेक्ट्रिक टावर एवं चहारदीवारी का निर्माण	30.03.08	588.20	23.03.12	1702.70	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	1,488.20	1488.20	16.04.08	15.08.09	अपूर्ण
14	कृषि महाविद्यालय के अवशेष भाग का निर्माण	17.10.11	236.10	लागू नहीं	लागू नहीं	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	236.10	157.40	08.11.11	07.11.12	अपूर्ण
15	स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना	10.12.08	693.42	12.10.11	923.29	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	877.29	870.29	15.12.08	14.06.10	अपूर्ण
16	मत्सिकी उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्र गोण्डा की स्थापना	01.11.06	310.36	04.05.10	1014.56	कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम	1,010.36	867.74	01.12.06	01.12.07	अपूर्ण
17	मत्सिकी उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्र गोण्डा की फर्निशिंग	23.03.12	173.65	लागू नहीं	लागू नहीं	कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम	173.65	154.42	23.03.12	30.11.12	अपूर्ण
18	इण्टरनेशनल हास्टल की स्थापना	28.11.08	572.70	22.11.12	711.10	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	711.10	711.10	29.11.08	28.05.10	पूर्ण लेकिन फर्निशिंग कार्य अभी पूर्ण किया जाना है।
19	जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) की स्थापना	19.09.13	5343.06	लागू नहीं	लागू नहीं	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	1,500.00	1,130.00	14.10.13	13.10.15	कार्य प्रगति पर है।

(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

परिशिष्ट
2.3.12

सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में प्राप्तियाँ एवं व्यय

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.3.14.1; पृष्ठ 82)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	प्राप्तियाँ								
	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	अनुदान		विश्वविद्यालय की आय	अन्य प्राप्तियाँ	योग	व्यय	अन्तिम अवशेष
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर					
1	2009–10	6.60	59.52	7.91	21.33	7.92	103.28	99.76	3.52
2	2010–11	3.52	55.25	11.98	42.14	10.94	123.83	113.18	10.65
3	2011–12	10.65	59.33	15.54	26.64	1.31	113.47	101.25	12.22
4	2012–13	12.22	17.95	21.65	16.00	2.18	70.00	59.48	10.52
5	2013–14	10.52	35.28	20.54	2.13	5.23	73.70	67.51	6.19
	योग		**227.33**	**77.62**	**108.24**	**27.58**	**484.28**	**441.18**	

(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

परिशिष्ट
2.3.13

सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में शैक्षणिक कर्मचारियों की स्थिति

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.3.15.1;पृष्ठ 83)

क्र0 सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद					प्रतिशत में कमी (प्रतिशतता की प्रसार सीमा)
			2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	
			संख्या में					
1	प्राध्यापक सह विभागाध्यक्ष	41	15	14	11	10	10	63 से 76
2	सह प्राध्यापक/वैज्ञानिक	56	24	24	22	21	23	57 से 63
3	सहायक प्राध्यापक/ सहायक वैज्ञानिक	125	84	82	80	76	87	30 से 39
	योग	222	123	120	113	107	120	–

(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

परिशिष्ट
2.3.14

सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्यागिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान विद्यालय में कर्मचारियों का विवरण (शैक्षणिक तथा प्रयोगशाला)

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.3.15.2; पृष्ठ 84)

क्र0 सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	प्राध्यापक	09	शून्य	09
2	सह प्राध्यापक	12	02	10
3	सहायक प्राध्यपक	22	13	09
योग		**43**	**15**	**28**
4	प्रयोगशाला सहायक	17	शून्य	17
5	प्रयोगशाला तकनीशियन	17	01	16
योग		**34**	**01**	**33**

(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.3.15

अवधि 2009-14 में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में प्रवेश क्षमता के सापेक्ष छात्रों का नामांकन

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.3.15.3; पृष्ठ 84)

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	छात्र प्रवेश क्षमता	वास्तविक नामांकन	कमी / आधिक्य (प्रतिशत)
1	कृषि महाविद्यालय	बी0एस0सी0 (कृषि)	554	497	(–) 57 (10)
		एम0एस0सी0 (कृषि)	506	348	(–) 158 (31)
		पी0एच0डी0 (कृषि)	288	178	(–) 110 (38)
2	जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	बी0टेक0 (जैव प्रौद्योगिकी)	554	434	(–) 120 (22)
		एम0एस0सी0 / एम0टेक0 (जैव प्रौद्योगिकी)	116	87	(–) 29 (25)
3	पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय	बी0वी0एस0सी0 (2011–14)	205	85	(–) 120 (59)
		योग	2,223	1,629	594 (27)

(स्रोतःविश्वविद्यालय के अभिलेख)

परिशिष्ट
2.3.16

सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में सेवायोजन प्रकोष्ठ के निष्पादन का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.3.15.4; पृष्ठ 85)

क्र0 सं0	वर्ष	सफल छात्रों की संख्या	सेवायोजित छात्रों की संख्या	प्रतिशत
1	2009–10	142	29	20.4
2	2010–11	172	22	12.8
3	2011–12	199	15	7.5
4	2012–13	215	02	0.9
5	2013–14	249	15	6.0
योग		**977**	**83**	**8.0**

(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

परिशिष्ट
2.3.17

सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में संस्थावार शोध परियोजनाओं की संख्या

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.3.16.1; पृष्ठ 86)

क्र0 सं0	संस्थाओं का नाम	अप्रैल 2009 में चल रही परियोजनाओं का विवरण	नयी परियोजनायें 2009–14	योग	पूर्ण/समाप्त परियोजनायें	मार्च 2014 में चल रही परियोजनाओं का विवरण
1	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	16	11	27	16	11
2	उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद	9	5	14	13	1
3	अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें/अन्य संस्थायें	01	13	14	5	09
4	उत्तर प्रदेश शासन	शून्य	17	17	11	06
	योग	**26**	**46**	**72**	**45**	**27**

(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

परिशिष्ट
2.3.18

सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन आदि में व्ययों का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.3.17.2; पृष्ठ 89)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	वर्ष	प्राप्त निधि	व्यय की गयी धनराशि	वेतन एवं भत्तों का वितरण (प्रतिशत)
1	2009–10	47.46	23.40	24.06 (51)
2	2010–11	43.80	26.93	16.87 (39)
3	2011–12	54.78	16.51	38.27 (70)
4	2012–13	42.94	25.91	17.03 (40)
5	2013–14	60.35	33.55	26.80 (44)
योग		**249.33**	**126.30**	**123.03 (49)**

(स्रोतः विश्वविद्यालय के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.4.1

लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.4.1.4; पृष्ठ 96)

क्र0 सं0	लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख
	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन
01	कोई भी अभिलेख एवं आँकड़ा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।
	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ
01	रोकड़/बैंक बुक एवं लेजर।
02	तुलन पत्र (बैलेंस सीट)/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा।
03	वर्ष 2012 एवं 2013 के अतिरिक्त रसीद बुकों के प्रतिपर्ण।
04	अग्रिम समायोजन पंजिका।
05	बैंक समाधान विवरण।
06	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।
07	लेखा शीर्ष के अनुसार बजट आवंटन एवं व्यय विवरण।
08	वर्ष 2009 के संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा का परिणाम।
09	वापस न की गयी जमानत शुल्क का विवरण।
10	विभिन्न काउंसिलिंग केन्द्रों पर नकद जमा एवं वापस की गयी जमानत शुल्क का विवरण।
11	वित्तीय वर्षों में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधियों का विवरण।
12	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा की काउंसिलिंग में सम्मिलित छात्रों से संबंधित अभिलेख/डाटा।
13	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा में महानिदेशक कार्यालय की भूमिका एवं जिम्मेदारियों का विवरण।
14	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के लेखे की वित्तीय स्थिति।
15	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाते के प्रारंभिक अवशेष, अंतिम अवशेष, आहरण एवं जमा का विवरण।
16	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के साथ सम्पन्न समापन बैठक दिनांक 23.07.2014 को शेष बची सीटों के विवरण प्रस्तुत किये जाने के अतिरिक्त काउंसिलिंग के समस्त अभिलेख।
17	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा 2009 एवं 2010 की काउंसिलिंग में सम्मिलित हुए छात्रों की संख्या का विवरण।
	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
01	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2009 एवं 2012 में आउटसोर्सिंग से कराये गये सूचना प्रौद्योगिकी कार्य सहित परीक्षा एवं गोपनीय लेखा संबंधी समस्त अभिलेख।
	छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
01	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2010 एवं 2013 में आउटसोर्सिंग से कराये गये सूचना प्रौद्योगिकी कार्य सहित परीक्षा एवं गोपनीय लेखा संबंधी समस्त अभिलेख।
	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी
01	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2011 में आउटसोर्सिंग से कराये गये सूचना प्रौद्योगिकी कार्य सहित परीक्षा एवं गोपनीय लेखा संबंधी समस्त अभिलेख।

परिशिष्ट 2.4.2

अभिलेखों की माँग का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.4.1.4; पृष्ठ 96)

क्र0 सं0	दिनांक / पत्रांक	किसको निर्गत किया गया	किसके द्वारा निर्गत किया गया	टिप्पणी
1.	01.05.2014 / एस0एस0–4/ सी.पी.एम.टी. / 2014–15 / 64	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग	उप–महालेखाकार एस0एस0–4	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के परीक्षा / निधि संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह।
2.	02.05.2014 / एस0एस0–4/ सी.पी.एम.टी. / 2014–15 / 02	कुल सचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	उप–महालेखाकार एस0एस0–4	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के निधि / परीक्षा संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह।
3.	02.05.2014 / अर्द्ध–शासकीय पत्र संख्या / आई0 एण्ड पी0ए0 / 2013–14 / 01	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग	प्रधान महालेखाकार	प्रारंभिक बैठक हेतु आग्रह।
4.	13.05.2014 / एस0एस0–4/ सी.पी.एम.टी. / 03	विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग	उप–महालेखाकार एस0एस0–4	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के निधि / परीक्षा संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह।
5.	15.05.2014 / एस0एस0–4/ सी.पी.एम.टी. / 2014–15 / 04	कुल सचिव, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	उप–महालेखाकार एस0एस0–4	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के निधि / परीक्षा संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह।
6.	15.05.2014 / एस0एस0– 4/ सी.पी.एम.टी. / 2014–15 / 05	कुल सचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	उप–महालेखाकार एस0एस0–4	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के निधि / परीक्षा संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह।
7.	15.05.2014 / लेखापरीक्षा ज्ञापन	कुल सचिव / वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के निधि / परीक्षा संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह।
8.	20.05.2014 / अर्द्ध–शासकीय पत्र संख्या / एस0एस0– 4/ सी.पी.एम.टी. / 2013–14 / 06	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग	प्रधान महालेखाकार	प्रारंभिक बैठक एवं अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह।
9.	02.06.2014 / एस0एस0– 4/ सी.पी.एम.टी. / 2014–15 / 12	कुल सचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के निधि / परीक्षा संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह।
10.	16.06.2014 / पी0ए0जी0 (जी0एण्ड एस0एस0ए0) / आई0एण्ड पी0ए0 / 25 / 2012–13 / 72	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	प्रधान महालेखाकार	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के निधि / परीक्षा संबंधी अभिलेख आँकड़े एवं उत्तर प्रस्तुत करने हेतु संबंधित इकाईयों को निर्देशित करने का आग्रह।
11.	18.06.2014 / एस0एस0– 4/ सी.पी.एम.टी. / 2014–15 / 15	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा	निर्गत किए गए लेखापरीक्षा ज्ञापन का उत्तर प्रस्तुत किए जाने का आग्रह।
12.	19.06.2014 / एस0एस0–4/ सी.पी.एम.टी. / 2014–15 / 155	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग	उप–महालेखाकार एस0एस0–4	चिकित्सा शिक्षा विभाग की लेखापरीक्षा किए जाने के संबंध में।
13.	24.06.14	कुल सचिव / वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के निधि / परीक्षा संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किए जाने का आग्रह तथा निर्गत किए गए लेखापरीक्षा ज्ञापन संख्या 01–04 का उत्तर प्रस्तुत किए जाने का आग्रह।

14.	27.06.2014 / एस0एस0– 4 / सी.पी.एम.टी. / 2014–15 / 22	कुल सचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के निधि / परीक्षा की लेखापरीक्षा के संबंध में।
15.	01.07.2014 / एस0एस0– 4 / सी.पी.एम.टी. / 2014–15 / 26	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा	निर्गत किए गए लेखापरीक्षा ज्ञापन का उत्तर प्रस्तुत किए जाने का आग्रह।
16.	01.07.2014 / एस0एस0– 4 / सी.पी.एम.टी. / 2014–15 / 23	कुल सचिव, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के निधि / परीक्षा संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह।
17.	02.07.2014 / एस0एस0– 4 / सी.पी.एम.टी. / 2014–15 / 28	प्रोफेसर, लाईफ साइंस (मुख्य परीक्षा समन्वयक), छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2010 के अभिलेख प्रस्तुत किए जाने का आग्रह।
18.	03.07.2014 / एस0एस0– 4 / सी.पी.एम.टी. / 2014–15 / 29	एसोसिएट प्रोफेसर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा–2013 के अभिलेख प्रस्तुत किए जाने का आग्रह।
19.	07.07.2014 / एस0एस0– 4 / सी.पी.एम.टी. / 2014–15 / 30	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ	उप–महालेखाकार एस0एस0–4	निर्गत किए गए लेखापरीक्षा ज्ञापन का उत्तर प्रस्तुत किए जाने का आग्रह।
20.	07.07.2014 / एस0एस0– 4 / सी.पी.एम.टी. / 2014–15 / 31	कुल सचिव, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	उप–महालेखाकार एस0एस0–4	वर्ष–2010 एवं 2013 से संबंधित संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के अभिलेख प्रस्तुत किए जाने का आग्रह।
21.	10.07.2014 / पी0ए0जी0 (जी0एण्ड एस0एस0ए0) / आई0एण्ड पी0ए0 / 25 / 2012–13 / 110	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	प्रधान महालेखाकार	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के निधि / परीक्षा संबंधी अभिलेख आँकड़े प्रस्तुत कराने हेतु संबंधित इकाईयों को निर्देशित करने के संदर्भ में अनुस्मारक।
22.	14.07.2014	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा	निर्गत ऑडिट मेमो के उत्तर प्रस्तुत करने का आग्रह।
23.	07.08.2014	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शीर्ष स्तरीय समिति की बैठक		प्रकरण पर चर्चा की गयी / कार्यवृत्त प्रतीक्षित।
24.	14.08.2014 / एस0एस0– 4 / सी.पी.एम.टी. / एल0डी0पी0 2014–15 / 34	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग	उप–महालेखाकार एस0एस0–4	परीक्षा संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह।
25.	19.08.2014 / एस0एस0– 4 / सी.पी.एम.टी. / एल0डी0पी0 2014–15 / 35	कुल सचिव, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	उप–महालेखाकार एस0एस0–4	निर्गत किए गए आडिट मेमो के उत्तर प्रस्तुत किए जाने का आग्रह।
26.	05.09.2014 / एस0एस0– 4 / सी.पी.एम.टी. / एल0डी0पी0 / 38	कुल सचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा	परीक्षा संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराने का आग्रह।
27.	10.09.2014 / पी0ए0जी0 (जी0एण्ड एस0एस0ए0) / आई0एण्ड पी0ए0 / 44 / 2012–13 / 169	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग	प्रधान महालेखाकार	समापन बैठक आयोजित करने, अभिलेख एवं उत्तर प्रस्तुत करने हेतु आग्रह।

28.	16.09.2014 / पी0ए0जी0 (जी0एण्ड एस0एस0ए0) / आई0एण्ड पी0ए0 / 44 / 2012–13 / 181	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग	प्रधान महालेखाकार	वृहद आलेख प्रस्तर के संदर्भ में शासन से उत्तर प्राप्त करने हेतु अनुस्मारक।
29.	22.09.2014 / पी0ए0जी0 (जी0एण्ड एस0एस0ए0) / सी0पी0एम0टी0 / 2014–15 / 44	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	उपमहालेखाकार एस0एस0–4	छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय को संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा– 2010 एवं 2013 के अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का आग्रह।
30.	26.09.2014 / एस0एस0– 4 / एल0डी0पी0 / 2014–15 / 46	विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा	परीक्षा संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह।
31.	26.09.2014 / एस0एस0– 4 / एल0डी0पी0 / 2014–15 / 47	वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा	परीक्षा संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने एवं उत्तर प्रस्तुत करने हेतु आग्रह।
32.	07.10.2014 / एस0एस0– 4 / 2014–15 / 49	कुल सचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	उप–महालेखाकार एस0एस0– 4	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के गोपनीय लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में।
33.	07.10.2014 / एस0एस0– 4 / 2014–15 / 50	कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	उप–महालेखाकार एस0एस0– 4	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के गोपनीय लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में।
34.	07.10.2014 / एस0एस0– 4 / 2014–15 / 51	परीक्षा नियंत्रक, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	उप–महालेखाकार एस0एस0– 4	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के गोपनीय लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में।
35.	07.10.2014 / एस0एस0– 4 / 2014–15 / 52	वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	उप–महालेखाकार एस0एस0– 4	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के गोपनीय लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में।
36.	3.11.14 / अर्द्ध–शासकीय पत्र संख्या / पी0ए0जी0 (जी0 एण्ड एस0एस0ए0) / आई0 एण्ड पी0ए0 / 44 / 2012–13 / 247	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग	प्रधान महालेखाकार	समापन बैठक तथा निर्गत आडिट मेमो के उत्तर के संदर्भ में।
37.	3.11.14 / अर्द्ध–शासकीय पत्र संख्या / पी0ए0जी0 (जी0एण्ड एस0एस0ए0) / आई0एण्ड पी0ए0 / 44 / 2012–13 / 247 ए	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	प्रधान महालेखाकार	समापन बैठक तथा निर्गत आडिट मेमो के उत्तर के संदर्भ में।
38.	5.11.2014 / एस0एस0– 4 / एल0डी0पी0 / सी0पी0एम0टी0 / 2014–15 / 58	कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा	निर्गत आडिट मेमो के अप्राप्त उत्तरों तथा अप्रस्तुत संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों के संदर्भ में।
39.	5.11. 2014 / एस0एस0– 4 / एल0डी0पी0 / सी0पी0एम0टी0 / 2014–15 / 58	कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा	निर्गत आडिट मेमो के अप्राप्त उत्तरों तथा अप्रस्तुत संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों के संदर्भ में।
40.	5.11.2014 / एस0एस0– 4 / एल0डी0पी0 / सी0पी0एम0टी0 / 2014–15 / 58	वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा	निर्गत ऑडिट मेमो के अप्राप्त उत्तरों तथा अप्रस्तुत संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों के संदर्भ में।
41.	21.11.2014 / एस0एस0– 4 / एल0डी0पी0 / सी0पी0एम0टी0 / 2014–15 / 59	कुल सचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा	वर्ष 2009 एवं 2012 से संबंधित संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के अभिलेख प्रस्तुत करने के संबंध में।
42.	28.11.2014 / एस0एस0– 4 / सी0पी0एम0टी0 / एल0डी0पी0 / 2014–15 / 60	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	उप–महालेखाकार एस0एस0– 4	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के निधि / परीक्षा संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह।

43.	28.11.2014 / एस0एस0–4 / सी0पी0एम0टी0 / एल0डी0पी0 / 2014–15 / 61	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ	उप–महालेखाकार एस0एस0– 4	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के निधि / परीक्षा संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह।
44.	28.11.2014 / एस0एस0–4 / सी0पी0एम0टी0 / एल0डी0पी0 / 2014–15 / 62	कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	उप–महालेखाकार एस0एस0– 4	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के निधि / परीक्षा संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह।
45.	28.11.2014 / एस0एस0–4 / सी0पी0एम0टी0 / एल0डी0पी0 / 2014–15 / 63	कुल सचिव, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	उप–महालेखाकार एस0एस0– 4	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के निधि / परीक्षा संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह।
46.	28.11.2014 / एस0एस0–4 / सी0पी0एम0टी0 / एल0डी0पी0 / 2014–15 / 64	कुल सचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	उप–महालेखाकार एस0एस0– 4	संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के निधि / परीक्षा संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह।

परिशिष्ट
2.4.3

इकाईयों द्वारा अप्रस्तुत उत्तरों का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.4.1.4; पृष्ठ 96)

क्र0 स0	अप्राप्त उत्तर (आडिट मेमो संख्या)
प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग	
1	आडिट मेमो पृष्ठ संख्या–01–10, दिनांक 05.05.2014
महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ	
1	199–200
2	217–218
3	221–222
4	225–226
5	249–250
6	259–262
7	269–270
8	299–304
9	305–306
10	321–322
11	329–332
12	339–342
13	347–348
14	373–374

परिशिष्ट
2.4.4

शासन का इकाईयों को प्रत्युत्तर एवं अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.4.1.4; पृष्ठ 96)

DAG/PA
Sr.A.O/LDP-CPMT

फैक्स
महत्वपूर्ण/आडिट प्रकरण/स्पीड पोस्ट
संख्याः A432/71-2-14-161/14

प्रेषक,
ऋषिकेश दुबे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
1-महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. कुलसचिव छत्रपति शाहू जी महराज विश्वविद्यालय ,कानपुर।
3. कुलसचिव बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
4. कुलसचिव किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
लखनऊ : दिनांक 05 दिसम्बर, 2014

विषयः- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2013-14 की रिपोर्ट में सम्मिलित करने हेतु "Management of Combined Pre-Medical Test and Fund" के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के अर्द्ध0शा0प0सं0-3207/71-2-14-161/2014, दि0 12.09.2014, अर्द्ध0शा0प0सं0-3001/71-2-14-161/2014, दि0 26.09.2014, अर्द्ध0शा0प0सं0-3543/71-2-14-161/2014, दि0 30.10.2014 व शा0सं0- 4026/71-2-14-161/2014, दि0 11.11.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद के अर्द्धशा0पत्रांस0 पीएजी/रिपोर्ट (सिविल)/एआर/2013-14/187, दिनांक 12.08.2014 की प्रति संलग्न करते हुए उक्त आडिट प्रस्तर पर संपूर्ण सूचना/व्याख्यात्मक टिप्पणी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

Copy to Sr.A.O CPMT

2- अवगत ही हैं कि प्रकरण में **exit conference** दिनांक 18.11.2014 को सायं 05.00 बजे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन के मीटिंग हाल (पांचवा तल, जनपथ उ0प्र0सचिवालय) में आयोजित की गयी थी, जिसमें विचार विमर्श उपरांत लिए गए निर्णयों (कार्यवृत्त) की प्रति संलग्न करते हुए **मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त कार्यवृत्त में अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर तत्काल समयबद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन/प्रधान महालेखाकार उ0प्र0 को 05 दिनों में प्रेषित करने का कष्ट करें।**

3- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यवृत्त में जिन बिन्दुओं पर शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है, उससे सम्बन्धित संशोधन प्रस्ताव आदि (हार्ड कापी/साफट कापी में) भी 05 दिन में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

Sr.A.O/Z
DAG/SS-II

भवदीय,
(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

संख्याः 4432 (1)/71-2-14-161/14, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, वि0 सचिव (श्री अरिन्दम)/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।

आज्ञा से,
(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

DAG/SS-II
PA Dy No-104
D-15-12-14

PA
541 15/12/14

A.G. (A & E) U.P.
CAG
Dairy No. 61
General
Date 15.12.14

परिशिष्ट 2.4.5

संयुक्त प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा निधि से अनधिकृत व्यय

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.4.2.1; पृष्ठ 98)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	विवरण	दिनांक (बिल/भुगतान)	धनराशि	सम्बन्धित व्यय
महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ				
1	एच.पी.कलर जेट प्रिन्टर	05.02.2010	0.26	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग
2	फोटो कापी मशीन	09.02.2010	0.77	विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग
3	लोहे की कुर्सी	12.01.2010	2.81	मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय, इलाहाबाद
4	भर्ती फार्मों की जाँच	25.08.2009	2.54	मेडिकल कालेज, आजमगढ़
5	वेबसाइट के नवीनीकरण हेतु अग्रिम	28.03.2014	5.00	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग
6	भारतीय चिकित्सा परिषद से अनुमोदन कार्य हेतु	31.10.2013	0.48	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ
7	यात्रा व्यय बिल	13.01.2009 एवं 05.02.2009	1.79	मेडिकल कालेज, जालौन
8	प्रधानाचार्य द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली जाने का व्यय	24.01.2009	0.10	यात्रा व्यय
9	डिजिटल कॉपियर, रिकोह	16.01.2009	3.30	माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग
10	कम्प्यूटर, लैपटाप, प्रिन्टर, स्कैनर इत्यादि	16.01.2009	1.84	सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग
11	प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़ द्वारा किराए पर लिये गये टैक्सी के लम्बित बिलों का भुगतान	07.01.2009	1.44	प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़
12	प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कन्नौज द्वारा किराये पर लिये गये टैक्सी के लम्बित बिलों का भुगतान	06.01.2009	1.88	प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कन्नौज
13	मेडिकल कालेज, इलाहाबाद एवं कन्नौज द्वारा किए गए विविध कार्यों का भुगतान	11.12.2008	0.73	प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद एवं कन्नौज
14	सरकारी गाड़ियों हेतु वर्ष 2006–07 एवं वर्ष 2007–08 में क्रय किए गये पेट्रोल के बिल का भुगतान	–	6.55	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ
15	भारतीय चिकित्सा परिषद के निरीक्षण के दौरान व्यय	05.09.2008	0.25	प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, झाँसी
16	भारतीय चिकित्सा परिषद से सम्बन्धित रिट का अग्रिम भुगतान	29.08.2008	0.25	प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कन्नौज
		योग	**29.99**	
छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर				
1	अवर स्नातक पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम हेतु ओ.एम.आर. स्कैनर का क्रय	15.05.2010	21.00	छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
		कुल योग	**50.99**	

परिशिष्ट 2.4.6

अपात्र कर्मचारियों को भुगतान किये गये मानदेय का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.4.2.1; पृष्ठ 98)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	वर्ष	भुगतान किया	धनराशि	टिप्पणी	योग
1	2009	मुख्य मंत्री सचिवालय के कर्मचारी/मंत्री के सचिवालय के कर्मचारी	1.19	होली के अवसर पर भुगतान किया गया।	2.17
		प्रमुख सचिव/विशेष सचिव/उपसचिव के कर्मचारी	0.37	होली एवं दीपावली के अवसर पर भुगतान किया गया।	
		राज्य सम्पत्ति विभाग के कर्मचारी	0.61	होली एवं दीपावली के अवसर पर भुगतान किया गया।	
2	2010	मुख्यमंत्री सचिवालय के कर्मचारी/मंत्री सचिवालय के कर्मचारी	0.33	शासकीय कार्य देर तक करने के कारण भुगतान किया गया।	1.95
		प्रमुख सचिव/विशेष सचिव/उपसचिव सचिवालय के कर्मचारी	1.24	शासकीय कार्य देर तक करने के कारण भुगतान किया गया।	
		राज्य सम्पत्ति विभाग के कर्मचारी	0.38	होली के अवसर पर मानदेय का भुगतान किया गया।	
3	2011	प्रमुख सचिव/विशेष सचिव/उपसचिव सचिवालय के कर्मचारी	1.04	शासकीय कार्य देर तक करने के कारण भुगतान किया गया।	1.16
		राज्य सम्पत्ति विभाग के कर्मचारी	0.12	शासकीय कार्य देर तक करने के कारण भुगतान किया गया।	
4	2012	मुख्यमंत्री सचिवालय के कर्मचारी/मंत्रियों के सचिवालय के कर्मचारी	0.39	शासकीय कार्य देर तक करने के कारण भुगतान किया गया।	1.86
		प्रमुख सचिव/विशेष सचिव/उपसचिव सचिवालय के कर्मचारी	1.47	शासकीय कार्य देर तक करने के कारण भुगतान किया गया।	
5	2013	मुख्यमंत्री सचिवालय के कर्मचारी/मंत्रियों के सचिवालय के कर्मचारी	0.23	शासकीय कार्य देर तक करने के कारण भुगतान किया गया।	0.45
		प्रमुख सचिव/विशेष सचिव/उपसचिव सचिवालय के कर्मचारी	0.22	शासकीय कार्य देर तक करने के कारण भुगतान किया गया।	
			महायोग		**7.59**

(स्रोतः– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ)

परिशिष्ट 2.4.7

मानक से अधिक मानदेय का भुगतान

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.4.2.1;पृष्ठ 99)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	धनराशि
छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर			
1	अशोक कुमार	कुलपति	1.00
2	सैय्यद वकार हुसैन	कुल सचिव	1.00
3	डा. सुधांशु पांडया	सहायक प्रोफेसर	1.00
4	डा. सरोज द्विवेदी	सिस्टम मैनेजर	1.00
5	आशीष श्रीवास्तव	सहायक पुस्कालयाध्यक्ष	0.85
6	दीपक वर्मा	वरिष्ठ प्रवक्ता	0.85
7	संदेश गुप्ता	प्रवक्ता	0.85
8	आशीष वार्ष्णेय	लेखाधिकारी	0.75
9	पी.एस. मिश्रा	राज्य सम्पत्ति अधिकारी	0.30
10	ए.के. सिंह	अवर अभियंता	0.30
11	सतीश मधुकर	अवर अभियंता	0.30
12	धनन्जय कुमार	लिपिक	0.30
		योग	**8.50**
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ			
13	डी.के. गुप्ता	कुलपति	3.00
14	एस.के. दास	मुख्य समन्वयक	2.00
15	अरूण सिंह	प्राध्यापक	1.00
16	अब्बास ए. मेंहदी	प्राध्यापक	1.00
17	संदीप भट्टाचार्य	प्राध्यापक	1.00
18	राकेश कुमार	कुल सचिव	0.30
19	बी.पी. सिंह	वित्त अधिकारी	0.30
		योग	**8.60**
		कुल योग	**17.10**

परिशिष्ट
2.4.8

विवरण पुस्तिकाओं का अधिक मूल्य पर विक्रय

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.4.2.2(अ); पृष्ठ 100)

वर्ष	परीक्षा कराने वाले विश्वविद्यालय का नाम	शासनादेश संख्या	शासन द्वारा निर्धारित दर (₹ में)	विवरण पुस्तिका का विक्रय मूल्य (₹ में)	विक्रय किए गए फार्मों की संख्या (₹ में)	आवेदकों से अधिक संग्रहीत की गयी कुल धनराशि (₹ लाख में)
2009	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत नही किए गए				
2010	छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	541/71–3–09–144/2009 दिनांक 09.02.2010	सा./अ.पि.व.–850	सा./अ.पि.व.–875	सा./अ.पि.व.–54544	17.25
			अ.ज./अ.ज.ज.–450	अ.ज./अ.ज.ज.–475	अ.ज./अ.ज.ज.–14447	
2011	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी	589/71–2–11–99/2010 दिनांक 17.02.2011	सा./अ.पि.व.–850	सा./अ.पि.व.–875	सा./अ.पि.व.–54426	17.03
			अ.ज./अ.ज.ज.–450	अ.ज./अ.ज.ज.–475	अ.ज./अ.ज.ज.–13677	
2012	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	598/71–2–12–127/2012 दिनांक 17.02.2012	सा./अ.पि.व.–1000+50	सा./अ.पि.व.–1080	सा./अ.पि.व.–63583	23.81
			अ.ज./अ.ज.ज.–500+50	अ.ज./अ.ज.ज.–580	अ.ज./अ.ज.ज.–15799	
2013	छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	1174/71–2–13–127/2011 दिनांक 11.04.2013	सा./अ.पि.व.–1280	सा./अ.पि.व.–1292	सा./अ.पि.व.–67564	10.04
			अ.ज./अ.ज.ज.–680	अ.ज./अ.ज.ज.–692	अ.ज./अ.ज.ज.–16110	
					कुल योग	**68.13**

परिशिष्ट
2.5.1

अप्रस्तुत अभिलेख

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.5.6.1; पृष्ठ 111)

इकाई का नाम	संक्षिप्त विवरण
प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ	योजना की शासकीय नियोजन सम्बन्धित पत्रावली।
	बजट प्रावधानों के प्रस्तावों से सम्बन्धित पत्रावली।
	प्रशासकीय व्यय का बजट प्रावधान और पत्राचार विवरण सम्बन्धित पत्रावली।
	समय समय पर निर्गत शासनादेश एवं निर्देश।
	सर्वेक्षण एवं बोर्डवार उत्तीर्ण विद्यार्थी तथा विद्यार्थियों के चयन का विवरण।

परिशिष्ट
2.5.2

प्रशासकीय व्यय के अन्तर्गत अधिक व्यय

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.5.6.4; पृष्ठ 112)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्रय किये गये लैपटॉप की संख्या	क्रय किये गये लैपटॉप की लागत (दर ₹ 19,058 प्रति लैपटॉप)	निर्धारित प्रशासकीय व्यय जहाँ वितरण समारोह माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अलीगढ़	20,293	38.67	1.50	2.46	0.96
2	इलाहाबाद	69,395	132.25	1.50	2.10	0.60
3	बांदा	11,636	22.18	1.50	2.91	1.41
	कुल योग	**1,01,324**	**193.10**	**4.50**	**7.47**	**2.97**

परिशिष्ट
2.5.3

प्रशासकीय व्यय के अन्तर्गत सृजित देयता

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.5.6.5; पृष्ठ 112)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्रय किये गये लैपटॉप की संख्या	क्रय किये गये लैपटॉप की लागत (दर ₹ 19,058 प्रति लैपटॉप)	निर्धारित प्रशासकीय व्यय कालम–4 का 1.2 प्रतिशत	प्रशासकीय व्यय के अन्तर्गत आबंटन	प्रशासकीय व्यय के अन्तर्गत वास्तविक व्यय	वास्तविक भुगतान की गयी राशि	सृजित देयता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	अलीगढ़	20,293	38.674	1.500*	0.000	2.460	0.000	2.460
2	इलाहाबाद	69,395	132.253	1.500*	0.000	2.100	0.000	2.100
3	बांदा	11,636	22.176	1.500*	1.500	2.910	1.500	1.410
4	बिजनौर	28,464	54.247	0.651	0.025	0.035	0.025	0.010
5	गौतमबुद्ध नगर	13,419	25.574	0.307	0.011	0.248	0.011	0.237
6	संत रविदास नगर	9,324	17.770	0.213	0.036	0.066	0.036	0.030
	कुल योग	**1,52,531**	**294.694**	**1.171**	**1.572**	**7.819**	**1.572**	**6.247**

***₹ 1.50 करोड़ जहाँ वितरण समारोह माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुआ था**

परिशिष्ट 2.5.4

लैपटॉप क्रय करने हेतु निर्गत आपूर्ति आदेशों का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.5.6.6; पृष्ठ 112)

आपूर्ति आदेश संख्या	आपूर्ति आदेश का दिनांक	लैपटॉप का क्रय (संख्या में)	प्रति इकाई दर (₹ में)	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	14 मार्च 2013	9,989	19,058	19.03
2	18 मई 2013	1,63,767	19,058	312.11
3	17 जून 2013	2,64,769	19,058	504.60
4	28 जून 2013	2,44,329	19,058	465.64
5	20 अगस्त 2013	4,97,108	19,058	947.39
6.	29 अगस्त 2013	2,80,591	19,058	534.75
7	19 सितम्बर 2013	20,565	19,058	39.19
	योग	**14,81,118**		**2,822.71**

परिशिष्ट 2.5.5

अवितरित लैपटॉप का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.5.6.6(अ); पृष्ठ 112)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	लैपटॉप हेतु पात्र विद्यार्थियों की संख्या	निर्गत आपूर्ति आदेश	क्रयादेश के सापेक्ष आपूर्तित लैपटॉप की संख्या	वितरित लैपटॉप	अवितरित लैपटाप	अवितरित लैपटॉप का मूल्य (₹ करोड़ में)
1	अलीगढ़	20,293	20,293	20,293	19,788	505	0.96
2	इलाहाबाद	69,395	69,395	69,395	65,806	*3,537	6.74
3	आजमगढ़	43,011	43,011	43,011	41,459	1,552	2.96
4	बलरामपुर	9,748	9,748	9,748	9,032	716	1.36
5	बांदा	11,636	11,636	11,636	11,563	73	0.14
6	बिजनौर	28,464	28,464	28,464	28,340	124	0.24
7	इटावा	13,415	13,415	13,415	13,405	10	0.02
8	गौतमबुद्ध नगर	13,419	13,419	13,419	12,791	628	1.20
9	गाजीपुर	31,692	31,692	31,692	30,833	859	1.64
10	कानपुर देहात	21,584	21,584	21,584	21,175	409	0.78
11	लखनऊ	46,827	46,827	46,827	44,317	2,510	4.78
12	महराजगंज	16,461	16,461	16,461	16,066	395	0.75
13	मेरठ	21,957	21,957	21,957	21,425	532	1.01
14	मुरादाबाद	24,383	24,383	24,383	24,143	240	0.46
15	संतरविदास नगर	9,324	9,324	9,324	9,201	123	0.23
	कुल योग	**3,81,609**	**3,81,609**	**3,81,609**	**3,69,344**	**12,213**	**23.28**

***52 लैपटॉप चोरी/गायब थे**

परिशिष्ट 2.6.1

निधि का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.6.6; पृष्ठ 119)

क्र0 सं0	बैंक का नाम	सावधि जमा संख्या	निवेश की तिथि	निवेश की गई धनराशि (₹ में)	परिपक्वता की तिथि	परिपक्वता की राशि (₹ में)
1	इलाहाबाद बैंक	50150227347	02.04.2013	1,29,99,51,958	28.03.2014	1,29,99,51,958
2		50162694728	19.07.2013	90,00,000	19.07.2014	98,37,750
3		50162884050	20.07.2013	90,00,000	20.07.2014	98,37,750
4		50163081776	22.07.2013	95,00,000	22.07.2014	1,03,84,292
5		50163114443	23.07.2013	95,00,000	23.07.2014	1,03,84,292
6		50163416364	24.07.2013	95,00,000	24.07.2014	1,03,84,292
7		50163585559	25.07.2013	95,00,000	25.07.2014	1,03,84,292
		योग		**1,35,59,51,958**		
8	केनरा बैंक	144401005332	29.03.2014	1,00,00,00,000	29.03.2015	1,09,57,58,346
		योग		**1,00,00,00,000**		
9	इलाहाबाद बैंक	50154528501	11.05.2013	99,73,48,000	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
10		50157923030	11.06.2013	25,29,19,000	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
11		50161752477	11.07.2013	29,73,07,000	11.07.2014	अनुपलब्ध
12		50165679252	11.08.2013	80,60,000	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
13		50170263847	14.09.2013	71,44,77,787	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
14		50171540288	17.09.2013	24,98,21,977	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
15		50174589492	11.10.2013	26,39,76,000	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
16		50178199260	22.11.2013	4,54,48,913	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
17		50182586672	18.01.2014	17,43,08,877	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
18		50187501647	13.01.2014	22,02,442	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
19		50191326645	11.02.2014	33,03,39,000	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
20		50193971172	27.02.2014	2,19,15,16,691	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
21		50195792920	11.03.2014	34,58,96,000	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
22		50198482133	28.03.2014	1,01,52,62,074	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
23		50198484979	28.03.2014	54,94,87,428	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
24		50162679153	18.07.2013	90,00,000	18.07.2014	9837750
25		50162693509	19.07.2013	90,00,000	19.07.2014	9837750
26		50162858473	20.07.2013	90,00,000	20.07.2014	9837750
27		50162952941	22.07.2013	80,00,000	22.07.2014	8744667
				योग	**7,47,33,71,189**	
				कुल योग	**98,29,32,33,147**	
				बचत खातों में धनराशि	**1,41,96,42,929**	
				विभिन्न जिलों के कोषागारों में दिनांक 31.03.2014 को धनराशि	**29,93,15,913**	
				अन्त शेष	**11,54,82,81,989**[1]	

[1] जिलों से उपभोग प्रमाण पत्र न प्राप्त होने के कारण तालिका 1 में दिए गए आंकड़ों से ₹ 3.05 करोड़ की भिन्नता है।

परिशिष्ट 2.6.2

बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय जिनका क्रियान्वयन नहीं किया जा सका

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.6.8.2; पृष्ठ 123)

क्र0 स0	दिनांक	एजेन्डा संख्या	एजेन्डा
1	16 दिसम्बर 2009	5	निर्माण कार्मिकों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था
			रियायती दर पर भोजन
2	23 जून 2010	7	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रतिमान पर निर्माण कार्मिकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालयों की स्थापना
3	28 सितम्बर 2010	5	बोर्ड के स्थायी स्टाफ की नियुक्ति/तैनाती
4	14 सितम्बर 2011	5	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बीमा योजना
5	16 दिसम्बर 2011	2	कार्मिकों के बच्चों हेतु विद्यालय की स्थापना
6	19 नवम्बर 2012	6	गैर सरकारी/निजी भवनों की परियोजना लागत का तथा तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा योजना लागत का आकलन
		9	
7	27 अगस्त 2013	5	परिवार कल्याण एवं निराश्रितों की सहायता योजना का क्रियान्वयन

परिशिष्ट 3.1

वेतन एवं बकाया वेतन के कपटपूर्ण संवितरण का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 3.1.1; पृष्ठ 127, 128)

परिशिष्ट–3.1ए

क्र0 सं0	नाम	पदनाम / बैच संख्या	बचत खाता संख्या	धनराशि (₹)
40 प्रतिशत वेतन बकाया (01.01.2006 से 31.10.2010)				
1	मुकेश कुमार	आरक्षी / चालक	11047329462	5,880
2	श्याम सिंह	आरक्षी / चालक	11047329462	5,880
3	प्रीतम सिंह	आरक्षी / चालक	11047215036	61,338
4	जगदीश सिंह	दफ्तरी	11047215036	2,589
5	जय प्रकाश वर्मा	–	11047464468	58,059
6	कृष्ण वीर सिंह	–	11047464468	28,898
7	मुकेश कुमार	–	20042697353	6,546
8	दिल बहादुर	कुक	20042697353	9,389
9	कपिल कुमार	आरक्षी / चालक	20042697353	17,700
10	प्रदीप कुमार	आरक्षी / चालक	20042697353	6,300
11	साहब सिंह	आरक्षी / चालक	11047338885	6,060
12	अरूण कुमार	आरक्षी / चालक	11047338885	6,045
			योग	**2,14,684**

परिशिष्ट–3.1बी

क्र0 सं0	नाम	पदनाम / बैच संख्या	बचत खाता संख्या	धनराशि (₹)
अतिरिक्त वेतन 2010 एवं 2011				
1	नरेन्द्र कुमार	8336	11047325560	14,607
2	नरेन्द्र सिंह	8336	11047325560	11,198
3	राकेश कुमार	7814	11047328049	18,643
4	राकेश कुमार	7814	11047328049	81,185
5	राम वीर सिंह	7724	11047328833	18,400
6	राम वीर सिंह	7724	11047328833	3,620
7	सुरेन्द्र पाल	7618	11047337122	18,400
8	सुरेन्द्र सिंह	7618	11047337122	14,693
9	सितेन्द्र कुमार	8131	30435365158	15,518
10	सितेन्द्र कुमार	8131	30435365158	7,362
11	नेपाल सिंह	7502	31084688113	16,985
12	नेपाल सिंह	7502	31084688113	13,611
13	पवन कुमार	7866	11047325843	17,495
14	पवन कुमार	7866	11047325843	20,939
			योग	**₹ 2,72,656**

परिशिष्ट–3.1सी

क्र0 सं0	नाम	बैच सं0 /	बचत खाता संख्या	धनराशि (₹)
		वेतन माह 04 / 2011		
1	मनोज कुमार		11047215036	8,667
2	मुख्यालय मेस		11047215036	1,07,988
			योग	**1,16,655**
		वेतन माह 06 / 2011		
3	रविन्द्र कुमार	7711	11047214973	12,943
4	अवनीश कुमार	7656	11047214973	13,481
5	राजपाल सिंह	8054	11047214973	12,438
6	मेस डी कम्पनी	निधि	11047214973	1,23,390
7	जितेन्द्र सिंह	7507	11047215003	16,263
8	नवीन कुमार	8405	11047215003	8,272
9	वीरेन्द्र सिंह	8415	11047215003	12,189
10	मेस जी कम्पनी	निधि	11047215003	1,15,571
11	गितेन्द्र सिंह	7611	11047214940	15,465
12	सचिन कुमार	7661	11047214940	10,814
13	मेस ए कम्पनी	निधि	11047214940	1,04,989
14	संजय कुमार	8427	11047214951	10,212
15	मेस बी कम्पनी	निधि	11047214951	1,15,309
16	सचिन कुमार	8355	11047214962	13,076
17	मेस सी कम्पनी	निधि	11047214962	1,18,047
18	शिशुपाल सिंह	7566	11047215014	15,415
19	मेस एच कम्पनी	निधि	11047215014	1,42,407
			योग	**8,60,281**
		वेतन माह 09 / 2011		
20	राज कुमार	-	31758129342	10,270
21	राकेश कुमार	-	31758129342	11,820
22	धर्मेन्द्र सिंह	-	11047214940	24,508
23	सचिन कुमार	7661	11047214940	12,105
24	मेस ए कम्पनी	निधि	11047214940	1,50,549
25	राजपाल सिंह	8054	11047214973	15,813
26	मेस डी कम्पनी	निधि	11047214973	1,31,701
27	वीरेन्द्र पाल	7564	11047215014	13,077
28	मेस एच कम्पनी	निधि	11047215014	1,26,549
			योग	**4,96,392**

वेतन माह 02/2012				
29	ऋषि पाल सिंह	7621	11047424822	13887
30	अमित कुमार	7889	11047424822	10359
31	सचिन कुमार	8363	11047215014	15238
32	मेस एच कम्पनी	निधि	11047215014	24116
33	मेस एच कम्पनी	निधि	11047215014	136905
			योग	**200505**
अतिरिक्त वेतन 2010–11				
34	सतेन्द्र	ए आर	11047215036	13114
35	नाथन सिंह	एस ए एफ	11047215036	8963
36	हनुमान सिंह	7879	11047215036	8956
			योग	**31033**
			36 प्रकरणों का सकल योग	**₹ 1704866**

परिशिष्ट
3.2

बीमा आच्छादन अवधि में बीमा प्रीमियम के रूप में किये गये भुगतान सम्बन्धी व्यय विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 3.2.1; पृष्ठ 130)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	शासन द्वारा भुगतान की गयी प्रीमियम की धनराशि	कम्पनियों द्वारा दावों के रूप में भुगतान की गयी धनराशि
1	2004–05	11.85	13.60
2	2005–06	11.85	38.31
3	2006–07	26.25	37.20
4	2007–08	26.25	40.98
5	2008–09	35.15	58.92
6	2009–10	49.14	40.64
योग		**160.49**	**229.65**
सम्पूर्ण अवधि में बचत की धनराशि (₹ 229.65 - ₹ 160.49)			**₹ 69.16**

परिशिष्ट 3.3(अ)

निर्धारित 4 प्रतिशत के सापेक्ष 5 एवं 12.5 प्रतिशत की दर से जोड़े गये वैट का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 3.2.9; पृष्ठ 139)

खण्ड का नाम	प्राक्कलन संख्या	अनुबंध संख्या	कुल आपूर्तित मात्रा (प्राक्कलनों के सापेक्ष निष्पादित अनुबंधो के अनुसार) (घन मीटर में)	दर प्रति घन मीटर (₹ मे)	कुल भुगतान धनराशि (₹ मे)	प्राक्कलनों में दिये गये दर पर वैट की धनराशि (दर प्रतिशत) (अ)	4 प्रतिशत की दर से प्रावधानित वैट/व्यापार कर की धनराशि (₹ में) (ब)	अतिरिक्त व्यय (₹ में) (अ)-(ब)
सिंचाई निर्माण खण्ड सहारनपुर	34/सीई/ 11-12	1,2,3,14& 17/एसई/ 2012-13, 40/ईई / 2012-13, 1,8 & 9/एसई /2013-14	25,344.144	1,050 to 1,597	3,58,52,017.00	17,92,600.85 (5)	14,34,080.68	3,58,520.17
	38/एसई / 11-12	6/एसई /2013-14	3,776.63	1,284	48,49,192.92	2,42,459.65 (5)	1,93,967.72	48,491.93
	32/सीई / 11-12	4,7,15 &16/एसई / 2012-13, 2, 3, 11 &13/एसई /2013-14, 48 & 61/ईई / 2013-14	21,235.438	1,150 to 1,753	3,44,95,212.11	17,24,760.61 (5)	13,79,808.48	3,44,952.13
	44/सीई / 11-12	211,216,217,219,241,244,245,261,263,311,312, 315, 316, 317,318, 320,321 &322/ईई /2011-12, 389 & 390/ईई / 2011-12, 4,5 6,8,9,10,11 &12//एई /2012-13	38,469.39 (35,630.01+ 2,839.38)	1,295 to 1,299 & 1,614.75 to 1,618.50	5,07,96,627.37 (4,62,09,100.41 + 45,87,526.96)	25,39,831.36 (5)	20,31,865.09	5,07,966.27
	23/सीई / 12-13	5,8,12&13/एसई /2012-13, 21/ईई / 2012-13, 10 & 12/एसई /2013-14, 42, 43, 45, 53, 80,81,82,83 & 84/ ईई /2013-14	29,464.31	700 to 1855	3,76,63,867.92	47,07,983.49 (12.5)	15,06,554.72	32,01,428.77
							योग	44,61,359.27
ड्रेनेज खण्ड– I मेरठ	40/सीई / 10-11	1 &2/एसई /2010-11	16,695.14	2700.00 & 2715.00	4,52,02,862.65	56,50,357.83 (12.5)	18,08,114.51	38,42,243.32
	19/सीई / 10-11	27,28,29,30,33,34, 36,37,44,45,52,86, 88,138,141,147,175,& 176/ईई / 2010-11	22,097.28	2135.00 to 2144.50	4,73,04,925.81	59,13,115.73 (12.5)	18,92,197.20	40,20,918.53
							योग	**7863161.85**
							कुल योग (स)	**1,23,24,521.12**

परिशिष्ट 3.3(ब)

परिवहन की लागत में जोड़े गये गैर अनुमन्य वैट का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 3.2.9; पृष्ठ 140)

खण्ड का नाम	प्राक्कलन संख्या	अनुबंध संख्या	कुल आपूर्तित मात्रा (प्राक्कलनों के सापेक्ष निष्पादित अनुबंधो के अनुसार) (घन मीटर में) (अ)	प्राक्कलनों के अनुसार ढुलाई पर जोड़े गये वैट की धनराशि (घनमीटर में) (ब)	अतिरिक्त व्यय (अ) x (ब) (₹ में)
सिंचाई निर्माण खण्ड सहारनपुर	34/सीई/ 11-12	1,2,3,14& 17/एसई /2012-13, 40/ईई / 2012-13, 1,8 & 9/एसई /2013-14	25,344.144	46.07	1,16,7604.71
	38/एसई / 11-12	6/एसई /2013-14	3,776.63	35.62	1,34,523.56
	32/सीई / 11-12	4,7,15 &16/एसई /2012-13, 2, 3, 11 &13/ एसई /2013-14, 48 & 61/ईई /2013-14	21,235.438	52.60	11,16,984.04
	44/सीई / 11-12	211,216,217,219,241,244,245,261, 263,311,312, 315, 316,317,318,320, 321 &322/ईई /2011-12, 389 & 390/ ईई/2011-12, 4,5 6,8,9,10,11 &12/ एई / 2012-13	35,630.01 2,839.38	39.43 52.60	14,04,891.29 1,49,351.39
	23/सीई / 12-13	5,8,12&13/एसई /2012-13, 21/ईई / 2012-13, 10 & 12/एसई /2013-14, 42, 43, 45, 53, 80,81,82,83 & 84/ईई /2013-14	29,464.31	142.71	42,04,851.68
				योग (क)	**81,78,206.67**
ड्रेनेज खण्ड–I मेरठ	40/सीई / 2010-11	1 &2/एसई/2010-11	16,695.14	244.79	40,86,803.32
	19/सीई / 2010-11	27,28,29,30,33,34,36,37,44,45,52,86,88,1 38,141,147,175,& 176/ईई /2010-11	22,097.28	185.52	40,99,487.39
				योग (ख)	**81,86,290.71**
				महायोग (ग)	**1,63,64,497.38**
	कुल अतिरिक्त व्यय (स + ग) = **₹ 2.87 करोड़**				

परिशिष्ट 3.4

बीज क्रय एवं उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम को भुगतान की गयी वितरक कमीशन की धनराशि का वर्षवार विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 3.3.1; पृष्ठ 141)

बीजों का विवरण	2011-12			2012-13			2013-14		
	मात्रा (कुन्तल)	वितरक कमीशन		मात्रा (कुन्तल)	वितरक कमीशन		मात्रा (कुन्तल)	वितरक कमीशन	
		दर (₹/ कुन्तल)	कुल मूल्य (₹)		दर (₹/कुन्तल)	कुल मूल्य (₹)		छर (₹/कुन्तल)	कुल मूल्य (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
धान	25,654	69.43	17,81,157.22	21,026	73.29	15,40,995.54	25,866	81.74	21,14,286.84
मक्का	304	80.30	24,411.20	903	80.30	72,510.90			
बाजरा	2,170	66.98	1,45,346.60	43.1	77.26	3,329.91	428	93.16	39,872.48
उर्द	15,550	249.00	38,71,950.00	2,990	249.00	7,44,510.00			
मूंग	2,820	282.48	7,96,593.60	2,386	282.48	6,73,997.28			
अरहर	1,314	197.91	2,60,053.74	1,575	197.91	3,11,708.25	530	224.51	1,18,990.30
तिल	722	293.99	2,12,260.78	282	301.24	84,949.68			
मूंगफली	747	184.32	1,37,687.04	960	231.72	2,22,451.20			
सोयाबीन	1,046	133.76	1,39,912.96	590	157.57	92,966.30			
गेहू	5,96,771	72.53	4,32,83,800.63	6,88,753	78.17	5,38,39,822.01			
जौ	36	67.87	2,443.32	19.4	68.08	1,320.75			
चना	15,137	159.10	24,08,296.70	4,185	257.74	10,78,641.90			
मटर	13,954	123.26	17,19,970.04	7,490	178.33	13,35,691.70			
मसूर	6,428	191.94	12,33,790.32	4,524	223.40	10,10,661.60			
राई	1,430	150.90	2,15,787.00	1,004	150.90	1,51,503.60			
लाही / तोरिया	781	160.13	1,25,061.53	346	192.24	66,515.04			
कुल योग	**6,84,864**		**5,63,58,522.68**	**7,37,076.5**		**6,12,31,575.66**	**26,824**		**22,73,149.62**
		सकल योग	**मात्रा**			**14,48,765**	**धनराशि**		**11,98,63,247.96**

परिशिष्ट 3.5

टिपर की अधिक दर के प्रावधान के कारण व्ययाधिक्य

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 3.3.6; पृष्ठ 149)

क्र0 सं0	(1) ग्रेनुलर सबबेस	
1	खण्ड द्वारा प्रावधानित दर	
2	टिपर 10 टन = 450 x 23 किमी x ₹ 3.35	₹ 34,672.50
3	लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित ढुलाई की 10 प्रतिशत धनराशि	₹ 3,467.25
	योग	**₹ 38,139.75**
1	आधार वर्ष 2001–02 के अनुसार 29 प्रतिशत वृद्धि	₹ 11,060.53
	योग	**₹ 49,200.28**
1	ठेकेदार का लाभांश 10 प्रतिशत	₹ 4,920.02
	योग	**₹ 54,120.30**
1	प्रति घनमी दर (₹ 54120.30 / 225 घनमी अर्थात 450 टन) (क)	₹ 240.53
2	स्टैन्डर्ड डाटा बुक एवं विभागीय परिपत्र के अनुसार अनुमन्य दर	
3	टिपर 10 टन = 450 x 23 किमी x ₹ 1.74	₹ 18,009.00
4	लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित ढुलाई की 10 प्रतिशत धनराशि	₹ 1,800.90
	योग	**₹ 19,809.90**
1	आधार वर्ष 2001–02 के अनुसार 35 प्रतिशत वृद्धि	₹ 6,933.47
	योग	**₹ 26,743.37**
1	ठेकेदार का लाभांश 10 प्रतिशत	₹ 2,674.33
	योग	**₹ 29,417.70**
1	प्रति घनमी दर (₹ 29417.70 / 225 घनमी अर्थात 450 टन) (ख)	₹ 130.74
2	ग्रेनुलर सबबेस पर व्ययाधिक्य (क–ख) x संपादित मात्रा = ₹ 109.79 x 48300.85 घनमी	₹ 53,02,950.00
3	(2) वेट मिक्स मैकेडम	
4	खण्ड द्वारा प्रावधानित दर	
5	टिपर 10 टन = 495 x 23 किमी x ₹ 3.35	₹ 38,139.75
6	लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित ढुलाई की 10 प्रतिशत धनराशि	₹ 3,813.98
	योग	**₹ 41,953.73**
1	आधार वर्ष 2001–02 के अनुसार 29 प्रतिशत वृद्धि	₹ 12,166.58
	योग	**₹ 54,120.31**
1	ठेकेदार का लाभांश 10 प्रतिशत	₹ 5,412.03
	योग	**₹ 59,532.34**
1	प्रति घनमी दर (₹ 59,532.34 / 225 घनमी अर्थात 495 टन) (ग)	₹ 264.59
2	स्टैन्डर्ड डाटा बुक एवं विभागीय परिपत्र के अनुसार अनुमन्य दर	
3	टिपर 10 टन = 495 x 23 किमी x ₹ 1.74	₹ 19,809.90
4	लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित ढुलाई की 10 प्रतिशत धनराशि	₹ 1,980.99
	योग	**₹ 21,790.89**

1	आधार वर्ष 2001–02 के अनुसार 35 प्रतिशत वृद्धि	₹ 7,626.81
	योग	**₹ 29,417.70**
1	ठेकेदार का लाभांश 10 प्रतिशत	₹ 2,941.77
	योग	**₹ 32,359.47**
1	प्रति घनमी दर (₹ 32,359.47/225 घनमी अर्थात 495 टन) (घ)	₹ 143.82
2	वेट मिक्स मैकेडम पर व्ययाधिक्य (ग–घ)xसंपादित मात्रा = ₹ 120.77 x 170279.20 घनमी	₹ 2,05,64,619.00
3	(3) डेन्स–ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम	
4	खण्ड द्वारा प्रावधानित दर	
5	टिपर 10 टन = 450 x 23 किमी x ₹ 3.35	₹ 34,672.50
6	लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित ढुलाई की 10 प्रतिशत धनराशि	₹ 3,467.25
	योग	**₹ 38,139.75**
1	आधार वर्ष 2001–02 के अनुसार 29 प्रतिशत वृद्धि	₹ 11,060.53
	योग	**₹ 49,200.28**
1	ठेकेदार का लाभांश 10 प्रतिशत	₹ 4,920.02
	योग	**₹ 54120.30**
1	प्रति घनमी दर (₹ 54,120.30 / 195 घनमी अर्थात 450 टन) (च)	₹ 277.54
2	स्टैन्डर्ड डाटा बुक एवं विभागीय परिपत्र के अनुसार अनुमन्य दर	
3	टिपर 10 टन = 450 x 23 किमी x ₹ 1.74	₹ 18,009.00
4	लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित ढुलाई की 10 प्रतिशत धनराशि	₹ 1,800.90
	योग	**₹ 19,809.90**
1	आधार वर्ष 2001–02 के अनुसार 35 प्रतिशत वृद्धि	₹ 6,933.46
	योग	**₹ 26,743.36**
1	ठेकेदार का लाभांश 10 प्रतिशत	₹ 2,674.33
	योग	**₹ 29,417.70**
1	प्रति घनमी दर (₹ 29,417.70 / 195 घनमी अर्थात 450 टन) (छ)	₹ 150.86
2	डेन्स–ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम पर व्ययाधिक्य(च–छ)xसंपादित मात्रा=₹ 126.68x 4,3920.27 घनमी	₹ 55,63,820.00
3	**(4) बिटुमिनस कंक्रीट**	
4	खण्ड द्वारा प्रावधानित दर	
5	टिपर 10 टन = 450 x 23 किमी x ₹ 3.35	₹ 34,672.50
6	लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित ढुलाई की 10 प्रतिशत धनराशि	₹ 3,467.25
	योग	**₹ 38,139.75**
1	आधार वर्ष 2001–02 के अनुसार 29 प्रतिशत वृद्धि	₹ 11,060.53
	योग	**₹ 49,200.28**
1	ठेकेदार का लाभांश 10 प्रतिशत	₹ 4,920.02
	योग	**₹ 54,120.30**
1	प्रति घनमी दर(₹54120.30 / 191 घनमी अर्थात 450 टन) (ज)	₹ 283.35
2	स्टैन्डर्ड डाटा बुक एवं विभागीय परिपत्र के अनुसार अनुमन्य दर	
3	टिपर 10 टन = 450 x 23 किमी x ₹ 1.74	₹ 18,009.00

4	लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित ढुलाई की 10 प्रतिशत धनराशि	₹ 1,800.90
	योग	**₹ 19,809.90**
1	आधार वर्ष 2001–02 के अनुसार 35 प्रतिशत वृद्धि	₹ 6,933.46
	योग	**₹ 26,743.36**
1	ठेकेदार का लाभांश 10 प्रतिशत	₹ 2,674.33
	योग	**₹ 29,417.70**
1	प्रति घनमी दर (₹ 29417.70 / 191 घनमी अर्थात 450 टन) (झ)	₹ 154.01
2	बिटुमिनस कंक्रीट पर व्ययाधिक्य (ज–झ) x संपादित मात्रा = ₹ 129.34 x 3150.00 घनमी	₹ 4,07,421.00
3	कुल व्ययाधिक्य गेनुलर सबबेस : ₹ 53,02,950.00 + वेट मिक्स मैकेडम : ₹ 2,05,64,619.00 + डेन्स–ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम : ₹ 55,63,820.00 + बिटुमिनस कंक्रीट : ₹ 4,07,421.00	₹ 3,18,38,810.00
4	0.25 प्रतिशत कम दर पर (अनुबंध की प्रीमियम दर)	₹ 79,597.00
5	शुद्ध व्ययाधिक्य	**₹ 3,17,59,213.00**

परिशिष्ट 3.6

परिहार्य व्यय का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 3.3.7; पृष्ठ 150)

अनुबंध संख्या	सम्पादित कार्य मात्रा (घनमी)	धनराशि (ठेकेदार को भुगतान) (₹)	धनराशि (भारित बिटुमिन) (₹)	योग (₹)
बिटुमिनस मैकेडम				
42 / एसई	7,218.75	1,86,61,335.00	1,91,25,980.00	3,77,87,315.00
43 / एसई	8,760.00	2,17,55,197.20	2,32,09,545.00	4,49,64,742.20
47 / एसई	3,368.00	84,40,005.92	89,23,635.00	1,73,63,640.92
सेमी–डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट				
42 / एसई	1,443.75	35,90,144.25	59,13,945.00	95,04,089.25
सकल व्यय (बिटुमिनस मैकेडम एवं सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट)			(अ)	10,96,19,787.37
प्रीमिक्स कारपेट कार्य पर सात प्रतिशत प्रीमियम सहित अनुमन्य व्यय		(28,250 x 7) =1,97,750 वर्गमी x ₹ 152	(ब)	3,21,62,060.00
225 मिमी ग्रेनुलर बेस प्राप्त करने हेतु सात प्रतिशत प्रीमियम सहित 75 मिमी मोटी वाटर बाउन्ड मैकेडम की एक सतह पर अनुमन्य व्यय		(28,250 x 7 x 0.075) =14,831.25 घनमी	(स)	1,89,31,255.87
सात प्रतिशत प्रीमियम सहित विद्यमान सतह के स्कैपिंग पर अनुमन्य व्यय		(28,250 x 6) = 1,69,500.00 वर्गमी x ₹ 17.30	(द)	31,37,614.50
परिहार्य व्यय = अ - (ब + स + द) 10,96,19,787.37 - (3,21,62,060.00 + 1,89,31,255.87 + 31,37,614.50)				5,53,88,857.00

परिशिष्ट
3.7

अधोमानक कार्य पर व्यय का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 3.3.9; पृष्ठ 153)

मद	मात्रा	दर	धनराशि
पटरी को मिट्टी से ऊँचा करना	5,089.73 घनमी	134.90	₹ 6,86,604.58
किस–क्रास	8,175.00 घनमी	5.0	₹ 40,875.00
जी–2	5,103.92 घनमी	1,118.40	₹ 57,08,224.13
जी–3	3,585.48 घनमी	1,124.10	₹ 40,30,438.07
प्राइम कोट	41,727.00 वर्गमी	17.90	₹ 7,46,913.30
टैक कोट	65,702.00 वर्गमी	7.0	₹ 4,59,914.00
बिटुमिनस मैकेडम	2,088.45 घनमी	5,051.00	₹ 1,05,48,760.95
डेन्स बिटुमिनस मैकेडम	1,198.75 घनमी	6,341.90	₹ 76,02,352.63
		योग	**₹ 2,98,24,082.66**
	अनुबंध के अनुसार 0.01 प्रतिशत कम दर पर		(-) ₹ 2,982.41
शुद्ध निष्फल व्यय	**₹ 2,98,21,100.25 अर्थात ₹ 2.98 करोड़**		